याचिकाकर्ता। इसके अलावा, उस मामले में प्रस्तावित संशोधन से अपीलार्थी सीधे प्रभावित हुए थे।

259. अन्यथा, एक व्यक्तिगत/सार्वजनिक सुनवाई सख्ती से अनिवार्य थी, यहाँ प्रासंगिक प्रश्न यह देखना होगा कि क्या पर्याप्त अवसर है।

यह दिया गया था, और यदि नहीं, तो क्या याचिकाकर्ताओं द्वारा वास्तविक पूर्वाग्रह का कोई मामला बनाया गया है। यह देखा गया है कि *3.2.2020* पर, सभी विरोधियों को व्यक्तिगत संचार भेजा गया था। *1292* विरोध करने वालों में से *1171* को सफलतापूर्वक ईमेल प्राप्त हुए, *62* ईमेल तकनीकी त्रुटियों के कारण वापस आ गए और *59* विरोध करने वालों ने अपने ईमेल पते प्रदान नहीं किए थे। इसके अतिरिक्त, *92* विरोधियों को एस. एम. एस. के माध्यम से निर्धारित सुनवाई के बारे में सूचित किया गया था। सुनवाई के दो दिनों के दौरान, इस न्यायालय के समक्ष कुछ याचिकाकर्ताओं सहित *42* विरोधियों को सुना गया। मिनटों।

बोर्ड की दिनांकित *7.2.2020* की बैठक में *13* बिंदुओं में आवेदकों/विरोधियों के रुख को संक्षेप में नोट किया गया। हमसे पहले भी, अधिकांश विरोधियों द्वारा समान बिंदुओं को एक रूढ़िवादी तरीके से दोहराया गया था, और याचिकाकर्ताओं द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि उनकी शिकायतें भी इन *13* बिंदुओं का एक हिस्सा थीं। हमें कोई अन्य शिकायत नहीं बताई गई थी जिसे रिकॉर्ड में नहीं लिया गया था और व्यक्तिगत/घटना के दौरान विज्ञापन नहीं किया गया था।

महत्व। लेकिन किसी दिए गए तथ्यात्मक परिदृश्य में उचित समय क्या है, इसे एक सामान्य प्रस्ताव के रूप में नहीं कहा जा सकता है और यह प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। वर्तमान मामले में, व्यक्तिगत/सार्वजनिक सुनवाई की कोई स्पष्ट आवश्यकता नहीं होने के बावजूद, आपत्तियों/सुझावों को *30* दिनों के लिए खुला रखने और निर्धारित तिथि से *3* दिन पहले सुनवाई के संबंध में व्यक्तिगत सूचना भेजने के बाद इसका प्रावधान किया गया था। यह याचिकाकर्ताओं का मामला नहीं है कि उन्हें इस तरह का संदेश नहीं मिला था। *260.* इस प्रकार, याचिकाकर्ताओं द्वारा सार्वजनिक परामर्श की प्रक्रिया में पूर्वाग्रह का कोई मामला नहीं बनाया गया है। यह अच्छी तरह से व्यवस्थित है।

कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत एक अनियंत्रित घोड़ा नहीं हैं। बड़ी संख्या में व्यक्तियों को समान *13 [2021] 15* एस. सी. आर. जुटाने की अनुमति देना एक खाली औपचारिकता होगी।

कई बार आपत्तियाँ। हम पर यह प्रभाव डालने का प्रयास किया गया कि महामारी की स्थिति के कारण अधिकांश विरोध करने वाले सुनवाई के लिए निर्दिष्ट दिन और समय पर उपस्थित नहीं रह सके। जैसा कि ऊपर कहा गया है, किसी भी याचिकाकर्ता ने उनके द्वारा लिखित रूप में की गई किसी भी आपत्ति की ओर हमारा ध्यान आकर्षित नहीं किया है जो प्राधिकरण द्वारा नोट किए गए *13* बिंदुओं/प्रश्नों से अलग थी जो उसके द्वारा प्राप्त सभी आपत्तियों में सामान्य थे। इसलिए, याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाई गई इस याचिका का भी कोई फायदा नहीं है। दूसरे शब्दों में, हालांकि याचिकाकर्ताओं ने प्राकृतिक न्याय से इनकार करने के बारे में जोरदार तर्क दिया है, लेकिन यह न्यायिक विवेक के बुनियादी मानकों को पूरा करने के लिए पर्याप्त रूप से प्रदर्शित नहीं किया गया है ताकि हमारे हस्तक्षेप की आवश्यकता हो।

261. वास्तव में, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत न्यायिक और प्रशासनिक दोनों कानूनी प्रक्रियाओं में जीवन और रक्त का संचार करते हैं। लेकिन इस मौके पर

उनके आवेदन एक समान नहीं हैं और यह व्यापक आवेदन के प्रस्ताव के रूप में नहीं कहा जा सकता है कि सभी प्रशासनिक अभ्यास प्राकृतिक न्याय के अपरिवर्तनीय और पूर्ण मानकों के अधीन हैं। कैलाश चंद्र आहूजा *3 28* में, इस न्यायालय ने पैरा *36* में इस प्रकार टिप्पणी की: -

" 36. ..... उन मामलों में भी जहां प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं का पालन नहीं किया गया है, कार्रवाई को वास्तव में अवैध, गैरकानूनी या अमान्य नहीं माना गया है जब तक कि यह नहीं दिखाया गया है कि पालन नहीं किया गया है। आवेदक को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया था।

केनरा बैंक *329* में, इस न्यायालय ने प्राकृतिक न्याय के मौलिक आधार पर प्रकाश डाला और इस प्रकार टिप्पणी की: -

" 9. "प्राकृतिक न्याय" और "कानूनी न्याय" शब्द एक कठोर वर्गीकरण प्रस्तुत नहीं करते हैं। यह न्याय का सार है जिसे दोनों द्वारा सुरक्षित किया जाना है, और जब भी कानूनी न्याय इस गंभीर उद्देश्य को प्राप्त करने में विफल रहता है, तो प्राकृतिक न्याय को कानूनी न्याय की सहायता के लिए बुलाया जाता है। प्राकृतिक न्याय कानूनी न्याय को अनावश्यक से मुक्त करता है

तकनीकीता, व्याकरणिक पांडित्य या तार्किक पूर्वधारणा। यह एक तैयार किए गए कानून की चूक प्रदान करता है। जैसा कि लॉर्ड बकमास्टर ने कहा, किसी भी प्रपत्र या प्रक्रिया को कभी भी बाहर करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

वादियों के बचाव की प्रस्तुति।

328 (ऊपर *148* पर*)* *329 (* ऊपर *147* पर*)*

(1996) 3 एस. सी. सी. *364*

330 अजीव सूरी बनाम। दिल्ली विकास प्राधिकरण और ओआरएस। *[* ए. एम. खानविलकर, जे.*]*

" 32. ..... न्याय का अर्थ है दोनों पक्षों के बीच न्याय। द.

न्याय की विफलता को न्याय के उद्देश्यों को विफल करने की अनुमति नहीं दी जाती है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत लक्ष्यों को प्राप्त करने के साधन हैं

न्याय की। उन्हें बिल्कुल विपरीत प्राप्त करने के लिए विकृत नहीं किया जा सकता है।

अंत। यह एक प्रति-उत्पादक अभ्यास होगा। "

262. कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम *331* में, यह

टी इस प्रकार देखा गया:

" 24. ..... सवाल यह है कि किस हद तक, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पालन करने की आवश्यकता इस तथ्य पर निर्भर करेगी कि

प्रत्येक मामले में स्थिति प्राप्त करना। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत

वैक्यूम में लागू नहीं किया जा सकता है। इन्हें किसी भी जलडमरूमध्य में नहीं रखा जा सकता है। सूत्र। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत और भी हैं।

इसका पालन करने की आवश्यकता नहीं है जब यह एक की ओर ले जाएगा

खाली औपचारिकता "।

(जोर दिया गया*)*

263. सचिव, आंध्र प्रदेश समाज कल्याण आवासीय

राष्ट्रीय संस्थान *v.* पिंडिगा श्रीधर और अन्य। *332* , न्यायालय

स्थिर स्थिति पर ध्यान दिया और इस प्रकार देखाः

" 7. ..... अब तक, यह कानून का अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है कि सिद्धांत

प्राकृतिक न्याय को स्ट्रैटजैकेट सूत्र में लागू नहीं किया जा सकता है। उनके आवेदन प्रत्येक के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है

मामला। सिद्धांतों के उल्लंघन की शिकायत को बनाए रखने के लिए

प्राकृतिक न्याय किसी को यह स्थापित करना चाहिए कि वह गैर के लिए पूर्वाग्रह से ग्रस्त था प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन "।

264. जगजीत सिंह *333* में, इस न्यायालय ने कहा था किः

" 44. ..... हालांकि, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को नहीं रखा जा सकता है। एक स्ट्रेटजैकेट में। ये लचीले नियम हैं। इनकी उपयोगिता है -

प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्धारित किया जाता है।

265. इसके अलावा, अध्यक्ष, खनन बोर्ड परीक्षा *3 3 4 334* में,

मैं इसके दृष्टिकोण में अधिक स्पष्ट था और इस प्रकार देखाः *150* पर प्रा*)*

07) 13 एस. सी. सी. *352*

153 पर प्रा*) 154* पर प्रा*)*

" 13. ..... प्राकृतिक न्याय कोई अनियंत्रित घोड़ा नहीं है, कोई छिपी हुई बारूदी सुरंग नहीं है, न ही कोई न्यायिक इलाज है। यदि निर्णयकर्ता द्वारा निष्पक्षता दिखाई जाती है

आदमी के खिलाफ आगे बढ़े, रूप, विशेषताएँ और

इस तरह की आवश्यक प्रक्रियात्मक औचित्य की मूल बातें
प्रत्येक स्थिति के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन की शिकायत नहीं की जा सकती है। अप्राकृतिक

प्रशासनिक वास्तविकताओं और किसी मामले के अन्य कारकों के संदर्भ के बिना प्राकृतिक न्याय का विस्तार, परेशान करने वाला हो सकता है।

हम न तो दंडात्मक हो सकते हैं और न ही कट्टर हो सकते हैं, लेकिन हमें इस अधिकार क्षेत्र में लचीला और फिर भी दृढ़ होना चाहिए।

संक्षेप में, याचिकाकर्ता प्राकृतिक न्याय से इनकार के किसी भी मामले को प्रदर्शित करने में सक्षम नहीं हुए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि कानून और परंपरा दोनों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का काफी हद तक पालन किया गया है। वास्तव में, ऐसी परिस्थितियों में जब चुनौती को विशाल राष्ट्रीय महत्व की परियोजना के लिए उठाया जाता है जो किसी विशेष शहर या राज्य तक सीमित नहीं है या जिसका उद्देश्य किसी निजी व्यक्ति को लाभ देना है, तो बाधाओं को उन आवश्यकताओं को पढ़ने से प्रेरित नहीं किया जा सकता है जो कानून द्वारा अनिवार्य नहीं हैं। "कानून के शासन" के सिद्धांत के लिए कानून के अनुसार शासन की आवश्यकता होती है, न कि किसी व्यक्ति की कानून की व्यक्तिपरक समझ के अनुसार। पर्याप्त न्याय ऐसी किसी भी जांच का मूल है और इस दिशा में ही प्रक्रियाओं को समझना और उन पर निर्णय लेना है। न्यायालय को गैर-प्रतिकूल जनहित याचिका में सभी पहलुओं के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है जहां जनहित जांच का एकमात्र आधार है।

क्वासी-विधायी कार्य

266. विद्वान महान्यायवादी ने भी हमारी सराहना की है कि वर्तमान मामले में प्रयोग की जाने वाली शक्ति की प्रकृति के दायरे में आती है

विधायी या अर्ध-विधायी अभ्यास और प्रशासनिक अभ्यास नहीं

अपने आप में शक्ति और इसलिए प्राकृतिक न्याय और न्यायिक समीक्षा के मानकों को प्रतिबंधित किया जाएगा। प्रस्तुतिकरण विचार के योग्य है।

336 (22 पर ऊपर*)* *337 (ऊपर 23* पर*)*

राजीव सूरी बनाम। दिल्ली विकास प्राधिकरण और ओआरएस। *[* ए. एम. खानविलकर, जे.*]*

सोसायटी *3 38,* जिसमें व्यापक विकास योजना तैयार करना, भूमि उपयोग का व्यापक क्षेत्र निर्धारण, नए आवास के लिए क्षेत्रों का सीमांकन आदि को विधायी अभ्यास माना गया और पुणे नगर पालिका

निगम *3 39* जिसमें विकास नियंत्रण नियमों को बनाने या संशोधित करने की राज्य सरकार की शक्ति को प्रत्यायोजित विधान का एक हिस्सा माना गया था, जिससे कानून के तहत प्रदान की गई प्राकृतिक न्याय की किसी भी आवश्यकता को अस्वीकार कर दिया गया था।

267. हमने जिन मामलों पर भरोसा किया है, उन्हें सावधानीपूर्वक पार किया है

उत्तरदाताओं द्वारा। साइनामाइड इंडिया *3 40* में, न्यायालय ने एक विधायी उपाय के रूप में मूल्य नियंत्रण निर्धारण करते हुए इस प्रकार टिप्पणी की:

"7. ..... यह सच है कि प्रत्यायोजित विधान के प्रसार के साथ,

वहाँ कानून और के बीच रेखा के लिए एक प्रवृत्ति है

प्रशासन एक भ्रम में गायब हो जाता है। प्रशासनिक, अर्ध

न्यायिक निर्णय विधायी गतिविधि में विलय हो जाते हैं और,

इसके विपरीत, विधायी गतिविधि कम हो जाती है और एक प्रस्तुत करती है

प्रशासनिक या अर्ध-न्यायिक गतिविधि की उपस्थिति। कोई भी।

विधायी और विधायी के बीच एक अलग रेखा खींचने का प्रयास

यह कहा गया है कि प्रशासनिक कार्य कठिन हैं।

सिद्धांत और व्यवहार में असंभव "। हालांकि यह मुश्किल है

यह आवश्यक है कि रेखा को कभी-कभी अलग तरीके से खींचा जाना चाहिए

कानूनी अधिकार और परिणाम सामने आ सकते हैं। के बीच अंतर

दोनों को आम तौर पर "सामान्य के बीच एक" के रूप में व्यक्त किया गया है।

और विशेष "।

(जोर दिया गया*)*

न्यायालय ने एक विधायी और प्रशासनिक अधिनियम को परिभाषित किया

के रूप में:

"..... " एक विधायी अधिनियम एक सामान्य का निर्माण और उद्घोषणा है।

विशेष मामलों के संदर्भ के बिना आचरण का नियम;

प्रशासनिक अधिनियम एक विशिष्ट दिशा का निर्माण और जारी करना है।
या किसी विशेष मामले में एक सामान्य नियम का अनुप्रयोग

नीति की आवश्यकताओं के अनुसार "। कानून है

बिना आचरण के एक सामान्य नियम तैयार करने की प्रक्रिया
विशेष मामलों का संदर्भ और आमतौर पर भविष्य में संचालन;

प्रशासन विशेष कृत्यों को करने की प्रक्रिया है,

338 (24 पर ऊपर*)*

339 (20 पर ऊपर*)*

340 (17 पर ऊपर*)*

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

विशेष आदेश जारी करना या ऐसे निर्णय लेना जो विशेष मामलों में सामान्य नियमों को लागू करते हैं। यह भी कहा गया हैः नियम बनाना आम तौर पर सभी सदस्यों के लिए एक सामान्य अनुप्रयोग वाली आवश्यकताओं के निर्माण की दिशा में निर्देशित किया जाता है।

व्यापक रूप से पहचान योग्य वर्ग "जबकि", दूसरी ओर, एक निर्णय विशिष्ट व्यक्तियों या स्थितियों पर लागू होता है "।

(जोर दिया गया*)*

न्यायालय ने आगे इस तरह के भेद की अनिश्चितता का अवलोकन किया

और देखाः

" ..... लेकिन, यह केवल एक रोटी का अंतर है, जरूरी नहीं कि

सदा सत्य। प्रशासन और प्रशासनिक निर्णय हो सकता है

यह भी सामान्य अनुप्रयोग का हो सकता है और इसका कानून हो सकता है

केवल विशेष अनुप्रयोग। इससे इंकार नहीं किया जा सकता। ..... "

(जोर दिया गया*)*

268. लछमी नारायण और ओआरएस में। वी. भारत संघ और

Ors.34[1]*,* जब यह निर्णय लेने के लिए कहा गया कि क्या शक्ति का एक निश्चित प्रयोग प्रत्यायोजित विधान या सशर्त विधान का था, तो इस न्यायालय ने कहाः -

" *49* ..... हमारी राय में, आगे बढ़ाने के लिए कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा
तर्क की यह रेखा क्योंकि के बीच प्रस्तावित अंतर

विधायी शक्तियों की दो श्रेणियों में कोई अंतर नहीं है,

सिद्धांत। दोनों ही मामलों में, वह व्यक्ति जिसे शक्ति सौंपी गई है

शक्ति को सीमित करने वाली सीमाओं से परे कुछ भी नहीं कर सकते;

उसे कार्य करना पड़ता है-लॉर्ड सेलबोर्न के शब्दों का उपयोग करने के लिए-"भीतर"

सकारात्मक शब्दों का सामान्य दायरा जो शक्ति देता है "

और किसी भी स्पष्ट शर्तों या प्रतिबंधों का उल्लंघन किए बिना

जो वह शक्ति सीमित है "। नाम में कोई जादू नहीं है। क्या

आप इसे प्रिवी काउंसिल के रूप में "सशर्त कानून" की शक्ति कहते हैं।

इसे बुराह मामले में कहा गया *[5* आई. ए. *178:* आईएलआर *4* कैल *172]* या "सहायक"

कानून "जैसा कि संघीय न्यायालय ने इसे कहा

चोइट्राम वी। सीआईटी *[1947* एफसीआर *116:* ए. आई. आर. *1947* एफ. सी. *32:* आईएलआर *26*

पैट *442]* या "सहायक कानून" जैसा कि कनिया, सी. जे. ने इसे शैलीबद्ध किया, या

क्या आप इसे घूंघट के नाम से छिपाते हैं

" प्रशासनिक या अर्ध-विधायी शक्ति "प्रोफेसर के रूप में

341 (1976) 2 एस. सी. सी. *953* राजीव सूरी बनाम

दिल्ली विकास प्राधिकरण और ओआरएस। *[* ए. एम. खानविलकर, जे.*]*

कुशमैन और अन्य अधिकारियों ने यह किया है-आवश्यक

यह बना रहता है कि इसमें एक सामग्री है, चाहे वह कितनी भी छोटी हो और
कानून बनाने की शक्ति ही सीमित है। .....

(जोर दिया गया*)*

269. इसमें कोई संदेह नहीं है कि विधायी का वर्गीकरण या

प्रशासनिक कार्य अब कबूतर की तरह नहीं किए जा सकते-छेद

वर्गीकरण। यही कारण है कि "अर्ध विधायी" और "अर्ध-प्रशासनिक" वाक्यांशों ने आधुनिक प्रशासनिक कानून में प्रवेश किया है। वास्तव में, व्यावहारिक भाषा में, यहां तक कि अर्ध-विधायी भी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों के व्यापक दायरे में आने वाला माना जाता है। सचित्र रूप से, गणेश बैंक ऑफ कुरुंदवाड़ लिमिटेड और अन्य में। वी. भारत संघ और इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने प्रशासनिक कार्यों के दायरे को चित्रित किया और इस प्रकार टिप्पणी की: -

" 51. " 13. एक बिंदु जो निर्धारण के लिए आता है वह है दायरा।

प्रशासनिक निर्णयों के मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप के लिए।

सरकारी गतिविधियों का क्षेत्र जिसमें के भंडार
शक्ति वैधानिक कार्य के प्रत्येक वर्ग का प्रयोग कर सकती है -

कार्यपालिका, अर्ध-विधायी और अर्ध-न्यायिक प्रकृति।

(जोर दिया गया)

270. हालाँकि, इसे सामान्य रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

सभी मामलों में प्रस्ताव। विधायी/अर्ध-विधायी या प्रशासनिक के रूप में एक कार्यकारी कार्य के सीमांकन का निर्णय लेने की प्रक्रिया में सार्वजनिक भागीदारी के पहलू पर सीधा असर पड़ता है और इस प्रकार, कुछ मामलों में वर्गीकरण आसन्न हो जाता है। यह तय कानून है कि शक्ति के विधायी प्रयोग के मामले में कानून में जो प्रावधान किया गया है, उसकी सीमित सीमा तक सार्वजनिक भागीदारी की अनुमति है। तुलसीपुर चीनी *3 43* के संबंध में, संबंधित प्रावधान *(धारा 3)*

342 (2006) 10 एस. सी. सी. *645* *343 (22* पर ऊपर*)*

344 (ऊपर *23* पर*)*

[2021] 15 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

271. पुणे नगर निगम *3 45* पर निर्भरता नहीं हो सकती है

" प्रावधान करेंगे। सार्वजनिक परामर्श की व्यापक आवश्यकता, चाहे कितनी भी सीमित क्यों न हो, यहाँ स्पष्ट है। और जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, प्रत्येक मामले पर विचार अलग-अलग हो सकता है।

272. अब हम विमान कर्मचारियों के मामले पर चर्चा करते हैं '

सहकारी समिति *3 46* जो वर्तमान जांच के सबसे करीब आती है। इसमें सटीक चुनौती विधायी शक्तियों के अत्यधिक प्रत्यर्पण के बारे में थी। न्यायालय ने माना कि यह अत्यधिकता का मामला नहीं था

346 (24 पर ऊपर*)* *347 (* 24 पर ऊपर*)*

राजीव सूरी बनाम। दिल्ली विकास प्राधिकरण और ओआरएस। *[* ए. एम. खानविलकर, जे.*]*

यहाँ किया गया कार्य नगर नियोजन और किसी दिए गए क्षेत्र में एक या दो भूखंडों के भूमि उपयोग में परिवर्तन का है। यह एक संशोधन है जो प्रदान करेगा विषय भूखंडों के सभी भविष्य के विकास के

लिए दिशा। हमने देखा है कि किसी दिए गए क्षेत्र में भूमि के उपयोग को संशोधित करने और भूमि के विभिन्न क्षेत्रों के लिए नई सीमाओं का सीमांकन करने के बीच एक अंतर है। द.

सरकारी भूमि के उपयोग में परिवर्तन एक सामान्य प्रकृति का है। यह निश्चित रूप से एक विशुद्ध रूप से नियमित प्रशासनिक कार्य नहीं है। इसका मतलब है कि भूमि उपयोग में परिवर्तन के कार्य में एक अर्ध-विधायी रंग है।

भूमि उपयोग निर्णय में पोस्ट परिवर्तन
274. परियोजना के दो स्वतंत्र घटक थे-विस्तार /

संसद और आम केंद्रीय सचिवालय का नवीनीकरण

अलग से

उचित स्तर पर सूक्ष्म नीतिगत निर्णय के अनुसार उनमें से प्रत्येक के लिए समय-सीमा। इस प्रकार परियोजना प्रस्तावक ने पूर्व के संबंध में सीवीसी की मंजूरी लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। तदनुसार, केवल संसद के विस्तार/नवीनीकरण का घटक इस सूची का एक हिस्सा है। इस प्रकार, केंद्रीय सचिवालय परियोजना और शेष परियोजना का कोई अन्य पहलू हमारे विचार के लिए नहीं आता है।

275. हम अब मंजूरी के खिलाफ चुनौती का विज्ञापन कर सकते हैं /

सीवीसी और डीयूएसी द्वारा दी गई मंजूरी। प्राथमिक परीक्षा इन निकायों के अधिदेश, विचार के संबंधित चरणों और मन के अनुप्रयोग की आवश्यकताओं से संबंधित है।

सी. वी. सी. स्पष्टता

सी. वी. सी. की स्थिति और इसके लिए अपनाई गई प्रक्रिया
"कोई उद्देश्य नहीं" की स्वीकृति

276. पक्षों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियों के आलोक में,

इस भाग में निम्नलिखित प्रश्न हमारे विचार के लिए उभरते हैं: -

(i) सी. वी. सी. की स्थिति क्या है*?*

((ख)

क्या सरकार सीवीसी की राय से बंधी है*?*

क्या सीवीसी अपने जनादेश का प्रयोग करने में विफल रहा है जबकि

(iii)

विषय प्रस्ताव पर "कोई आपत्ति नहीं" देना*?*

(iv) क्या सी. वी. सी. द्वारा मंजूरी के कारण दूषित हो जाता है

कारणों की अनुपस्थिति और दिमाग का गैर-अनुप्रयोग*?*

277. शुरुआत में, हम सीवीसी की स्थिति से निपट सकते हैं और

सरकार पर अपनी राय का कानूनी बल। मध्य विस्टा क्षेत्र में *[2021] 15* एस. सी. आर. हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यह भारत सरकार के लिए स्वतंत्रता के बाद नियंत्रण में आने के समय से ही बहुत महत्वपूर्ण रहा है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस क्षेत्र में विकास विनियमित है और ऐसा ही बना हुआ है, विभिन्न हितधारकों को इस प्रक्रिया में शामिल किया गया जो उस उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए अलग-अलग क्षमताओं में शामिल हुए। अन्य बातों के अलावा, सरकार को सलाह देने के लिए वास्तुकारों और नगर योजनाकारों के एक विशेष अध्ययन समूह का गठन ओ. एम. संख्या *6/11/62*-डब्ल्यू. आई. के माध्यम से किया गया। इसका प्रासंगिक भाग इस प्रकार हैः

"सेंट्रल विस्टा और सचिवालय परिसर के विकास का सवाल कुछ समय से इस मंत्रालय का ध्यान आकर्षित कर रहा है। क्षेत्र के राष्ट्रीय महत्व और इसके नियोजित विकास की आवश्यकता को देखते हुए, पूरे क्षेत्र को सख्त वास्तुकला नियंत्रण के तहत लाने का निर्णय लिया गया है। ..... "

इसके बाद यह विकास की सीमाओं को निर्दिष्ट करता है और कहता है कि इसकी विशिष्ट मंजूरी के अलावा किसी भी विकास की अनुमति नहीं है। ओ. एम.

इस प्रकार कहता हैः

राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट के आसपास के षट्कोण तक के क्षेत्र में सरकार की विशिष्ट मंजूरी के बिना कोई निर्माण या विकास नहीं होगा। डब्ल्यू. एच. एंड एस. मंत्रालय में भारत सरकार। सरकार को सलाह देने के लिए वास्तुकारों और नगर योजनाकारों का एक विशेष अध्ययन समूह स्थापित करने का भी निर्णय लिया गया है। सेंट्रल विस्टा और सचिवालय परिसर के विकास के ऐसे पहलुओं पर जिन्हें समय-समय पर संदर्भित किया जा सकता है।
समय। ..... "

278. उपरोक्त चर्चा से जो पता चलता है वह यह है कि सीवीसी को एक कार्यालय ज्ञापन *(*कार्यकारी आदेश*)* द्वारा बनाया गया था।

उस समय सरकार अपने विचार के लिए भेजे गए मामलों पर सरकार को सलाह देने के लिए एक सलाहकार निकाय के रूप में थी। यह संसद के किसी अधिनियम द्वारा नहीं बनाया गया था। यह भेद शरीर के चरित्र को समझने में महत्वपूर्ण है। यदि यह एक सांविधिक निकाय होता, तो इसका कार्य और अधिदेश कानून द्वारा नियंत्रित होता और इससे कोई भी विचलन अवैधता का मामला होता। हालाँकि, ऐसा तब नहीं हो सकता जब निकाय एक कार्यकारी आदेश का परिणाम हो। वैधानिक समर्थन के अभाव में कार्यकारी आदेश सरकार द्वारा दिन-प्रतिदिन के शासन में सुधार के लिए पारित किए जाते हैं। यदि सरकार, अपने विवेक से, कुछ मामलों पर उसे सलाह देने के लिए एक निकाय के गठन की आवश्यकता महसूस करती है और जब वे उसके विचार के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं, तो न्यायालय अपनी स्थिति को एक ऐसे मंच तक नहीं बढ़ा सकता है जहां यह राजीव सूरी बनाम के कामकाज में बाधा बन जाए।

दिल्ली विकास प्राधिकरण और ओआरएस। *[ए. एम. खानविलकर, जे.]*

न्यायालय की जिम्मेदारी होगी कि वह निकाय की स्थिति की जांच करे और देखे कि क्या वह अपने अधिदेश का प्रयोग करने में विफल रहा है या उसने अपने अधिदेश का पूरी तरह से उल्लंघन किया है। सीवीसी के निर्माण को मंजूरी के रूप में सेंट्रल विस्टा क्षेत्र के विकास पर एक अतिरिक्त जांच का लाभ मिलना था। सरकारी कार्रवाई पर इसका कोई बाध्यकारी अधिकार नहीं है और संघर्ष की स्थिति में, सरकार का निर्णय प्रबल होना चाहिए। इस संबंध में कोई अस्पष्टता नहीं है। समय के साथ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सीवीसी निर्णय लेने की प्रक्रिया में कितना संस्थागत हो गया है, इसका अंतर्निहित चरित्र वही रहता है और किसी भी परिस्थिति में, क्या यह उसी संस्था पर हावी नहीं हो सकता है जिसने इसे बनाया था। प्रक्रियात्मक वैध अपेक्षा की प्रयोज्यता के संबंध में तर्क पर थोड़ी देर बाद चर्चा की जाती है।

279. इसके अलावा, यह देखा जा सकता है कि अध्ययन समूह था

सरकार को "सलाह" देने के लिए गठित किया गया और वह भी क्षेत्र के विकास के कुछ पहलुओं पर, जिन्हें समय-समय पर संदर्भित किया जा सकता है। "ऐसे पहलू" अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि अध्ययन समूह विकास के पूरे प्रस्ताव को अनुमोदित या अस्वीकार करने के लिए नहीं है। इसके बजाय, इसका अधिदेश सरकार को परियोजना की कुछ विशेषताओं पर सलाह देने तक सीमित है जब उसे अपने विचार व्यक्त करने के लिए कहा जाता है। अध्ययन समूह, जैसा कि मूल रूप से गठित किया गया था, की अध्यक्षता मुख्य वास्तुकार और नगर योजनाकार, सीपीडब्ल्यूडी ने की थी। *17.9.2002* पर, समूह की संरचना में बदलाव किया गया और एडीजी *(*आर्क.*)*, सीपीडब्ल्यूडी को अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया। समिति के कुछ सदस्यों के पदनामों के नामकरण में बदलाव के कारण समूह का पुनर्गठन *14.10.2019* पर किया गया था। कार्यालय ज्ञापन इस प्रकार नोट करता हैः

..... अध्यक्ष और विशेष सलाहकार समूह के कुछ सदस्यों के पदनामों के नामकरण में बदलाव आया है। इस संबंध में, अध्यक्ष, एडीजी *(*आर्क.*)*, सीपीडब्ल्यूडी का नाम बदलकर एडीजी *(*वर्क्स*)* और सदस्य सचिव, सीए *(*एनडीआर*)*, सीपीडब्ल्यूडी कर दिया गया है।
इसका नाम बदलकर सीए *(*पी. आर. डी.*)* कर दिया गया है। इसके अलावा, भारतीय वास्तुकार संस्थान के अध्यक्ष का नाम भी बदलकर भारतीय वास्तुकार संस्थान का अध्यक्ष और नगर नियोजक संस्थान का अध्यक्ष कर दिया गया है।

भारत का नाम बदलकर प्रेसिडेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स, इंडिया कर दिया गया है।

280. 11.4.2020 पर, श्री अश्विनी मित्तल, कार्यकारी अभियंता, सेंट्रल विस्टा परियोजना प्रभाग-*I, CPWD* ने प्रमुख *[2021] 15 S. C. R.* को एक संदेश भेजा।

आर्किटेक्ट *(*योजना और डिजाइन*)*, सीपीडब्ल्यूडी का शीर्षक "नए संसद भवन प्लॉट संख्या *118* का निर्माण" है। सीवीसी द्वारा अनुमोदन-सीवीसी के विचार और अनुमोदन के लिए। संचार में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि समिति को इस संचार की तारीख से पहले परियोजना के संबंध में वास्तुशिल्प चित्र और दस्तावेज प्रदान किए गए थे। वह इस प्रकार हैः

"संसद भवन के संबंध में वास्तुशिल्प चित्र और दस्तावेज पहले ही आपके अच्छे कार्यालय को प्रस्तुत किए जा चुके हैं।

स्थानीय निकाय अनुमोदन के लिए कार्यालय "।

संचार में आगे कहा गया है कि चयनित सलाहकार मैसर्स एचसीपी डिज़ाइन्स को भी समिति के समक्ष पेश करने के लिए कहा गया था।

प्रस्तुति की सॉफ्ट प्रतियां, प्रासंगिक चित्र, संक्षिप्त परियोजना रिपोर्ट और प्रस्ताव के *3* डी दृश्य। वह इस प्रकार हैः

"यह कार्यालय सलाहकार मेसर्स एच. सी. पी. डिजाइन से सोमवार तक प्रस्तुति की हार्ड और सॉफ्ट कॉपी और परियोजना की संक्षिप्त रिपोर्ट और इस संबंध में प्रस्ताव के *3*-डी विचारों सहित प्रासंगिक चित्र प्रदान करने के लिए कह रहा है। उसी की सॉफ्ट कॉपी आपके कार्यालय ईमेल आईडी डेल्का-*prd@cpwd* पर आपके साथ साझा की जाएगी। गव. तदनुसार, "

पत्र में मुख्य वास्तुकार से वरिष्ठ वास्तुकार, सी. पी. डब्ल्यू. डी. को सी. वी. सी. की बैठक के लिए विशेष आमंत्रित व्यक्ति के रूप में आमंत्रित करने का अनुरोध किया गया

जिसमें विषय प्रस्ताव पर विचार किया जाना था। यह इस प्रकार नोट करता हैः

"श्री विजय प्रकाश राव, वरिष्ठ वास्तुकार, सी. पी. डब्ल्यू. डी., वरिष्ठ वास्तुकार *(*डी. आर.*)*, सी. पी. डब्ल्यू. डी. को विशेष कार्यक्रम के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया जाता है।

सी. वी. सी. की बैठक के लिए आमंत्रित व्यक्ति।

281. 5 वीं सीवीसी बैठक की सूचना सभी सदस्यों को *16.4.2020* पर प्रसारित की गई थी जिसमें मामले के प्रस्तावकों से अन्य सभी आवश्यक दस्तावेजों और चित्रों के साथ अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था। वह इस प्रकार हैः

"मामले के प्रस्तावकों से अनुरोध है कि वे अपने वास्तुकारों/टीम के साथ पीपीटी/ड्राइंग और अन्य सभी आवश्यक दस्तावेजों और सामग्री के माध्यम से बैठक में अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करें।
कोविड-*19* के प्रकोप के कारण, नोटिस भी

उसी दिन एक ऑनलाइन बैठक की संभावना से अवगत कराया और यह सुनिश्चित किया कि बैठक में भाग लेने के लिए ऑनलाइन सम्मेलन सुविधा के लिए इलेक्ट्रॉनिक साधन जारी किए जा सकते हैं। इसमें इस प्रकार उल्लेख किया गया हैः

राजीव सूरी बनाम। दिल्ली विकास प्राधिकरण और ओआरएस। *[*ए. एम. खानविलकर, जे.*]*

"कोविड-*19* के लिए जारी दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए
भारत सरकार समय-समय पर यह संभव और वांछित है कि बैठक में भाग लेने और भाग लेने के लिए जहां तक संभव हो ऑनलाइन सम्मेलन सुविधा के लिए इलेक्ट्रॉनिक साधन जारी किए जा सकते हैं।

282. बैठक के कार्यवृत्त में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि सलाहकार द्वारा विस्तृत प्रस्तुतियाँ दी गई थीं। हमें शुरुआत में ही इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि समिति के पुनर्गठन में दुर्भावनापूर्ण आरोप गुणहीन हैं। क्योंकि, पुनर्गठन एक विशेषज्ञ सदस्य को बदलने के लिए नहीं किया गया था, बल्कि केवल कुछ के नामकरण को सही करने के लिए किया गया था। संबंधित संगठनों में हुए परिवर्तनों के आलोक में पदनाम। उदाहरण के लिए, ए. डी. जी. *(*आर्क.*)* के कार्यालय को अब सी. पी. डब्ल्यू. डी. में ए. डी. जी. *(*वर्क्स*)* के रूप में जाना जाता है और तदनुसार, सी. वी. सी. की सदस्यता में इस नामकरण का परिवर्तन किसी भी भ्रम से बचने के लिए आवश्यक था। नामकरण का यह परिवर्तन एक पूर्व प्रशासनिक निर्णय था और सीवीसी सदस्यता में संबंधित सुधार इस तरह के परिवर्तन के लिए केवल एक आकस्मिक कदम था। यह कहने का कोई आधार नहीं है कि उक्त परिवर्तन केवल सीवीसी के कामकाज में कुछ गड़बड़ी को बनाए रखने के लिए किया गया था, जैसा कि हमारे सामने आग्रह किया गया है।

283. निर्विवाद रूप से, नामकरण परिवर्तन के मूल निर्णय को याचिकाकर्ताओं द्वारा चुनौती भी नहीं दी गई है और यह कुछ भी नहीं होगा।

लेकिन मुख्य निर्णय के लिए किसी भी चुनौती के अभाव में एक आकस्मिक कदम के लिए चुनौती को स्वीकार करना बेतुका है जिसके परिणामस्वरूप आकस्मिक कदम उठाया गया। अन्यथा भी, हमें किसी निर्णय के पीछे के विचार को समझने के लिए कार्यपालिका के मानसिक ढांचे की जांच करने की आवश्यकता नहीं है, अनुमानों और अनुमानों के आधार पर और विशेष रूप से जब निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिया जाता है और बेदाग होता है। कुछ सदस्यों की अनुपस्थिति और उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से कुछ सदस्यों के प्रतिनिधित्व को चुनौती देने के लिए इसी तरह के तर्क को अपनाया गया था। प्रतिनिधि कोई और नहीं बल्कि नामित सदस्यों के समान विभाग के अधिकृत अधिकारी थे। आगे की जांच करने पर, हम पाते हैं कि सीवीसी की बैठक दिनांक *18.10.2018* में भी "राष्ट्रपति के लिए स्वागत भवन के निर्माण" के लिए

गेट संख्या *37*, प्रेसीडेंट एस्टेट, नई दिल्ली के पास भवन और "राष्ट्रीय युद्ध संग्रहालय, नई दिल्ली के निर्माण" के लिए दिनांक *1*, विभिन्न अधिकृत अधिकारियों ने एक प्रतिनिधि क्षमता में भाग लिया जो उत्तरदाताओं के इस कथन को मजबूत करता है कि भागीदारी की यह विधि सरकारी निकायों के कामकाज में व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम का एक हिस्सा है।

284. याचिकाकर्ताओं ने इस हद तक कहा है कि एडीजी *(*वर्क्स*)*, सीवीसी के अध्यक्ष, पेशे से वास्तुकार नहीं होने के कारण, *[2021] 15* एस. सी. आर. थे।

इस समिति की अध्यक्षता करने के लिए सक्षम नहीं। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि एक प्रक्रिया में अवैधता का आरोप लगाना एक बात है, लेकिन उस पदधारी की पेशेवर क्षमता पर सवाल उठाना दूसरी बात है जो अपने पदनाम *(*पदेन*)* के कारण इस पद पर है, न कि अपनी व्यक्तिगत क्षमता या अपनी योग्यता के आधार पर। यह देखा गया है कि अध्यक्ष का पद योग्यता आधारित पद नहीं है, बल्कि यह पदनाम आधारित पद है। क्योंकि, अध्यक्ष से कई कार्यों का निर्वहन करने की अपेक्षा की जाती है, जिसमें समिति के विचार के लिए प्रस्तुत प्रस्ताव पर अपने विचार प्रस्तुत करना शामिल है, लेकिन यह सीमित नहीं है। समिति में विभिन्न अन्य सदस्य शामिल होते हैं जो अपनी संबंधित विशेषज्ञता को शामिल करते हैं और एक प्रस्ताव पर विचार करते हुए, अध्यक्ष को विशेषज्ञ सदस्यों के सुझावों को अस्वीकार करने के लिए कोई विशेष शक्तियां या वीटो नहीं होता है। दूसरे

शब्दों में, अध्यक्ष को प्रशासनिक कार्य सौंपे जाते हैं जो पूरी समिति में निहित नहीं होते हैं, जबकि विषय प्रस्ताव पर सलाह देने का कार्य सभी सदस्यों में समान रूप से निहित होता है। इसलिए, यह एक व्यापक-आधारित प्रशासनिक समिति है, जो नामित कार्यालय धारकों *(*पदेन*)* और विशेषज्ञों का समामेलन है। वे आते हैं। किसी परियोजना के कुछ पहलुओं पर सरकार को सलाह देना। सचित्र रूप से, विषय बैठक में डीयूएसी, मुख्य वास्तुकार, मुख्य योजनाकार, नगर और देश योजना संगठन और वरिष्ठ वास्तुकार, सीवीसी, सीपीडब्ल्यूडी के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस प्रकार, केवल इसलिए कि अध्यक्ष पेशे से वास्तुकार नहीं थे, यह नहीं माना जा सकता था कि समिति स्वयं विषय प्रस्ताव पर विचार करने में अक्षम हो गई थी।

285. प्रशासन और शासन की व्यापक संरचना

राज्य इस धारणा पर आधारित है कि प्रशासन का कार्य कुछ चुनिंदा लोगों का एकमात्र गुण नहीं है जो अध्ययन के एक विशेष क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं। जब प्रशासन किसी विशेष कार्यालय को सौंपा जाता है तो कई कारक काम में आते हैं और किसी विशेष कार्यालय को सौंपे गए कार्यों के निर्वहन के लिए एक योग्यता मानदंड निर्धारित करना न्यायालय का काम नहीं है, विशेष रूप से

जब वह किसी निर्णय की न्यायिक समीक्षा में बैठा हो, न कि पदधारी की नियुक्ति को चुनौती देने के लिए यथास्थिति कार्यवाही में। कार्यालय की प्रकृति, किए जाने वाले कार्यों की प्रकृति, दल की संरचना, कार्यालय का अधिदेश आदि कुछ विचार हैं जो खेल में आते हैं। *286.* जहां तक कुछ सदस्यों की अनुपस्थिति का संबंध है, हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि बैठक की सूचना सभी सदस्यों को सूचित कर दी गई थी

16.4.2020 और उन्हें आवश्यक व्यवस्था करने के लिए कहा गया

आगे बढ़ें। इसके अलावा, जिन सदस्यों के पास तकनीकी ज्ञान की कमी थी-आभासी रूप से कैसे बातचीत की जाए, उन्हें राजीव सूरी बनाम के लिए आवश्यक सहायता का विकल्प दिया गया था।

दिल्ली विकास प्राधिकरण और

ओआरएस। *[*ए. एम. खानविलकर, जे.*]*

बैठक का उद्देश्य। ऐसे परिदृश्य में यह कहना अकल्पनीय है कि सदस्यों को जानबूझकर बैठक से बाहर रखा गया था। किसी भी सदस्य को बैठक के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं थी और बैठक में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने और निर्णय लेने में भाग लेने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई थी। यदि वे सबसे अच्छी तरह से ज्ञात कारणों से बैठक में शामिल होने में विफल रहे, तो बैठक के परिणाम को उद्देश्यों का आरोप लगाकर प्रभावित नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, बैठक के कार्यवृत्त सभी सदस्यों को *30.4.2020* पर मेल किए गए थे और फिर भी, इनमें से किसी भी सदस्य से असहमति या असंतोष का कोई शब्द प्राप्त नहीं हुआ था। यह होना चाहिए कि उनकी अनुपस्थिति को अनियमितता के बराबर नहीं माना जा सकता है, बहुत कम अवैधता। समिति से केवल इसलिए प्रस्ताव पर बैठने की उम्मीद नहीं थी क्योंकि कुछ सदस्य सभी के बावजूद वस्तुतः शामिल होने के लिए तैयार नहीं थे

व्यवस्थाएँ की जा रही हैं। निर्विवाद रूप से, अनुपस्थित सदस्यों में से कोई नहीं

इस मामले में हमारे सामने है और हमारे पास उन्हें किसी भी तरह से व्यथित मानने का कोई अवसर नहीं है, क्योंकि उनके कहने पर कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है।

287. हम संसद भवन के विस्तार और नवीनीकरण के प्रस्ताव के संदर्भ में सीवीसी द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया पर निम्नलिखित क्रम में व्यापक रूप से पुनर्विचार कर सकते हैं:

मुख्य वास्तुकार *(*योजना और विकास*)* द्वारा संचार

*(*अ*)*

विकास*)*, सीवीसी द्वारा विचार के लिए सीपीडब्ल्यूडी -

11.4.2020 ;

प्रस्तुतियाँ, चित्र, परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करना और

*(*ख*)*

सदस्यों के विचार के लिए अन्य दस्तावेज-*11.4.2020;*

((ग*)*

वरिष्ठ वास्तुकार *(*सी. पी. डब्ल्यू. डी.*)* को आमंत्रित करने का अनुरोध विशेष आमंत्रित व्यक्ति के रूप में बैठक में भाग लें-*11.4.2020;*

((घ*)*

सभी सदस्यों को बैठक की सूचना-*16.4.2020;*

*(*ई*)*

पेश करने के लिए मामले के प्रस्तावकों से अनुरोध

प्रस्ताव-*16.4.2020;*

ऑनलाइन बैठक की संभावना को संप्रेषित करने वाला संचार

*(*च*)*

सभी सदस्यों और संबंधित उपयुक्त व्यवस्थाओं के लिए

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रस्तावित की गई थी-*16.4.2020;*

बैठक का समापन-*23.4.2020;*

*(*जी*)*

*(*ज*)*

बैठक के कार्यवृत्त सभी सदस्यों को सूचित किए गए उनकी मंजूरी-*30.4.2020;*

((i*)*

इस प्रकार, कार्यवृत्त और पूर्ववर्ती चरणों का विवरण विधिवत रूप से दर्शाता है कि समिति ने सुनिश्चित किया कि परियोजना के सभी तत्व क्रम में हैं। अनुमोदन करते समय, समिति ने यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर विधिवत ध्यान दिया कि परियोजना क्षेत्र के स्वाद के अनुरूप हो। सलाहकार समिति द्वारा लिया गया निर्णय *(*जो निर्विवाद रूप से एक है*)*

प्रशासनिक समिति और वैधानिक नहीं*)* इस तरह के एक का पालन करने के बाद

विस्तृत प्रक्रिया को इसके पदार्थ के प्रकाश में देखा जाना चाहिए न कि इसके रूप में। कार्यवाही के उपरोक्त आदेश से अलग इस तरह के निर्णय को देखना फॉर्म के लिए सार से चूकना होगा। न्यायिक समीक्षा में जांच का ऐसा मानक नहीं है।

मन का गैर-अनुप्रयोग

288. फिर भी हम मन का उपयोग न करने के अलगाव का विज्ञापन कर सकते हैं। बैठक के कार्यवृत्त दिनांक *23.4.2020* की जांच करने पर जैसा कि *30.4.2020* पर अनुमोदित है और बैठक की सूचना दिनांकित है।

16.4.2020 , हमने देखा है कि सभी दस्तावेज, प्रस्तुतियाँ, डिजाइन आदि समिति के सभी सदस्यों के सामने पहले से ही रखे गए थे

और वे अपने अधिदेश के भीतर विषय परियोजना की जांच करने और सरकार को सलाह देने के लिए पर्याप्त रूप से सुसज्जित थे। समिति के अवलोकन में, अनापत्ति का अनुदान एक सैद्धांतिक अनुमोदन है जो इस सुझाव के साथ जोड़ा गया है कि "प्रस्तावित संसद भवन की विशेषताओं को मौजूदा संसद भवन के साथ समन्वित किया जाना चाहिए"। यह अवलोकन श्रेणी-*I* परिसरों से संबंधित विरासत आवश्यकताओं की समिति की ओर से उचित जागरूकता का संकेत है। केवल इसलिए कि कार्यवृत्त समिति के सदस्यों के समक्ष पहले से रखे गए किसी भी विशिष्ट दस्तावेज का विज्ञापन नहीं करते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि सदस्यों ने अपने कर्तव्य का ठीक से निर्वहन नहीं किया। निर्विवाद रूप से, संबंधित दस्तावेजों को समिति की बैठक से कम से कम एक सप्ताह पहले सभी सदस्यों के सामने रखा गया था और समझ में आता है कि सभी सदस्यों को एक सप्ताह का समय दिया गया था। दस्तावेजों की जांच करने के लिए सदस्य। ऐसी परिस्थितियों में, यह नहीं माना जा सकता है कि दस्तावेज़ और प्रस्तुतियाँ समिति के सदस्यों के दिमाग से तब तक बच गईं जब तक कि कोई स्पष्ट दुर्बलता नहीं दिखाई जाती।

289. यह देखा गया है कि मन के गैर-अनुप्रयोग का तर्क याचिकाकर्ताओं द्वारा लागू किया गया है, चाहे शरीर की प्रकृति कुछ भी हो।

निर्णय पर हमला किया गया है। दिमाग के उचित अनुप्रयोग की आवश्यकता न्यायशास्त्र के सिद्धांत के रंगों में से एक है कि न्याय न केवल किया जाना चाहिए बल्कि किया जाता देखा जाना चाहिए। इसके लिए निर्णय लेने वाले निकाय, न्यायिक या अर्ध-न्यायिक, को प्राकृतिक न्याय के कुछ बुनियादी सिद्धांतों, राजीव सूरी बनाम का पालन करने की आवश्यकता होती है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण और ओआरएस। *[ए. एम. खानविलकर, जे.]*

प्रभावित व्यक्तियों को सुनवाई के अनुदान सहित लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है। प्राकृतिक न्याय के नियम मूर्त नियम नहीं हैं। वे अंत के साधन हैं और अपने आप में समाप्त नहीं होते हैं। इन सिद्धांतों का उद्देश्य रोकथाम करना है।

पूर्वाग्रह। यह उसी स्रोत से है कि निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में दिमाग के अनुप्रयोग की आवश्यकता उभरती है क्योंकि यह निर्णय लेने में निष्पक्षता सुनिश्चित करता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी निर्णय में विवेक का उचित उपयोग हुआ है, अभिलेख पर कारणों की उपस्थिति एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कारणों की उपस्थिति मन के वस्तुनिष्ठ अनुप्रयोग को प्रकट करने और न्यायनिर्णायक की सहायता करने के दोहरे उद्देश्यों को पूरा करेगी।

निर्णय की समीक्षा में निकाय। यहां जो सवाल उठता है, वह यह है कि क्या सीवीसी की बैठक के रिकॉर्ड किए गए कार्यवृत्त में दिया गया बयान *("प्रस्तावित संसद भवन की विशेषताओं को मौजूदा संसद भवन के साथ समन्वित किया जाना चाहिए")* दिमाग के उपयोग का संकेत है या नहीं।

290. ऐसे मामलों में जब क़ानून स्वयं एक तर्कपूर्ण आदेश की स्पष्ट आवश्यकता प्रदान करता है, तो यह समझ में आता है कि कारणों का अभाव कानूनी आवश्यकता का उल्लंघन होगा और इस प्रकार, अवैध होगा। हालांकि, ऐसे मामलों में जब कारणों की कोई स्पष्ट आवश्यकता नहीं है, अंतिम निर्णय पर कारणों की अनुपस्थिति का उल्टा प्रभाव नहीं हो सकता है।

निर्णय लेने वाले निकाय की प्रकृति, इसमें शामिल अधिकारों की प्रकृति, हितधारकों, निर्णय के रूप और सार आदि पर ध्यान दिया जाएगा। सूची नहीं है इस सरल कारण के लिए संपूर्ण कि केवल कारणों की अनुपस्थिति से मन के गैर-अनुप्रयोग का निष्कर्ष निकालना शुद्ध निष्कर्ष का विषय है और इसे तब तक नहीं खींचा जा सकता जब तक कि अन्य कारण न हों।

परिस्थितियाँ भी उसी दिशा में इशारा करती हैं। ई. जी. नम्बूदिरी *3 48* में इस न्यायालय द्वारा अधिकारों की प्रकृति के उपरोक्त कारक पर इस प्रकार विचार किया गया है:

"*8.* सवाल यह है कि क्या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के लिए कारणों को दर्ज करने के लिए प्रशासनिक प्राधिकरण की आवश्यकता होती है। आम तौर पर, सिद्धांत

प्राकृतिक न्याय के लिए यह आवश्यक है कि सुनवाई का अवसर उस व्यक्ति को दिया जाए जिसके खिलाफ प्रशासनिक आदेश पारित किया गया है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का अनुप्रयोग, और इसकी व्यापकता

शामिल अधिकारों की प्रकृति पर निर्भर करता है,

वैधानिक प्रावधानों की स्थापना और संदर्भ को ध्यान में रखते हुए। जहाँ एक निहित अधिकार एक प्रशासनिक आदेश से प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है, या जहाँ नागरिक परिणाम होते हैं, प्राकृतिक के सिद्धांत

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्याय तब भी लागू होता है जब वैधानिक प्रावधान कोई व्यवस्था नहीं करते हैं।

उसी के लिए प्रावधान व्यक्त करें, और संबंधित व्यक्ति को

आदेश पारित होने से पहले सुनवाई का अवसर दिया जाए।

लेकिन प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के लिए प्रशासनिक न्याय की आवश्यकता नहीं है।
अपने निर्णय के कारणों को दर्ज करने का अधिकार क्योंकि कोई सामान्य नहीं है

नियम है कि प्रशासनिक निर्णय के लिए कारण दिए जाने चाहिए। आदेश दें

एक प्रशासनिक प्राधिकरण जिसका कोई वैधानिक या

अपने निर्णय के कारणों या आधारों को बताने का निहित कर्तव्य

केवल अनुपस्थिति के कारण अवैध नहीं किया जाता है
कारणों से। यह कभी भी प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत नहीं रहा है।

निर्णयों के लिए कारण दिए जाने चाहिए।

देखिए: रेजिना वी। ग्रेट ब्रिटेन के लिए खेल बोर्ड, पूर्व पी। बेनैम

और खैदा, *(1990) 2* क्यू. बी. *417 431* पर। ..... ”

(जोर दिया गया*)*

291. यह तय किया जाता है कि ऐसे मामलों में जहां व्यक्तिगत अधिकार प्रभावित होते हैं

निर्णय द्वारा, सुने जाने का अवसर और कारणों के रूप में मन का उपयोग न्यायशास्त्र के सिद्धांत का हिस्सा है। ऐसे मामलों को उन मामलों से अलग करने की आवश्यकता है जो व्यक्तिगत अधिकारों पर अतिक्रमण नहीं करते हैं और जिनमें सामान्य प्रशासनिक प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। क्योंकि, इन दोनों मामलों को तय करने के लिए समान मानकों को लागू नहीं किया जा सकता है। जब याचिकाकर्ता शुद्ध प्रशासनिक प्रक्रिया में कारणों की अनुपस्थिति जैसे आधार पर अवैधता का आरोप लगाते हैं, तो उन्हें पहले कारणों की आवश्यकता को प्रदर्शित करने का बोझ उठाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सभी निर्णयों में कारण अनिवार्य हैं। हम जिस पर विचार कर रहे हैं वह एक सलाहकार *(*प्रशासनिक*)* निकाय की राय है जिसे उसी द्वारा नियुक्त किया जाता है।

सरकार जो अपनी सलाह मांगती है और व्यक्तियों के अधिकारों पर निर्णय नहीं लेती है। भले ही हम यह मान लें कि एक सलाहकार द्वारा कोई आपत्ति नहीं है

निकाय का अंतिम निर्णय की वस्तुनिष्ठता को प्रभावित करने का प्रभाव होगा, तथ्य यह है कि यह अंतिम निर्णय नहीं लेता है। इसका उद्देश्य अपने समक्ष रखे गए विषय प्रस्ताव के आलोक में अपनी विशेषज्ञता का उपयोग करना और प्रस्तावित प्रस्ताव की व्यवहार्यता के संबंध में सरकार को सलाह देना है।

मौजूदा सेंट्रल विस्टा क्षेत्र के संबंध में विकास। अंतिम निर्णय संबंधित विभाग के सक्षम प्राधिकारी का होगा। इसके अलावा, एक सलाहकार निकाय को विस्तृत कारणों को दर्ज करने की कठोरता में उलझाने का क्या

उद्देश्य होगा, जब इसकी सलाह किसी भी हितधारक को प्रभावित नहीं करने वाली है और न ही सक्षम प्राधिकारी के अंतिम निर्णय को चुनौती देने का आधार बनाई जा सकती है। एक सांविधिक निकाय नहीं होने के कारण, इसकी राय से कोई अंतिमता नहीं जुड़ी है और न ही राजीव सूरी बनाम हो सकती है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण और ओआरएस। *[* ए. एम. खानविलकर, जे.*]*

इसके खिलाफ वरिष्ठ मंच से अपील की गई। निर्विवाद रूप से, निर्णय लेने की प्रक्रिया में, सरकार जितना चाहे उतने निकायों और एजेंसियों से परामर्श करने का विकल्प चुन सकती है और ऐसे प्रत्येक सलाहकार निकाय की राय पर शरीर की प्रकृति और सलाह के संदर्भ को ध्यान में रखे बिना काल्पनिक मानकों की आपूर्ति करके हमला नहीं किया जा सकता है।

292. ई. जी. नम्बूदिरी *3 4 9* में, इस न्यायालय ने उल्लेख किया कि कैसे केवल

कारणों की अनुपस्थिति निर्णय को इस प्रकार अवैध नहीं बना सकती हैः

कारणों को दर्ज करने का दायित्व। लेकिन हर प्रशासनिक प्राधिकरण
अपने निर्णय के कारणों को दर्ज करने के लिए किसी कानूनी दायित्व के तहत नहीं है,

हालाँकि, इससे बचने के लिए कारणों को दर्ज करना हमेशा वांछनीय होता है।

शक होता है। जहाँ एक क़ानून के लिए कार्य करते हुए भी एक प्राधिकरण की आवश्यकता होती है

बोलने के आदेश पारित करने के लिए और कारणों के अभाव में आदेश
अवैध बना दिया जाएगा। लेकिन किसी भी वैधानिकता के अभाव में

या कारणों को दर्ज करने के लिए प्रशासनिक आवश्यकता, आदेश

प्रशासनिक प्राधिकरण के लिए अवैध नहीं बनाया गया है

कारणों का अभाव। यदि वैधता को कोई चुनौती दी जाती है
किसी आदेश के मनमाने या दुर्भावनापूर्ण होने के आधार पर,

न्यायालय के समक्ष जिसने इसे पारित करने के लिए राजी किया होगा
आदेश देते हैं। ..... "

(जोर दिया गया*)*

293. क्या यह किसी अन्य प्रशासनिक समिति का मामला होता

व्यक्तियों के अधिकारों पर निर्णय लेने की आवश्यकता, केवल इसलिए कि कारणों को दर्ज करना अनिवार्य नहीं है, इसे प्रस्ताव के वस्तुनिष्ठ विचार की आवश्यकता से मुक्त नहीं करेगी। अंतिम जांच मन के अनुप्रयोग की होती है और इस जांच में एक तर्कपूर्ण क्रम केवल एक तत्व है। किसी दिए गए मामले में, न्यायालय अभी भी निर्णय लेने की प्रक्रिया के अन्य तत्वों को मन के अनुप्रयोग के तथ्य को तौलने के लिए विज्ञापित कर सकता है। ऐसे मामले में लागू किया जाने वाला परीक्षण निर्णय लेने वाले निकाय के समक्ष रखी गई सामग्री और उस पर

विचार करने के लिए किए गए निष्कर्ष के बीच एक उचित संबंध का होगा। न्यायालय मामले की समग्र परिस्थितियों और एक एकमात्र तत्व के संदर्भ में निर्णय ले सकता है *(*

349 (ऊपर *163* पर*)*

कोई कारण या विस्तृत कारणों की कमी*)* निर्णय लेने या तोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती है जब तक कि न्यायिक दिमाग अन्य परिस्थितियों से दिमाग के पर्याप्त अनुप्रयोग के बारे में आश्वस्त है। यहाँ तक कि सामान्य कानून न्यायशास्त्र में भी, सभी निर्णयों में तर्कपूर्ण व्यवस्था की कोई पूर्ण आवश्यकता नहीं है। लोनरो पीएलसी वी। व्यापार और उद्योग राज्य सचिव

& एन. आर. *350 ,* यह तर्क दिया गया कि निर्णय विश्वसनीय कारणों पर आधारित नहीं है और इसलिए, इसे अवैध घोषित किया जाना चाहिए। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने इस तर्क पर विचार करने से इनकार कर दिया और कहा कि केवल कारणों की अनुपस्थिति निर्णय को तर्कहीन नहीं बनाएगी। लॉर्ड कीथ ने अपनी राय में कहा कि कारणों की अनुपस्थिति का एकमात्र महत्व यह होगा कि यदि परिस्थितियाँ अत्यधिक रूप से एक अलग निष्कर्ष की ओर इशारा करती हैं कि शरीर द्वारा पहुँचा गया, तो यह घातक होगा। उन्होंने इस प्रकार उल्लेख किया:

"किसी निर्णय के लिए कारणों का अभाव जहां उन्हें देने का कोई कर्तव्य नहीं है, अपने आप में निर्णय की सुझाए गए तर्कहीनता के लिए कोई समर्थन प्रदान नहीं कर सकता है। कारणों की अनुपस्थिति का एकमात्र महत्व यह है कि यदि अन्य सभी ज्ञात तथ्य और परिस्थितियाँ एक अलग निर्णय के पक्ष में भारी रूप से इंगित करती हैं, तो

निर्णय निर्माता जिसने कोई कारण नहीं बताया है, वह शिकायत नहीं कर सकता है यदि अदालत यह निष्कर्ष निकालती है कि उसके निर्णय का कोई तर्कसंगत कारण नहीं था।

प्रशासनिक कानून में, पी. पी. क्रेग ने नोट किया कि उस संदर्भ पर विचार करना प्रासंगिक है जिसमें निर्णय इस प्रकार काम करता है:

"अदालत निर्णय निर्माता की प्रकृति, जिस संदर्भ में यह काम करता है और क्या कारणों के प्रावधान पर विचार करेगी।

निष्पक्षता के आधार पर आवश्यक है। *3519 9*

श्री क्रेग आर. वी. का भी उल्लेख करते हैं। रक्षा मंत्रालय, पूर्व पी। मुर्रे *3 52* जिसमें कारणों के कर्तव्य से संबंधित कुछ सिद्धांतों को विस्तृत किया गया था। लॉर्ड चीफ जस्टिस बिंघम ने अपनी राय में कहा कि कारण देने की आवश्यकता चिंताओं से अधिक हो सकती है उदाहरण के लिए, कुछ मामलों में जनहित, जब यह निर्णय निर्माता पर अनुचित बोझ डालेगा। हम कारणों की आवश्यकता को नकारने के लिए सार्वजनिक हित के किसी भी कारक को आयात नहीं कर रहे हैं; हालाँकि, उपरोक्त व्याख्या अन्यथा कानूनी, तर्कसंगत और न्यायपूर्ण निर्णय पर कारणों की अनुपस्थिति के प्रभाव को समझने के लिए उपयोगी है।

350 [1989] 2 सभी ईआर *609* *351* प्रशासनिक कानून, *5* वीं संस्करण। , थॉमसन स्वीट और मैक्सवेल, पृ. *440 352 [1998]* सीओडी *134 (*क्यूबीडी*)*

राजीव सूरी बनाम। दिल्ली विकास प्राधिकरण और ओआरएस। *[* ए. एम. खानविलकर, जे.*]*

294. विशेष रूप से, इस न्यायालय ने महाराष्ट्र राज्य बोर्ड *3 53* और महाबीर जूट मिल्स *3 54* में उल्लेख किया कि यदि

सरकार प्रशासनिक है, कानून में, आम तौर पर कोई आवश्यकता नहीं होती है।

कारणों के विवरण के साथ होना जब तक कि उस संबंध में कोई स्पष्ट वैधानिक आवश्यकता न हो। पुनः, शरत कुमार दास *3 55* में, न्यायालय ने कहा कि प्रशासनिक कार्रवाई के क्षेत्र में, कारण आदेश के निर्माता या निर्णय के लेखक और स्वयं आदेश के बीच संबंध हैं। अभिलेख को इस बात पर विचार करने के लिए बुलाया जा सकता है कि क्या लेखक ने निर्णय पर पहुंचने से पहले अपने सामने रखे गए तथ्यों पर उचित विचार किया था। *295.* इसलिए, उन मामलों में कारणों की आवश्यकता जो एक स्पष्ट तरीके से इसकी मांग नहीं करते हैं, वांछनीयता पर आधारित है और निर्णय लेने वाले निकाय के चरित्र और प्रशासनिक दक्षता की जरूरतों को प्रभावित किए बिना इसे यथासंभव सलाह दी जाती है।

कानूनी अपेक्षा

296. याचिकाकर्ताओं का तर्क होगा कि सीवीसी वैधानिक निकायों के समान कार्य करता है और उसने वैध नियमों का उल्लंघन किया है जनता की अपेक्षाएँ। यह हमें सही बताया गया है कि जोन डी के लिए क्षेत्रीय योजना और निविदा शर्तों के लिए एक आवश्यक कदम के रूप में सीवीसी के साथ परामर्श की आवश्यकता होती है। हालाँकि, यह याचिकाकर्ताओं का मामला नहीं है कि इसे आगे बढ़ाने के लिए कोई परामर्श नहीं किया गया है। तर्क यह है कि

अस्पष्टता के साथ परिपक्व। हमारा मानना है कि सीवीसी को एक सांविधिक निकाय का दर्जा नहीं दिया जा सकता है जब इसके अधिदेश और मूल, जैसा कि संबंधित कार्यालय ज्ञापन में परिकल्पित किया गया है, ऊपर विधिवत चर्चा की गई है।

297. जहां तक वैध अपेक्षाओं का संबंध है, यह तय किया जाता है कि प्रशासनिक मामलों में वास्तविक अपेक्षाओं के आधार पर वैध अपेक्षाएं उत्पन्न हो सकती हैं।

एक मामले का मैट्रिक्स। हालाँकि, इस सिद्धांत के बुनियादी महत्व को समझना आवश्यक है। वैध अपेक्षाएँ उन मामलों में उत्पन्न हो सकती हैं जब निर्णय लेने वाला निकाय एक निर्धारित मानक से विचलित हो जाता है, जिससे उन लोगों के अधिकारों पर प्रभाव पड़ता है जो निर्णय के अधीन हैं। वर्तमान मामले में, क्या परियोजना प्रस्तावक ने सीवीसी के साथ परामर्श के कदम को पूरी तरह से छोड़ दिया था, वैध के संचालन द्वारा इस तरह के परामर्श को लागू किया था

उम्मीद खेल में आ गई होगी। हमें अपना अंतिम दृष्टिकोण दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है।

353 (ऊपर *46* पर, पैरा *22* और *23) 354 (*ऊपर *165* पर*)* *355 (* ऊपर *166* पर*)*

356 (1999) 4 एससीसी *727 [2021] 15* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

वैध अपेक्षा की आवश्यकता केवल आशा या इच्छा या प्रत्याशा पर आधारित नहीं है। भारत संघ और अन्य का उल्लेख करते हुए। वी. हिंदुस्तान विकास निगम और अन्य। *357*, यह इस प्रकार देखा गयाः

"*33.* ..... इस न्यायालय ने तब कहा कि वैध अपेक्षा प्रत्याशा के समान नहीं है। यह भी एक से अलग था

केवल इच्छा या इच्छा या आशा। न ही यह अधिकार पर आधारित दावा या मांग थी। केवल निराशा कानूनी परिणामों को जन्म नहीं देगी। इस न्यायालय ने *(p.540)* निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

"किसी अपेक्षा की वैधता का अनुमान तभी लगाया जा सकता है जब वह कानून या प्रथा की मंजूरी या नियमित और प्राकृतिक क्रम में अपनाई जाने वाली एक स्थापित प्रक्रिया पर आधारित हो। ..... ऐसी अपेक्षा उचित रूप से वैध और संरक्षण योग्य होनी चाहिए।

राम प्रवेश सिंह और अन्य में। वी. बिहार राज्य और अन्य। *358*, इस न्यायालय ने इस सिद्धांत के आयामों को नोट किया और हम उसी को उद्धृत करते हैं

इस प्रकार से मंजूरीः

"*15.* वैध अपेक्षा क्या है? जाहिर है, यह कानूनी अधिकार नहीं है। यह एक लाभ, राहत या उपचार की अपेक्षा है, जो आम तौर पर एक वादे या स्थापित अभ्यास से प्रवाहित हो सकती है। "स्थापित अभ्यास" शब्द एक नियमित, सुसंगत, अनुमानित को संदर्भित करता है।

और निर्णय लेने वाले प्राधिकारी का कुछ आचरण, प्रक्रिया या गतिविधि। अपेक्षा वैध होनी चाहिए, अर्थात,

उचित, तार्किक और वैध। कोई भी अपेक्षा जो छिटपुट या आकस्मिक या यादृच्छिक कार्यों पर आधारित है, या जो अनुचित, अतार्किक या अमान्य है, एक वैध अपेक्षा नहीं हो सकती है। अधिकार नहीं होने के कारण, यह लागू करने योग्य नहीं है। यह प्रशासनिक कार्रवाई की न्यायिक समीक्षा के लिए अदालतों द्वारा बनाई गई एक अवधारणा है। यह एक उच्च डिग्री की आवश्यकता के आधार पर चरित्र में प्रक्रियात्मक है

वादे के परिणामस्वरूप प्रशासनिक कार्रवाई में निष्पक्षता

बनाया गया या अभ्यास स्थापित किया गया। संक्षेप में, एक व्यक्ति को किसी विशेष उपचार की "वैध अपेक्षा" कहा जा सकता है, यदि कोई हो।

प्रतिनिधित्व या वादा एक प्राधिकरण द्वारा किया जाता है, या तो स्पष्ट रूप से या निहित रूप से, या यदि प्राधिकरण का नियमित और सुसंगत अतीत अभ्यास सामान्य पाठ्यक्रम में ऐसी अपेक्षा के लिए जगह देता है। राहत के लिए एक आधार के रूप में, सिद्धांत की प्रभावशीलता अपेक्षाकृत कमजोर है

357 (1993) 3 एससीसी *499* *358 (2006) 8* एस. सी. सी. *381* राजीव सूरी बनाम

दिल्ली विकास प्राधिकरण और ओआरएस। *[*ए. एम. खानविलकर, जे.*]*

क्योंकि इसका स्थान "कार्रवाई में निष्पक्षता" के ठीक ऊपर है लेकिन उससे बहुत नीचे है।

" प्रोमिसरी एस्टोपेल "। यह केवल एक गर्भवती को हकदार बना सकता है: *((अ)* एक अपेक्षा के विफल होने से पहले कारण दिखाने का अवसर; या

वादा की गई प्रक्रिया या स्थापित अभ्यास का पालन करें। एक वैध अपेक्षा, भले ही बनाई गई हो, हमेशा हकदार नहीं होती है

राहत की उम्मीद। लोक हित, नीति में परिवर्तन, आचरण

द्वारा दिया गया प्रत्याशित या कोई अन्य वैध या प्रामाणिक कारण

निर्णय निर्माता, वैध को नकारात्मक करने के लिए पर्याप्त हो सकता है उम्मीद "। के आधार पर वैध अपेक्षा का सिद्धांत

स्थापित अभ्यास *(*वैध अपेक्षा के विपरीत*)*

एक वादे के आधार पर*)*, केवल किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा लागू किया जा सकता है जिसने किसी प्राधिकारी के साथ लेन-देन या लेन-देन या बातचीत, जिस पर

इस तरह की स्थापित प्रथा का असर होता है, या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसका

प्राधिकरण के साथ मान्यता प्राप्त कानूनी संबंध। पूरी तरह से अजनबी

प्राधिकरण से असंबद्ध या एक व्यक्ति जिसके पास नहीं था

प्राधिकारी के साथ पिछले व्यवहार और जिनके पास नहीं है

अपेक्षा, केवल इस आधार पर कि प्राधिकरण के पास है निष्पक्ष रूप से कार्य करने का सामान्य दायित्व।

(जोर दिया गया*)*

यह कहने के लिए पर्याप्त है कि यह अभिव्यक्ति एक ठोस संकेत नहीं देती है।

सही है। इसके बजाय, यह केवल निष्पक्ष और उचित व्यवहार की अपेक्षा है और उस अपेक्षा की वैधता सख्ती से किसी मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगी, विशेष रूप से इस बात पर कि प्रक्रियात्मक कदम की अनुपस्थिति निष्पक्षता की विफलता का कारण बनी या नहीं। वैध अपेक्षा एक स्थान-आधारित सिद्धांत है और इसका उद्देश्य उन लोगों की अपेक्षाओं को शांत करना नहीं है जिनके हित किसी निर्णय से प्रभावित नहीं होते हैं। अपेक्षा बनाना आसान है लेकिन ऐसी अपेक्षा के लिए एक वैध आधार खोजना मुश्किल है।

298. महत्वपूर्ण रूप से, ऐसी अपेक्षा केवल इस पर विकसित होती है

निर्णय लिए जाने के संदर्भ में और निर्णय लेने वाले निकाय के संदर्भ में एक स्थापित प्रथा का आधार, और याचिकाकर्ताओं ने किसी भी स्थापित प्रथा का प्रदर्शन नहीं किया है जो वर्तमान मामले से विचलित हो गई है। किसी भी दर पर, वैध अपेक्षाओं के आधार पर एक अतिरिक्त प्रक्रियात्मक आवश्यकता में पढ़ना एक मानक *[2021] 15* एस. सी. आर. नहीं है।

न्यायिक समीक्षा कार्य और न्यायालय को इस तरह की कार्रवाई के लिए आवश्यकता के साथ-साथ एक स्थापित आधार का प्रदर्शन करके भारी बोझ उठाना चाहिए। इस सिद्धांत पर याचिकाकर्ताओं का आग्रह पूरी तरह से संदर्भ से बाहर है और वास्तव में विचाराधीन मामले में इसका कोई अनुप्रयोग नहीं है। ऐसे में

परिस्थितियों में, इस मामले पर आगे कोई भी विचार-विमर्श व्यर्थ में एक अभ्यास होगा।

दोहरी मंजूरी डी. यू. ए. सी. द्वारा स्थिति अनुमोदन के लिए चरण

299. डीयूएसी अनुमोदन का प्रस्ताव केवल "नए संसद भवन, प्लॉट संख्या *118*, एन. ए., नई रायसीना रोड, नई दिल्ली" से संबंधित था। यह पूरी सेंट्रल विस्टा परियोजना के लिए नहीं था। इस प्रकार, संसद की परियोजना के लिए डीयूएसी की मंजूरी की वैधता पर विचार किया जा रहा है न कि शेष केंद्रीय सचिवालय परियोजना पर। ऊपर विस्तृत प्रस्तुतियों के आलोक में, इस भाग में हमारे विचार के लिए निम्नलिखित प्रश्न सामने आते हैं:

क्या पहले भी डीयूएसी की मंजूरी आवश्यक थी

((i)

परामर्श सेवा एन. आई. टी. का विमोचन*?*

((ख)

क्या डीयूएसी ने मनमाने तरीके से काम किया जबकि

प्रस्ताव पर विचार करने से अनुमोदन दूषित हो जाता है

उसके द्वारा दिया गया*?*

300. शहरी डिजाइन की सौंदर्य गुणवत्ता को बनाए रखने के उद्देश्य से डीयूएसी को डीयूएसी अधिनियम के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में गठित किया गया है। डीयूएसी अधिनियम की प्रस्तावना इस प्रकार है:

"दिल्ली के भीतर शहरी और पर्यावरणीय डिजाइन की सौंदर्य गुणवत्ता को संरक्षित करने, विकसित करने और बनाए रखने की दृष्टि से दिल्ली शहरी कला आयोग की स्थापना के लिए एक अधिनियम।

डीयूएसी के उद्देश्यों, क्षेत्राधिकार और दिशानिर्देशों में, इस आयोग के गठन के पीछे की मंशा स्पष्ट हो जाती है। यह इस प्रकार कहा गया है:

"शहर के विभिन्न हिस्सों का विकास/पुनर्विकास, रखरखाव और संरक्षण करते समय, शहर के भौतिक वातावरण और दृश्य चरित्र की गुणवत्ता पर शायद ही कोई जोर दिया गया हो। दिल्ली का सौंदर्य और दृश्य चरित्र कम से कम इसका बेहतर हिस्सा वांछित होने के लिए बहुत कुछ छोड़ देता है। वास्तव में कुछ सुंदर क्षेत्र सरासर लापरवाही और उदासीनता के कारण बर्बाद हो गए हैं।

आवश्यकता अजीव सूरी बनाम। दिल्ली विकास प्राधिकरण और ओआरएस। *[ए. एम. खानविलकर, जे.]*

शहरी और पर्यावरणीय डिजाइन की सौंदर्य गुणवत्ता का मार्गदर्शन और नियंत्रण करने के लिए एक उच्च शक्ति वाले डिजाइन री-व्यू बोर्ड/आयोग के लिए

शहर और इसके सांस्कृतिक मूल्यों को कुछ समय से महसूस किया जा रहा है।

अतीत "।

डीयूएसी अधिनियम की धारा *11* के कार्यों को निर्दिष्ट करती है

निसान। वह इस प्रकार हैः

11. आयोग के कार्य। — *(1)* सौंदर्य के संरक्षण, विकास और रखरखाव के मामले में केंद्र सरकार को सलाह देना आयोग का सामान्य कर्तव्य होगा। दिल्ली के भीतर शहरी और पर्यावरणीय डिजाइन की गुणवत्ता और

किसी भी संबंध में किसी भी स्थानीय निकाय को सलाह और मार्गदर्शन प्रदान करना।

भवन संचालन या इंजीनियरिंग संचालन की परियोजना या कोई

विकास प्रस्ताव जो आकाश को प्रभावित करता है या प्रभावित करने की संभावना है

रेखा या आसपास के सौंदर्य की गुणवत्ता या कोई सार्वजनिक सुविधा

(2) उप-धारा *(1)* के प्रावधानों के अधीन, प्रस्तावों की जांच, अनुमोदन, अस्वीकार या संशोधन करना आयोग का कर्तव्य होगा। निम्नलिखित मामलों के संबंध में, अर्थात्:

(क) जिला केंद्रों, नागरिक केंद्रों, सरकारी प्रशासनिक भवनों के लिए निर्धारित क्षेत्रों का विकास और आवासीय परिसर, सार्वजनिक उद्यान और सार्वजनिक उद्यान;

(ख) नए राज्य के अधिकार क्षेत्र के भीतर क्षेत्र का पुनर्विकास।

कनॉट प्लेस सहित दिल्ली नगरपालिका समिति

परिसर और उसका परिवेश, सेंट्रल विस्टा, लुटियन की नई दिल्ली का पूरा बंगला क्षेत्र, और ऐसे अन्य क्षेत्र जैसे केंद्र सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निर्दिष्ट कर सकती है;

*(*ग*)* योजनाएँ, वास्तुकला की अभिव्यक्तियाँ और दृश्य रूप
खंड *(*ए*)* और *(*बी*)* में निर्दिष्ट केंद्रों, क्षेत्रों, उद्यानों और उद्यानों में नई इमारतें, जिसमें मूर्तियों और फव्वारों के लिए मॉडल का चयन शामिल है।

*(*घ*)* जामा मस्जिद, लाल किला, कुतुब, हुमायूँ का मकबरा, पुराना किला, तुगलकाबाद और ऐतिहासिक महत्व के ऐसे अन्य स्थानों के आसपास के क्षेत्रों का पुनर्विकास जो केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे; *[2021] 15* एस. सी. आर.

*(*ई*)* स्मारकों का संरक्षण, संरक्षण और सौंदर्यीकरण

भवनों, सार्वजनिक उद्यानों और सार्वजनिक उद्यानों सहित स्थान या

*(*ज*)* कोई अन्य परियोजना या खाका जिसकी गणना दिल्ली को सुंदर बनाने या इसकी सांस्कृतिक जीवंतता को बढ़ाने या उसके आसपास के वातावरण की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए की जाती है;
((i) ऐसे अन्य मामले जो नियमों द्वारा निर्धारित किए जाएं।

स्पष्टीकरण। इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए,

((i) "नागरिक केंद्र" से किसी स्थानीय निकाय का मुख्यालय अभिप्रेत है जिसमें उसके कार्यालय भवन और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए बनाए गए भवन शामिल हैं।
(ii) "कनॉट प्लेस कॉम्प्लेक्स" का अर्थ है कनॉट प्लेस वाला क्षेत्र और इसका विस्तार लगभग *140* हेक्टेयर है, जो जोन डी-*I (*संशोधित*)* के रूप में वर्णित क्षेत्र है।

दिल्ली मास्टर प्लान में; *(iii)* "जिला केंद्र" का अर्थ है दिल्ली मास्टर प्लान में बनाई गई एक स्व-निहित इकाई जिसमें खुदरा खरीदारी, सामान्य व्यवसाय, वाणिज्यिक और व्यावसायिक कार्यालय, अग्रेषण, बुकिंग और सरकारी कार्यालय, सिनेमा, रेस्तरां और अन्य क्षेत्र शामिल हैं।

मनोरंजन के अन्य स्थान।

धारा *11* के अवलोकन से पता चलता है कि आयोग *(*डी. यू. ए. सी.*)* के दो कर्तव्य हैं -

सबसे पहले, संरक्षण के मामले में केंद्र सरकार को सलाह देना,

शहरी सौंदर्य गुणवत्ता का विकास और रखरखाव और

पर्यावरण डिजाइन;

दूसरा, किसी भी परियोजना के संबंध में किसी भी स्थानीय निकाय को सलाह और मार्गदर्शन प्रदान करना जो आस-पास की क्षितिज या सौंदर्य गुणवत्ता को प्रभावित करता है या प्रभावित करने की संभावना है।
301. उप-धारा *11* की धारा *2* में कहा गया है कि आयोग

ए. सी.) ए. जे. ई. ई. वी. एस. यू. आर. आई. *v.* प्रस्तावों की जांच, अनुमोदन, अस्वीकार या संशोधन करने के लिए कर्तव्यबद्ध है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण और ओआरएस। *[*ए. एम. खानविलकर, जे.*]*के अधिकार क्षेत्र के भीतर क्षेत्र के पुनर्विकास का परिदृश्य

कनॉट प्लेस सहित दिल्ली नगरपालिका समिति

प्लेक्स और उसका परिवेश, सेंट्रल विस्टा। "इसके अलावा, उप-धारा आयोग *(*डी. यू. ए. सी.*)* को अपने उद्देश्यों के लिए स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्य करने की शक्ति प्रदान करती है, यदि आयोग द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जाता है।

प्राधिकरण। वह इस प्रकार कहता है:

"*(3)* उप में निहित प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना धारा *(1)* और उप-धारा *(2),* आयोग स्वतः विकास, पुनर्विकास या

दिल्ली के किसी भी क्षेत्र का सौंदर्यीकरण जिसके संबंध में नहीं इस संबंध में किसी भी स्थानीय निकाय से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

302. धारा *12* प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण, जो भवन निर्माण/निर्माण कार्य करता है, को इसके लिए आयोग *(*डीयूएसी*)* को संदर्भित करने के लिए बाध्य करती है।

इनय। इसके अलावा, उस संबंध में आयोग *(*डीयूएसी*)* का निर्णय

घ स्थानीय प्राधिकारी के लिए बाध्यकारी होगा। वह इस प्रकार है:

"*12.* विकास प्रस्तावों को संदर्भित करने का स्थानीय निकायों का कर्तव्य,

आदि, आयोग को। — तत्काल प्रवृत्त किसी अन्य कानून में किसी बात के होते हुए भी, प्रत्येक स्थानीय निकाय, धारा *11* की उप-धारा *(1)* में निर्दिष्ट किसी भी भवन संचालन, इंजीनियरिंग संचालन या विकास प्रस्तावों के संबंध में अनुमोदन से पहले या धारा *11* में निर्दिष्ट किसी क्षेत्र या इलाके में किए जाने का इरादा रखता है।

उस धारा की उप-धारा *(2),* उसे जांच के लिए आयोग को भेजती है और उसके संबंध में आयोग का निर्णय ऐसे स्थानीय निकाय के लिए बाध्यकारी होगा।

"*14.* कुछ मामलों में निर्णय को संशोधित करने की शक्ति। इस अधिनियम में निहित कुछ भी केंद्रीय को बाधित नहीं करेगा

सरकार अपने स्वयं के प्रस्ताव पर, यदि वह जनहित में ऐसा करना आवश्यक समझती है, किसी भी मामले में जिसमें आयोग द्वारा धारा *12* के तहत निर्णय लिया गया है, लेकिन उस पर कोई अपील नहीं की गई है, और उस पर ऐसा आदेश पारित करने के लिए बुलाने और जांच करने से रोकती है।

उचित समझते हैं:

बशर्ते कि ऐसा कोई आदेश किसी भी व्यक्ति को प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए नहीं बनाया जाएगा, सिवाय इसके कि उसे ऐसा करने का अवसर दिया जाए।

मामले में प्रतिनिधित्व। *"[2021] 15* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

303. डी. यू. ए. सी. अधिनियम की उपरोक्त योजना से संक्षेप में पता चलता है

कि डीयूएसी का अधिदेश संरक्षण के मामलों में अपनी सलाह देना है, दिल्ली के भीतर शहरी और पर्यावरणीय डिजाइन की सौंदर्य गुणवत्ता का विकास, पुनर्विकास और रखरखाव। इस तरह की सलाह प्रस्ताव के प्रत्येक पहलू के संदर्भ में नहीं दी जाती है, बल्कि यह केवल यह सुनिश्चित करती है कि संबंधित क्षेत्र की समग्र सौंदर्य गुणवत्ता ठीक न हो।

परेशान करती हैं। सौंदर्यशास्त्र की चिंता के अलावा, कोई अन्य पहलू नहीं है जिस पर आयोग *(*डीयूएसी*)* की मंजूरी अनिवार्य है। यह भी उल्लेखनीय है कि जहां तक आयोग *(*डीयूएसी*)* की सलाह के बाध्यकारी मूल्य का संबंध है, यह अधिनियम स्थानीय निकायों और केंद्र सरकार के बीच स्पष्ट अंतर करता है। धारा *12* स्पष्ट रूप से स्थानीय निकायों को आयोग *(*डीयूएसी*)* की सलाह के साथ बांधती है। इस भेद को धारा *14* द्वारा और मजबूत किया गया है जिसमें एक

यदि लोकहित की मांग होती है तो आयोग *(*डीयूएसी*)* की सलाह लेने और उसकी जांच करने और उस पर ऐसा आदेश पारित करने के लिए केंद्र सरकार को एक प्रबल शक्ति प्रदान करने वाला खंड बचाएँ। जैसा कि, यह उचित समझता है "।

304. जहां तक डी. यू. ए. सी. के साथ परामर्श के चरण का संबंध है, धारा *12*

स्थानीय निकायों को इस संबंध में अनुमोदन के अनुसार परामर्श करने का आदेश देता है

किसी भी भवन संचालन, इंजीनियरिंग संचालन या विकास प्रस्ताव। धारा *2 (*बी*)* "भवन निर्माण कार्यों" को इस प्रकार परिभाषित करती हैः

" (ख*)* "भवन निर्माण कार्य" में पुनर्निर्माण कार्य, संरचनात्मक कार्य शामिल हैं।

भवनों और अन्य कार्यों में परिवर्तन या परिवर्धन

आम तौर पर निर्माण के संबंध में किया गया
इमारतें; "

धारा *2 (*च*)* "इंजीनियरिंग संचालन" को इस प्रकार परिभाषित करती हैः
" (च*)* "इंजीनियरिंग संचालन" में गठन या स्थापना शामिल है।

सड़क तक पहुँचने या पानी के साधन बिछाने के साधन

आपूर्ति; "

धारा *2 (ई)* "विकास" को इस प्रकार परिभाषित करती हैः

" (ङ) "विकास" के व्याकरणिक भिन्नताओं का अर्थ है -

भवन, इंजीनियरिंग, खनन या अन्य कार्य करना।

किसी भी भवन या भूमि में भौतिक परिवर्तन और इसमें शामिल हैं
विकास; "

(जोर दिया गया*)*

राजीव सूरी बनाम। दिल्ली विकास प्राधिकरण और ओआरएस। *[* ए. एम. खानविलकर, जे.*]*

305. "विकास" अभिव्यक्ति का अर्थ परामर्श के चरण के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करता है। यह निर्दिष्ट करता है कि विकास का अर्थ है

" भवन निर्माण. भूमि पर संचालन या सामग्री बनाना।

किसी भी इमारत में परिवर्तन करें। "निष्पादन" और "निर्माण" शब्द, जब सामंजस्यपूर्ण रूप से पढ़े जाते हैं, तो एक स्पष्ट स्थिति निर्धारित करते हैं कि वास्तविक विकास से पहले आयोग की मंजूरी ली जानी चाहिए, यानी संचालन करने या भौतिक परिवर्तन करने से पहले। परामर्श के चरण के संबंध में परिचालन प्रावधान में कोई अस्पष्टता नहीं है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि इस तरह का परामर्श परामर्श सेवाओं के लिए निविदा जारी करने से पहले होना चाहिए, इसलिए, शासी कानून में इसका कोई आधार नहीं है। यही इरादा डी. यू. ए. सी. अधिनियम की प्रस्तावना से भी परिलक्षित होगा, जिसमें बिना किसी अनिश्चितता के कहा गया है कि आयोग की चिंता संबंधित क्षेत्र के सौंदर्यशास्त्र के साथ है। निर्विवाद रूप से, यह विचार करना कि कोई प्रस्ताव मौजूदा सौंदर्यशास्त्र के अनुरूप है या नहीं, तब तक संभव नहीं होगा जब तक कि प्रस्तावित परियोजना का डिजाइन और आकार स्थल विशिष्ट होने के कारण तैयार न हो जाए। क्योंकि आयोग *(*डी. यू. ए. सी.*)* इसके समक्ष किसी योजना के बिना इसे समझने में असमर्थ होगा।

क्षेत्र के सौंदर्यशास्त्र के साथ एक डिजाइन का अनुपालन।

306. हम याद करते हैं और ध्यान देते हैं कि परामर्श सेवाओं के लिए निविदा के चरण में, संभावित बोलीदाताओं को अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए बुलाया गया था

प्रस्तावित परियोजना जो यह दर्शाती है कि उस समय कोई अंतिम डिजाइन मौजूद नहीं था। सलाहकार के चयन के बाद ही डिजाइन को अंतिम रूप दिया गया और इस महत्वपूर्ण कदम से पहले डीयूएसी की भूमिका सामने नहीं आई।

मंजूरी प्रदान करने में स्वामित्व

307. अब हम अनुमोदन देने में डी. यू. ए. सी. की मनमानेपन के बारे में तर्क पर विचार कर सकते हैं। यह समझने के लिए कि क्या डीयूएसी ने अपने जनादेश को पूरा करने में काम किया, हम इसका विश्लेषण करना आवश्यक समझते हैं

डीयूएसी की बैठकों के कार्यवृत्त। प्रारंभ में, जब प्रस्ताव को विचार के लिए डीयूएसी के समक्ष रखा गया था, तो सलाहकार द्वारा इसके समक्ष एक विस्तृत प्रस्तुति दी गई थी जिसमें परियोजना की विभिन्न विशेषताओं को चित्रित किया गया था। दिनांकित कार्यवृत्त *5.6.2020* इस प्रकार नोट करता है:

"*2.* आयोग द्वारा प्रस्ताव की जांच की गई। वास्तुकार ने परियोजना की एक प्रस्तुति *(*वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से*)* भी दी, इसकी अनूठी विशेषताओं, ग्राहकों की आवश्यकताओं और बाधाओं को समझाया और आयोग के सदस्यों के प्रश्नों के लिए स्पष्टीकरण प्रदान किया। आयोग ने समग्र डिजाइन की सराहना की। *'99 [2021] 15* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इसके बाद, डी. यू. ए. सी. ने स्पष्ट रूप से नोट किया कि प्रस्ताव में कुछ अपर्याप्तताएं पाई गईं और तदनुसार इसे कुछ निश्चितताओं के साथ वापस कर दिया गया। अवलोकन। मिनट का बिंदु *3* इस प्रकार है:

"*3.* यह देखा गया कि मई *2020* में डीयूएसी सचिवालय द्वारा की गई प्रारंभिक जांच के अनुसार, प्रस्तुत करने में पाई गई कुछ अपर्याप्तताओं के बारे में सीपीडब्ल्यूडी को सूचित किया गया था।

308. डीयूएसी ने नोट किया कि वाहन पार्किंग योजना और परिदृश्य योजना आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं थी और बिंदु *4* में देखा गया कि

"*4.* आयोग दोहराता है कि उपरोक्त दो। क*)* वाहन पार्किंग योजना और ख*)* परिदृश्य योजना के अनुसार प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।

आवश्यकता "।

डीयूएसी ने पार्किंग योजना के संबंध में अवलोकन के बारे में विस्तार से बताया

और इस प्रकार देखा गया:

"*5.* वाहन पार्किंग योजना में, वाहनों के लिए पार्किंग को वैधानिक आवश्यकता के अनुसार दिखाया जाना चाहिए। इसके अलावा, वाहनों की आवाजाही और पैदल यात्रियों/आगंतुकों की आवाजाही के बीच अंतरफलक को इंगित करने की आवश्यकता है। रफी मार्ग वृत्त की ओर खुलने वाले द्वार को और समाधान की आवश्यकता प्रतीत होती है। इसकी समीक्षा की जा सकती है।

यहां तक कि परिदृश्य योजना में भी, डीयूएसी ने इस पर जोर दिया

प्रस्तावित नए भवन के आसपास खुले स्थानों को युक्तिसंगत बनाना। बिंदु *9* में, डीयूएसी ने पुरानी इमारत के साथ नई इमारत के एकीकरण के लिए कहा। समिति ने अपने अधिदेश के अनुसार, विशेष रूप से बिंदु *10* में प्रस्तावित भवन के रूप और सौंदर्यशास्त्र पर ध्यान केंद्रित किया और इस प्रकार नोट किया:

"*10.* मुख्य नए संसद भवन के शहरी रूप और सौंदर्यशास्त्र में सुधार किया जा सकता है। उन्नयन डिजाइन और उपचार

आधुनिक भारत की विविधता और लोकतांत्रिक आदर्शों के प्रति कम सहनशील और अधिक प्रतिनिधि होने की आवश्यकता है। वर्तमान संसद के सामने वाले अग्रभाग को उचित उपचार दिया जाना चाहिए क्योंकि यह दोनों भवनों के बीच आवाजाही के लिए कड़ी होगी, साथ ही एक प्रतीकात्मक संबंध को परिभाषित करेगी। विजय चौक से दिखाई देने वाली नई इमारत का रूप नेत्रहीन होना चाहिए।

वर्तमान संसद भवन तक बढ़ाया गया "।

इसके बाद, डीयूएसी ने इमारत के अंदरूनी और अन्य विशेषताओं जैसे खिड़कियों, राजीव सूरी बनाम की वांछनीयता से संबंधित कुछ टिप्पणियों को दर्ज किया।

दिल्ली विकास प्राधिकरण और ओआरएस। *[ए. एम. खानविलकर, जे.]*

309. इसके बाद परियोजना प्रस्तावक ने एक संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिस पर डीयूएसी ने अपनी *1545* वीं बैठक में विचार किया। जिसे विस्तृत चर्चा और जांच के बाद मंजूरी दी गई, जैसा कि कार्यवृत्त में इस प्रकार दर्ज किया गया है:

"*3.* अब, आयोग की टिप्पणियों को शामिल करने के साथ *(*ऑनलाइन*)* प्राप्त संशोधित भवन योजना प्रस्ताव की जांच की गई, और वास्तुकार/परियोजना प्रस्तावक के साथ विस्तृत चर्चा के बाद

99

मिनटों से पता चलता है कि विचार के इस दौर में भी, डीयूएसी अपनी जांच में परिधीय नहीं था और फिर से कुछ निश्चित रूप से दर्ज किया गया था।

पार्किंग आवश्यकताओं और पर्यावरणीय चिंताओं से संबंधित अवलोकन। बिन्दु *(*क*)* में यह उल्लेख किया गया है कि:

"ए। प्लॉट के लिए पार्किंग आवश्यकताओं को प्रस्तावित किया गया है
परिसर के चारों ओर बिखरे हुए कई भूखंडों में वितरित। सुगम पहुँच सुनिश्चित करने और पर्यावरण संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए, यह सुझाव दिया गया था कि स्थानीय निकाय उचित आकार और स्थान के एक भूखंड की पहचान करने के बाद बहु-स्तरीय कार पार्किंग *(*एम. एल. सी. पी.*)* की संभावना का पता लगाएगा, ताकि सभी क्षेत्रों को स्थानांतरित किया जा सके।

एक समेकित भूखंड में प्रस्तावित पार्किंग जिसमें पार्किंग हो
सांसद कक्ष, सहायक कर्मचारी, मीडिया, आगंतुकों, स्कूली बच्चों की बसों सहित संसद भवन के सभी उपयोगकर्ताओं के लिए आवश्यकताएं,

आदि को समायोजित किया जा सकता है।

इसके अलावा, बाड़, आकार, पैमाने और फाटकों की सामग्री की गुणवत्ता और डिजाइन के विभिन्न पहलुओं को छूते हुए, डीयूएसी ने कहा कि उन्हें परिसर के चरित्र और पहचान के अनुरूप होना चाहिए। आयोग ने परियोजना के प्रस्तावक को प्राकृतिक बिजली की विशेषताओं को बढ़ाने और पेड़ों का स्थान इस तरह से तय करने की सलाह दी कि पैदल चलने वाले रास्ते बाधित न हों और छाया पर्याप्त हो। बिन्दु *3 (*ई*)* में, इसने इस प्रकार उल्लेख किया है:

"ई. हार्डस्केप और सॉफ्टस्केप के उचित उपचार के साथ लैंडस्केप योजना को अधिक विस्तृत होना चाहिए। रोपण के लिए पेड़ों का स्थान और चयन उचित होना चाहिए ताकि

पर्याप्त छाया है और पैदल यात्री *[2021] 15* एस. सी. आर. में हस्तक्षेप नहीं करता है।

रास्ते। पैदल यात्री परिसंचरण छायांकित और सभी उम्र के लिए उपयुक्त होना चाहिए। पैदल चलने वालों के लिए ढके हुए प्रवेश द्वारों की सलाह दी जाती है। "

310. उपरोक्त विश्लेषण इस बात में कोई संदेह नहीं छोड़ता है कि डी. यू. ए. सी. न केवल अपने सलाहकार कार्यों के प्रति सचेत था, बल्कि इसका निर्वहन भी करता था।

अपने वैधानिक अधिदेश के अनुसार। यह तर्क कि डी. यू. ए. सी. ने परियोजना के विभिन्न पहलुओं पर अपना दिमाग नहीं लगाया, गलत सलाह नहीं दी गई है। डी. यू. ए. सी. एक सलाहकार के रूप में बैठा था ताकि सरकार को विकास के सौंदर्यशास्त्र पर सलाह दी जा सके।

विकास परियोजना। यह परियोजना के किसी अन्य पहलू का विश्लेषण करने के लिए नहीं है। इसमें, यह उम्मीद की जाती है कि यह परियोजना के उन पहलुओं पर अपना दिमाग लगाएगा जिनका सौंदर्यशास्त्र पर असर पड़ सकता है। कार्यवृत्त से संक्षेप में पता चलता है कि डिजाइनों से संबंधित पूरी जानकारी डी. यू. ए. सी. के समक्ष रखी गई थी और यह पार्किंग, पेड़ों के रोपण, यातायात, अग्रभाग की उपस्थिति, वेंटिलेशन, परिदृश्य, निर्माण उपकरण आदि सहित कई कारकों पर लागू होती है, जहां तक वे अपनी जांच के लिए, अपने सलाहकार कर्तव्यों को पूरा करने के लिए प्रासंगिक हैं।

311. न्यायालय के समक्ष एक कानूनी मुद्दे में मनमानेपन और इसके अनुप्रयोग से संबंधित कानून अच्छी तरह से तय किया गया है। के सिद्धांत को लागू करने के लिए

एक सलाहकार कार्य में मनमानेपन में ऐसी स्थिति शामिल होगी जिसमें प्रस्ताव पर बिना किसी उचित विचार के सलाह दी जाती है। कानून अपर्याप्तताओं के प्रदर्शन की मांग करता है, उदाहरण के लिए, प्रस्ताव पर विचार करने के लिए किसी भी सामग्री की अनुपस्थिति या जनादेश का प्रयोग करने में विफल रहना या प्रासंगिक विचारों को छोड़ना या प्रस्ताव पर दुर्भावनापूर्ण विचार करना। बहुत कम से कम, मामले को मामले की परिस्थितियों या बैठक के कार्यवृत्त के आधार पर दिमाग के गैर-अनुप्रयोग की स्थिति का खुलासा करना चाहिए। वर्तमान मामले में ऐसी कोई स्थिति शामिल नहीं है। कार्यवृत्त सभी प्रासंगिक पहलुओं पर डी. यू. ए. सी. द्वारा गहन और उचित विचार को प्रकट करता है और हम इसे मन के गैर-अनुप्रयोग का मामला मानने की स्थिति में नहीं हैं। यह देखने के लिए पर्याप्त है कि मनमानेपन का आरोप एक सैद्धांतिक प्रवचन में उठाना आसान है, लेकिन कानून के न्यायालय में स्थापित करना मुश्किल है जहां अप्रमाणित है।

विचारों का कोई स्थान नहीं है। *312.* कार्य संचालन विनियम, *1976* के अनुसार, बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई और अगली बैठक में इसकी पुष्टि की गई।

आयोग और किसी भी सदस्य ने इस संबंध में कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की है।

डीयूएसी द्वारा दी गई सलाह का कोई भी पहलू। इसलिए, इस मामले में याचिकाकर्ताओं की चुनौती विफल हो जाती है।

राजीव सूरी बनाम। दिल्ली विकास प्राधिकरण और ओआरएस। *[ए. एम. खानविलकर, जे.]*

भूमि उपयोग में बदलाव की चुनौती
वंश संरक्षण का संदर्भ लें

उत्तरदाताओं। हम शुरुआत में ही इस बात पर ध्यान देते हैं कि नई संसद भवन परियोजना के संबंध में विरासत संरक्षण की चिंता है। सीधे पैदा नहीं होता है। क्योंकि, भूखंड संख्या *118 (*नया संसद भवन*)* एक सूचीबद्ध विरासत संपत्ति नहीं है और केंद्रीय विस्टा परिसर के भीतर नहीं आता है। हालाँकि, यह चिंता इसलिए पैदा होती है क्योंकि यह एक निकटवर्ती स्थान है जहाँ प्लॉट नं. *116 (* मौजूदा संसद भवन*)* जिसमें एक श्रेणी-*I* संरचना है। इस स्थिति का प्रभाव, यदि कोई हो, और इसकी जांच में एच. सी. सी. की भूमिका आगे की चर्चा का हिस्सा होगी। प्रस्तुतियों और दस्तावेजों के गहन अवलोकन से, इस भाग में हमारे विचार के लिए निम्नलिखित प्रश्न सामने आते हैं:

क्या नई संसद भवन परियोजना का विषय है

(1)

दिल्ली के लिए एकीकृत भवन उपनियम, *2016-359* के तहत विरासत भवनों/परिसरों से संबंधित अनुमत परिवर्तनों के दायरे का उल्लंघन किया*?*

((ख)

क्या एच. सी. सी. का अनुमोदन अनिवार्य है
विकास का चरण या उससे पहले*?*

314. शुरुआत में, हम ध्यान देते हैं कि विरासत से संबंधित कानूनों की गणना किए बिना भूमि उपयोग में परिवर्तन की अनिवार्यता से संबंधित तर्क को भी इस भाग में ही संबोधित किया जाएगा, साथ ही इस व्यापक तर्क के साथ कि पूरी परियोजना विरासत संरक्षण कानूनों का उल्लंघन है। जहाँ तक विरासत स्थलों का संबंध है, *2016* के उपनियमों का सामान्य लहजा विरासत को संरक्षित करना है क्योंकि वे निर्दिष्ट करते हैं कि

" धरोहर स्थलों के संरक्षण में इमारतें, कलाकृतियां, संरचनाएं, क्षेत्र और ऐतिहासिक, सौंदर्य, वास्तुकला, सांस्कृतिक या पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण *(*धरोहर भवन और पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण*)* परिसर शामिल होंगे।

विरासत परिसर*)*। *315.* इस चर्चा को शुरू करने के लिए, सटीक जांच यह है कि क्या व्यापक कथन है कि "एक बार विरासत, हमेशा विरासत" या वह

विरासत भवनों/परिसरों का कानून में एक अलंघनीय चरित्र है जिसमें

किसी भी संशोधन पर पूर्ण प्रतिबंध, जो भी हो, सही कानूनी है

359 संक्षेप में, *"2016* उपनियम*" [2021] 15* एस. सी. आर.

स्थिति. यदि नहीं, तो हमारी जाँच इस बात से संबंधित होगी कि कितने बदलाव किए जा सकते हैं। *2016* के उपनियमों की योजना स्पष्ट रूप से बताती है कि विरासत भवन/परिसर वास्तव में अपरिवर्तनीय नहीं हैं। क्योंकि, उपनियम तीन प्रकार के परिवर्तनों पर विचार करते हैं जो विरासत भवनों/परिसरों के संबंध में किए जा सकते हैं:

विरासत पर विकास कार्य के माध्यम से भौतिक परिवर्तन

(1)

साइट *(*खंड *1.3);*

((ख)

विरासत स्थलों के स्वामित्व में परिवर्तन *(*खंड *1.12);*

(iii)

भूमि के उपयोग में परिवर्तन जिस पर विरासत स्थल स्थित हैं
(खंड *1.12)*।

वर्तमान चुनौती में हम अंकों *(i)* और *(iii)* से संबंधित हैं।

अर्थात्, *2016* के उपनियमों के अनुसार भूमि उपयोग में परिवर्तन और विकास के दौरान भौतिक परिवर्तनों की अनुमति की जांच। हम उस क्रम में आगे बढ़ सकते हैं।

316. लेकिन इससे पहले, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि संरक्षण के सिद्धांत

या धरोहर भवनों/परिक्षेत्रों का संरक्षण केवल उन भवनों/परिक्षेत्रों तक ही सीमित है जिन्हें आधिकारिक अधिसूचना में धरोहर भवनों/परिक्षेत्रों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। एच. सी. सी. की सदस्य सचिव श्रीमती रूबी कौशल के हलफनामे से इसकी पुष्टि होती है, जिसमें उन्होंने कहा है कि एच. सी. सी. का अधिकार क्षेत्र सूचीबद्ध विरासत भवनों/परिसरों तक सीमित है और पूरा लुटियन बंगला क्षेत्र *(*एल. बी. जेड.*)* एक विरासत क्षेत्र नहीं है। निवेदन यह है कि केवल सूचीबद्ध इमारतें/परिसर विरासत संरक्षण मानदंडों के अधीन हैं। उपनियमों के खंड *1.1* में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि:

" 1.1 . लागू करने योग्य: यह विनियमन धरोहर स्थलों पर लागू होगा।
जिसमें वे इमारतें, कलाकृतियां, संरचनाएं, सड़कें शामिल होंगी।

ऐतिहासिक, वास्तुशिल्प, सौंदर्य, सांस्कृतिक या

पर्यावरणीय मूल्य *(*इसके बाद सूचीबद्ध विरासत के रूप में संदर्भित*)*

इमारतें/सूचीबद्ध विरासत क्षेत्र*).* जिन्हें सूचीबद्ध किया जाएगा।

सरकार द्वारा जारी की जाने वाली अधिसूचना में
एमपीडी "।

(जोर दिया गया*)*

सरकार द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए

नई दिल्ली नगर परिषद अधिनियम, *1994* की धारा *2* की उप-धारा *(17)* के साथ पठित दिल्ली भवन उप-कानून, *1983* के कानून *23.1* और *23.5* ने विरासत भवनों, ए. जे. ई. ई. वी. सूरी बनाम सहित *141* विरासत स्थलों की सूची प्रकाशित की है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण और ओआरएस। *[* ए. एम. खानविलकर, जे.*]*

आयु क्षेत्र और सामान्य के लिए सूचीबद्ध प्राकृतिक विशेषता क्षेत्र

मैशन। वही इस प्रकार पढ़ता है:

" सूचना

दिल्ली, *1* अक्टूबर, *2009*

एफ. नं. *4/2/2009/*यू. डी./*1 6565*। — जबकि *147* धरोहर स्थलों की सूची जिसमें धरोहर भवन, धरोहर क्षेत्र और सूचीबद्ध प्राकृतिक स्थल शामिल हैं।

इस प्रकार नोटिस के प्रकाशन की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर प्रभावित। और जबकि उक्त सूचना की प्रतियां उपलब्ध कराई गई थीं

8 जून, *2005* को जनता को।

और जबकि इस संबंध में सभी आपत्तियाँ और सुझाव प्राप्त हुए उपर्युक्त सार्वजनिक सूचना पर विरासत संरक्षण समिति द्वारा विधिवत विचार किया गया है।

और जबकि एच. सी. सी. द्वारा एन. डी. एम. सी. को संदर्भित *147* विरासत भवनों और परिसरों की मूल सूची में से, दो भवन / एन. डी. एम. सी. द्वारा सूचीबद्ध करने के लिए परिसर उपयुक्त नहीं पाए गए हैं।

(एन. डी. एम. सी. *(*अनुलग्नक-सी*)* द्वारा अनुलग्नक-बी*)* और चार भवनों/परिसरों का अध्ययन और पुनर्विचार किया जा रहा है।

नवंबर/, इसलिए, अलविदा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए

नई दिल्ली नगर परिषद अधिनियम *1994* की धारा *2* की उप-धारा *(17)* के साथ पठित दिल्ली भवन उप-कानून, *1983* के कानून *23.1* और *23.5* के तहत सरकार विरासत भवनों, विरासत क्षेत्रों सहित *141* विरासत स्थलों की निम्नलिखित सूची प्रकाशित करती है।

और सामान्य जानकारी के लिए सूचीबद्ध प्राकृतिक विशेषता क्षेत्र

*(*अनुलग्नक-ए*)* आदेश द्वारा और राष्ट्रीय के उपराज्यपाल के नाम पर

राजधानी क्षेत्र दिल्ली,

आर. सी. मीना, जे. सिकरी।

एन. डी. एम. सी. क्षेत्र में *141* विरासत भवनों की सूची

अधिसूचना के लिए *[2021] 15* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ग्रेड-*I*

भवन/परिसरों का नाम

नहीं।

स्थान

1

2

3

1.

सफदाईजंग का मकबरा

वेस्ट ऑफ क्रॉसिंग ऑफ

अरविंदो मार्ग और लोधी

सड़क

नवंबर *2. 3. 4 . 5 . 6 . 7 . 8.* ठीक है।

संसद मार्ग

जंतर-मंतर

एल. बी. जेड, सेंट्रल विस्टा

इंडिया गेट

इंडिया गेट कैनोपी

एल. बी. जेड, सेंट्रल विस्टा

राष्ट्रपति संपदा के भीतर इमारत

राष्ट्रपति संपदा

जयपुर कॉलम

सामने

राष्ट्रपति का

भवन

एल. बी. जेड, सेंट्रल विस्टा

नॉर्थ ब्लॉक और साउथ बायॉक

संसद भवन और परिसर

एल. बी. जेड, सेंट्रल विस्टा

एल. बी. जेड, सेंट्रल विस्टा

9.

सेंट्रल विस्टा परिसर

में

राजपथ

हैदराबाद हाउस एंड कैम्पस

इंडिया गेट सर्कल के पास

10.

बड़ौदा हाउस और परिसर

11.

इंडिया गेट सर्कल के पास

डोमिनियन कॉलम

12.

साउथ ब्लॉक के पास

राष्ट्रीय अभिलेखागार और परिसर

जनपथ

13.

कैथेड्रल चर्च ऑफ रिडेम्पशन एंड

14.

चर्च रोड

कैम्पस

शिकरगाह

15.

टीन मूर्ति हाउस

लाई बांग्ला-*1*

16.

दिल्ली गोल्फ क्लब

सफदरजंग का मकबरा

17.

मस्जिद

मुहम्मद शाह सैयद का मकबरा

लोधी गार्डन

18.

बारा गुम्बद

लोकली उद्यान

19.

लोधी गार्डन

20.

मस्जिद
मेहराबदार इमारत

21.

लोधी गार्डन

शीश गुम्बद

22.

लोधी गार्डन

सिकंदर लोदी का मकबरा

लोधी गार्डन

23. *24.*

अथपुला

लोधी गार्डन

हेली रोड

अग्रसेन की बाव

25.

खैरुल मंजिल मस्जिद

सुब्रमण्य बनारती मार्ग,

26.

मथुरा रोड

मथुरा रोड, सामने। चिड़ियाघर

27.

लाई दरवाजा

प्रविष्टि

लाल बांग्ला-यू

दिल्ली गोल्फ क्लब

28.

डब्ल्यू. ऑफ़ लोदी कॉलोनी

29.

नजफ खान का मकबरा

होली आरडी विज्ञापन

मस्जिद

30.

मकबरा

राष्ट्रीय

स्टेडियम,

ऑप.

31.

उच्च न्यायालय

बाराह खंबा

दिल्ली गोल्फ क्लब

दिल्ली गोल्फ कोर्स। ऑप.

ओइ।

सैयद आबिद का मकबरा

काका नगर

मकबरा *(*प्रारंभिक मुगल*)*

दिल्ली गोल्फ क्लब

34.

मकबरा *(*स्वर्गीय मुगल*)*

35.

दिल्ली गोल्फ क्लब

तीस जनवरी मार्ग

36.

गांधी सदन स्मृति '

दिल्ली गोल्फ कोर्स, सामने।

मीर ताकी का मकबरा

37.

काका नगर

दिल्ली गोल्फ कोर्स, सामने।

गुंबददार मकबरा

38.

काका नगर

39.

किशोर मूर्ति की मूर्तियाँ

ऑप.

जवाहर

लाल।

मेमोरियल, तीन मूर्ति मार्ग

मध्य विसिटा के दक्षिण में

40.

मस्जिद

आसपास का हरा क्षेत्र

राजपथ

41.

काका नगर

मस्जिद

किशोर। मूर्ति मार्ग

टीन मूर्ति हाउस

42.

निःशुल्क चर्च और परिसर

43.

संसद मार्ग

सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल

अशोक स्थान

44.

दरिया खान लोहानफ का मकबरा

पूर्वी किदवई नगर

45. *46.*

बोह भत्यारी का महल

लिंक रोड

47.

बिस्तादन महल

दक्षिणी

रिज,

सरदार

पटेल मार्ग

खैर।

दीवार

पूरब

48.

बाहर

सफदरजंग मकबरा

मंदिर

जंतर मंतर

49.

दरगाह

मथुरा रोड के पश्चिम में।

50.

एन. एस. सी. के दक्षिण में

लोधी गार्डन

51.

बुर्ज।

52.

शांति पति विस्टा

राजनयिक

एन्क्लेव

में

चाणक्यपुरी अजीव सूरी बनाम। दिल्ली विकास प्राधिकरण और ओआरएस। *[ए. एम. खानविलकर, जे.]*

ग्रेड-*II*

भवन परिसरों के नाम

स्थान

बाबा खड़क सिंह मार्ग

गोल डाक खाना

1.

केंद्रीय टेलीग्राफ कार्यालय *(पूर्वी)*

2.

जनपथ

अदालत*)*

मिटनन जयपुर हाउस

इंडिया गेट सर्कल के पास

इंडिया गेट सर्कल के पास

बीकानेर हाउस पश्चिमी न्यायालय और परिसर

जनपथ

आकाशवाणी भवन और परिसर

विज्ञापन मार्ग के बिना

मकबरा

ईस्ट ऑफ एन. स्टेडियम

पास में

गेट नं. *5*

मंदिर मार्ग

8. एन. पी. लड़कों एस. एस. स्कूल और परिसर

तटबंध

तालकटोरा गार्डन

9 .

10 . मस्जिद

लोधी गार्डन

11 . मस्जिद और परिसर

आस-पास

पूर्वी

को

प्रवेश द्वार

करबाला का

मैदान

काम*!* अतातुर्क रो विज्ञापन पास

12 . पुल

आर. सी. क्लब

13 . पैदल चलने वाला पुल

ओवर ड्रेन कमाल अतातुर्क

सड़क

14 . तूफानी रास्ता

पंचकुइन रोड

दरगाह शिविर। पंचकुइन

15. मस्जिद

सड़क

बाघवाली मस्जिद और परिसर

पंडारा रोड का दक्षिण छोर

16. 17. करबाला और परिसर

जोरबाग

18. कब्र घेराव और परिसर

काकानगर से सटा हुआ

एन. डी. एम. सी प्राथमिक विद्यालय

19. मस्जिद और परिसर

दिल्ली गोल्फ क्लब

20. मकबरा और परिसर

होटल ओबेरॉय के पूर्व में

21. मस्जिद और परिसर

आर. के. आश्रम रोड

22. मस्जिद और परिसर

रेस कोर्स

23. प्रवेश द्वार और परिसर

शाही मर्दन की दरगाह,

बी. के. दत्त कॉलोनी

24. त्रावणकोर हाउस एंड कैम्पस

केजी। मार्ग

25. कश्मीर हाउस एंड कैम्पस

राजाजी मार्ग

शहीद भगत सिंह मार्ग

26. लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और

कैम्पस

27. केरल हाउस एंड कैम्पस

जंतर-मंतर रोड

28.

बहवैपुर हाउस एंड कैम्पस

सिकंदरारोड

29. फरीदकोट हाउस एंड कैम्पस

कोपरनिकस मार्ग

30. राष्ट्रीय स्टेडियम और परिसर

एल. बी. जेड. सेंट्रल विस्टा

सफदाईजंग रोड

31. इंदिरा गांधी स्मारक

7, मान सिंह रोड

32. दरबलियांगा हाउस और परिसर *33.* कपूरथला हाउस एंड कैम्पस

3, मान सिंह रोड

34. जे एंड के हाउस एंड कैम्पस

पृथ्वीराज रोड

आर. सी. रोड के बीच

35. जिमखाना क्लब और परिसर

&

सफदाईजंग रोड

36. लक्ष्मी नारायण मंदिर *(*बिड़ला मंदिर*)*

मंदिर मार्ग

और कैम्पस

सेंट कोलम्बा स्कूल और परिसर

37.

अशोक स्थान

38. रीगल रिवोली इमारतें

आउटर सर्कल सी. पी.

सीपी

39 . ईसीएस हाउस

आउटर सर्कल सी. पी.

40 .

सिंधिया हाउस

41 . छोटा जैन मंदिर

जैन मंदिर लेन

42 . कादम शरीफ

दरगाह शाही मर्दन, बी. के.

दत्त कॉलोनी

43 .

आरिफ अली शाह का मकबरा

दरगली शाही मर्दन, बी. के.

दत्त कॉलोनी

44 . हसन रसूल नुमा की दरगाह

पंचकुइन रोड

45 . स्मारक चंदवा

एलएचएमसी

46 . जैन हैप्पी स्कूल

जैन मंदिर रोड

47. गेटवे लाई बांग्ला

दिल्ली गोल्फ क्लब

48. कनॉट

प्लेस/कनॉट सर्कस

सीपी।

मध्य वृत्त सहित

49 . भवन का प्रवेश द्वार

पीछे की ओर इंपीरियल होटल एंड

जंतर मंतर लेन

एसबीएसमार्ग सी. पी.

50 . गोल बाजार

बांग्ला साहिब रोड

51. कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी स्कूल और

कैम्पस

शाहजहां रोड

52. नौसेना अधिकारियों की मेस और परिसर *[2021] 15* एस. सी.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जैसेलमेर हाउस एंड कैम्पस

मान सिंह रोड

53 .

पटियाला हाउस एंड कैम्पस

उत्तर-पश्चिम भारत द्वार

54 .

5 , भगवान दास रोड

टिहरी-गढ़वाल हाउस और परिसर

55 .

बाराहखम्बा रोड

56.

नेपाल का दूतावास और परिसर

57.

लेडी इरविन कॉलेज और परिसर

सिकंदरा रोड

कैनिंग रोड

लेडी इरविन सीनियर एस. स्कूल और परिसर

58.

हंगेरियन सांस्कृतिक केंद्र और परिसर

जनपथ और तीस जनुआ

59.

मार्ग

60.

सुजान सिंह पार्क और परिसर

सुब्रमण्य भारती मार्ग

मंदिर मार्ग

सेंट थॉमस स्कूल

61.

बी. के. दत्त कॉलोनी

62.

मजलिस खाना और परिसर

बी. के. दत्त कॉलोनी

बीबी का रौज़ा और परिसर

63.

बारा जैन। मंदिर और परिसर

जैन मंदिर रोड

64.

लाई मस्जिद

दरगाह शाही मर्दन, बी।

65.

दत्त कॉलोनी

दरगाह शाही मर्दन। बी.

66.

प्रवेश द्वार

दत्त कॉलोनी

67.

माली खान का मकबरा

करबाला। जोर बागली

7, जंतर मंतर रोड

सरदार वल्लभ भाई पटेल स्मारक

68.

विश्वास का निर्माण
निः शुल्क मेसन हॉल और परिसर

69.

जनपथ

सेंट थॉमस चर्च और परिसर

मंदिर मार्ग

70.

ग्रेड-III

भवन/परिसरों का नाम

स्थान

-. नहीं।

1.

मस्जिद रकाबगंज

क्रर्च लेन

औरंगजेब रोड

मस्जिद महीदिया

2.

3.

कब्र मंच

सेंट्रल विस्टा के उत्तर में

4.

सिमेहरी मस्जिद और गोल चक्कर

सुनेहरी बाग रोड

पुलिस थाना और परिसर

पुलिस थाना और परिसर

तुगलक रोड मंदिर मार

डॉ. आर. एम. एल. अस्पताल और परिसर

वेलिंगटन क्रिसेंट

7.

आधुनिक विद्यालय और परिसर

8.

बराली खंबा रोड

पृथ्वीराज रोड

9.

नई दिल्ली कब्रिस्तान और घर

हनुमान मंदिर और परिसर

बाबा खड़क सिंह मार्ग

10. *11.*

प्लिंथ

दिल्ली गोल्फ क्लब अशोक

12.

बांग्ला शैब गुरुद्वारा और परिसर

सड़क

रकाब-गंज गुरुद्वारा और परिसर

13.

चर्च रोड

जनपथ

14.

इंपीरियल होटल मध्य परिसर

15.

मस्जिद

ब्लाइंड स्कूल। लोधी रोड

प्रवेश विद्यालय लो

16.

प्रवेश द्वार

सड़क

दरगाह् शाही मर्दन। बी.

17.

प्रवेश द्वार

दत्त कॉलोनी

18. निवास मस्जिद

5, सिकंदरा रोड

दरगाह् शाही मर्दन।

19.

बी. के. दत्त कॉलोनी

अनुलग्नक-बी

एन. डी. एम. सी. क्षेत्र श्रेणी-*II* में *2* धरोहर भवनों की हटाई गई सूची

आर. नहीं।

स्थान

भवन परिसरों के नाम

एम एम टी ओ ब्रिज

एम. एम. टी. ओ. रोड *(*यह सड़क*)*

1 .

शरीर के नीचे गिरता है

एम. सी. डी. के अधिकार क्षेत्र

टी को संदर्भित किया जाना चाहिए

आगे की कार्रवाई के लिए।

राजीव सूरी बनाम। दिल्ली विकास प्राधिकरण और ओआरएस। *[* ए. एम. खानविलकर, जे.*]*

ग्रेड-*III*

श्री. नहीं। भवन/परिसरों का नाम

स्थान

5 , मान सिंह *R.oad*

1 .

पटानी हाउस

संलग्नक-सी

एन. डी. एम. सी. क्षेत्र में *4* विरासत भवनों की सूची

अध्ययन/मान्यता प्राप्त

ग्रेड-*I*

स्थान

भवन परिसरों के नाम

श्री. नहीं।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कार्यालय

जनपथ और मौलाना आज़ाद

1.

रोड क्रॉसिंग

राष्ट्रीय संग्रहालय के निकट की इमारत

जनपथ में

ग्रेड-*II*

श्री. नहीं।

भवन परिसरों के नाम

स्थान

1.

उपराष्ट्रपति का घर

मौलाना आज़ाद रोड

पुलिस थाना और परिसर

2.

संसद मार्ग

ग्रेड-*I*

भवन/परिसरों का नाम

स्थान

श्री. नहीं।

बर्मन निवास

1.

जैन मंदिर रोड

(जोर दिया गया*)*

317. इसलिए, हमारी सबसे बड़ी चिंता यह निर्धारित करना है कि क्या

सात विषय भूखंडों में से कोई भी एक सूचीबद्ध विरासत स्थल पर स्थित है। सावधानीपूर्वक जाँच करने पर, हम ध्यान देते हैं कि सात विषय भूखंडों में से केवल दो भूखंड, यानी भूखंड संख्या। *3 (* राष्ट्रीय अभिलेखागार को श्रेणी-*I* के रूप में सूचीबद्ध किया गया है और प्लॉट नं. *4 (* जिसमें ग्रेड-*III* के रूप में सूचीबद्ध "ग्रेव प्लेटफॉर्म" नामक एक संरचना है, सूची में विरासत स्थलों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। सीरियल नं. *13* जनपथ पर स्थित ग्रेड-*I* स्थलों में से "राष्ट्रीय अभिलेखागार और परिसर" को ग्रेड-*I* विरासत भवन/परिसर के रूप में निर्धारित किया गया है। दूसरी सूचीबद्ध साइट क्रम संख्या में है। *3* ग्रेड-*III* साइटों में जो प्लॉट नं. *4* .

318. याचिकाकर्ताओं ने प्रस्तुत किया है कि पूरा केंद्रीय परिदृश्य

यह क्षेत्र सूचीबद्ध धरोहर स्थलों का एक हिस्सा है। जवाब में, विद्वान सॉलिसिटर जनरल ने सुश्री लीनू *[2021] 15* एस. सी. आर. के हलफनामे के साथ केंद्रीय लोक निर्माण विभाग *(*सी. पी. डब्ल्यू. डी.*)*, नई दिल्ली के वरिष्ठ वास्तुकार *(*आर. डी.-*II* इकाई*)* द्वारा हस्ताक्षरित सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के आधिकारिक रंग कोडित मानचित्र के साथ हमारी सराहना की है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सहगल, आयुक्त *(*योजना*)*, दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिनांक *3.7.2020*। इस तथ्य की शुद्धता पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है।

शपथपत्र पर बयान। सूचीबद्ध विरासत स्थलों की एक सूची भी प्रस्तुत की गई है जिसमें *141* स्थलों को विरासत भवनों, परिसरों और क्षेत्रों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

प्राकृतिक विशेषता वाले क्षेत्र। हमने उक्त मानचित्र में विस्तृत रूप से निर्दिष्ट योजना का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया है, जिसे नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः -

144

संसद का मिनट

चरण

क्लार फ़ाम

आर. ए. ई. एन. टी

राष्ट्रीय,

नोवका लाटुआ

30

होना *(1)*

सीपीटीएच ब्लॉक

10

एच.

डब्ल्यू.

सी.

59

लार्मापैन।

साउथ ब्लॉक

विल वानिटा

स्टैन

MAN

भवन बॉन्ड विकास

डी।

एल. ई. जी. ई. एन. डी. एल. सी. सेंट्रल विस्टा वाटर बॉडी पाथवे सेंट्रल वीजा लॉन राजपथ प्रस्तावित ग्रीन्स

[गर्म *2003 = =}* सुविधाएँ और पार्किंग

सरकारी संसद भवन*)*

मनोरंजन जिला उद्यान
सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक क्षेत्र एक बार *(1.5* एकड़*)* और विनियामक *(*ओक्सन पार्क*) (*एल. आई. एस. एकड़*)*

डीओन ए. डी. एम. आई.

कैंडी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स पब्लिक एंड सेमी पब्लिक फैसिलिटीज *(*एससी*)* जीईवीटी। कार्यालय *(22.82* एकड़*)* और मनोरंजन *(*जिला उद्यान*) (2* कोरुन*)* सीओडी रक्त भवन सरकारी कार्यालय*)* सार्वजनिक और अर्ध प्रकाशन *(5)* सरकारी। कार्यालय

राष्ट्रीय संग्रहालय, विपन शावर, उपराष्ट्रपति सार्वजनिक और अर्ध सार्वजनिक *(*एससी*)* जीईवीटी। कार्यालय *(22.82* एकड़*)* और मनोरंजन जिला उद्यान*) (1.38* एकड़*)*

13 एमओडी*-2021*

ए एंड *3* ब्लड्स ऑफ मेंटरी ऑफ डिफेंस *(*सरकार*)*

सरकारी कार्यालय

अधिकारी

209 ज़ेन*-0-2023*

पेक्यूशनल *(*मेघबहोर्टी मा*)*

ध्यान दें:

1. उल्लिखित *15* एकड़ क्षेत्र के भूखंड संख्या *1* के संबंध में

21.12.2019 दिनांकित सार्वजनिक सूचना में, वर्तमान भूमि

उपयोग परिवहन *(*बस टर्मिनल*)/*पार्किंग है *(10.5*

एकड़*)* और मनोरंजन *(*पड़ोस खेल क्षेत्र*) (4.5* एकड़*)*
एकड़*)*। दिनांकित *21.12.2019* सार्वजनिक सूचना के संदर्भ में, यह

'सरकारी कार्यालय' में बदलने का प्रस्ताव था। हालांकि,

इसके बाद सरकार ने यह निर्णय लिया है

इसे 'आवासीय' के रूप में उपयोग करने के लिए और तदनुसार डीडीए है

भूमि उपयोग को बदलने के लिए आगे की कार्रवाई करना
दिल्ली विकास अधिनियम, *1957* के प्रावधान।

2. जोन सी में स्थित *3,9* एकड़ क्षेत्र का भूखंड संख्या *8*

सार्वजनिक अर्ध सार्वजनिक *(*सुविधाओं*)* से बदलकर

मनोरंजन *(*जिला उद्यान*)*।

राजीव सूरी बनाम। दिल्ली विकास प्राधिकरण और ओआरएस। *[*ए. एम. खानविलकर, जे.*]*

319. यह योजना राजपथ के समानांतर चलने वाले राजपथ, सेंट्रल विस्टा लॉन और सेंट्रल विस्टा जल निकाय को "राजपथ पर सेंट्रल विस्टा परिसर" नामक एक सामूहिक स्थान के रूप में सीमांकित करती है जो श्रेणी*-I* स्थलों के क्रम संख्या *9* में सूचीबद्ध विरासत भवनों/परिसरों का एक हिस्सा है। जबकि, भूखंड संख्या *116* पर मौजूदा संसद भवन को उसी सूची के क्रम संख्या *8* पर ग्रेड*-I* के रूप में अलग से अधिसूचित किया गया है। प्रस्तावित हालाँकि, संसद भवन प्लॉट संख्या *118* पर है। ये दोनों भूखंड *(Nos.116* और *118)* केंद्रीय विस्टा क्षेत्र के भीतर आ सकते हैं, लेकिन केंद्रीय विस्टा विरासत परिसर का हिस्सा नहीं हैं। इसलिए, यह इस प्रकार है कि पूरे सेंट्रल विस्टा क्षेत्र को विरासत परिसर के रूप में घोषित नहीं किया गया है और केवल राजपथ पर सेंट्रल विस्टा परिसर को ही ऐसा घोषित किया गया है। मध्य विस्टा क्षेत्र में अन्य सभी विरासत संरचनाओं/परिसरों को विरासत भवनों/परिसरों की सूची में अलग से सूचीबद्ध किया गया है। दूसरे शब्दों में, यदि पूरे सेंट्रल विस्टा क्षेत्र को विरासत के रूप में सूचीबद्ध किया जाना था

निश्चित रूप से, इसके घटकों को अलग से सूचीबद्ध करने की आवश्यकता उत्पन्न नहीं हुई होगी। इसके अलावा, यह रिकॉर्ड की बात है कि राजपथ पर उपरोक्त परिसर प्रस्तावित व्यापक विकास परियोजना का हिस्सा नहीं है, क्योंकि अभी तक इसमें कोई बदलाव प्रस्तावित नहीं किया गया है।

320. यह ध्यान देने योग्य है कि उपयुक्त प्राधिकारी ने विरासत भवनों/परिसरों/प्राकृतिक विशेषता क्षेत्रों को सूचीबद्ध करते समय

इमारत और परिसर के बीच के अंतर के बारे में जागरूक, जैसा कि है

प्रकाशित सूची से स्पष्ट है। "धरोहर भवन" अभिव्यक्ति पर हमारी चर्चा भी स्थिति को स्पष्ट करती है। इस सूची में अलग से सेंट्रल विस्टा क्षेत्र के भीतर कई इमारतें/स्थल या परिसर शामिल हैं। उदाहरण के लिए, सेंट्रल विस्टा क्षेत्र के भीतर अन्य संरचनाएं/इमारतें यानी इंडिया गेट, इंडिया गेट कैनोपी, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक आदि। यदि याचिकाकर्ता '

यह तर्क कि पूरा सेंट्रल विस्टा क्षेत्र एक सूचीबद्ध परिसर है, सही स्थिति को दर्शाता है और एक ही क्षेत्र में स्थित विभिन्न भवनों/परिसरों को अलग से शामिल करने के लिए सक्षम प्राधिकारी की कोई आवश्यकता नहीं थी। इस दृष्टिकोण को मजबूत करने के लिए, इंटैक रिपोर्ट का संदर्भ दिया जा सकता है जो इसका भौतिक विवरण देता है। "सेंट्रल विस्टा, राजपथ "इस प्रकारः

"शारीरिक विवरणः विस्टा को जोड़ने के लिए डिज़ाइन किया गया था

पुराना किले के उत्तरी प्रवेश द्वार पर वायसराय हाउस *(*अब राष्ट्रपति भवन*)*। पूर्वी छोर पर युद्ध स्मारक मेहराब *(*इंडिया गेट*)* बनाया गया था, जिसके चारों ओर राजकुमारों के घर बनाए गए थे। मुख्य सड़क के दोनों ओर चौड़े घास के मैदान हैं। सेंट्रल विस्टा के वास्तुशिल्प चरित्र को बढ़ाया गया है *[2021] 15* एस. सी. आर.

भूनिर्माण, सड़क के फर्नीचर, जल निकायों आदि द्वारा और यह महत्वपूर्ण है कि कोई भी नया जोड़/हस्तक्षेप संवेदनशील हो

और क्षेत्र के चरित्र का सम्मान करता है।

विशेष रूप से, आई. एन. टी. ए. सी. एच. एक वैधानिक प्राधिकरण नहीं है, बल्कि केवल एक पंजीकृत सोसायटी है। फिर भी, इसका विवरण भी स्पष्ट है और आगे की जांच के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ता है। यह हलफनामे पर उत्तरदाताओं द्वारा लिए गए रुख के साथ पूरी तरह से मेल खाता है और जिसे हमारे पक्ष में पाया गया है कि आई. एन. टी. ए. सी. एच. रिपोर्ट के अनुसार, राजपथ पर केवल सेंट्रल विस्टा परिसर ही सूचीबद्ध विरासत परिसर के रूप में योग्य हैं। जैसा कि प्रस्तुत किया गया है

321. वर्तमान सूची में शामिल अन्य भूखंडों की विरासत की स्थिति के संबंध में, सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ताओं को बुलाया गया था यह दर्शाने के लिए प्रासंगिक आधिकारिक दस्तावेज दिखाने के लिए कि विषय भूखंडों को विरासत भवनों/परिसरों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, जैसा कि तर्क दिया गया है। इसके विपरीत कोई दस्तावेज सामने नहीं आ रहा है। हालाँकि, एन. डी. एम. सी. की आधिकारिक वेबसाइट सहित इंटरनेट से डाउनलोड किए गए कुछ दस्तावेजों का संदर्भ दिया गया था। वे दस्तावेज़ *141* विरासत स्थलों/भवनों की सूची के लिए सरकार द्वारा प्रकाशित वैधानिक अधिसूचना सहित शपथ पत्र पर अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर के तहत प्रस्तुत आधिकारिक दस्तावेजों की अवहेलना करने का आधार नहीं हो सकते हैं।

इसलिए हम आधिकारिक दस्तावेजों और सक्षम प्राधिकारी के अधिकारियों के शपथ पत्र पर भरोसा करेंगे, जैसा कि ऊपर कहा गया है।

322. संहिताबद्ध योजना के अनुसार, भूखंड संख्या का भूमि उपयोग। *3* और *4* को सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक सुविधाओं से सरकार में बदला जा रहा है।

कार्यालय और मनोरंजन *(*जिला उद्यान*)*। हमारी जांच इस बात पर केंद्रित है कि क्या उक्त परिवर्तन कानून में स्वीकार्य है।

323. भूमि उपयोग में परिवर्तन पर, खंड *1.12* वर्तमान जांच के लिए मार्गदर्शक प्रावधान है जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सूची में शामिल नहीं है।

इप्सो फैक्टो स्वामित्व या उपयोग के परिवर्तन को प्रतिबंधित करता है। हालांकि, यह यह कहते हुए एक चेतावनी जोड़ता है कि इस तरह के सूचीबद्ध विरासत भवनों/परिसरों के भूमि उपयोग में परिवर्तन एचसीसी की "पूर्व अनुमोदन" के बिना अनुमत नहीं है। इसमें लिखा हैः

> " *1.12* . सूचीबद्ध इमारतों/सूचीबद्ध क्षेत्रों की श्रेणीकरणः ..... सूचीकरण स्वामित्व या उपयोग में परिवर्तन को नहीं रोकता है।

राजीव सूरी बनाम। दिल्ली विकास प्राधिकरण और ओआरएस। *[*ए. एम. खानविलकर, जे.*]*

> हालांकि, इस तरह के सूचीबद्ध विरासत भवन के उपयोग में बदलाव /
>
> पूर्व अनुमोदन के बिना सूचीबद्ध क्षेत्रों की अनुमति नहीं है।
>
> विरासत संरक्षण समिति। उपयोग में होना चाहिए
> उक्त सूचीबद्ध विरासत स्थल के साथ सामंजस्य। .....
>
> *(* जोर दिया गया*)*
>
> इसलिए, यह आग्रह किया जाता है कि उपरोक्त दो भूखंडों के लिए, परिवर्तन

भूमि उपयोग एच. सी. सी. के पूर्व अनुमोदन पर निर्भर था। सबसे पहले यह पूर्व अनुमोदन आवश्यक है यदि भूमि उपयोग में परिवर्तन का प्रस्ताव केवल सूचीबद्ध विरासत भवन/सूचीबद्ध परिसरों से संबंधित है। अन्य संपत्तियों के लिए नहीं। किसी भी मामले में, रिकॉर्ड से पता चलता है कि उत्तरदाताओं द्वारा इस आवश्यकता का काफी हद तक पालन किया गया है।

324. निर्विवाद रूप से, एचसीसी का गठन नोडल के एक हिस्से के रूप में किया गया है।

मंत्रालय अर्थात एम. ओ. एच. यू. ए. और मंत्रालय के विशेष सचिव/अतिरिक्त सचिव को समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया जाता है। अन्य

एच. सी. सी. के सदस्यों में अतिरिक्त डी. जी. शामिल हैं। *(*वास्तुकला*)*, सी. पी. डब्ल्यू. डी., मुख्य योजनाकार, नगर और देश योजना संगठन, आयुक्त

(योजना*)*, डी. डी. ए., सचिव, डी. यू. ए. सी. आदि। वर्तमान मामले में, प्राधिकरण की दोनों बैठकों में, जिसमें भूमि उपयोग में परिवर्तन के प्रस्ताव पर विचार किया गया था, उन सभी एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल थे जिन्हें परियोजना को अपनी मंजूरी देने की आवश्यकता थी। डी. डी. ए. की दिनांकित *10.2.2020* की बैठक के कार्यवृत्त, जिसमें परियोजना प्रस्ताव को अंतिम अधिसूचना के लिए मंजूरी दी गई थी, से पता चलता है कि श्री कामरान रिज़वी, अतिरिक्त सचिव, एम. ओ. एच. यू. ए., भारत सरकार, जो एच. सी. सी. के नामित अध्यक्ष भी हैं, बैठक में उपस्थित थे और भूमि उपयोग में प्रस्तावित परिवर्तन के लिए एच. सी. सी. की मंजूरी में बिना शर्त शामिल हुए थे। इसके अतिरिक्त, हम ध्यान देते हैं कि एचसीसी के विभिन्न अन्य सदस्यों ने भी

दिसंबर, *2019* में तकनीकी समिति की बैठक में भाग लिया। एचसीसी के अध्यक्ष सहित उच्च अधिकारियों की भागीदारी में, यह सुरक्षित रूप से स्वीकार किया जा सकता है कि एचसीसी के उन अधिकारियों को परिवर्तन के संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी देने में उनकी भूमिका के बारे में पूरी तरह से सूचित और जागरूक किया गया था भूमि उपयोग में। दूसरे शब्दों में, एच. सी. सी. प्रक्रिया का एक हिस्सा था, जिसका प्रतिनिधित्व इसके अध्यक्ष और अन्य सदस्यों द्वारा किया जाता था। विचाराधीन प्रस्ताव पर उनकी मंजूरी उक्त बैठकों में विधिवत दर्ज की गई है। इसलिए, यह माना जाना चाहिए कि भूमि उपयोग में परिवर्तन के संबंध में एच. सी. सी. की मंजूरी निहित थी और उक्त बैठकों में दी गई मंजूरी में समझी गई थी। परिणामस्वरूप, खंड *1.12* के तहत "पूर्व अनुमोदन" का पर्याप्त अनुपालन होता है।

325. खंड *1.12* के तहत यह मंजूरी, हालांकि, एचसीसी की औपचारिक लिखित "पूर्व अनुमति" की आवश्यकता को समाप्त नहीं करती है। खंड *1.3* के अधीन। यह सूचीबद्ध विरासत भवनों/स्थलों पर विकास कार्य शुरू करने से पहले आवश्यक हो जाएगा और वह चरण अभी आना बाकी है, जिसमें भूखंड संख्या *118* पर निर्माण के संबंध में "विरासत भवन" *360* शब्द से प्रभावित होने की संभावना है, जिसमें भूमि के ऐसे हिस्से को शामिल किया गया है जो विरासत भवन *(*भूखंड संख्या *116* पर मौजूदा संसद भवन*)* या उसके हिस्से को बाड़ लगाने या ढकने के लिए या किसी भी तरह से ऐसे मौजूदा विरासत भवन के ऐतिहासिक और/या वास्तुशिल्प और/या सांस्कृतिक मूल्य को संरक्षित करने के लिए आवश्यक हो सकता है।

विरासत स्थलों पर विकास का दायरा

(पूर्व अनुमोदन विज़-ए-विज़ पूर्व अनुमति*)*

326. विकास/पुनर्विकास के संबंध में प्रतिबंधों का दायरा

विरासत भवनों/परिक्षेत्रों का विकास खंड *1.3* में बताया गया है।

उपनियम जो इस प्रकार हैं:

" *1.3* विकास/पुनर्विकास/मरम्मत आदि पर प्रतिबंध।

(i) कोई विकास या पुनर्विकास या इंजीनियरिंग संचालन नहीं।

या भवन की पेंटिंग, विशेष विशेषताओं के प्रतिस्थापन या प्लास्टरिंग सहित परिवर्धन/परिवर्तन, मरम्मत, नवीनीकरण या
उक्त सूचीबद्ध या सूचीबद्ध इमारतों के किसी भी हिस्से को ध्वस्त करना।

इसके अलावा परिसर या सूचीबद्ध प्राकृतिक विशेषता क्षेत्रों की अनुमति होगी।

अनुमति, संबंधित एजेंसी से परामर्श करेगा
द्वारा नियुक्त की जाने वाली विरासत संरक्षण समिति

सरकार और की सलाह के अनुसार कार्य करेगी
विरासत संरक्षण समिति।

सूचीबद्ध सड़कें या परिसर, या किसी भी सूचीबद्ध प्राकृतिक क्षेत्र में निर्माण
विशेषताएँ, या किसी भी सूचीबद्ध प्राकृतिक विशेषता की सीमाओं का परिवर्तन

360 "विरासत भवन का अर्थ है और इसमें एक या अधिक परिसरों या उसके किसी हिस्से का कोई भी भवन और/या संरचना और/या कलाकृति शामिल है जिसके लिए ऐतिहासिक और/या पर्यावरण और/या वास्तुकला और/या कारीगर और/या सौंदर्य और/या सांस्कृतिक और/या पर्यावरण और/या पारिस्थितिक उद्देश्य के लिए संरक्षण और/या संरक्षण की आवश्यकता होती है और इसमें ऐसी इमारत या उसके हिस्से से सटे भूमि का ऐसा हिस्सा शामिल है जो हो सकता है

बाड़ लगाने या ढकने के लिए या किसी भी तरह से ऐसी इमारत के ऐतिहासिक और/या वास्तुशिल्प और/या सौंदर्य और/या सांस्कृतिक मूल्य को संरक्षित करने के लिए आवश्यक है।

राजीव सूरी बनाम। दिल्ली विकास प्राधिकरण और ओआरएस। *[ए. एम. खानविलकर, जे.]*

जनता से क्षेत्र, आपत्तियाँ और सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे।

और विरासत संरक्षण समिति द्वारा विचार किया जाएगा।

(जोर दिया गया*)*

327. खंड *1.3* अपने आप में विकास को प्रतिबंधित नहीं करता है।

पुनर्विकास/इंजीनियरिंग संचालन/परिवर्तन/परिवर्धन आदि

विध्वंस या धरोहर भवनों में परिवर्तन की किसी भी व्यापक रोकथाम के लिए राशि। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वास्तव में विकास कार्य शुरू करने से पहले विरासत के दृष्टिकोण से संबंधित अधिकारियों से पूर्व अनुमति/मंजूरी प्राप्त करना एकमात्र आवश्यकता है। इस प्रकार समझा जाता है कि विरासत भवन/परिसर कानून में वस्तुतः अलंघनीय नहीं हैं। सूचीबद्ध धरोहर भवनों/स्थलों पर अनुमेय विकास की सीमा एच. सी. सी. के अधिकार क्षेत्र में है।

328. खंड *1.12* के अनुसार, सूचीबद्ध भवन/परिसर हो सकते हैं -

तीन श्रेणियों-ग्रेड *I, II* और *III* में वर्गीकृत किया गया है और इस तरह की श्रेणीकरण के आधार पर, ऐसे स्थानों पर विकास का दायरा निर्धारित किया जाना है। भौतिक विकास की सीमा विरासत भवनों/परिसरों की श्रेणीकरण के आधार पर निर्धारित की जा सकती है। उदाहरण के लिए:

((i)

बाहरी या आंतरिक रूप से हस्तक्षेप की अनुमति नहीं होगी।

विरासत भवन या प्राकृतिक विशेषताओं का, जब तक कि
सुदृढ़ीकरण और विस्तार के हित में आवश्यक,

इमारतों/या परिसरों या किसी भी भाग या विशेषताओं का जीवन

वहाँ से। इस उद्देश्य के लिए, बिल्कुल आवश्यक और न्यूनतम

परिवर्तनों की अनुमति दी जाएगी और उन्हें अनुरूप होना चाहिए।
मूल के साथ;

((ख)

आंतरिक परिवर्तन और अनुकूली पुनः उपयोग मोटे तौर पर हो सकता है
अनुमति है लेकिन सख्त जांच के अधीन है। ख्याल रखा जाएगा।

सभी विशेष पहलुओं का संरक्षण सुनिश्चित करना जिनके लिए

यह विरासत श्रेणी-*II* में शामिल है। उपरोक्त के अलावा,
एक ही भूखंड या परिसर में विस्तार या अतिरिक्त इमारत

कुछ परिस्थितियों में अनुमति दी जा सकती है बशर्ते कि

विस्तार/अतिरिक्त भवन *(*और *[2021] 15* एस. सी. आर. के अनुरूप है।

विशेष रूप से ऊंचाई और अग्रभाग के संदर्भ में मौजूदा विरासत भवन *(*भवनों*)* या परिसरों से अलग नहीं होता है;

(111) आंतरिक परिवर्तनों और अनुकूली पुनः उपयोग की अनुमति दी जा सकती है। परिवर्तनों में विस्तार और अतिरिक्त शामिल हैं

एक ही भूखंड या परिसर में इमारतें। हालाँकि, कोई भी परिवर्तन ऐसा होना चाहिए कि वे सामंजस्य में हों और ऐसा होना चाहिए कि वे मौजूदा से अलग न हों।

धरोहर भवन/परिसर।

329. यह स्पष्ट है कि मरम्मत की सीमा तक सीमित विकास

और ग्रेड-*I* इमारत में भी सुधार की अनुमति है। द. उत्तरदाताओं ने स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया है कि उपरोक्त प्रतिबंधों का उल्लंघन करते हुए सूचीबद्ध विरासत संरचनाओं में से किसी को भी छुआ नहीं जा रहा है। इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया गया है कि प्रस्तावित नई इमारत

*(*संसद भवन*)* एच. सी. सी. के अधिकार क्षेत्र से बाहर है क्योंकि यह एक अलग भूखंड *(*भूखंड संख्या *118)* पर स्थित है।

330. हालाँकि, *2016* के उपनियमों में प्रदान की गई अभिव्यक्ति "विरासत निर्माण" के अर्थ के आलोक में, उत्तरदाताओं से पूछा गया था कि क्या प्लॉट नं। *118* यह "ऐसी इमारत से सटे भूमि" अभिव्यक्ति के भीतर आएगा, जिससे यह श्रेणी-*I* संरचना के समान स्तर की जांच के लिए उत्तरदायी होगा। उत्तरदाताओं का कहना है कि प्लॉट नं। *118* एच. सी. सी. के दायरे से बाहर होगा। उस मुद्दे की जांच सबसे पहले एच. सी. सी. द्वारा की जानी चाहिए। हमें इन कार्यवाही में इसका जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। यदि और जब परियोजना प्रस्तावक भूखंड संख्या *118* पर काम शुरू करने से पहले एच. सी. सी. से स्पष्टीकरण/अनुमति मांगता है, तो एच. सी. सी. इसके लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके अपने गुण-दोष पर इसकी जांच करने के लिए स्वतंत्र है।

331. अनुमेय विकास के दायरे से संबंधित सिद्धांतों को बताने के बाद, हम यह स्पष्ट करते हैं कि हम न तो आगे बढ़ रहे हैं

नए संसद भवन के विकास का सवाल, और न ही इस सवाल पर कि "विरासत भवन" अभिव्यक्ति की व्याख्या इसके व्यापक भूखंड संख्या के भीतर होगी या नहीं। *118* साथ ही *(*निकटवर्ती भूमि पर स्थित होने के कारण*)*। क्योंकि, *2016* के उपनियम स्पष्ट रूप से कहते हैं कि उत्तरदाता आयुक्त, एम. सी. डी. से "पूर्व अनुमति" प्राप्त करने के लिए बाध्य हैं।

उपाध्यक्ष, डी. डी. ए. और अध्यक्ष, एन. डी. एम. सी. विकास कार्य शुरू होने से पहले और जब परियोजना प्रस्तावक नए संसद भवन के लिए प्लॉट संख्या *118* पर विकास कार्य शुरू करने का निर्णय लेता है तो उसी समय *(*यदि पहले से नहीं किया गया है*)* की मांग की जा सकती है। एच. सी. सी. राजीव सूरी बनाम के लिए निःशुल्क है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण और ओआरएस। *[*ए. एम. खानविलकर, जे.*]*

उस प्रस्ताव पर कानून के अनुसार निर्णय लें। हम इस पहलू पर आगे विस्तार नहीं करना चाहते हैं और इस संबंध में सभी प्रश्नों को खुला छोड़ना चाहते हैं।

सूचीबद्ध धरोहर भवनों/सूचीबद्ध परिसरों के परियोजना प्रस्तावकों द्वारा कार्य करना, जिसमें उनके आसपास की भूमि भी शामिल है। इनमें से प्रत्येक के चरण और उद्देश्य अलग-अलग हैं। दोनों ओवरलैप नहीं करते हैं। वर्तमान मामले में, पूर्ववर्ती अर्थात, संबंधित सूचीबद्ध भवनों/सूचीबद्ध परिसरों के भूमि उपयोग में परिवर्तन के लिए खंड *1.12* के तहत एच. सी. सी. द्वारा "पूर्व अनुमोदन" प्रदान किया गया है, जैसा कि संबंधित प्राधिकरण के कार्यवृत्त के रूप में दर्ज किया गया है, जिसे पहले संदर्भित किया गया है। इस प्रकार, अब जो आवश्यक है वह खंड *1.3* के तहत नामित प्राधिकरण की "पूर्व अनुमति" है, इससे पहले कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा सूचीबद्ध विरासत भवनों/परिसरों/प्राकृतिक विशेषता क्षेत्रों पर काम शुरू किया जाए, जिसमें भूखंड

संख्या *118 (*नए संसद भवन के निर्माण के लिए*)* शामिल है, जो पहले से ही ग्रेड *I* सूचीबद्ध विरासत भवन से सटे भूमि है, यदि पहले से प्राप्त नहीं है।

पर्यावरणीय सफाई *(*ईसी*)* *333.* अब हम ईसी की वैधता की जांच कर सकते हैं जो उन्हें दी गई है

प्लॉट नं. पर प्रस्तावित संसद परियोजना। *118* एमओईएफ द्वारा। अभिलेख पर प्रस्तुतियों और दस्तावेजों के गहन अवलोकन पर, इस भाग में हमारे विचार के लिए निम्नलिखित प्रश्न सामने आते हैं:

क्या उत्तरदाताओं ने *2006* के उल्लंघन में कार्य किया है

(1)

अधिसूचना और ओ. एम. दिनांक *24.12.2010* भारत सरकार द्वारा परिकल्पित पूरी परियोजना यानी सेंट्रल विस्टा परियोजना को एक ही समय में ई. सी. के लिए जमा नहीं करके*?*

((ख)

क्या आवेदक ने गलत वर्णन/गलत वर्गीकरण किया है

2006 की अधिसूचना के अनुसार मद *8 (*ए*)* में श्रेणी बी*2 (*भवन और निर्माण*)* परियोजना के रूप में संसद की परियोजना ताकि -

जाँच के स्तर को कम करना*?*

(iii)

क्या एमओईएफ द्वारा ईसी का अनुदान और सिफारिश ई. ए. सी. द्वारा विवेक का उपयोग न करने और कानून के अनुसार अपने जनादेश का निर्वहन करने में विफलता के कारण दूषित हो जाता है*?*

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

334. हम *2006* की अधिसूचना के तहत ईसी की आवश्यकता से संबंधित कानून की संक्षिप्त जांच करके इस चर्चा की शुरुआत कर सकते हैं। इस उद्देश्य के लिए

अधिसूचना के खंड *4* में मानव स्वास्थ्य, प्राकृतिक और मानव निर्मित संसाधनों पर स्थानिक सीमा और संभावित प्रभावों के आधार पर परियोजना/गतिविधि को श्रेणी ए या श्रेणी बी के रूप में वर्गीकृत करने की आवश्यकता है। वह इस प्रकार कहता है:

" 4. परियोजनाओं और गतिविधियों का वर्गीकरण:

(i) सभी परियोजनाओं और गतिविधियों को व्यापक रूप से दो श्रेणियों-श्रेणी ए और श्रेणी बी में वर्गीकृत किया गया है, जो मानव स्वास्थ्य पर संभावित प्रभावों और संभावित प्रभावों की स्थानिक सीमा पर आधारित है।

और प्राकृतिक और मानव निर्मित संसाधन।

99

खंड *6* में परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व ईसी के आवेदन का प्रावधान है। विशेष रूप से, यह खंड यह स्पष्ट करता है कि परियोजना के लिए संभावित स्थल की पहचान के बाद और निर्माण गतिविधि या भूमि की तैयारी के वास्तविक प्रारंभ से पहले आवेदन किया जाना चाहिए। वह इस प्रकार कहता हैः

" 6. पूर्व पर्यावरण मंजूरी *(*ईसी*)* के लिए आवेदनः

सभी मामलों में पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी के लिए एक आवेदन

इसे इसके साथ संलग्न निर्धारित प्रपत्र *1* में बनाया जाएगा और पूरक प्रपत्र *1* ए, यदि लागू हो, जैसा कि परिशिष्ट *2* में दिया गया है, किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले, परियोजना और/या गतिविधियों के लिए संभावित स्थल *(*स्थलों*)* की पहचान के बाद, जिनसे आवेदन संबंधित है।

आवेदक द्वारा स्थल पर निर्माण गतिविधि, या भूमि की तैयारी। आवेदक आवेदन के साथ, पूर्व-व्यवहार्यता परियोजना रिपोर्ट की एक प्रति प्रस्तुत करेगा, सिवाय इसके कि, निर्माण परियोजनाओं या गतिविधियों *(*अनुसूची की मद *8)* के मामले में

प्रपत्र *1* और पूरक प्रपत्र *1* ए के अलावा, पूर्व-व्यवहार्यता के बजाय, वैचारिक योजना की एक प्रति प्रदान की जाएगी।

रिपोर्ट करें "।

अनुसूची के मद *8* के तहत आने वाले मामलों में, पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट के बजाय, फॉर्म *1* और फॉर्म के साथ एक वैचारिक योजना की आपूर्ति की जानी है। आई. ए. याचिकाकर्ताओं ने एक तर्क दिया था कि प्रतिवादी राजीव सूरी बनाम के लिए आवेदन करते समय एक पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहे।

दिल्ली विकास प्राधिकरण और ओआरएस। *[* ए. एम. खानविलकर, जे.*]*

नए संसद भवन के निर्माण के लिए मंजूरी। जैसा कि ऊपर कहा गया है, कानून की स्थिति के आलोक में इसे अस्वीकार कर दिया जाता है।

335. 12.2.2020 पर आवेदन करते समय, परियोजना प्रस्तावक

ई. ए. सी. को तीन दस्तावेज़ प्रस्तुत किए थे, जिनमें अवधारणा भी शामिल थी।

योजना और इस गिनती पर कोई दुर्बलता नहीं पाई जाती है। आवेदन पत्र में इस प्रकार कहा गया हैः

"..... हम आपकी तरह के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ संलग्न कर रहे हैं।

अवलोकन करें।

1. ई. आई. ए. अधिसूचना *2006* के अनुसार प्रपत्र *1*।

2. ई. आई. ए. अधिसूचना *2006* के अनुसार फॉर्म *1* ए विधिवत सभी से भरा गया है।
आवश्यक अनुलग्नक रेखाचित्र/योजनाएं।

3. अवधारणात्मक योजना "।

336. आवेदन जमा करने के बाद, जांच प्रक्रिया चलती है।

खंड *7* के अनुसार चार व्यापक चरणों के माध्यम से। विशेष रूप से, खंड यह स्पष्ट करता है कि सभी परियोजनाओं में सभी चार चरणों की आवश्यकता नहीं हो सकती है और यह कई अन्य कारकों पर निर्भर करेगा जैसा कि हम देखेंगे। चार चरणों को इस प्रकार क्रमबद्ध किया गया है:

"*I.* चरण *(1)*-जाँच:

श्रेणी 'बी' परियोजनाओं या गतिविधियों के मामले में, इस चरण में निम्नलिखित शामिल होंगे:

पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी की मांग करने वाले आवेदन की जांच

संबंधित राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन द्वारा प्रपत्र *1* में किया गया

परियोजना है या नहीं, यह निर्धारित करने के लिए समिति *(*एस. ई. ए. सी.*)*
या गतिविधि के लिए आगे के पर्यावरण अध्ययन की आवश्यकता है

पर्यावरण प्रभाव आकलन *(*ई. आई. ए.*)* की तैयारी
पर्यावरण मंजूरी देने से पहले इसके मूल्यांकन के लिए

प्रकृति और स्थान की विशिष्टता के आधार पर

मूल्यांकन रिपोर्ट को श्रेणी 'बी*1*' कहा जाएगा और शेष
परियोजनाओं को श्रेणी 'बी*2*' कहा जाएगा और इसके लिए कोई आवश्यकता नहीं होगी।

पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट। के वर्गीकरण के लिए

मद *8 (*ख*)* को छोड़कर बी*1* या बी*2* में परियोजनाएं, मंत्रालय

पर्यावरण और वन उचित दिशा-निर्देश जारी करेंगे

समय-समय पर। "

(जोर दिया गया*)*

इस चरण का अंतर्निहित विचार जांच के स्तर का विश्लेषण करना है।

कि एक विशेष परियोजना से गुजरना चाहिए और क्या आगे के चरण *[2021] 15* एस. सी. आर.

आकर्षित होगा या नहीं। जाँच के चरण में, ई. ए. सी. यह तय करता है कि आगे के मूल्यांकन के लिए प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट की आवश्यकता है या प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट के बिना इस तरह के मूल्यांकन की अनुमति होगी। यह आगे यह स्पष्ट करता है कि एक बार किसी परियोजना को बी*2* परियोजना के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

जाँच चरण के बाद, किसी भी पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट *36* की आवश्यकता नहीं होगी।

इसके बाद, "स्कोप" का दूसरा चरण आता है, जो है

के रूप में परिभाषित कियाः

" II. चरण *(2)*-व्याप्तिः

*((i) "*स्कोप"*:* यह उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके द्वारा श्रेणी 'ए' परियोजनाओं या गतिविधियों के मामले में विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति और श्रेणी 'बी*1'* परियोजनाओं या गतिविधियों के मामले में राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, जिसमें विस्तार और/या आधुनिकीकरण के लिए आवेदन और/या मौजूदा परियोजनाओं या गतिविधियों के उत्पाद मिश्रण में परिवर्तन, पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन *(*ई. आई. ए.*)* की तैयारी के लिए सभी प्रासंगिक पर्यावरणीय चिंताओं को संबोधित करते हुए विस्तृत और व्यापक संदर्भ शर्तें *(*टी. ओ. आर.*)* निर्धारित करती है।

परियोजना या गतिविधि के संबंध में रिपोर्ट जिसके लिए पूर्व में
पर्यावरण मंजूरी मांगी गई है "।

यह परिभाषा तब यह स्पष्ट करती है कि अनुसूची की मद *8* में श्रेणी बी *2* के रूप में वर्गीकृत परियोजनाओं के लिए कोई दायरा अनिवार्य नहीं है और ऐसी परियोजनाओं का मूल्यांकन फॉर्म *I* और फॉर्म *I* के आधार पर किया जाएगा। यह उल्लेख किया जाता है किः

"..... अनुसूची की मद *8 (*निर्माण/टाउनशिप/वाणिज्यिक परिसर/आवास*)* में श्रेणी 'बी' के रूप में सूचीबद्ध सभी परियोजनाओं और गतिविधियों के लिए दायरे की आवश्यकता नहीं होगी और इनका मूल्यांकन इस आधार पर किया जाएगा - प्रपत्र *1/*प्रपत्र *1* ए और
वैचारिक योजना का आधार।

भारत के राजपत्र में प्रकाशित एस. ओ. *996 (*ई*)* दिनांक *10.4.2015* में यह भी स्पष्ट किया गया है कि बी श्रेणी के अंतर्गत आने वाली परियोजनाएं वस्तु के विरुद्ध हैं। *8 (* क*)* स्कोप की आवश्यकता नहीं है। इसके प्रासंगिक उद्धरण इस प्रकार नोट करते हैं:

" बशर्ते कि निम्नलिखित के लिए स्कोप की आवश्यकता नहीं होगी
(i) श्रेणी 'बी' के तहत सूचीबद्ध सभी परियोजनाएं और गतिविधियाँ

अनुसूची की मद *8 (*ए*);*

361 संक्षेप में, "ई. आई. ए. रिपोर्ट" राजीव सूरी बनाम।

दिल्ली विकास प्राधिकरण और ओआरएस। *[* ए. एम. खानविलकर, जे.*]*

इसमें आगे कहा गया है कि उपरोक्त खंड में निर्दिष्ट परियोजनाओं/गतिविधियों का मूल्यांकन प्रपत्र *I*, प्रपत्र *I* और प्रपत्र *I* के आधार पर किया जाएगा।

इस प्रकार वैचारिक योजनाः

" बशर्ते कि

(ए*)* खंड *(I)* में निर्दिष्ट परियोजना और गतिविधियों का मूल्यांकन प्रपत्र *I* या प्रपत्र *IA* और वैचारिक योजना के आधार पर किया जाएगा*;*

तीसरा चरण सार्वजनिक परामर्श का है जिसे इस प्रकार परिभाषित किया गया हैः

" *III.* चरण *(3)*-सार्वजनिक परामर्शः

(i*)* "सार्वजनिक परामर्श" उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके द्वारा

स्थानीय प्रभावित व्यक्तियों और अन्य लोगों की चिंताएँ जिनकी परियोजना या गतिविधि के पर्यावरणीय प्रभावों में प्रशंसनीय हिस्सेदारी है

परियोजना या गतिविधि डिजाइन में सभी सामग्री चिंताओं को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाता है। सभी श्रेणी 'ए' और श्रेणी बी*1* परियोजनाएं या गतिविधियाँ सार्वजनिक परामर्श का कार्य करेंगी, सिवाय निम्नलिखित केः -

(घ*)* सभी भवन/निर्माण परियोजनाएं/क्षेत्र विकास

परियोजनाएँ और टाउनशिप *(*मद *8)*।
(ङ*)* सभी श्रेणी *'*बी*2'* परियोजनाएं और गतिविधियाँ।

99

(जोर दिया गया*)*

337. इसमें कोई संदेह नहीं है कि सार्वजनिक परामर्श की कोई आवश्यकता नहीं है

मद *8 (*ए*)* में श्रेणी बी *2* परियोजनाओं और भवन या निर्माण परियोजनाओं में। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस तरह का परामर्श, जहां भी आवश्यक हो, स्थानीय रूप से प्रभावित व्यक्तियों और अन्य लोगों की चिंताओं को पूरा करने के लिए है, जिनकी परियोजना या गतिविधि के पर्यावरणीय प्रभावों में प्रशंसनीय हिस्सेदारी है।

338. चौथा और सबसे प्रमुख चरण मूल्यांकन का है। यह है।

विशेषज्ञ समिति द्वारा प्रस्ताव की वास्तविक जांच का चरण। परिभाषा स्वयं यह स्पष्ट करती है कि सभी परियोजनाओं के लिए जांच का कोई समान और अपरिवर्तनीय मानक नहीं है, चाहे उनका विस्तार और प्रकृति कुछ भी हो। मूल्यांकन को इस प्रकार परिभाषित किया गया हैः

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

"*IV.* चरण *(4)*-मूल्यांकनः
(i) मूल्यांकन का अर्थ है विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति या राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति द्वारा विस्तृत जांच।

आवेदन और अन्य दस्तावेज जैसे अंतिम ई. आई. ए. रिपोर्ट, पर्यावरण मंजूरी देने के लिए आवेदक द्वारा संबंधित नियामक प्राधिकरण को प्रस्तुत सार्वजनिक सुनवाई कार्यवाही सहित सार्वजनिक परामर्श का परिणाम। यह मूल्यांकन विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति या संबंधित राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति द्वारा पारदर्शी तरीके से की जाएगी, जिसमें आवेदक को आवश्यक प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

व्यक्तिगत रूप से या किसी अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से स्पष्टीकरण। इस कार्यवाही के समापन पर, संबंधित विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति या राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति निर्धारित नियमों और शर्तों पर पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी देने या पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी के लिए आवेदन को अस्वीकार करने के लिए संबंधित नियामक प्राधिकरण को स्पष्ट सिफारिशें करेगी।

पुनरावृत्ति की कीमत पर, यद्यपि कानूनी स्थिति पर स्पष्टता के लाभ के साथ, हम ध्यान देते हैं कि खंड *(ii)* उसी कानूनी स्थिति को दोहराता है जो सामग्री के संबंध में है जिसके आधार पर श्रेणी बी आइटम *8 (ए)* परियोजनाओं *(*परियोजनाओं को सार्वजनिक परामर्श की आवश्यकता नहीं है*)* का मूल्यांकन किया जाना है। यह कहा गया है किः

"*((ii)* उन सभी परियोजनाओं या गतिविधियों का मूल्यांकन, जिन्हें सार्वजनिक परामर्श से गुजरने या पर्यावरण प्रभाव प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

मूल्यांकन रिपोर्ट, निर्धारित आवेदन प्रपत्र *1* और प्रपत्र *1* ए, उपलब्ध किसी भी अन्य प्रासंगिक मान्य जानकारी के आधार पर की जाएगी और विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति या संबंधित राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति द्वारा जहां भी आवश्यक समझा जाता है, वहां साइट का दौरा किया जाएगा।

और सभी परियोजनाओं के लिए समान स्तर की जांच निर्धारित नहीं करता है। *340.* अब हम परियोजनाओं/गतिविधियों के वर्गीकरण के आधार की जांच कर सकते हैं। अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में शामिल है -

"पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी की आवश्यकता वाली परियोजनाओं या गतिविधियों की सूची।

श्रेणी बी में मद *8* को दो उप-श्रेणियों में विभाजित किया गया है-मद *8 (ए)* जिसका शीर्षक "भवन और निर्माण परियोजनाएं" है और मद *8 (*बी*)* जिसका शीर्षक "टाउनशिप और क्षेत्र विकास परियोजनाएं" है। यह अंतर प्रस्तावित परियोजना के निर्मित क्षेत्र के विस्तार में निहित है। अनुसूची निर्दिष्ट करती है कि *20,000* वर्ग मीटर और *1,50,000* वर्ग मीटर के बीच आने वाले निर्मित क्षेत्र वाली परियोजना को मद *8 (ए)* में भवन और निर्माण परियोजना के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। विशेष रूप से, "निर्मित क्षेत्र" शब्द को इस प्रकार परिभाषित किया गया है:

> "..... सभी मंजिलों पर निर्मित या ढका हुआ क्षेत्र एक साथ रखा गया है,
>
> इसके तहखाने और अन्य सेवा क्षेत्रों सहित, जो भवन या निर्माण परियोजनाओं में प्रस्तावित हैं।

341. परियोजना प्रस्तावक और अंतिम ई. सी. द्वारा प्रस्तुत प्रपत्र *I* और प्रपत्र आई. ए. के अनुसार, यह अभिलेख की बात है कि प्लॉट नं. *116 (*जो मौजूदा संसद भवन*)* का निर्मित क्षेत्र *44,940* वर्ग मीटर है और प्रस्तावित निर्मित क्षेत्र प्लॉट नं. *118 65, 000* वर्ग मीटर है। इसलिए, प्रस्तावित परियोजना में शामिल कुल निर्मित क्षेत्र *1,04,740* वर्ग मीटर है और *2006* की अधिसूचना में दिए गए विनिर्देश के अनुसार, परियोजना को

मद *8 (ए)* में श्रेणी बी परियोजना के रूप में वर्गीकृत। ऊपर उल्लिखित कानूनी स्थिति के आलोक में, इस परियोजना का मूल्यांकन फॉर्म *I* और फॉर्म *IA* के आधार पर अनिवार्य है। याचिकाकर्ता के तर्क के विपरीत,

विषय परियोजना के लिए कार्यक्षेत्र और सार्वजनिक परामर्श की आवश्यकताएं आवश्यक नहीं हैं।

342. याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि प्रतिवादियों ने सेंट्रल विस्टा से संसद परियोजना को अलग करके परियोजना का गलत वर्णन/गलत वर्गीकरण करने में गड़बड़ी का सहारा लिया।

परियोजना। हालांकि, एक करीबी और व्यापक जांच पर, हमारा मानना है कि तर्क में योग्यता का अभाव है। तर्क इस तथ्य से समर्थन प्राप्त करता है कि परामर्श सेवाओं और सार्वजनिक सूचना के लिए निविदा में

भूमि उपयोग में परिवर्तन के लिए आपत्तियां आमंत्रित करते हुए, उत्तरदाताओं ने परियोजना को एक समान समग्र के रूप में संदर्भित किया था।

343. मुख्य रूप से, योजना और विकास गतिविधि के मामले में, सरकार के पास प्रकृति तय करने का एकमात्र विशेषाधिकार है,

विकास कार्यों का विस्तार और समय-सीमा। सरकार एक बार में पूरे क्षेत्र का विकास शुरू करने या चरणबद्ध तरीके से करने का विकल्प चुन सकती है। हम जल्दबाजी में यह जोड़ते हैं कि सरकार का यह विशेषाधिकार नियमों, विनियमों और अन्य प्रक्रियाओं के उचित पालन के अधीन है। न्यायालय की जांच यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि सरकार शासन के कार्य में अपनी सीमाओं का उल्लंघन न करे। एक सलाहकार को आमंत्रित करने और परियोजना में शामिल भूमि के उपयोग को बदलने के उद्देश्य से, यह *[2021] 15* एस. सी. आर है।

एक परियोजना, जिसके पीछे का विचार डिजाइन और दक्षता की एकरूपता सुनिश्चित करना है। यह कभी न खत्म होने वाला चक्र होगा। इसमें सलाहकार का काम पूरी परियोजना के लिए एक बार में एक दृष्टि दस्तावेज प्रस्तुत करना था ताकि सरकार अनुमोदित रूपरेखा के अनुसार आगे की कार्रवाई की योजना बनाने की स्थिति में हो। इस तरह की परामर्श सेवाओं को टुकड़ों में लेने की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। इसलिए, केवल इसलिए कि परियोजना को उपरोक्त उद्देश्यों के लिए एक संचयी के रूप में प्रस्तुत किया गया था, यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि सरकार गर्भधारण के चरण से निष्पादन के चरण तक इसे इस तरह से मानने का इरादा रखती है या कानूनी रूप से बाध्य है। *344.* जो भी हो, एक बार जब सरकार ने यह सुनिश्चित कर लिया है कि भूमि का प्रस्तावित उपयोग वांछित उद्देश्यों के साथ सुसंगत है और साथ ही

मौजूदा उपयोग और विकास के एक समान दृष्टिकोण को अंतिम रूप दिया है, यह चरणबद्ध तरीके से परियोजना को समयबद्ध करने के लिए नीति के अपने क्षेत्र के भीतर होगा।

वास्तविक निष्पादन के उद्देश्य के लिए तरीका। इस तरह का चरण विभिन्न कारकों के आधार पर हो सकता है, जिसमें विभिन्न घटकों के लिए वित्तपोषण का स्रोत, विभिन्न घटकों का उद्देश्य, संचालन संबंधी आवश्यकताएं, आवश्यकता की निकटता शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।

भूमि का स्वामी या अधिकृत उपयोगकर्ता। इस प्रकार, एक प्रासंगिक कारक जिसे ध्यान में रखा जाना चाहिए वह है भूमि के स्वामित्व या नियंत्रण का तथ्य। इस मामले में, संसद परियोजना में शामिल भूमि लोकसभा सचिवालय के नियंत्रण में है और सामान्य केंद्रीय सचिवालय परियोजना में शामिल अन्य भूखंड एल एंड डीओ, एमओएचयूए के स्वामित्व में हैं। इसके अलावा, यह ध्यान रखना उचित है कि संसद परियोजना का वित्तपोषण लोकसभा सचिवालय द्वारा किया जा रहा है, जबकि शेष परियोजनाओं का वित्तपोषण विभिन्न मंत्रालयों द्वारा किया जाएगा। इस प्रकार, संरचनाओं का स्वामित्व अलग-अलग होगा

संस्थाएं, हालांकि भारत सरकार का हिस्सा हैं। विशेष रूप से, संसद परियोजना राज्य के एक अलग अंग यानी विधानमंडल की सेवा के लिए है, जबकि शेष परियोजनाओं का उद्देश्य सामान्य रूप से कार्यपालिका और विशेष रूप से भारत सरकार के विभिन्न विभागों की जरूरतों को पूरा करना है। यह भी रिकॉर्ड की बात है कि संसद की परियोजना के लिए प्रस्तावित समय सीमा *2022* में समाप्त हो जाएगी, जबकि शेष परियोजनाएं *2026* तक चलेंगी।

345. उपरोक्त मतभेदों के अलावा, हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रस्तावित संसद परिसर और उसके बीच डिजाइन की कोई समानता नहीं है। केंद्रीय सचिवालय। प्रचालन संबंधी दृष्टिकोण से भी, दोनों परियोजनाओं की अलग-अलग प्रचालन संबंधी चिंताएँ हैं और ये राजीव सूरी बनाम पर निर्भर नहीं हैं।

दिल्ली विकास प्राधिकरण और ओआरएस। *[ए. एम. खानविलकर, जे.]*

एक-दूसरे को किसी भी उद्देश्य के लिए। संसद का कामकाज किसी भी तरह से नए केंद्रीय सचिवालय की उपलब्धता पर निर्भर नहीं है। संसद वर्ष के दौरान सीमित अंतराल पर कार्य करती है, जबकि केंद्रीय मंत्रालयों के कार्यालय पूरे वर्ष में अपना कार्य जारी रखते हैं। वर्ष और इसलिए, इन दोनों परियोजनाओं के पदचिह्न और उपयोगिता अलग-अलग हैं।

346. यह ध्यान देने योग्य नहीं होगा कि परिवर्तन भी

नीति को शासन के अभिन्न कार्य के रूप में अच्छी तरह से पहचाना जाता है। कर्नल ए. एस. सांगवान बनाम भारत संघ और अन्य। *3 62*, न्यायालय ने नीतिगत मामलों में परिवर्तन की संभावना को सही नोट किया और इस प्रकार नोट किया:

> *"4.* ..... एक बार बनाई गई नीति हमेशा के लिए अच्छी नहीं होती है।
>
> पूरी तरह से भारत संघ की क्षमता के भीतर
>
> इसे बदलें, इसे बदलें, इसे समायोजित करें और इसके अनुसार इसे फिर से समायोजित करें
>
> परिस्थितियों और अनिवार्यताओं की मजबूरियाँ
>
> राष्ट्रीय विचार। हम अदालत के रूप में निर्देश नहीं दे सकते।
>
> राज्य को छोड़कर रक्षा मंत्रालय को कैसे काम करना चाहिए
>
> कि मनमाने ढंग से कार्य न करने और कर्मचारियों के साथ व्यवहार करने का दायित्व
>
> समान रूप से भारत संघ पर बाध्यकारी है क्योंकि यह
>
> संविधान के तहत कार्य करता है और इसके ऊपर नहीं। इस दृष्टि से हम
>
> भारत संघ के निवेदन से सहमत हैं कि कोई नहीं है
>
> *1964* में तैयार की गई नीति को बदलने पर रोक यदि कुछ अच्छे हों तो
>
> और ऐसा करने के लिए भारी कारण। हम सुझाव देने से बहुत दूर हैं
>
> कि एक नई नीति केवल चूक के कारण बनाई जानी चाहिए
>
> समय, और न ही हम उस तरीके का सुझाव देने के लिए इच्छुक हैं जिसमें
>
> नीति बनाई जानी चाहिए। यह पूरी तरह से उचित है।
>
> भारत संघ का विवेकाधिकार। यह पहले की नीति पर कायम रह सकता है।
>
> या इसे छोड़ दें। लेकिन संविधान की एक अनिवार्यता कला में निहित है।
>
> *14* यह है कि यदि वह अपनी नीति बदलता है, तो उसे निष्पक्ष रूप से ऐसा करना चाहिए और करना चाहिए
>
> यह धारणा न दें कि यह किसी भी पूर्ववर्ती मानदंड से कार्य कर रहा है या
>
> मनमाने ढंग से "।
>
> *(* जोर दिया गया*)*
>
> रसायन और उर्वरक मंत्रालय के सचिव,

भारत सरकार बनाम। सिप्ला लिमिटेड और *Ors.*[3]*6*[3] *363*, न्यायालय ने न्यायिक समीक्षा में नीतिगत दस्तावेजों से निपटने के लिए सही दृष्टिकोण की व्याख्या की और इस प्रकार नोट किया:

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बहुत अधिक कानूनवाद को समझने में आयात नहीं किया जा सकता है
नीति में निहित खंडों का दायरा और अर्थ

सूत्रीकरण। साथ ही केंद्र सरकार ने

नीति निर्माता और प्रतिनिधि की दोहरी भूमिका को जोड़ती है

विधायी शक्ति, अपनी मीठी इच्छा और खुशी से प्रयास नहीं कर सकती
चयन के मामले में स्वयं विकसित नीतिगत दिशानिर्देशों के अनुसार

मूल्य नियंत्रण के लिए दवाएँ। सरकार ने खुद इस बात पर जोर दिया कि

सभी क्षेत्रों में लागू किए जाने वाले पारदर्शी मानदंडों को विकसित करने और अपनाने की आवश्यकता है

बोर्ड ताकि व्यक्तिपरक दृष्टिकोण की गुंजाइश को कम किया जा सके और

इसलिए विशिष्ट मानदंडों के साथ आगे आए। यह किसी का मामला नहीं है।

कि किसी भी अच्छे कारण से, नीति या मानदंडों को बदल दिया गया है
या अनुपालन के लिए अव्यवहारिक हो गए हैं। ऐसा होने पर,

सरकार को अपनी प्रत्यायोजित विधायी शक्ति का प्रयोग करना चाहिए

द्वारा निर्धारित मानदंडों को लागू करने का वास्तविक और गंभीर प्रयास करें
स्वयं। प्रत्यायोजित विधान जो नीति निर्माण का अनुसरण करता है

व्यापक रूप से और काफी हद तक उस नीति के अनुरूप होना चाहिए,

अन्यथा यह जमीन पर हमले के लिए असुरक्षित होगा

मनमानी के परिणामस्वरूप अनुच्छेद *14* का उल्लंघन होता है।

(जोर दिया गया*)*

347. सूराराम प्रताप रेड्डी और ओआरएस में। वी. जिला कलेक्टर,

रंगा रेड्डी जिला। *& Ors.364,* न्यायालय ने स्पष्ट रूप से नोट किया है कि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए जो अनिवार्य है उसका निर्धारण सरकार का एक क्षेत्र है और जब तक कि इस तरह का निर्णय अनुचित नहीं पाया जाता है।

यदि कोई क़ानून या तर्कहीन या अनुचित या धोखाधड़ी से दूषित है, तो अदालतों के लिए हस्तक्षेप करने का कोई अवसर नहीं है। सूराराम प्रताप रेड्डी *365* में, न्यायालय ने सार्वजनिक उद्देश्य की गतिशील प्रकृति को इस प्रकार नोट कियाः

" 108. ..... यह भी देखा गयाः *(* मोतीभाई मामला ए. आई. आर., *1961* गुजरात

93 एयर पी। *104 ,* पैरा *43)* *" 43.* सार्वजनिक उद्देश्य स्थायी नहीं है। एक का दायरा

अभिव्यक्ति जो जनता के सामान्य हित को जोड़ती है

जैसे-जैसे सामाजिक और आर्थिक स्थितियाँ बदलती हैं, उन्हें बदलना चाहिए। सामाजिक और आर्थिक सिद्धांतकार एक अत्यंत व्यापक के लिए संघर्ष कर सकते हैं

364 (2008) 9 एस. सी. सी. *552* *365 (363* पर ऊपर*)*

राजीव सूरी बनाम। दिल्ली विकास प्राधिकरण और ओआरएस। *[* ए. एम. खानविलकर, जे.*]*

सार्वजनिक उद्देश्य की इस अवधारणा का अनुप्रयोग और अधिक जोर देना

जनता के सामान्य हित का तत्व। प्रतिक्रियावादी दूसरी ओर इसके स्थानांतरण पर सख्त प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया जा सकता है।

सीमाएँ और जोर देने में किसी भी बदलाव का विरोध करें। का वास्तविक नियम

ऐसा लगता है कि मामला बीच में है। अदालत भी संलग्न नहीं करेगी गतिविधि या एजेंसी के स्पष्ट चरित्र के लिए बहुत अधिक वजन

लेकिन नियम को लागू करने के पक्ष में झुकना पसंद करेंगे

जो मामले के सार को ध्यान में रखता है और गले लगाता है

गतिविधियाँ, जुड़ाव और संचालन जो सेवा करेंगे

सार्वजनिक हित से प्रभावित होने के रूप में सामान्य भलाई। द. इस नियम का उपयोग आधुनिक आर्थिक प्रणाली पर निर्भर होना चाहिए

एक कल्याणकारी राज्य जिसकी अपनी आवश्यकताएँ और समस्याएं हों।

नियम का अनुप्रयोग अधिकार द्वारा नियंत्रित नहीं होगा।

भेदभाव और न ही आर्थिक सिद्धांत की अनुमति दी जाएगी

रूपों और रुचियों के मिश्रण से धुंधला होना।

(जोर दिया गया*)*

348. यह सच है कि *2006* की अधिसूचना एक संचयी के लिए निर्धारित करती है

प्रभाव मूल्यांकन। हम इस प्रस्ताव से सहमत हैं कि पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन का मूल उद्देश्य किसी परियोजना के संचयी प्रभाव को निर्धारित करना और कम करना है-यदि परियोजना प्रस्तावक एक साथ या उचित समय के भीतर विकास शुरू करने का इरादा रखता है। हालाँकि, "संचयी प्रभाव/प्रभाव" अभिव्यक्ति के अर्थ को कला की अभिव्यक्ति के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। यह एक स्वतंत्र परियोजना को अलग करने से नहीं कतराता है। इस प्रकृति की जाँच में, सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता किसी परियोजना के सटीक विस्तार की पहचान करना है। इस उद्देश्य के लिए, पहला स्रोत प्रपत्र *I* में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रदान की गई जानकारी है क्योंकि इसमें स्पष्ट रूप से किसी भी परस्पर जुड़ी परियोजनाओं के बारे में जानकारी की आवश्यकता होती है। उस जानकारी की प्राप्ति के बाद, ई. ए. सी. पर यह जाँचने और जांच करने का दायित्व पड़ता है कि क्या परियोजना में और भी कुछ है जिसे इसकी जांच से बाहर रखा गया है। यह बाद की जांच इस पर निर्भर है कि

परियोजना की प्रकृति क्योंकि इसमें सभी का सामूहिक विचार शामिल होगा किसी परियोजना के संचालन संबंधी पहलू। इसका मतलब यह नहीं है कि स्वतंत्र परियोजनाओं को एक व्यक्तिपरक धारणा पर जोड़ा जाए कि सामूहिक रूप से ऐसा करना आवश्यक है।

'संचयी' शब्द को 'परियोजना' शब्द के साथ पढ़ा जाना चाहिए और संचयी प्रभाव की जांच के पीछे का विचार प्रभाव का आकलन करना है। परियोजना के सभी कार्यात्मक घटकों को शामिल करते हुए, न कि किसी क्षेत्र में चल रही सभी विकास गतिविधियों को।

349. एम. ओ. ई. एफ. द्वारा जारी किए गए कार्यालय ज्ञापन दिनांक *7.10.2014* के साथ पठित *2006* की अधिसूचना के आलोक में, यह तय किया गया है कि पर्यावरण मंजूरी हमेशा स्थल विशिष्ट होती है और इसे परियोजना पर काम के वास्तविक प्रारंभ से पहले ही प्राप्त करने की आवश्यकता होती है, न कि उससे पहले। इस प्रकार, इस तर्क का कोई ठोस आधार नहीं है कि केंद्रीय सचिवालय परियोजना का मूल्यांकन संसद परियोजना के साथ किया जाना चाहिए। क्योंकि, पूर्व परियोजना के संबंध में कार्य शुरू होने का चरण अभी तक नहीं पहुंचा है और निर्विवाद रूप से यह पूरी तरह से एक अलग स्थान पर होगा।

एक बार। यह एक विकास गतिविधि की अग्रिम योजना के पूरे उद्देश्य को विफल कर देगा। नियोजन में नियामक आवश्यकताओं सहित विभिन्न प्रकार की चिंताओं पर गहन विचार करना शामिल है। यह हुआ फैसला अलग-अलग परियोजनाओं के लिए अलग-अलग समयसीमा और उद्देश्यों को जिम्मेदार ठहराना योजना का एक क्षेत्र है और न्यायालय आसानी से इस तरह के सूचित निर्णय के लिए दुर्भावना के लेबल को तब तक जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता जब तक कि कोई स्पष्ट प्रयास न हो।

कानून की आवश्यकताओं से बचना। उल्लेखनीय है कि संसद की परियोजना

इसमें दो घटक शामिल हैं-मौजूदा भवन का नवीनीकरण और निकटवर्ती भूखंड पर नए भवन का निर्माण-और इन दोनों घटकों को परियोजना प्रस्तावक द्वारा सामूहिक मूल्यांकन के लिए प्रस्तुत किया गया है। यदि इन घटकों को अलग किया जाता और टुकड़ों-टुकड़ों में निकासी के लिए प्रस्तुत किया जाता, तो यह परियोजना को "केक-स्लाइसिंग" का मामला होता। क्योंकि, ये दोनों घटक कार्यात्मक और आंतरिक रूप से हैं। जुड़ा हुआ है और संचयी रूप से माना जाना चाहिए।

351. याचिकाकर्ताओं का ओ. एम. दिनांक *24.12.2010* पर भरोसा जिसका शीर्षक था "एकीकृत और आपस में जुड़ी परियोजनाओं पर विचार-प्रक्रिया"

"के बारे में गलत है। इस ओ. एम. का वास्तविक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जिन परियोजनाओं में बहु-क्षेत्रीय घटक शामिल हैं, उन्हें परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्षेत्रीय तरीके से विच्छेदित नहीं किया जाए, जिससे ई. ए. सी. का निर्माण हो सके।

किसी परियोजना के बहुआयामी पहलुओं का आकलन करने में असमर्थ। इस ओ. एम. की प्रयोज्यता के लिए पहली और सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता यह है कि विषय परियोजना में बहु-क्षेत्रीय घटक शामिल होने चाहिए। इस मामले में बहु-क्षेत्रीय घटक शामिल नहीं हैं क्योंकि यह एक सरल निर्माण परियोजना है। यदि किसी परियोजना में बहु-क्षेत्रीय घटक शामिल नहीं हैं, तो ई. ए. सी. के लिए इस पहलू की जांच करने का कोई अवसर नहीं है। "एकीकृत" और "परस्पर जुड़े" शब्द इस संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।

राजीव सूरी बनाम। दिल्ली विकास प्राधिकरण और ओआरएस। *[* ए. एम. खानविलकर, जे.*]*

किसी भी दो गतिविधियों/परियोजनाओं को एकीकृत या आपस में जुड़ा हुआ कहा जा सकता है जब वे कार्यात्मक रूप से इस तरह से जुड़े होते हैं कि एक की संचालन क्षमता आंतरिक रूप से दूसरे की संचालन क्षमता पर निर्भर होती है। यह एक वैज्ञानिक और कार्यात्मक संबंध है, न कि एक काल्पनिक या सैद्धांतिक संबंध। संचयी प्रभाव पर उपरोक्त चर्चा इस स्थिति का पूरक है। पर्यावरण और पारिस्थितिकी शब्दकोश *3* में, एकीकृत दृष्टिकोण

प्रदूषण नियंत्रण को उस रूप में परिभाषित किया गया है जो "एक प्रक्रिया" से सभी इनपुट और आउटपुट को ध्यान में रखता है। यह इंगित करता है कि रणनीति विचाराधीन प्रक्रिया और उस प्रक्रिया के प्रभावों को विनियमित और निगरानी करने के लिए होनी चाहिए जो "वास्तव में चल रही है"। क्योंकि, वास्तविक चिंता एक चल रही प्रक्रिया को उसके प्रभावों, यदि कोई हो, को कम करके विनियमित करने की होनी चाहिए, और उन प्रक्रियाओं के प्रभावों का अनुमान लगाने की नहीं होनी चाहिए जो इस समय चल नहीं रहे हैं, बल्कि केवल भविष्य की प्रक्रियाएं हैं। संचयी मूल्यांकन का ऐसा महत्व नहीं हो सकता है। वह इस प्रकार है:

" एकीकृत प्रदूषण नियंत्रण, एकीकृत प्रदूषण

रोकथाम और नियंत्रण।
एक दृष्टिकोण जो एक से सभी इनपुट और आउटपुट को देखता है

प्रक्रिया जो प्रदूषण का कारण बनती है और अन्य कारकों को नियंत्रित करती है
साथ ही उत्सर्जन "।

(जोर दिया गया*)*

वास्तुकला और निर्माण शब्दकोश *367* में,

अभिव्यक्ति "भवन प्रणाली" को इस प्रकार परिभाषित किया गया है:

"निर्माण प्रणाली।

1. ....

2. एकीकृत भवन उप-प्रणालियों का एक संयोजन संतोषजनक है।

एक भवन की कार्यात्मक आवश्यकताएँ।

(जोर दिया गया*)*

उपरोक्त परिभाषा प्रदान करती है कि कार्यक्षमता मुख्य है।

यह तय करने में तत्व कि एक भवन प्रणाली में क्या शामिल है। इस प्रकार, विभिन्न घटक जो न केवल क्षेत्र द्वारा अलग किए जाते हैं, बल्कि कार्यात्मक आवश्यकताओं के लिए एक-दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं, उन्हें एक भवन प्रणाली का हिस्सा नहीं माना जा सकता है। यह चर्चा में ऊपर बताई गई कानूनी स्थिति की पुष्टि करता है। *366* पर्यावरण और पारिस्थितिकी शब्दकोश, ब्लूम्सबरी, पी. एच. कॉलिन, *5* वीं संस्करण। , पृष्ठ *116 367* डिक्शनरी ऑफ आर्किटेक्चर एंड कंस्ट्रक्शन, मैकग्रा-हिल, सिरिल एम हैरिस, चौथा संस्करण, पृष्ठ *150 [2021] 15* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

352. निर्विवाद रूप से, एक एकीकृत परियोजना के बराबर क्या हो सकता है, इस पर कोई भी व्याख्या, जिससे संचयी मूल्यांकन की आवश्यकता होती है, सावधानीपूर्वक की जानी चाहिए। *2006* की अधिसूचना कानूनी मानकों में बदलाव के बिना निजी परियोजनाओं सहित अन्य सार्वजनिक परियोजनाओं पर समान रूप से लागू होगी। यहाँ सवाल यह है कि क्या एक आम बिल्डर/डेवलपर कुल दस अलग-अलग भूखंडों पर निर्माण कार्य करता है। एक क्षेत्र/राज्य/देश के विभिन्न क्षेत्रों में बिखरे हुए और आस-पास या आस-पास के हजारों एकड़ तक की भूमि को कठोरता के अधीन किया जा सकता है।

एक एकीकृत परियोजना के समतुल्य संचयी मूल्यांकन केवल इसलिए कि कुल क्षेत्र जिसमें परियोजनाएं फैली हुई हैं, जब जोड़ा जाता है, तो इस तरह के मूल्यांकन की अनुमति देने वाली अनुमेय सीमा से परे हो जाता है। यह अभी तक कानून द्वारा निर्धारित व्यवस्था नहीं है। हमारी सुविचारित राय में, यह व्याख्या सतत विकास के विचार के विपरीत-उत्पादक होगी। एकीकृत माने जाने के लिए, भूखंडों को निकटता में बहु-क्षेत्रीय घटकों को शामिल करना चाहिए, यदि वे सन्निहित नहीं हैं और अधिसूचना के तहत अन्य विनिर्देशों को पूरा करते हैं।

353. 2006 की अधिसूचना की अवधि से पता चलता है कि पर्यावरण मंजूरी का अनुदान परियोजना के साथ-साथ मालिक/बिल्डर विशिष्ट है।

अधिसूचना के साथ संलग्न परिशिष्ट *I* में प्रपत्र *I* का प्रारूप होता है। प्रपत्र में उपयोग की जाने वाली शब्दावली में "परियोजना का नाम", "आवेदक का नाम", "पदनाम *(*मालिक/भागीदार/सी. ई. ओ.*),"* पता *","* स्थान,

भूखंड/सर्वेक्षण/खसरा संख्या "आदि जैसे शब्द शामिल हैं, जिससे पता चलता है कि मंजूरी देने के लिए आवेदन प्रपत्र के मालिक से शुरू होता है।

विषय भूमि और एक स्थल-विशिष्ट अभ्यास है। केवल इसलिए कि प्रस्तावक *(*केंद्रीय लोक निर्माण विभाग-सीपीडब्ल्यूडी*)* कई कार्य करता है

समान प्रकार की स्वतंत्र परियोजनाएं/गतिविधियाँ, जो स्वयं इस उद्देश्य के लिए लागू श्रेणी का आकलन करने का आधार नहीं हो सकती हैं अधिसूचना विचाराधीन है। इसके अलावा, *2006* की अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची की मद *8* में "पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी की आवश्यकता वाली परियोजनाओं या गतिविधियों की सूची" के लिए प्रावधान किया गया है कि पर्यावरण मंजूरी केवल तभी दी जाती है जब निर्मित क्षेत्र *(*परियोजना*)*

विशिष्ट*) 20,000* वर्ग मीटर के बराबर या उससे अधिक है। इस प्रकार, यदि किसी विशेष मालिक का निर्मित क्षेत्र उपरोक्त न्यूनतम सीमा से अधिक नहीं है,

ऐसे मालिक के लिए किसी भी मंजूरी के लिए आवेदन करने का कोई अवसर नहीं होगा। यह तब भी होना चाहिए जब ऐसे मालिक द्वारा नियुक्त सामान्य बिल्डर उसी क्षेत्र में अन्य परियोजनाओं पर काम कर रहा हो। यह वास्तव में मालिक को *2006* की अधिसूचना के अधीन नहीं करेगा।

354. जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, भूमि स्वामित्व का तथ्य समान रूप से है

इस तरह की जांच में प्रासंगिक। यदि भूमि पर स्वामित्व या नियंत्रण राजीव सूरी *v* है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण और ओआरएस। *[* ए. एम. खानविलकर, जे.*]*

विभिन्न संस्थाओं में विकसित निहित, फिर केवल इसलिए कि सामान्य निर्माता *(*सीपीडब्ल्यूडी*)* विभिन्न परियोजनाओं का विकास कर रहा है, एक समान या एक एकीकृत/इंटरलॉक्ड परियोजना के रूप में मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। इस तथ्य के बावजूद कि इसका विकास अभी शुरू नहीं हुआ है और इसमें बहु-क्षेत्रीय घटक शामिल नहीं हैं, अलग-अलग मालिकों पर सामूहिक पर्यावरणीय मूल्यांकन *(*उच्च मानक के*)* के लिए दबाव डालना विसंगत होगा क्योंकि उनके स्थल निकटता में स्थित हैं।

355. इसके अलावा, यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि *2006* की अधिसूचना फॉर्म *I* में गलत सूचना के सामने दांत रहित नहीं है।

2006 अधिसूचना, खंड *(vi)* में, उचित उपाय प्रदान करती है -

यदि प्रपत्र *I* में कोई भी जानकारी झूठी और भ्रामक पाई जाती है *(* आपस में जुड़ी परियोजनाओं से संबंधित जानकारी सहित*)*। वह इस प्रकार कहता है:

"8. पूर्व पर्यावरण मंजूरी देना या अस्वीकार करना
(ईसी*):*

(vi) जानबूझकर गलत या भ्रामक जानकारी या डेटा को छिपाना और/या जमा करना जो आवेदन पर जांच या दायरा या मूल्यांकन या निर्णय के लिए सामग्री है।

उस आधार पर पर्यावरण मंजूरी दी गई। किसी आवेदन को अस्वीकार करना या पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी को रद्द करना। पहले से ही दिए गए, ऐसे आधार पर, नियामक प्राधिकरण द्वारा आवेदक को व्यक्तिगत सुनवाई देने और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करने के बाद निर्णय लिया जाएगा।

हम प्रत्यर्थियों द्वारा की गई याचिका में गुण पाते हैं कि संसद परियोजना को केंद्रीय सचिवालय परियोजना के साथ अंतर-संबद्ध या अंतर-निर्भर नहीं माना जा सकता है। संबंधित मतभेद

कार्यक्षमता, बजट, समयसीमा और उद्देश्य स्पष्ट और पर्याप्त हैं।

356. विशेष रूप से, परियोजना के पृथक्करण में धोखाधड़ी का आरोप लगाने वाले याचिकाकर्ताओं का तर्क भी योग्यता से रहित है। क्योंकि, यह विकास को अलग करने के लिए एक सचेत नीतिगत निर्णय के बीच की रेखा को पूरी तरह से धुंधला कर देता है।

परियोजना आवश्यकता-आधारित और छिपाना, गलत निरूपण या धोखाधड़ी। धोखाधड़ी एक धोखाधड़ी वाले मानसिक इरादे की नींव पर खड़ी होती है और अदालत में धोखाधड़ी का आधार स्थापित करने के लिए उस विशिष्ट इरादे को समाप्त करना एक पूर्व-आवश्यकता है। याचिकाकर्ताओं के धोखाधड़ी के तर्क में न्यायिक स्थायी आधार का अभाव है।

357. प्रपत्र *I* में प्रस्तावक द्वारा प्रदान की गई जानकारी है -

जिसके इर्द-गिर्द हमारी परीक्षा घूमती है। फॉर्म दिया गया है

आवश्यकतानुसार विभिन्न पहलुओं पर समझौता। हम अब विज्ञापन दे सकते हैं

इस परीक्षा के उद्देश्य के लिए विशिष्ट पहलुओं में:

((i)

भूमि उपयोग, भूमि आवरण और स्थलाकृति में परिवर्तन -

सूचित किया कि भूमि उपयोग को मनोरंजक से बदला जा रहा है

सरकारी उपयोग/संसद के लिए उपयोग करें।

((ख)

मौजूदा भूमि, वनस्पति और भवनों की मंजूरी

- यह बताया जाता है कि प्लॉट नं. *250* पर पेड़ हैं। *116* और प्लॉट नं. *326* पर पेड़। *118.* प्लॉट पर पेड़ नं। *116* हालांकि, इस प्रक्रिया में *250* पेड़ों में से *194* पेड़ों को नहीं छुआ जा रहा है। *118* के लिए स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है

नई संरचना के लिए जगह को साफ करना। यह आगे है
जानकारी दी कि *250* नए पेड़ लगाने का प्रस्ताव है।

प्लॉट नं. *118* .

(iii)

निर्माण कार्य की जांच की गई है।
निर्माण के दौरान उपयोग किए जाने वाले अस्थायी स्थल और

((iv)

श्रमिकों का आवास-यह सूचित किया जाता है कि लगभग *3200*
निर्माण गतिविधि के लिए श्रमिकों को लगाया जाना है और

उन्हें निर्धारित शिविरों में रखा जाएगा।

अर्थवर्क्स-यह सूचित किया जाता है कि परियोजना में शामिल हैं

(v)

जिन मिट्टी के कार्यों को काटा और भरा जाएगा, और सरकारी निर्माण के लिए अतिरिक्त मिट्टी के काम का उपयोग किया जाएगा

एन. सी. टी. और आसपास के क्षेत्रों में परियोजनाएं।

(vi) वस्तुओं या सामग्रियों के भंडारण की सुविधाएँ -

सूचित किया कि अलग के लिए प्रावधान किए गए हैं
गोदाम और भंडारण स्थान।

(vii) ठोस अपशिष्ट या तरल अपशिष्टों का उपचार/निपटान

- यह प्रस्तुत किया जाता है कि परियोजना निर्माण के साथ-साथ परिचालन चरण दोनों के दौरान ठोस अपशिष्ट उत्पन्न करेगी। उक्त कचरे के निपटान के लिए एक व्यापक योजना तैयार की गई है। निर्माण चरण के दौरान, एक "निर्माण और विध्वंस *(*सी एंड डी*)* अपशिष्ट" प्रबंधन योजना बनाई गई है जिसमें मुख्य रूप से शामिल हैं:

(क*)* रिसाव, उपद्रव, यातायात की भीड़, नालियों का घुटना और भंडारण को ढकने से बचने के लिए उचित संग्रह।

रिक्त स्थान।

अजीव सूरी बनाम। दिल्ली विकास प्राधिकरण और ओआरएस। *[* ए. एम. खानविलकर, जे.*]*

(ख*)* उत्पन्न अपशिष्ट का कंक्रीट, मिट्टी में पृथक्करण,

स्टील, लकड़ी, प्लास्टिक, ईंटें और गारा।
सी एंड डी अपशिष्ट प्रबंधन में पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण

((ग)

सुविधा।

यह भी सूचित किया जाता है कि नगरपालिका के प्रबंधन के लिए

ठोस अपशिष्ट, एक अलग दृष्टिकोण तैयार किया गया है जिसमें शामिल हैं:

नगरपालिका के ठोस कचरे को जैव में अलग करना

(अ)

अपघटनीय, गैर-जैव-अपघटनीय, खतरनाक अपशिष्ट और उद्यान अपशिष्ट, और इस अपशिष्ट की आपूर्ति अधिकृत लोगों को करना।

एन. डी. एम. सी. मानदंडों के अनुसार कर्मी।

(ख)

जैविक कचरे को घर के अंदर से खाद बनाया जाना चाहिए

तंत्र।

परिचालन चरण के दौरान, यह सूचित किया जाता है कि अपशिष्ट

निर्माण चरण की तरह ही उत्पन्न किया जाना चाहिए और अनुमानों में कहा गया है कि अधिकतम ठोस अपशिष्ट उत्पादन हो सकता है

संसद सत्र के दौरान अपशिष्ट उत्पादन सहित प्रति दिन *4826.35* किलोग्राम होना चाहिए। *(viii)*
अपशिष्ट जल उत्पादन-यह सूचित किया जाता है कि अपशिष्ट जल

निर्माण के दोनों चरणों के दौरान उत्पादन होगा।

और परिचालन चरण। प्रबंधन दृष्टिकोण के बारे में

इन दोनों चरणों को इस प्रकार प्रदान किया गया है:

" निर्माण चरण

निर्माण चरण के दौरान, तरल अपशिष्ट होंगे

संग्रहित, संग्रहीत, अपशिष्ट जल/सीवेज में उपचारित

उपचार संयंत्र और बागवानी के लिए पुनः उपयोग किया जाता है,

निर्माण संबंधी आवश्यकताएँ जैसे कि क्यूरिंग या फ्लशिंग या

दिल्ली प्रदूषण के मार्गदर्शन के अनुसार छिड़काव

आवश्यक सहमति प्राप्त करने के बाद नियंत्रण समिति।

संचालन चरण

यह अनुमान लगाया गया है कि संचालन चरण के दौरान परियोजना *(*मौजूदा और प्रस्तावित संसद भवनों सहित*)* से ~ *438* के. एल. डी. अपशिष्ट जल उत्पन्न किया जाएगा, जिसे दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति *[2021] 15* एस. सी. आर. द्वारा जारी संचालन के लिए सहमति की आवश्यकताओं का पालन करने के लिए अपशिष्ट जल/मलजल उपचार संयंत्र में उपचारित किया जाएगा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(डी पी सी सी*)*। इसके बाद, पानी का पुनः उपयोग फ्लशिंग *(*नई इमारत में दोहरी नलसाजी प्रणाली स्थापित की जाएगी*)* या हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर में किया जाएगा।
कंडीशनिंग *(*एच. वी. ए. सी.*)* सिस्टम "।

(ix) यातायात में वृद्धि-यह सूचित किया जाता है कि निर्माण चरण के दौरान सड़क यातायात और निर्माण के दौरान आगंतुकों की संख्या में वृद्धि होगी।

परिचालन चरण।

(x) मौजूदा संरचनाओं को ध्वस्त करना-यह सूचित किया जाता है कि प्लॉट नं. *118 (* नए के लिए प्रस्तावित भूमि

संसद भवन*)* को ध्वस्त कर दिया जाएगा।

(xi) जनसंख्या का प्रवाह *(*अस्थायी या स्थायी रूप से*)*-यह सूचित किया जाता है कि निर्माण चरण के दौरान और संचालन चरण के दौरान *3200* श्रमिकों को लगाया जाएगा।

लगभग *9500* लोग *(4500* स्थायी कर्मचारियों और *5000* अस्थायी कर्मचारियों/आगंतुकों सहित*)*

स्थल पर उपस्थित।

(xii) जल प्रबंधन और जल स्रोत-इसकी जानकारी दी जाती है।

कि एक जल प्रबंधन योजना तैयार की गई है

निर्माण चरण और परिचालन चरण। निर्माण चरण के दौरान, *180* के. एल. डी. पानी की आवश्यकता होगी जो उपलब्ध मलजल अपशिष्ट जल और अन्य स्रोतों के पुनर्चक्रण के माध्यम से उत्पन्न किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, घरेलू उपयोग के लिए एन. डी. एम. सी. आपूर्ति से *45* के. एल. डी. पानी आउटसोर्स किया जाएगा। परिचालन चरण के लिए, मौजूदा और प्रस्तावित दोनों परियोजनाओं के लिए जल प्रबंधन तैयार किया जाता है।

(xiii) खतरनाक पदार्थों की भागीदारी-यह सूचित किया जाता है कि परिचालन आवश्यकताओं के लिए डीजल को छोड़कर खतरनाक पदार्थों का कोई भंडारण नहीं होगा। *(xiv)* खतरनाक अपशिष्ट-यह

सूचित किया जाता है कि परियोजना के दौरान उत्पन्न होने वाले खतरनाक कचरे का निपटान उसी के अनुसार किया जाएगा।

खतरनाक और अन्य अपशिष्ट *(*प्रबंधन और

सीमा पार आवाजाही*)* नियम, *2016* और संचालन, भंडारण, पुनर्चक्रण, परिवहन, निपटान निम्नलिखित के अनुसार होंगेः

डी. पी. सी. सी. से आदेश/अनुमोदन।

(xv) उत्सर्जन-यह उम्मीद की जाती है कि ए. जे. ई. ई. वी. सूरी *v* के दौरान हैंडलिंग, लोडिंग, अनलोडिंग से भगोड़ा उत्सर्जन जारी किया जाएगा।

दिल्ली विकास प्राधिकरण और ओआरएस। *[* ए. एम. खानविलकर, जे.*]*

निर्माण चरण। ऐसे उत्सर्जन को कम करने के लिए,

निम्नलिखित कदम प्रस्तावित किए गए हैंः

आच्छादित क्षेत्र के अंतर्गत लोडिंग/अनलोडिंग की जानी है।

(अ)

ऑफसाइट धूल उत्पादन को कम करने के लिए उचित अवरोधन;

(ख) *(ग)* कवर के तहत की जाने वाली सामग्री का परिवहन

परिवहन के साधन;

(xvi) धूल/गंध-धूल और दुर्गंध के उद्भव को रोकने के लिए

तथापि, यह प्रस्तावित किया गया है कि निर्माण चरण और परिचालन चरण में एक व्यापक योजना को कार्यान्वित किया जाएगा। निर्माण चरण के दौरान, निम्नलिखित कदम उठाए गए हैंः

प्रस्तावित हैंः

(क) धूल को दबाने के लिए पानी का छिड़काव;

मोबाइल/अस्थायी शौचालय;

(ख)

(ग) स्थल पर अस्थायी ठोस अपशिष्ट भंडारण;

परिचालन चरण के लिए, यह सूचित किया जाता है कि स्थल की प्राकृतिक प्रकृति के कारण, कम से कम धूल होगी

वाहनों के उत्सर्जन सहित उत्पादन।

(xvii) प्रदूषकों का जमाव-यह सूचित किया जाता है कि वहाँ होगा

प्रस्तावित स्थल के पास वायु उत्सर्जन के कारण कुछ शुष्क जमाव हो और इस दौरान विशेष ध्यान रखा जाएगा

उसी को रोकने के लिए निर्माण चरण।

358. प्रपत्र *I-A* में, परियोजना प्रस्तावक ने एक विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया है

भूमि पर्यावरण, जल आपूर्ति पर पर्यावरणीय प्रभावों की सूची,

प्रबन्धन, जल पर्यावरण, जीव, वायु पर्यावरण, सामाजिक

ओमिक प्रभाव, ऊर्जा संरक्षण। इसके अलावा, एक विस्तृत प्रबंधन योजना *368* भी प्रस्तुत की गई है। ई. एम. पी. है निर्माण चरण और परिचालन चरण के दौरान चिंताओं के असंख्य समूह का ध्यान रखने के लिए चरणबद्ध तरीके से लाल। ई. एम. पी. के महत्व को निम्नलिखित शब्दों में नोट किया गया हैः

पर्यावरण प्रबंधन योजना इस दृष्टि से तैयार की जाती है कि परियोजना के प्रभावी पर्यावरण प्रबंधन में सुविधा प्रदान करना,

विशेष रूप से शमन उपायों का सामान्य और कार्यान्वयन।

" संक्षेप में, "ई. एम. पी". *[2021] 15* एस. सी. आर.

ई. एम. पी. क्षमता को संबोधित करने के लिए एक वितरण तंत्र प्रदान करता है।

प्रतिकूल प्रभाव और अच्छे अभ्यास के मानकों को लागू करने के लिए

सभी परियोजना कार्यों के लिए अपनाया जाएगा। कार्यक्रम के प्रत्येक चरण के लिए,

ई. एम. पी. प्रभावी शमन सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यकताओं को सूचीबद्ध करता है।

प्रत्येक संभावित जैवभौतिकीय और सामाजिक-आर्थिक प्रभाव। के लिए

प्रत्येक प्रभाव या ऑपरेशन, जो अन्यथा जन्म दे सकता है

प्रभाव निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत की जाती हैः

शमन उपायों *(*कार्यों*)* की एक व्यापक सूची

कि परियोजना प्रस्तावक लागू करेगा;

प्रभावी सुनिश्चित करने के लिए जिन मापदंडों की निगरानी की जाएगी

कार्रवाई का कार्यान्वयन;
यह सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई के कार्यान्वयन का समय

शमन के उद्देश्य पूरी तरह से पूरे हो गए हैं।

बेहतर मूल्यांकन के लिए यहाँ पहले से ई. एम. पी. तैयार किया गया है: -

तालिका *1:* पर्यावरण प्रबंधन योजना

एस. नं. संभावित प्रभाव

समय निर्धारण

कार्रवाई

के लिए मापदंड

निगरानी

I. निर्माण चरण

निर्माण कार्य

वायु उत्सर्जन

सभी उपकरण

यादृच्छिक जाँच

1.

निर्दिष्ट के भीतर संचालित

उपकरण लॉग/नियमावली

गतिविधियाँ

डिजाइन पैरामीटर

साइट के दौरान

वाहनों के लॉग

वाहन यात्राएँ होंगी

सफाई और

हद तक कम किया गया

संभव है

निर्माण

गतिविधियाँ

कोई भी सूखी, धूल भरी सामग्री

भंडार की अनुपस्थिति या

निर्माण कार्य

धूल के खुले पात्र

गतिविधियाँ

सीलबंद में रखा गया

पात्र या रोके गए

सामग्री

उड़ने से।

निर्माण लॉग

मिट्टी का संघनन

निर्माण कार्य

इस दौरान विभिन्न

गतिविधियाँ

निर्माण गतिविधियाँ

आसपास की वायु गुणवत्ता

परिवेशी वायु गुणवत्ता

के अनुसार

परिसर के भीतर

की आवश्यकता

के अनुरूप होगा

पीएम *2.5*, पीएम *10* के लिए मानक,

केंद्रीय

प्रस्तावित इकाई होगी

प्रदूषण

निगरानी में रखा गया

SO 2 और *NOX*।

कंट्रोल बोर्ड अजीव सूरी बनाम। दिल्ली विकास प्राधिकरण और ओआरएस। *[ए. एम. खानविलकर, जे.]*

उपकरण लॉग, शोर

शोरगुल।

सभी शोर की सूची

इस दौरान

यंत्रों का उत्पादन

निर्माण

पढ़ना।

उम्र के साथ ऑनसाइट

चरण

तैयार रहें।

उपकरण होना चाहिए

उपकरण लॉग, शोर

इस दौरान

अच्छे में बनाए रखा

निर्माण

पढ़ना।

कार्य आदेश।

चरण

कार्य घंटों के अभिलेख

रात में काम करना

निर्माण कार्य

न्यूनतम किया गया

गतिविधियाँ

वाहनों का उत्पादन

रखरखाव रिकॉर्ड

इस दौरान

वाहन

शोर

निर्माण

चरण

साइट पर काम करने की प्रथाएँ

इस दौरान

अच्छे काम को लागू करें

निर्माण

अभ्यास *(उपकरण)*

रिकॉर्ड, शोर पढ़ना

चयन और बैठक*)* से

चरण

शोर को कम करें और

इसके प्रभाव को कम करें

मानव स्वास्थ्य *(*कान के कफ,

सुरक्षित दूरी, और

घेराव*)*

ध्वनिक

उपयोग करने से पहले

मफलर/घेराव

मफलर/घेराव होना चाहिए

जगह

उपकरण।

बड़े इंजनों में उपलब्ध

शोर से पढ़ना

के अनुसार

शोर की निगरानी की जानी चाहिए

की आवश्यकता

भीतर की हवा

केंद्रीय

संयंत्र परिसर

प्रदूषण

नियंत्रण बोर्ड

शोर का स्तर नहीं होगा

अनुमेय से अधिक

या तिमाही

दिन के दौरान सीमा और

जो भी हो

रात का समय।

कम होता है।

सभी उपकरण संचालित हैं।

यादृच्छिक जाँच

इस दौरान

निर्दिष्ट डिजाइन के भीतर

उपकरण लॉग/नियमावली

निर्माण

चरण

मापदंड।

वाहनों के लॉग

वाहन यात्राएँ होंगी

इस दौरान

हद तक कम किया गया

निर्माण

संभव है।

चरण

कोई अनुपचारित स्राव नहीं

कोई निर्वहन नली नहीं

अपशिष्ट जल

इस दौरान

सतह पर पानी बनाया जाए,

जलमार्गों की निकटता।

निर्वहन

निर्माण

भूजल या मिट्टी।

चरण

निर्वहन बिंदु

के लिए निर्वहन मानदंड

इस दौरान

में दिए गए अपशिष्ट

चुना जाना चाहिए

निर्माण

द्वारा संचालित करने की सहमति

ठीक से और नमूनाकरण

चरण

और विश्लेषण होना चाहिए

केंद्रीय प्रदूषण

नियंत्रण बोर्ड।

इससे पहले किया गया

निर्वहन

निपटान में ध्यान रखें

के लिए निर्वहन मानदंड

इस दौरान

में दिए गए अपशिष्ट

अपशिष्ट जल का उत्पादन

निर्माण

द्वारा संचालित होने की सहमति

ऐसी मिट्टी और

चरण

केंद्रीय प्रदूषण

भूजल संसाधन

नियंत्रण बोर्ड।

संरक्षित हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

क्षेत्रफल की सीमा को न्यूनतम करें

4 .

मिट्टी का क्षरण

स्थल सीमाएँ नहीं

इस दौरान

साइट क्लीयरेंस, रहने से

विस्तारित/उल्लंघन के रूप में

निर्माण

प्रति योजना दस्तावेज़।

परिभाषित के भीतर

चरण

सीमाएँ

ऊपरी मिट्टी के भंडार की रक्षा करें

जगह पर प्रभावी आवरण।

इस दौरान

जहाँ संभव हो वहाँ

निर्माण

साइट।

चरण

दृश्य निरीक्षण

जल निकासी और

जल निकासी प्रणाली सुनिश्चित करें

इस दौरान

5.

जल निकासी और अभिलेख

और विशिष्ट डिजाइन

अपशिष्ट

निर्माण

बिनि।

उपाय काम कर रहे हैं

चरण

प्रबंधन

प्रभावी ढंग से।

शामिल करने के लिए डिज़ाइन

मौजूदा जल निकासी पैटर्न

और परेशान करने से बचें

एक ही।

व्यापक अपशिष्ट

6.

कचरा।

अपशिष्ट को लागू करें

साइट से पहले

प्रबंधन योजना कि

प्रबंधन योजना

निकासी

प्रबंधन

जगह और इसके लिए उपलब्ध

पहचानें और

स्थल पर निरीक्षण।

प्रत्येक अपशिष्ट की विशेषता बताता है

के साथ संबंधित

एमएसडब्ल्यू के साथ अनुपालन

प्रस्तावित गतिविधियाँ और

नियम, *1998* और

जिसकी पहचान करता है

संग्रह के लिए प्रक्रियाएँ,

खतरनाक कचरा

संभालना और निपटाना

(प्रबंधन और

संचालन नियम*), 2003*

प्रत्येक अपशिष्ट उत्पन्न होता है।

तैयार की जाने वाली योजना,

इस दौरान

7.

गैर-नियमित

नकली अभ्यास और रिकॉर्ड

संभावनाओं पर विचार करें

घटनाएँ और

उसी का

निर्माण

आकस्मिक

आपात स्थिति और कदम

चरण

रोकने/सीमित करने के लिए आवश्यक

रिलीज

परिणाम।

इस दौरान

से एक औपचारिक पत्र

8.

पर्यावरण

पर्यावरण

प्रबंधन प्रकोष्ठ/इकाई है

प्रबंधन संकेत दे रहा है

निर्माण

प्रबंधन

प्रकोष्ठ/इकाई

का गठन

सुनिश्चित करने के लिए

चरण

कार्यान्वयन और

पर्यावरण

प्रबंधन प्रकोष्ठ

की निगरानी

पर्यावरण

सुरक्षा उपाय।

II. संचालन चरण

वायु उत्सर्जन

परिवेशी वायु गुणवत्ता

इस दौरान

9.

डी. जी. से ढेर उत्सर्जन

अनुकूलित करने के लिए सेट करें

के अनुरूप होगा

संचालन चरण

निगरानी में रखा गया

पीएम *10* के लिए मानक,

पी. एम. *2.5*, एस. ओ. *2* और एन. ओ.

केंद्र द्वारा दिया गया

प्रदूषण नियंत्रण

बोर्ड।

आसपास की वायु गुणवत्ता

परिवेशी वायु गुणवत्ता

इस दौरान

परिसर के भीतर

के अनुरूप होगा

संचालन चरण

प्रस्तावित इकाई होगी

पीएम *10* के लिए मानक,

निगरानी की जा रही है।

पी. एम. *2.5*, एस. ओ. *2* और एन. ओ.

के अनुसार दिया गया

केंद्र की आवश्यकता

प्रदूषण नियंत्रण

बोर्ड।

राजीव सूरी बनाम। दिल्ली विकास प्राधिकरण और ओआरएस। *[ए. एम. खानविलकर, जे.]*

वाहनों के लॉग होने चाहिए

वाहनों से निकलने वाला पानी

इस दौरान

उपयोग करके कम से कम करें

बनाए रखा गया

संचालन चरण

ईंधन कुशल वाहन

और अच्छी तरह से बनाए रखा

पी. यू. सी. वाले वाहन

प्रमाण पत्र।

वाहनों के लॉग

वाहन यात्राएँ होंगी

इस दौरान

हद तक कम किया गया

संचालन चरण

संभव है

से उत्पन्न शोर

10.

शोरगुल।

रखरखाव रिकॉर्ड

इस दौरान

डी. जी. का संचालन निर्धारित किया गया

संचालन

संचालन चरण

अनुकूलित और निगरानी की गई

डी. जी. कम उत्पादन के लिए सेट करता है

इस दौरान

रखरखाव रिकॉर्ड

0. 0 पर *75* डी. बी. *(ए)* लेक़ से अधिक

संचालन

संचालन चरण

स्रोतों से एम

डी. जी. सेट होने चाहिए

रखरखाव रिकॉर्ड

इस दौरान

तहखाने में प्रदान किया गया

संचालन चरण

संचालन

ध्वनिक घेरों के साथ

चिमनी की ऊँचाई के साथ

एस. पी. सी. बी. द्वारा निर्दिष्ट

वाहनों का उत्पादन

रखरखाव रिकॉर्ड

इस दौरान

वाहन

शोर

संचालन चरण

कोई अनुपचारित स्राव नहीं

कोई निर्वहन नली नहीं

इस दौरान

11.

अपशिष्ट जल

सतह पर पानी बनाया जाए,

जलमार्गों के आसपास

निर्वहन

संचालन चरण

भूजल या मिट्टी।

निपटान में ध्यान रखें

के लिए निर्वहन मानदंड

इस दौरान

अपशिष्ट जल का उत्पादन

प्रदूषक पदार्थ

संचालन चरण

ऐसी मिट्टी और

भूजल संसाधन

सुरक्षित हैं।

दृश्य निरीक्षण

जल निकासी और

जल निकासी प्रणाली सुनिश्चित करें

12.

इस दौरान

जल निकासी और अभिलेख

और विशिष्ट डिजाइन

अपशिष्ट

संचालन चरण

बिनि।

उपाय काम कर रहे हैं

प्रबंधन

प्रभावी ढंग से।

दृश्य निरीक्षण

शामिल करने के लिए डिज़ाइन

इस दौरान

जल निकासी और अभिलेख

संचालन चरण

मौजूदा जल निकासी पैटर्न

और परेशान करने से बचें

बिनि।

एक ही।

भीतरी हवा की निगरानी

अंदर की हवा

प्रदूषक जैसे -

इस दौरान

13.

सी. ओ., सी. ओ. *2*, और वी. ओ. सी.

प्रदूषक जैसे

संचालन चरण

प्रदूषण

प्रदान करके कम किया जाए

CO, CO2, और *VOCS*।

पर्याप्त वायु संचार।

[2021] 15 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

वायु के लिए ऊर्जा का उपयोग

ऊर्जा लेखापरीक्षा के निष्कर्ष

इस दौरान

14.

ऊर्जा का उपयोग

कंडीशनिंग और अन्य

संचालन चरण

रिपोर्ट करें

गतिविधियों को कम से कम किया जाए

वार्षिक ऊर्जा का संचालन करें

भवनों के लिए लेखा परीक्षा

मॉक ड्रिल रिकॉर्ड, पर

अग्नि सुरक्षा और सुरक्षा

15.

आपातकाल

इस दौरान

स्थल आपातकालीन योजना,

ध्यान रखने के लिए उपाय

तैयारी,

संचालन चरण

आग और विस्फोट

निकासी योजना

आग की तरह

लड़ाई-झगड़ा

जोखिमों का मूल्यांकन किया जाना है

और उनके लिए उठाए गए कदम

रोकथाम।

पर्यावरण

से एक औपचारिक पत्र

16.

पर्यावरण

इस दौरान

प्रबंधन प्रकोष्ठ/इकाई से

प्रबंधन संकेत दे रहा है

संचालन चरण

प्रबंधन

प्रकोष्ठ/इकाई

का गठन

यह सुनिश्चित करने के लिए

कार्यान्वयन और

पर्यावरण

प्रबंधन प्रकोष्ठ

की निगरानी

पर्यावरण

सुरक्षा उपाय।

359. ई. ए. सी. *(इन्फ्रा-2)* ने *25-26.2.2020* पर अपनी *49* वीं बैठक में,

ईसी के अनुदान के लिए आवेदन पर विचार किया। बैठक के कार्यवृत्त से पता चलता है कि समिति ने परियोजना के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान दिया परियोजना की आवश्यकता, वर्तमान उपयोग, हरित स्थानों का संरक्षण और विस्तार और इस दौरान पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के उपाय शामिल हैं।

निर्माण चरण। समिति ने यह भी नोट किया कि बड़ी संख्या में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनसे परियोजना पर विभिन्न आपत्तियां उठाई गई हैं। विचार-विमर्श करने पर, ई. ए. सी. ने आवेदन में अपर्याप्त जानकारी पाई और उसी सूचना को इस प्रकार वापस कर दिया:

"..... ई. ए. सी. ने प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया और नोट किया कि

परियोजना राष्ट्र के लिए एक बड़ा संसद भवन प्रदान करेगी
विधानमंडल का बेहतर कार्यकरण। इसके अलावा यह परियोजना

यह अल्पकालिक और दीर्घकालिक रोजगार के अवसर भी प्रदान करता है।
प्रस्तावित परियोजना भी सकारात्मक योगदान देगी

सामाजिक अवसंरचना और क्षेत्र का समग्र विकास। वहाँ

कुछ पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं *(*जैसे मिट्टी पर, परिवेशी शोर*)*

ऑपरेशन के दौरान उपाय। ई. ए. सी. ने मुद्दों पर भी ध्यान दिया
परियोजना द्वारा दिए गए प्रतिनिधित्व *(*ओं*)* और प्रतिक्रिया में उठाया गया

इसके प्रस्तुतिकरण और वैचारिक योजना और पर्यावरण में प्रस्तावक

प्रबंधन योजना प्रस्तुत की गई। विस्तृत जानकारी के बाद समिति

विचार-विमर्श में परियोजना प्रस्तावक को निम्नलिखित प्रस्तुत करने के लिए कहा गयाः

आगे के विचार-विमर्श के लिएः

अजीव सूरी बनाम। दिल्ली विकास प्राधिकरण और ओआरएस। *[ए. एम. खानविलकर, जे.]*

(i) कुल निर्मित क्षेत्र के विवरण के साथ संशोधित प्रपत्र-*1/1*-ए

विस्तार का प्रस्ताव।

(v) प्राप्त अभ्यावेदनों का बिंदुवार उत्तर दें। *(vi)* दिल्ली का अद्यतन मास्टर प्लान जिसमें भूखंड संख्या का उपयोग दिखाया गया है।

118 .

इसलिए प्रस्ताव को स्थगित कर दिया गया।

360. परियोजना द्वारा आवश्यक दस्तावेजों की आपूर्ति की गई

संशोधित प्रपत्र *I/I-A* के साथ ई. ए. सी. को भेजा गया। "विस्तार की पर्यावरणीय मंजूरी के लिए अवधारणात्मक योजना" शीर्षक से एक विस्तृत अवधारणामौजूदा संसद भवन के नवीनीकरण की भी तैयारी की गई और

ई. ए. सी. द्वारा मूल्यांकन के लिए प्रस्तावक द्वारा। परिकल्पनात्मक योजना

विभिन्न पर्यावरणीय पहलुओं पर विवरण जो हो सकते हैं

इस प्रकार वर्णन किया गया हैः

((i) पर्यावरण की संवेदनशीलता।

राष्ट्रीय राजमार्गों, रेलवे स्टेशनों के साथ संपर्क,

((ख)

हवाई अड्डे और राज्य की सीमाएँ;

(iii)

परियोजना लागत;

((iv)

भूखंड क्षेत्र से संबंधित जानकारी को शामिल करते हुए परियोजना विवरण,
निर्मित क्षेत्र, अनुमेय भूमि क्षेत्र, प्रस्तावित भूमि

कवरेज, प्रस्तावित निर्माण क्षेत्र, होने वाला क्षेत्र

ध्वस्त करना, बिजली की आवश्यकताएँ, ताजे पानी की आवश्यकताएँ, अपशिष्ट जल उत्पादन, स्थानांतरित किए जाने वाले पेड़ों की संख्या और लगाए जाने वाले पेड़ों की संख्या। ;

(v)

जनसंख्या घनत्व;

(vi)

सीवेज उपचार संयंत्र का पूरा खाका;

(vii)

तूफान जल निकासी प्रणाली;

(viii) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और खाद के लिए प्रवाह चार्ट

प्रणालियाँ;

(ix) बिजली का बचाव, अग्निशमन प्रणाली और भूनिर्माण। *361.* यातायात प्रबंधन से संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिए,

नए *[2021] 15* एस. सी. आर. के लिए यातायात संचरण और प्रबंधन योजना।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संसद भवन "का विमोचन किया गया है। योजना की प्रस्तावना इस प्रकार है:

" *1.1* आरम्भिक

यातायात परिसंचरण और प्रबंधन योजना भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वी. आई. पी. की आवाजाही के दौरान सड़क अवरोध के मुद्दे को संबोधित करते हुए सेंट्रल विस्टा में संसद के प्रस्तावित पुनर्विकास का परिणाम है। नए प्रस्तावित संसद भवन के साथ, स्व-चालित कारों, पिकअप और परिवहन के लिए वाहनों के यातायात का आंतरिक संचलन

वी. आई. पी. के लिए ड्रॉप-ऑफ स्थानों को संबंधित सुरक्षा उपायों के साथ कुशल वाहन पहुंच और परिसंचरण के संबंध में संबोधित करने की आवश्यकता है। सेंट्रल विस्टा के प्रस्तावित पुनर्विकास के लिए निर्माण गतिविधि में बड़ी संख्या में निर्माण मशीनरी और उपकरणों की आवाजाही शामिल है। निर्माण के विचार के साथ

दिन के समय भारी वाहनों की आवाजाही पर चरणबद्ध, यातायात में बाधा और सड़क प्रतिबंध, अस्थायी सड़क निर्माण और कार्य क्षेत्र योजना का प्रावधान तय किया जाएगा।

" "

362. इसके अलावा, परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्राप्त अभ्यावेदन की एक प्रति के साथ-साथ बिंदुवार जवाब ई. ए. सी. के समक्ष रखे गए थे। श्री अश्विनी मित्तल, कार्यकारी अभियंता, सीपीडब्ल्यूडी ने "परियोजना, प्रदूषण से संबंधित प्रमुख मुद्दों" पर एक व्यापक चार्ट प्रस्तुत किया। स्रोत, मूल्यांकन विधियाँ और शमन/प्रबंधन सुझाए गए। चार्ट संभावित चिंताओं और नियोजित शमन/का उल्लेख करता है।

परियोजना के दस कार्यात्मक क्षेत्रों पर प्रबंधन उपाय, अर्थात् -

वायु प्रदूषण;

ए।

ध्वनि प्रदूषण;

बी। सी। पानी; एन

डी। ठोस अपशिष्ट *(*मुख्य रूप से नगरपालिका*);*

जोखिम मूल्यांकन;

ई.

न.

पारिस्थितिकी और जैव विविधता;

जी। भूमि का उपयोग;

एच. सामाजिक-आर्थिक प्रभाव; आई.

जल-भूविज्ञान और भूविज्ञान;

जे.

मृदा संरक्षण।

राजीव सूरी बनाम। दिल्ली विकास प्राधिकरण और ओआरएस। *[* ए. एम. खानविलकर, जे.*]*

बेहतर मूल्यांकन के लिए इन्हें पुनः प्रस्तुत किया गया हैः -

परियोजना के लिए प्रमुख मुद्दे,

प्रदूषण के स्रोत, आकलन के तरीके और

अभियान/प्रबंधन सुझाए गए

कार्यात्मक

परियोजना का प्रभाव

शमन/प्रबंधन

टिप्पणियां

एस. नं.

गतिविधियाँ

क्षेत्र

कोई वृद्धि नहीं

वायु के स्रोत

वाहनों की आवाजाही होगी

1.

वायु प्रदूषण

उत्सर्जनः

के आधार पर और अधिक सुव्यवस्थित

वायु प्रदूषण

वाहन

परिवहन योजना। डी जी

विद्यमान से परे

सेट प्रदान किए जाएंगे

स्तर। संभावित

आंदोलन-वहाँ

सीमांत होगा

पर्याप्त ढेर ऊंचाई।

राज्य के रूप में कमी

कला और

अधिक से अधिक वृद्धि,

कम या नहीं

की संख्या से

केवल यात्राएँ ही होंगी

उत्सर्जन

वाहन मिल जाते हैं।

मामूली वृद्धि।

पेश किया गया

डी. जी. सेट-ये हैं

रखने का प्रस्ताव

समय।

स्टैंडबाय मोड में,

और इसका उपयोग किया जाएगा
केवल दुर्लभ समय में

बिजली गुल

परिदृश्य के रूप में

बिजली की आपूर्ति

संसद स्थिर है।

ध्वनि प्रदूषण

शोर के स्रोत

वाहनों का शोर ऐसे ही रहेगा

कोई वृद्धि नहीं

2.

डी. जी. के आने से पहले

शोर का स्तर

पीढ़ीः

वाहन

सामान्य के दौरान स्टैंडबाय मोड

विद्यमान से परे

संचालन से शोर नहीं निकलेगा

स्तर।

आंदोलन डी. जी. सेट

बिजली की विफलता के समय,

अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ

के संदर्भ में उपयोग किया जाता है

ध्वनिक घेराव, शोर

स्तर सीमा के भीतर होंगे।

घरेलू सीवेज

500 के. एल. डी. का एस. टी. पी. प्रस्तावित है।

पानी की कमी

3 .

पानी।

आगे वर्तमान उपचार किया गया

खपत

सीवेज का निपटान किया जा रहा है

पुनः उपयोग के कारण

पुनः उपयोग करने का प्रस्ताव

उपचारित अपशिष्ट

में कमी आएगी

पानी।

ताजे पानी का सेवन।

इसके अलावा, छत का पानी होगा

आर. डब्ल्यू. एच. टैंक में एकत्र किया गया।

4

नगरपालिका ठोस

जैविक अपशिष्ट परिवर्तक

ठोस अपशिष्ट

एमएसडब्ल्यू

(मुख्य रूप से

अपशिष्ट *(*एमएसडब्ल्यू*)*

प्रदान किया जाएगा जो परिवर्तित होगा

प्रबंधन

नगरपालिका अपशिष्ट, मुख्य रूप से

नगरपालिका*)*

मानकों को पूरा करेंगे

रसोई के कचरे से जैविक तक

एमएसडब्ल्यू के अनुसार

खाद, जिसका उपयोग किया जाएगा

नियम।

बागवानी।

[2021] 15 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

डी. जी. सेट के लिए एच. एस. डी. का भंडारण

गैर-नियमित घटनाएँ

जोखिम और जोखिम

5

जोखिम

मुद्दे अंदर हैं

प्रबंधन

मानकों के अनुसार और साथ होगा

और आकस्मिक

जगह में आग रोकथाम डिजाइन,

रिलीज

स्वीकार करने योग्य

डीजल का उपयोग कम जोखिम वाला होगा।

मानक।

वर्तमान में *250* और *333* हैं।

पारिस्थितिकी और

पेड़ों की गिनती

कुल

6

प्लॉट *116* और *118* पर पेड़

जैव विविधता

पेड़ों की संख्या

क्रमशः। ~ *233* पेड़ लगेंगे।

बढ़ेगा।

प्लॉट *118* से प्रत्यारोपित किया जाए

अस्थायी नुकसान

जैव-विविधता

और रोपण के बाद अतिरिक्त

290 पेड़ *(*कुछ पेड़ों सहित*)*

स्थल पर होगा

जिसे फिर से लगाया जाएगा*)* कुल

द्वारा क्षतिपूर्ति की गई

390 प्लॉट में पेड़ मौजूद होंगे।

उन्नत जैव

में विविधता

118. इस प्रकार कुल *57* पेड़ होंगे।

इसके बाद भी स्थल पर वृद्धि की जाए

परियोजना

विस्तार।

आसपास का वातावरण

और शुद्ध जोड़

पेड़ का आवरण

समय के साथ।

भूमि का उपयोग

भूमि उपयोग में परिवर्तन

भूमि उपयोग में बदलाव

7

भूमि उपयोग में परिवर्तन आया है

से मंजूरी ली गई

मनोरंजन से

नीचे चला गया है

देय का पालन करें

सक्षम प्राधिकारी और

(जिला उद्यान*)* से

कानूनी प्रक्रिया।

सरकार

एमओएचयूए द्वारा विधिवत अधिसूचित,

/ जीओआई। भूमि उपयोग परिवर्तन होगा

(संसद भवन*)*

मामले के परिणाम के अधीन

माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित

भारत का न्यायालय।

मौजूदा नियमों के अनुसार, उपयुक्त

यह होगी परियोजना

वहाँ होगा

8.

सामाजिक-आर्थिक

अस्थायी हो जाता है

निगम के अनुसार व्यय

स्पष्ट लाभ

प्रभाव

पर्यावरणीय उत्तरदायित्व

स्थानीय

और स्थायी

रोजगार और

(सीईआर*)*। वर्तमान में सीईआर

जनसँख्या कारण

स्थानीय लोगों को होगा फायदा

बजट पर विचार किया गया है

परियोजना।

INR 7.11 करोड़ जो होगा

अर्थव्यवस्था।

एमओईएफ एंड सीसी के अनुसार खर्च किया गया

मानक।

हाइड्रोजियोलॉजी और भूजल नहीं है

कोई प्रभाव नहीं

कम करें, पुनः उपयोग करें, पुनर्चक्रण करें

9

के लिए उपयोग किया जाता है

परियोजना में बनाया गया, नहीं

भूविज्ञान

भूजल

परियोजना और

भूजल संसाधन होना चाहिए

संसाधन

की माँग

उपयोग किया जाता है।

अतिरिक्त ताजा

पानी रखा गया है।

न्यूनतम स्तर तक

10

मिट्टी।

ऊपरी मिट्टी को संरक्षित किया जाएगा और

मिट्टी होगी।

बागवानी के लिए पुनः उपयोग किया जाता है।

संरक्षण

के लिए खुदाई की गई

विशेष रूप से परियोजना

से अतिरिक्त मिट्टी

तहखाने के लिए

खुदाई का उपयोग किया जाएगा

आवास उपयोगिताएँ

सीपीडब्ल्यूडी अपनी चल रही परियोजनाओं में।

राजीव सूरी बनाम। दिल्ली विकास प्राधिकरण और ओआरएस। *[ए. एम. खानविलकर, जे.]*

363. उपरोक्त विवरणों और दस्तावेजों के साथ संशोधित आवेदन पर ई. ए. सी. द्वारा *22* को अपनी *50* वीं बैठक में पुनर्विचार किया गया था।

24.4.2020 . समिति ने अभिलेख पर प्रासंगिक जानकारी पर विचार किया और प्राप्त अभ्यावेदन/आपत्तियों के आलोक में आवेदन पर विचार किया। समिति ने कहा कि *50* वीं बैठक से पहले और अधिक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और इस दौरान उन पर विचार किया गया है। मूल्यांकन। समिति ने तब अभिलेख और शमन उपायों पर जानकारी को ध्यान में रखा, जहां भी लागू हो, और पंद्रह विशिष्ट शर्तों के साथ ईसी के अनुदान के लिए परियोजना की सिफारिश की। अब हम स्थितियों का विश्लेषण कर सकते हैं: -

I. परियोजना के संचालन के लिए समिति ने सिफारिश की

संचालन के लिए सहमति इस प्रकार प्राप्त की जाए:

" (ii) वायु *(*प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण*)* अधिनियम, *1981* और जल *(*प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण*)* अधिनियम, *1974* के तहत दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति से परियोजना की स्थापना/संचालन के लिए सहमति प्राप्त की जाएगी।

II. पर्याप्त अग्नि सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए, समिति ने उचित उपायों और उपकरणों को स्थापित करने की सिफारिश की।

राष्ट्रीय भवन संहिता के अनुसार और इस प्रकार नोट किया गया:

" (iii) परियोजना प्रस्तावक राष्ट्रीय भवन संहिता के अनुसार पर्याप्त अग्नि सुरक्षा उपाय और उपकरण प्रदान करेगा।

राज्य के अग्निशमन सेवा अधिनियम द्वारा आवश्यक और स्थानीय प्राधिकरण/अग्निशमन निदेशालय द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देश।

इसके अलावा, परियोजना प्रस्तावक आवश्यक अनुमति लेगा /

सक्षम प्राधिकारी से अग्नि सुरक्षा के संबंध में एन. ओ. सी.
आवश्यकता है "।

III. समिति ने ताजे पानी की आवश्यकता पर एक सीमा रखी और कहा कि पानी की आवश्यकताओं से संबंधित आवश्यक अनुमतियों से पहले संचालन के लिए सहमति नहीं दी जाएगी।

प्राप्त किया। इसने इस प्रकार की सिफारिश की:

" (v) जैसा कि प्रस्तावित है, एन. डी. एम. सी. से ताजे पानी की आवश्यकता *210* के. एल. डी. से अधिक नहीं होगी। संचालन के लिए सहमति *(*सीटीओ*)*/अधिभोग

प्रमाणपत्र आवश्यक होने पर ही जारी किया जाएगा।

एन. डी. एम. सी./संबंधित से आवश्यक जल आपूर्ति की अनुमति

प्राधिकार "।

IV. जहाँ तक सीवेज उपचार का संबंध है, समिति ने सीवेज *[2021] 15* एस. सी. आर. के लिए मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर *(*एम. बी. आर.*)* प्रौद्योगिकी के उपयोग की सिफारिश की।

उपचार। इसने आगे सिफारिश की कि उपचारित अपशिष्ट का उपयोग फ्लशिंग और एच. वी. ए. सी. कूलिंग के लिए फिर से किया जाए:

" (vi) सीवेज का उपचार एम. बी. आर. प्रौद्योगिकी पर आधारित एस. टी. पी. में तृतीयक उपचार यानी अल्ट्रा-फिल्टरेशन के साथ किया जाएगा। द. एसटीपी से उपचारित अपशिष्ट का पुनर्चक्रण/पुनः उपयोग फ्लशिंग और एचवीएसी शीतलन के लिए किया जाएगा। जैसा कि प्रस्तावित है, कोई भी शोधित पानी नगर निगम के नाले में नहीं छोड़ा जाएगा।

5. समिति ने उपचारित अपशिष्ट जल के उचित उपयोग की निरंतर निगरानी के लिए एक निगरानी योजना की भी सिफारिश की। इसने इस प्रकार की सिफारिश की:

" (vii) परियोजना के प्रस्तावक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की संतुष्टि के लिए एक निगरानी योजना तैयार करेंगे ताकि मल कोलीफॉर्म और अन्य रोगजनकों के संदर्भ में फ्लशिंग के लिए उपयोग किए जा रहे उपचारित अपशिष्ट जल की लगातार निगरानी की जा सके।
बैक्टीरिया "।

VI. समिति ने सिफारिश की कि पुनर्नवीनीकरण अपशिष्ट जल की गुणवत्ता और मात्रा से संबंधित शर्तों के उचित कार्यान्वयन के लिए, एक तीसरे पक्ष का अध्ययन शुरू किया जा सकता है और इस प्रकार कहा जा सकता है:

" (viii) परियोजना के प्रस्तावक उपचारित पानी के पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा, उपचार प्रणालियों की दक्षता, फ्लशिंग के लिए आपूर्ति किए जा रहे उपचारित पानी की गुणवत्ता *(*विशेष रूप से बैक्टीरिया की गिनती*)*, पुनर्चक्रित उपचारित पानी और फ्लशिंग के लिए ताजे पानी का उपयोग करके शौचालय की सीटों से तुलनात्मक जीवाणु विज्ञान अध्ययन और शौचालय की सीटों से जुड़े स्प्रे नल के माध्यम से आपूर्ति किए जा रहे पानी की गुणवत्ता से संबंधित शर्तों के कार्यान्वयन पर एक तीसरे पक्ष का अध्ययन करेंगे।

VII. समिति ने वर्षा जल संचयन कानूनों के अनुपालन का सुझाव दिया और इस प्रकार की सिफारिश की:

" (ix) वर्षा जल संचयन पर स्थानीय उपनियम प्रावधानों का पालन किया जाना चाहिए। यदि स्थानीय उपविधि प्रावधान उपलब्ध नहीं है, तो भंडारण और पुनर्भरण के लिए पर्याप्त प्रावधान का पालन किया जाना चाहिए। शहरी विकास मंत्रालय मॉडल भवन उपनियम, *2016* के

अनुसार। प्रस्ताव के अनुसार, निस्पंदन के बाद वर्षा जल संचयन के लिए एक वर्षा जल संचयन टंकी उपलब्ध कराई जाएगी।

सी. जी. डब्ल्यू. बी. दिशानिर्देशों के अनुसार "। ईवी सूरी वी.

दिल्ली विकास प्राधिकरण और ओआरएस। *[* ए. एम. खानविलकर, जे.*]*

III. समिति ने गीले के लिए अलग उपचार की सिफारिश की

शुष्क अपशिष्ट और परिसर के भीतर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए पर्याप्त क्षेत्र निर्धारित करना। सिफारिश इस प्रकार हैः

ई. पी. अधिनियम, *1986* के तहत अधिसूचित नियम। गीले कचरे को जैविक अपशिष्ट परिवर्तक में खाद बनाया जाएगा। परिसर के भीतर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए पर्याप्त क्षेत्र प्रदान किया जाएगा जिसमें पृथक्करण, खाद बनाने के लिए क्षेत्र शामिल होगा। द इनर्ट परियोजना के कचरे को डंपिंग साइट पर भेजा जाएगा।

. समिति ने तब उचित भंडारण और निपटान की सिफारिश की।

निर्माण के अनुसार विध्वंस मलबा और

शोधन अपशिष्ट प्रबंधन नियम *2016*। समिति ने तब ठोस अपशिष्ट निपटान के संबंध में सुझाव दिए

डी हम उनके विशुद्ध महत्व के लिए उसी को पुनः प्रस्तुत करते हैंः

"क*)* परियोजना प्रस्तावक प्रथम दृष्टया कंक्रीट, मिट्टी और अन्य के संग्रह, पृथक्करण और उत्पन्न निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट के भंडारण के लिए जिम्मेदार होगा, जैसा कि संबंधित स्थानीय प्राधिकरण द्वारा निर्देशित या अधिसूचित किया गया है।

ये नियम।

ख*)* परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि अन्य अपशिष्ट *(*जैसे ठोस अपशिष्ट*)* इस अपशिष्ट के साथ न मिलें और इसका भंडारण किया जाए।

और अलग से निपटाया गया।

निर्माण या विध्वंस या पुनः मॉडलिंग कार्य शुरू करने से पहले और संबंधित अधिकारियों को इसके बारे में सूचित रखें। योजना चरण से लेकर कार्यान्वयन तक प्रासंगिक गतिविधियाँ

परिसर के भीतर विध्वंस अपशिष्ट या अपशिष्ट जमा करवाएँ स्थानीय निकाय द्वारा इस प्रकार बनाए गए संग्रह केंद्र में या इसे सौंप दें

निर्माण की अधिकृत प्रसंस्करण सुविधाएं और *[2021] 15* एस. सी. आर.

विध्वंस अपशिष्ट; और यह सुनिश्चित करें कि निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का कोई कचरा या जमाव न हो ताकि इसे रोका जा सके। यातायात या जनता या नालियों में बाधा।

ङ) परियोजना प्रस्तावक संबंधित अधिकारियों द्वारा अधिसूचित संग्रह, परिवहन, प्रसंस्करण और निपटान के लिए प्रासंगिक शुल्क का भुगतान करेगा। परियोजना प्रस्तावक यदि उत्पन्न करता है

संबंधित स्थानीय प्राधिकरण या किसी अन्य नामित प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दर के अनुसार भंडारण, संग्रह और परिवहन राज्य सरकार द्वारा "।

X. समिति ने तब सिफारिश की कि वर्तमान यातायात प्रबंधन योजना के साथ-साथ, सभी विकास के संचयी प्रभाव और उसके परिणामस्वरूप बढ़ती आबादी के आधार पर एक विस्तृत यातायात भीड़भाड़ योजना तैयार की जाए। इसमें कहा गया है कि:

" (xii) यातायात प्रबंधन योजना प्रस्तुत की जाएगी

अक्षर और भावना में लागू किया गया। इसके अलावा, एक विस्तृत यातायात प्रबंधन और यातायात भीड़भाड़ कम करने की योजना तैयार की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परियोजना के *5* किलोमीटर के दायरे में सड़कों की सेवा के वर्तमान स्तर को बनाए रखा जाए और उसमें सुधार किया जाए।

परियोजना के लागू होने के बाद। यह योजना स्थान और समय के विभिन्न परिदृश्यों में स्थल के इस *5* किलोमीटर के दायरे में परियोजना या अन्य एजेंसियों द्वारा किए जा रहे सभी विकास और बढ़े हुए निवास के संचयी प्रभाव पर आधारित होनी चाहिए। यातायात प्रबंधन

योजना को राज्य शहरी विकास विभाग या सड़क संवर्धन के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत मान्य और प्रमाणित किया जाएगा और इसके लिए उनकी सहमति भी होगी।

योजना के घटकों का कार्यान्वयन जिसमें शामिल हैं -

इन विभागों की भागीदारी।

XI. समिति ने तब पेड़ों की कटाई के पहलू पर विचार किया और कहा कि ऐसी कार्रवाई केवल वहीं की जा सकती है जहां यह पूरी तरह से उचित हो।

आवश्यक है, वह भी दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, *1994* के अनुसार गठित वृक्ष प्राधिकरण से पूर्व अनुमति के बाद।

" (xiii) प्रस्तावक द्वारा किए गए वचन के अनुसार, कोई नहीं होगा

पेड़ों की कटाई। जहाँ बिल्कुल आवश्यक हो, वृक्ष राजीव सूरी *v.*

प्रत्यारोपण पूर्व अनुमति से किया जाएगा।
दिल्ली के अनुसार गठित वृक्ष प्राधिकरण से

वृक्ष संरक्षण अधिनियम, *1994 (*दिल्ली अधिनियम सं. *11)*

1994) . पुराने पेड़ों को घेर के आधार पर रखा जाना चाहिए और

आयु नियम और दिल्ली वन द्वारा निर्धारित
विभाग। किसी भी प्रत्यारोपण के जीवित न रहने की स्थिति में

वृक्ष, *1* के अनुपात में प्रतिपूरक रोपणः *10 (* अर्थात।

प्रत्येक एक पेड़ के लिए *10* पेड़ लगाए जाएंगे*)*

और बनाए रखा "।

(जोर दिया गया*)*

बारहवीं। समिति ने तब सिफारिश की कि परिदृश्य योजना
देशी प्रजातियों के रोपण और जल गहनता को शामिल करना चाहिए

प्रजातियों का उपयोग भूनिर्माण के लिए नहीं किया जा सकता है। इसमें इस प्रकार उल्लेख किया गया है:

" (xiv) प्रत्येक *80* वर्ग मीटर भूमि के लिए कम से कम *1* पेड़ होना चाहिए।
रोपण और रखरखाव किया जाए। मौजूदा पेड़ होंगे

इस उद्देश्य के लिए गणना की गई। परिदृश्य योजना बनानी चाहिए।

इसमें देशी प्रजातियों का रोपण शामिल है। इन प्रजातियों के साथ

भारी पत्ते, चौड़े पत्ते और चौड़े चंदवा आवरण हैं

वांछनीय। जल गहन और/या आक्रामक प्रजातियाँ

भूनिर्माण के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। जैसा कि प्रस्तावित है, *4,500*

भूनिर्माण के तहत वर्ग मीटर क्षेत्र प्रदान किया जाएगा

मौजूदा हरित के अलावा प्रस्तावित संसद भवन

मौजूदा भवन का क्षेत्रफल *16,136* वर्ग मीटर है।

(जोर दिया गया*)*

364. प्रपत्र *1* में दी गई जानकारी की बारीकी से जांच करने पर

और आई-ए, परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रदान किए गए दस्तावेज और ई. ए. सी. द्वारा किए गए मूल्यांकन, हमारा विचार है कि ई. सी. का अनुदान सक्षम प्राधिकारी के अधिदेश के अनुरूप है और न्यायसंगत और उचित है। द.

परियोजना प्रस्तावक ने एक व्यापक यातायात प्रबंधन योजना, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना, जल प्रबंधन योजना और अपशिष्ट निपटान योजना तैयार करने के लिए विभिन्न विशेषज्ञ अध्ययन किए हैं। काफी है।

यह दिखाने के लिए कि परियोजना के प्रस्तावक ने पानी के स्रोत, निपटान सहित परियोजना के विभिन्न पहलुओं को पर्याप्त रूप से संबोधित किया है, रिकॉर्ड पर जानकारी

पानी, कंक्रीट का उत्पादन, कंक्रीट का निपटान, बिजली की उपलब्धता, परिदृश्य से संबंधित चिंताएं आदि और याचिकाकर्ता इसके विपरीत सामग्री को रिकॉर्ड पर रखकर अपनी आशंकाओं को साबित करने में पूरी तरह विफल रहे हैं।

365. जहाँ तक पेड़ों के प्रत्यारोपण के संबंध में, जहाँ भी निकटता हो, समिति ने सही नोट किया है कि ऐसी कोई भी कार्रवाई *1994* के अधिनियम के तहत वैधानिक प्राधिकरण से पूर्व अनुमति के बाद की जानी चाहिए।

जाहिर है, प्रत्यारोपण का अभ्यास उन परिस्थितियों में सख्ती से किया जाना चाहिए जब परियोजना को उसके वास्तविक रूप में आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है जब तक कि पेड़ों को स्थानांतरित नहीं किया जाता है। पर्यावरण न्यायशास्त्र में, सबसे अधिक विचार टिकाऊ के दृष्टिकोण को सुरक्षित करना है।

विकास। इस घटना को विनियमित करने के लिए एक विशेषज्ञ वैधानिक प्राधिकरण का अस्तित्व यह सुनिश्चित करने के लिए एक कानूनी सुरक्षा है कि जनहित में लाभकारी विकास की आवश्यकता और पेड़ों की सुरक्षा-हमारे फेफड़ों के संरक्षक के बीच सामंजस्य बनाए रखा जाए। *1994* के अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी का कोई भी निर्णय हमारे सामने नहीं रखा गया है। इसलिए, हमें इस पहलू पर आगे विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है।

366. ई. ए. सी. की दो बैठकों के कार्यवृत्त स्व-व्याख्यात्मक हैं और इससे संबंधित सिद्धांतों के आलोक में मन के उचित अनुप्रयोग को प्रकट करते हैं - ऊपर वर्णित मन का अनुप्रयोग। हम दोहराना नहीं चाहते हैं

समान रूप से प्रोलिक्सिटी से बचने के लिए। ई. ए. सी. एक विशेषज्ञ निकाय है और यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि इसे परियोजना से संबंधित सभी प्रासंगिक जानकारी से अवगत कराया गया है और इसने प्रस्ताव पर अपना दिमाग लगाया है। न्यायिक समीक्षा के तय किए गए सिद्धांतों पर भी, यह स्पष्ट है कि समिति द्वारा प्रासंगिक सामग्री पर विचार किया गया है और किसी भी अप्रासंगिक सामग्री पर कोई निर्भरता नहीं दिखाई गई है। समिति द्वारा दी गई विशिष्ट सिफारिशों से संकेत मिलता है कि समिति पर्यावरणीय मामलों में एहतियाती उपायों की आवश्यकता से अवगत थी और तदनुसार, उसने कुछ मामलों में आगे की अनुमति की आवश्यकता का सुझाव दिया।

367. एक बार जब एक विशेषज्ञ समिति ने ईसी के लिए एक आवेदन पर अपना दिमाग लगाया है, तो उसके निर्णय को कोई भी चुनौती इस पर आधारित होनी चाहिए -

ठोस सामग्री जो मन की पूर्ण अनुपस्थिति को प्रकट करती है। उस सामग्री के अभाव में, विशेषज्ञों के निर्णयों को उचित सम्मान दिखाया जाना चाहिए। मामले के तथ्य ई. ए. सी. से तथ्य/जानकारी को जानबूझकर छिपाने या किसी भी गलत सूचना की आपूर्ति का खुलासा नहीं करते हैं। याचिकाकर्ताओं की हनुमान लक्ष्मण अरोस्कर

3 6 9 369 पर व्यापक निर्भरता गलत है और उनके मुद्दे को आगे बढ़ाने में कोई फायदा नहीं होगा। हम इस कथन से पूरी तरह सहमत हैं कि पूर्ण और सही खुलासा

और किसी भी आवेदन में उच्चतम स्तर की पारदर्शिता की आवश्यकता होती है ईसी। हालाँकि, वर्तमान मामला मौलिक रूप से अलग है। इस परियोजना के परिदृश्य में एक ग्रीनफील्ड घटक शामिल नहीं है जिसके चारों ओर

369 (32 पर ऊपर*)*

राजीव सूरी बनाम। दिल्ली विकास प्राधिकरण और ओआरएस। *[* ए. एम. खानविलकर, जे.*]*

वन और महत्वपूर्ण वन्यजीव। इसमें पूर्ण गैर-आवेदन शामिल नहीं है।

पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों जैसे परियोजना के एक महत्वपूर्ण पहलू के बारे में विचार करना। हनुमान लक्ष्मण अरोस्कर *3 70* में जांच और मूल्यांकन का पूरा आधार अलग था। इसके लिए, इसमें एक ऐसी परियोजना शामिल थी जिसमें ईसी के सभी चार चरणों यानी स्क्रीनिंग, स्कोप, सार्वजनिक परामर्श और मूल्यांकन का अनुपालन अनिवार्य था। जबकि, वर्तमान परियोजना, जैसा कि पहले ही ऊपर चर्चा की गई है, स्कोप प्रक्रिया के अधीन नहीं है। हनुमान में लक्ष्मण अरोस्कर *3 7 1*, प्रपत्र *I/I-A* में विभिन्न विवरणों को खाली छोड़ दिया गया था, पेड़ों के बारे में जानकारी सक्रिय रूप से छिपी हुई थी और इसकी अनुपस्थिति थी

आवेदन के सरसरी विश्लेषण के साथ कारण पर्याप्त रूप से उठाए गए

मन के गैर-अनुप्रयोग की चिंताएँ। उस मामले में तथ्य स्थिति न्यायिक विवेक को हिलाने और समीक्षा की शक्तियों के आह्वान के लिए पर्याप्त थी। *368.* याचिकाकर्ताओं ने आग्रह किया है कि प्रतिवादियों ने जानबूझकर संसद के अनुलग्नक भवन और पुस्तकालय को कुल निर्मित क्षेत्र से बाहर रखा है ताकि जांच के स्तर को कम किया जा सके। जाँच करने पर, हम ध्यान देते हैं कि यह तर्क भी सारहीन है। हम शुरुआत में ही उत्तरदाताओं के इस कथन पर ध्यान देते हैं कि उपरोक्त संरचनाएं प्रस्ताव का हिस्सा नहीं हैं। लिखित प्रस्तुतियाँ-भाग *I* में, यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उक्त भवनों *(*संसद अनुलग्नक और पुस्तकालय*)* के संबंध में कोई कार्य प्रस्तावित नहीं है। पैरा *9* में प्रस्तुतिकरण इस प्रकार हैः

" *9.* उपरोक्त *44940* वर्ग मीटर *+ 5200* वर्ग मीटर में या नहीं है।

"एनेक्सी इमारत" को शामिल करें, जिसे छुआ नहीं जा रहा है। मौजूदा संसद भवन और प्रस्तावित संसद परिसर *(*प्लॉट संख्या *118)* को दिखाने वाले मानचित्र की एक प्रति तैयार संदर्भ के लिए संलग्न है। इसलिए याचिकाकर्ताओं का तर्क तथ्यात्मक स्थिति की अनदेखी करता है

उत्तरदाताओं द्वारा कहा गया है और अस्वीकार कर दिया गया है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करने की आवश्यकता एक स्थल-विशिष्ट अभ्यास है। इसका उद्देश्य प्रस्तावित गतिविधि के किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को रोकना है। अतः इसके प्रभाव पर विचार करने से पहले कार्य के दायरे को समझना आवश्यक है। आवश्यक सवाल यह है कि क्या काम के दायरे में एक संरचना पर शारीरिक गतिविधि शामिल है जिसे प्रभाव मूल्यांकन से बाहर रखा गया है। परियोजना, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, में दो आयाम शामिल हैं-नए संसद भवन का निर्माण और मौजूदा संसद भवन का नवीनीकरण। इसके अलावा, एम. ओ. ई. एफ. ने अनुदान देते हुए *370 (32* पर ऊपर*)*

371 (32 पर ऊपर*)*

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

17.6.2020 पर मंजूरी, मौजूदा संसद भवन के नवीनीकरण के दायरे को इस प्रकार नोट किया:

" 2. (vi)। मौजूदा संसद भवन के नवीनीकरण का दायरा होगा *(ए)* मौजूदा संसद भवन की संरचना का आकलन करने के लिए स्थिति सर्वेक्षण; *(*बी*)* संरचनात्मक सुदृढ़ीकरण; और *(*सी*)*

अंदरूनी और उपयोगिताओं का नवीनीकरण "।

इस प्रकार, कार्य का दायरा मौजूदा भवन की कार्यक्षमता और जीवन में सुधार करने तक सीमित है, न कि भवन के साथ जुड़ी सभी संरचनाओं में परिवर्तन करने के लिए। हम लाभप्रद रूप से एस. ओ. *695 (*ई*)* दिनांक *4.4.2011* का उल्लेख कर सकते हैं जिसमें इस उद्देश्य के लिए "निर्मित क्षेत्र" को परिभाषित किया गया है - *2006* की अधिसूचना के तहत पर्यावरण मंजूरी इस प्रकार है:

" इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए निर्मित क्षेत्र को "सभी मंजिलों पर निर्मित या ढके हुए क्षेत्र को एक साथ रखने" के रूप में परिभाषित किया गया है।
तहखाने और अन्य सेवा क्षेत्रों सहित, जो भवन/निर्माण परियोजनाओं में प्रस्तावित हैं।

उपरोक्त परिभाषा आगे स्पष्ट करती है कि प्रस्तावित निर्माण परियोजना के संदर्भ में निर्मित क्षेत्र का अनुमान लगाया जाना है। एक बार

विशेष भवन परियोजना में शामिल है, सभी मंजिलों, तहखाने और सेवा क्षेत्रों के आच्छादित क्षेत्र को कुल निर्मित क्षेत्र में शामिल किया जाना चाहिए। एक परिणाम के रूप में, जब तक कोई इमारत या स्थल परियोजना में शामिल नहीं है और किसी भी विकास का विषय नहीं है, तब तक ई. ए. सी. के लिए परियोजना के कुल क्षेत्र में अपने क्षेत्र को शामिल करने का कोई अवसर नहीं होगा। क्योंकि, ऐसी इमारत से किसी भी पर्यावरणीय प्रभाव का कोई सवाल ही नहीं हो सकता है।

एन. जी. टी. द्वारा मेरिट समीक्षा

369. इससे पहले कि हम विश्लेषण में आगे बढ़ें, हम ईसी को इस चुनौती में योग्यता समीक्षा के आह्वान को संबोधित करेंगे। अभिव्यक्ति

" "योग्यता समीक्षा" को इसके सही परिप्रेक्ष्य में रखने की आवश्यकता है। इसके लिए हमें तुरंत राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, *2010-372* की धारा *16* का विज्ञापन करना चाहिए। यह एन. जी. टी. के अपीलीय अधिकार क्षेत्र के लिए इस प्रकार प्रदान करता है:

" 16. न्यायाधिकरण के पास अपीलीय अधिकार क्षेत्र होगा। —कोई भी व्यक्ति

दुखी होकर,

372 संक्षेप में, *"2010* अधिनियम" राजीव सूरी बनाम।

दिल्ली विकास प्राधिकरण और ओआरएस। *[* ए. एम. खानविलकर, जे.*]*

(ज*)* राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, *2010* के प्रारंभ पर या उसके बाद, उस क्षेत्र में पर्यावरण मंजूरी प्रदान करने वाला एक आदेश जिसमें कोई भी उद्योग, संचालन या प्रक्रियाएं या उद्योगों का वर्ग, संचालन और प्रक्रियाएं पर्यावरण *(*संरक्षण*)* अधिनियम, *1986 (1986* का *29)* के तहत कुछ सुरक्षा उपायों के अधीन नहीं की जाएंगी या की जाएंगी;

... .

उस तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर, जिस दिन आदेश या निर्णय या निर्देश या निर्धारण उसे सूचित किया जाता है, न्यायाधिकरण में अपील कर सकता हैः

यह प्रावधान "किसी भी पीड़ित व्यक्ति" को एन. जी. टी. की जांच के लिए निर्वाचन आयोग के अनुदान के खिलाफ अपील दायर करने का अधिकार देता है। *2010* की योजना

अधिनियम, जैसा कि धारा *17-19* में पाया गया है, पीड़ित व्यक्तियों को मुआवजे और चोट के आधार पर अन्य राहत सहित कई उपचार प्रदान करता है। धारा *20* उस मूल सिद्धांत को निर्धारित करती है जिस पर न्यायाधिकरण से अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने की अपेक्षा की जाती है। वह इस प्रकार कहता हैः

" *20.* कुछ सिद्धांतों को लागू करने के लिए न्यायाधिकरण। —न्यायाधिकरण, कोई भी आदेश या निर्णय या पुरस्कार पारित करते समय, सतत विकास के सिद्धांतों, एहतियाती सिद्धांत और

प्रदूषक भुगतान सिद्धांत "।

370. "योग्यता समीक्षा" अभिव्यक्ति का अर्थ है कि न्यायाधिकरण को निर्णय के गुण-दोष की जांच करनी चाहिए और निर्णय लेने की प्रक्रिया की सरसरी जांच तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। धारा *20* बताती है कि

यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि सतत विकास, एहतियाती सिद्धांत और प्रदूषक भुगतान सिद्धांत के सिद्धांतों को इसकी जांच को सूचित करना चाहिए। द.

योग्यता समीक्षा की आवश्यकता को *2010* के अधिनियम के तहत एन. जी. टी. के वैधानिक अधिकार क्षेत्र के आलोक में समझा जाना चाहिए न कि उससे आगे। सांविधिक रूप से, एन. जी. टी. को उपरोक्त सिद्धांतों के आलोक में उसके समक्ष अपील की सुनवाई करने और अधिनियम में दिए गए प्रावधानों के अनुसार सीमित राहत देने के लिए एक सीमित जनादेश प्राप्त है।

2010 एक्ट करें। धारा *16* निर्दिष्ट करती है कि एनजीटी के अधिकार क्षेत्र को तब लागू किया जा सकता है जब किसी व्यक्ति को लगता है कि परियोजना को आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए या पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, *1986* के तहत कुछ सुरक्षा उपायों के अधीन होना चाहिए। इसलिए, एन. जी. टी. एक निकाय है जो परियोजना के एक सीमित पहलू यानी पर्यावरणीय पहलू के मूल्यांकन के लिए है और यह सभी बुराइयों के लिए रामबाण नहीं है। योग्यता समीक्षा की आवश्यकता, *[2021] 15* एस. सी. आर.

पर्यावरण संबंधी मामलों पर जब भी वे विचार के लिए सामने आते हैं, जनादेश। उसके समक्ष एक कारण में, एनजीटी मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की चिंताओं पर सीधे निर्णय नहीं ले सकता है और एक बार जब किसी विषय की रूपरेखा ईसी के अनुदान से अपील के दायरे को पार कर जाती है, तो न्यायाधिकरण द्वारा गुण समीक्षा कानून द्वारा निहित अधिकार क्षेत्र के दायरे से परे नहीं जा सकती है। *372.* हमने इस बात पर विचार-विमर्श किया कि क्या निर्वाचन आयोग के प्रश्न को एन. जी. टी. के विचार के लिए भेजने की आवश्यकता है। लेकिन हमारे सामने उठाए गए मुद्दों में से कोई भी इस मामले में गहन तकनीकी विश्लेषण की आवश्यकता को प्रदर्शित नहीं करता है। केवल संदेह किसी ऐसे विषय को अलग करने का आधार नहीं बन सकता है जो इस न्यायालय के विचार के लिए लंबित है और इस मामले में पूर्ण न्याय का हकदार है।

373. निस्संदेह, धारा *29* में अनन्य अधिकारिता खंड के माध्यम से, सिविल न्यायालयों की अधिकारिता इन विषय मामलों पर वर्जित है, लेकिन

इस न्यायालय की अधिकारिता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि यह एक अभिलेख न्यायालय है और जिसे मूल और अपीलीय अधिकारिता प्रदान की गई है, जिसमें अनुच्छेद *142* के तहत पूर्ण न्याय करने की उच्च शक्तियां शामिल हैं।

विशेष परिस्थितियाँ। दूसरे शब्दों में, इस न्यायालय का अधिकार क्षेत्र *2010* के अधिनियम के संदर्भ में एन. जी. टी. में निहित अधिकार क्षेत्र के रूप में नियंत्रित या निर्देशित नहीं है। इस न्यायालय के समक्ष विचार विविध और व्यापक हो सकते हैं और जिस क्षण इस न्यायालय के समक्ष एक याचिका आती है, विषय वस्तु सीमित वैधानिक विचार के दायरे से बाहर आती है और पूर्ण संवैधानिक विचार के दायरे में आती है-जिसमें न्यायालय का कर्तव्य अपने समक्ष पक्षों के बीच और व्यक्तियों के एक वर्ग के लिए जनहित क्षेत्राधिकार में पूर्ण न्याय करना है।

374. निस्संदेह, पर्यावरण और विकास एक-दूसरे के कट्टर दुश्मन नहीं हैं। पर्यावरण को विकास में बाधा के रूप में मानना एक विसंगत दृष्टिकोण होगा और इसके विपरीत भी। ई. ए. सी. और एन. जी. टी. जैसी संस्थाओं को दो प्रतिस्पर्धी हितों के बीच एक न्यायपूर्ण संतुलन बनाने के लिए बनाया गया है और इस संतुलन को बनाए रखने का एक समय-परीक्षित सिद्धांत एक विकास गतिविधि के बीच पर्यावरणीय उपायों को कम करने का समय पर आह्वान है। यह सच है कि कुछ शमन उपायों का मात्र उपयोग सभी मामलों में और कुछ मामलों में पर्यावरणीय चिंताओं को कम नहीं कर सकता है। *373 (32* पर ऊपर*)*

राजीव सूरी बनाम। दिल्ली विकास प्राधिकरण और ओआरएस। *[* ए. एम. खानविलकर, जे.*]*

पर्यावरण। लेकिन जब तक एक वैध विकास गतिविधि को सतत विकास सहित पर्यावरण संरक्षण और संरक्षण के विचार के अनुरूप चलाया जा सकता है, अदालतों के साथ-साथ विशेषज्ञ निकायों को यह सुनिश्चित करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए कि सद्भाव बनाए रखा जाए और बाधाओं को कम किया जाए। उपाय।

वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण। यह ध्यान देने योग्य नहीं होगा कि सतत विकास वास्तव में विकास का एक सिद्धांत है-यह नियंत्रित विकास को मानता है। इस सिद्धांत में अंतर्निहित

प्राथमिक आवश्यकता यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक विकास कार्य टिकाऊ हो; और स्थिरता की यह आवश्यकता मांग करती है कि देश में कानून के पर्यावरणीय शासन को लागू करने वाली प्रत्येक एजेंसी का पहला प्रयास उचित शमन उपायों द्वारा पर्यावरणीय चिंताओं को कम करना होना चाहिए। आने वाली पीढ़ियों के पास समान अधिकार हैं। पर्यावरण और विकास में भागीदारी। वे एक विकसित समाज के उतने ही हकदार हैं जितना कि वे एक पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित समाज के। विकास के अधिकार पर घोषणा, *1986* द्वारा, संयुक्त राष्ट्र ने विकास के अधिकार को स्पष्ट मान्यता दी है। घोषणा के अनुच्छेद *1* में इस अधिकार को इस प्रकार परिभाषित किया गया है:

" *1.* विकास का अधिकार एक अपरिहार्य मानव अधिकार है जिसके आधार पर प्रत्येक व्यक्ति और सभी लोग इसके हकदार हैं।

आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक में भाग लें, योगदान दें और आनंद लें

और राजनीतिक विकास, जिसमें सभी मानवाधिकार और
मौलिक स्वतंत्रताओं को पूरी तरह से महसूस किया जा सकता है।

376. इस प्रकार, विकास का अधिकार, गरिमापूर्ण जीवन के संरक्षण से आंतरिक रूप से जुड़ा हुआ है। यह विचार तक सीमित नहीं है

बुनियादी ढांचागत विकास, बल्कि, इसमें मानव विकास को सभी विकास के आधार के रूप में शामिल किया गया है। पर्यावरण संबंधी मामलों में न्यायशास्त्र को यह स्वीकार करना चाहिए कि विकास के अधिकार और प्राकृतिक पर्यावरण के अधिकार के बीच अपार अंतर-निर्भरता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून और सतत विकास में, अर्जुन सेनगुप्ता अध्याय में

"विकास के अधिकार *3 74* को लागू करना इस प्रकार है: *374* अंतर्राष्ट्रीय कानून और सतत विकास-सिद्धांत और अभ्यास, एडन। *2004 , pg.*

"..... दो अधिकार परस्पर निर्भर हैं यदि एक के आनंद का स्तर दूसरे के आनंद के स्तर पर निर्भर है। नियामक एजेंसियों की चिंता खरपतवार निकालना है

विकास का अधिकार किसी अन्य अधिकार से ऊपर नहीं है। सेनगुप्ता आगे टिप्पणियाँ:

..... विकास के अधिकार में सुधार तभी होता है जब कम से कम एक घटक अधिकार में सुधार होता है और कोई अन्य अधिकार बिगड़ता या उल्लंघन नहीं होता है, जिसका अर्थ है विकास का अधिकार।

मानवाधिकारों की अविभाज्यता के सिद्धांत के अनुरूप है। *375* "

377. एहतियाती सिद्धांत विधिवत आदेश देता है कि अदालतों सहित राज्य की सभी एजेंसियों को यह सुनिश्चित करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए कि विकास की प्रक्रिया में एहतियात बरती जाए। बहुत ही।

एहतियात के लिए इस आवश्यकता से पूर्व ईसी की आवश्यकता पैदा होती है। यह भारत में एहतियाती सिद्धांत की अभिव्यक्ति है और यदि पूर्व ईसी को आगे बढ़ाने के लिए विकास कार्य किया जाता है और इस तरह के ईसी को अवैधता से दूषित नहीं किया जाता है, तो यह एहतियाती सिद्धांत के उचित पालन का मामला होगा।

378. प्रतिस्पर्धी पर्यावरण और विकास संबंधी चिंताओं के बीच संतुलन के मामलों में, न्यायालय को परियोजना-विशिष्ट होना चाहिए। पर्यावरणीय मामलों में, यहाँ या वहाँ एक भी तथ्य परियोजना के लिए पूरी तरह से अलग चरित्र को जिम्मेदार ठहराने का प्रभाव डाल सकता है और तदनुसार, न्यायिक समीक्षा का दायरा भिन्न हो सकता है। यह भावना सबसे अच्छी तरह से प्रतिबिंबित होती है प्रोफेसर स्कॉटलैंड *3 76* के निम्नलिखित शब्द जिन्होंने न्यायिक समीक्षा के मानकों को सख्ती के अनुसार श्रेणीबद्ध करने का प्रस्ताव दिया:

"*3. .....* मैंने हमेशा समीक्षा के दायरे के बारे में एक स्पेक्ट्रम के रूप में सोचा है, जिसमें एक छोर पर डी नोवो, दूसरे छोर पर असंवैधानिकता के साथ, और कई के बीच में जिसे मैं "मनोदशा-बिंदु" कहूंगा या

न्यायिक आक्रामकता या संयम की डिग्री, जैसे कि

साक्ष्य की प्रधानता, स्पष्ट रूप से गलत, पूरे रिकॉर्ड पर पर्याप्त साक्ष्य, साक्ष्य की मात्रा, विवेक का दुरुपयोग और अंत में, असंवैधानिकता के ठीक बगल में या यहां तक कि मनमाना और मनमौजी। और चूँकि ये केवल "मनोदशा-बिंदु" हैं, प्रत्येक के भीतर अंतर के लिए काफी जगह है।

375 अंतर्राष्ट्रीय कानून और सतत विकास-सिद्धांत और अभ्यास, एडन। *2004 , pg. 354*

376 डी. सी. सर्किट न्यायिक सम्मेलन, पर्यावरण संरक्षणः कानून और नीति, द्वितीय संस्करण। , *pg.*

122 राजीव सूरी बनाम। दिल्ली विकास प्राधिकरण और ओआरएस। *[* ए. एम. खानविलकर, जे.*]*

379. पर्यावरण संबंधी मामलों में न्यायिक समीक्षा का उचित संतुलन और एक निरंतर विकासशील समाज सभी में बड़ी बहस का विषय है।यूरीडिस्डिक्शन। एथिल निगम बनाम। ई. पी. ए. *3 77,* न्यायाधीश की टिप्पणियाँ

राइट एक न्यायपूर्ण संतुलन प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने इस प्रकार टिप्पणी कीः

"समीक्षा के अवमूल्यन मानक और इस आवश्यकता के बीच कोई विसंगति नहीं है कि समीक्षा अदालत सबसे जटिल साक्ष्य मामलों में भी खुद को शामिल करे; बल्कि, मनमाने और मनमौजी समीक्षा के दो संकेत सावधानीपूर्वक संतुलन में खड़े हैं। साक्ष्य की बारीकी से जांच का उद्देश्य अदालत को शिक्षित करना है। इसका सामना करने वाली समस्या के बारे में पर्याप्त समझ होनी चाहिए

और जिन्हें दरकिनार कर दिया गया; एजेंसी और किए गए लोगों के लिए विकल्प खुले हैं। मामला जितना अधिक तकनीकी होता है, सबूत को समझने के लिए अदालत का प्रयास उतना ही अधिक गहन होता है, क्योंकि इसके लिए कोई उपयुक्त सबूत नहीं होता है।
उसके सामने मामले की समझ अदालत ठीक से नहीं कर सकती है

अपना अपीलीय कार्य करें। .....

" 9

इसके बाद वह न्यायिक कार्य की सीमाओं को समझने की आवश्यकता पर जोर देते हैं

हंसः

" लेकिन कार्य कर्तव्यनिष्ठा के साथ किया जाना चाहिए
इसकी सीमित प्रकृति के बारे में जागरूकता। में लागू की गई शिक्षा

एजेंसी के सामने समस्या की जटिलताएँ नहीं हैं

अदालत को एक सुपर एजेंसी बनने में सक्षम बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है जो एजेंसी के विशेषज्ञ निर्णय निर्माता को प्रतिस्थापित कर सकता है। के लिए

इसके विपरीत, न्यायालय को अपनी विकसित विशेषज्ञता पर भरोसा करने की एजेंसी की क्षमता को उचित सम्मान देना चाहिए। में विसर्जन

साक्ष्य पूरी तरह से अदालत को निर्धारित करने में सक्षम बनाने के लिए बनाया गया है

क्या एजेंसी का निर्णय तर्कसंगत था और इस पर आधारित था
प्रासंगिक कारकों पर विचार करना। यह तय किया गया है कि हमें उन निर्णयों की पुष्टि करनी चाहिए जिनसे हम असहमत हैं जब तक कि यह परीक्षण पूरा हो जाता है।

(जोर दिया गया*)*

380. उन्हें हमेशा एक सावधानीपूर्वक संतुलन की तलाश करनी चाहिए जब दो समान हों।

एलिवेन्ट हित एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। काम आसान नहीं हो सकता है,

यू. टी. एकमात्र उचित उपाय है। इनके उचित उपयोग के लिए सिद्धांत, पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात जो ध्यान में रखी जानी चाहिए वह है प्रकृति

426 अमेरिका *941 (1977): 541* एफ. *2* डी *1 (1977)*

परियोजना। वर्तमान मामले में, विषय परियोजना एक स्वतंत्र भवन और निर्माण परियोजना है जिसमें एक बार की निर्माण गतिविधि की जानी है। यह एक चालू उद्योग की तरह एक स्थायी या निरंतर गतिविधि नहीं है। यह स्वीकार करना पूरी तरह से समझ से परे है कि इस तरह की परियोजना आने वाली पीढ़ियों की जरूरतों और आकांक्षाओं के साथ टिकाऊ नहीं होगी। इसके अलावा, पदचिह्न में वृद्धि पर्याप्त नहीं दिखाई गई है और परिसीमन अभ्यास के बाद संसद के नए सदस्यों को शामिल करने से पदचिह्न में अपरिहार्य वृद्धि *(*हालांकि तैरती हुई*)* होने वाली है जिसे यहां चिंता का विषय नहीं माना जा सकता है।

381. इसलिए, हम पूरी तरह से जांच करने के बाद, अस्वीकार करते हैं

ईसी के अनुदान में हस्तक्षेप करना। ई. ए. सी. द्वारा विकसित विशेषज्ञता को हल्के तरीके से कम नहीं किया जा सकता है और जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, विशेषज्ञ एजेंसियों को उचित सम्मान दिया जाना चाहिए जब उनके निर्णय कानूनी अन्याय के दाग को आकर्षित नहीं करते हैं। हालाँकि, हम यह दर्ज करने की आवश्यकता महसूस करते हैं कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा शमन उपायों का पालन किया जाना चाहिए। निर्माण और परिचालन चरण के दौरान अक्षर और भावना। खतरनाक कचरे सहित अपशिष्ट प्रबंधन विधियों की नियमित निगरानी की जानी चाहिए। निर्माण और विकास योजना के अनुसार निर्माण मलबे को तत्काल हटाया जाना चाहिए। परियोजना के प्रस्तावक परियोजना के हिस्से के रूप में स्थायी उच्च क्षमता वाले स्मॉग टावर भी स्थापित कर सकते हैं और साइट पर निर्माण गतिविधि के दौरान प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए पर्याप्त संख्या में स्मॉग गन का उपयोग कर सकते हैं।

382. हम प्रतिवादी एम. ओ. एच. यू. ए. से आह्वान करना उचित समझते हैं

उचित सामान्य निर्देश जारी करने पर विचार करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विकास परियोजनाओं के निर्माण और स्मॉग टावरों की स्थापना के दौरान स्मॉग गन का पर्याप्त उपयोग एक अनिवार्य आवश्यकता है, विशेष रूप से सरकारी भवनों, टाउनशिप या अन्य प्रमुख निजी परियोजनाओं को शामिल करते हुए। वायु गुणवत्ता में सुधार के पीछे के इरादे को आगे बढ़ाने का समय आ गया है जो आधुनिक इमारतों के लिए एक अनिवार्य विशेषता है और विशेष रूप से वायु प्रदूषण से सबसे अधिक प्रभावित शहरों में ऐसी प्रमुख परियोजनाओं के निर्माण के चरण के दौरान। दूसरे शब्दों में, बिगड़ते वायु गुणवत्ता सूचकांक वाले क्षेत्रों के लिए निर्देश जारी किए जाएं। हम उत्तरदाताओं *(*एम. ओ. ई. एफ.*)* से इस संबंध में बारीकियों को अंतिम रूप देने और उचित निर्देश जारी करने का आह्वान करते हैं।

परामर्श सेवाएं एन. आई. टी.

378 [देखिए: जी. सुंदरराजन *(ऊपर)*-पैरा *209* और *212;* मैसूर विश्वविद्यालय *(ऊपर)*-पैरा *12;* बसवैया *(डॉ.) (ऊपर)*-पैरा *21* और *38;* और के. टी. बागान *(ऊपर)]* राजीव सूरी बनाम।

दिल्ली विकास प्राधिकरण और ओआरएस। *[* ए. एम. खानविलकर, जे.*]*

चयन प्रक्रिया

383. याचिकाकर्ताओं ने विभिन्न मामलों में सलाहकार के चयन/नियुक्ति को चुनौती दी है, जिसमें सामान्य सर्वश्रेष्ठ का पालन करना भी शामिल है।

सरकार ने उक्त परियोजना के लिए सलाहकार के चयन/नियुक्ति की एक विशेष पद्धति का पालन किया है और एक अन्य पद्धति का पालन किया है। निविदा आमंत्रित करने के परिणामस्वरूप एक निष्पक्ष प्रक्रिया का पालन करने के बाद पहले से की गई नियुक्ति को रद्द करने का आधार एक बेहतर विकल्प नहीं हो सकता है।

समान रूप से रखे गए पात्र व्यक्तियों से। *384.* इस प्रकार कहने के बाद, जो विचार के लिए बचा है वह अनिवार्य रूप से दो संस्थाओं के बीच एक संविदात्मक संबंध के खिलाफ एक हमला है

अनुबंध का तीसरा पक्ष, वह भी जनहित याचिका के माध्यम से। फिर भी, हम इस हमले को भी विच्छेदित करना जारी रख सकते हैं।

385. 2.9.2019 पर, सीपीडब्ल्यूडी द्वारा राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय डिजाइन से सलाहकार की नियुक्ति के लिए बोलियां आमंत्रित करने के लिए एक नोटिस जारी किया गया था और नियोजन कंपनियाँ। आमंत्रण दस्तावेज में संभावित बोलीदाताओं के लिए प्रारंभिक पात्रता मानदंड और न्यूनतम पात्रता मानदंड निर्दिष्ट किए गए थे। मानदंड में पूर्व अनुभव, ऐतिहासिक क्षेत्र पुनर्विकास परियोजनाओं, न्यूनतम वार्षिक कारोबार, वास्तविक धन और न्यूनतम अनुभव से संबंधित विस्तृत आवश्यकताओं को निर्दिष्ट किया गया है। इसके बाद, एक तकनीकी मूल्यांकन मानदंड *[2021] 15* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

वित्तीय शक्ति, परियोजना क्षमताओं, मुख्य परियोजना दल और दृष्टिकोण और कार्यप्रणाली का मूल्यांकन करने के लिए निर्दिष्ट किया गया था। परामर्श कार्य का दायरा इस प्रकार निर्दिष्ट किया गया था:

"*4.* परामर्श कार्य का क्षेत्र:

फर्म/सलाहकार व्यापक प्रावधान प्रदान करेंगे।

परियोजना अवधारणात्मककरण में परामर्श सेवाएं

कुल स्टेशनों का उपयोग करके स्थलाकृतिक और समोच्च सर्वेक्षण, तैयार करें

मौजूदा संरचनाओं, पेड़ों, बिजली के खंभों को दिखाने वाली सर्वेक्षण स्थल योजना
भू-निर्देशांक, भू-तकनीकी जांच आदि के साथ

प्रतिवेदन, सर्वेक्षण स्थान उपयोग, कार्यात्मक संबंध, तैयारी

अनुमोदन, बाहरी विकास कार्य, भूनिर्माण, बी. आई. एम. मॉडलिंग,
विस्तृत परियोजना रिपोर्ट और सभी बोली/निविदा दस्तावेजों की तैयारी

आदि। सलाहकार को सेंट्रल विस्टा का पालन करना चाहिए
समिति के दिशा-निर्देश और लुटियंस बंगला क्षेत्र

परामर्श कार्य करते समय दिशा-निर्देश

सेंट्रल विस्टा का पुनर्विकास "।

(जोर दिया गया*)*

परामर्श कार्य का दायरा स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करता है कि सलाहकार

विभिन्न गतिविधियों में परियोजना प्रस्तावक की सहायता करके "परियोजना अवधारणा" के उद्देश्य के लिए आवश्यक है। यह आगे निर्दिष्ट करता है कि सलाहकार सीवीसी दिशानिर्देशों और लुटियंस बंगले का पालन

करने के लिए बाध्य है। क्षेत्र दिशानिर्देश, जो यह दर्शाते हैं कि सलाहकार को एक नया मास्टर प्लान बनाने का कोई स्वतंत्र कार्य नहीं सौंपा गया है और वह केवल क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले कानूनी ढांचे के चार कोनों के भीतर काम करने के लिए बाध्य है।

386. संदर्भ की शर्तें *(*टीओआर*)* आगे इसका दायरा निर्दिष्ट करती हैं।

इस प्रकार कार्य और राज्य काः

" *1.1* काम का दायरा

(i) कार्य का दायरा इस प्रकार होगाः

क*)* प्रारंभिक रिपोर्ट और मास्टर प्लान

ख*)* व्यापक विस्तृत डिजाइन और आवधिक पर्यवेक्षण

कारीगरी "। राजीव सूरी बनाम।

दिल्ली विकास प्राधिकरण और ओआरएस। *[* ए. एम. खानविलकर, जे.*]*

याचिकाकर्ताओं ने उपरोक्त विनिर्देश का उपयोग यह तर्क देने के लिए किया है कि परियोजना प्रस्तावक को तैयार करने का कार्य सौंपा गया है

निजी सलाहकार के लिए मास्टर प्लान। इस तर्क को शुरू में ही खारिज किया जाना चाहिए। टी. ओ. आर. का खंड *1.2* इस पर निर्देशात्मक है। गिनती के रूप में यह "काम के विस्तृत दायरे" को नोट करता है। टी. ओ. आर. में उपयोग की जाने वाली अभिव्यक्ति "मास्टर प्लान" वैधानिक से बिल्कुल अलग है।

इस अभिव्यक्ति का अर्थ। इस दस्तावेज़ में, परियोजना के अंतिम डिजाइन के लिए दृष्टि दस्तावेज़ को दर्शाने के लिए व्यापक रूप से मास्टर प्लान का उपयोग किया जाता है। खंड *1.2 (*कार्य का विस्तृत दायरा*)* में बिंदु *(*ए*)* नोट करता हैः

" *i)* प्रारंभिक रिपोर्ट और मास्टर प्लान

ए*)* परामर्श से संक्षिप्त डिजाइन तैयार करना और उसे अंतिम रूप देना।

ग्राहक के साथ "।

बिन्दु *(*एच*)* अधिक स्पष्टता प्रदान करता है जैसा कि यह नोट करता हैः

" ज*)* प्रभावित क्षेत्र/भवनों, परिसंचरण, भूमि उपयोग, प्रस्तावित निर्माण खंडों, के प्रकार सहित अवधारणात्मक मास्टर प्लान की तैयारी।

कार्य, चरण आदि "।

387. सलाहकार का चयन पूर्व-निर्धारित निर्णय पर आधारित था।

गुणवत्ता और लागत आधारित चयन *3 79* प्रक्रिया जिसमें तकनीकी मूल्यांकन को *80* प्रतिशत और वित्तीय मूल्यांकन को *20* प्रतिशत महत्व दिया गया था। तकनीकी मूल्यांकन के चार घटकों में से, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, दृष्टिकोण और कार्यप्रणाली के अंतिम घटक को अधिकतम महत्व दिया गया था और इसका मूल्यांकन विशेषज्ञों की एक जूरी द्वारा किया जाना था। बोलियां जमा करने के बाद, संभावित बोलीदाताओं की शंकाओं को दूर करने के लिए एक बोली-पूर्व बैठक आयोजित की गई थी। बोली-पूर्व बैठक में कुल *18* कंपनियों ने भाग लिया और छह कंपनियों ने अंततः मूल्यांकन के लिए अपनी तकनीकी और वित्तीय बोलियां प्रस्तुत कीं। इन कंपनियों ने अपने दृष्टिकोण पर एक प्रस्तुति दी।

और *11.10.2019* पर विशेषज्ञों की एक निर्दिष्ट जूरी के समक्ष कार्यप्रणाली। जूरी में एक अध्यक्ष, पाँच सदस्य और एक सदस्य सचिव शामिल थे। जूरी की संरचना प्रासंगिक है और हम बेहतर समझ के लिए इसे पुनः प्रस्तुत करते हैं:

(1)

प्रो. पीएसएन राव, निदेशक, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड

वास्तुकला, नई दिल्ली-अध्यक्ष

प्रो. डॉ. राम सुब्रमण्यन, दयानंद सागर के प्राचार्य

((ख)

कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, के. एस. लेआउट, बेंगलुरु-सदस्य

(iii)

श्री अशोक मलिक, सेवानिवृत्त। मुख्य वास्तुकार, एन. डी. एम. सी.-सदस्य

379 संक्षेप में, "क्यूसीबीएस"

(iv) श्री नवनीत कुमार, एडीजी *(कार्य)*, सीपीडब्ल्यूडी-सदस्य *3*

((iv) श्री विकास भोसेकर, लैंडस्केप आर्किटेक्ट, प्लॉट नंबर *13*,

136, नया सी. डी. एस. एस., पुणे-सदस्य

(vi)

श्री रमेश डंगले, शहरी डिज़ाइनर, मुख्य वास्तुकार

योजनाकार, सिडको, नवी मुंबई-सदस्य

(vii) श्री विजय प्रकाश राव, वरिष्ठ वास्तुकार, क्षेत्र दिल्ली,

सीपीडब्ल्यूडी-सदस्य सचिव

388. एक निविदा अनिवार्य रूप से दो पक्षों के बीच एक अनुबंध है और केवल इसलिए कि अनुबंध का एक पक्ष राज्य है, लेनदेन का मूल चरित्र नहीं बदलता है। भारत में, हम अनुबंध की गोपनीयता के सिद्धांत का पालन करते हैं और अनुबंधों से संबंधित कानून और विशिष्ट राहत संविदात्मक लेनदेन के लिए एक पीड़ित पक्ष को पर्याप्त उपाय प्रदान करता है। अनुबंध की गोपनीयता के सिद्धांत का कानून में ठोस आधार है। यह एक वाणिज्यिक संबंध के मूल चरित्र के कारण है जिसमें स्वस्थ दिमाग वाले दो पक्ष एक-दूसरे के साथ कानूनी संबंध बनाने का विकल्प चुनते हैं और अपनी स्वतंत्र सहमति से लेन-देन की जरूरतों के अनुसार आपसी अधिकारों और देनदारियों का फैसला करते हैं। एक तत्व है

सर्वसम्मति विज्ञापन आईडीएम। एक मुक्त वाणिज्यिक लेन-देन में, यह पक्षों की सबसे बड़ी इच्छा है कि वे तीसरे व्यक्ति के हस्तक्षेप को दूर रखें। *389.* एक सामान्य नियम के रूप में, किसी तीसरे व्यक्ति के लिए स्वतंत्र संविदात्मक संबंध पर सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं है। विशेष परिस्थितियों में, नहीं

सन्देह, विशिष्ट राहत अधिनियम, *1963 380* उन परिस्थितियों के लिए प्रावधान करता है जब "कोई भी व्यक्ति" अनुबंधों को रद्द करने या उपकरणों को रद्द करने के लिए कार्रवाई शुरू कर सकता है। हालाँकि, यह कार्रवाई केवल तभी उपलब्ध है जब आरंभकर्ता यह दिखाने में सक्षम हो कि अनुबंध/साधन उसके हितों के लिए हानिकारक है। इसके अलावा, यह एक उपाय है जिसे दीवानी न्यायालय या प्रथम दृष्टांत न्यायालय में अपनाया जाना चाहिए। कानून में ऐसा कोई आधार नहीं है जो किसी पूरी तरह से अप्रभावित व्यक्ति को दो पक्षों के बीच एक तय किए गए लेनदेन को हिलाने की अनुमति देता हो। *390.* इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह तय किया गया है कि सरकार द्वारा निविदा का पुरस्कार, हालांकि एक अनुबंध है, थोड़ा अलग आधार पर है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब कोई सरकार किसी नागरिक के साथ जुड़ने का विकल्प चुनती है, तो उससे उन सभी व्यक्तियों के साथ उचित व्यवहार करने की उम्मीद की जाती है जो सरकार के साथ जुड़ने का विकल्प चुनते हैं। निष्पक्षता की यह आवश्यकता व्यवहार की समानता और पक्षपात के अभाव के तत्व को लाती है और इस प्रकार, अनुच्छेद *14* की आवश्यकताओं को समाप्त नहीं किया जा सकता है। यहाँ प्रश्न एक रिट न्यायालय द्वारा *380* के विरुद्ध एक चुनौती में हस्तक्षेप की गुंजाइश के बारे में है, संक्षेप में *"1963* अधिनियम" राजीव सूरी बनाम।

दिल्ली विकास प्राधिकरण और ओआरएस। *[* ए. एम. खानविलकर, जे.*]*

लेन-देन के लिए किसी तीसरे पक्ष के कहने पर निविदा का पुरस्कार। निर्विवाद रूप से, हमारे समक्ष किसी भी याचिकाकर्ता ने निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं लिया था और उन्हें व्यथित नहीं कहा जा सकता क्योंकि वे पारंपरिक शब्दों में अनुबंध की गोपनीयता की आवश्यकता को पूरा नहीं करते हैं। हमारे सामने जन-उत्साही व्यक्तियों का एक समूह है जो निविदा के पुरस्कार पर सवाल उठाना चाहते हैं, न कि विधिवत चुने गए/नियुक्त सलाहकार की अयोग्यता या उसे दिए गए अनुचित लाभ के कारण, बल्कि अन्य आधारों पर उच्च संवैधानिक सिद्धांतों का आह्वान करके, जो हमारे पास पहले से हैं। अब तक नकारात्मक।

391. मामले के उस दृष्टिकोण में, न्यायालय की प्राथमिक चिंता यह देखना है कि क्या चयन एक औपचारिक प्रणाली का उपयोग करके किया गया है।

उन सभी प्रतिभागियों के लिए शर्तें निर्धारित की गई थीं जो इस प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पात्र और स्वतंत्र थे। बोलियां जमा करने पर, उनके आवेदनों का विश्लेषण उद्देश्य मानकों के पूर्व निर्धारित सेट पर किया गया था, जिन्हें सभी प्रतिभागियों को पहले से ही विधिवत अधिसूचित किया गया था। सभी प्रतिभागियों को

किसी भी संदेह और अंतिम तकनीकी को स्पष्ट करने का अवसर दिया गया था। मूल्यांकन विशेषज्ञों की एक जूरी द्वारा किया गया था। याचिकाकर्ताओं ने जूरी सदस्यों की तटस्थता के खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया है। इसके अलावा, यह याचिकाकर्ताओं का मामला भी नहीं है कि जूरी के सदस्य मूल्यांकन के दौरान अपने दिमाग को लागू करने में विफल रहे। याचिकाकर्ता मुख्य रूप से हमला करते हैं

निविदा की शर्तें। जैसा कि ऊपर कहा गया है, यह न्यायालय के लिए नहीं है कि वह उन शर्तों की उपयुक्तता निर्धारित करे जिनके तहत सरकार निजी व्यक्तियों के साथ वाणिज्यिक संबंध बनाना चाहती है या जिस तरीके से वह परियोजना को निष्पादित करने का इरादा रखती है, उस संबंध में कोई वैधानिक व्यवस्था नहीं है। सरकार अपनी विभिन्न एजेंसियों की सहायता से अन्य संस्थाओं के साथ जुड़ाव के अपने नियम निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र है। *392.* ऐसे मामलों में, निर्णय लेने में अवैधता इस न्यायालय की प्राथमिक चिंता है। याचिकाकर्ताओं ने यह नहीं दिखाया है कि शर्तें

निविदाओं को जानबूझकर इस तरह से तैयार किया गया था ताकि उन्हें किसी विशेष प्रतिभागी के लिए उपयुक्त बनाया जा सके। न ही उन्होंने यह दिखाया है कि शर्तें किसी भी अनिवार्य आवश्यकता का उल्लंघन करती हैं। जहाँ तक चयन की प्रक्रिया का संबंध है, यह दुर्भावनापूर्ण आचरण का आरोप लगाने के लिए पर्याप्त नहीं है पक्षपात का तर्क तब तक देना जब तक कि वह आरोप निर्दिष्ट व्यक्तियों के खिलाफ निर्देशित नहीं किया जाता है जिन्हें कार्यवाही में पक्षकार बनाया जाना चाहिए। वास्तव में संस्थागत दुर्भावना का आरोप नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, यह तय किया गया है कि पक्षपात का आरोप *[2021] 15* एस. सी. आर. है।

अनिवार्य रूप से तथ्य का एक प्रश्न जिसे अनिवार्य रूप से ठोस साक्ष्य द्वारा समर्थित किया जाना है। अदालत से इस तर्क को स्वीकार करने की उम्मीद नहीं है।

सलाहकार के चयन में। न्यायिक जाँच में संदेह न्यायालय के लिए मार्गदर्शक नहीं हो सकता है। यह तर्क कि प्रतिभागियों की संख्या कम थी, तब तक इसका कोई महत्व नहीं होगा जब तक कि यह नहीं दिखाया जाता है कि निविदा की शर्तों या उत्तरदाताओं के लिए जिम्मेदार अन्य परिस्थितियों ने दूसरों को भाग लेने से रोक दिया था। ऐसा भी नहीं है कि याचिकाकर्ता, कम से कम वे जो एक ही पेशे में होने का दावा करते हैं, कि उनकी भाग लेने की इच्छा थी और उन्हें ऐसा करने से रोक दिया गया था। निविदा देने में न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप के संबंध में कानून अच्छी तरह से तय है। मिशिगन रबर *(*इंडिया*)* लिमिटेड बनाम। कर्नाटक राज्य और

Ors.381, न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की:

"35. ..... जैसा कि विभिन्न निर्णयों में उल्लेख किया गया है, सरकार और उनके उपक्रमों को निविदा की शर्तों को निर्धारित करने में स्वतंत्र हाथ होना चाहिए और केवल तभी जब यह मनमाना, भेदभावपूर्ण, दुर्भावनापूर्ण या पूर्वाग्रह से प्रेरित हो, अदालतें हस्तक्षेप करेंगी। अदालतें सरकार द्वारा निर्धारित निविदा की शर्तों में हस्तक्षेप नहीं कर सकतीं क्योंकि उन्हें लगता है कि निविदा में कुछ अन्य शर्तें निष्पक्ष, बुद्धिमान या तार्किक होतीं। हाथ के मामले में, हम पहले ही नोट कर चुके हैं कि यात्रियों की सुरक्षा और जनहित सहित

विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, अनुभवी व्यक्तियों से युक्त सीएमजी ने निविदा शर्तों को संशोधित किया। हम संतुष्ट हैं कि उक्त समिति ने इस विषय पर विस्तार से और निर्दिष्ट करने के लिए चर्चा की थी

पूर्व-योग्यता मानदंड और मूल्यांकन मानदंड के संबंध में ये दो शर्तें हैं। सभी सामग्रियों के अवलोकन पर, हम संतुष्ट हैं कि विवादित स्थितियों को किसी भी तरह से वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है।

मनमाना, भेदभावपूर्ण या दुर्भावनापूर्ण "।

मिशिगन रबर *3 82* में न्यायालय ने इस प्रकृति की चुनौती पर विचार करते समय ध्यान में रखने के लिए कुछ मापदंडों का सारांश दिया और इस प्रकार टिप्पणी कीः

"23. उपरोक्त निर्णयों से निम्नलिखित सिद्धांत उभरते हैंः

381 (2012) 8 एस. सी. सी. *216 (380* पर ऊपर*)*

राजीव सूरी बनाम। दिल्ली विकास प्राधिकरण और ओआरएस। *[* ए. एम. खानविलकर, जे.*]*

(ख) निविदा के मूल्य का निर्धारण पूरी तरह से इसके दायरे में आता है।

कार्यपालिका और न्यायालयों की इसमें शायद ही कोई भूमिका हो।

मनमाना या अनुचित साबित होता है। अगर सरकार
कुछ स्वस्थ मानकों और मानदंडों के अनुरूप कार्य करता है

जैसे कि निविदाएं आमंत्रित करके अनुबंध प्रदान करना, उनमें
परिस्थितियों में, अदालतों का हस्तक्षेप बहुत सीमित है;

(ग) निविदा की शर्तें तैयार करने के मामले में

दस्तावेज़ और एक अनुबंध प्रदान करना, अधिक अक्षांश है

राज्य प्राधिकरणों को स्वीकार करने की आवश्यकता है जब तक कि
निविदा प्राधिकरण की कार्रवाई दुर्भावनापूर्ण पाई गई है

और अपनी वैधानिक शक्तियों का दुरुपयोग, अदालतों द्वारा हस्तक्षेप

अदालत बहुत प्रतिबंधात्मक है क्योंकि कोई भी व्यक्ति मौलिक अधिकार का दावा नहीं कर सकता है। सरकार के साथ व्यापार करने का अधिकार।

(जोर दिया गया*)*

उपरोक्त प्रस्ताव को न्यायिक पर हमारी चर्चा के साथ पढ़ा जा सकता है।

इस निर्णय के प्रारंभिक भाग में नीतिगत मामलों में हस्तक्षेप। हम प्रोलिक्सिटी से बचने के लिए स्थिर स्थिति को दोहरा नहीं रहे हैं। उपरोक्त प्रस्ताव को एक ऐसे मामले में स्पष्ट किया गया है जिसमें चुनौती उसी निविदा प्रक्रिया में एक प्रतिभागी द्वारा उठाई गई थी न कि किसी तीसरे पक्ष द्वारा।

393. यह ध्यान देने योग्य है कि विचार करने में स्थान का प्रश्न

इस तरह के तर्क को दरकिनार नहीं किया जा सकता है। क्योंकि, इस तरह के तर्क न्यायालय से सख्ती से निजी वाणिज्यिक मामलों में उद्यम करने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र की रूपरेखा का विस्तार करने का आह्वान करते हैं। एक वादी, लेन-देन का एक पक्ष नहीं होने के कारण, सामान्य परिस्थितियों में नहीं सुना जा सकता है। एक ठोस तथ्यात्मक स्थिति के आधार पर पर्याप्त और प्रदर्शन योग्य सार्वजनिक हित स्थापित करने की आवश्यकता है। ऐसे मामलों में इस न्यायालय द्वारा विकसित न्यायशास्त्र पर्याप्त सार्वजनिक हित की तलाश करता है, जिसे भाग *III* के उल्लंघन या सरकारी कार्रवाई में मनमानेपन के आधार पर दिखाया जाना चाहिए। इसके अभाव में, मुक्त वाणिज्यिक संबंधों को संरक्षित करना न्यायालय का कर्तव्य बन जाता है। *[2021] 15* एस. सी. आर. के संरक्षण में कानून की काफी रुचि है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ओएम ऑफ़ कॉन्ट्रैक्ट। विलियनूर इयार्काई *3 83* में, इस न्यायालय ने इस पर चर्चा की

निम्नलिखित शर्तों में कानून के बारे में:

" 113. जहाँ तक लोकस स्टैंडी के संबंध में दूसरी प्रारंभिक आपत्ति का संबंध है

के लिए अनुबंध के पुरस्कार को चुनौती देने के लिए अपीलार्थी का

प्रतिवादी *11* को पांडिचेरी बंदरगाह का विकास

विकासकर्ता के रूप में उत्तरदाता *11* का चयन पांडिचेरी बंदरगाह।

114. पुरस्कार देने के मामले में लोकस स्टैंडी का सवाल

इस न्यायालय द्वारा बाल्को में अनुबंध पर विचार किया गया है।

कर्मचारी संघ *(*विनियमित*) v.* भारत संघ *384.* इस न्यायालय ने इस मुद्दे पर कानून की समीक्षा के बाद निम्नलिखित टिप्पणियां की हैं -

निर्णय के पैरा *88* में:

" 88. यह देखा जाएगा कि जब भी न्यायालय ने जनहित याचिका पर विचार करते समय हस्तक्षेप किया है और निर्देश दिए हैं तो यह मुख्य रूप से अनुच्छेद *21* या मानवाधिकारों के उल्लंघन का तत्व रहा है या जहां गरीबों और वंचितों के लाभ के लिए मुकदमा शुरू किया गया है जो कुछ नुकसान के कारण अदालत में आने में असमर्थ हैं। उन मामलों में भी यह कानूनी अधिकार हैं जो अदालतों द्वारा सुरक्षित किए जाते हैं। हालाँकि, हम यह भी जोड़ सकते हैं कि जनहित याचिका सरकार द्वारा लिए गए वित्तीय या आर्थिक निर्णयों को चुनौती देने के लिए एक हथियार नहीं थी।

प्रशासनिक शक्ति। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कोई व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से ऐसे किसी भी निर्णय से व्यथित है, जिसे वह अवैध मानता है, कानून की अदालत में इसे लागू कर सकता है, लेकिन किसी अजनबी के

कहने पर एक जनहित याचिका पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। इस तरह का मुकदमा स्वयं गरीबों और दलितों की ओर से नहीं हो सकता है, जब तक कि अदालत का समाधान नहीं हो जाता है कि इसका उल्लंघन किया गया है।

ओआरए *190* पर*)*

02) 2 एस. सी. सी. *333* राजीव सूरी बनाम दिल्ली विकास प्राधिकरण और ओआरएस। *[* ए. एम. खानविलकर, जे.*]*

अनुच्छेद *21* और प्रतिकूल रूप से प्रभावित व्यक्ति सक्षम नहीं हैं
अदालत का रुख करें। "

ऊपर उद्धृत अंश से यह स्पष्ट है कि केवल

अनुच्छेद *21* या मानव के उल्लंघन का एक तत्व रहा है
अधिकार या जहाँ मुकदमेबाजी शुरू की गई है

गरीबों और वंचितों का लाभ जो असमर्थ हैं

कुछ नुकसान के कारण अदालत में आना। "

(जोर दिया गया*)*

394. जब तक सरकारी कार्रवाई में निष्पक्षता है, तब तक ऐसा नहीं है।

अस्पष्ट और अप्रमाणित आरोप लगाकर एक वाणिज्यिक लेनदेन पर हमला करने की चिंता। जनहित याचिका की उत्पत्ति जनहित में होती है और जनहित उन लोगों के अधिकारों को सही साबित करने में निहित है जिनके पास उनके खिलाफ अन्याय को दूर करने के लिए न्यायालय तक पहुंचने का साधन नहीं है।

उन्हें। जनहित याचिका या "सामाजिक हित याचिका" का साधन, जैसा कि इसे अधिक उचित रूप से कहा जाता है, मनुष्यों के खिलाफ स्पष्ट अन्याय को दूर करने के लिए संवैधानिक न्यायालयों के दरवाजे खोलने के लिए तैयार किया गया था, यानी संवैधानिक अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए। इसका उद्देश्य कभी भी संवैधानिक न्यायालय को दिन-प्रतिदिन के शासन पर एक उत्कृष्ट प्राधिकरण के रूप में बदलना नहीं था। न्यायिक समय, चाहे वह नागरिक समाज की आड़ में हो या किसी राजनीतिक संगठन की आड़ में, सरकार के नीतिगत मामलों में अप्रमाणित खामियों या कमियों पर निर्णय लेने और नागरिकों के असंतुष्ट समूह को खुश करने के लिए इसका राजनीतिकरण करने के लिए नहीं है।

395. पूर्वगामी टिप्पणियां इसलिए नहीं हैं क्योंकि अदालतें महसूस करती हैं

असमर्थनीय और तुच्छ दावों के बोझ से ग्रस्त, लेकिन इस बात को उजागर करने के लिए कि अदालत का समय बचाया गया है, वह समय होगा-जो लंबे कारावास, स्वतंत्रता को प्रभावित करने, पेंशन और वेतन से इनकार, मोटर दुर्घटना के दावों, भूमि अधिग्रहण मुआवजे, जिसमें वास्तविक कॉर्पोरेट पुनरुत्थान और बड़े पैमाने पर लाभ के लिए पुनरुद्धार के कारण अधिक योग्य दावों पर खर्च किया जाएगा।

कामगारों और निवेशकों आदि की संख्या। इस तरह के योग्य मुकदमे की सूची

अंतहीन है। हमें ऐसा कहने की आवश्यकता है क्योंकि हमें इस मामले पर काफी समय और ऊर्जा खर्च करनी पड़ी *(*ऐसा न हो कि याचिकाकर्ताओं को एक उचित अवसर से वंचित होने की भावना हो*)*, महामारी की स्थिति के बावजूद, जो अंत में हमें सारहीन लगती है।

396. हम उपयोगी रूप से नर्मदा में प्रदर्शनी का विज्ञापन कर सकते हैं।

बचाओ आंदोलन बनाम। भारत संघ *3 85.* पैराग्राफ संख्या में। *230* रिपोर्ट किए गए निर्णय के *235* पर, न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की: *385 (132* पर ऊपर*)*

" 230. जनहित याचिका *(*पी. आई. एल.*)* अनिवार्य रूप से उन लोगों के मानवाधिकारों की रक्षा और सुरक्षा के लिए एक नवाचार था जो अपनी रक्षा करने में असमर्थ थे। समय बीतने के साथ पी. आई. एल. का अधिकार क्षेत्र बढ़ता जा रहा है ताकि सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी, लाइसेंस के रूप में उदारता प्रदान करना, पर्यावरण की रक्षा करना आदि जैसे विषयों को इसके दायरे में लाया जा सके। लेकिन गुब्बारे को इतना फुलाया नहीं जाना चाहिए कि वह फट जाए। जनहित याचिका को प्रचार हित याचिका या निजी बनने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

जिज्ञासु मुकदमेबाजी।

231. पी. आई. एल. मामलों में अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए अदालत ने कानून की अदालत के रूप में अपने कर्तव्य और भूमिका को नहीं छोड़ा है।

कानून के अनुसार न्याय प्रदान करना। अदालत ने केवल तभी कदम उठाया है जब कानून के अनुसार कार्य करने या गैर-कार्रवाई करने या कानून का उल्लंघन करने में किसी प्राधिकरण की ओर से विफलता हुई हो। ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया जाता है जो किसी भी कानूनी प्रावधान के विपरीत हो। उचित मामलों में निर्देश दिए गए हैं जहां कानून चुप है और निष्क्रियता के परिणामस्वरूप मौलिक अधिकारों या अन्य कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन होगा।

232. लोगों के अधिकारों का किसी भी तरह से उल्लंघन होने से बचाव करते हुए इस बात का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए कि अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन न करे। हमारे संवैधानिक ढांचे में है

शक्तियों का काफी स्पष्ट सीमांकन। जब भी कार्यपालिका ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की है तो अदालत ने कड़ी फटकार लगाई है

न्यायालय का अधिकार क्षेत्र।

233. साथ ही, अपनी विशाल शक्ति का प्रयोग करते हुए

संविधान के तहत संविधान के मूल्यों और भारतीयों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए प्रहरी के रूप में एक बड़ा दायित्व है। इसलिए अदालतों को अपने न्यायिक दायरे में काम करना चाहिए। कानून के शासन को बनाए रखने और जनहित में अपनी शक्ति का उपयोग करने के लिए अनुमत सीमाएँ। यह ठीक इसी कारण से है कि इस न्यायालय द्वारा लगातार यह अभिनिर्धारित किया गया है कि ए. जे. ई. ई. वी. सूरी बनाम.

दिल्ली विकास प्राधिकरण और ओआरएस। *[ए. एम. खानविलकर, जे.]*

नीति संबंधी मामलों में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। जब एक

अदालत को कानून को निरस्त किए बिना कोई छूट नहीं देनी चाहिए। निर्देश जो कानून के अनुसार न हो। दूसरे शब्दों में कहें तो

अदालत स्वयं कानून से ऊपर नहीं है।

234. सार्वजनिक परियोजनाओं और नीतियों के संबंध में जो हैं - सरकार द्वारा शुरू की गई अदालतें नहीं बननी चाहिए

एक अनुमोदन प्राधिकरण। आम तौर पर ऐसे निर्णय लिए जाते हैं।

उचित देखभाल और विचार के बाद सरकार द्वारा। ए में

लोकतंत्र व्यापक रूप से लोगों का कल्याण, न कि केवल

समाज का एक छोटा सा वर्ग, एक चिंता का विषय होना चाहिए

लिया गया है, जो किसी कानून के साथ टकराव में नहीं है या है दुर्भावनापूर्ण नहीं, यह सार्वजनिक हित में नहीं होगा कि

अदालत उन क्षेत्रों में जाए और जाँच करे जो हैं

कार्यपालक का कार्य। किसी भी परियोजना के लिए जो स्वीकृत है

उचित विचार-विमर्श के बाद अदालत को इससे बचना चाहिए निर्णय की समीक्षा करने के लिए कहा गया क्योंकि एक याचिकाकर्ता

जनहित याचिका दायर करने का आरोप है कि इस तरह का निर्णय नहीं होना चाहिए था

परियोजना का उपक्रम, जो दृष्टिकोण हो सकता है सरकार द्वारा विचार किया जाना संभव है। जब दो या

अधिक विकल्प या विचार संभव हैं और विचार करने के बाद

सरकार एक नीतिगत निर्णय लेती है जो तब नहीं होता है

मामले में नए सिरे से जाने के लिए न्यायालय का कार्य और

एक तरह से, इस तरह के नीतिगत निर्णय पर अपील करें।

235. याचिकाकर्ता चाहता है कि अदालत इस मामले में क्या करे

ठीक यही। ऊपर बताए गए तथ्य स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं

कि केंद्र सरकार ने निर्माण करने का निर्णय लिया था

बांध के रूप में यह प्रदान करने के लिए उपलब्ध एकमात्र समाधान था

पानी के लिए पानी-दुर्लभ क्षेत्र। उस समय यह ज्ञात था कि

लोग विस्थापित होंगे और उनका पुनर्वास करना होगा। वहाँ है।

इस न्यायालय को इस निष्कर्ष पर पहुंचने में सक्षम बनाने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि निर्णय दुर्भावनापूर्ण था। एक कठिन निर्णय जरूरी नहीं कि एक हो

बुरा निर्णय "।

(जोर दिया गया*)*

397. प्रतिशत के बारे में याचिकाकर्ताओं की आशंका

अधिनियम भी निराधार हैं, क्योंकि इसका ध्यान *[2021] 15* एस. सी. आर. के लिए नियमावली द्वारा रखा जाता है।

परामर्श और अन्य सेवाओं की खरीद, *2017386* द्वारा जारी

व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय। नियमावली के अध्याय-*3* में प्रतिशत अनुबंधों से संबंधित "जोखिम और शमन" का प्रावधान है।

जोखिम इस प्रकार बताया गया है:

"आर्थिक समाधानों के खिलाफ पक्षपातः प्रतिशत भुगतान के बाद से

वास्तुकला के मामले में, परियोजना की कुल लागत से जुड़ा हुआ है

या इंजीनियरिंग सेवाओं, प्रतिशत अनुबंधों में स्पष्ट रूप से कमी है।

आर्थिक डिजाइन के लिए प्रोत्साहन और इसलिए हतोत्साहित किया जाता है।
संबंधित शमन उपाय इस प्रकार कहा गया है:

"इसलिए, वास्तुशिल्प सेवाओं के लिए इस तरह के अनुबंध का उपयोग

सटीक रूप से परिभाषित सेवाओं को शामिल करता है।
इस प्रकार, प्रतिशत अनुबंधों पर कोई पूर्ण प्रतिबंध नहीं है।

एकमात्र आवश्यकता शमन है जिसे एक निश्चित लक्ष्य लागत द्वारा किया जा सकता है। वर्तमान मामले में, बाद में एक शुद्धिपत्र जारी करके, परियोजना की अंतिम लागत की परवाह किए बिना परियोजना प्रस्तावक द्वारा परामर्श शुल्क की सीमा निर्धारित की गई थी और इस प्रकार, आर्थिक डिजाइन की कमी की कोई आशंका नहीं बची है।

डिजाइन/संकल्प प्रतियोगिता

398. एक डिजाइन प्रतियोगिता के संचालन के संबंध में विवाद

प्रस्तावित संरचना के डिजाइन को अंतिम रूप देने से पहले, इसे एक सुझाव के रूप में समझा जा सकता है। क्योंकि, इस परियोजना के लिए एक डिजाइन प्रतियोगिता आयोजित करने के लिए परियोजना प्रस्तावक पर कोई कानूनी रूप से बाध्यकारी कर्तव्य नहीं है।

प्रकृति।

399. नियमावली के अध्याय *7* में, बिंदु *7.9* में, दिशा-निर्देशों का प्रावधान है।

"प्रतीकों/लोगो के डिजाइन के लिए सार्वजनिक प्रतियोगिता" पर, जो इस प्रकार हैः

" *7.9. 1* कुछ मंत्रालयों/विभागों को संचालन करने की आवश्यकता होती है
उनके उपयोग के लिए लोगो/प्रतीकों के डिजाइन के लिए प्रतियोगिताएं,

जिसे पारदर्शी, निष्पक्ष और उद्देश्यपूर्ण तरीके से संचालित किया जाना चाहिए।

तरीके से। सभी मंत्रालयों द्वारा निम्नलिखित दिशा-निर्देशों का पालन किया जाएगा।

विभागों के साथ-साथ उनके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय और

उनके द्वारा नियंत्रित स्वायत्त निकाय/संगठन, जबकि

प्रतीकों/लोगो के डिजाइन के लिए सार्वजनिक प्रतियोगिताओं का आयोजन करना

उनका उपयोग करें।

(जोर दिया गया*)*

386 संक्षेप में, "मैनुअल" राजीव सूरी बनाम।

दिल्ली विकास प्राधिकरण और ओआरएस। *[* ए. एम. खानविलकर, जे.*]*

उपरोक्त आवश्यकता, जो निस्संदेह वांछनीय है, का उपयोग करने के लिए लोगो और प्रतीकों के डिजाइन के लिए कल्पना की गई है

सरकार और भवनों के लिए नहीं। यह अंतर महत्वपूर्ण है, क्योंकि निर्माण परियोजनाओं की अपनी कार्यात्मक और परिचालन संबंधी आवश्यकताएँ होती हैं और एक डिजाइन प्रतियोगिता आयोजित करने की अनिवार्य आवश्यकता परिचालन दक्षता में निहित सार्वजनिक हित के विपरीत हो सकती है। बहिष्करण एक सचेत है। यह कहना संभव है कि एक डिजाइन प्रतियोगिता आयोजित करने से प्रक्रिया खुल जाएगी और भागीदारी में वृद्धि होगी। हालाँकि, कानूनी समीक्षा के उद्देश्य से, इसे केवल वांछनीयता कहा जा सकता है। इसे राज्य के अनिवार्य कानूनी दायित्व के मानक तक नहीं बढ़ाया जा सकता है। और जिसके अभाव में,

पूरी प्रक्रिया को अवैध नहीं माना जा सकता है। उत्तरदाताओं के पास है स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया गया कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि प्रस्तावित परियोजना एक कार्यात्मक इमारत है, एक डिजाइन प्रतियोगिता के बजाय एक अवधारणा प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। क्योंकि, बाद वाला लोगो और कलाकृतियों के लिए उपयुक्त है, और एक अवधारणा प्रतियोगिता लोगो की जरूरतों को पूरा करने के लिए अधिक उपयुक्त थी।

कार्यात्मक भवन। एक अवधारणा प्रतियोगिता, एक डिजाइन प्रतियोगिता की तरह, एक कार्यात्मक भवन *(*जैसे संसद भवन*)* के विकास के लिए योजना बनाने का एक और तरीका है। यह सरकार को परियोजना की प्रकृति के अनुसार कानूनी रूप से उपलब्ध विकल्पों से योजना बनाने की अपनी विधि तय करनी है-डिजाइन पर जोर देना या कार्यक्षमता पर जोर देना। किसी भी मामले में, यह तय करना न्यायालयों का काम नहीं है कि कौन सी प्रतिस्पर्धा अधिक उपयुक्त होगी, क्योंकि यह एक नीतिगत मामला है।

400. इस तर्क का खंडन करने के लिए कि सीपीडब्ल्यूडी ऐसी किसी परियोजना के डिजाइन और निष्पादन की चिंताओं का ध्यान रखने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित नहीं हो सकता है।

अत्यधिक राष्ट्रीय महत्व, विद्वान सॉलिसिटर जनरल ने रिकॉर्ड से प्रस्तुत किया कि सीपीडब्ल्यूडी परियोजनाओं को सफलतापूर्वक निष्पादित कर रहा है

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। उन्होंने कहा कि हाल ही में अफगानिस्तान की अत्याधुनिक नेशनल असेंबली या अफगानिस्तान की संसद का निर्माण सीपीडब्ल्यूडी द्वारा किया गया था और एक पूरी एजेंसी की क्षमता पर संदेह करने का कोई अवसर नहीं है।

सार्वजनिक विश्वास

401. स्पष्ट रूप से, याचिकाकर्ताओं द्वारा अपने उद्देश्य को आगे बढ़ाने में सार्वजनिक विश्वास के सिद्धांत पर जोरदार निर्भरता रखी गई थी। सार्वजनिक विश्वास के सिद्धांत ने कानूनी न्यायशास्त्र में एक लंबी यात्रा तय की है। यह सिद्धांत राज्य को सामान्य सार्वजनिक संसाधनों पर अपने नियंत्रण का प्रयोग इस तरह से करने का आदेश देता है जो सार्वजनिक हित में संरक्षण और संरक्षण को आगे बढ़ाता है। इसके लिए जनता के प्रबंधन और वितरण की आवश्यकता है *[2021] 15* एस. सी. आर.

संसाधन इस तरह से हों कि जनता उनसे वंचित न रहे। सिद्धांत

सार्वजनिक विश्वास में राज्य के सार्वजनिक संसाधनों के प्रबंधन में उचित परिश्रम का बुनियादी तत्व शामिल है।

402. सार्वजनिक विश्वास सिद्धांत मुख्य रूप से राज्य के जल संसाधनों के संचालन को विनियमित करने के लिए विकसित किया गया था। परिदृश्य वास्तुकला में पत्रिका, फ्रेडरिक स्टेनर और जॉन रॉबर्ट्स ने इस प्रकार उल्लेख किया:

"सार्वजनिक विश्वास सिद्धांत रोमन कानून से विकसित हुआ है, "प्रकृति के कानून के अनुसार ये चीजें मानव जाति के लिए सामान्य हैं-हवा, बहता पानी, समुद्र और परिणामस्वरूप समुद्र के तट", और अंग्रेजी

सामान्य कानून के माध्यम से, जिसमें कहा गया था कि संप्रभु का स्वामित्व है, "इसके सभी नौगम्य जलमार्ग और उनके नीचे की भूमि" के रूप में।
लोगों के लाभ के लिए एक सार्वजनिक न्यास का न्यासी *"(189)*

कैलिफोर्निया रिपोर्टर *355,1983). 38711*

इसके बाद, न्यायिक समीक्षा के विकास और राज्य की कार्रवाई पर सीमाओं के साथ, इस सिद्धांत ने अन्य क्षेत्रों में विकास प्राप्त किया, उदाहरण के लिए, भूमि और शिक्षा। आखिरकार, यह अधिकांश प्राकृतिक सार्वजनिक संसाधनों में एक नियंत्रण कारक बन गया जो निष्पक्षता की उम्मीद को जन्म देता है।

संभालना। जबकि किसी दी गई कार्यवाही में सार्वजनिक विश्वास सिद्धांत का सटीक महत्व विचाराधीन संसाधन की प्रकृति पर निर्भर करता है, अंतर्निहित विषय सुसंगत रहता है, यानी लाभकारी सार्वजनिक उपयोग के लिए सार्वजनिक संसाधनों का उपयोग।

403. संविधान इस सिद्धांत को विभिन्न स्थानों पर प्रस्तुत करता है,

विशेषतः भाग-*IV* में। उदाहरण के लिए, अनुच्छेद *39 (*बी*)* "भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण" में न्याय को अनिवार्य करता है ताकि "आम भलाई को कम किया जा सके"। अनुच्छेद *48* ए राज्य को राज्य की रक्षा और सुधार करने का आदेश देता है।

पर्यावरण इस प्रकार हैः

" 48 ए. राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने और वनों और वन्यजीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा।

देश।

इसके अलावा, अनुच्छेद *49* राज्य को ऐतिहासिक और कलात्मक रुचि के स्मारकों की रक्षा करने का आदेश देता हैः

" 49. कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के प्रत्येक स्मारक या स्थान या वस्तु की रक्षा करना राज्य का दायित्व होगा। संसद द्वारा
राष्ट्रीय महत्व के लिए बनाए गए कानून के तहत,

387 संभावनाः पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन, लैंडस्केप आर्किटेक्चर मैगज़ीन, मई/जून, *1986,* वॉल्यूम। *76 , pg.*

132 राजीव सूरी बनाम। दिल्ली विकास प्राधिकरण और ओआरएस। *[* ए. एम. खानविलकर, जे.*]*

तोड़-फोड़, विरूपण, विनाश, निष्कासन, निपटान या
निर्यात, जैसा भी मामला हो "।

(जोर दिया गया*)*

अनुच्छेद *49* सार्वजनिक विश्वास के एक महत्वपूर्ण आयाम को प्रकट करता है। यह स्पष्ट रूप से

यह निर्दिष्ट करता है कि स्मारकों की रक्षा करने का राज्य का दायित्व उन स्मारकों से संबंधित है जिन्हें संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है। हालांकि, वास्तव में इसका यह मतलब नहीं है कि सार्वजनिक विश्वास अन्य सार्वजनिक संसाधनों के संचालन के संबंध में राज्य की कार्रवाई को बढ़ावा नहीं देता है, फिर भी यह संवैधानिक इरादे के लिए निर्देशात्मक है कि

सार्वजनिक विश्वास का सिद्धांत निर्वात में काम नहीं करता है। यह कई कारकों पर निर्भर करता है, जिसमें विचाराधीन संसाधन, अतीत में संसाधन का उपयोग, संसाधन का प्रस्तावित उपयोग, प्रबंधन शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है। उस इकाई के संसाधन और प्रकृति *(*सार्वजनिक या निजी*)* का, जिसे इसका प्रबंधन सौंपा गया है।

404. एक विशिष्ट तथ्यात्मक परिदृश्य में इस सिद्धांत का अनुप्रयोग

अनिवार्य रूप से एक संतुलनकारी कार्य शामिल है। यह व्याकरण और पाठ्य अनुप्रयोग का सिद्धांत नहीं है। सार्वजनिक विश्वास का आधार तब लागू किया जाता है जब संसाधनों के बढ़े हुए उपयोग के खिलाफ सुरक्षा बढ़ाने का तर्क दिया जाता है। यह ध्यान देने योग्य है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में हवाई राज्य को हवाई राज्य के रूप में सबसे मजबूत सार्वजनिक विश्वास न्यायशास्त्र माना जाता है। संविधान में इसके लिए एक स्पष्ट प्रावधान है। इसके अनुच्छेद *11* की धारा*-1* इस प्रकार है:

"खंड *1.* वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लाभ के लिए,
राज्य और उसके राजनीतिक उपखंड संरक्षण और सुरक्षा करेंगे।

जल, वायु, खनिज और ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देगा
इन संसाधनों का विकास और उपयोग

राज्य की पर्याप्तता।
सभी सार्वजनिक प्राकृतिक संसाधन राज्य द्वारा विश्वास में रखे जाते हैं

लोगों का लाभ "।

एक्सप्रेस प्रावधान अपार पर्यावरण का परिणाम है।

हवाई में सीमित प्राकृतिक संसाधनों की अस्थिरता और तेजी से कमी। हवाइयन के उपरोक्त संदर्भ से महत्वपूर्ण निष्कर्ष संविधान उस तरीके से पाया जाता है जिसमें इसे न्यायिक अनुप्रयोग में समझा जाता है। एक स्पष्ट प्रावधान होने के बावजूद, हवाई में सार्वजनिक विश्वास सिद्धांत की व्यावहारिक समझ में एक संतुलन *[2021] 15* एस. सी. आर. भी शामिल है।

संसाधनों के संरक्षण और अधिकतम लाभकारी उपयोग के बीच। एना चिंग "चार्टिंग द बाउंड्रीज़ ऑफ़ हवाईज़ एक्सटेंसिव पब्लिक ट्रस्ट" में

डॉक्ट्रिन पोस्ट-वायहोल डिच *3 88* "सिद्धांत की प्रयोज्यता का पता लगाता है और इस प्रकार नोट करता है:

"..... हालांकि, सार्वजनिक विश्वास सिद्धांत का विस्तार नहीं करता है
अनिवार्य रूप से अदालतों के रूप में सभी संसाधनों के लिए अधिक सुरक्षा की ओर ले जाता है

निर्णय दिया है कि सार्वजनिक विश्वास सिद्धांत की आवश्यकता है

एक ओर सुरक्षा के बीच संतुलन, और

दूसरी ओर अधिकतम लाभकारी उपयोग। इस प्रकार ट्रस्ट
उद्देश्य सुरक्षा को अधिकतम करना नहीं है, बल्कि इसके बजाय है

सबसे न्यायसंगत और लाभकारी आवंटन प्राप्त करना

संसाधन। जैसा कि मामला कानून दर्शाता है, यह दृष्टिकोण है

सार्वजनिक संसाधनों के वाणिज्यिक उपयोग के लिए जगह छोड़ दी।

(जोर दिया गया*)*

405. उपरोक्त चर्चा से जो सामने आता है वह यह है कि साबित करने के लिए

सार्वजनिक विश्वास का उल्लंघन, यह स्थापित करना याचिकाकर्ताओं पर पड़ता है कि सार्वजनिक संसाधनों का दुरुपयोग किया जा रहा है और उनका उपयोग या उपयोग करने की योजना बनाई जा रही है।
एक तरीका जिसे लाभकारी सार्वजनिक उपयोग नहीं कहा जा सकता है। न्यायालय आम जनता पर जनता के अधिकार के वास्तविक अभाव की तलाश करेगा।

संसाधन। जहां तक उत्तरदाताओं का संबंध है, यह स्थापित करना उनकी जिम्मेदारी है कि सार्वजनिक संसाधनों का प्रस्तावित उपयोग लाभकारी की दिशा में संरेखित है। उपयोग और सार्वजनिक हित में। वर्तमान मामले में, उत्तरदाताओं ने परियोजना की आसन्न आवश्यकता को विस्तार से प्रदर्शित किया है। इसके अलावा, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, भूमि उपयोग में परिवर्तन के परिणामस्वरूप मनोरंजन स्थलों का कोई नुकसान नहीं होता है। इसके विपरीत, परिवर्तनों के परिणामस्वरूप अनुकूलन और परिसंपत्तियों के निर्माण सहित खुले स्थानों तक अधिक पहुंच होगी। हमने यह भी नोट किया है कि संसद के विस्तार और नवीनीकरण की वर्तमान परियोजना में विरासत स्थलों या शहरी सौंदर्यशास्त्र का कोई विनाश या ह्रास नहीं है। प्रतिवादियों ने बार-बार न्यायालय को शहरी सौंदर्यशास्त्र सहित पर्यावरण और विरासत के संरक्षण के लिए आवश्यक सभी मानदंडों और शर्तों का पालन करने का आश्वासन दिया है।

406. जहाँ तक प्राकृतिक पर्यावरण का संबंध है, हमने पूरी तरह से

ई. सी. और उसे प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत किए गए प्रपत्रों का मूल्यांकन किया, और ऐसी कोई परिस्थिति नहीं पाई जो हमें यह विश्वास करने के लिए प्रेरित कर सके कि *388* हवाई के व्यापक सार्वजनिक ट्रस्ट सिद्धांत पोस्ट की सीमाओं को चार्ट करना-वाईहोल खाई, एना चिंग, पृष्ठ *2* राजीव सूरी बनाम।

दिल्ली विकास प्राधिकरण और ओआरएस। *[*ए. एम. खानविलकर, जे.*]*

इस प्रक्रिया में पर्यावरण संरक्षण से समझौता किया जाता है। शमन उपायों की जांच की गई है और सावधानीपूर्वक तैयार किए गए पाए गए हैं ताकि अनुमेय लाभकारी उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

सार्वजनिक विश्वास सिद्धांत सार्वजनिक संसाधनों के लाभकारी उपयोग को प्रतिबंधित नहीं करता है। जब प्रस्तावित उपयोग वैध विकास और परिसंपत्तियों के निर्माण और सार्वजनिक हित में हो तो यह पैमाना यथास्थिति और सार्वजनिक संपत्ति की मौजूदा स्थिति को बनाए रखने की ओर नहीं झुकेगा। जब तक और जब तक प्रस्तावित उपयोग ऐसा नहीं है कि न्यासी क्षमता में संसाधन रखने वाली कोई भी संस्था प्रस्ताव नहीं करेगी, तब तक न्यायालय के लिए किसी सार्वजनिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए संसाधनों के उचित उपयोग में बाधा डालने का कोई अवसर नहीं है।

407. सार्वजनिक विश्वास सिद्धांत का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह इसे सीमित करता है।

प्राकृतिक सार्वजनिक संसाधनों के अत्यधिक हस्तांतरण से राज्य को

वाणिज्यिक इकाइयाँ। इसके लिए जिम्मेदारी का त्याग करने की आवश्यकता है। इलिनोइस सेंट्रल रेलरोड *3 8 9* में यू. एस. सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णय में, याचिकाकर्ताओं द्वारा भरोसा किया गया, जिसमें निजी संस्थाओं को संसाधनों का अनुदान भी शामिल था। फ्रेडरिक स्टेनर और जॉन रॉबर्ट्स, संभावना में: सार्वजनिक विश्वास सिद्धांत, इस प्रकार स्पष्ट रूप से नोट किया गया है:

"इलिनोइस सेंट्रल रेलरोड बनाम में यू. एस. सुप्रीम कोर्ट का निर्णय।

..... सबसे पहले "। इसके अलावा, क्योंकि इलिनोइस का कर्तव्य था
" "विवादित शिकागो बंदरगाह भूमि" को धारण और प्रबंधित करें,

मूल अनुदान पुलिस को आत्मसमर्पण करने के बराबर था।

सरकार के प्रशासन में शक्ति और

99390

एक निजी पक्ष को शांति का संरक्षण।

(जोर दिया गया*)*

इसके अलावा, कमल नाथ *3 91* में, इस न्यायालय ने दो पहलुओं को नोट किया

सार्वजनिक विश्वास सिद्धांत से संबंधित-पहला, उन लोगों के बीच संघर्ष का समाधान जो संरक्षित करना चाहते हैं और जो बदलती जरूरतों के अनुसार सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करना चाहते हैं, विधायिका के लिए है और

390 संभावना: पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन, लैंडस्केप आर्किटेक्चर मैगज़ीन, मई/जून, *1986*, वॉल्यूम। *76 , pg. 132 39 1 (87* पर ऊपर*)*

न कि न्यायालय और दूसरा, कार्यपालिका सार्वजनिक संसाधनों को निजी स्वामित्व में परिवर्तित नहीं कर सकती है।

"*35.* हम पूरी तरह से जानते हैं कि इस मामले में प्रस्तुत किए गए मुद्दे

जनता के उन सदस्यों के बीच क्लासिक संघर्ष को चित्रित करें।

जो हमारी नदियों, जंगलों, उद्यानों और खुली भूमि को संरक्षित करेगा

उनकी प्राचीन शुद्धता और प्रशासनिक प्रभार वाले लोग

या राज्य विधानमंडलों के न्यायालय एक साधन के रूप में काम कर सकते हैं
न्यायिक शक्तियों के प्रयोग में विधायी इरादे का निर्धारण करना।

संविधान के तहत समीक्षा। लेकिन किसी की अनुपस्थिति में

कानून, जनता के सिद्धांत के तहत कार्य करने वाली कार्यपालिका
ट्रस्ट प्राकृतिक संसाधनों का त्याग नहीं कर सकता और धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता

उन्हें निजी स्वामित्व में, या वाणिज्यिक उपयोग के लिए। द.

सौंदर्य उपयोग और प्राकृतिक संसाधनों की प्राचीन महिमा,
हमारे देश का पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र नहीं हो सकता है

निजी, वाणिज्यिक या किसी अन्य उपयोग के लिए नष्ट करने की अनुमति

जब तक कि अदालतें इसे जनता के लिए सद्भावना से आवश्यक नहीं समझती हैं।
उक्त संसाधनों का अतिक्रमण करना अच्छा और जनहित में है।

(जोर दिया गया*)*

कमल नाथ *3 9 2* से उपरोक्त व्याख्या आगे इंगित करती है।

कि जिन मामलों में इस सिद्धांत को लागू किया गया है, उनमें से अधिकांश में सार्वजनिक स्वामित्व का निजी स्वामित्व में रूपांतरण शामिल है; या

संसाधन; या जिम्मेदारी का त्याग; या आम लोगों को अन्यायपूर्ण इनकार

सार्वजनिक। वर्तमान मामले में इनमें से कोई भी स्थिति मौजूद नहीं है। इस परियोजना में निजी स्वामित्व में कोई परिवर्तन शामिल नहीं है और इसमें महत्वपूर्ण सार्वजनिक संसाधनों के वाणिज्यिक उपयोग की अनुमति देने का कोई तत्व नहीं है। प्रस्तावित परियोजना सार्वजनिक विश्वास के मानकों के अनुरूप है और याचिकाकर्ता ऐसी किसी भी परिस्थिति को इंगित करने में विफल रहे हैं जो अन्यथा सुझाव दे।

डोमैन *408.* ऊपर की
हमारी चर्चा में, हमने महत्व पर प्रकाश डाला है

सार्वजनिक क्षेत्र में जानकारी की उपलब्धता। बहस छिड़ गई।

392 (87 पर ऊपर*)*

राजीव सूरी बनाम। दिल्ली विकास प्राधिकरण और ओआरएस। *[* ए. एम. खानविलकर, जे.*]*

याचिकाकर्ताओं के तर्क से कि परियोजना को गुप्त रूप से आगे बढ़ाया जा रहा है। सूचना तक सार्वजनिक पहुंच पर कानूनी स्थिति के संबंध में कोई विवाद नहीं है। यहाँ की जांच तथ्यात्मक है। याचिकाकर्ताओं के प्रस्तुत करने का विरोध करने के लिए, उत्तरदाताओं ने दस्तावेजों का एक विस्तृत संकलन प्रस्तुत किया है। संकलन से पता चलता है कि उत्तरदाताओं ने संबंधित वेबसाइटों पर प्रक्रिया के विभिन्न चरणों से संबंधित प्रासंगिक दस्तावेज विधिवत अपलोड किए थे। वास्तव में, याचिकाकर्ताओं ने सार्वजनिक डोमेन में कथित रूप से उपलब्ध दस्तावेजों पर बड़े पैमाने पर अपने मामले का निर्माण किया। याचिकाकर्ता, डब्ल्यू. पी. में। *(ग) 853/2020* ने *2.9.2019* से पहले दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए कहा है। हालाँकि, परामर्श सेवाओं के लिए निविदाएँ आमंत्रित करने की औपचारिक प्रक्रिया *2.9.2019* पर शुरू की गई थी। इस तिथि के बाद के सभी दस्तावेज सार्वजनिक क्षेत्र में हैं। यह विवाद का विषय नहीं है। उपरोक्त तिथि से पहले की प्रक्रियाओं से संबंधित अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों को संकलन के माध्यम से प्रदान किया गया है और इस प्रकार, प्रार्थना आगे के विचार के लिए जीवित नहीं रहती है। हम उत्तरदाताओं द्वारा सार्वजनिक डोमेन में रखे गए दस्तावेजों को संक्षेप में प्रस्तुत करना उपयोगी समझते हैं:

प्रासंगिक पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचनाएँ

((i)

2006-2020 से।

((ख)

लोकसभा अध्यक्ष ने जगह बढ़ाने की आवश्यकता व्यक्त की।
श्री द्वारा लिखा गया दिनांकित *2.8.2019* का पत्र। ओम बिरला, अध्यक्ष

(iii)

लोकसभा ने स्थान और अन्य की आवश्यकता को दोहराया

तकनीकी आवश्यकताएँ।

(iv) संसद भवन, सामान्य केंद्रीय सचिवालय के विकास/पुनर्विकास की आवश्यकता को व्यक्त करते हुए एम. ओ. एच. यू. ए. द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन दिनांक *30.8.2019* और

सेंट्रल विस्टा, और सी. पी. डब्ल्यू. डी. से सलाहकार के चयन के लिए प्रस्ताव के लिए अनुरोध *(*आर. एफ. पी.*)* जारी करने का अनुरोध किया।

(v) दिनांक *2.9.2019* पर बोलियां आमंत्रित करने की सूचना दें।

(€ vi) दिनांकित बोली-पूर्व बैठक में प्राप्त प्रश्नों के उत्तर

14.9.2019 .

(vii) दिनांक *23.9.2019* पर बोलियां आमंत्रित करने वाले नोटिस की प्रति।

स्पष्ट रूप से, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा परियोजना की आवश्यकता की अभिव्यक्ति के चरण से लेकर उनकी नियुक्ति तक सभी प्रासंगिक दस्तावेज। सलाहकार, सार्वजनिक सूचना जारी करना, सार्वजनिक सुनवाई का संचालन, अंतिम *[2021] 15* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

भूमि उपयोग में परिवर्तन के लिए अधिसूचना और सीवीसी, डीयूएसी और ईएसी की बैठकों के कार्यवृत्त को सार्वजनिक डोमेन में रखा गया था। याचिकाकर्ताओं ने एक भी दस्तावेज की ओर इशारा नहीं किया है जो प्रक्रिया का एक हिस्सा था और जिसे सार्वजनिक क्षेत्र में नहीं रखा गया था।

409. जो भी हो, यह ध्यान रखना भी प्रासंगिक है कि केवल जानकारी का अभाव किसी प्रशासनिक प्रक्रिया को दूषित नहीं करता है, वह भी पूरी तरह से।

यह न्यायिक समीक्षा के लिए परिकल्पित मानक नहीं है। क्योंकि, *2005* के अधिनियम के अधिनियमन के बाद, सरकार से जानकारी प्राप्त करने के लिए वैधानिक साधन हैं। यदि प्राधिकरण प्रासंगिक जानकारी प्रदान करने में विफल रहता है, तो अपीलीय निकायों के समक्ष उस पर हमला किया जा सकता है। इसके लिए एक विधिवत सुव्यवस्थित प्रक्रिया है। सार्वजनिक क्षेत्र में जानकारी की अनुपस्थिति के वास्तविक प्रभाव का परीक्षण निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेने की जनता की क्षमता पर वास्तविक पूर्वाग्रह के प्रभाव पर किया जाना चाहिए, जहां भी प्रावधान किया गया हो। इसके परिणामस्वरूप कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार से इनकार किया जाना चाहिए। वर्तमान मामले में, भूमि उपयोग में परिवर्तन पर आपत्तियां उठाने में भाग लेने वाले व्यक्तियों या डी. यू. ए. सी. और ई. ए. सी. को अभ्यावेदन भेजने वालों में से कोई भी यह तर्क देने के लिए आगे नहीं आया है कि वे जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जिससे वे प्रक्रिया में भाग लेने या सूचित आपत्तियां उठाने में असमर्थ हो जाते हैं। इस गिनती पर आगे विचार करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है।

410. याचिकाकर्ताओं के तर्क पर लौटते हुए कि तकनीकी जानकारी और दस्तावेज *(*जैसे पुनर्विकास योजना और लेआउट*)*

इन्हें सार्वजनिक क्षेत्र में नहीं रखा गया था, जो विरोध करने वालों को प्रभावी प्रतिनिधित्व करने से रोकता था। यह आपत्ति बी. ओ. ई. एच. के समक्ष ली गई थी। बी. ओ. ई. एच. की सिफारिशों में इसे दर्ज किया गया है। इसने नोट किया था कि अधिकांश विरोध करने वाले जो योजनाकार और वास्तुकार हैं, यह महसूस करते हैं कि सेंट्रल विस्टा की इस प्रतिष्ठित परियोजना की प्रामाणिक तकनीकी जानकारी सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा, यह सुझाव दिया जाता है ताकि यातायात, पर्यावरण और विरासत पर प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन जल्द से जल्द शुरू किया जा सके। बी. ओ. ई. एच. द्वारा देखी गई तीसरी बड़ी आपत्ति यह थी कि परियोजना प्रस्तावक ने प्रस्ताव को सी. वी. सी. को नहीं भेजा था। जहां तक अंतिम दो बिंदुओं का संबंध है, इसका सार्वजनिक क्षेत्र में जानकारी की कमी के बारे में शिकायत से कोई लेना-देना नहीं है। सार्वजनिक क्षेत्र में प्रतिष्ठित परियोजना के संबंध में तकनीकी जानकारी की कमी के बारे में पहली आपत्ति पर आते हुए, हम यह समझने में विफल हैं कि यह कैसे वैधानिक रूप से प्रक्रिया के गैर-अनुपालन का मामला होगा।

राजीव सूरी बनाम के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण और केंद्र सरकार के अंतिम निर्णय पर विचार या उस मामले के लिए।

दिल्ली विकास प्राधिकरण और ओआरएस। *[* ए. एम. खानविलकर, जे.*]*

अधिनियम की धारा *11* ए। मास्टर प्लान या क्षेत्रीय योजना के संशोधन के संदर्भ में, नियमों में निर्धारित प्रक्रिया सार्वजनिक सूचना जारी करने के लिए निर्धारित प्रपत्र और बी. ओ. ई. एच. द्वारा की जाने वाली जांच के तरीके के अनुसार इरादे के प्रकटीकरण तक सीमित है। सार्वजनिक सूचना के साथ अधिसूचित भूखंडों पर बनाई जाने वाली प्रस्तावित परियोजना की तकनीकी जानकारी होना आवश्यक नहीं है। वास्तव में, दिनांकित *21.12.2019* सार्वजनिक सूचना के समापन पैराग्राफ से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रस्तावित संशोधनों का संकेत देने वाला पाठ/योजना डीडीए की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। डीडीए। *org.* में। इसके अलावा, कोई वैधानिक नहीं है

विचाराधीन नगर नियोजन विधान में प्रस्तावित परियोजना से संबंधित विकास योजना को प्रदर्शित करने की आवश्यकता। यह ध्यान दिया जाए कि मामला अधिनियम के भाग *III* द्वारा शासित मास्टर प्लान या क्षेत्रीय योजना के मसौदे को तैयार करने से संबंधित नहीं है, बल्कि केवल संबंधित है। अधिनियम की धारा *11* ए के तहत शक्तियों के प्रयोग में संशोधन। किसी भी मामले में, इच्छुक पक्ष के लिए यह खुला था कि वह संबंधित प्राधिकरण से *(*आगे*)* आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए *2005* के अधिनियम के तहत संबंधित प्राधिकरण से संपर्क करे। याचिकाकर्ताओं का यह मामला नहीं है कि ऐसा आवेदन किया गया था और उचित समय के भीतर उस पर विचार नहीं किया गया था या उसे खारिज कर दिया गया था। यदि ऐसा आवेदन किया जाता तो प्राधिकरण उचित तरीके से जवाब देता। इस बात पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है कि यदि कोई व्यक्ति जो तकनीकी जानकारी पर भरोसा करके आपत्ति लेना चाहता था, उसके पास ऐसी जानकारी प्राप्त करने और अपनी आपत्ति प्रस्तुत करने के लिए तीस स्पष्ट दिनों का समय था। केवल अभिलेख के लिए ऐसी आपत्ति लेना मामले को आगे नहीं ले जाता है और न ही कानूनी रूप से इस पर विचार करने की आवश्यकता है, ताकि सक्षम प्राधिकारी के अंतिम निर्णय को अवैध करार दिया जा सके। इसके अलावा, जैसा कि वर्तमान मामले में पहले देखा गया है, किसी भी याचिकाकर्ता ने सुनवाई के दौरान बी. ओ. ई. एच. के समक्ष लिए गए *13* बिंदुओं के अलावा कोई मुद्दा नहीं उठाया था। यह देखने के लिए पर्याप्त है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा सार्वजनिक डोमेन में बताई गई तकनीकी जानकारी की अनुपलब्धता के तर्क का कोई परिणाम नहीं होगा और निश्चित रूप से केंद्र सरकार के अंतिम निर्णय को अवैध घोषित करने के लिए वैध नहीं होगा।

आई. ए. में प्रारंभिक उद्देश्य

411. अब हम *2020* के आई. ए. सं. *59230* में उठाई गई प्रारंभिक आपत्ति की ओर रुख करते हैं, जो वर्तमान विषय वस्तु से जुड़े मुद्दों की विस्तृत श्रृंखला को सामूहिक रूप से ध्यान में रखने के लिए न्यायालय के आदेश के औचित्य के संबंध में है, जिसमें हमारे दिनांकित आदेश के आलोक में निर्वाचन आयोग से संबंधित मुद्दे भी शामिल हैं। यह प्रस्तुत किया गया है कि आदेश के परिणामस्वरूप अन्य मंचों से संपर्क करने के वैधानिक अधिकार से इनकार किया गया और इसे पारित नहीं किया जा सकता था।

412. शुरुआत में, हम ध्यान देते हैं कि उक्त आदेश किसी भी व्यक्ति के खिलाफ किसी भी राहत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाने पर रोक के रूप में काम नहीं करता था

संविधान। किसी भी मामले में, एक बार जब कोई कारण इस न्यायालय तक पहुंच जाता है और इस प्रकृति का होता है, तो न्यायालय की मूल चिंता न केवल पर्याप्त और पूर्ण न्याय करने की होती है, बल्कि शीघ्रता से न्याय करने की भी होनी चाहिए। व्यापक लोक हित में सभी पहलुओं का समाधान। यह हमें संवैधानिक सीमाओं के भीतर करना चाहिए। राष्ट्रीय हित में इस सीमित सीमा तक न्यायिक सक्रियता निश्चित रूप से स्वीकार्य है। ऐसा करने में, न्यायालय केवल अपने समक्ष मामले को स्थानांतरित करते समय अनुच्छेद *139* ए के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा, बल्कि अंतर्निहित सिद्धांत इस न्यायालय का कर्तव्य है कि वह अनुच्छेद *142* के तहत परिकल्पित पूर्ण न्याय करे और इसे रद्द करे।

कई कानूनी मंचों/कार्यवाहियों के समक्ष परियोजना प्रस्तावक के जुड़ाव के कारण राष्ट्रीय महत्व की परियोजना के अटकने, उलझने और विलंबित होने की संभावना। जनहित याचिका के बाद की अवधि में हमारे पास बहुत सारे मामले हैं जिनमें बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के खिलाफ लंबे समय तक मुकदमेबाजी के परिणामस्वरूप इस हद तक अत्यधिक देरी हुई कि परियोजनाएं हमेशा के लिए दफन हो गईं या सरकारी खजाने *(*ईमानदार करदाताओं के पैसे*)* पर अत्यधिक बोझ के कारण अव्यवहारिक हो गईं। यही वह जगह है जहाँ इस न्यायालय की न केवल पूर्ण बल्कि पर्याप्त न्याय करने की शक्ति शुरू होती है।

413. न्यायालय के संवैधानिक दायित्व से हटकर, हम

यह भी ध्यान दें कि विशिष्ट राहत अधिनियम, *1963* में *2018* के संशोधन ने इस दिशा में विधायिका के दृष्टिकोण को धारा-*20* ए और खंड *(*हा*)* को धारा-*41* में शामिल करने के साथ संरेखित किया, जो अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के खिलाफ निषेधाज्ञा देने पर प्रतिबंध लगाता है। विधायिका का अंतर्निहित विधायी उद्देश्य ऐसी परियोजनाओं को न्यायालय की प्रक्रियाओं के अनुचित उपयोग से बचाना है। इसलिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि किसी जनहित के मामले से निपटने में संवैधानिक न्यायालय का व्यापक दृष्टिकोण व्यापक जनहित को आगे बढ़ाने के लिए सतर्क होना चाहिए। अदालत की प्रक्रियाओं के सुस्त प्रवाह के कारण कानूनों में देरी *(*विभिन्न हितधारकों या शुल्क धारकों या व्यवस्थित कहने के लिए विभिन्न कारणों से*)* होनी चाहिए।

हमारे पवित्र राष्ट्र और उसके परिणामस्वरूप आने वाली पीढ़ी के विकास लक्ष्यों की पूर्ति में खुद को एक बाधा न बनने दें। विषय वस्तु के आधार पर, संवैधानिक न्यायालयों को राष्ट्रीय हित में तकनीकीताओं में फंसे बिना जल्द से जल्द कानूनी चुनौतियों का समाधान करना चाहिए।

राजीव सूरी बनाम। दिल्ली विकास प्राधिकरण और ओआरएस। *[*ए. एम. खानविलकर, जे.*]*

414. इस प्रस्ताव का पर्याप्त समर्थन है कि जब व्यापक राष्ट्रीय हित शामिल होता है और सरकारी खजाने की चिंताएं सीधे तौर पर इस मामले में शामिल होती हैं, तो न्यायालय को जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। के लिए,

प्रत्येक दिन की देरी का सीधा प्रभाव सरकारी खजाने पर पड़ता है। नर्मदा बचाओ आंदोलन बनाम। भारत संघ *3 9 3 393*, न्यायालय ने इस स्थिति को प्रतिध्वनित किया और इस प्रकार कहा:

"*227.* एक अवसंरचनात्मक परियोजना के उपक्रम के संबंध में तीन चरण हैं। एक अवधारणा या योजना है, दूसरा परियोजना शुरू करने का निर्णय है और तीसरा परियोजना का निष्पादन है। किसी परियोजना की अवधारणा और उसे शुरू करने के निर्णय को एक नीतिगत निर्णय माना जाना चाहिए। हालांकि इस तरह की परियोजनाओं में अनावश्यक देरी न होने की हमेशा आवश्यकता होती है, साथ ही यह भी उम्मीद की जाती है कि किसी परियोजना को शुरू करने का निर्णय लेने से पहले पूरी तरह से संभव अध्ययन किया जाएगा। एक बार ऐसा सुविचारित निर्णय लिए जाने के बाद, इसका उचित निष्पादन
इसे भी शीघ्रता से किया जाना चाहिए। यह सरकार को तय करना है कि अपना काम कैसे करना है। जब उसने किसी परियोजना के निष्पादन के लिए एक प्रणाली स्थापित की है और ऐसी प्रणाली को मनमाना नहीं कहा जा सकता है, तो अदालत को केवल यह देखना होगा कि प्रणाली उसी तरह से काम करती है जिस तरह से इसकी परिकल्पना की गई थी।

415. टाटा सेल्युलर *394* में न्यायालय ने निम्नलिखित पैरा का उल्लेख किया है:

क्लाइव लुईस द्वारा लिखित पब्लिक लॉ में न्यायिक उपचार, *1992* संस्करण:

"*86.* क्लाइव लुईस द्वारा एक अभिनव दृष्टिकोण बनाया गया है कि अदालतों को प्रशासनिक निर्णयों को रद्द करने में देरी क्यों करनी चाहिए *(*उनके पब्लिक लॉ *1992* एडन में न्यायिक उपचार में*)*। पीपी में। *294-95)* . रोशन करने वाला अंश इस प्रकार है:

"अदालतें अब मानती हैं कि प्रशासन पर प्रभाव उनके उपचारात्मक अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में प्रासंगिक है। निर्णयों को रद्द करने से प्रशासन पर भारी प्रशासनिक बोझ पड़ सकता है, संसाधनों को फिर से खोलने के निर्णयों की ओर मोड़ दिया जा सकता है, और वृद्धि हो सकती है और गैर-बजट व्यय। पहले के मामलों ने कानून की तुलना में मजबूत रुख अपनाया था

इसका पालन करना पड़ा, और निर्णय ने जो कुछ भी किया उसे अमान्य कर दिया प्रशासनिक असुविधा हुई। अदालतें आज-कल मान्यता देती हैं

393 (132 पर ऊपर*)* *394 (* ऊपर *256* पर*)*

अदालतों के उपचारात्मक विवेकाधिकार के लिए और निर्णायक साबित हो सकता है। यह विशेष रूप से तब होता है जब चुनौती मूल के बजाय प्रक्रियात्मक होती है, या यदि अदालतें यह सुनिश्चित कर सकती हैं कि प्रशासक एक अलग निर्णय पर नहीं पहुंचेगा, भले ही मूल निर्णय रद्द कर दिए गए हों। न्यायाधीश किसी निर्णय को रद्द करने से होने वाले व्यवधान के महत्व में भिन्न हो सकते हैं। वे इस बात से भी प्रभावित हो सकते हैं कि प्रशासनिक निकाय के आचरण से अवैधता किस हद तक उत्पन्न होती है, और उस आचरण के बारे में उनका दृष्टिकोण। """

416. जनहित की कार्यवाही का स्वरूप अनिवार्य रूप से गैर-विरोधी प्रकृति का होता है और यह किसी भी संभावित मंच पर दो व्यक्तियों के एक-दूसरे के खिलाफ लड़ने का मामला नहीं है। कल्पना मेहता और ओआरएस में। वी. भारत संघ और *Ors.3*[9]*5*, इस न्यायालय ने पैरा *206* में कहा था कि "जब अदालतें जनहित के मुद्दों पर प्रवेश करती हैं और निर्णय लेती हैं

उन पर, वे एक प्रतिकूल कार्य नहीं करते हैं।

इस तरह की कार्यवाही अनिवार्य रूप से एक सामूहिक जांच की प्रकृति में होती है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या राज्य कानून के तय किए गए सिद्धांतों के अनुसार काम कर रहा है और ऐसी सामूहिक जांच हमेशा व्यापक सार्वजनिक हित के लिए लक्षित होती है। यदि जनहित की एक धारणा को पूरा करने से लोक हित में की गई राज्य की एक और वैध कार्रवाई स्पष्ट रूप से कम हो जाती है और जैसा कि याचिकाकर्ता स्वयं कहते हैं, लोकतांत्रिक राजनीति को छूते हुए राष्ट्रीय महत्व की परियोजना के संबंध में, तो जनहित की कार्यवाही से क्या उद्देश्य पूरा होगा। यही वह जगह है जहाँ इस न्यायालय की भूमिका है

यह आता है, जो ऐसी कार्यवाही में सक्रिय होना चाहिए और निष्क्रिय नहीं होना चाहिए।

417. हम उपयोगी रूप से एन. जी. टी. की वैधानिक अधिकारिता बनाम इस न्यायालय की संवैधानिक शक्तियों पर अपनी पूर्व चर्चा का उल्लेख कर सकते हैं। हम पुनरावृत्ति से बचने के लिए यहां इसे दोहरा नहीं रहे हैं। "पूर्ण न्याय" अभिव्यक्ति याचिकाकर्ताओं या उत्तरदाताओं के साथ न्याय करने के संकीर्ण दृष्टिकोण पर विचार नहीं करती है। बल्कि, इस सिद्धांत में पक्षों, उनकी संबंधित स्थिति और समग्र रूप से इसके सामने विषय वस्तु/कारण को देखना शामिल है। न्यायालय को पूर्ण न्याय की अपनी खोज में और भी अधिक सतर्क और सक्रिय होने की आवश्यकता है जब विषय वस्तु में अधिकार का प्रयोग शामिल हो और जनहित के विचार न्यायालय के समक्ष पक्षों की तत्काल अपेक्षाओं से परे हों। यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें पक्षों ने पुष्टि के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया हो।

418. जब प्रतिस्पर्धी सार्वजनिक हितों को एक संवैधानिक न्यायालय के समक्ष लाया जाता है, तो यह न्यायालय का कर्तव्य बन जाता है कि वह सामंजस्य स्थापित करे और *395 (2018) 7* एस. सी. सी. *1* राजीव सूरी बनाम।

दिल्ली विकास प्राधिकरण और ओआरएस। *[ए. एम. खानविलकर, जे.]*

ऐसे हितों को संतुलित करें, भले ही इसके लिए एक असाधारण शक्ति के आह्वान की आवश्यकता हो। न्यायालय द्वारा इस कार्य का निष्पादन और भी अधिक अपरिहार्य हो जाता है जब याचिकाकर्ताओं की शिकायत यह होती है कि राष्ट्रीय हित दांव पर है। यह ठीक ऐसे अवसरों के लिए है कि इस न्यायालय को इस तरह की पूर्ण शक्ति प्रदान की गई है। *419.* हम संक्षेप में यह भी नोट करते हैं कि इस न्यायालय ने बार-बार दोहराया है कि संविधान के अनुच्छेद *32* के तहत इस न्यायालय का अधिकार क्षेत्र है

पूर्ण और केवल इसलिए कि किसी कानून में अपील का एक वैधानिक उपचार प्रदान किया गया है, इस न्यायालय के समक्ष लंबित किसी मामले में इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को छीनने का यह एकमात्र आधार नहीं हो सकता है, जिसके कानूनी होने की संभावना है।

राज्य को अपने संवैधानिक दायित्वों को पूरा करने में सुविधा प्रदान करने सहित व्यापक सार्वजनिक और राष्ट्रीय हित के प्रश्न। मोरेसो क्योंकि, मूल रिट याचिकाएं दायर की गई हैं और इस न्यायालय द्वारा पर्यावरण कानूनों का उल्लंघन करने वाले विवादित निर्णयों के प्रभाव पर सवाल उठाने के लिए जनहित याचिका के रूप में इसी तरह से सुनवाई की जा रही है। किसी भी मामले में, यह आपत्ति अकादमिक हो गई है क्योंकि मौखिक दलीलों के अंत में, आवेदकों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील, जिन्होंने इस याचिका को लिया था, ने आवेदन को निष्फल के रूप में निपटाने का सुझाव दिया।

पोस्टलूड

ऐसे क्षेत्र जो संवैधानिक न्यायालय की सुविचारित शक्तियों से परे हैं। हम यह सोचने के लिए मजबूर हैं कि क्या हम, कानूनी जनादेश के अभाव में, सरकार को एक परियोजना पर पैसा खर्च करने से रोक सकते हैं और इसके बजाय इसे किसी और चीज़ के लिए उपयोग कर सकते हैं, या क्या हम सरकार को केवल इस न्यायालय द्वारा तय किए गए क्षेत्रों से अपने कार्यालय चलाने के लिए कह सकते हैं, या क्या हम विकास की एक विशेष दिशा पर ध्यान केंद्रित करने में सरकार के विवेक पर सवाल उठा सकते हैं। हम समान रूप से यह सोचने के लिए मजबूर हैं कि क्या हम अपूरणीय क्षति या तत्काल आवश्यकता के प्रदर्शन के बिना पहली बार में नीतिगत मामलों के निष्पादन पर पूर्ण विराम लगा सकते हैं। या अगर हम बिना किसी कानूनी आधार के नैतिक या नैतिक मामलों पर सरकार का मार्गदर्शन कर सकते हैं। तय किए गए कानून के आलोक में, हमें इन क्षेत्रों में उद्यम करने के लिए अनिच्छुक होना चाहिए। हमें यह कहने की आवश्यकता है क्योंकि हाल के दिनों में, सार्वजनिक/सामाजिक हित मुकदमेबाजी के मार्ग को तेजी से लागू किया जा रहा है ताकि अदालत को नीति की शुद्ध चिंताओं और प्रणाली के खिलाफ सामान्यीकृत शिकायतों के प्रकार की जांच करने के लिए कहा जा सके। इसमें कोई संदेह नहीं है कि न्यायालय अपार सार्वजनिक विश्वास के भंडार हैं और यह तथ्य कि कुछ जनहित कार्यों ने सराहनीय परिणाम उत्पन्न किए हैं, उल्लेखनीय है, लेकिन यह उतना ही महत्वपूर्ण है *[2021] 15* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यह महसूस करना कि न्यायालय संविधान द्वारा परिभाषित सीमाओं के भीतर काम करते हैं। हमें शासन करने के लिए नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं है।

उस संबंध में योग्यता या कौशल और विशेषज्ञता।

421. संवैधानिक रूप से परिकल्पित "जाँच और

इस मामले में शेष राशि का पूरी तरह से गलत अर्थ लगाया गया है और गलत तरीके से लागू किया गया है। "नियंत्रण और संतुलन" का सिद्धांत दो अवधारणाओं को प्रस्तुत करता है-"नियंत्रण" और "संतुलन"। जबकि पूर्व को अवधारणा में एक अभिव्यक्ति मिलती है।

न्यायिक समीक्षा में, बाद वाला शक्तियों के पृथक्करण के अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत *3 9 396* से लिया गया है। तत्कालीन सरकार की विकास नीतियों सहित राजनीतिक मुद्दों पर संसद में बहस होनी चाहिए, जिसके प्रति वह जवाबदेह है। न्यायालय की भूमिका नीति की वैधता सहित संवैधानिकता की जांच करने तक सीमित है और

सरकारी कार्रवाई। विकास का अधिकार, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, एक बुनियादी मानव अधिकार है और राज्य के किसी भी अंग से विकास की प्रक्रिया में बाधा बनने की उम्मीद नहीं की जाती है जब तक कि सरकार कानून के अनुसार आगे बढ़ती है।

422. पक्षों ने कई रिपोर्ट किए गए निर्णयों पर भरोसा किया था।

अपने तर्कों के समर्थन में अधिकारी। तथापि, हमने आवश्यक सीमा तक इस पर विचार किया है और उचित स्थान पर अपने निर्णय में उन मुद्दों का उल्लेख किया है जो विचाराधीन मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए प्रासंगिक पाए गए हैं। हम प्रोलिक्सिटी को दूर करने के लिए अन्य निर्भर निर्णयों पर विस्तार करना आवश्यक नहीं

समझते हैं जो दोहराए जाने वाले हैं या सीधे हमारे द्वारा उत्तर दिए गए बिंदुओं पर नहीं हैं। इसके अलावा, क्योंकि इसमें समझाया गया सिद्धांत इस निर्णय में हमारे द्वारा दोहराया गया है और यह किसी भी तरह से अलग नहीं है।

निर्णय और आदेश

423. अंत में, हम निम्नलिखित रूप में घोषणा और निर्देश देते हैं:

(1) हम मानते हैं कि अनुदान में कोई कमजोरी नहीं है:

"सेंट्रल विस्टा समिति द्वारा कोई आपत्ति नहीं

(अ)

(सीवीसी);

(ख) डीयूएसी अधिनियम, *1973* के अनुसार दिल्ली शहरी कला आयोग *(डीयूएसी)* द्वारा "अनुमोदन"; और

((ग)

"विरासत संरक्षण द्वारा "पूर्व अनुमोदन"

भवन के खंड *1.12* के तहत समिति *(एच. सी. सी.)*

दिल्ली के लिए उपनियम, *2016*।

396 जैसा कि डॉ. अश्विनी कुमार *(167* पर ऊपर*)* में दोहराया गया है-पैरा *8* से *19,22* से *37,43* और *44*।

7 सूरी वी. दिल्ली विकास

प्राधिकरण और

ओआरएस। *[* ए. एम. खानविलकर,

जे.*]*

हम आगे मानते हैं कि डीडीए अधिनियम, *1957* की धारा *11* ए *(2)* के तहत केंद्र सरकार द्वारा शक्ति का प्रयोग न्यायसंगत और उचित है और इस प्रकार भूखंड संख्या के भूमि उपयोग में परिवर्तन के संबंध में संशोधन। *2* मास्टर प्लान में *8* तक

दिल्ली, *2021/*जोन-डी और जोन सी के लिए क्षेत्रीय विकास योजना दिनांक *20.3.2020* की विवादित अधिसूचना के अनुसार है पुष्टि की।

विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति *(ई. ए. सी.)* द्वारा पर्यावरण मंजूरी *(ई. सी.)* की सिफारिश और एम. ओ. ई. एफ. द्वारा उसका अनुदान न्यायसंगत, उचित और *2006* की अधिसूचना सहित कानून के अनुसार है। हम इसमें उचित निर्देशों के साथ इसे बनाए रखते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परियोजना के प्रस्तावक द्वारा

रेखांकित किए गए शमन उपायों का उनके अक्षर और भावना में पालन किया जाए। परियोजना के प्रस्तावक नई संसद भवन परियोजना के अभिन्न अंग के रूप में पर्याप्त क्षमता के स्मॉग टावर *(ओं)* स्थापित कर सकते हैं; और इसके अतिरिक्त, निर्माण स्थल पर निर्माण चरण के दौरान स्मॉग गन का उपयोग करें।

हम प्रतिवादी एम. ओ. ई. एफ. से विकास प्रदान करते हुए भविष्य की सभी प्रमुख विकास परियोजनाओं में अभिन्न अंग के रूप में स्मॉग टावरों की पर्याप्त क्षमता की स्थापना के संबंध में समान सामान्य निर्देश जारी करने पर विचार करने का भी आह्वान करते हैं।

अनुमतियाँ, विशेष रूप से खराब ट्रैक रिकॉर्ड वाले शहरों में

वास्तव में शुरू करने से पहले नामित प्राधिकरण यदि पहले से प्राप्त नहीं किया गया है तो भूखंड संख्या *118* सहित विरासत कानूनों द्वारा शासित उल्लिखित भूखंडों/संरचनाओं/परिसरों पर विकास/पुनर्विकास कार्य।

(vii) सलाहकार का चयन/नियुक्ति, इस मामले में आवश्यक सीमित परीक्षा के आलोक में, न्यायसंगत और उचित माना जाता है।

उचित है।

424. हमें विभिन्न पक्षों का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकीलों द्वारा किए गए योगदान की सराहना करने के लिए कुछ समय निकालना चाहिए। मामले में शामिल विशाल दस्तावेजों के बावजूद और इस तथ्य को देखते हुए कि सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई थी, विद्वान वकील द्वारा दी गई सहायता अमूल्य थी। इससे हमें मामले में शामिल तथ्यात्मक और कानूनी पहलुओं की जटिल प्रकृति को तय करने में बहुत मदद मिली।

425. हमारे विचार के लिए पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने के बाद, विषय याचिकाओं/अपीलों/मामलों का उपरोक्त शर्तों में पूरी तरह से निपटारा किया जाता है। लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का भी खर्च के संबंध में बिना किसी आदेश के निपटान किया जाएगा।

संजीव खन्ना, जे।

1. राष्ट्रीय राजधानी के केंद्र में, और "लुटियंस" के भीतर

बंगला क्षेत्र *(*एल. बी. जेड.*)*, सेंट्रल विस्टा में स्थित है-जो दिल्ली का केंद्रबिंदु और जीवित विरासत है। इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज *(*आई. एन. टी. ए. सी. एच.*)* सेंट्रल विस्टा को "मुख्य अक्ष राजपथ के साथ पहनावा. रायसीना पहाड़ियों में राष्ट्रपति भवन, सचिवालय *(*उत्तर और दक्षिण ब्लॉक*)* से घिरा हुआ. संसद भवन. षट्कोणीय गोल-जिसमें लगभग इंडिया गेट और चंदवा है" के रूप में वर्णित करता है। लगभग *330* एकड़ में फैला राष्ट्रपति भवन, भारतीय गणराज्य के प्रमुख का निवास स्थान है। संसद भवन हमारे संविधान का जन्म स्थान और गर्भगृह है जहाँ निर्वाचित लोग रहते हैं।

जन-प्रतिनिधि चर्चा करते हैं, विचार-विमर्श करते हैं और कानून बनाते हैं। उत्तर दिशा। और साउथ ब्लॉक्स में ऐसे कार्यालय हैं जहाँ के उच्च स्तर

सरकार और सिविल सेवा नीतिगत निर्णय लेती है और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को नियंत्रित करती है। सैरगाह में अमर जवान ज्योति के साथ इंडिया गेट, राष्ट्रीय अभिलेखागार, राष्ट्रीय संग्रहालय, राष्ट्रीय स्टेडियम, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक और किशोरों के पसंदीदा 'बाल उद्यान' जैसी अन्य प्रतिष्ठित इमारतें हैं। हरे-भरे लॉन, पानी के चैनलों और फव्वारों से सुसज्जित यह क्षेत्र निवासियों और आगंतुकों को आकर्षित करता है।

इसकी विशिष्टता, ऐतिहासिक प्रासंगिकता और विश्राम, मनोरंजन, सैर और पिकनिक के लिए एक स्थान के रूप में। प्रारंभ में संभवतः शाही भव्यता और शक्ति के एक कथन के रूप में निर्मित, सेंट्रल विस्टा, स्वतंत्र भारत के बाद, आम लोगों को हमारे गढ़ों से प्रेरित और जोड़ता है।

लोकतंत्र।

राजीव सूरी बनाम। दिल्ली विकास प्राधिकरण और

ओआरएस। *[* संजीव खन्ना, जे।*]*

2. संशोधन से संबंधित वर्तमान विवाद और

सेंट्रल विस्टा के पुनर्विकास के अलग-अलग पहलू हैं। पहला, दिल्ली विकास अधिनियम, *1957* के तहत सेंट्रल विस्टा में छह भूखंडों के भूमि उपयोग में बदलाव और अनुमतियों/अनुमोदनों को कानूनी चुनौती है।

सेंट्रल विस्टा समिति, दिल्ली अर्बन आर्ट्स द्वारा प्रदान किया गया

दिल्ली शहरी कला आयोग अधिनियम, *1973* के तहत आयोग और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, *1986* के तहत एक नए संसद भवन के निर्माण के लिए मंजूरी/ना-आपत्ति। अनुलग्नक *II* के अनुसार विरासत संरक्षण समिति से पूर्व अनुमति/अनुमोदन लेने में विफलता यूनिफाइड बिल्डिंग बाय-लॉ का आरोप लगाया गया है। रिट याचिका *(*सिविल*)* सं. *853/2020* में, बोली आमंत्रित करने और उसमें नौवें प्रतिवादी को परामर्श देने की सूचना को चुनौती दी गई है। गहन और वैचारिक स्तर पर यह प्रश्न परामर्श करने के लिए सरकार के कर्तव्य और अर्ध विधायी अभ्यास में भाग लेने के नागरिक के अधिकार के दायरे और दायरे से संबंधित है। इन दोनों मुद्दों से जुड़ा तीसरा सवाल है -

दायरा

और न्यायिक समीक्षा की शक्ति का विस्तार।

3. चूँकि मुझे अपने द्वारा व्यक्त की गई राय पर आपत्ति है

जनता के पहलुओं पर सम्मानित भाई ए. एम. खानविलकर, जे.

वैधानिक प्रावधानों की व्याख्या पर भागीदारी, विरासत संरक्षण समिति से पूर्व अनुमोदन लेने में विफलता और आदेश विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति द्वारा पारित, मैंने एक अलग असहमति निर्णय लिखा है। हालांकि बोली आमंत्रित करने की सूचना, परामर्श का पुरस्कार और शहरी कला आयोग के आदेश के पहलुओं

पर, एक स्वतंत्र और स्वतंत्र आदेश के रूप में, मैं सम्मानपूर्वक सम्मानित भाई ए. एम. खानविलकर जे. द्वारा लिखित निर्णय में अंतिम निष्कर्षों से सहमत हूं।

4. शुरुआत में, विधायी और विनियामक का एक अवलोकन

दिल्ली विकास अधिनियम, *1957 ('*विकास अधिनियम*')* की रूपरेखा

और लागू नियम उन तथ्यों और मुद्दों को समझने में फायदेमंद होंगे जिन पर विचार और निर्णय की आवश्यकता है।

4.1 विकास अधिनियम संसद द्वारा अधिनियमित किया जाता है

दिल्ली को सुनियोजित तरीके से विकसित करने का उद्देश्य, क्योंकि उचित योजना के बिना राष्ट्रीय राजधानी का विकास असंगठित, असमान, असंवेदनशील और खतरनाक होगा। विकास अधिनियम दिल्ली विकास प्राधिकरण *('*प्राधिकरण*')* के गठन को स्वीकार करता है, जो योजना के अनुसार दिल्ली के विकास को बढ़ावा देने और सुरक्षित करने के लिए काम करेगा।

'मास्टर प्लान एंड जोनल डेवलपमेंट प्लान' शीर्षक वाले अध्याय *III* में धारा *7* से *11* शामिल हैं। धारा *7* प्राधिकरण से एक नागरिक *[2021] 15* एस. सी. आर. को पूरा करने की अपेक्षा करती है।

सर्वेक्षण करें और दिल्ली के लिए एक मास्टर प्लान तैयार करें, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों को परिभाषित किया गया है -

जिसे दिल्ली को विकास के उद्देश्यों के लिए विभाजित किया जा सकता है, और प्रत्येक क्षेत्र में भूमि का उपयोग करने के तरीके को इंगित करता है। विकास अधिनियम की धारा *8* में कहा गया है कि मास्टर प्लान तैयार करने के साथ-साथ, या उसके तुरंत बाद, प्राधिकरण प्रत्येक क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय विकास योजनाएं तैयार करेगा। मास्टर प्लान ढांचे के एक बुनियादी पैटर्न के रूप में काम करता है जिसके भीतर इन क्षेत्रीय विकास योजनाओं को तैयार किया जा सकता है। इन क्षेत्रीय विकास योजनाओं में क्षेत्र के विकास के लिए एक स्थल-योजना और उपयोग-योजना हो सकती है और सार्वजनिक भवनों और अन्य सार्वजनिक कार्यों और उपयोगिताओं, आवास, मनोरंजन, सार्वजनिक और निजी खुले स्थानों, सार्वजनिक और निजी उपयोगों की अन्य श्रेणियों आदि जैसी चीजों सहित प्रस्तावित भूमि-उपयोग के अनुमानित स्थानों और विस्तार को दिखाया जा सकता है। यह जनसंख्या घनत्व और भवन घनत्व के मानकों को निर्दिष्ट करने और क्षेत्र के प्रत्येक क्षेत्र को दिखाने के लिए भी है, जो प्राधिकरण की राय में आवश्यक या घोषित किया जा सकता है।

विकास या पुनर्विकास। धारा *9* में कहा गया है कि इसकी तैयारी के बाद, प्राधिकरण जल्द से जल्द मंजूरी के लिए केंद्र सरकार को योजना प्रस्तुत करेगा। केंद्र सरकार या तो ऐसे संशोधनों के साथ या उनके बिना योजना को मंजूरी दे सकती है जो वह आवश्यक समझती है या प्राधिकरण को एक नई योजना तैयार करने के निर्देश के साथ योजना को अस्वीकार कर सकती है।

4.2 विकास अधिनियम की धारा *10* महत्वपूर्ण है और पढ़ती है

निम्नानुसारः

" 10. तैयारी में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और

योजनाओं का अनुमोदन। — *(1)* किसी भी योजना को अंतिम रूप से तैयार करने और उसे अनुमोदन के लिए केंद्र सरकार को प्रस्तुत करने से पहले, प्राधिकरण एक योजना का मसौदा तैयार करेगा और उसकी एक प्रति निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराकर उसे प्रकाशित करेगा और इस संबंध में बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित किए गए प्रपत्र और तरीके से एक सूचना प्रकाशित करेगा, जिसमें किसी भी व्यक्ति से उस तारीख से पहले आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे जो अधिसूचना में निर्दिष्ट की जाए।
(2) प्राधिकरण प्रत्येक व्यक्ति को उचित अवसर भी देगा।

स्थानीय प्राधिकरण जिसकी स्थानीय सीमाओं के भीतर योजना द्वारा छुई गई कोई भी भूमि स्थित है, के संबंध में कोई भी प्रतिनिधित्व करने के लिए

योजना बनाएँ।
(3) प्राधिकरण द्वारा प्राप्त सभी आपत्तियों, सुझावों और अभ्यावेदनों पर विचार करने के बाद, प्राधिकरण अंततः योजना तैयार करेगा और इसे केंद्र सरकार को प्रस्तुत करेगा।

उसकी स्वीकृति के लिए।

राजीव सूरी बनाम। दिल्ली विकास प्राधिकरण और

ओआरएस। *[* संजीव खन्ना, जे।*]*

(4) इस संबंध में बनाए गए नियमों द्वारा प्रावधान किए जा सकते हैं -

(5) इस धारा के पूर्वगामी प्रावधानों के अधीन रहते हुए केंद्र सरकार प्राधिकरण को ऐसी जानकारी प्रदान करने का निर्देश दे सकती है जिसकी उस सरकार को किसी भी प्रावधान को मंजूरी देने के उद्देश्य से आवश्यकता हो। इस धारा के तहत इसे प्रस्तुत की गई योजना।

धारा *10* प्राधिकरण को पहले नियमों के अनुसार एक मसौदा योजना तैयार करने और आपत्तियों को आमंत्रित करते हुए इसे प्रकाशित करने का आदेश देती है और

किसी भी व्यक्ति के सुझाव। प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण, जिसकी स्थानीय सीमा के भीतर योजना द्वारा छुई गई कोई भी भूमि स्थित है, को भी प्रतिनिधित्व करने का उचित अवसर दिया जाना चाहिए। विचार करने पर आपत्तियाँ, सुझाव और अभ्यावेदन, प्राधिकरण अंततः योजना तैयार करेगा और इसे अनुमोदन के लिए केंद्र सरकार को प्रस्तुत करेगा। हम बाद में अधिनियमित नियमों का उल्लेख करेंगे, जो विकास अधिनियम के साथ मिलकर पूरी प्रक्रिया में मजबूत और प्रभावी सार्वजनिक भागीदारी की योजना की परिकल्पना करते हैं।

4.3 धारा *11* में कहा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा योजना को मंजूरी दिए जाने के बाद प्राधिकरण योजना को एक तरह से प्रकाशित करेगा।

विनियमों द्वारा निर्धारित, और एक सूचना के माध्यम से, सूचित करें कि योजना को मंजूरी दे दी गई है, वह स्थान जहां योजना की एक प्रति का सभी उचित घंटों में निरीक्षण किया जा सकता है, और वह तिथि जिस पर यह लागू होगी।

4.4 धारा *11* ए जो *1963* के अधिनियम *56* द्वारा *30* दिसंबर, *1963* से प्रभावी रूप से जोड़ी गई थी और पढ़ती है:

"11 ए. योजना में संशोधन। - *(1)* प्राधिकरण कर सकता है

मास्टर प्लान या क्षेत्रीय विकास योजना में कोई भी संशोधन जो वह उचित समझता है, ऐसे संशोधन हैं जो उसकी राय में योजना के स्वरूप में महत्वपूर्ण परिवर्तनों को प्रभावित नहीं करते हैं और जो भूमि-उपयोग की सीमा या मानकों से संबंधित नहीं हैं।
जनसंख्या घनत्व।

संशोधन उप-धारा *(1)* में निर्दिष्ट प्रकृति के हैं या
अन्यथा।

(3) योजना में कोई भी संशोधन करने से पहले, प्राधिकरण या, जैसा भी मामला हो, केंद्र सरकार इस संबंध में बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित किए गए प्रपत्र और तरीके से एक सूचना प्रकाशित करेगी, जिसमें किसी भी व्यक्ति से प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे और प्राधिकरण या केंद्र सरकार द्वारा प्राप्त सभी आपत्तियों और सुझावों पर विचार किया जाएगा।

(4) इस धारा के प्रावधानों के तहत किए गए प्रत्येक संशोधन को उस तरीके से प्रकाशित किया जाएगा जिसे प्राधिकरण या केंद्र सरकार, जैसा भी मामला हो, निर्दिष्ट करे और संशोधन या तो प्रकाशन की तारीख को या ऐसी अन्य तारीख को लागू होंगे जब प्राधिकरण या केंद्र सरकार

ठीक कर सकते हैं।

(5) जब प्राधिकरण उप-धारा *(1)* के तहत योजना में कोई संशोधन करता है, तो वह केंद्र सरकार को उस तारीख के तीस दिनों के भीतर ऐसे संशोधनों का पूरा विवरण देगा।

जो इस तरह के संशोधन लागू होते हैं।

(6) यदि कोई प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या प्राधिकरण द्वारा किए जाने वाले प्रस्तावित संशोधन ऐसे संशोधन हैं जो योजना के स्वरूप में महत्वपूर्ण परिवर्तनों को प्रभावित करते हैं या क्या वे भूमि उपयोग की सीमा या जनसंख्या घनत्व के मानकों से संबंधित हैं, तो इसे केंद्र सरकार को भेजा जाएगा जिसका निर्णय अंतिम होगा। *(7)* अध्याय *III*
को छोड़कर किसी अन्य अध्याय में मास्टर प्लान या क्षेत्रीय विकास योजना के किसी भी संदर्भ का अर्थ मास्टर प्लान या क्षेत्रीय विकास योजना के संदर्भ के रूप में किया जाएगा -

इस धारा के प्रावधानों के तहत संशोधित किया गया।

धारा *11* ए की उप-धारा *(1)* प्राधिकरण को मास्टर प्लान या क्षेत्रीय विकास योजना में संशोधन करने की अनुमति देती है जो

इसकी राय, योजना के स्वरूप में किसी भी महत्वपूर्ण परिवर्तन को प्रभावित नहीं करती है और जो भूमि-उपयोग की सीमा या जनसंख्या घनत्व के मानकों से संबंधित नहीं है। धारा *11* ए की उप-धारा *(2)* इसी तरह केंद्र सरकार को मास्टर प्लान या क्षेत्रीय विकास योजना में संशोधन करने का अधिकार देती है, लेकिन व्यापक शक्ति के साथ

उप-धारा *(1)* के तहत बहिष्करणों से परे जाने वाले संशोधनों को प्रभावित करता है। राजीव सूरी *v* में आवश्यक होने पर संशोधन की शक्ति का प्रयोग किया जाना है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण और

ओआरएस। *[* संजीव खन्ना, जे।*]*

जनहित। धारा *11* ए की उप-धारा *(3)* प्राधिकरण या केंद्र सरकार पर, जैसा भी मामला हो, निर्धारित प्रपत्र और तरीके से एक सूचना के प्रकाशन द्वारा आम जनता से परामर्श करने, प्रस्तावित संशोधन के संबंध में आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करने का कर्तव्य लगाती है और डालती है। प्राधिकरण या केंद्र सरकार, जैसा भी मामला हो, आपत्तियों और सुझावों पर विचार करने के लिए कर्तव्यबद्ध है। विचार करने पर, प्राधिकरण उप-धारा के तहत संशोधन करता है।

(1) , इस तरह के संशोधन के लागू होने की तारीख से *30* दिनों के भीतर केंद्र सरकार को पूरा विवरण देना आवश्यक है। इसी तरह, केंद्र सरकार इस पर विचार करने के बाद

आपत्तियाँ/सुझाव उप-धाराओं के संदर्भ में संशोधनों को अधिसूचित करते हैं।

(2) विकास अधिनियम की धारा *11* ए के लिए *(4)*। उप-धारा *(6)* में कहा गया है कि जहां कोई प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या द्वारा प्रस्तावित संशोधन

प्राधिकरण का प्रभाव उन परिवर्तनों को करने का होता है जो उप-धारा *(1)* में बहिष्करणों के दायरे में आते हैं, प्राधिकरण इस मामले को केंद्र सरकार को भेजेगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा।

4.5 1963 के अधिनियम *56* ने भी खंड *(छ)* को उप-धारा *(2)* में संशोधित किया।

विकास अधिनियम की धारा *56* जो राज्य की शक्ति से संबंधित है

केंद्र सरकार प्राधिकरण के साथ परामर्श के बाद नियम बनाएगी और जिन्हें आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित किया जाना है। विकास अधिनियम की धारा *56* की उप-धारा *(2)* के खंड *(छ)* में धारा *11* ए को शामिल करने से पहले इस प्रकार निर्धारित किया गया थाः

"(2) विशेष रूप से और इसकी व्यापकता के प्रति पूर्वाग्रह के बिना

पूर्वगामी शक्ति, ऐसे नियम सभी या किसी के लिए प्रावधान कर सकते हैं

निम्नलिखित मामले, अर्थात्ः

XX

XX

XX

(छ) मास्टर प्लान और एक क्षेत्रीय का आवधिक संशोधन

विकास योजना, वह अवधि जिसकी समाप्ति पर ऐसी

संशोधन किया जा सकता है, जिस प्रक्रिया का पालन किया जाना है

ऐसा संशोधन करना और उसके लागू होने की तारीख
संशोधन*; "*

संशोधन के बाद, धारा *56 (2)* का खंड *(*जी*)*

विकास अधिनियम निम्नानुसार हैः

" (छ) वह प्रपत्र और तरीका जिसमें उप-धारा *(3)* के तहत सूचना दी जाती है।
धारा *11* ए का प्रकाशन किया जाएगा।

4.6 केंद्र सरकार उप के तहत शक्ति का प्रयोग कर रही है

धारा *56* की धारा *(1)*, धारा *56* की उप-धारा *(2)* के खंड *(*ई*)*, *(*जी*)* और *(*आर*)* के साथ पठित, ने दिल्ली विकास *(*मास्टर प्लान और *[2021] 15* एस. सी. आर. को अधिनियमित किया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

क्षेत्रीय विकास योजना*)* नियम, *1959 (*'विकास नियम'*)* जो *1* जनवरी, *1960* को लागू हुए। विकास नियम, नियम *3* के संदर्भ में, प्राधिकरण को एक नागरिक सर्वेक्षण करने और संदर्भ के साथ दिल्ली की भौतिक, आर्थिक और सामाजिक विशेषताओं का विश्लेषण करने की आवश्यकता है। प्राकृतिक संसाधनों, जनसंख्या के वितरण, उद्योग, संचार, आवास आवश्यकताओं और दिल्ली के विकास से संबंधित अन्य मामलों के लिए। इसके बाद, एक मसौदा मास्टर प्लान-जिसमें नक्शे, आरेख,

चार्ट, रिपोर्ट और व्याख्यात्मक या वर्णनात्मक प्रकृति के अन्य लिखित मामले, जो पूरी दिल्ली या दिल्ली के किसी भी हिस्से के विकास से संबंधित हैं, तैयार किए जाने चाहिए और सार्वजनिक परीक्षा के लिए उपलब्ध कराए जाने चाहिए। उप-नियम *(3)* से नियम *4* के खंड *(*बी*)* में कहा गया है कि मास्टर प्लान के मसौदे में भूमि के वर्तमान उपयोग के सर्वेक्षण के आधार पर भूमि उपयोग योजना शामिल हो सकती है

भविष्य की अनुमानित आवश्यकताओं का विश्लेषण और सबसे वांछनीय उपयोग के लिए व्यापक प्रस्ताव शामिल होना आवश्यक हो सकता है।

सरकारी भूमि सहित भूमि। इसमें एक वित्तीय योजना और एक प्रशासनिक योजना शामिल हो सकती है। नियम *5* तैयारी के संबंध में सार्वजनिक सूचना से संबंधित है।

मास्टर प्लान, और पढ़ता है:

"*5.* मास्टर प्लान तैयार करने के संबंध में सार्वजनिक सूचना। - *(1)* मास्टर प्लान का मसौदा तैयार होने के तुरंत बाद प्राधिकरण एक सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करेगा जिसमें कहा जाएगा कि -

(ए) मास्टर प्लान का मसौदा तैयार किया गया है और किसी भी व्यक्ति द्वारा ऐसे समय और स्थान पर निरीक्षण किया जा सकता है जो उनमें निर्दिष्ट किया जा सकता है।

नोटिस दें;

[बशर्ते कि जहां केंद्र सरकार इस पर विचार करती है
लोक व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से या जनता के हित को प्रभावित करने की किसी भी आवश्यकता के मामले में ऐसा करना समीचीन है, इसके लिए ऐसे सुझावों और आपत्तियों को निम्नलिखित के भीतर दायर करने की आवश्यकता हो सकती है -

नोटिस की तारीख से तीन दिनों की अवधि*]* *(
2)* यह सूचना बिना किसी संशोधन के इन नियमों के साथ संलग्न प्रपत्र ए में हो सकती है। ऐसा संशोधन जो आवश्यक हो "।

नियम *5* में कहा गया है कि सार्वजनिक सूचना प्रकाशित की जाएगी जिसमें कहा जाएगा कि मास्टर प्लान का मसौदा तैयार कर लिया गया है और निर्दिष्ट समय और स्थान पर इसका निरीक्षण किया जा सकता है और दूसरा, लिखित में सुझाव और आपत्तियां, राजीव सूरी *v.*

दिल्ली विकास प्राधिकरण और

ओआरएस। *[* संजीव खन्ना, जे।*]*

(च) मास्टर प्लान के संबंध में अधिसूचना के पहले प्रकाशन के नब्बे *(90)* दिनों के भीतर प्राधिकरण के सचिव के पास दाखिल किया जा सकता है। परंतुक के तहत केंद्र सरकार आवश्यकता की स्थिति में ऐसा कर सकती है

एक छोटी सूचना के लिए रोवाइड करें।

4.7 नियम *6* में कहा गया है कि सूचना विकास अधिनियम की धारा *44* में निर्धारित तरीके से प्रकाशित की जाएगी और यह भी होगा -

आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित। *4.8* नियम *8,9,10* और *11* जो आपत्तियों और सुझावों पर विचार करने और अंतिम मसौदा मास्टर प्लान तैयार करने से संबंधित हैं; पढ़ें -

"*8.* जांच और सुनवाई के लिए बोर्ड की नियुक्ति। - *(1)* प्राधिकरण, मास्टर प्लान के मसौदे पर किसी भी प्रतिनिधित्व, आपत्ति और सुझाव पर सुनवाई और विचार करने के लिए, एक बोर्ड की नियुक्ति करेगा जिसमें कम से कम *3* और *5* से अधिक सदस्य नहीं होंगे।
प्राधिकरण।

बशर्ते कि ऐसे बोर्ड को सह-चयन करने की शक्तियां होंगी

सलाहकार के सदस्यों में से *2* से अधिक सदस्य

परिषद।

[(2) बोर्ड का कोई भी कार्य किसी भी बैठक में तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि सुनवाई की शुरुआत से अंत तक कम से कम तीन सदस्य उपस्थित न हों।*]* *9.* पूछताछ और सुनवाई। - सचिव, इन नियमों के तहत आपत्तियां, अभ्यावेदन और सुझाव देने के लिए अनुमत अवधि की समाप्ति के बाद, मास्टर प्लान के मसौदे के संबंध में ऐसे व्यक्ति या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा की गई किसी भी आपत्ति, अभ्यावेदन या सुझाव के संबंध में किसी भी व्यक्ति या स्थानीय प्राधिकरण के बोर्ड द्वारा सुनवाई के लिए एक तारीख या तारीख निर्धारित करेगा और स्थानीय प्राधिकरण या किसी भी व्यक्ति के लिए काम करेगा जिसे मास्टर प्लान के मसौदे के लिए ऐसे अभ्यावेदन, आपत्ति या सुझाव के संबंध में व्यक्तिगत सुनवाई की अनुमति दी जा सकती है, सुनवाई के समय, तिथि और स्थान की सूचना देने वाली सूचना।

बशर्ते कि बोर्ड किसी को भी व्यक्तिगत सुनवाई की अनुमति न दे

व्यक्ति, यदि यह राय है कि ऐसे व्यक्ति द्वारा की गई आपत्ति या सुझाव असंगत, तुच्छ या अप्रासंगिक है।

10. पूछताछ की रिपोर्ट। - बोर्ड निष्कर्ष के बाद

अपनी जांच के बारे में, प्राधिकरण को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें

सिफारिशें।

11. मास्टर प्लान का अंतिम मसौदा तैयार करना और उसे प्रस्तुत करना।

केंद्र सरकार के लिए। - प्राधिकरण विचार करने के बाद

बोर्ड की रिपोर्ट और कोई अन्य मामला जो वह उचित समझता है, अंत में मास्टर प्लान तैयार करें और इसे केंद्र सरकार को प्रस्तुत करें

उसकी स्वीकृति के लिए।

नियम *8* के अनुसार, प्राधिकरण को एक बोर्ड नियुक्त करने की आवश्यकता है

मास्टर प्लान के मसौदे के अभ्यावेदन, आपत्तियों और सुझावों पर सुनवाई और विचार करने के लिए पूछताछ और सुनवाई *(*बी. ओ. ई. एच.*)*।

बी. ओ. ई. एच. में प्राधिकरण के कम से कम तीन सदस्य शामिल होंगे, जिनके पास प्राधिकरण की सलाहकार परिषद के सदस्यों में से दो से अधिक सदस्यों का सह-चयन करने की शक्ति है। नियम *8* के उप-नियम *(2)* में बी. ओ. ई. एच. के लिए न्यूनतम गणपूर्ति निर्धारित की गई है और कहा गया है कि बी. ओ. ई. एच. का कोई भी

कार्य तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि बी. ओ. ई. एच. के कम से कम तीन सदस्य सुनवाई की शुरुआत से अंत तक उपस्थित न हों। नियम *9* में कहा गया है कि प्राधिकरण का सचिव, आपत्तियां/अभ्यावेदन और सुझाव देने के लिए नियमों के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद, स्थानीय प्राधिकरण या उस व्यक्ति को नोटिस देगा जिसे मसौदा मास्टर प्लान के अभ्यावेदन, आपत्ति या सुझाव के संबंध में व्यक्तिगत सुनवाई की अनुमति दी जा सकती है, जिसमें सुनवाई का समय, तिथि और स्थान सूचित किया जाएगा। नियम *10* में कहा गया है कि जांच के समापन के बाद बी. ओ. ई. एच. प्राधिकरण को अपनी सिफारिशों की एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। स्पष्ट रूप से, उप-नियम सार्वजनिक सुनवाई सहित सार्वजनिक भागीदारी को दिए गए महत्व को दर्शाते हैं।

4.9 नियम *11* के अनुसार प्राधिकरण की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद

बी. ओ. ई. एच. और कोई भी अन्य मामला जो वह उचित समझता है, अंततः तैयार करेगा

मंजूरी मिल गई।

मास्टर प्लान तैयार करें और इसके लिए केंद्र सरकार को प्रस्तुत करें। नियम *5* से *11* क्षेत्रीय विकास योजनाओं में उत्परिवर्तन को लागू करते हैं।

4.10 दिल्ली सरकार ने विकास नियमों में संशोधन किया था।

राजपत्र अधिसूचना जी. एस. आर. *930* दिनांक *13* मई, *1966* द्वारा विकास *(*मास्टर और क्षेत्रीय विकास योजना*)* संशोधन नियम, *1966*। इस संशोधन के परिणामस्वरूप, नियम *12* और *13*, जो मास्टर प्लान के संशोधन को हटा दिया गया। यह प्रत्यक्ष रूप से आवश्यक था और विकास अधिनियम की धारा *11* ए के अधिनियमन के बाद किया गया था। नियम *15* के बाद, "मास्टर प्लान और क्षेत्रीय विकास योजना में संशोधन" शीर्षक वाला अध्याय *V* जोड़ा गया, जिसमें नियम *16* में कहा गया है कि धारा *11* ए की उप-धारा *(3)* में निर्दिष्ट सूचना फॉर्म बी में होगी, और नियम *6* के अनुसार प्रकाशित की जाएगी। फॉर्म बी नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

अजीव सूरी बनाम। दिल्ली विकास प्राधिकरण और ओआरएस। *[*संजीव खन्ना, जे।*]*

"फॉर्म बी

सार्वजनिक सूचना

दिल्ली विकास प्राधिकरण/केंद्र सरकार ने दिल्ली/क्षेत्रीय विकास योजनाओं के लिए मास्टर प्लान में जो संशोधन करने का प्रस्ताव किया है, उसे सार्वजनिक जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है। प्रस्तावित के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव रखने वाला कोई भी व्यक्ति

सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली विकास भवन, इंद्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली, इस सूचना की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर। आपत्ति या सुझाव देने वाले व्यक्ति को अपना नाम और पता भी देना चाहिए। संशोधन/एस।

... .

2. प्रस्तावित संशोधनों का संकेत देने वाली योजनाएँ प्राधिकरण के कार्यालय, दिल्ली विकास भवन, इंद्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली में शनिवार को छोड़कर सभी कार्य दिवसों पर निरीक्षण के लिए उपलब्ध होंगी।

सचिव

दिल्ली विकास प्राधिकरण

दिल्ली विकास भवन, इंद्रप्रस्थ एस्टेट,

नई दिल्ली तिथि के अनुसार,

196. "

[सं. 19015 (3)/66-यू. डी.]

आर. आर. शर्मा, अवर सचिव "।

5. विकास अधिनियम के तहत शक्तियों के आधार पर और

एल. ओ. पी. एम. टी. नियम, दिल्ली के लिए एक मास्टर प्लान *1962* में जारी किया गया था।

दिल्ली के विकास के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण तैयार करना।

इसके बाद, *[2021] 15* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कुछ कारणों के लिए जिन्हें हम समझ नहीं सकते हैं, हालांकि जिनकी वर्तमान मुकदमेबाजी के लिए जांच करने की आवश्यकता नहीं है, प्राधिकरण ने विकास अधिनियम की धारा *11* ए का सहारा लेकर इसे लागू किया है।

दिल्ली की योजना *2001*, उसके बाद दिल्ली की मास्टर प्लान *2021*, जिसे वर्तमान में लागू किया जा रहा है। जबकि दूसरे और तीसरे मास्टर प्लान को धारा *11*-ए के तहत संशोधन माना गया था।

विकास अधिनियम, धारा *11* के तहत प्रक्रिया और विकास नियमों का मसौदा मास्टर प्लान की तैयारी और प्रकाशन में पालन किया गया था और दोनों अवसरों पर सार्वजनिक परामर्श और सुनवाई की सकारात्मक आवश्यकता का पालन किया गया था। इस अभ्यास का महत्व और इसके कानूनी निहितार्थ बाद में देखे जाएंगे।

6. इस वैधानिक ढांचे को ध्यान में रखते हुए, हम आगे बढ़ेंगे

तथ्यों पर विचार करें;

(अ)

2 सितंबर *2019* को केंद्रीय लोक निर्माण विभाग

(सीपीडब्ल्यूडी के रूप में भी संदर्भित*)* ने "नई दिल्ली में संसद भवन, सामान्य केंद्रीय सचिवालय और सेंट्रल विस्टा के विकास/पुनर्विकास" के लिए बोलियां आमंत्रित करने का नोटिस जारी किया।

निविदा दस्तावेज में कहा गया हैः " पूरे सेंट्रल विस्टा क्षेत्र के लिए एक नया मास्टर प्लान तैयार किया जाना है जो नए भारत के मूल्यों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है-सुशासन, दक्षता, पारदर्शिता, जवाबदेही और समानता और भारतीय संस्कृति और सामाजिक परिवेश में निहित है।

4 दिसंबर *2019* को भूमि और विकास कार्यालय

(ख)

(आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय *(*एम. ओ. एच. यू. ए.*)* में एल. एंड डी. ओ.*)* ने सेंट्रल विस्टा क्षेत्र में स्थित *7* भूखंडों और तिमारपुर क्षेत्र में स्थित *1* भूखंड के भूमि उपयोग में बदलाव के लिए प्राधिकरण को एक प्रस्ताव भेजा। अगले ही दिन यानी *5* दिसंबर *2019* को तकनीकी समिति

प्राधिकरण ने अपनी बैठक आयोजित की। जाँच निम्नलिखित भूखंडों के लिए भूमि उपयोग के परिवर्तन के प्रस्ताव पर थीः

" ए. प्लॉट नंबर *1* डी. टी. सी. केंद्रीय सचिवालय बस टर्मिनल, नई दिल्ली के पास चर्च रोड पर स्थित है। के अनुसार

एमपीडी-*2021* साइट का भूमि उपयोग परिवहन *(*बस टर्मिनल*/*पार्किंग*)* के तहत है। *(* संलग्न अनुलग्नक ए*)* पर चिह्नित स्थान। प्रस्तावित भूमि

साइट का उपयोग सरकारी कार्यालय है।

बी. प्लॉट नंबर *2* संसद भवन, नई दिल्ली के सामने स्थित है। एम. पी. डी.-*2021* के अनुसार साइट यू. आर. आई. वी. का भूमि उपयोग।

दिल्ली विकास प्राधिकरण और

ओआरएस। *[* संजीव खन्ना, जे।*]*

यह मनोरंजन *(*जिला उद्यान*)* के अंतर्गत आता है। *(* संलग्न अनुलग्नक ए*)* पर चिह्नित स्थान। प्रस्तावित भूमि उपयोग

साइट सरकारी कार्यालय है। सी. प्लॉट नंबर *3* डॉ. राजेंद्र प्रसाद रोड पर स्थित है और इसमें राष्ट्रीय अभिलेखागार है। एमपीडी-*2021* के अनुसार साइट का भूमि उपयोग सार्वजनिक और अर्ध सार्वजनिक सुविधाओं के तहत है। *(* संलग्न अनुलग्नक ए*)* पर चिह्नित स्थान। स्थल का प्रस्तावित भूमि उपयोग सरकारी कार्यालय है।

और मनोरंजन *(*जिला उद्यान*)*।

डी. प्लॉट नंबर *4* डॉ. राजेंद्र प्रसाद रोड पर स्थित है और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला और संस्कृति केंद्र के कब्जे में है। एमपीडी-*2021* के अनुसार साइट का भूमि उपयोग सार्वजनिक और अर्ध सार्वजनिक सुविधाओं *(*एससी*)* के तहत है। *(* संलग्न अनुलग्नक ए*)* पर चिह्नित स्थान। इस स्थल का प्रस्तावित भूमि उपयोग सरकारी कार्यालय के अधीन है।

और मनोरंजन *(*जिला उद्यान*)*। ई. प्लॉट नंबर *5* मान सिंह रोड, अशोक रोड और इंडिया गेट हेक्सागोन के बीच त्रिकोणीय में स्थित है।

गठन। एमपीडी-*2021* के रूप में साइट का भूमि उपयोग सार्वजनिक और अर्ध सार्वजनिक सुविधाओं के तहत है। *(* संलग्न अनुलग्नक ए*)* पर चिह्नित स्थान। प्रस्तावित भूमि उपयोग

साइट सरकारी कार्यालय है।

एफ. प्लॉट नंबर *6* मौलाना आजाद रोड पर स्थित है और इसमें वीपी हाउस, विज्ञान भवन और राष्ट्रीय भवन शामिल हैं।

संग्रहालय। एमपीडी-*2021* के अनुसार साइट का भूमि उपयोग सार्वजनिक और अर्ध सार्वजनिक सुविधाओं *(*एससी*)* के तहत है। *(* संलग्न अनुलग्नक ए*)* पर चिह्नित स्थान। प्रस्तावित भूमि साइट का उपयोग सरकारी कार्यालय के तहत किया जाता है।

जी. प्लॉट नंबर *7* दारा शिकोह मार्ग पर स्थित है। के अनुसार

एमपीडी-*2021* स्थल का भूमि उपयोग सरकारी कार्यालय के अधीन है। *(* संलग्न अनुलग्नक ए*)* पर चिह्नित स्थान। द.

स्थल का प्रस्तावित भूमि उपयोग आवासीय है।

एच. प्लॉट नंबर *8* तिमारपुर के पास लखनऊ रोड पर स्थित है और योजना क्षेत्र सी का हिस्सा है। एमपीडी-*2021* के अनुसार

स्थल का भूमि उपयोग सार्वजनिक और अर्ध सार्वजनिक के अंतर्गत है। सुविधाएं। *(* संलग्न अनुलग्नक बी*)* पर चिह्नित स्थान।

स्थल का प्रस्तावित भूमि उपयोग मनोरंजन *(*जिला*)* है।

पार्क*)* "।

उसी दिन, यानी *5* दिसंबर *2019* को, तकनीकी

*((*ग*)*

प्राधिकरण की समिति ने प्रस्ताव को मंजूरी दी

विकास की धारा *11* ए के तहत आगे की प्रक्रिया एक्ट करें। निर्णय का प्रासंगिक हिस्सा इस प्रकार हैः

भूमि परिवर्तन का प्रस्ताव भूमि और प्राकृतिक संसाधन विभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया था।

43/2019

विभिन्न भूखंडों का उपयोग *(8* विकास अधिकारी, गोल.

संख्या.*)* जैसा कि उल्लेख किया गया है

योजना, जोन-डी, डी. डी. ए. के अधिकारियों ने जानकारी दी

कि भूमि उपयोग का उल्लेख परिवहन के लिए किया गया था

तकनीकी समिति

कार्यक्रम

नई दिल्ली, लेकिन मास्टर प्लान और जोनल के अनुसार
जोन डी-*2001* की योजना इस प्रकार है:

एम. पी. डी.-भूमि के अनुसार भूमि उपयोग

उपयोग करें।

2021 / जेडडीपी *2001*

में बदला गया

एमपीडी-*2021*

सरकार. कार्यालय

-

परिवहन

(बस

टर्मिनल/पार्किंग
जेडडीपी-क्षेत्र-डी-*2001*-भाग

मनोरंजन

(पड़ोस

बजाएँ।

क्षेत्र*)*

भाग-परिवहन *(*बस*)*
टर्मिनल/पार्किंग

कार्यसूची के पैरा *4* में निहित
प्लॉट संख्या *1* के लिए भूमि उपयोग में उपरोक्त संशोधन किया गया था

तकनीकी समिति ने की सिफारिश

डीडी अधिनियम की धारा *11* ए के तहत आगे की प्रक्रिया,

1957. निम्नलिखित शर्तों के साथः

(i) पीएमओ से मंजूरी, विरासत

संरक्षण समिति और सेंट्रल विस्टा
समिति एल एंड डी ओ द्वारा ली जाएगी।

((ii) धरोहर भवनों को तदनुसार निपटाया जाएगा।

प्रासंगिक विरासत प्रावधान।

इसके बाद *21* दिसंबर *2019* को एक सार्वजनिक सूचना जारी की गई।

((घ)

जनता से आपत्तियाँ और सुझाव आमंत्रित करने के लिए जारी किया गया

विकास की धारा *11*-ए की उप-धारा *3* की शर्तें

विकास नियमों के तहत अधिनियम और नियम *16*, प्रासंगिक

जिसका एक हिस्सा इस प्रकार हैः

अजीव सूरी बनाम। दिल्ली विकास प्राधिकरण और

ओआरएस। *[* संजीव खन्ना, जे।*]*

" दिल्ली विकास प्राधिकरण

(मास्टर प्लान अनुभाग*)*

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, *21* दिसंबर, *2019*

एस. ओ. *4587 (ई)*। --— निम्नलिखित संशोधन जो दिल्ली विकास प्राधिकरण/केंद्र सरकार करने का प्रस्ताव करती है मास्टर प्लान-*2021*/जोन 'डी' की क्षेत्रीय विकास योजना

(डीडी अधिनियम, *1957* की धारा *11*-ए के तहत प्लॉट संख्या *1* से *7* के लिए*)* और जोन 'सी' *(*प्लॉट संख्या *8* के लिए*)* को सार्वजनिक जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है। प्रस्तावित संशोधन के संबंध में कोई भी व्यक्ति जो कोई आपत्ति/सुझाव देता है, वह लिखित रूप में आपत्ति/सुझाव दिल्ली विकास आयुक्त-सह-सचिव को भेज सकता है। प्राधिकरण, 'बी' ब्लॉक, विकास सदन, नई दिल्ली-*110023* इस सार्वजनिक सूचना

की तारीख से तीस *(30)* दिनों की अवधि के भीतर। आपत्ति या सुझाव देने वाले व्यक्ति को भी अपना सुझाव देना चाहिए।

टेलीफोन नंबर *No./contact* और ई-मेल आईडी के अलावा नाम और पता जो सुपाठ्य होना चाहिए।

प्रस्तावित संशोधनः

स्थान

भूमि उपयोग सीमाओं के अनुसार क्षेत्र भूमि उपयोग
(एमपीडी *2021/*जेडडीपी में बदला गया

2001

एकड़*)*

प्लॉट नंबर *1*। *15*

सरकार. कार्यालय

उत्तर दिशाः

एमपीडी-*2021*

—

चर्च रोड

पर स्थित है

परिवहन

टर्मिनल /

चर्च रोड

दक्षिणः

(बस

राष्ट्रपति

पार्किंग*)*

डीटीसी

पास में

केंद्रीय

भवन और

जेडडीपी

क्षेत्र-डी,

सचिवालय

नॉर्थ ब्लॉक

2001

भाग

पूरबः इसका हिस्सा

बस

मनोरंजन

टर्मिनल,

नॉर्थ ब्लॉक

*(*पड़ोस

नई दिल्ली

पश्चिमः

खेल क्षेत्र*)*

राष्ट्रपति

भाग

भवन

परिवहन

टर्मिनल /

पार्किंग*)*

मनोरंजन

उत्तर दिशाः लाल।

प्लॉट नंबर *2*

संसद

9.5

इसके विपरीत

क्रॉस रोड

(जिला उद्यान*)*

घर।

संसद

दक्षिणः

घर।

रायसीना रोड

पश्चिमः

संसद

उत्तर दिशाः डॉ.

सरकार. कार्यालय

3 .

प्लॉट नं. *3*

7.7

सार्वजनिक और अर्ध

पर स्थित है

सार्वजनिक सुविधाएं

(5.8 एकड़*)*

राजेन्द्र

प्रसाद रोड

दक्षिण में डॉ।

और

राजेन्द्र

मनोरंजन

दक्षिणः हरा।

प्रसाद रोड

(जिला

और

क्षेत्र

पार्क*) (1.88*। राजपथ

और घर।

पूरबः जनपथ

राष्ट्रीय

एक्ड़*)*

अभिलेखागार

पश्चिमः शास्त्री

भवन

24.7

सार्वजनिक और अर्ध

सरकार. कार्यालय

उत्तर दिशाः

डॉ.

4 .

प्लॉट नंबर *4*

राजेन्द्र

पर स्थित है

सार्वजनिक सुविधाएं

(22.82

(एससी)

एकड़*)* और

दक्षिण में डॉ।

प्रसाद रोड

मनोरंजन

राजेन्द्र

दक्षिणः हरा।

प्रसाद रोड

(जिला

और

क्षेत्र

और पूरब की ओर

पार्क*) (1.88* राजपथ

पूरबः

एकड़*)*

जनपथ

आदमी।

सिंह रोड

पश्चिमः

जनपथ

टाय।

सार्वजनिक और अर्ध

सरकार. कार्यालय

प्लॉट नंबर *5*

4.5

उत्तर दिशाः

अशोक रोड

सार्वजनिक सुविधाएं

पर स्थित है

(एससी)

आदमी के पूर्व

दक्षिणः हरा।

सिंह रोड

और

क्षेत्र

और दक्षिण में

राजपथ

पूरबः

सी.

अशोक रोड

षट्कोण

पश्चिमः आदमी।

सिंह रोड

6 .

24.7

सार्वजनिक और अर्ध

सरकार. कार्यालय

प्लॉट नंबर *6*

उत्तर दिशाः हरा।

पर स्थित है

क्षेत्र

और

(22.82

सार्वजनिक सुविधाएं

एकड़) और

राजपथ

(एससी)

उत्तर

में से

मौलाना

मनोरंजन

दक्षिणः

(जिला

आजाद रोड

मौलाना

पार्क)

आजाद रोड

और पूरब की ओर

(1.88 एकड़)

पूरबः

जनपथ

आदमी।

सिंह रोड

पश्चिमः

जनपथ

आवासीय

एमपीडी-2021

उत्तर दिशाः दक्षिण

7.

प्लॉट नंबर *7* पर स्थित है

सरकारी कार्यालय

ब्लॉक करें

उत्तर

दक्षिणः दारा

में से

जेड. डी. पी. क्षेत्र-डी-*2001*

शिकोह रोड

डलहौसी

मनोरंजन

पूरबः इसका हिस्सा

सड़क

पास में

(पड़ोस।

साउथ ब्लॉक

साउथ ब्लॉक

खेल क्षेत्र*)*

पश्चिमः

राष्ट्रपति

भवन

उत्तर दिशाः

मनोरंजन

8.

भूमि उपयोग के अनुसार

प्लॉट नंबर *8*

3.9

जोन-सी का जेडडीपी

पर स्थित है

सीजीएचएस

(जिला

औषधालय

2021

लखनऊ

पार्क*)*

सार्वजनिक और अर्ध

सड़क

दक्षिणः

पास में

सार्वजनिक सुविधाएं

तिमारपुर

सरकार

(झरना।

में

जमीन।

क्षेत्र-सी*)*

पूरबः

लखनऊ

सड़क

पश्चिमः

सरकार

भूमि *7* सूरी बनाम। दिल्ली विकास प्राधिकरण और

ओआरएस। *[* संजीव खन्ना, जे।*]*

प्रस्तावित संशोधनों का संकेत देने वाला पाठ/योजना

ऊपर उल्लिखित। प्रस्तावित का संकेत देने वाला पाठ/योजना संशोधन डी. डी. ए. की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं।

डब्ल्यू. डब्ल्यू. डीडीए। *org.* में।

[एफ. नहीं। एफ. *20 (12) 2019/*एमपी*]*

डी. एस. ए. आर. के., डी. सिकरी "।

इस बीच, *31* जनवरी *2020* को एक संशोधित प्रस्ताव प्लॉट संख्या *1* के संबंध में भूमि उपयोग का परिवर्तन द्वारा भेजा गया था

प्राधिकरण को एल एंड डीओ।

उत्तरदाताओं के अनुसार, सार्वजनिक सूचना के अनुसार,

योजना में संशोधन जीवित लोगों से प्राप्त किए गए थे देश भर में। कुछ कई की ओर से थे

लोग। *(* उदाहरण के लिए, आपत्ति/सुझाव *No.1292* था

राजीव कटारिया और *16* अन्य लोगों की ओर से*)*। सार्वजनिक सूचना में कहा गया थाः -

"प्रक्रिया के अनुसार प्राप्त सभी आपत्तियाँ/सुझाव

30 दिनों की निर्धारित समय अवधि के भीतर अर्थात

19.01.2020 , जांच बोर्ड के समक्ष रखा जाएगा

और सुनवाई *(*बी. ओ. ई. एच.*)* "।

30-दिन की अवधि की गणना में एक त्रुटि है

सामान्य खंड अधिनियम, *1897* की धारा *9* के रूप में सार्वजनिक सूचना प्रकाशन की तारीख को हटाने की आवश्यकता है। तदनुसार,

30 दिनों की अवधि *22* दिसंबर को शुरू हुई

2019 20 जनवरी, *2020* को समाप्त हो गया होगा। द.

उत्तरदाताओं ने अपने जवाबी हलफनामे में विशेष रूप से नहीं दिया है

इस विवाद से निपटा और जवाब दिया। हालांकि,

सुनवाई का समय यह कहा गया था कि प्राप्त आपत्तियाँ *21* जनवरी *2020* को देर से ध्यान में रखा गया।

रिलायंस ने आपत्तियों का सार देते हुए संकलन पर रखा /

सुझाव जो डायरी संख्या और तिथि को संदर्भित करते हैं,

उस तारीख को इंगित नहीं करता है जिस पर आपत्तियाँ /

इनबॉक्स में सुझाव प्राप्त हुए।

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

सार्वजनिक सूचना में दिए गए इस बयान को स्वीकार करेंगे कि *19* जनवरी *2020* तक प्राप्त आपत्तियों को ही रिकॉर्ड में लिया गया था, हालांकि कानून के अनुसार नागरिकों को *20* जनवरी *2020* तक आपत्तियां/सुझाव दायर करने का अधिकार था।

3/4 फरवरी *2020* को उन लोगों को ईमेल और एस. एम. एस. जारी किए गए जिन्होंने बैठक तय करने के लिए आपत्तियां/सुझाव दायर किए थे।

6 और *7* फरवरी, *2020* को *10* से मौखिक सुनवाई के लिए बी. ओ. ई. एच.*: 30* ए. एम. से *5: 30* विकास सदन, आई. एन. ए., नई दिल्ली में अपराह्न। बी. ओ. ई. एच. की बैठक के बारे में आपत्तियां और सुझाव प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों को सूचित करने वाला सार्वजनिक नोटिस *5* फरवरी *2020* को पांच समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया था। -

दिल्ली विकास प्राधिकरण

सार्वजनिक सूचना

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने राजपत्र अधिसूचना एस. ओ. *4587 (ई)* दिनांक *21.12.2019* के माध्यम से सार्वजनिक सूचना जारी की और प्रस्तावित परिवर्तन के संबंध में जनता से आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित करने के लिए समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किया।

प्लॉट संख्या *1* से *7 (*जोन-डी*)* और प्लॉट संख्या *8* का भूमि उपयोग

19.01.2020 , बोर्ड ऑफ इन्क्वायरी एंड हियरिंग *(*बी. ओ. ई. एच.*)* के समक्ष रखा जाएगा। बोर्ड की सुनवाई *06.02.2020 (*गुरुवार*)* और *07.02.2020 (*शुक्रवार*)* को *10: 30* ए. एम. डी. ए. कार्यालय, सम्मेलन कक्ष में, *8* - ब्लॉक, ग्राउंड फ्लोर, विकास सदन, आई. एन. ए.

कोई भी व्यक्ति जिसने आपत्ति/सुझाव दायर किया है और बोर्ड के समक्ष व्यक्तिगत रूप से अपना मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहता है, वह प्रस्तावित अनुसूची के अनुसार अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए उपरोक्त स्थान पर *06.02.2020* और *07.02.2020* पर आ सकता है। डी. डी. ए. की वेबसाइट अर्थात. डीडीए। *org.* में *(*सिर के नीचे*)*

' हॉटलिंक्स *'/'* सार्वजनिक सूचनाएं *') 05.02.2020 (*दोपहर *12* बजे*)* पर। संबंधित व्यक्तियों को भी सूचित किया जाएगा। उनके अभ्यावेदन में दिए गए विवरण के अनुसार ई-मेल/एस. एम. एस. के माध्यम से।

7 सूरी वी. दिल्ली विकास प्राधिकरण और

ओआरएस। *[* संजीव खन्ना, जे।*]*

यदि कोई व्यक्ति जिसने आपत्ति/सुझाव दायर किया है
लेकिन अनुसूची में उसका नाम नहीं मिलता है या नहीं है

किसी भी ई-मेल/एस. एम. एस. को प्राप्त किया, वह अपना मौखिक प्रस्तुत कर सकता है।

उक्त तिथि पर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करना अर्थात

07.02.2020 (शुक्रवार*) 1* सेः *00* पी. एम. से *1: 30* पी. एम ऑल
व्यक्तियों से एक वैध पहचान प्रमाण ले जाने का अनुरोध किया जाता है।

6 और *7* फरवरी *2020* को न्यायिक सुनवाई आयोजित की गई।

आपत्तियों और सुझावों का सारांश तैयार किया गया था।

लगभग सार्वभौमिक, उठाई गई शिकायत बहुत कम थी और अपर्याप्त जानकारी और
विवरण/स्पष्टीकरण की कमी

परिकल्पना की गई है ताकि जनता सुझाव/सुझाव दे सके। आपत्तियाँ। नतीजतन, वहाँ बेचैनी थी
और

अशांति। सुविधा और स्पष्टता के लिए, हम कुछ भागों को पुनः प्रस्तुत करना चाहेंगे

आपत्तियाँ/सुझावः

आपत्तियाँः सेंट्रल विस्टा क्षेत्र के 'राष्ट्र' होने के कारण

भारत का अंतरिक्ष में निरंतर बढ़ता सहयोग

इस जगह के सामान्य सार्वजनिक मन जो

भारत की एकता और भावना और अभिव्यक्ति को दर्शाता है

भारतीयों की लगातार बढ़ती संख्या में

जो इस क्षेत्र का दौरा करते हैं, प्रस्तावित कटौती

80 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध क्षेत्र का एकड़

इस क्षेत्र में सामान्य सार्वजनिक परिवहन और पार्किंग आदि

स्पष्ट रूप से एक अनुचित योजना निर्णय हो सकता है

कारणों से।

XX

XX

XX

सुझावः

योग्यता को समझने में सामान्य अक्षमता के कारण परिचर विवरण के बिना इस तरह के रूपांतरण के लिए

प्रस्तावित संशोधनों की आवश्यकता। यह सुझाव दिया जाता है

कि प्रासंगिक सामग्री को सार्वजनिक डोमेन रीम कोर्ट रिपोर्ट में रखा जा सकता है

[2021] 15 एस सी आर।

माधव रमन आपत्तियाँः

XX

XX

XX

..... भूमि उपयोग सेंट्रल विस्टा एक अधिसूचित ग्रेड *1* विरासत क्षेत्र और एल. बी. जेड. के एक विशेष विरासत क्षेत्र की रक्षा करने वाले मौजूदा विरासत विनियमन का उल्लंघन है जैसा कि एम. पी. डी. में अधिसूचित किया गया है।

2021. यह प्रस्तावित परिवर्तन इस परिसर के मूल शहरी डिजाइन में हस्तक्षेप करता है और सेंट्रल विस्टा के निर्मित और गैर-निर्मित के बीच के संबंध को बदल देता है।

सुझावः

परिचर विवरण के बिना इस तरह के रूपांतरण के लिए योग्यता को समझने में सामान्य अक्षमता के कारण प्रस्तावित संशोधनों की आवश्यकता। यह सुझाव दिया जाता है कि प्रासंगिक सामग्री को सार्वजनिक क्षेत्र में रखा जा सकता है और एक व्यापक सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया पूरी की जा सकती है

उसी के संबंध में किसी भी निर्णय को अंतिम रूप देने से पहले। पुलकित खन्ना मलिक

सुझावः

प्रस्तावित धर्मांतरण के गुण स्पष्ट नहीं हैं जबकि दोष स्पष्ट रूप से स्पष्ट हैं। यह सुझाव दिया जाता है कि प्रासंगिक सामग्री को सार्वजनिक क्षेत्र में रखा जाए और किसी भी निर्णय को अंतिम रूप देने से पहले पूरी तरह से सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया पूरी की जाए।

शमित मनचंदा, वास्तुकार

हम आपका ध्यान दिल्ली के मास्टर प्लान *2021* की धारा *8* आइटम *8.1* की ओर भी आकर्षित करना चाहते हैं, जिसे बदलने की मांग नहीं की गई है और इस तरह प्रस्तावित परिवर्तन दिल्ली के मास्टर प्लान *2021* का उल्लंघन करते प्रतीत होते हैं।

सुझावः

ऊपर उल्लिखित बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए यह अनुरोध किया जाता है कि मांगी गई जानकारी को आगे बढ़ने से पहले सार्वजनिक किया जाता है

प्रस्तावित भूमि उपयोग परिवर्तनों के साथ जो यू. आर. आई. *v* प्रतीत होते हैं।

दिल्ली विकास प्राधिकरण और

ओआरएस। *[* संजीव खन्ना, जे।*]*

दिल्ली के मास्टर प्लान *2021* के साथ विरोधाभास। कृपा करें।

यह भी साझा करें कि क्या मूल्यांकन करने के लिए कोई अध्ययन किया गया है

अतिरिक्त पैदल यात्री और वाहन यातायात का प्रभाव भूमि उपयोग के इस परिवर्तन का कारण बनेगा।

पुनीत सेठी

अतिरिक्त सुझावः

(ख*)* यह अनुरोध किया जाता है कि मांगे गए विवरण को सार्वजनिक किया जाए।

प्रस्तावित भूमि उपयोग परिवर्तन के साथ आगे बढ़ने से पहले

जैसा कि वे मास्टर प्लान के साथ विरोधाभासी प्रतीत होते हैं

दिल्ली-*2021*।

(ग*)* यदि प्रस्ताव देने से पहले कोई अध्ययन किया गया है।

अतिरिक्त प्रभाव का आकलन करने के लिए उक्त भूमि उपयोग परिवर्तन

पैदल यात्री और वाहन यातायात, भूमि उपयोग का यह परिवर्तन

पर्यावरण आदि पर प्रभाव डालेगा या उत्पन्न करेगा। अल। होना चाहिए

पहले बड़े पैमाने पर जनता के साथ कहा ताकि एक सहभागी जनता

निर्णय लेने में प्रक्रिया का पालन किया जा सकता है।

के अभ्यास के संबंध में भी आपत्तियाँ की गईं

खंड के तहत संशोधन करने के लिए प्राधिकरण के बकाया

) विकास अधिनियम की धारा *11* ए। कुछ लोगों ने

इस बात पर प्रकाश डाला कि इस परियोजना से सार्वजनिक स्थान/क्षेत्र में कमी आएगी

घ आवश्यक अनुमोदन नहीं थे। हम करेंगे।

आर स्पष्टता प्राधिकरण द्वारा प्राप्त कुछ प्रतिक्रियाओं को उद्धृत करती है

उठाई गई चिंताओं को स्पष्ट कीजिए:

" अनिल सूद

XX

XX

XX

धारा *11* ए के तहत लगाए गए प्रतिबंधों की संतुष्टि। इस प्रकार धारा *11* ए की उप-धारा *(1)* संशोधनों की अनुमति देती है।

निम्नलिखित परिस्थितियों में मास्टर प्लानः चरित्र में महत्वपूर्ण परिवर्तनों को प्रभावित नहीं करता है

योजना*;* और

जो भूमि-उपयोगकर्ताओं की सीमा से संबंधित नहीं है या

जनसंख्या घनत्व के मानक।

कि यह रिकॉर्ड की बात है कि डी. डी. ए. ने संचालन नहीं किया है

नागरिक सर्वेक्षण धारा *7* के तहत अनिवार्य है लेकिन इसमें *[2021] 15* एस. सी. आर. है।

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

धारा *11* ए की उप-धारा *1* के आदेश का भी उल्लंघन किया गया है जो जनसंख्या घनत्व में परिवर्तन के मामले में भूमि उपयोग के परिवर्तन को प्रतिबंधित करता है और योजना के मूल चरित्र को बढ़ाता है।
मीना गुप्ता

प्रस्तावित पुनर्विकास में भारी कमी आई है मनोरंजन के लिए जनता के लिए उपलब्ध स्थान और

लगभग सौ साल पुराना है और उन्हें ध्वस्त करने के बजाय संरक्षित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। कई हजार। इमारतों के लिए रास्ता बनाने के लिए पुराने और बहुत पुराने पेड़ों को काटना होगा। इतने सारे पेड़ों को बदलना असंभव है। वस्तुतः उनके साथ कोई परामर्श नहीं किया गया है

बड़े पैमाने पर जनता या शहरी कला जैसे निकाय

आयोग का गठन किया गया है।

इसलिए हम आपसे तुरंत कार्रवाई रोकने का अनुरोध करते हैं।
यह प्रस्ताव और उचित चर्चा के बाद ही इसे लिया जाए

जनता और विशेषज्ञ निकायों के साथ "।

बी. ओ. ई. एच. ने सुनवाई में उपस्थित लोगों की दलीलों/आपत्तियों/सुझावों पर ध्यान देने के अलावा, सुनवाई से संबंधित विशिष्ट कारणों को जानबूझकर या दर्ज नहीं किया।

सुझाव और आपत्तियाँ। जनता के साथ बातचीत करने के बाद, बी. ओ. ई. एच. ने सार्वजनिक डोमेन में जानकारी की अनुपस्थिति और कमी के बारे में आपत्ति में योग्यता पाई और सार्वजनिक चिंता और 'संदेह' पर विशेष ध्यान दिया। बी. ओ. ई. एच. के कार्यवृत्त एक निर्विवाद स्वीकृति है कि, लेकिन वर्तमान और प्रस्तावित भूमि उपयोग को इंगित करने के लिए, प्रस्तावित परिवर्तनों और परियोजना को स्पष्ट करने या समझाने के लिए कोई योजना, लेआउट, रेखाचित्र आदि, या लिखित सामग्री व्याख्यात्मक या वर्णनात्मक प्रकृति को सार्वजनिक डोमेन में नहीं रखा गया था। बोएएच के पास था इसलिए सभी विभागों द्वारा पारदर्शिता की कमी की चिंता को दूर करने की आवश्यकता पर विचार करने की सिफारिश की। बी. ओ. ई. एच. द्वारा की गई सिफारिशें इस प्रकार हैं:

" (i) भूखंड संख्या *1* के भूमि उपयोग में परिवर्तन के प्रस्ताव के संबंध में, यह अनुशंसा की जाती है कि यू. आर. आई. के लिए संशोधित प्रस्ताव *v.*

दिल्ली विकास प्राधिकरण और

ओआरएस। *[* संजीव खन्ना, जे।*]*

धारा के तहत भूमि उपयोग में बदलाव नए सिरे से किया जाना चाहिए।

11 - ए पी एफ डी डी अधिनियम, *1957*।

(iii) के मजबूत आरक्षण को ध्यान में रखते हुए उत्तरदाताओं, यह सुझाव दिया जाता है कि प्रभाव मूल्यांकन

यातायात, पर्यावरण और विरासत पर अध्ययन हो सकता है

जल्द से जल्द कमीशन किया।

(iv) सार्वजनिक सुनवाई के दौरान प्राप्त प्रतिक्रियाओं से, ऐसा प्रतीत होता है कि वर्तमान परियोजना को सेंट्रल विस्टा समिति को नहीं भेजा गया है, हालांकि अतीत में कोई

ऐसी परियोजना को हमेशा केंद्र को भेजा गया है।

विस्टा समिति। प्राधिकरण इस मुद्दे पर विचार कर सकता है और इसके लिए उपयुक्त सिफारिशें कर सकता है
-

भारत सरकार "।

10 फरवरी *2020* को एंट्रल विस्टा प्लान के संशोधन का प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष रखा गया औरप्लॉट संख्या के संबंध में साबित हुआ। *2 8* वीडियो एजेंडा आइटम "। *18/2020* . कार्यवृत्त का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:

" मद सं. *18/2020*

प्लॉट संख्या के भूमि उपयोग के प्रस्तावित परिवर्तन के संबंध में।

1,2,3,4,5,6,7 और *8.* एफ. *20 (12) 2019/*एमपी

क*)* प्रस्ताव संयुक्त सचिव *(*एल एंड ई*)* द्वारा प्रस्तुत किया गया था,

आमंत्रित करें। उन्होंने प्राधिकरण के सदस्यों को परियोजना के विवरण से अवगत कराया। ख*)* जे. एस., एम. ओ. एच. यू. ए. ने बताया कि योजना के दौरान

राजधानी शहर-नई दिल्ली, वास्तुकार और शहरी डिजाइनर-एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर

पूरी नई दिल्ली के लिए एक शहरी डिजाइन योजना इस तरह से तैयार की गई कि सभी महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालय अदालत की रिपोर्ट को याद रखें

सेंट्रल विस्टा *(*राजपथ*)* के साथ आएगा। हालाँकि, वर्ष *1931* तक, जब दिल्ली आधिकारिक तौर पर भारत की राजधानी बनी, केवल पाँच *(05)* इमारतों का निर्माण किया गया था, अर्थात् राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, उत्तर

और साउथ ब्लॉक और राष्ट्रीय अभिलेखागार की पहली इमारत। उन्होंने आश्वासन दिया कि में विरासत की इमारतें

सेंट्रल विस्टा को संरक्षित किया जाएगा।

ग*)* उन्होंने आगे बताया कि इस परियोजना के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं:

आई. परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान कोई पेड़ नहीं काटा जाएगा। हालांकि, कुछ पेड़ों को प्रत्यारोपित किया जा सकता है जिसके लिए तकनीकें उपलब्ध हैं।

iii. 100 % सी एंड डी कचरे को फिर से साइकिल किया जाएगा और परियोजना के भीतर उपयोग किया जाएगा। *iv.* सभी हरित भवन सुविधाओं का पालन किया जाएगा

संसाधनों का सबसे कुशल उपयोग करना और आधुनिक निर्माण प्रौद्योगिकियों को अपनाना।

वी. वर्षा जल संचयन *(*आर. डब्ल्यू. एच.*)* संरचनाएँ और जल संरक्षण के उपाय किए जाएंगे। *vi.* प्रस्तावित विकास को विस्टा में दो मेट्रो स्टेशनों, उद्योग भवन और केंद्रीय सचिवालय के साथ एकीकृत किया गया है, ताकि सार्वजनिक/सरकारी कर्मचारियों को भूमिगत शटल के माध्यम से आवागमन किया जा सके।

vii. प्रस्तावित योजना में केंद्र सरकार के मंत्रालयों/कार्यालयों को सेंट्रल विस्टा में स्थानांतरित किया जाएगा। इस प्रकार केंद्र सरकार के *47* मंत्रालयों/कार्यालयों की इमारतों में बड़े पैमाने पर यात्रा में कटौती हुई है।

दिल्ली के विभिन्न भागों में। इस प्रस्ताव के लागू होने के बाद लुटियंस बंगले में यातायात का प्रवाह आसान हो जाएगा।

क्षेत्र *(*एल. बी. जेड.*)* और शहर में। इसके परिणामस्वरूप वाहनों की यात्राओं में कमी आएगी जिससे कार्बन फुटप्रिंट में कमी आएगी।

भीड़भाड़, प्रदूषण और दुर्घटनाएँ।

घ*)* बोर्ड ऑफ इन्क्वायरी एंड हियरिंग *(*बी. ओ. ई. एंड एच.*)* की सिफारिशें और यू. आर. आई. में जनता द्वारा उठाए गए मुद्दे।

दिल्ली विकास प्राधिकरण और

ओआरएस। *[*संजीव खन्ना, जे।*]*

प्राधिकरण की बैठक में *06.02.2020* और *07.02.2020* पर आयोजित बैठक पर विचार-विमर्श किया गया। सदस्य

इंजीनियरिंग, डी. डी. ए.-सह-अध्यक्ष या बी. ओ. ई. एंड एच. ने बताया कि जैसा कि जे. एस., एम. ओ. एच. यू. ए. द्वारा स्पष्ट किया गया है, प्रस्तावित

परियोजना जनता द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों को व्यापक तरीके से संबोधित करती है। उन्होंने बताया कि जनता द्वारा दी गई सभी आपत्तियों और सुझावों पर *BOE & H* द्वारा विधिवत विचार किया गया था। विभिन्न आपत्तियाँ और सुझाव

जो एल एंड डीओ और योजना से संबंधित थे

डी. डी. ए. विभाग द्वारा जवाब दिया गया

इन संबंधित एजेंसियों के प्रतिनिधि और विवरण रिकॉर्ड पर उपलब्ध हैं। विस्तृत विचार-विमर्श के आधार पर, बी. ओ. ई. एंड एच. ने प्लॉट नं. *1* और भूखंड सं. के संबंध में भूमि उपयोग में परिवर्तन की अनुमति देने पर विचार। *28* तक।

ई*)* जे. एस. द्वारा निम्नलिखित तथ्यों को और विस्तार से बताया गया था,

एमओएचयूएः

आई. प्रस्तावित विकास/पुनर्विकास के तहत सेंट्रल विस्टा में कुल सार्वजनिक स्थान लगभग *100* एकड़ बढ़ रहा है। इसमें निम्नलिखित शामिल हैंः राष्ट्रपति संपदा के पश्चिमी छोर पर *48.6* एकड़ भूमि में एक राष्ट्रीय जैव-विविधता वृक्षोद्यान का प्रस्ताव है।

11 अलग-अलग क्षेत्रों में *1,236* लुप्तप्राय प्रजातियों को रखा जाएगा

फाइटोलॉजिकल क्षेत्र। यह सुविधा शोधकर्ताओं के साथ-साथ जनता के लिए भी खुली होगी। उत्तर और दक्षिण ब्लॉक जो लगभग *27* एकड़ में फैले हुए हैं

राष्ट्रीय संग्रहालयों में बदलने का प्रस्ताव

1857 से पहले और बाद में भारत का प्रदर्शन।

नदी के पश्चिमी तट पर लगभग *25* एकड़ भूमि

यमुना को *75* की स्मृति में एक प्रतिष्ठित संरचना के साथ न्यू इंडिया गार्डन के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है।

भारत की स्वतंत्रता के वर्ष।

ii. परियोजना में उचित सार्वजनिक उपयोगिताओं, हरित स्थानों के साथ सेंट्रल विस्टा को विकसित/पुनः विकसित करने का भी प्रस्ताव है।

जल निकाय, भूनिर्माण आदि जिनका कुल क्षेत्रफल मौजूदा क्षेत्र से अधिक होगा क्योंकि मौजूदा भवनों से *5.6* एकड़ को हरित क्षेत्र में जोड़ा जाएगा।

इसके अलावा, प्लॉट *[2021] 15* एस. सी. आर.

आर. ई. एम. ई. कोर्ट रिपोर्ट

नहीं। *8* योजना क्षेत्र में तिमारपुर में स्थित-*3,9* एकड़ के क्षेत्र को हरे-भरे स्थानों में जोड़ा जा रहा है। दिल्ली।

iii. वर्तमान में हटमेंट्स के तहत *90* एकड़ से अधिक क्षेत्र की उचित योजना बनाई जाएगी और इसे संगठित शहरी स्थानों के रूप में विकसित किया जाएगा।

iv. भवनों और सुविधाओं के लिए सभी आवश्यक अनुमोदन आवश्यकता पड़ने पर सक्षम अधिकारियों से लिया जाएगा।

च*)* उपाध्यक्ष, डी. डी. ए. ने बताया कि एक अधिसूचना

नंबर एस. ओ. *3348 (ई)* भारत सरकार द्वारा *17/10/2017* पर जारी किया गया है, जिसके तहत दिल्ली के लिए मास्टर प्लान *(*एम. पी. डी.*)-2021* के अनुसार, 'केंद्र सरकार के कार्यालयों' को 'सार्वजनिक और अर्ध सार्वजनिक' में उपयोग करने की अनुमति है।

अधिनियम के *11 (ए) (1)* के तहत, कि प्रस्ताव पर विचार किया गया है और प्राधिकरण के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया है। निर्णयः विस्तृत विचार-विमर्श के बाद, प्रस्ताव को निम्नानुसार मंजूरी दी जाती हैः

वी. सूरी वी. दिल्ली विकास प्राधिकरण और

ओआरएस। *[* संजीव खन्ना, जे।*]*

आई. प्लॉट संख्या *1* के लिए भूमि उपयोग को 'परिवहन' *(*बस टर्मिनल/पार्किंग*)* और 'मनोरंजन' से 'आवासीय' में बदलने के लिए एक सार्वजनिक सूचना जारी की जाएगी।

डी. डी. अधिनियम *1957* की धारा *11*-ए के तहत संसाधित।

ii. भूखंड संख्या *02* से *07* के संबंध में एल एंड डीओ के भूमि उपयोग परिवर्तन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। यह है प्रस्ताव

iii. प्लॉट संख्या *8* के लिए भूमि उपयोग में बदलाव को मंजूरी दी गई है और प्रस्ताव को मंजूरी के लिए एम. ओ. एच. यू. ए. को भेजा जाएगा। अधिसूचना "।

4 मार्च *2020* को प्लॉट नं. *1* जिसके लिए एल एंड डी ओ ने एक संशोधित प्रस्ताव भेजा था। *9* मार्च *2020* को सेंट्रल विस्टा और केंद्रीय सचिवालय का विशेष सलाहकार समूह *(*संक्षेप में, 'सेंट्रल विस्टा'*)*

समिति *')* ने क्रम संख्या में भूखंडों के संबंध में भूमि उपयोग के प्रस्तावित परिवर्तन के लिए अपनी मंजूरी दी। *2 8* तक। हम करेंगे।

मंजूरी मिल गई। *20* मार्च *2020* को एक सार्वजनिक सूचना जारी की गई थी

एम. ओ. एच. यू. ए. ने मास्टर प्लान में संशोधनों को स्वीकार किया

दिल्ली-*2021* और जोन डी एंड सी के लिए क्षेत्रीय विकास योजना *20* मार्च, *2020* की अधिसूचना इस प्रकार हैः

"आवास और शहरीकरण मंत्रालय

ए. एफ. ए. आई. आर. एस.

(दिल्ली प्रभाग*)*

सूचना

नई दिल्ली, *20* मार्च, *2020*

एस. ओ. *1192 (ई)*। — जबकि, केंद्र सरकार ने दिल्ली के लिए मास्टर प्लान-*2021*/जोन डी की क्षेत्रीय विकास योजना *(*प्लॉट संख्या *02* से *07* के लिए*)* और जोन-सी *(*प्लॉट संख्या *08* के लिए*)* में कुछ संशोधन करने का प्रस्ताव किया है, जो भारत के राजपत्र में असाधारण रूप से प्रकाशित किए गए थे। एस. ओ. *4587 (ई)* दिनांक *21.12.2019* दिल्ली *[2021] 15* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रावधानों के अनुसार विकास प्राधिकरण

1957) द्वारा आवश्यकतानुसार आपत्तियाँ/सुझाव आमंत्रित करना
उक्त अधिनियम की धारा *11*-ए की उप-धारा *(3)*

उक्त सूचना की तारीख से तीस दिन;
2. जबकि, *1,292* आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए

प्रस्तावित संशोधनों को ध्यान में रखते हुए
जांच और सुनवाई बोर्ड द्वारा विचार किया गया, स्थापित किया गया

दिल्ली विकास प्राधिकरण और प्रस्तावित

दिल्ली की बैठक में संशोधनों की सिफारिश की गई थी

10.02.2020 पर आयोजित विकास प्राधिकरण;

3. जबकि, केंद्र सरकार ने सावधानीपूर्वक काम किया है
मामले के सभी पहलुओं पर विचार करते हुए, निर्णय लिया है कि

दिल्ली-*2021/*जोनल के लिए मास्टर प्लान में संशोधन करें।
जोन-डी और जोन-सी की विकास योजना;

4. इसलिए अब प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए

उक्त अधिनियम की धारा *11*-ए की उप-धारा *(2)* के तहत,
केंद्र सरकार एतद्वारा निम्नलिखित करती है -

दिल्ली के लिए उक्त मास्टर प्लान-*2021* में संशोधन /

भारत के राजपत्र में।
संशोधनः

क्षेत्र में आने वाले भूमि के निम्नलिखित क्षेत्र का भूमि उपयोग

-डी और जोन-सी को सूचीबद्ध विवरण के अनुसार बदला गया है।

नीचेः

एस. नं. स्थान

क्षेत्र *(*भूमि उपयोग के अनुसार भूमि उपयोग में*)*

सीमाएँ

एमपीडी *2021*/जेडडीपी में बदला गया

एकड़*)*

जोन डी *2001*

मनोरंजन

उत्तर दिशाः रेड क्रॉस रोड

1.

प्लॉट नंबर *2*

9.5

सरकार

इसके विपरीत

*(*जिला उद्यान*)*

*(*संसद

दक्षिणः पश्चिमः रायसीना रोड

संसद

घर*)*

संसद

घर।

भारत

7.7

उत्तर दिशाः डॉ. राजेंद्र

प्लॉट नंबर *3*

सार्वजनिक और अर्ध

2.

सरकार

पर स्थित है

सार्वजनिक सुविधाएं

कार्यालय *(5.88)*

प्रसाद रोड

एकड़*)* और

दक्षिण का

दक्षिणः हरित क्षेत्र और

डॉ. राजेंद्र

मनोरंजन

राजपथ

प्रसाद रोड

(जिला उद्यान*)* पूर्वः जनपथ

और घर।

(1.88 एकड़*)* पश्चिमः शास्त्री भवन

राष्ट्रीय

अभिलेखागार राजीव सूरी बनाम। दिल्ली विकास प्राधिकरण और

ओआरएस। *[* संजीव खन्ना, जे।*]*

उत्तर दिशाः डॉ. राजेंद्र

3 .

24.7

सार्वजनिक और अर्ध

प्लॉट नंबर *4*

सरकार.

सार्वजनिक सुविधाएं

स्थित है

कार्यालय *(22.82)*

प्रसाद रोड

दक्षिण में

(एससी*)*

एक*ड़)* और

दक्षिणः हरित क्षेत्र और

डॉ. राजेंद्र

राजपथ

मनोरंजन

मान सिंह

प्रसाद रोड

(जिला उद्यान*)* पूर्वः

(1.88 एक*ड़)*

सड़क

और पूरब की ओर

पश्चिमः जनपथ

जनपथ

प्लॉट नंबर *5*

4.5

सार्वजनिक और अर्ध

सरकार. कार्यालय

उत्तर दिशाः अशोक रोड

4.

पर स्थित है

दक्षिणः हरित क्षेत्र और

सार्वजनिक सुविधाएं

राजपथ

ईस्ट ऑफ़ मैन

(एससी*)*

सिंह रोड

पूरबः सी-षट्कोण

पश्चिमः मान सिंह

और दक्षिण का

सड़क

अशोक रोड

24.7

सार्वजनिक और अर्ध

उत्तर दिशाः हरित क्षेत्र और

5.

प्लॉट नंबर *6*

सरकार. कार्यालय

पर स्थित है

राजपथ

सार्वजनिक सुविधाएं

(*22.82* एकड़*)*

(एससी*)*

उत्तर में

दक्षिणः मौलाना आज़ाद

और

सड़क

मौलाना

मनोरंजन

(जिला उद्यान*)* पूर्वः

मान सिंह

आजाद

(1.88 एकड़*)*

सड़क

सड़क और

पश्चिमः जनपथ

पूरब जनपथ का

6.

प्लॉट नंबर *7*

उत्तर दिशाः साउथ ब्लॉक

15

एमपीडी-*2021*

आवासीय

पर स्थित है

दक्षिणः दारा शिकोह

सरकार

कार्यालय

उत्तर में

सड़क

पूरबः दक्षिण का हिस्सा

डलहौसी

क्षेत्र-डी

जेडडीपी

ब्लॉक करें

सड़क

2001

पश्चिमः राष्ट्रपति

दक्षिण के पास

मनोरंजन

ब्लॉक करें

भवन

(पड़ोस

खेल क्षेत्र*)*

क्षेत्र *(*भूमि उपयोग के अनुसार भूमि उपयोग में*)*

सीमाएँ

स्थान

एमपीडी *2021/*जेडडीपी

में बदला गया

एकड़*)*

क्षेत्र-सी *2021*

सार्वजनिक और अर्ध

उत्तर दिशाः सीजीएचएस

मनोरंजन

7.

प्लॉट नंबर *8*

3.9

पर स्थित है

सार्वजनिक सुविधाएं

औषधालय

(जिला उद्यान*)*

लखनऊ

दक्षिणः सरकार

जमीन।

सड़क

पूरबः लखनऊ रोड

पास में तिमारपुर

पश्चिमः सरकार

जमीन।

[एफ. नं. के-*13011/6/2019*-डीडी-*I]*

विरेंद्र कुमार कुशवाह, अवर सचिव "।

(0)

23 अप्रैल *2020* को सेंट्रल विस्टा समिति ने मंजूरी दे दी।

"प्रस्तावित नए संसद भवन पर कोई आपत्ति नहीं।

हम इन मिनटों और चुनौती का उल्लेख करेंगे।

बाद में।

7. परंपरागत रूप से, न्यायिक समीक्षा का बहुत अधिक संबंध नहीं है

एक प्रशासनिक निर्णय के गुण, बल्कि, आने की प्रक्रिया के साथ *[2021] 15* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उस पर, और अधिकार क्षेत्र के सवाल के साथ। प्रक्रिया के प्रश्न को तीन प्रमुख शीर्षों-अवैधता और प्रक्रियात्मक के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है।

अनुचितता और तर्कहीनता। अवैधता तब होती है जब निर्णय लेने वाला

अपनी शक्तियों से अधिक कार्य करना जैसे कि जब वह अधिकार के बाहर या कानून और/या तथ्य की त्रुटि में कार्य करता है, अनधिकृत रूप से अपनी शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, अनुचित कार्य करता है।

उद्देश्य में या बुरे विश्वास में या कार्य करने में विफल रहता है, अप्रासंगिक कारकों पर विचार करता है, कठिन शर्तें लगाता है आदि। प्रक्रियात्मक अनुचितता कानून की अनिवार्य प्रक्रिया का पालन करने में विफलता या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन के कारण हो सकती है जैसे कि ऑडी अल्टरम पार्टेम, पूर्वाग्रह के खिलाफ नियम, निष्पक्ष रूप से कार्य करने का कर्तव्य, कारण देने का कर्तव्य, वैध अपेक्षा का सम्मान करना आदि। अतार्किकता वेड्सबरी की अतार्किकता को अपनी छत्रछाया में ले लेती है, जो किसी निर्णय को अतार्किक

मानती है यदि यह तर्क या स्वीकृत नैतिक मानकों की अवज्ञा में इतना अपमानजनक है कि कोई भी समझदार व्यक्ति, प्रश्न पर अपना दिमाग लगाते हुए, उस पर नहीं पहुंच सकता था। *2* एक और आधार

समीक्षा आनुपातिकता की परीक्षा है, जिसे कई लोगों द्वारा अधिक गहन और वेड्सबरी अनुचितता से अलग माना जाता है। कुछ न्यायविदों के लिए यह

न्यायालय से उपयुक्तता या उपयुक्तता, आवश्यकता और लाभों और नुकसानों के संतुलन या असंतुलन जैसे कारकों के आधार पर निर्णय निर्माता से स्वतंत्र मूल्य निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। हम बाद में आनुपातिकता के परीक्षण का उल्लेख और विस्तार करेंगे जैसा कि भारत में न्यायिक रूप से स्वीकार और लागू किया गया है। वर्तमान में, यह कहना पर्याप्त होगा कि आनुपातिकता तर्कसंगतता को शामिल और प्रभावित करती है। आनुपातिकता इस सिद्धांत पर आधारित है कि प्रशासनिक या यहां तक कि विधायी कार्रवाई अपने वांछित लक्ष्यों या उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक से अधिक नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक कि प्रश्न की जाँच करते हुए भी

वेड्सबरी की अनुचितता अदालत यह पूछ सकती है कि क्या निर्णय तर्कसंगत संतुलन की सीमा के भीतर था जो मारा जा सकता है। *3 3*

8. अनुराधा भसीन बनाम। भारत संघ, *4* मॉडर्न डेंटल कॉलेज में इस न्यायालय के पहले के फैसले का संदर्भ दिया गया था और

अनुसंधान केंद्र बनाम। मध्य प्रदेश राज्य और अन्य, जिसमें आनुपातिकता पर अहरोन बराक के काम पर निर्भरता रखी गई थी, का अवलोकन करने के लिए:

'एसोसिएटेड प्रोविंशियल पिक्चर हाउस बनाम वेड्सबरी निगम *1947 (2)* सभी ईआर *680 (*सीए*)*

2 अखिल भारतीय भर्ती बोर्ड और एक अन्य *v.* के. श्याम कुमार और अन्य, *(2010) 6* एससीसी *614*

3 3 तर्कसंगतता की प्रकृति समीक्षा *(*पॉल क्रेग द्वारा*) 4 (2020) 3* एस. सी. सी. *637*

5 (2016) 7 एस. सी. सी. *353* *6* आनुपातिकता: संवैधानिक अधिकार और इसकी सीमाएँ, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय प्रेस *(2012)*

राजीव सूरी बनाम। दिल्ली विकास प्राधिकरण और

ओआरएस। *[*संजीव खन्ना, जे।*]*

" 60 ..... संवैधानिक अधिकार की सीमा संवैधानिक रूप से होगी।

अनुमति है यदि:

((i) यह एक उचित उद्देश्य के लिए निर्दिष्ट किया गया है*;*

((ख) ऐसी सीमा को प्रभावी बनाने के लिए किए गए उपाय तर्कसंगत रूप से उस उद्देश्य की पूर्ति से जुड़े हैं।

((iii) किए गए उपाय इस मायने में आवश्यक हैं कि ऐसे कोई वैकल्पिक उपाय नहीं हैं जो समान रूप से इसे प्राप्त कर सकें।

कम सीमा के साथ उद्देश्य; और अंत में

((iv) उचित उद्देश्य को प्राप्त करने के महत्व और संवैधानिक अधिकार पर सीमा को रोकने के सामाजिक महत्व के बीच एक उचित संबंध आनुपातिकता सख्त संतुलन की आवश्यकता है।

अनुराधा भसीन के मामले में इस अदालत ने माना कि

आनुपातिकता स्वाभाविक रूप से भारतीय संविधान में उचित प्रतिबंध के सिद्धांत के तहत अंतर्निहित है, जिसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति पर लगाई गई सीमा मनमाना या अत्यधिक प्रकृति की नहीं होनी चाहिए जो जनता के हित में आवश्यक है। इसके बाद, विद्वानों/न्यायविदों के कार्यों और आर. ओक्स में कनाडा के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का संदर्भ दिया गया था, यह देखने के लिए कि कुछ न्यायविदों ने तर्क दिया है कि यदि आवश्यकता चरण की सख्ती से व्याख्या की जाती है, तो कानून और नीतियां, चाहे कितनी भी अच्छी तरह से इरादा हो, आनुपातिकता जांच को पारित करने में विफल हो जाएंगी यदि कोई हो।

अन्य थोड़ा कम कठोर उपाय मौजूद है। इसलिए, डेविड बिलचिट्ज़ ने यह कहते हुए आवश्यकता परीक्षण की एक मध्यम व्याख्या का सुझाव दिया है कि आवश्यकता में यह सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन की गई तर्क की एक प्रक्रिया शामिल है कि केवल उस उद्देश्य के लिए एक मजबूत संबंध के साथ उपाय जो वे प्राप्त करना चाहते हैं, मौलिक अधिकारों के आक्रमण को उचित ठहरा सकते हैं। इस प्रकार प्रक्रिया के लिए अदालतों को निम्नलिखित तरीके से आवश्यकता की मध्यम व्याख्या के विभिन्न चरणों के माध्यम से तर्क करने की आवश्यकता होती है:

"(एम. एन. 1) अदालतों के साथ सभी संभव विकल्पों की पहचान करने की आवश्यकता है।

व्यवहार्यता के मानदंड के रूप में स्पष्ट होना;

(एम. एन. *2)* विचाराधीन सरकारी उपाय, एम. एन. *1* में पहचाने गए विकल्पों और प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के बीच संबंध निर्धारित किया जाना चाहिए। केवल उन विकल्पों को बनाए रखने का प्रयास किया जाना चाहिए जो उपाय को साकार करते हैं।

एक वास्तविक और महत्वपूर्ण तरीके से उद्देश्य;

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(एम. एन. *3)* उपाय और विकल्पों का अलग-अलग प्रभाव
(एम. एन. *2* में चिन्हित*)* मौलिक अधिकारों पर निर्धारित किया जाना चाहिए, यह मान्यता दिए जाने के साथ कि इसके लिए मान्यता की आवश्यकता है

अनुमानित प्रभाव; और
(एम. एन. *4)* एम. एन. *2* और एम. एन. *3* के निष्कर्षों को देखते हुए, उपाय और विकल्पों के बीच एक समग्र तुलना *(*और संतुलन अभ्यास*)* की जानी चाहिए। एक निर्णय लिया जाना चाहिए कि क्या

सरकारी उपाय सभी व्यवहार्य विकल्पों में सबसे अच्छा है, यह देखते हुए कि यह सरकारी उद्देश्य और मौलिक अधिकारों *("*तुलनात्मक घटक*")* पर प्रभाव की डिग्री दोनों को महसूस करता है।

इस दृष्टिकोण को ए. के. सीकरी, जे. ने के. एस. पुट्टास्वामी *(*आधार-*5* जे*)* में भी अपनाया और पसंद किया। *3* डी. वाई. चंद्रचूड़, जे., उसी में

निर्णय ने वैधता की तीन गुना आवश्यकता का उल्लेख किया था जो कानून के अस्तित्व को अभिनिर्धारित करता है; एक वैध राज्य कार्रवाई के संदर्भ में परिभाषित आवश्यकता; और आनुपातिकता जो उन्हें प्राप्त करने के लिए अपनाए गए उद्देश्यों और साधनों के बीच तर्कसंगत संबंध सुनिश्चित करती है। तीसरा सिद्धांत, यह माना गया था, आनुपातिकता के परीक्षण की आवश्यक भूमिका है। अनुराधा भसीन ने संजय किशन कौल, जे. द्वारा आधार *(5* न्यायाधीशों की पीठ*)* के फैसले में अपनी सहमति में सुझाए गए चार-आयामी परीक्षण का भी उल्लेख किया है, ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि कार्रवाई को कानून द्वारा मंजूरी दी जानी चाहिए; वैध उद्देश्य के लिए एक लोकतांत्रिक समाज में प्रस्तावित कार्रवाई आवश्यक होनी चाहिए; हस्तक्षेप की सीमा इस तरह के हस्तक्षेप की आवश्यकता के अनुपात में होनी चाहिए; और इस तरह के हस्तक्षेप के दुरुपयोग के खिलाफ प्रक्रियात्मक गारंटी होनी चाहिए। तदनुसार, अनुराधा भसीन में यह देखा गया है कि आनुपातिकता के सिद्धांत की वर्तमान स्थिति, जैसा कि भारत में मौजूद है, न्यायिक संतुलन प्राप्त करने का प्रमुख साधन है। लेकिन विद्वान आनुपातिकता को मान्यता देने के लिए सहमत नहीं हैं।

संतुलन के बराबर।

9. हालांकि आनुपातिकता में शामिल संतुलन का अभ्यास

ऊपर उद्धृत वैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में और जैसा कि नीचे देखा गया है, प्राधिकरण/केंद्र सरकार के लिए उपलब्ध विभिन्न विकल्पों के ज्ञान की आवश्यकता होती है, और यह एक ऐसा अधिदेश है जो अन्य बातों के साथ-साथ सार्वजनिक परामर्श की आवश्यकता वाली प्रक्रिया द्वारा सक्षम है। विधान अक्सर विकल्पों के बीच चयन करने के लिए एक अभ्यास है। इसलिए विकल्पों के बीच चयन का मुद्दा, जब अर्ध विधायी या वैधानिक अभ्यास में सार्वजनिक भागीदारी कानून द्वारा अनिवार्य है, तो इसके अलग-अलग निहितार्थ हैं, क्योंकि

8 (2019) 1 एस. सी. सी. *1* राजीव सूरी बनाम।

दिल्ली विकास प्राधिकरण और

ओआरएस। *[* संजीव खन्ना, जे।*]*

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत उदाहरण। इस पहलू पर बाद में विचार किया जाएगा।

10. ग्वालियर में रेयॉन सिल्क एम. एफ. जी. कं. लिमिटेड बनाम। सहायक

बिक्री कर आयुक्त, इस न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने प्रत्यायोजन पर संवैधानिक सीमा पर उदाहरणों का उल्लेख किया था, जिसमें इन रे में निर्णय भी शामिल था। *:* दिल्ली कानूनों ने कहा कि लोगों की संप्रभुता के

नियम और आवश्यक अभिधारणा से आने वाले प्रत्यायोजन की सीमाएं हैं और इसलिए, विधायी नीति के मामले में व्यक्तिगत अधिकारियों या अन्य प्राधिकरणों के विचारों को प्रतिस्थापित करने की अनुमति नहीं है, चाहे वे कितने भी सक्षम हों।

जैसा कि प्राथमिक विधान में जनता के प्रतिनिधियों द्वारा व्यक्त की गई इच्छा के लिए। फिर भी अदालत ने स्वीकार किया कि कार्यपालिका की विधायी शक्तियों का विकास आवश्यकता और आवश्यकता के परिणामस्वरूप पिछली शताब्दी का एक महत्वपूर्ण विकास है, क्योंकि प्रत्यायोजित कानून लचीलापन, लोच, अभियान और प्रयोग के लिए अवसर देता है। हालांकि, इस बात पर जोर दिया गया कि संविधान निर्माताओं ने प्रतिनिधि विधायिका को कानून बनाने की शक्ति सौंपी है ताकि विधायी शक्ति का प्रयोग न केवल लोगों के नाम पर किया जा सके, बल्कि अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से बोलने वाले लोगों द्वारा भी किया जा सके।

11. इंडियन एक्सप्रेस समाचार पत्र बनाम भारत संघ का मानना है कि अधीनस्थ कानून में उतनी प्रतिरक्षा नहीं है जितनी

एक सक्षम विधानमंडल द्वारा पारित एक क़ानून द्वारा प्राप्त। जिन आधारों पर प्राथमिक विधान का विरोध किया जा सकता है, उनके अलावा अधीनस्थ विधान पर इस आधार पर भी सवाल उठाया जा सकता है कि यह उस क़ानून के अनुरूप नहीं है जिसके तहत इसे बनाया गया था, यह किसी अन्य क़ानून के विपरीत है, या यह कि इसका गठन विधायी इरादे के अनुरूप नहीं किया गया था जैसा कि क़ानून के तहत दी गई नियम बनाने की शक्ति में परिलक्षित होता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद *14* के तहत, प्रशासनिक निर्णयों और अधीनस्थ विधानों को चुनौती दी जा सकती है और रद्द किया जा सकता है जब कोई कार्रवाई स्पष्ट मनमानेपन को प्रदर्शित करती है। मिक्सनाम प्रॉपर्टीज लिमिटेड बनाम में डिप्लॉक, एल. जे. का हवाला देते हुए। चेर्टसे अर्बन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, *1 2* इस अदालत ने नोट किया कि अधीनस्थ कानून पर अनुचितता के आधार पर सवाल उठाया जा सकता है-उस अर्थ में नहीं जिसमें इस अभिव्यक्ति का उपयोग सामान्य कानून में किया जाता है-लेकिन स्पष्ट मनमानेपन, अन्याय या पक्षपात जब अदालत को पता चलता है कि विधायिका ने कभी भी इरादा नहीं किया होगा और दिया होगा। *9 (1974) 4* एससीसी *98*

10 आकाशवाणी *1951* एससी *332*

(1985) 1 एस. सी. सी. *641*

12 (1632) 2 सभी ई. आर. *787 [2021] 15* एस. सी. आर.

नियमों को चुनौती के तहत बनाने का अधिकार या जब अनिश्चितता हो *(*अप्रवर्तनीयता से अलग*)* कि यह कहा जा सकता है कि विधायिका का इरादा अधीनस्थ विधायी प्राधिकरण को मौजूदा कानून में परिवर्तन करने के लिए अधिकृत करने का नहीं था जो अनिश्चित हैं। क्रूज वी. में। जॉनसन, *13* लॉर्ड रसेल, सी. जे. यह मत व्यक्त किया गया कि उप-कानूनों को अनुचित होने के कारण अवैध माना जा सकता है-इस अर्थ में कि यदि वे विभिन्न वर्गों के बीच अपने संचालन में आंशिक और असमान पाए जाते हैं; यदि वे स्पष्ट रूप से अन्यायपूर्ण थे; यदि वे बुरे विश्वास का खुलासा करते हैं; यदि वे अपने अधीन लोगों के अधिकारों में इस तरह के दमनकारी या अनावश्यक हस्तक्षेप को शामिल करते हैं समझदार पुरुषों के मन में कोई औचित्य नहीं मिल सका।

उक्त पहलुओं का उल्लेख करते हुए, केरल संस्थान चेतु थोझिलाली संघ बनाम। केरल राज्य और अन्य। , *1 4* यह देखा गया कि अधीनस्थ विधान विधायी नीति के अनुरूप उचित होना चाहिए और मुख्य अधिनियम के उद्देश्य को भी अच्छे विश्वास के साथ प्रभावी होना चाहिए। इसका कारण यह है कि अधीनस्थ विधि निर्माता निकाय प्रत्यायोजन और व्युत्पन्न प्राधिकारी की शर्तों से बंधा होता है और न्यायालय, एक सामान्य नियम के रूप में, नियमों को लागू नहीं करेगा, सिवाय इसके कि जहां यह संतुष्ट हो कि नियमों की वैधता के लिए सभी पूर्ववर्ती शर्तों को पूरा कर लिया गया है। कानून पर क्रेज़ के *7* वें संस्करण का संदर्भ दिया गया था

पृष्ठ *297-298* जहाँ यह देखा जाता हैः

उस कानून के प्रावधानों के अनुसार, जिसके द्वारा इसे बनाया गया है, या तो अपनाई गई प्रक्रिया के संबंध में, विनियमन का रूप या सार, या विनियमन से जुड़ी मंजूरी, यदि कोई हो, और यह इस प्रकार है कि अदालत अमान्य के रूप में अस्वीकार कर सकती है और एक विनियमन को अधिकार से बाहर कर सकती है जो वैधानिक का पालन करने में विफल रहता है।
आवश्यक "।

12. इसी तरह, जी. पी. सिंह ने पृष्ठ *916* पर सांविधिक व्याख्या के सिद्धांतों *(14* वां संस्करण*)* में कहा है कि प्रत्यायोजित विधान अदालतों की जांच के लिए खुले हैं और विशेष रूप से दो आधारों पर अमान्य घोषित किए जा सकते हैं-*(i)* संविधान का उल्लंघन; और *(ii)* सक्षमकारी अधिनियम का उल्लंघन। दूसरे आधार में न केवल मूल के उल्लंघन के मामले शामिल हैं

13 3 1898, डिवीजनल कोर्ट *14 4 (2006) 4* एस. सी. सी. *327* राजीव सूरी बनाम।

दिल्ली विकास प्राधिकरण और

ओआरएस। *[* संजीव खन्ना, जे।*]*

सक्षम अधिनियम के प्रावधान लेकिन निर्धारित अनिवार्य प्रक्रिया के उल्लंघन के मामले भी। निर्धारित आवश्यकता का अनुपालन, जिसमें एक प्रस्ताव के माध्यम से संसद की मंजूरी शामिल है, प्रत्यायोजित कानून को कोई प्रतिरक्षा प्रदान नहीं करेगा, हालांकि यह वैधता को बनाए रखने के लिए अन्य कारकों के साथ ध्यान में रखी जाने वाली परिस्थिति हो सकती है, हालांकि यह माना गया है कि खंड निर्धारित करने से अधीनस्थ कानून को अत्यधिक के लिए अमान्य घोषित होने से रोका जा सकता है।

प्रतिनिधिमण्डल।

13. इस्पात इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम। सीमा शुल्क आयुक्त, *1 5* का संदर्भ कानून के शुद्ध सिद्धांत और प्रत्येक कानूनी प्रणाली में कानूनों के पदानुक्रम के लिए किया गया था, और जब भी इस पदानुक्रम में एक उच्च परत में एक मानक और निचली परत में मानक के बीच संघर्ष होता है, तो उच्च परत में मानक प्रबल होगा। भारत में, पदानुक्रम संविधान को उच्चतम स्तर पर रखता है जिसके बाद संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा वैधानिक कानून, प्रत्यायोजित या अधीनस्थ कानून जो अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों, अधिनियम के तहत बनाए गए विनियमों के रूप में होते हैं और फिर सबसे निचले स्तर पर बिना किसी वैधानिक समर्थन के प्रशासनिक आदेश या कार्यकारी निर्देश होते हैं।

विधायी अभ्यास। भारत संघ बनाम में निर्णयों पर भरोसा करना। साइनामाइड इंडिया लिमिटेड, *1,6* और पुणे नगर निगम बनाम। प्रवर्तक और बिल्डर संघ, *17* उत्तरदाताओं का कहना है कि अंतर यह है कि एक

विधायी अधिनियम विशेष मामलों के संदर्भ के बिना आचरण के एक सामान्य नियम का निर्माण और उद्घोषणा है और आमतौर पर भविष्य में संचालित होता है; जबकि प्रशासनिक अधिनियम विशिष्ट व्यक्तियों या स्थितियों पर लागू होता है या विशेष रूप से सामान्य नियमों को लागू करके निर्णय लेता है।
मामले।

15. साइनामाइड में, इस न्यायालय ने कहा कि आवश्यक वस्तु अधिनियम और औषधि *(*मूल्य नियंत्रण*)* आदेश के तहत मूल्य निर्धारण,

1979 यह न तो न्यायालय का कार्य है और न ही इसकी विशेषता है, बल्कि विशेषज्ञों का कार्य है और यह कमोबेश विधायी चरित्र का है। फिर भी, अदालत इस सवाल की जांच करने के अधिकार क्षेत्र से पूरी तरह से इनकार नहीं करेगी कि क्या यह प्रासंगिक है। विचार किए गए हैं और अप्रासंगिक विचारों को मूल्य निर्धारण से बाहर रखा गया है, विशेष रूप से जब विधायिका ने मूल्य निर्धारण नीति निर्धारित की है और उन कारकों को निर्धारित किया है जो

15 (2006) 12 एस. सी. सी. *583*

1 6 (1987) 2 एस. सी. सी *720*

17 (2004) 10 एससी *796 [2021] 15* एससीआर

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

दृढ़ संकल्प का मार्गदर्शन करना चाहिए। चिन्नाप्पा रेड्डी, जे. के अवलोकन

यू. पी. राज्य और अन्य बनाम में अनुमोदन के साथ उद्धृत। रेनुसागर पावर कंपनी और अन्य, *1 8* प्रत्यायोजित विधान के प्रसार को संदर्भित करता है, जिसके कारण विधान और अन्य के बीच की रेखा की प्रवृत्ति है।

प्रशासन एक भ्रम में गायब हो जाता है। प्रशासनिक और अर्ध-न्यायिक

कार्य विधायी गतिविधि में विलीन हो जाते हैं और इसके विपरीत, विधायी गतिविधि एक प्रशासनिक या अर्ध-न्यायिक गतिविधि के रूप में दिखाई देती है। जे. चिन्नाप्पा रेड्डी ने जोर देकर कहा कि यह आवश्यक हो सकता है कि कभी-कभी एक रेखा खींची जाए क्योंकि विभिन्न कानूनी अधिकार और परिणाम सामने आ सकते हैं। फिर भी, इस तरह का निर्णय होना चाहिए

निष्पक्ष रूप से और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप पहुंचे।

16. साइनामाइड में, यह न्यायालय यह स्वीकार करते हुए कि विधायी कार्रवाई, प्रारंभिक या अधीनस्थ, प्राकृतिक न्याय के नियमों के अधीन नहीं है,

फिर भी यह माना गया कि कानून के कई उदाहरण हैं जिनमें अधीनस्थ विधायी प्राधिकरण को नोटिस देने और कानून बनाने से पहले सार्वजनिक सुनवाई करने की आवश्यकता होती है। कभी-कभी, विधायिका अधीनस्थ विधान निकाय को अधीनस्थ विधान बनाने से पहले 'ऐसी जांच करने का निर्देश देती है जो वह

उचित समझती है'। ऐसी स्थितियों में, जांच की प्रकृति और विस्तार अधीनस्थ विधायी निकाय के विवेक में है और इस आधार पर सवाल करने के लिए खुला नहीं है कि जांच उतनी पूरी नहीं थी जितनी हो सकती थी। इससे किसी को कोई अधिकार नहीं मिलेगा। *1 9* द

हालाँकि, स्थिति अलग होगी जहाँ विधायिका विशेष रूप से अधीनस्थ विधायी निकाय को आपत्तियाँ और सुझाव आमंत्रित करने का निर्देश देती है।

सामान्य जनता से जिसे अधीनस्थ विधान बनाने और अधिनियमित करने से पहले विचार किया जाना चाहिए। इसलिए, साइनामाइड में निर्णय यह देखते हुए कि प्राकृतिक न्याय के नियम विधायी कार्रवाई, प्राथमिक या अधीनस्थ पर लागू नहीं होते हैं, एक स्पष्ट चेतावनी देता है, कि यह उक्ति तब लागू नहीं होती है जब कानून ने स्वयं कर्तव्य के लिए प्रावधान किया है और

परामर्श करने का दायित्व। जब कानून इस तरह के अधिकार को निर्धारित करता है, तो विधायी कार्रवाई के लिए परामर्श के अधिकार को लागू न करने का सामान्य नियम अप्रासंगिक है। ऐसे मामले में, परामर्श करने की बाध्यता और सुनवाई का अधिकार एक मूल अधिकार हो सकता है।

8 (1988) 4 एस. सी. सी. *59* *19 1 9* देखें-रायलसीमा पेपर मिल्स लिमिटेड और एक अन्य *v.* ए. पी. और अन्य की सरकार *(2003) 1* एस. सी. सी. *341*

20 (2016) 7 एस. सी. सी. *703* राजीव सूरी बनाम।

दिल्ली विकास प्राधिकरण और

ओआरएस। *[* संजीव खन्ना, जे।*]*

साइनामाइड इंडिया लिमिटेड का अनुसरण किया गया। दूरसंचार की धारा *11 (4)*

प्राधिकरण के समक्ष अपनी दलीलें प्रस्तुत करना। इसके अलावा, सेवा द्वारा प्रस्तुत तर्कों से संबंधित कोई चर्चा या तर्क नहीं था। कॉल ड्रॉप करने वाले प्रदाता विभिन्न कारणों से हुए, जिनमें से कुछ सेवा प्रदाता के नियंत्रण से बाहर थे और स्वयं उपभोक्ता के कारण थे। इसलिए, यह निष्कर्ष कि अकेले सेवा प्रदाताओं को दोषी ठहराया जाना था और परिणामस्वरूप सेवा में कमी एक निष्कर्ष नहीं था जो एक उचित व्यक्ति यथोचित रूप से प्राप्त कर सकता है।

में।

18. पारदर्शिता के सवाल पर, सेल्युलर ऑपरेटर

एसोसिएशन ऑफ इंडिया का मानना है कि ये शासन के खुलेपन से संबंधित मौलिक प्रश्न हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम, *2005* ने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए एक लंबा रास्ता तय किया है।

सरकार अपने कार्यों में पारदर्शी और खुली रहे। तभी एक जानकार नागरिक भ्रष्टाचार को रोकने और सरकार को संभालने में सक्षम होगा।

और इसके साधन लोगों के प्रति जवाबदेह हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम की प्रस्तावना इस भावना को प्रतिध्वनित करती है जिसमें कहा गया है कि सरकार और उसके उपकरणों के कामकाज के लिए सूचित नागरिक और सूचना की पारदर्शिता महत्वपूर्ण है। खुलवाने के सवाल पर

शासन, यू. पी. राज्य बनाम में मैथ्यू, जे. द्वारा टिप्पणियाँ। राज नारायण, *21* को पुनः प्रस्तुत किया गया थाः

" *74* ..... इस देश के लोगों को हर सार्वजनिक कार्य को जानने का अधिकार है, जो कुछ भी सार्वजनिक तरीके से किया जाता है, उनकी जनता द्वारा किया जाता है
कार्यकर्ता। उन्हें प्रत्येक का विवरण जानने का अधिकार है।

अपने सभी असर में सार्वजनिक लेन-देन। गोपनीयता के आवरण के साथ छिपाना, आम नियमित व्यवसाय, जनता के हित में नहीं है।

इस तरह की गोपनीयता शायद ही कभी वैध रूप से वांछित हो सकती है।

इसके बाद, यह देखा गया कि सूचना का अधिकार मूल रूप से यह जानने के अधिकार पर आधारित है कि कौन सा बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का एक आंतरिक हिस्सा है। सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय बनाम में भी निर्णयों का संदर्भ दिया गया था। क्रिकेट

एसोसिएशन ऑफ बंगाल, "रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड बनाम। मालिकों *21 (1975) 4* एस. सी. सी. *428*

22 (1995) 2 एससीसी *161 [2021] 15* एस. सी. आर.

इंडियन एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स, बॉम्बे प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड *23* और पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम। भारत संघ। *24* रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स में निर्णय ने संविधान के अनुच्छेद *21* के तहत सूचना के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी। सब्यसाची मुखर्जी, जे., जैसा कि उस समय उनका प्रभुत्त्व था, ने कहा हैः

औद्योगिक जीवन और लोकतंत्र में। जानने का अधिकार एक बुनियादी अधिकार है जो एक स्वतंत्र देश के नागरिक हमारे संविधान के अनुच्छेद *21* के तहत हमारी भूमि में इस युग में रहने के अधिकार के व्यापक क्षितिज में चाहते हैं। यह अधिकार नए आयामों और तात्कालिकता तक पहुँच गया है। यह अधिकार उन लोगों पर अधिक जिम्मेदारी डालता है जो इसे संभालते हैं।
स्वयं को सूचित करने की जिम्मेदारी है।

19. इससे पहले, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बनाम. आदित्य बंदोपाध्याय, *25* इस न्यायालय ने जानकारी को तीन भागों में विभाजित किया था। श्रेणियाँ, अर्थात्, *(i)* सूचना, जो प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देती है, और सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा *4 (1)* के खंड *(*बी*)* और *(*सी*)* में उल्लिखित भ्रष्टाचार को रोकने या हतोत्साहित करने में भी मदद कर सकती है; *(ii)* अन्य जानकारी, यानी सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा *4 (1)* के खंड *(*बी*)* और *(*सी*)* के भीतर

नहीं आने वाली जानकारी; और *(iii)* सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा *4 (1)* के खंड *(*बी*)* और *(*सी*)* के अंतर्गत नहीं आने वाली जानकारी; या

सार्वजनिक प्राधिकरण के नियंत्रण में, जिसे उस समय लागू कानून के तहत किसी सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा एक्सेस नहीं किया जा सकता है। तीसरा। श्रेणी की जानकारी को बाहर रखा गया है और यह सूचना का अधिकार अधिनियम के दायरे में नहीं आती है। हमारे उद्देश्य के लिए महत्वपूर्ण टिप्पणियां हैं कि सार्वजनिक प्राधिकरणों पर भी एक विशेष जिम्मेदारी है कि वे पहली श्रेणी में आने वाली जानकारी को स्वतः प्रकाशित और प्रसारित करें ताकि वे जनता के लिए आसानी से और आसानी से सुलभ हो सकें, जिसका मूल्यांकन करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

सूचना अधिनियम। यह धारा *4 (1) (*बी*)* द्वारा लगाया गया एक वैधानिक दायित्व है।

और *(*ग*)* सूचना के प्रसार से संबंधित धारा *4* की उप-धारा *(2), (3)* और *(4)* भी। इसके बाद, सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा *19 (8)* का संदर्भ दिया गया, जो सूचना आयोगों को किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण से निम्नलिखित प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कोई भी कदम उठाने की मांग करने की शक्ति प्रदान करता हैः

23 (1988) 4 एस. सी. सी. *592*

24 (2004) 2 एस. सी. सी. *476*

25 (2011) 8 एस. सी. सी. *497* राजीव सूरी बनाम।

दिल्ली विकास प्राधिकरण और

ओआरएस। *[* संजीव खन्ना, जे।*]*

सूचना का अधिकार अधिनियम। इसमें कहा गया है कि प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण अपने अभिलेखों को विधिवत सूचीबद्ध और अनुक्रमित तरीके और रूप में बनाए रखेगा जो सूचना के अधिकार की सुविधा प्रदान करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा *4 (1)* के खंड *(*डी*)* और *(*ई*)* में उल्लिखित जानकारी प्रकाशित, प्रसारित और समय-समय पर अद्यतन की जाती है। यह देखा गया कि यह पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करेगा और नागरिकों को प्रासंगिक जानकारी तक पहुंच में सक्षम बनाएगा और सूचना के अधिकार के तहत जानकारी के लिए अनावश्यक आवेदनों से बचेगा।

एक्ट करें।

20. एक वैधानिक अधिदेश के रूप में एक कानून में सार्वजनिक परामर्श था

रज़ा बुलंद शुगर कंपनी लिमिटेड बनाम में एक संवैधानिक पीठ द्वारा जांच की गई। नगरपालिका बोर्ड, रामपुर "यह अवलोकन करना कि नगरपालिका बोर्ड द्वारा कर लगाने की प्रक्रिया जिसमें एक प्रस्ताव तैयार करने की आवश्यकता होती है और नगरपालिका के किसी भी निवासी को एक पखवाड़े के भीतर सभी या किसी भी प्रस्ताव पर आपत्ति प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती है, और बोर्ड विचार करने पर आदेश पारित कर सकता है, आवश्यक या अनिवार्य था। संवैधानिक पीठ

यह स्पष्ट किया गया है कि कानून में 'होगा' शब्द का उपयोग, चाहे वह अनिवार्य हो या निर्देशिका, सामान्य नियम निर्धारित करके हल नहीं किया जा सकता है; प्रावधान बनाने में कानून का उद्देश्य एक निर्धारक कारक है। प्रावधान करने में विधायिका की मंशा, प्रावधान को एक या दूसरे तरीके से पढ़ने के परिणामस्वरूप व्यक्तियों के लिए गंभीर सामान्य असुविधा या अन्याय, उसी विषय से संबंधित अन्य प्रावधानों के लिए विशेष प्रावधान का संबंध और अन्य विचार जो किसी विशेष मामले के तथ्यों पर उपबंध की भाषा सहित उत्पन्न हो सकते हैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए ध्यान में रखा जाना चाहिए कि क्या प्रावधान निर्देशिका है या अनिवार्य है। इसके बाद बहुमत निर्णय ने वैधानिक स्थिति और मामले के तथ्यों को यह देखने के लिए संदर्भित किया कि प्रस्तावों का प्रकाशन स्पष्ट रूप से लोकतांत्रिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने और उन लोगों को सुनने का उचित अवसर प्रदान करने के लिए था जो कर प्रस्ताव से प्रभावित होने की संभावना रखते हैं। प्रकाशन के पीछे का उद्देश्य करदाताओं की प्रतिक्रिया को उजागर करना था, और बोर्ड प्रस्ताव को पूरी तरह से छोड़ सकता था यदि सामान्य रूप से करदाताओं की प्रतिक्रिया अस्वीकृति के योग्य थी। हालाँकि, यह देखा गया कि प्रकाशन के तरीके से संबंधित क़ानून का एक और प्रावधान अनिवार्य नहीं था और इसलिए जब तक प्रदान किए गए तरीके का पर्याप्त अनुपालन किया जाता है, यह पर्याप्त होगा। यह तर्क कि कानून के अधिदेश के अनुसार प्रकाशन हिंदी में होना चाहिए *26* एआईआर *1965* एससी *895 [2021] 15* एससीआर

हालाँकि यह समाचार पत्र स्वयं उर्दू में प्रकाशित हुआ था, लेकिन प्रत्यायोजित कानून को रद्द करने के लिए यह एक अच्छा आधार नहीं था।

21. लछमी नारायण बनाम। भारत संघ "सूचना के प्रकाशन और सार्वजनिक परामर्श की आवश्यकता वाले कानून के संदर्भ में तीन

अवलोकन किए गए। सबसे पहले, बिक्री कर अधिनियम की दूसरी अनुसूची में संशोधन करने से पहले कम से कम तीन महीने के नोटिस के प्रकाशन की आवश्यकता को अनिवार्य माना गया था और निर्देशिका नहीं क्योंकि कानून निर्माताओं का इरादा कानून में ही व्यक्त किया गया था-'होगा' के बजाय 'आवश्यक' शब्द का उपयोग किया गया था। जब प्रावधान को निषेधात्मक या नकारात्मक भाषा में जोड़ा जाता है तो यह शायद ही कभी निर्देशिका हो सकती है; नकारात्मक रूप में पूर्व-खाली भाषा इस आशय का संकेत है कि प्रावधान अनिवार्य है। दूसरा, नोटिस में निर्धारित अवधि, कई कारकों को ध्यान में रखते हुए अनिवार्य थी जैसे कि नए कर बोझ को लागू करना या करों से छूट, सरकार के लिए कर एकत्र करने, खाते रखने और उचित रिटर्न दाखिल करने में डीलर को कम से कम विस्थापन या असुविधा का कारण बननी चाहिए, और राजस्व को कर का आकलन और संग्रह करने में कम से कम असुविधा होनी चाहिए।

एक ही। तीसरा, विक्रेताओं और अन्य लोगों के संशोधन से प्रभावित होने की संभावना है, उन्हें प्रतिनिधित्व करने के लिए पर्याप्त समय और अवसर मिलना चाहिए।

इच्छित संशोधन के संबंध में आपत्ति, सुझाव। तदनुसार, कम से कम तीन महीने की अवधि पूर्ण थी और इस प्रकार नोटिस की अवधि विधायी जनादेश का सार थी।

22. भाऊसाहब तवनप्पा महाजन बनाम। की स्थिति

महाराष्ट्र, *28* मदन, जे., जैसा कि उस समय उनके स्वामी थे, ने कहा कि महाराष्ट्र कृषि उपज विपणन अधिनियम के तहत प्रकाशन का तरीका अनिवार्य था क्योंकि 'होगा' शब्द के लिए पहली नजर में सख्त अनुपालन की आवश्यकता होती है और जब इसे अन्य प्रावधानों के साथ पढ़ा जाता है, और इसके परिणाम जो शब्द को एक तरह से या दूसरे तरीके से समझने से उत्पन्न होते हैं।

अन्य क्योंकि यह कई व्यक्तियों के व्यापार और व्यवसाय को प्रभावित करेगा, जिनमें शामिल हैं

कृषकों, यह मानना उचित होगा कि विधायी इरादा प्रकाशन की आवश्यकता को अनिवार्य बनाना था और इसे इस पर नहीं छोड़ना था

राज्य के विभिन्न अधिकारियों की व्यक्तिगत सूचना।

23. हरजिंदर सिंह और अन्य बनाम में प्रत्यायोजित विधान में सामान्य टिप्पणियों और सार्वजनिक परामर्श की आवश्यकता पर। की स्थिति

पंजाब, *29* प्रोफेसर उपेंद्र बख्शी द्वारा प्रस्तुत एक कार्यपत्र का संदर्भ दिया गया था जिसमें कहा गया था कि कार्यकारी कानून निर्माण विशेष रूप से देता है।

28 एयर *1982* बम *284* *29 (1979) 1* एस. सी. सी. *137* राजीव सूरी बनाम।

दिल्ली विकास प्राधिकरण और

ओआरएस। *[* संजीव खन्ना, जे।*]*

लोगों के एक छोटे से वर्ग के लिए विशेषाधिकार जो आवश्यक रूप से कानून बनाने की गुणवत्ता के साथ-साथ इसके सामाजिक संचार, स्वीकृति और प्रभावशीलता दोनों को प्रभावित करता है, जिसके परिणामस्वरूप शक्ति की एक अत्यधिक केंद्रीकृत प्रणाली होती है। उन्होंने कहा कि यह समय है कि भारत सार्वजनिक कानून बनाने की प्रक्रिया को पर्याप्त मात्रा में सार्वजनिक भागीदारी के रूप में बनाने की वांछनीयता और व्यवहार्यता पर विचार करे। न्यायमूर्ति श्री कृष्ण अय्यर ने पैराग्राफ *52* और *53* में बल्कि सख्त शब्दों में कहा कि अधीनस्थ विधान नौकरशाही संचालित, भले ही सार्थक और अच्छी तरह से सूचित हो, कभी-कभी स्थानीय स्व-सरकार के लिए पैरा-बेबील हो सकता है। इसके अलावा, अपने चरम अनुपात में प्रत्यायोजन का सिद्धांत खतरे से भरा है जिसे हम नादानी में पूरी तरह से संज्ञान में नहीं ले सकते हैं। सरकारी प्रणाली की आवश्यकताएँ

यदि लोगों द्वारा भागीदारी और बहुलवादी सरकार को समाप्त करना है, तो सावधानीपूर्वक, लेकिन कट्टरपंथी पुनर्गठन। इसी तरह, सेलुलर ऑपरेटरों में

एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इस अदालत ने सचेत रूप से अमेरिकी प्रशासनिक प्रक्रिया अधिनियम और कॉर्पस ज्यूरिस सेकंडम का उल्लेख करते हुए कहा कि यह हमारे लोकतंत्र का एक स्वस्थ कार्य होगा, यदि सभी अधीनस्थ कानून, कुछ अच्छी तरह से परिभाषित अपवादों के अधीन, व्याख्यात्मक ज्ञापन के साथ पारदर्शी प्रक्रिया द्वारा बनाए जाते हैं। उचित परामर्श के बाद और नियम और विनियमन बनाने की शक्ति का प्रयोग उचित विचार के बाद और चिंताओं से सहमत होने और असहमत होने के कारण देकर किया जाता है। यह खुलेपन, सुधार के लिए अनुकूल होगा।

कानून में प्रवर्तनीय, लेकिन प्रभावी रूप से तब लागू किया जाना चाहिए जब कानून स्वयं सार्वजनिक भागीदारी को अनिवार्य करता है और इसकी आवश्यकता होती है, जिससे यह एक योग्य और सार्थक अभ्यास बन जाता है। *24.* आर *(*मोस्ले*)* वी में। लंदन बरो ऑफ हैरिंगे, *3 0* यूनाइटेड किंगडम सुप्रीम कोर्ट ने इस सवाल की जांच की कि आवश्यक क्या हैं

आवश्यक परामर्श के तत्व जब संसद को कोई निर्णय लेने से पहले इच्छुक व्यक्तियों से परामर्श करने के लिए एक स्थानीय प्राधिकरण की आवश्यकता होती है जो संभावित रूप से इसके सभी निवासियों को प्रभावित करेगा। लॉर्ड विल्सन ने आर वी में प्रस्तावित चार बंदूक के सिद्धांतों को मंजूरी दी। ब्रेंट लंदन बरो काउंसिल, पूर्व पक्ष गनिंग और पढ़िए:

"श्री सेडले प्रस्तुत करते हैं कि यदि परामर्श प्रक्रिया में एक समझदार सामग्री होनी है तो ये बुनियादी आवश्यकताएं आवश्यक हैं। सबसे पहले, यह परामर्श ऐसे समय में होना चाहिए जब प्रस्ताव अभी भी विचाराधीन हैं।

30 (2014) यूकेएससी *56* *31 (1985) 84* एलजीआर *168 [2021] 15* एस. सी. आर.

प्रारंभिक चरण। दूसरा, प्रस्तावक को बुद्धिमान विचार और प्रतिक्रिया की अनुमति देने के लिए किसी भी प्रस्ताव के लिए पर्याप्त कारण देने चाहिए। तीसरा, इसके लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए।

विचार और प्रतिक्रिया और, अंत में, चौथा, कि परामर्श के उत्पाद को अंतिम रूप देते समय ईमानदारी से ध्यान में रखा जाना चाहिए।

कोई भी वैधानिक प्रस्ताव "।

कि निर्णय लेने से पहले इच्छुक लोगों से परामर्श करने का सार्वजनिक प्राधिकरण का कर्तव्य विभिन्न तरीकों से उत्पन्न हो सकता है-आमतौर पर जहां शुल्क एक क़ानून द्वारा उत्पन्न किया जाता है। यह वैध अपेक्षा के सिद्धांत के रूप में प्रक्रियात्मक निष्पक्षता के सामान्य कानून कर्तव्य के तहत भी उत्पन्न हो सकता है। लेकिन, इस बात की परवाह किए बिना कि परामर्श करने का कर्तव्य कैसे उत्पन्न हुआ है, यह प्रक्रियात्मक निष्पक्षता का सामान्य कानून कर्तव्य है कि जिस तरह से परामर्श आयोजित किया जाना चाहिए। निष्पक्षता एक प्रोटीयन अवधारणा है

व्यक्ति, लेकिन उस कर्तव्य की सामग्री परिस्थितियों के आधार पर लगभग असीम रूप से भिन्न होती है। परामर्श करने का कर्तव्य, हालांकि एक सामान्य सामान्य कानून कर्तव्य नहीं है, उन परिस्थितियों में मौजूद हो सकता है जहां इस तरह के परामर्श की वैध अपेक्षा है जो एक अपेक्षा पर आधारित है, या परामर्श का अभ्यास। यह परामर्श के वैधानिक कर्तव्य से भी उत्पन्न हो सकता है। कुछ मामलों में, कानून सार्वजनिक राजीव सूरी बनाम को विवेकाधिकार दे सकता है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण और

ओआरएस। *[*संजीव खन्ना, जे।*]*

इस तरह के परामर्श को किसी विशेष परामर्श तक सीमित करने का अधिकार या

परिस्थितियों, निष्पक्षता के मुद्दे परामर्श करने के कर्तव्य के स्पष्टीकरण के लिए प्रासंगिक हो सकते हैं। परामर्श करने के इस वैधानिक कर्तव्य का उद्देश्य स्थानीय प्राधिकरण की निर्णय लेने की प्रक्रिया में सार्वजनिक भागीदारी सुनिश्चित करना है। उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए परामर्श के लिए इसे कुछ न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए ताकि सार्थक सार्वजनिक भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। विशेष निर्णय लेने की प्रक्रिया। इस प्रकार, जनता को न केवल मसौदा योजना के बारे में जानकारी प्रदान की जानी चाहिए, बल्कि यथार्थवादी विकल्पों की रूपरेखा और प्राधिकरण द्वारा मसौदा योजना को अपनाने के मुख्य कारणों का संकेत भी दिया जाना चाहिए। यह सूचित करना एक सामान्य दायित्व है कि प्रस्ताव क्या है और वास्तव में यह सकारात्मक विचार के अधीन क्यों है। इसे जनता को एक बुद्धिमान प्रतिक्रिया देने में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त बताना चाहिए। *(*हमने बाद में प्रक्रियात्मक वैध अपेक्षा के सिद्धांत पर चर्चा की है।*)*

25. पहली बार *1985* में स्थापित गनिंग सिद्धांतों को स्पष्ट किया जा सकता है।

निम्नानुसारः

परामर्श तब होना चाहिए जब प्रस्ताव अभी भी एक पर हैं

ए।

प्रारंभिक चरण*;*

बी।

प्रस्तावक को प्रस्ताव के लिए पर्याप्त कारण देने होंगे।

जो बुद्धिमान विचार और प्रतिक्रिया की अनुमति देता है*;*

विचार और प्रतिक्रिया के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए।

सी.

और

डी।

परामर्श का उत्पाद ईमानदारी से लिया जाना चाहिए

किसी भी वैधानिक प्रस्ताव को अंतिम रूप देने के लिए।

ये सिद्धांत आवश्यक बुनियादी आवश्यकताओं को दर्शाते हैं यदि -

सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया विवेकपूर्ण और सार्थक होनी चाहिए। वे आम तौर पर परामर्श करने के कर्तव्य और परामर्श के अधिकार के उचित अनुप्रयोग के लिए आधार और नींव बनाते हैं। फिर भी, इन सिद्धांतों को एक जलडमरूमध्य में नहीं रखा जाना चाहिए और अनुप्रयोग की डिग्री तथ्यात्मक मैट्रिक्स पर निर्भर करेगी और स्थिति विशिष्ट है। यूनाइटेड किंगडम में राहत का अनुदान अब आपराधिक न्याय और न्यायालय

अधिनियम, *2015* द्वारा कवर किया गया है जो उन परिस्थितियों को परिभाषित करता है जिनमें अदालत को राहत देने से इनकार करना चाहिए। एक आधार यह है कि जब यह अदालत को दिखाई देता है कि यह अत्यधिक संभावना नहीं है कि आवेदक के लिए परिणाम काफी अलग *[2021] 15* एस. सी. आर.

यदि शिकायत किया गया आचरण नहीं हुआ था। हालाँकि, न्यायालय 'नो डिफरेंस टेस्ट' को लागू नहीं कर सकता है जहाँ वह असाधारण सार्वजनिक हित के लिए ऐसा करना उचित समझता है। न्यायिक समीक्षा के लिए दावा करने में अनुचित देरी से संबंधित समान सिद्धांत हैं; दावेदार के पर्याप्त हित की सीमा; क्या कोई नुकसान नहीं हुआ है या कोई पूर्वाग्रह किसी गैरकानूनी कार्य के कारण हुआ है; आदेश देने के लिए कोई उपाय प्रदान नहीं करने के लिए अदालतों के विवेक से कोई व्यावहारिक उद्देश्य पूरा नहीं होगा; उपचार के वित्तीय निहितार्थ, आदि। ध्यान में रखा जाना चाहिए।

स्टीफन विएरा बनाम में राहत पहलू का उल्लेख करते हुए। लंदन बरो ऑफ कैमडेन, *32* यह निम्नानुसार मनाया गया था:

"106. रद्द करने के आदेश को केवल तभी अस्वीकार किया जाना चाहिए जब यह अपरिहार्य हो।

कि परिणाम एक ही होता अगर सही होता

प्रक्रियाओं का पालन किया गया *(*आर *(*कोपलैंड*)* वी देखें। लंदन बरो

टावर हैमलेट्स *(2011)* जे. पी. एल. *40* के पैरा *36,37* में स्मिथ बनाम.
नॉर्थ डर्बीशायर प्राइमरी केयर ट्रस्ट *(2006)* ई. डब्ल्यू. सी. ए. सिविल *1291,*

प्रति मई एल. जे. *(10):*

..... संभावना पर्याप्त नहीं है। अभियुक्तों को करना होगा

दिखाएँ कि निर्णय अनिवार्य रूप से एक ही रहा होगा
और अदालत को अनजाने में अपने अधिकार से भटकना नहीं चाहिए

निर्णय लेने के औचित्य की समीक्षा करने का प्रांत
पर्याप्त मूल्यांकन के निषिद्ध क्षेत्र में प्रक्रिया

निर्णय के गुण "।

26. सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन में, इस न्यायालय ने उद्धृत किया था

इंग्लैंड में अपील न्यायालय का निर्णय, आर. वी. उत्तर और पूर्वी डेवोन स्वास्थ्य प्राधिकरण, पूर्व पी कफलन *3 3* 'परामर्श' शब्द के अर्थ के बारे में:

"108. यह सामान्य आधार है कि, चाहे परामर्श किया जाए या नहीं

इच्छुक पक्ष और जनता एक कानूनी आवश्यकता है, यदि यह है
इसे ठीक से शुरू किया जाना चाहिए। उचित होने के लिए,

परामर्श ऐसे समय में किया जाना चाहिए जब प्रस्ताव अभी भी उपलब्ध हों।

एक प्रारंभिक चरण में; इसमें विशेष कारणों के लिए पर्याप्त कारण शामिल होने चाहिए

जिन लोगों से सलाह ली जाती है, उन्हें समझदारी से विचार करने की अनुमति देने के प्रस्ताव

और एक बुद्धिमान प्रतिक्रिया; इसके लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए।

उद्देश्य; और परामर्श का उत्पाद होना चाहिए

अंतिम निर्णय लेते समय ईमानदारी से ध्यान में रखा जाता है

लिया जाता है। "

(मूल रूप से आपूर्ति के रूप में जोर)

32 (2012) ई. डब्ल्यू. एच. सी. *287 33 2001* क्यू. बी. *212: (2000) 2* डब्ल्यूएलआर *622 (*सीए*)*

राजीव सूरी बनाम। दिल्ली विकास प्राधिकरण और

ओआरएस। *[* संजीव खन्ना, जे।*]*

27. हम पहले ही विकास अधिनियम की धारा *7* से *11*-ए का उल्लेख कर चुके हैं जो एक मास्टर प्लान तैयार करने के लिए विस्तृत प्रक्रिया का आदेश देती है और क्षेत्रीय विकास योजना *(*ओं*)* जिसमें यह निर्देश भी शामिल है कि प्राधिकरण एक मसौदा तैयार करेगा और आम जनता के लिए निरीक्षण के लिए एक प्रति उपलब्ध कराएगा और किसी भी व्यक्ति से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करेगा। प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण, जिसकी सीमा के भीतर योजना के अनुसार कोई भी भूमि स्थित है, को प्रतिनिधित्व करने का उचित अवसर दिया जाना चाहिए।

केवल सभी अभ्यावेदनों, सुझावों और आपत्तियों पर विचार करने पर,

योजना *(*ओं*)* के रूप और सामग्री और बाध्यकारी प्रक्रिया के संबंध में। नतीजतन, विकास नियम, जो अधीनस्थ हैं कानून, विकास अधिनियम का एक हिस्सा हैं। प्राधिकरण, केंद्र सरकार और आम जनता विकास नियमों से बाध्य हैं, क्योंकि वे विकास अधिनियम का पालन करने और उसका पालन करने के लिए बाध्य हैं। राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम बनाम में यह न्यायालय। बाल मुकुंद बैरवा *3 4* और अन्नामलाई विश्वविद्यालय बनाम। सरकार के सचिव, सूचना और पर्यटन विभाग, *35* ने माना है कि अधीनस्थ कानून जब वैध रूप से बनाया जाता है तो यह मुख्य अधिनियम का एक हिस्सा बन जाता है। इसका परिणाम स्पष्ट रूप से यह है कि विकास नियमों को एक भाग के रूप में पढ़ा जाना चाहिए और वे विकास अधिनियम के समान रूप से लागू करने योग्य हैं। इस संदर्भ में, हम विकास नियमों के नियम *4* का उल्लेख करेंगे क्योंकि यह आपत्तियों, सुझावों और अभ्यावेदनों को आमंत्रित करने के लिए सार्वजनिक किए जाने वाले मास्टर प्लान के प्रारूप और सामग्री को स्पष्ट करता है। नियम *4* के उप नियम *(1)* के अनुसार, मसौदा योजना में ऐसे मानचित्र, आरेख,

संपूर्ण या दिल्ली के किसी भी हिस्से के विकास से संबंधित विवरणात्मक या वर्णनात्मक प्रकृति के चार्ट, रिपोर्ट और अन्य लिखित मामले। नियम *4* के उप-नियम *(2)* में कहा गया है कि मास्टर प्लान का हिस्सा बनने वाली लिखित सामग्री में मुख्य प्रस्तावों का ऐसा सारांश शामिल होगा और

वर्णनात्मक विषय जिसे प्राधिकरण स्पष्ट करने के लिए आवश्यक समझता है और/या मानचित्रों, चार्टों, आरेखों और अन्य दस्तावेजों द्वारा इंगित प्रस्ताव की व्याख्या करें। उप-नियम *(3)* से नियम *4* के खंड *(ए)* से खंड *(जे)* अन्य विवरणों को सूचीबद्ध करते हैं जिन्हें शामिल किया जा सकता है। अभिलेख के उद्देश्य के लिए, हमें बताना चाहिए

कि धारा *10,11,12* और *14* के प्रयोजनों के लिए धारा *9* की उप-धारा *(1)* के अनुसार 'मास्टर प्लान' अभिव्यक्ति का अर्थ भी क्षेत्रीय होगा।

एक क्षेत्र के लिए विकास योजना।

34 (2009) 4 एस. सी. सी. *299 (*पैरा *39* देखें*) 35 (2009) 4* एस. सी. सी. *590 (*पैरा *42* देखें*)*

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

28. विकास अधिनियम की धारा *10,11* और *11*-ए और विकास नियमों के नियम *4,8,9* और *10* में गुंनिंग सिद्धांतों को काफी हद तक प्रतिध्वनित किया जा सकता है। उनके हितकारी जनादेश की उपेक्षा करने के लिए

अधिनियम और विकास नियमों का अर्थ है और यह संदर्भित करता है कि प्रस्तावों पर अंतिम निर्णय लेने से पहले विचार-विमर्शात्मक निर्णय लेने वाली विधायी कवायद में जनता को एक सूचित आवाज देने में सक्षम बनाने के लिए किस हद तक जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए। वर्तमान मामले में इस चूक और विफलता को बी. ओ. ई. एच. द्वारा स्वीकार किया गया और स्वीकार किया गया, जिसने विवरण के प्रकटीकरण और प्रस्तुत करने की सिफारिश की थी। बोधगम्य।

और प्रस्तावों की प्रकृति को देखते हुए पर्याप्त प्रकटीकरण महत्वपूर्ण था जो प्रतिष्ठित और ऐतिहासिक सेंट्रल विस्टा को प्रभावित करेगा। नागरिकों को स्पष्ट रूप से भाग लेने और खुद को व्यक्त करने, सुझाव देने और प्रस्तुत करने के प्रस्ताव की व्याख्या करते हुए समझदार विवरण जानने का अधिकार था।

आपत्तियाँ। प्रस्तावित परिवर्तन, नीतिगत निर्णयों के विपरीत, काफी हद तक अपरिवर्तनीय होंगे। भौतिक निर्माण या विध्वंस एक बार हो जाने के बाद, नहीं किया जा सकता है

अधिकांश नीतियों या यहां तक कि अधिनियमों के मामले में निरसन, संशोधन या संशोधन द्वारा भविष्य के लिए पूर्ववत या सही किया जाएगा। इनके कहीं अधिक स्थायी परिणाम होते हैं। इसलिए उत्तरदाताओं के लिए यह आवश्यक था कि वे पुनर्विकास योजना, लेआउट आदि को सूचित करें और सार्वजनिक करें।

अध्ययन और रिपोर्ट के साथ आवश्यकता और आवश्यकता से संबंधित औचित्य और व्याख्यात्मक ज्ञापन के साथ। विशेष महत्व यह है कि क्या परिवर्तनों से, सेंट्रल विस्टा में हरे और अन्य क्षेत्रों में आम लोगों की पहुंच कम/प्रतिबंधित हो जाएगी और दृश्य

और अखंडता प्रभाव, और प्रतिष्ठित और विरासत के उपयोग में प्रस्तावित परिवर्तन

इमारतें।

अजीव सूरी बनाम। दिल्ली विकास प्राधिकरण और

ओआरएस। *[* संजीव खन्ना, जे।*]*

29. हनुमान लक्ष्मण अरोस्कर बनाम। पर्यावरण मंजूरी के मामले में सार्वजनिक परामर्श के संबंध में भारत संघ, *36* ने कहा थाः

" 112.8 ..... सार्वजनिक परामर्श को केवल एक मंत्र या एक प्रक्रियात्मक औपचारिकता तक सीमित नहीं किया जा सकता है जिसे अगले चरण में आगे बढ़ने के लिए पूरा करना पड़ता है। अंतर्निहित सार्वजनिक परामर्श महत्वपूर्ण संवैधानिक मूल्य है जो निर्णय जो व्यक्तियों के जीवन को प्रभावित करते हैं, लोकतांत्रिक शासन की प्रणाली में, कारक होना चाहिए।

उनकी चिंताओं में जो किसी परियोजना और उसके संभावित पर्यावरणीय प्रभावों की पूरी जानकारी प्राप्त करने के बाद व्यक्त की गई हैं।

30. इसी तरह, एम. सी. मेहता बनाम. भारत संघ, *3 7* मास्टर प्लान के प्रश्न समाप्ति और उचित सार्वजनिक भागीदारी की आवश्यकता पर,

अदालत ने कहा थाः

" 15. हम उल्लेख कर सकते हैं कि यह दर्ज किया गया है कि दिल्ली को अनधिकृत अतिक्रमणों और अवैध निर्माणों से दंड से मुक्त किया जा रहा है और दिल्ली विकास प्राधिकरण सहित कोई भी नागरिक प्राधिकरण ईमानदारी से अपने वैधानिक कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा था। संसद द्वारा अधिनियमित कानून के अनुसार अपने अनिवार्य कार्यों को पूरा करने के लिए सांविधिक प्राधिकरणों को निर्देश जारी करने की आवश्यकता दर्दनाक है। दुर्भाग्य से, दिल्ली की स्थिति ने नागरिक की उदासीनता के कारण इस तरह के निर्देश की आवश्यकता महसूस की

अधिकारीगण।

16. दुर्भाग्य से, मास्टर प्लान में संशोधन के संबंध में दिल्ली के लोगों को विश्वास में लेने के बजाय, सार्वजनिक व्यवस्था और दंगों के बारे में हमें सूचित करने की कोशिश की गई है जैसे कि दिल्ली में कानून और व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण से बाहर हो रही हो। हम अति प्रतिक्रिया को समझने से चूक गए हैं और कैसे मास्टर प्लान में परिवर्तन बिना किसी सार्थक सार्वजनिक भागीदारी के लाए जाने की कोशिश की जाती है, शायद कुछ लॉबियों को संतुष्ट करने के इरादे से और कुछ निराधार आधार पर *90* दिनों की अवधि को केवल *3* दिनों तक कम करने के इरादे से। यह सराहना की जानी चाहिए कि दिल्ली के लोग सबसे पहले आते हैं।

17. दिल्ली की जनता को विश्वास में लेने और उनके लाभ के लिए काम करने के उद्देश्य से प्रस्तावित संशोधनों पर सुझाव देने और आपत्तियां उठाने का अवसर दिया गया था

9) 15 एस. सी. सी. *401*

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मास्टर प्लान और जिन पर विद्वान अटॉर्नी जनरल द्वारा *15-5-2018* पर आपत्ति नहीं की गई थी, आपत्ति करने और सुझाव देने और कटौती करने के निमंत्रण के पीछे की भावना को ध्यान में रखते हुए

सामान्य वैधानिक अवधि।

18. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, दिनांकित *15-5-2018* आदेश को संशोधित करने के लिए विद्वान महान्यायवादी के मौखिक अनुरोध को अस्वीकार कर दिया जाता है। केंद्र सरकार को लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए *15-5-2018* दिनांकित आदेश को अक्षर और भावना में तेजी से लागू करना चाहिए।

दिल्ली की जनता को ध्यान में रखें। "

31. आर. के. मित्तल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, *38* यह न्यायालय विकास प्राधिकरण द्वारा की गई कार्रवाई और आरोप पर विचार कर रहा है

यह कि यह मास्टर प्लान, विनियमों और वैधानिक अधिनियम के अनुरूप नहीं था, इस न्यायालय ने कहाः

"*49.* विकास प्राधिकरण अन्य बातों के साथ-साथ विनियामक कार्य कर रहा है। निर्दिष्ट नियामक कार्यों का प्रयोग करने वाले इस नियामक प्राधिकरण की शक्ति पर वैधानिक कर्तव्यों को लागू किया गया है। इस तरह के कर्तव्यों और गतिविधियों को इस तरह से किया जाना चाहिए जो पारदर्शी, जवाबदेह, आनुपातिक और सुसंगत हो। इसे उन मामलों को लक्षित करना चाहिए जिनमें कार्रवाई की आवश्यकता है और इसका प्रयोग मनमानेपन से मुक्त होना चाहिए। द.

व्यक्ति के लिए या यहाँ तक कि सार्वजनिक सुविधा के लिए भी वैधानिक प्रावधानों को ढालने में हमेशा अनिच्छुक होना चाहिए क्योंकि यह अधिकारियों की कार्रवाई में मनमानेपन का एक अंतर्निहित तत्व लाएगा। मिश्रित उपयोगकर्ता को अनुमति देना, जहां मास्टर प्लान ऐसा प्रदान नहीं करता है, यह इस तरह का एक स्पष्ट उदाहरण होगा।

32. राजेन्द्र शंकर शुक्ल बनाम में भी इसी तरह के अवलोकन हैं। छत्तीसगढ़ राज्य ", जिसमें नगर नियोजन और

विकास का संदर्भ 'प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों' के लिए दिया गया था,

38 (2012) 2 एससीसी *232*

39 (2015) 10 एस. सी. सी. *400* राजीव सूरी बनाम।

दिल्ली विकास प्राधिकरण और

ओआरएस। *[* संजीव खन्ना, जे।*]*

नगर नियोजन और विकास प्राधिकरण भूखंडों का पुनर्गठन करना और भूमि उपयोग को बदलना चाहता था। समिति के कामकाज का उल्लेख करते हुए, जिसे पक्षों की आपत्तियों को सुनना था, यह देखा गयाः

" 103. 1973 के अधिनियम की धारा *50 (5)* के तहत समिति का कामकाज असंतोषजनक है और इसके लिए प्रक्रिया का नए सिरे से पालन करने की आवश्यकता है। इच्छुक पक्षों की आपत्तियों को सुनने के लिए उपरोक्त अधिनियम के तहत गठित समिति केवल एक छलावा थी।

समिति ने अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों को बिना कोई कारण बताए खारिज कर दिया और अदालत के समक्ष अपनी आपत्तियों को रखने के लिए सुनवाई का कोई अवसर भी नहीं दिया।
समिति ने कहा। इसलिए, की सिफारिशें

समिति का कोई महत्व नहीं था। राज्य सरकार की यह कार्रवाई कानूनी रूप से दूषित है और इसलिए इसे दरकिनार किया जा सकता है।

33. इंदौर विकास प्राधिकरण मदन लाल का भी संदर्भ दिया जा सकता है, जिसमें यह निम्नानुसार आयोजित किया गया हैः

" 10. हमें नहीं लगता कि विकास प्राधिकरण उचित था

इस मामले में एक शॉर्ट कट का पालन करने में। न्यास अधिनियम के तहत अपनाई गई प्रक्रिया सभी को समाप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकी

एक मसौदा योजना तैयार करने के लिए, विकास प्राधिकरण को जनता से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करने चाहिए। देय होना चाहिए इंदौर के मास्टर प्लान के आलोक में प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर विचार करना। वास्तव में, यदि विकास प्राधिकरण योजना को अपनाना चाहता है तो जनता को योजना की जांच करने और मास्टर प्लान के आलोक में आपत्तियां दर्ज करने का अवसर भी मिलना चाहिए। चूंकि विचाराधीन योजना न्यास अधिनियम के तहत अनुमोदित योजना नहीं थी, इसलिए विकास प्राधिकरण अधिनियम की धारा *50* के तहत निर्धारित प्रक्रिया को समाप्त नहीं कर सकता था।

34. सैयद हसन रसूल बनाम में निर्णय अधिक प्रत्यक्ष और प्रासंगिक है। भारत संघ *"1* जिसमें इस न्यायालय ने धारा की व्याख्या की थी

विकास अधिनियम के तहत सार्वजनिक सूचना जारी करने के लिए आमंत्रित करने की आवश्यकता है

1990) 2 एस. सी. सी. *334*

आपत्तियों पर विचार करने के पक्ष में, प्राधिकरण के सचिव द्वारा दायर हलफनामे पर भरोसा किया गया था जिसमें कहा गया था कि आपत्तियों को केंद्र सरकार को विचार के लिए भेजा गया था क्योंकि इस मामले में केवल केंद्र सरकार ही थी जो इच्छुक व्यक्तियों से प्राप्त आपत्तियों पर विचार करने के लिए सक्षम थी। हालाँकि, यह अभिनिर्धारित किया गया कि बैठक के कार्यवृत्त में किसी भी चर्चा के अभाव में यह स्वीकार करना मुश्किल

था कि इस न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी की आपत्तियों पर अन्य आपत्तियों की तरह केंद्र सरकार द्वारा विचार किया गया था। तदनुसार, उच्च न्यायालय ने यह मानते हुए गलती की कि जिन व्यक्तियों ने आपत्तियां और सुझाव दायर किए थे, उनके प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं हुआ है। आपत्तियों पर विचार करने के प्रश्न पर, इस न्यायालय ने

देखा गयाः

"इन कथनों से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थियों का आपत्तियों का बयान प्राप्त सभी आपत्तियों पर विचार करने के लिए बुलाई गई बैठक के एजेंडे में सूचीबद्ध नहीं था। हालाँकि, यह दावा किया जाता है कि अपीलार्थियों की आपत्ति को बैठक में पढ़ा गया और खारिज कर दिया गया। लेकिन यह इंगित करने के लिए कोई रिकॉर्ड नहीं है कि यह था

अतः उच्च न्यायालय यह मानने में त्रुटि करता प्रतीत होता है कि अपीलार्थियों के प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं था। हालाँकि, हमारा यह कहने का मतलब नहीं है कि अपीलकर्ताओं को देर करने का अधिकार है। अधिकारियों द्वारा विचार की गई आपत्ति। यदि कानून के तहत निर्धारित सूचना का वैध प्रकाशन था, तो उन्हें सूचना में निर्दिष्ट अवधि के भीतर आपत्ति दर्ज करानी चाहिए थी। वे निर्धारित अवधि के बाद अपनी आपत्ति दर्ज नहीं कर सके और शिकायत की कि वे आपत्ति पर विचार न करने से पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं। पूर्वाग्रह का अनुमान तभी लगाया जा सकता है जब निर्धारित अवधि के भीतर दायर की गई आपत्ति पर विचार नहीं किया जाता है

सक्षम अधिकारी "। राजीव सूरी बनाम।

दिल्ली विकास प्राधिकरण और

ओआरएस। *[संजीव खन्ना, जे।]*

दूसरा, धारा *44* के संदर्भ में, जिसमें एक सार्वजनिक सूचना जारी करने की आवश्यकता है, यह देखा गया कि प्रावधान हालांकि खुशी से नहीं कहा गया है, उल्लंघन का मामला बनाया गया है क्योंकि अधिकारियों को निर्धारित तीन वैकल्पिक तरीकों में से दो का पालन करना था। यह अनिवार्य है। इसके बाद, यह आयोजित किया गयाः

"अधिनियम की धारा *11*-ए मास्टर प्लान और क्षेत्रीय विकास योजना में संशोधन के लिए प्रक्रिया प्रदान करती है। उप-धारा *(3)* इसका प्रावधान है कि किसी भी योजना में कोई भी संशोधन करने से पहले, प्राधिकरण या, जैसा भी मामला हो, केंद्र सरकार सूचना में निर्दिष्ट तिथि से पहले प्रस्तावित संशोधन के संबंध में व्यक्तियों से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करते हुए एक सूचना प्रकाशित करेगी। यह व्यक्तियों को अवसर देने के लिए है।

जो आपत्तियाँ और सुझाव दायर करने के लिए योजना के संशोधन से प्रभावित होने की संभावना रखते हैं। वास्तव में, इच्छुक व्यक्तियों या जिन व्यक्तियों के प्रभावित होने की संभावना है, उन्हें अपनी याचिका दायर करने का अधिकार है।

निर्दिष्ट समय के भीतर आपत्तियाँ और अभ्यावेदन। उन्हें सक्षम अधिकारियों द्वारा आपत्तियों पर विचार करने का अधिकार है। इन अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए, निर्धारित साधन

कानून में निर्दिष्ट व्यक्ति को स्पष्ट सूचना देते हुए प्रकाशन का ईमानदारी से पालन किया जाना चाहिए। जिन व्यक्तियों के अधिकारों या हितों के बाधित होने की संभावना है, उन्हें ऐसी सूचना प्रदान करने वाले प्रावधान को हमेशा अनिवार्य माना जाना चाहिए। अन्यथा, यह प्रस्तावित कार्रवाई के खिलाफ आपत्तियों और सुझावों को आमंत्रित करते हुए सार्वजनिक सूचना देने के उद्देश्य को विफल कर देगा।

उक्त मामले में, धारा *44* में प्रदान किए गए प्रकाशन के लिए तीन साधनों में से केवल एक को अपनाया गया था, जो यह देखा गया था कि यह अनिवार्य आवश्यकता से कम है। इसलिए सार्वजनिक सूचना को लागत के साथ रद्द कर दिया गया। यह निर्णय तब भी प्रासंगिक होगा जब हम धारा *11*-ए की उप-धारा *(6)* के तहत आदेश पारित करने में केंद्र सरकार की विफलता के सवाल की जांच करते हैं और प्रस्तावित प्रावधानों के संबंध में जनता से प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर अपना दिमाग लगाते हैं।

35. हम पहले ही रज़ा बुलंद शुगर में टिप्पणियों का हवाला दे चुके हैं *(*यू. पी. बनाम राज्य में दर्ज उक्ति को मंजूरी देते हुए। मनबोधन लाल श्रीवास्तव *42*, जो मॉन्ट्राल स्ट्रीट रेलवे कंपनी बनाम का हवाला देता है।

नॉरमैंडिन *43)* कि कोई भी निर्धारण कि क्या एक वैधानिक प्रावधान है

42 ए. आई. आर *1957* एस. सी. *912* *43 AIR 1917 PC 142 [2021] 15 S. C. R.*

और इस कर्तव्य की उपेक्षा में किए गए शून्य कार्य गंभीर सामान्य असुविधा या उन व्यक्तियों के साथ अन्याय के खिलाफ काम करेंगे जिनका कर्तव्य सौंपे गए लोगों पर कोई नियंत्रण नहीं है और साथ ही साथ कानून के मुख्य उद्देश्य को बढ़ावा नहीं देंगे। वर्तमान मामले में ऐसा नहीं है। इसके अलावा, यह अदालतों का कर्तव्य है कि वे विचार किए गए क़ानून के दायरे को ध्यान से ध्यान में रखते हुए विधायिका के वास्तविक इरादे को प्राप्त करें, न कि केवल उस भाषा पर जिसमें इरादे को पहना गया है। यह प्रावधान के वाक्यांश विज्ञान, इसकी प्रकृति, इसकी रचना और परिणामों पर विचार करके किया जा सकता है जो इसे एक या दूसरे तरीके से समझने से होंगे। न्यायालय यह भी ध्यान में रख सकता है कि यदि विचाराधीन प्रावधान का पालन करने की आवश्यकता से बचा जाता है, तो क्या कानून में अनुपालन न करने के लिए आकस्मिकता का प्रावधान है और क्या उस पर कोई जुर्माना लगाया जाता है या नहीं, इसके गंभीर या तुच्छ परिणाम होते हैं और सबसे बढ़कर यह कि कानून का उद्देश्य विफल हो जाएगा या आगे बढ़ेगा *(*यू. पी. *v.* राज्य देखें। बाबू राम उपाध्याय *1 4)*। यदि प्रावधान अनिवार्य है तो इसका उल्लंघन होगा।

कार्रवाई को अमान्य बना दें। यदि यह निर्देशिका है, तो अधिनियम वैध होगा, हालांकि गैर-अनुपालन कानून द्वारा प्रदान किए गए अन्य दंड को जन्म दे सकता है। सही प्रस्ताव यह प्रतीत होता है कि अधिनियम के पर्याप्त अनुपालन पर जोर दिया जाता है, जहां अनिवार्य और निर्देशिका आवश्यकताएं हैं

ऐसे मामले में यदि अनिवार्य आवश्यकताओं का पालन किया जाता है, तो यह कहना उचित होगा कि अधिनियम बनाया गया है। निर्देशिका आवश्यकताओं के गैर-अनुपालन के बावजूद काफी हद तक अनुपालन किया। *45*

36. वैधानिक आवश्यकताओं का पालन करने में विफलता के प्रभाव को निर्धारित करने के लिए सिद्धांतों को डी स्मिथ की न्यायिक समीक्षा *46* में नोट किया गया है

निम्नलिखित हैः

" 5-062 यह तय करने के लिए कि क्या एक धारणा कि एक प्रावधान "अनिवार्य" है, वास्तव में खंडन किया गया है, अधिनियम के पूरे दायरे और उद्देश्य पर विचार किया जाना चाहिए और किसी को "उस प्रावधान के महत्व का आकलन करना चाहिए जिसकी अवहेलना की गई है, और उस प्रावधान के संबंध को सामान्य उद्देश्य के लिए सुरक्षित किया जाना चाहिए।

45 5 अनिवार्य और निर्देशिका प्रावधान, सांविधिक व्याख्या के सिद्धांत, न्यायमूर्ति जी. पी. सिंह, *14* वां संस्करण, पृष्ठ *430*। *46* डी स्मिथ की न्यायिक समीक्षा, *8* वां संस्करण, पृष्ठ *274* राजीव सूरी बनाम।

दिल्ली विकास प्राधिकरण और

ओआरएस। *[* संजीव खन्ना, जे।*]*

अधिनियम द्वारा "। प्रावधान के महत्व का आकलन करने में, संरक्षण के रूप में इसके महत्व पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए

व्यक्तिगत अधिकार; सापेक्ष मूल्य जो आम तौर पर उन अधिकारों से जुड़ा होता है जो निर्णय से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकते हैं, और
समग्र में प्रक्रियात्मक आवश्यकता का महत्व

कानून द्वारा स्थापित प्रशासनिक योजना। प्रक्रियात्मक या औपचारिक नियमों के उल्लंघन को केवल एक अनियमितता के रूप में माना जा सकता है यदि अधिनियम की शर्तों से विचलन एक तुच्छ प्रकृति का है, या यदि उन लोगों को कोई महत्वपूर्ण पूर्वाग्रह नहीं हुआ है जिनके लाभ के लिए आवश्यकताओं को पेश किया गया था। लेकिन यदि जनता के सदस्य इसके उल्लंघन से पीड़ित हो सकते हैं तो आवश्यकता को "मौलिक" और "केंद्रीय महत्व" के रूप में माना जाएगा। वर्गीकरण को प्रभावित करने वाला एक अन्य कारक यह है कि क्या स्थिति को सुधारने का एक और अवसर हो सकता है; आवश्यकता का पालन करने में विफलता को ठीक करने का।

डी स्मिथ हालांकि दर्ज करते हैं कि उचित मामलों में और स्वीकृत आधारों पर अदालतें, अपने विवेक से, किसी निर्णय या कार्रवाई को रद्द करने या किसी अन्य उपाय को देने से इनकार कर सकती हैं। यह सिद्धांत इस बात के निर्धारण से इतना संबंधित नहीं है कि क्या कोई विशेष प्रावधान या वैधानिक दायित्व स्वयं अनिवार्य या निर्देशिका है; बल्कि, वे इस प्रश्न के लिए प्रासंगिक हैं कि यदि वैधानिक प्रावधान अनिवार्य है और पूरा नहीं होता है, तो अदालत द्वारा दी जाने वाली राहत की प्रकृति क्या होनी चाहिए। सामाजिक सेवा राज्य सचिव *1 7]*। सामान्य दृष्टिकोण यह है कि एक शिकायतकर्ता जो किसी कार्रवाई की गैरकानूनीता स्थापित करने में सफल होता है, वह एक उपचारात्मक आदेश का हकदार है, लेकिन अदालत को यह निर्धारित करने के अर्थ में विवेकाधिकार है कि विशेष मामले में क्या उचित और न्यायपूर्ण है, और इसलिए राहत को प्रतिबंधित या रोक सकता है या अधिक जबरदस्ती रद्द करने, निषेध करने या अनिवार्य आदेश या निषेधाज्ञा के बजाय एक घोषणा प्रदान कर सकता है।

37. वर्तमान मामले के संदर्भ में, विचार-विमर्श में जनता की निष्पक्ष भागीदारी पर जोर देने वाले वैधानिक प्रावधानों की प्रकृति और महत्व और सेंट्रल विस्टा के महत्व को देखते हुए, हम नहीं समझते कि सार्वजनिक भागीदारी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए विवेकपूर्ण और पर्याप्त प्रकटीकरण के सिद्धांत को लागू करने में उत्तरदाताओं की विफलता को नजरअंदाज करना उचित और सही होगा। सही मायने में आपत्तियां और सुझाव देने के अधिकार में समझ में आने का अधिकार और इसके बारे में पर्याप्त जानकारी शामिल होगी। *47 1986* डब्ल्यू. एल. आर. वॉल्यूम। *1 pg. 1 (* पृष्ठ *6* पर*)*

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रस्ताव। विकास अधिनियम और विकास नियमों द्वारा निर्धारित विधायी योजना का आधार रचनात्मक और रचनात्मक भागीदारी है। प्रभावी बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए और सहभागितापूर्ण अधिकारों को केवल अनियमितता के रूप में पढ़ने या उन्हें अनावश्यक के रूप में कम करने के बजाय अधिकतम सीमा तक वास्तविक बनाना।

अनिवार्य नहीं।

38. विचारशील लोकतंत्र भागीदारी के अधिकार पर जोर देता है

विचार-विमर्श में, निर्णय लेने में और सार्वजनिक निर्णय लेने की प्रतिस्पर्धा में। निर्णय या विधान के बाद अदालतों के समक्ष प्रतिस्पर्धा भागीदारी का एक रूप है। प्रक्रियात्मक निष्पक्षता और न्यायिक समीक्षा की अवमूल्यन शक्ति के कानूनी सिद्धांतों द्वारा संरचित अदालतों द्वारा निर्णय, निर्णय लेने के चरण से पहले और सार्वजनिक भागीदारी का विकल्प नहीं है। एक गणराज्य या प्रतिनिधि लोकतंत्र में, नागरिक निर्वाचित सरकार को कानून बनाने और निष्पादित करने की जिम्मेदारी सौंपते हैं, जो उनकी ओर से निर्णय लेती है। यह अपरिहार्य है

और आवश्यक है क्योंकि छोटे समूहों में विचार-विमर्श और निर्णय लेना अधिक कुशल है। इस प्रक्रिया के लिए विशेष रूप से विवादास्पद मामलों में जानकारी को इकट्ठा करने, संसाधित करने और निष्कर्ष निकालने की आवश्यकता होती है। निहित ब्याज की जाँच की जा सकती है। कठिन, लेकिन लाभकारी निर्णयों को लागू किया जा सकता है। सरकारी अधिकारी, कुशल, जानकार और मुद्दों से परिचित, और चुनाव जनादेश द्वारा समर्थित और मतदाताओं से जुड़ी राजनीतिक कार्यपालिका, निर्णय लेने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित और तैनात हैं। यह निर्वाचित राजनीतिक कार्यपालिका को अपनी नीतियों और वादों को वास्तविक व्यवहार में लाने में सक्षम बनाता है। इसके अलावा, नागरिक निर्वाचित प्रतिनिधियों से संपर्क करते हैं और उनके माध्यम से प्रस्तावित कानूनों और नीतिगत उपायों के पक्ष और विपक्ष दोनों में अपने विचार व्यक्त करते हैं। फिर भी, आवश्यकता पड़ने पर मसौदा कानूनों को विशेषज्ञों और हितधारकों के साथ विस्तृत परामर्श करने के लिए संसदीय समितियों को भेजा जाता है। निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा प्राथमिक विधान बनाने की प्रक्रिया को जांच, परामर्श और विचार-विमर्श द्वारा संरचित किया जाता है।

विभिन्न विचारों और विकल्पों के बारे में जानकारी जुटाने के एक तत्व के साथ

आम सहमति।

39. नागरिकों की अप्रत्यक्ष भागीदारी लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है और इस विचार को न्यायमूर्ति सैक्स ने उचित रूप से व्यक्त किया है। डॉक्टर्स फॉर लाइफ इंटरनेशनल बनाम राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष *48* निम्नलिखित शब्दों में:

48 2006 (12) BCLR 1399 राजीव सूरी *v.*

दिल्ली विकास प्राधिकरण और

ओआरएस। *[* संजीव खन्ना, जे।*]*

" " " " संविधान अपने दृष्टिकोण में सभी विधायी कार्यक्रमों से सतर्क और जुड़े एक स्थायी रूप से लगे नागरिक के अस्तित्व की भविष्यवाणी करता है और उसे शामिल करता है। लोगों के पास अधिक है आवधिक चुनावों में मतदान करने के अधिकार की तुलना में, हालांकि यह मौलिक है। और उनके लिए कानून के पारित होने से पहले और बाद में आपत्ति करने और इसे अपनाए जाने के दौरान किनारे से इसकी आलोचना करने के अवसर की तुलना में अधिक की गारंटी है। उन्हें निरंतर आधार पर और बहुत सीधे तरीके से वास्तविक प्रक्रियाओं में शामिल होने *(*और खुद को महसूस करने*)* का अधिकार दिया जाता है।

कानून बनाना। चुनाव अनिवार्य रूप से आवधिक होते हैं। दूसरी ओर, जवाबदेही, प्रतिक्रियाशीलता और खुलापन अपने स्वभाव से सर्वव्यापी और कालातीत हैं। वे हमारे स्थिर हैं
लोकतंत्र, निरंतर जारी रहने के संबंध में लगातार जोर दिया जाना

विधायी और सरकार की अन्य गतिविधियाँ. इस प्रकार यह हमारे संविधान का उपहास होगा कि लोकतंत्र चुनाव के बाद गहरी नींद में चला जाता है, केवल चुनाव के छोटे कार्यकालों के लिए चूमा जाता है। हर पाँच साल में जीवन *(*पैराग्राफ *230)*।

इसके विपरीत, प्रत्यायोजित कानून में अप्रत्यक्ष सार्वजनिक भागीदारी प्रतिबंधित हो जाती है, इस अदालत के पहले के फैसलों में आरक्षण के साथ एक पहलू को उजागर किया गया है। परंपरागत रूप से इसने कई कारणों से न्यायिक स्वीकृति पारित की है, जिसमें कार्यकारी एजेंसियों पर गहन विधायी निरीक्षण का अभ्यास शामिल है जिससे सामूहिक शासन की अखंडता सुनिश्चित होती है। हालाँकि इस चिंता को सुशासन के सिद्धांतों को अपनाकर दूर किया जा सकता है, या अधिनियमित कानूनों, नियमों और विनियमों में विधायी जनादेश के माध्यम से। वास्तव में, हमारे पास कई कानून हैं जो सार्वजनिक रूप से अनिवार्य हैं

परामर्श और यहाँ तक कि सुनवाई के रूप में भागीदारी, इस उद्देश्य के साथ कि निर्णय और नीतियां लोगों की चिंताओं और विचारों को ध्यान में रखें। निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा अधिनियमित प्राथमिक विधानों की तुलना में इस तरह से सार्वजनिक भागीदारी अधिक प्रत्यक्ष और उच्च क्रम की है।

40. हालांकि, निर्वाचित प्रतिनिधियों को कानून बनाने और शासन करने की शक्ति का हस्तांतरण नागरिकों के जानने और सूचित होने के अधिकार से वंचित करने के लिए नहीं है। लोकतंत्र, लोगों द्वारा, आवधिक अधिकार नहीं है

49 इस निर्णय के पैराग्राफ *10* और *23* देखें।

जनमत संग्रह; या मतदान के अधिकार का प्रयोग, और इस प्रकार निर्वाचित प्रतिनिधियों का चयन, संतुष्टि, निराशा व्यक्त करना, अनुमोदन या

अनुमानित नीतियों को अस्वीकार करें। नागरिकों का जानने का अधिकार और सूचित करने का सरकार का कर्तव्य लोकतांत्रिक रूप में अंतर्निहित है शासन के साथ-साथ बोलने की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार और

अभिव्यक्ति। पारदर्शिता और ग्रहणशीलता दो प्रमुख प्रणोदक हैं क्योंकि सबसे सक्षम और ईमानदार निर्णय लेने वालों को भी निर्वाचन क्षेत्र की जरूरतों के बारे में जानकारी की आवश्यकता होती है और साथ ही इस बात पर प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है कि मौजूदा नीतियां और निर्णय व्यवहार में कैसे काम कर रहे हैं। इसके लिए दोनों दिशाओं में सूचनाओं के मुक्त प्रवाह की आवश्यकता होती है। जब जानकारी को रोक दिया जाता है/नकार दिया जाता है तो संदेह और संदेह का आधार बनता है और छोटे और निहित स्वार्थ वाले समूह इसका लाभ उठाते हैं। इसके परिणामस्वरूप सामाजिक अस्थिरता हो सकती है, *50*

41. इसका मतलब यह नहीं है कि परामर्श खुला और अनिश्चित काल के लिए होना चाहिए, या सरकार को सभी जानकारी को प्रकटीकरण के रूप में जारी करना चाहिए।

कुछ सूचनाएँ व्यक्तियों की निजता के अधिकार का उल्लंघन कर सकती हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा का उल्लंघन कर सकती हैं, गोपनीयता पर प्रभाव डाल सकती हैं आदि।

व्यापक सार्वजनिक हित के लिए जानकारी को संक्षिप्त या अस्वीकार भी किया जा सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि जानकारी को रोकने के लिए अच्छे आधार और औचित्य होने चाहिए। स्वामित्व के साथ क्या वैध है, इसकी सीमाओं पर कभी-कभी बहस हो सकती है; लेकिन वर्तमान मामले में, एक ओर पारदर्शिता और जानने का अधिकार और दूसरी ओर गोपनीयता, गोपनीयता और राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंताओं के बीच कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। इसके अलावा, विकास अधिनियम और विकास नियम खुलेपन और पारदर्शिता की मांग करते हैं और इसकी आवश्यकता होती है, और इसमें बिना किसी अपवाद के यह जानने का अधिकार शामिल है कि भाग लेने के अधिकार और परामर्श करने के कर्तव्य में कौन सा निहित है। *42.* सेंट्रल विस्टा की ऐतिहासिक और प्रतिष्ठित प्रकृति किसी भी जवाबी तर्क पर विचार करने के लिए भी स्पष्ट नहीं है। यह सेंट्रल विस्टा समिति, *1962* के गठन, दिल्ली के मास्टर प्लान में पूरे सेंट्रल विस्टा को एक विरासत क्षेत्र के रूप में घोषित करने के साथ-साथ एकीकृत भवन उप-कानूनों के अनुलग्नक-*II* से स्पष्ट है, जिसका हम बाद में उल्लेख करेंगे। 'संरक्षण रणनीति' शीर्षक के अनुसार मास्टर प्लान के पैराग्राफ *10.2* में लिखा है:

" *10.2* दिल्ली की निर्मित विरासत को सभी नागरिकों द्वारा संरक्षित, पोषित और पोषित करने और आने वाली पीढ़ियों को देने की आवश्यकता है। यह सुझाव दिया जाता है कि संरक्षण के लिए नीतियों और रणनीतियों को तैयार करने के उद्देश्य से सभी एजेंसियों द्वारा उचित कार्य योजनाएं तैयार की जा सकती हैं। इनमें संरक्षण को बढ़ावा देना शामिल होना चाहिए।

50 ओल्सन *7* वें निहितार्थ के संदर्भ में, वितरण टकराव. विकास की दर को कम करता है। राष्ट्रों का उदय और पतन और उसके बाद के अध्ययन।

राजीव सूरी बनाम। दिल्ली विकास प्राधिकरण और

ओआरएस। *[संजीव खन्ना, जे।]*

नागरिक और शहरी विरासत, वास्तुकला की दृष्टि से महत्वपूर्ण ऐतिहासिक

स्थलचिह्न, जीवित स्मारक, स्मारक और ऐतिहासिक उद्यान,
नदी तट, शहर की दीवार, द्वार, पुल, दृश्य, सार्वजनिक स्थान, शिलालेख

और रिज "।

मास्टर प्लान का अनुच्छेद *10.3*, जो विरासत क्षेत्रों से संबंधित है,

पढ़ता हैः

विरासत क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है, जिसमें महत्वपूर्ण सांद्रता है,
इमारतों, संरचनाओं, समूहों या परिसरों का जुड़ाव या निरंतरता

योजना या भौतिक विकास द्वारा ऐतिहासिक या सौंदर्य की दृष्टि से एकजुट।

निम्नलिखित क्षेत्रों की पहचान विरासत क्षेत्रों के रूप में की गई है -

क्षेत्रीय योजना में इंगित किया गया हैः
((ii) लुटियंस बंगला क्षेत्र के भीतर विशिष्ट विरासत परिसर।

XX "

XX

XX

मास्टर प्लान के पैराग्राफ *10.5* में लिखा हैः

"प्रत्येक स्थानीय निकाय/भूमि स्वामित्व एजेंसी को "विशेष" तैयार करना चाहिए।

के संरक्षण और सुधार के लिए विकास योजनाएं
सूचीबद्ध विरासत परिसर और उनके निकटवर्ती क्षेत्र। विकल्प

या किसी भी सूचीबद्ध विरासत भवन का विध्वंस इसके बिना निषिद्ध है।
सक्षम प्राधिकारी का पूर्व अनुमोदन।

ऐसे क्षेत्रों के लिए विकास योजनाएं/योजनाएं निम्नलिखित के अनुरूप होंगी -
धरोहर स्थलों के संरक्षण के संबंध में प्रावधान

जिसमें धरोहर भवन, धरोहर क्षेत्र और प्राकृतिक क्षेत्र शामिल हैं।
विशेषता क्षेत्र "।

43. इसलिए सवाल उठेंगे कि क्या केवल इसमें बदलाव किया गया है।

भूमि का उपयोग पर्याप्त होगा या उत्तरदाताओं को मास्टर प्लान के पैराग्राफ *10.5* के तहत एक विशेष संरक्षण योजना तैयार करने की आवश्यकता होगी। मंजूरी देने वाले और मंजूरी देने वाले अधिकारियों द्वारा इन पहलुओं की जांच नहीं की गई है। याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए इस तर्क में योग्यता को ध्यान में रखना और दर्ज करना पर्याप्त होगा कि सेंट्रल विस्टा में छह भूखंडों के भूमि उपयोग में केवल परिवर्तन दिल्ली के मास्टर प्लान के विशिष्ट संशोधनों और संशोधनों के बिना पर्याप्त नहीं होगा, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं।

शर्तः

" *8.1* कार्यालयों का विकेंद्रीकरण
एन. सी. आर. योजना के अनुसार, कोई नई केंद्र सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र नहीं

उपक्रम कार्यालय एन. सी. टी. डी. में स्थित होने चाहिए।

हालाँकि, *[2021] 15* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मौजूदा सरकारी/सार्वजनिक उपक्रम कार्यालयों को दिल्ली से स्थानांतरित करने का मुद्दा
साथ ही नए कार्यालयों की स्थापना को सीमित करना केवल होगा

एक समयबद्ध कार्य योजना तैयार करने के बाद संभव है

उपयुक्त प्रोत्साहन और हतोत्साहित करना।

भारत सरकार, सरकार। एन. सी. टी. डी. और स्थानीय निकाय हैं
अपने कार्यालयों के लिए दिल्ली में प्रमुख भूमि पर कब्जा कर लिया। अधिकांश कार्यालय

स्वतंत्रता के तुरंत बाद स्थापित किए गए हैं। बड़े क्षेत्र

सरकारी कार्यालयों/भूमि को निम्नलिखित द्वारा प्राप्त किया जा सकता हैः
उपायः

मौजूदा सरकारी कार्यालयों/भूमि का गहन उपयोग।

((i)

((ख)

सरकार द्वारा आवासीय के लिए अधिशेष भूमि का उपयोग

विकास।

वाणिज्यिक उपयोग के लिए कुल एफ. ए. आर. के *10* प्रतिशत का उपयोग

(iii)

पुनर्गठन प्रक्रिया वित्तीय रूप से संभव है। यह होगा

भूमि स्वामित्व एजेंसी और संबंधित के अनुमोदन के अधीन
स्थानीय निकाय।

XX

XX

XX "

44. भारत सरकार, आवास और शहरी मंत्रालय

केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने सितंबर *2019* में "विरासत भवनों का संरक्षण और लेखा परीक्षा" नामक एक पुस्तिका प्रकाशित की थी। पुस्तिका विरासत की रक्षा और संरक्षण की आवश्यकता पर जोर देती है जिसे अतीत से हमें दिए गए मूर्त और अमूर्त मूल्यों के रूप में वर्णित किया गया था। निर्मित विरासत के संरक्षण को आम तौर पर समाज के दीर्घकालिक हित में माना जाता है। विरासत संपत्तियों की पहचान करने के सवाल पर, विशिष्ट संदर्भ दिया जाता है नई दिल्ली में संसद भवन ऐतिहासिक घटनाओं, गतिविधियों या प्रतिरूपों से जुड़ी एक इमारत है। *2016* के कानूनों द्वारा मॉडल निर्माण का भी संदर्भ दिया गया है जिसमें विरासत से संबंधित विशिष्ट प्रावधान हैं।

दिल्ली में लागू होने वाले कानूनों द्वारा एकीकृत भवन के समान भवन, विरासत परिसर और प्राकृतिक विशेषता वाले क्षेत्र। धरोहर भवनों की पहचान की प्रक्रिया तीन अवधारणाओं, अर्थात् महत्व, अखंडता और संदर्भ द्वारा निर्धारित की जाती है और निम्नानुसार अवलोकन की जाती है:

राजीव सूरी बनाम। दिल्ली विकास प्राधिकरण और

ओआरएस। *[*संजीव खन्ना, जे।*]*

ऐतिहासिक महत्व किसी समुदाय, क्षेत्र या राष्ट्र के इतिहास, वास्तुकला, पुरातत्व, इंजीनियरिंग या संस्कृति के लिए किसी संपत्ति का महत्व है। एक भवन के चयन में, निम्नलिखित पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए:

घटनाओं, गतिविधियों या पैटर्न के साथ जुड़ाव

● महत्वपूर्ण व्यक्तियों के साथ जुड़ाव ● डिजाइन की विशिष्ट भौतिक विशेषताएँ,

निर्माण या रूप, एक के काम का प्रतिनिधित्व करता है

मास्टर

ऐतिहासिक

ऐतिहासिक

महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने की संभावना

महत्व.

सत्यनिष्ठा

जैसे सामाजिक, आर्थिक इतिहास का चित्रण करना। जैसे रेलवे स्टेशन, टाउन हॉल, क्लब,

बाजार, जल कार्य आदि।

ऐतिहासिक

बांधों जैसे तकनीकी नवाचार,

संदर्भ

पुल आदि।

चौराहों जैसी विशिष्ट नगर नियोजन विशेषताएँ,

सड़कें, रास्ते, उदा. लुटियंस में राजपथ,

नई दिल्ली

ऐतिहासिक अखंडता किसी संपत्ति की ऐतिहासिक पहचान की प्रामाणिकता है, जो संपत्ति की ऐतिहासिक अवधि के दौरान मौजूद भौतिक विशेषताओं के अस्तित्व से प्रमाणित होती है।

ऐतिहासिक अखंडता एक संपत्ति को अपने अतीत के महत्वपूर्ण पहलुओं को स्पष्ट करने में सक्षम बनाती है। न केवल किसी संपत्ति को ऐतिहासिक रूप से मिलता-जुलता होना चाहिए, बल्कि उसे भौतिक सामग्री, डिजाइन विशेषताओं और उस अवधि के निर्माण के पहलुओं को भी बनाए रखना चाहिए जब उसने महत्व प्राप्त किया था। ऐतिहासिक संदर्भ किसी विशेष अवधि के दौरान किसी समुदाय, क्षेत्र या राष्ट्र के इतिहास में एक महत्वपूर्ण विषय द्वारा समूहीकृत ऐतिहासिक प्रवृत्तियों और संपत्तियों के बारे में जानकारी है। ऐतिहासिक संदर्भ का ज्ञान श्रोताओं को किसी ऐतिहासिक संपत्ति को उसके समय के उत्पाद के रूप में समझने में सक्षम बनाता है।

चौराहों, सड़कों और रास्तों जैसी विशिष्ट नगर नियोजन सुविधाएँ।*45.* जबकि उत्तरदाताओं ने दावा किया है कि दिल्ली के मास्टर प्लान में संशोधन के परिणामस्वरूप योजना के स्वरूप में कोई बदलाव नहीं होगा, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रकाशित निविदाओं को पढ़ने के लिए *[2021] 15* एस. सी. आर. के लिए डिजाइन और योजना फर्मों को आमंत्रित किया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

"नई दिल्ली में संसद भवन, सामान्य केंद्रीय सचिवालय और सेंट्रल विस्टा का विकास/पुनर्विकास "इंगित करता है कि प्रस्तावित

परियोजना परिदृश्य में व्यापक परिवर्तन की परिकल्पना करती है। परियोजना के दायरे को इस प्रकार वर्णित किया गया है-"इस बोली दस्तावेज का उद्देश्य पूरे सेंट्रल विस्टा क्षेत्र को फिर से बनाना है।" बोली की शर्तों में इसी तरह कहा गया हैः

"पूरे सेंट्रल विस्टा क्षेत्र के लिए एक दूरदर्शी मास्टर प्लान तैयार करने की आवश्यकता है। नया मास्टर प्लान पूरे क्षेत्र के पुनर्विकास के लिए एक ब्लूप्रिंट होगा-जिसमें भवन के साथ पूर्ण आधुनिक सरकारी कार्यालय भवन खंडों का पता लगाया जाएगा।

डिजाइन, इंजीनियरिंग सेवा डिजाइन, साइट विकास बुनियादी ढांचा, परिदृश्य, जल निकाय, प्रकाश व्यवस्था अन्य घटकों के बीच। मास्टर प्लान अक्षम भूमि उपयोग, यातायात भीड़भाड़, प्रदूषण आदि से संबंधित वर्तमान मुद्दों के लिए बुद्धिमान और टिकाऊ समाधान भी प्रदान करेगा। नया मास्टर प्लान भवन डिजाइन, इंजीनियरिंग सेवाओं और बुनियादी ढांचे के डिजाइन, साइट विकास, लैंडस्केप डिजाइन सहित सभी कार्यों की पहचान और विस्तार करेगा।

इंजीनियरिंग सेवाएँ और अवसंरचना डिजाइन, स्थल विकास, परिदृश्य डिजाइन, गतिशीलता योजना, प्रकाश डिजाइन, जल निकाय आदि।

46. हमने उप-धारा *(1)* के तहत प्राधिकरण को प्रदत्त शक्ति के दायरे और विस्तार और उप-धारा *(2)* के तहत केंद्र सरकार को प्रदत्त शक्ति के बीच स्पष्ट अंतर देखा है। उप-धारा *(1)* प्राधिकरण को मास्टर प्लान और जोनल में संशोधन करने के लिए प्रतिबंधित और सीमित शक्ति प्रदान करती है। विकास योजना जैसा वह उचित समझता है, जो प्राधिकरण की राय में नहीं हैः *(i)* योजना के स्वरूप में महत्वपूर्ण परिवर्तनों को प्रभावी बनाना, अर्थात मास्टर प्लान या क्षेत्रीय विकास योजना; और *(ii)* भूमि उपयोग की सीमा या जनसंख्या घनत्व के मानकों से संबंधित है। उप-धारा *(2)* केंद्र सरकार को एक अलग और व्यापक शक्ति प्रदान करती है कि वह

मास्टर प्लान या क्षेत्रीय विकास योजना में संशोधन, क्या ऐसे संशोधन प्राधिकरण *(*यानी डी. डी. ए.*)* की प्रकृति के हैं। करने या अन्यथा करने के लिए अधिकृत है। धारा *11* ए की उप-धारा *(3)* राजीव सूरी बनाम को अनिवार्य करती है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण और

ओआरएस। *[*संजीव खन्ना, जे।*]*

कि प्राधिकरण या केंद्र सरकार, जैसा भी मामला हो, प्रस्तावित संशोधन के संबंध में किसी भी व्यक्ति से आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित करते हुए निर्धारित नियमों के अनुसार एक सूचना प्रकाशित करेगी।

निर्दिष्ट तिथि और यह कि प्राधिकरण या केंद्र सरकार

प्राप्त होने वाली सभी आपत्तियों/सुझावों पर विचार करें। इस प्रकार, धारा *11*-ए की उप-धारा *(3)* प्राधिकरण और केंद्र सरकार को उप-धारा के तहत प्रदत्त शक्ति के बीच अंतर पर आगे बढ़ती है।

विकास अधिनियम की धारा *11*-ए की धारा *(1)* और *(2)*। इसमें कहा गया है कि आपत्तियां और सुझाव प्राधिकरण या केंद्र सरकार द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। धारा *11* की उप-धारा *(4)*-ए में कहा गया है कि प्रत्येक संशोधन उस तरीके से प्रकाशित किया जाएगा जैसा कि प्राधिकरण या केंद्र सरकार, जैसा भी मामला हो, निर्दिष्ट करेगी और संशोधन प्रकाशन की तारीख या ऐसी अन्य तारीख से लागू होगा जो प्राधिकरण या केंद्र

सरकार निर्धारित करे। धारा *11*-ए की उप-धारा *(5)* में कहा गया है कि जहां कोई प्राधिकरण उप-धारा *(1)* के तहत योजना में संशोधन करता है, वह केंद्र सरकार को उस तारीख के तीस दिनों के भीतर ऐसे संशोधनों के बारे में पूरी जानकारी देगा।

संशोधन लागू होने की तारीख से तीस दिन। धारा *11*-ए में उप-धारा *(2)* द्वारा शामिल संशोधनों के मामले में, यह केंद्र सरकार है जो आपत्तियों और सुझावों पर विचार करती है। और उसके बाद प्रस्तावित संशोधन को पूरी तरह या आंशिक रूप से अधिसूचित कर सकते हैं। केंद्र सरकार विचार करने पर प्रस्तावित संशोधनों को छोड़ सकती है और अधिसूचित भी नहीं कर सकती है। यह इस संदर्भ में है कि ऊपर उद्धृत सैयद हसन रसूल नुमा मामले में इस न्यायालय के फैसले ने

संशोधन क्योंकि केंद्र द्वारा विचार किए जा रहे और तय किए जा रहे संशोधनों पर आपत्तियों/सुझावों का कोई रिकॉर्ड नहीं था सरकार।

47. उत्तरदाताओं ने दिनांकित अधिसूचना को रिकॉर्ड पर रखा है

2727 सितंबर *2012* को भारत के राजपत्र में प्रकाशित एस. ओ. संख्या *2318 (ई)* के अनुसार, अधिनियम की धारा *52* की उप-धारा *(2)* द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने निर्देश दिया है कि दिल्ली के मास्टर प्लान *2021* की समीक्षा/संशोधन के उद्देश्य से धारा *11*-ए के तहत उसके द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्ति का उपयोग किया जाएगा।

डी. डी. ए. के उपाध्यक्ष द्वारा प्रयोग किया जा सकता है क्योंकि यह किसी भी व्यक्ति से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करने के लिए सार्वजनिक सूचना जारी करने से संबंधित है। स्पष्ट रूप से, केंद्र सरकार *[2021] 15* एस. सी. आर. को मान्यता देती है और स्वीकार करती है।

धारा *11*-ए की उप-धारा *(1)* और *(2)* के तहत शक्ति के बीच अंतर और यह कि अकेले केंद्र सरकार के पास आपत्तियों/सुझावों पर विचार करने और संशोधन करने की शक्ति है जो उप-धारा *(1)* के दायरे से बाहर हैं।

48. निर्णय लेने की प्रक्रिया में अन्य खामियों को स्पष्ट करने और संदर्भित करने से पहले दो अन्य पहलुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रकृति को देखते हुए

प्रस्ताव में परिवर्तन की धारा *11*-ए की उप-धारा *(2)* लागू होती है। वास्तव में, प्रस्ताव को मंजूरी देने वाली *20* मार्च, *2020* की अधिसूचना में कहा गया है कि आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने धारा *11*-ए की उप-धारा *(2)* के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली के मास्टर प्लान और जोन बी और सी की क्षेत्रीय विकास योजना में संशोधन किए थे *(*पैराग्राफ *17* देखें)। हालाँकि, यह स्पष्ट है कि अपनाई गई प्रक्रिया धारा *11*-ए की उप-धारा *(1)* के तहत संशोधनों पर लागू होती है। दूसरा, वर्तमान मामले में केंद्र सरकार ने धारा की उप-धारा *(6)* के तहत कोई आदेश पारित नहीं किया है।

49. उत्तरदाताओं ने *24* जुलाई, *2020* के समेकित हलफनामे में दलील दी है कि *20* मार्च, *2020* की अधिसूचना के विपरीत, योजना के स्वरूप, अर्थात मास्टर प्लान और जोन डी और सी के लिए क्षेत्रीय विकास योजना में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

विशेष रूप से धारा *11* ए की उप-धारा *(2)* के तहत शक्ति का प्रयोग करने वाली केंद्र सरकार को संदर्भित करता है, उन्होंने धारा *11* ए की उप-धारा *(1)* पर भरोसा किया है। के समेकित शपथ पत्र का प्रासंगिक भाग

उत्तरदाता पढ़ता हैः

"योजना के स्वरूप में कोई बदलाव नहीं

इस क्षेत्र का कोई मौलिक चरित्र या ऐतिहासिकता। यह केवल केंद्र सरकार के मंत्रालय कार्यालयों का पुनः समायोजन/पुनर्गठन है। डी जोन *(*सेंट्रल विस्टा*)* में *5.64* एकड़ और सी जोन में *3.9* एकड़ प्रदान करके वर्तमान *9* एकड़ के जिला उद्यान क्षेत्र की भरपाई की गई है, जिससे हरित स्थानों को अक्षुण्ण रखा गया है। यह उल्लेख करना उचित है कि संशोधित योजना के अनुसार राजपथ के साथ हरित क्षेत्र में *5.64* एकड़ की वृद्धि होगी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि छह भूखंडों के भूमि उपयोग संशोधन के बाद, योजना का स्वरूप नहीं बदल रहा है क्योंकि उनका उपयोग सरकारी कार्यालयों के लिए किया जाएगा जो पहले से ही क्षेत्र में कार्यरत हैं। इसलिए, *AJEEV SURI v* में कोई बदलाव नहीं है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण और

ओआरएस। *[*संजीव खन्ना, जे।*]*

अब इसका उपयोग आधुनिक बुनियादी ढांचे, वास्तुकला और संरचनात्मक रूप से सुरक्षित भवनों के प्रावधानों के साथ अत्याधुनिक भवनों के निर्माण के लिए किया जाएगा। वर्तमान में ये इमारतें *60* साल से अधिक पुरानी हैं और सिविल इंजीनियरिंग डिजाइन मानदंडों के अनुसार उन्होंने अपना जीवन पूरा कर लिया है। प्राधिकरण ने अपने हलफनामे में कुछ इसी तरह का अनुरोध किया है,

जीः

"भूमि उपयोग की योजना/विस्तार के स्वरूप में कोई बदलाव नहीं भूमि उपयोग में परिवर्तन वर्तमान को संरेखित करने की दिशा में है

प्रस्तावित सेंट्रल विस्टा विकास के साथ भूमि उपयोग /

पुनर्विकास योजना और यह इस क्षेत्र के किसी भी मौलिक चरित्र या ऐतिहासिकता को बदलने वाली नहीं है। यह केवल केंद्र सरकार के मंत्रालय कार्यालयों का पुनः समायोजन/पुनर्गठन है। डी जोन *(*सेंट्रल विस्टा*)* में *5.64* एकड़ और सी जोन में *3.9* एकड़ प्रदान करके वर्तमान *9* एकड़ के जिला उद्यान क्षेत्र की भरपाई की गई है, जिससे हरित स्थानों को अक्षुण्ण रखा गया है। यह उल्लेख करना उचित है कि संशोधित योजना के अनुसार राजपथ के साथ हरित क्षेत्र

इसमें *5.64* एकड़ की वृद्धि होगी। द्वारा दायर समेकित शपथ पत्र में एक अन्य स्थान पर

धारा के तहत प्राधिकरण की शक्ति के संदर्भ में प्रावधान

यह निवेदन किया जाता हैः

"..... दिल्ली विकास अधिनियम, *1957* की धारा *11* ए, अध्याय *IIIA* दिल्ली विकास प्राधिकरण *(*डीडीए*)* को मास्टर प्लान या क्षेत्रीय विकास योजना को संशोधित करने का अधिकार देती है।

यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि विषय अधिसूचना दिनांक *21.12.2019* के संदर्भ में, यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रस्ताव ने योजना के स्वरूप में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किया है, भूमि उपयोग या जनसंख्या घनत्व के मानक।

50. भूमि उपयोग के मुद्दों पर उत्तरदाताओं द्वारा दायर लिखित प्रस्तुतियों में, की उप-धारा *(1)* और *(2)* के संदर्भ में

11-ए पर, यह निम्नानुसार कहा गया हैः

"*23.* उपरोक्त के आलोक में, यह स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान प्रक्रिया दिनांकित अधिसूचना *20.03.2020* में समाप्त हो रही है,

डी. डी. ए. अधिनियम की धारा *11*-ए की उप-धारा *2* के तहत जारी किया जाता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि जैसा कि ऊपर कहा गया है, केंद्र की शक्ति

3. जबकि, केंद्र सरकार ने मामले के सभी पहलुओं पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, दिल्ली के लिए मास्टर प्लान-*2021/*जोन डी और जोन-सी की क्षेत्रीय विकास योजना में संशोधन करने का निर्णय लिया है।
4. इसलिए अब, उक्त अधिनियम की धारा *11*-ए की उप-धारा *(2)* के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दिल्ली के लिए उक्त मास्टर प्लान-*2021/*जोन डी और जोन-सी की क्षेत्रीय विकास योजना में निम्नलिखित संशोधन करती है।

याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत अधिसूचना बेमानी है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उपरोक्त पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यह प्रस्तुत किया जाता है कि भले ही वर्तमान अधिसूचना को धारा *11*-ए की उप-धारा *1* के तहत जारी किया गया माना जाता है, लेकिन भूमि उपयोग का वर्तमान परिवर्तन उक्त उप-धारा की शर्तों के बाद नहीं होता है।
इसे अलग से निपटाया जाएगा "।

पैराग्राफ *23* एक दिलचस्प पठन बनाता है क्योंकि यह स्वीकार करता है कि संशोधन विकास अधिनियम की धारा *11*-ए *(1)* द्वारा नहीं, बल्कि धारा *11*-ए *(2)* द्वारा कवर किए गए थे। हालांकि, पैराग्राफ *24* में यह दलील दी गई है कि

यह भी माना जा सकता है कि अधिसूचना धारा *11*-ए की उप-धारा *(1)* के तहत जारी की गई है क्योंकि वर्तमान भूमि उपयोग उप-धारा की शर्तों को बाधित नहीं करता है जिनसे निपटा गया है।

स्वतंत्र रूप से। यह अस्पष्ट और दोलनशील रुख, जो विरोधाभासी भी है, इस मुद्दे की जड़ और कानून बनाने के लिए सशक्त और सक्षम प्राधिकारी के सवाल तक जाता है। सबसे पहले केंद्र सरकार धारा *11* ए की उप-धारा *(6)* के तहत कोई आदेश पारित करने में विफल रही है। दूसरा, यह दोलन एक कारण से है; इसका पालन करने में घातक विफलता विकास अधिनियम की धारा *11* ए की उप-धारा *(2)* के तहत निर्धारित प्रक्रिया जैसा कि नीचे पैराग्राफ *51* में समझाया और स्पष्ट किया गया है। उत्तरदाताओं द्वारा दायर लिखित प्रस्तुतियों में इस स्थिति का सामना करते हुए, तिथियों और घटनाओं की सूची में एक अलग संस्करण दिया गया है, जिसमें इसे नीचे बताया गया है:

" 06.02.2020 – एल एंड डी ओ द्वारा एक पृष्ठभूमि नोट रखा गया था

नोट *1:* यह स्पष्ट है कि केंद्र सरकार होने के नाते एल एंड डी ओ ने इस स्तर पर आपत्तियों और सुझावों पर अपना दिमाग लगाया।
डी. डी. ए. के समक्ष किया गया। "

तिथियों की सूची में यह दावा अभिलेख पर एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित नहीं है। यह स्वीकार करना काल्पनिक और असंगत होगा कि एल एंड डी ओ ने सार्वजनिक सुनवाई से पहले ही आपत्तियों और सुझावों पर अपना दिमाग लगाया था, और इसलिए, अदालत को यह मान लेना चाहिए कि

सरकार ने आपत्तियों और सुझावों पर विचार किया था। निर्णय लेने की प्रक्रिया में परामर्श के वैधानिक कर्तव्य का पालन करने के लिए आवश्यक सार्वजनिक प्राधिकरण से अपेक्षित प्रक्रियात्मक निष्पक्षता और वैध अपेक्षा का पालन करने के लिए स्टैंड कर्तव्य की अवहेलना करेंगे। सुनवाई के बाद सक्षम प्राधिकारी द्वारा अंतिम निर्णय ईमानदारी से और निष्पक्ष रूप से लिया जाना चाहिए। इस याचिका को अस्वीकार किया जाना चाहिए, क्योंकि सार्वजनिक सुनवाई *[2021] 15* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

स्थिति कि प्रस्ताव का विवरण और विवरण अपलोड नहीं किया गया था और जनता के लिए उपलब्ध कराया गया था। एल एंड डी ओ द्वारा *6* फरवरी *2020* को पृष्ठभूमि नोट के संदर्भ में लिखे गए पत्र में आपत्तियों और सुझावों पर विचार नहीं किया गया है, लेकिन अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा गया है कि *4* दिसंबर *2019* के पहले के पत्र में आठ ब्लॉकों के भूमि उपयोग में बदलाव के लिए एजेंडा प्राधिकरण की तकनीकी समिति के समक्ष रखा गया है और एक पृष्ठभूमि नोट संलग्न किया जा रहा है। प्राधिकरण से तदनुसार आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया। यह सुझावों और आपत्तियों पर विचार करने वाला पत्र या संचार नहीं है। *51.* केंद्र सरकार ने यह दिखाने के लिए एक भी दस्तावेज या कार्यवृत्त को रिकॉर्ड में नहीं रखा है कि आपत्तियों और सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया गया था, हालांकि वे राजपत्र अधिसूचना *20*

मार्च, *2020* पर भरोसा करते हैं, जिसमें विशेष रूप से आपत्तियों और सुझावों के बारे में बात नहीं की गई है, जबकि केंद्र सरकार ने सभी पहलुओं पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद कहा है कि

इस मामले में, दिल्ली *2021* के लिए मास्टर प्लान/जोन डी और जोन सी के लिए क्षेत्रीय विकास योजना को संशोधित करने का निर्णय लिया गया है।

52. उक्त पहलू पर भी प्रासंगिक *10* फरवरी *2020* को राज निवास, दिल्ली में आयोजित प्राधिकरण की बैठक के कार्यवृत्त हैं जिसमें

यह निम्नानुसार देखा जाता है:

" (छ) आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव *(डी)* और दिल्ली विकास प्राधिकरण के सदस्य ने समझाया कि प्राधिकरण भूमि उपयोग के लिए मास्टर प्लान में प्रस्तावित संशोधन करने में सक्षम है क्योंकि ये मास्टर प्लान के स्वरूप को नहीं बदलेंगे क्योंकि वे सेंट्रल विस्टा में सरकारी भवनों के आवास की लुटियंस एंड बेकर्स की योजना के अनुरूप हैं। इसके अलावा, प्रस्ताव भूमि उपयोग की सीमा और जनसंख्या घनत्व के मानकों को प्रभावित नहीं करता है जैसा कि मास्टर प्लान में परिकल्पित किया गया है।

दिल्ली, *(एमपीडी)-2021*। इसलिए, दिल्ली विकास अधिनियम, *1957* की धारा *11 (ए) (1)* प्राधिकरण को प्रस्तावित राजीव सूरी बनाम बनाने का अधिकार देती है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण और

ओआरएस। *[संजीव खन्ना, जे।]*

परिवर्तन विचाराधीन हैं। उपाध्यक्ष डी. डी. ए.

इसकी पुष्टि की और कहा कि केवल इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि प्राधिकरण अधिनियम की धारा *11 (ए) (1)* के तहत सक्षम है, कि

प्रस्ताव पर विचार किया गया है और प्राधिकरण के लिए प्रस्तुत किया गया है
स्वीकृति "।

स्पष्ट रूप से, इसलिए प्राधिकरण और केंद्र सरकार का विचार था कि धारा *11*-ए की उप-धारा *(1)* लागू होगी और लागू होने वाली प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए, लेकिन आपत्तियों और चुनौती के बावजूद विकास अधिनियम की धारा *11*-ए की उप-धारा *(6)* के तहत कोई आदेश पारित नहीं किया गया था। वास्तव में, यदि धारा *11*-ए की उप-धारा *(6)* के तहत कोई आदेश दिया गया होता, तो इसे याचिकाकर्ताओं को इसे चुनौती देने की स्वतंत्रता के साथ अभिवचनों के हिस्से के रूप में दायर किया जाता।

कानून के अनुसार जिसमें अनुचितता शामिल होगी जैसा कि वेड्सबरी सिद्धांतों द्वारा कवर किया गया है। हमारी राय में विकास अधिनियम की धारा *11*-ए की उप-धारा *(6)* अनिवार्य है। धारा *11* की उप-धारा *(1)* से *(6)*-ए प्राधिकरण और केंद्र सरकार को दो अलग-अलग और अलग प्राधिकरणों के रूप में कल्पना करता है जिनके पास योजनाओं के संशोधन के लिए 'विधान' प्रस्तावों के लिए सीमित और व्यापक शक्तियां हैं।

53. उपरोक्त स्थिति का सामना करते हुए, उत्तरदाताओं ने तर्क दिया था

कि विकास नियम *4,8,9* और *10* लागू नहीं होंगे क्योंकि वे मास्टर प्लान या क्षेत्रीय विकास योजना तैयार करने से संबंधित हैं और विकास अधिनियम की धारा *11*-ए की उप-धारा *(2)* या यहां तक कि *(1)* द्वारा परिकल्पित संशोधन या संशोधनों से संबंधित नहीं हैं। हमारा ध्यान नियम *12* की ओर खींचा गया, जिसे हटा दिया गया है। नियम *12* में निर्धारित किया गया था कि प्राधिकरण द्वारा विकास अधिनियम और विकास नियमों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, यदि आवश्यक हो, तो पांच साल की समाप्ति के बाद मास्टर प्लान के पूरे या किसी भी हिस्से में संशोधन किया जा सकता है, जैसे कि प्रस्तावित संशोधन एक नया मास्टर प्लान हो। इसलिए *1966* में नियम *12*, नियम *4,8,9* और विकास के *10* को हटाने पर

मास्टर प्लान या जोनल के संशोधन पर नियम लागू नहीं होते हैं।

विकास योजनाएं। आकर्षक होने के कारण इस विवाद को कई कारणों से खारिज किया जाना चाहिए। किसी भी मामले में, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि धारा *11* ए और नियम *16* जनता से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करने और प्राधिकरण या केंद्र सरकार द्वारा उचित विचार के लिए सार्वजनिक सूचना जारी करने का आदेश देती है। जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया गया है, इसके लिए समझदार और पर्याप्त प्रकटीकरण की आवश्यकता है ताकि जनता सुझाव/आपत्तियां दे सके। अब हम इन कारणों को स्पष्ट करेंगे कि विकास नियमों के नियम *4,7,8* से *10* के अनुसार प्रक्रिया क्यों है।

आवश्यक:

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

धारा *10* की उप-धारा *(4)* में कहा गया है कि योजना के प्रारूप और विषय-वस्तु के संबंध में और अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में नियमों द्वारा प्रावधान किए जा सकते हैं और

नोटिस करें। यह आदेश देता है कि प्राधिकरण या केंद्रीय सरकार, जैसा भी मामला हो, आपत्तियों और सुझावों पर विचार करेगी। धारा *11*-ए की उप-धारा *(3)* उन नियमों का संदर्भ देती है जो लागू होते हैं -

अर्थात दिल्ली विकास *(*मास्टर प्लान और जोनल*)*

विकास योजना*)* नियम, *1959*। इसलिए, विकास अधिनियम की धारा *11*-ए के अनुसार योजना का संशोधन विकास नियमों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाना चाहिए न कि इन नियमों को लागू करने के लिए। नियम *15* के अनुसार, मास्टर प्लान से संबंधित नियम *5* से *11* क्षेत्रीय विकास योजना में उत्परिवर्तन को लागू करते हैं। इस व्याख्या के अधिक होने के कई अच्छे कारण हैं।

स्वीकार्य है और इसे अपनाया जाना चाहिए।

अधीक्षक और कानूनी अनुस्मारक में, राज्य

पश्चिम बंगाल बनाम. कलकत्ता निगम *3 1 1*, इस न्यायालय की नौ न्यायाधीशों की पीठ ने यह अभिनिर्धारित किया था कि आवश्यक निहितार्थ का व्याख्यात्मक उपकरण तब तैयार किया जा सकता है जब यह बाधा उत्पन्न करेगा।

कानून का कार्यकरण या इस विसंगत स्थिति की ओर ले जाएगा कि कानून अपनी प्रभावशीलता खो सकता है। यह भी अच्छी तरह से तय किया गया है कि प्रावधानों को सामंजस्यपूर्ण रूप से पढ़ा जाना चाहिए

उन्हें प्रभावी बनाएं और विधायी इरादे को प्रभावी बनाएं। वर्तमान मामले में, आवश्यक निहितार्थ का उक्त व्याख्यात्मक साधन उन संशोधनों के रूप में लागू होगा, जो वर्तमान मामले की तरह प्रमुख या मूल प्रकृति के हो सकते हैं, विकास नियमों के नियम *4,8,9* और *10* का पालन और पालन करना चाहिए। अन्यथा, एक विसंगत स्थिति उत्पन्न होगी

€ 997 7 सूरी वी. दिल्ली विकास प्राधिकरण और

ओआरएस। *[* संजीव खन्ना, जे।*]*

उन संशोधनों की अनुमति देना जिनका दूरगामी प्रभाव पड़ता है

योजना के मूल अधिनियमन के लिए निर्धारित कठोरता का पालन किए बिना योजना के अधिनियमन के बाद बनाया जा रहा है।

सामान्य खंड अधिनियम की धारा *21* में कहा गया है:

"जारी करने की शक्ति, अधिसूचनाओं, आदेशों, नियमों या उप-कानूनों को जोड़ने, संशोधित करने, बदलने या रद्द करने की शक्ति को शामिल करने की शक्ति-जहां किसी केंद्रीय अधिनियम या विनियमों द्वारा अधिसूचनाएं, आदेश, नियम या उप-कानून जारी करने की शक्ति प्रदान की जाती है, तो उस शक्ति में एक शक्ति शामिल है, जो उसी तरह से प्रयोग की जा सकती है और उसी तरह की मंजूरी और शर्तों *(*यदि कोई हो*)* के अधीन, इस तरह जारी की गई किसी भी अधिसूचना, आदेश, नियम या उप-कानूनों में जोड़ने, संशोधन करने, बदलने या रद्द करने की शक्ति है।

इस धारा का अधिदेश लागू होगा क्योंकि धारा *11*-ए में स्पष्ट रूप से या निहित रूप से कुछ भी नहीं है जो मिटाने का प्रयास करता है। या सार्वजनिक सुनवाई की आवश्यकता को भी सीमित कर दें। मौन बना रहता है।

विकास नियमों के नियम *4,8,9* और *10* की प्रयोज्यता में बाधा डालना। बल्कि धारा *21* के संदर्भ में, मौन लागू होता है।

इन नियमों की प्रयोज्यता। असंगतता परीक्षा है। दूसरे शब्दों में, धारा *11* ए के तहत मास्टर प्लान को जोड़ने, संशोधित करने, सत्यापित करने या रद्द करने की शक्ति विकास अधिनियम और विकास नियमों द्वारा आवश्यक सार्वजनिक सुनवाई की शर्तों के अधीन है, जैसा कि वे मास्टर प्लान या क्षेत्रीय विकास योजना के अधिनियमन के लिए निर्धारित करते हैं। योजना को संशोधित करने की प्रक्रिया को प्रक्रिया का पालन करना होगा क्योंकि यह लागू होगी।

प्रारंभिक योजना को अनुमोदित और संशोधित करना। अतः इसके लिए एक योजना का संशोधन, बी. ओ. ई. एच. का गठन किया जाना चाहिए और सुनवाई उन लोगों को दी जानी चाहिए जिन्होंने प्रस्तुत किया है

विचाराधीन प्रस्ताव पर अभ्यावेदन, सुझाव और आपत्तियाँ। विकास अधिनियम की धारा *11*-ए के तहत किसी योजना का कोई संशोधन या संशोधन नियम *4,8* और *9* में निर्धारित प्रक्रिया के विपरीत है।

कमला प्रसाद खेतान बनाम में सामान्य खंड अधिनियम। संघ *52* इस न्यायालय ने कहा था कि केंद्रीय अधिनियम के तहत आदेश जारी करने की शक्ति में संशोधन करने की शक्ति शामिल है।

एक आदेश, लेकिन यह शक्ति एक महत्वपूर्ण के अधीन है

समान रूप से प्रयोग करने योग्य शब्दों में निहित योग्यता

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

समान मंजूरी और शर्तों के अधीन *(*यदि

कोई भी*)* '। इसलिए, संशोधन या संशोधन आदेश को मूल आदेश के समान ही बनाया जाना चाहिए और यह उन्हीं शर्तों के अधीन है जो इसके निर्माण को नियंत्रित करती हैं। मूल आदेश। अनुसूचित जाति और कमजोर वर्ग में

अनुभाग कल्याण संघ बनाम। कर्नाटक राज्य, *5 3*

इस न्यायालय ने इसके तहत जारी एक अधिसूचना को रद्द कर दिया कर्नाटक स्लम क्षेत्र *(*सुधार और निकासी*)* अधिनियम, *1973*, जिसने मूल अधिसूचना को रद्द कर दिया था और इस तरह स्लम क्षेत्र को कम कर दिया था। पहले के निर्णयों का उल्लेख करने के बाद, यह देखा गया कि सामान्य खंड अधिनियम की धारा *21* लागू होगी क्योंकि संबंधित प्रावधान की विषय वस्तु, संदर्भ या प्रभाव में कुछ भी नहीं था ताकि धारा *21* के आवेदन के साथ असंगत हो क्योंकि अधिसूचना जारी करने की प्रक्रिया की आवश्यकता थी और इसका उपयोग प्रभावित पक्षों को सुनने के बाद ही किया जा सकता था। यह था।

अभिनिर्धारित किया कि संशोधन और पुनः घोषणा के लिए भी इसी प्रक्रिया का पालन करने की आवश्यकता होगी। यह देखा गया कि व्यक्तिगत सुनवाई का नियम प्रत्येक नागरिक को राज्य की मनमानी शक्ति से बचाने के लिए शामिल किया गया था

या उसके अधिकारी और कानून द्वारा अनिवार्य है क्योंकि यह कर्तव्य है

राज्य न्यायिक रूप से कार्य करे।

समकालीन व्याख्या का सिद्धांत लागू होता है क्योंकि उत्तरदाताओं ने अतीत में इसका पालन किया है और लागू किया है विकास अधिनियम की धारा *11*-ए के तहत योजनाओं में संशोधन के प्रस्तावों पर विचार करते हुए विकास नियम *4,8,9* और *10*। धारा *11* ए की व्याख्या पर अधिकारियों ने माना है कि नियम *4,8,9* और *10* अधिनियम की धारा *11*-ए के संदर्भ में किए गए संशोधनों पर लागू होंगे। उक्ति 'समकालीन प्रदर्शनी'

कानून का निष्पादन वजन देकर स्वीकार किया जाना चाहिए जब तक कि यह स्पष्ट रूप से गलत न हो, इस मामले में यह होना चाहिए पलट गया। अधिकारियों द्वारा दिया गया निर्माण जिसका

सी *604 7* सूरी वी। दिल्ली विकास प्राधिकरण और

ओआरएस। *[* संजीव खन्ना, जे।*]*

कर्तव्य यह है कि किसी अधिनियम का अर्थ लगाना, उसे लागू करना और लागू करना अत्यधिक प्रेरक है, हालांकि जब अदालत को लगता है कि यह एक त्रुटि का मामला है, तो वह इस तरह के निर्माण का पालन करने से इनकार कर सकती है। जी. पी. सिंह ने द प्रिंसिपल्स ऑफ स्टैच्युटरी इंटरप्रिटेशन *(14* वां संस्करण*)* में समझाया है कि क़ानून के तहत विकसित उपयोग और अभ्यास निर्माण के लिए एक बाहरी व्याख्यात्मक सहायता के रूप में समकालीन राय द्वारा इसके शब्दों के लिए दिए गए अर्थ का संकेत है। हालांकि, यह शर्त के अधीन है कि अदालत को सच देने से नहीं रोका जाता है

मास्टर प्लान का संशोधन, भाषा के साथ-साथ विकास अधिनियम की भावना के लिए भी प्रतिकूल है। जिस पर इसके विपरीत, प्राधिकरण और केंद्र सरकार द्वारा समकालीन स्पष्टीकरण द्वारा नियम *4,8,9* और *10* के अनुप्रयोग को स्वीकार कर लिया गया है। हम सहमत हैं कि समकालीन प्रदर्शनी के सिद्धांत की सीमाएँ हैं जब

कानून पुराने हैं क्योंकि यह सिद्धांत साक्ष्य अधिनियम, *1872* और टेलीग्राफ अधिनियम, *1885* पर लागू नहीं किया गया है।

फिर भी, वर्तमान मामले में, दी गई व्याख्या

ऊपर दी गई व्याख्या के अनुरूप है

उत्तरदाता, अर्थात वे अधिकारी जिन्होंने बनाया था

उत्तरदाताओं द्वारा अपनाई गई प्रथा में कोई परिवर्तन या संशोधन। नियम *4,8,9* और *10* और अधिनियम की धारा *11*-ए के तहत संशोधनों के लिए उनका आवेदन भी प्रक्रियात्मक वैध के सिद्धांत द्वारा शासित होगा। अपेक्षा जिसका नियोजन कानून में विशेष अनुप्रयोग हो। हाल ही में, इस न्यायालय ने झारखंड राज्य बनाम. ब्रह्मपुत्र मेटालिक्स लिमिटेड सिविल, *54* ने अंग्रेजी कानून का उल्लेख करके वैध अपेक्षा के सिद्धांत का विस्तार से उल्लेख किया है, जिनमें से कुछ को नीचे उद्धृत किया गया है, यह देखने के लिए कि भारतीय न्यायशास्त्र में कुछ सैद्धांतिक भ्रम दिखाई देता है जिन्हें ठीक करने की आवश्यकता है। सिद्धांत का अर्थ है कि सार्वजनिक प्राधिकरणों को इसके द्वारा बाध्य किया जाना चाहिए

प्रतिनिधित्व क्योंकि नागरिक अपना जीवन जीना जारी रखते हैं राज्य में उनके विश्वास के आधार पर। जब सार्वजनिक अधिकारी बिना उनके अभ्यावेदन का पालन करने में विफल रहते हैं

पर्याप्त कारण प्रदान करते हुए, यह द्वारा व्यक्त विश्वास का उल्लंघन करता है

राज्य के नागरिक। के सिद्धांत का आधार वैध अपेक्षा तर्कसंगतता और निष्पक्षता है,

जिसे अस्वीकार करना सत्ता का दुरुपयोग हो सकता है। द.

सार्वजनिक प्राधिकरण के खिलाफ उपायों को आम जनता के हित को भी ध्यान में रखना चाहिए जिसे प्राधिकरण बढ़ावा देना चाहता है। वैध अपेक्षा से इनकार किया जाता है जब

एक मामले में यह एक ऐसे अधिकार से इनकार करने के बराबर है जिसकी गारंटी है, या मनमाना, भेदभावपूर्ण, अनुचित या पक्षपातपूर्ण या शक्ति का घोर दुरुपयोग है या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है ताकि संविधान के अनुच्छेद *14* को आकर्षित किया जा सके। हालाँकि, बिना किसी और चीज़ के केवल वैध अपेक्षा वास्तव में इन सिद्धांतों को लागू करने का अधिकार नहीं दे सकती है। इसका मतलब यह है कि सार्वजनिक प्राधिकरण अपने में निहित शक्तियों के साथ तेजी से और ढीला नहीं खेल सकते हैं जिनका उपयोग व्यापक सार्वजनिक और सामाजिक हितों में किया जाना है। प्रत्येक प्राधिकारी उस उद्देश्य को प्रभावी बनाने के लिए यथोचित और सद्भावना से शक्ति का प्रयोग करने के लिए एक कानूनी दायित्व के तहत है जिसके लिए शक्तियां प्रदान की गई थीं। इस संदर्भ में, वैध कारणों के लिए सद्भावना,

अर्थात्, उद्देश्य के लिए प्रामाणिक और कोई अन्य नहीं। इसमें

जिस तरह से, वैध अपेक्षा एक तरीका है जिसमें

संवैधानिक कानून अनुच्छेद *14* के तहत निहित गैर-मनमानेपन की गारंटी देता है। प्रक्रियात्मक वैध अपेक्षा मूल वैध अपेक्षा से अलग है जैसा कि आर *(*भट्ट मर्फी*)* और अन्य बनाम में समझाया गया है। स्वतंत्र निर्धारक *55*, प्रक्रियात्मक अपेक्षा के रूप में उत्पन्न होता है जहां एक सार्वजनिक प्राधिकरण ने एक स्पष्ट आश्वासन प्रदान किया है, चाहे वह व्यक्त वादे के माध्यम से हो या स्थापित अभ्यास के माध्यम से जो वह देगा।

जब तक कि इसके विपरीत कानूनी कर्तव्य न हो या सार्वजनिक हित का विरोध करना जिसके लिए व्यक्त किए गए वादे या स्थापित प्रथा से अलग होने की आवश्यकता होती है। बाद में

दिल्ली विकास प्राधिकरण और

ओआरएस। *[*संजीव खन्ना, जे।*]*

मामला, यानी प्रस्थान के मामले में, जिम्मेदारी होगी

इस तरह के प्रस्थान को उचित ठहराने का अधिकार। प्रक्रियात्मक वैध अपेक्षा के सिद्धांत को लागू करने का कारण न केवल उन निर्णयों की जांच करना है जिनका कठोर प्रभाव हो सकता है, या अनुचितता या शक्ति के

दुरुपयोग को रोकना है, बल्कि सुशासन के सिद्धांत को लागू करना है, यानी सार्वजनिक निकायों को जनता के साथ सीधे और लगातार व्यवहार करना चाहिए। यह सार्वजनिक निर्णय लेने का एक वस्तुनिष्ठ मानक है जिस पर अदालतें जोर देंगी। प्रक्रियात्मक वैध अपेक्षा प्रभावित नहीं होती है और आवेदन में वही बाधाएं होती हैं जो अदालतों का सामना तब होता है जब पक्ष पहले के परिवर्तन या उन्मूलन को चुनौती देने वाली सरकार या सार्वजनिक प्राधिकरण के खिलाफ ठोस वैध अपेक्षा का आह्वान करते हैं।

इस तरह का परिवर्तन वेड्सबरी के सिद्धांत से प्रभावित होता है अनुचितता, आदि इसलिए, आम तौर पर मूल वैध अपेक्षा शायद ही कभी राहत में परिणाम देती है जब तक कि

आश्वस्त किया। ऐसे मामलों में भी, मूल वादा बाध्यकारी नहीं हो सकता है यदि यह अधिकार से बाहर है या प्राधिकरण पर लगाए गए वैधानिक कर्तव्यों के साथ असंगत है। तीसरी श्रेणी वैध अपेक्षा दूसरे से संबंधित है और भट्ट मर्फी के मामले में 'प्रक्रियात्मक अपेक्षा के द्वितीयक मामले' के रूप में वर्णित किया गया था जो उन स्थितियों में लागू होता है जहां, बिना किसी स्पष्ट वादे के, सार्वजनिक प्राधिकरण ने किसी व्यक्ति को काफी हद तक प्रभावित करने वाली नीति स्थापित की है या

जिन व्यक्तियों ने उचित रूप से इसकी निरंतरता पर भरोसा किया है, वे कर सकते हैं

हम अपने विचार प्रस्तुत करने और विरोध करने के अधिकार का दावा करते हैं इसे वापस लेने से पहले प्रस्तावित परिवर्तन। वर्तमान मामले में हम दूसरी और तीसरी श्रेणी से संबंधित नहीं हैं।

लेकिन पहली श्रेणी के साथ, यानी प्रक्रियात्मक वैध

उम्मीद है। यह सिद्धांत अक्सर तब लागू किया जाता है जब परामर्श की कमी होती है जिसके परिणामस्वरूप प्रक्रियात्मक वादों या नगरपालिका कानून में स्थापित प्रथा का पालन करने में विफलता होती है जैसा कि आर *(*माजिद*) v* में आयोजित किया गया है। लंदन बरो ऑफ

कैमडेन, और आर *(*केली*)* बनाम। लंदन बरो ऑफ

हाउंस्टन ", जहाँ दावेदार को समिति की बैठक की तारीख के बारे में समय पर सूचित नहीं किया गया था और आर में *(* विएरा के आवेदन पर*) v.* लंदन बरो ऑफ

कैमडेन *58*, जो अनुदान से संबंधित मामला था

एक संरक्षणालय के लिए पूर्वव्यापी योजना अनुमति और

एक स्थानीय प्राधिकरण द्वारा एक इमारत के लिए, जिसे ध्वस्त कर दिया गया था। आधारों में दस्तावेज़ और रिपोर्ट बनाने में विफलता शामिल थी।

पैनल के समक्ष टिप्पणी के लिए वेबसाइट पर उपलब्ध
सदस्यों के ब्रीफिंग के लिए प्रकाशित प्रक्रिया में बताई गई बैठकें और बयान और आवश्यकता है कि 'सदस्यों के ब्रीफिंग पैनल' से परामर्श किया जाएगा कि क्या

आवेदन को समिति के पास भेजा जाना चाहिए

योजना प्रोटोकॉल में इंगित, के लिए प्रक्रिया सदस्यों को
ब्रीफिंग और इसकी वेबसाइट। महत्वपूर्ण रूप से, इस मामले में,

स्थानीय प्राधिकरण का निवेदन कि भले ही उसने कार्रवाई की हो
गैरकानूनी रूप से, राहत के आधार पर इनकार किया जाना चाहिए

आपत्ति करने में दावेदार की सफलता की कम संभावनाएँ

निम्नलिखित कारणों से योजना की अनुमति को अस्वीकार कर दिया गया था:

"116. एक रद्द करने के आदेश को केवल तभी अस्वीकार किया जाना चाहिए जब यह अपरिहार्य हो कि सही प्रक्रियाओं का पालन किया गया होता तो परिणाम समान होता।
*(*कोपलैंड*)* वी। लंदन बरो ऑफ टावर हैमलेट्स, *(2011)* जे. पी. एल. *40* पैरा *36,37* में स्मिथ बनाम का हवाला देते हुए। नॉर्थ डर्बीशायर प्राइमरी केयर ट्रस्ट *(2006)* ई. डब्ल्यू. सी. ए. सिविल *1291,* प्रति मई

एलजे एट *(10):*

वही और अदालत को अनजाने में भटकना नहीं चाहिए
निर्णय लेने की प्रक्रिया की औचित्य की समीक्षा करने के अपने उचित प्रांत से निर्णय के पर्याप्त गुणों का मूल्यांकन करने के निषिद्ध क्षेत्र में।

117. वर्तमान मामले में इच्छुक पार्टी ने नई संरक्षणात्मक प्रवर्तन कार्रवाई का निर्माण किया। यह है योजना

योजना में संशोधन के लिए सदस्यों के प्रारंभिक अनुरोध में चिंताओं को मान्यता दी गई है। वहाँ बाकी है

वी. एच. सी. सिविल *1256*

वीएचसी *287* राजीव सूरी बनाम। दिल्ली विकास प्राधिकरण और

ओआरएस। *[*संजीव खन्ना, जे।*]*

सवाल यह है कि क्या वे संशोधन योजना को स्वीकार्य बनाते हैं, या क्या कोई वैकल्पिक समाधान है।

118. मेरे निर्णय में, यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें राहत देने से इनकार करना उचित होगा। मैं आदेश देता हूँ कि अनुदान

योजना बनाने की अनुमति रद्द कर दी जानी चाहिए और इस पर फिर से विचार किया जाना चाहिए।

कानून के अनुसार "।

54. हमने प्रक्रियात्मक वैध के सिद्धांत का उल्लेख किया है।

केवल अधिनियम की धारा *11*-ए के तहत योजना के संशोधन के लिए उनकी प्रयोज्यता पर नियम *4,8,9* और *10* की हमारी व्याख्या को सुदृढ़ करने की अपेक्षा है क्योंकि वैध अपेक्षा तब लागू होती है जब कोई वैधानिक आवश्यकता नहीं होती है। यदि वैधानिक आवश्यकता का उल्लंघन होता है तो उल्लंघन को ही कार्यवाही का विषय बनाया जा सकता है। वैध

अपेक्षा तब लागू होती है जब कानून द्वारा आवश्यक से अधिक करने का कोई वादा या अभ्यास होता है। पृष्ठ *458* पर प्रशासनिक कानून *(*एच. डब्ल्यू. आर. वेड और सी. एच. फोर्सिथ*)* के *11* वें संस्करण में भी यह विचार व्यक्त किया गया है कि वैध अपेक्षा का सिद्धांत इस प्रकार प्रक्रियात्मक संरक्षण का विस्तार करता है जो अन्यथा लागू होगा। यह बढ़ाता है लेकिन निष्पक्ष रूप से कार्य करने के कर्तव्य को प्रतिस्थापित नहीं करता है।

55. वर्तमान मामले में मुख्य मुद्दा यह है कि क्या

उत्तरदाताओं ने जनता से परामर्श करने के अपने कर्तव्य का पालन किया है, निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया है और सक्षम प्राधिकारी ने विकास अधिनियम और विकास नियमों के संदर्भ में संशोधन/संशोधन करने का कार्य किया है। हम प्रस्ताव के गुण-दोष से चिंतित नहीं हैं। द.

पैराग्राफ *1* में लिखित प्रस्तुतियों के पहले वाक्य में उत्तरदाताओं ने निम्नानुसार कहा है:

"1. शुरुआत में, यह प्रस्तुत किया जाता है कि सेंट्रल विस्टा का वर्तमान व्यापक खंडीय विकास एक संप्रभु नीति का हिस्सा है
स्थान की वर्तमान और भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, ताकि कम किया जा सके

पारिस्थितिकी के संदर्भ में विशेष क्षेत्र के आसपास के मुद्दे

प्रभाव और भारतीय लोकतंत्र के वास्तुशिल्प दिल को बनाए रखने के लिए

गौरव को बनाए रखते हुए समय की बदलती जरूरतों के साथ गति करें

अतीत से "। वाक्य का अंतिम भाग 'परिकल्पित' से शुरू होकर

'अतीत की महिमा उत्तरदाताओं के रुख का प्रतिनिधित्व करती है। हालांकि, यह तर्क कि सेंट्रल विस्टा का व्यापक खंड विकास संप्रभु नीति का एक हिस्सा है, संशोधन और स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। द.

संप्रभुता भारत के लोगों के पास है जिन्होंने *[2021] 15* एस. सी. आर. लागू किए हैं और दिए हैं।

56. इस स्तर पर, दिल्ली विकास अधिनियम की धारा *45* का उल्लेख करना भी उचित होगा जो यह अनिवार्य करता है कि जहां कोई नोटिस, अधिनियम या उसके तहत बनाए गए किसी भी नियम, विनियमन के तहत जारी या बनाए गए आदेश या दस्तावेज के लिए कुछ भी करने की आवश्यकता होती है जिसके लिए अधिनियम के तहत कोई समय निर्धारित नहीं है, नोटिस, आदेश या दस्तावेज ऐसा करने के लिए उचित समय निर्दिष्ट करेगा। याचिकाकर्ता ने लिखित रूप में रिकॉर्ड रखा है

3 फरवरी की सार्वजनिक सूचना पर आपत्तियां उठाते हुए संचार। *2020* सुनवाई *6/7* फरवरी, *2020* के लिए तय की गई, क्योंकि इसने सुनवाई की तैयारी करने और व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए उचित समय नहीं दिया। यहां यह ध्यान दिया जा सकता है कि उत्तरदाताओं ने यह भी कहा है कि ई-मेल *3* और *4* फरवरी, *2020* को *1292* विरोधियों को उनके द्वारा दिए गए ई-मेल पते पर भी भेजे गए थे। इन दोनों तिथियों पर केवल बयालीस *(42)* व्यक्ति जांच और सुनवाई मंडल के समक्ष उपस्थित हुए थे।

57. रिट याचिकाकर्ताओं के अनुसार, *3* फरवरी, *2020* का सार्वजनिक नोटिस *5* फरवरी, *2020* को समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया था। यह भी है उन्होंने कहा कि *6* और *7* फरवरी, *2020* को सार्वजनिक सुनवाई के संबंध में ईमेल *4* फरवरी, *2020* की शाम और *5* फरवरी, *2020* की दोपहर को प्राप्त हुए थे, जिससे उन्हें उचित तैयारी के बाद उपस्थित होने और अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए शायद ही कोई समय मिला। रिट याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि यह इनकार करता है और उन्हें मौखिक सुनवाई के समय पूर्ण और उचित प्रतिनिधित्व करने से रोकता है। इसलिए, नोटिस में उन लोगों को कोई विकल्प नहीं दिया गया जिन्होंने अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया था।

आपत्तियाँ/सुझाव उनके पूर्व को रद्द करने और त्यागने के अलावा व्यवस्था करें और अपनी यात्रा की व्यवस्था भी करें, जो कई राजीव सूरी बनाम में है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण और

ओआरएस। *[* संजीव खन्ना, जे।*]*

59. अब हम *9* मार्च *2020* को सेंट्रल विस्टा समिति *(*समिति*)* द्वारा दी गई अनुमति की ओर रुख करेंगे। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि उक्त अनुमति को केवल औपचारिकता तक सीमित कर दिया गया था क्योंकि समिति ने प्रस्ताव पर अपना दिमाग नहीं लगाया। प्रत्यर्थियों ने प्रस्तुत किया है कि समिति एक वैधानिक निकाय नहीं है और इसलिए प्रशासनिक निर्णय लेने के सिद्धांत उस पर लागू नहीं होते हैं। याचिकाकर्ता ने इस तर्क का खंडन करते हुए कहा कि हालांकि समिति है

एक सांविधिक निकाय नहीं है, इसमें एक सांविधिक निकाय के गुण हैं। याचिकाकर्ताओं ने इस रुख को मजबूत करने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ व्यापक वास्तुकला और विकास के लिए परामर्श सेवाओं के लिए निविदा/सूचना आमंत्रित करने पर भरोसा किया है।

नई दिल्ली में संसद भवन, सामान्य केंद्रीय सचिवालय और सेंट्रल विस्टा के विकास/पुनर्विकास के लिए इंजीनियरिंग योजना। एन. आई. टी. सं. *04/*सी. पी. एम./आर. पी. जेड./एन. आई. टी./*2019.* निविदा शर्त के खंड *4* में प्रावधान है कि "सलाहकार को सेंट्रल विस्टा का पालन करना चाहिए।

सेंट्रल विस्टा के पुनर्विकास के लिए परामर्श कार्य करते हुए समिति के दिशानिर्देश और लुटियंस बंगला क्षेत्र के दिशानिर्देश। याचिकाकर्ताओं ने यह भी बताया है कि राष्ट्रीय युद्ध संग्रहालय के लिए बोलियां आमंत्रित करने के नोटिस में समिति को इसी तरह का बाध्यकारी दर्जा दिया गया था। याचिकाकर्ताओं ने जोन डी के लिए क्षेत्रीय विकास योजना पर भरोसा किया है, जो प्रत्यायोजित कानून का एक हिस्सा है। खंड *6.4. 3 (vii)* इस क्षेत्रीय विकास योजना में प्रावधान है कि "डीयूएसी और सेंट्रल विस्टा समिति के परामर्श से इस प्रतिष्ठित क्षेत्र *(*राष्ट्रपति संपदा/उत्तर और दक्षिण ब्लॉक/संसद भवन, आदि*)* के लिए अध्ययन का एक विस्तृत रूप लिया जाना चाहिए।" याचिकाकर्ताओं का कहना है कि निविदा सूचनाओं और विकास योजनाओं में ये प्रावधान दर्शाते हैं कि समिति वैधानिक निकायों द्वारा किए गए सार्वजनिक कार्यों को करती है, और इसलिए प्रशासनिक निर्णय लेने के सिद्धांत *[2021] 15* एस. सी. आर. हैं।

लागू होता है। क्षेत्रीय विकास योजनाएं वैधानिक और बाध्यकारी हैं। इन्हें एक अर्ध-विधायी अभ्यास द्वारा तैयार किया जाता है। *60. 9* मार्च, *2020* को हुई बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार, समिति द्वारा निम्नलिखित टिप्पणियां की गईं:

"एलएंडडीओ और एचसीपी के प्रतिनिधियों ने सेंट्रल विस्टा समिति को भूमि उपयोग में बदलाव का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की सूची अनुलग्नक में दी गई है।
श्री दिव्या खुश, सदस्य, सी. वी. सी. और अध्यक्ष आई. आई. ए. ने अपने संदेश के माध्यम से उनके द्वारा व्यक्त किए गए अपने विचारों को पढ़ने का अनुरोध किया।

समिति। सदस्य सचिव ने सभी को यही पढ़ा।

बैठक में समिति के सदस्य।

समिति का विचार था कि प्रस्ताव रखा गया था

चर्चा केवल भूमि उपयोग में परिवर्तन के लिए थी।

विस्तृत विचार-विमर्श के बाद समिति ने सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन देने का निर्णय लिया क्योंकि भूमि उपयोग में परिवर्तन की प्रक्रिया सक्षम अधिकारियों द्वारा शुरू की गई थी। तदनुसार, भूमि उपयोग में परिवर्तन की अंतिम मंजूरी के बारे में सूचित किया जा सकता है।

समिति।

हालांकि, भारतीय संस्थान का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सदस्य
वास्तुकार अपनी सहमति देने से पहले इस मामले पर विस्तृत तथ्य चाहते थे।

उपरोक्त कार्यवृत्त का पढ़ना मन के निष्पक्ष और स्वतंत्र अनुप्रयोग को नहीं दर्शाता है। समिति ने तय किया था कि

सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन "चूंकि भूमि उपयोग में परिवर्तन की प्रक्रिया सक्षम अधिकारियों द्वारा शुरू की गई थी" और फिर "तदनुसार, भूमि उपयोग में परिवर्तन के लिए अंतिम अनुमोदन को सूचित किया जा सकता है"।

भारतीय वास्तुकार संस्थान का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य ने इसके बारे में विस्तृत तथ्य मांगे थे। बात है। उनके अनुरोध को नजरअंदाज कर दिया गया। स्पष्ट रूप से जानकारी की कमी के पहलू पर कोई चर्चा नहीं हुई है। 'सिद्धांत रूप में' शब्द का उपयोग संकेतात्मक है, यदि अस्थायीता को प्रतिबिंबित नहीं करता है, जैसे कि यह एक दृढ़ राय की अभिव्यक्ति नहीं थी। समिति की राय और सलाह निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण है। सेंट्रल विस्टा में किसी भी पुनर्विकास/परिवर्तन के लिए उनकी सलाह को समान रूप से लिया गया है और उसका पालन किया गया है।

61. रिट याचिकाकर्ताओं ने बताया है कि *24* मार्च *2020* को कोविड-*19* महामारी के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लगाया गया था

आवाजाही पर सख्त प्रतिबंध लगाना। फिर भी, राजीव सूरी बनाम की एक बैठक।

दिल्ली विकास प्राधिकरण और

ओआरएस। *[* संजीव खन्ना, जे।*]*

23 अप्रैल *2020* को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से "प्लॉट *No.118,* नई दिल्ली में प्रस्तावित नए संसद भवन" के एजेंडे के साथ समिति का आयोजन किया गया और 'कोई आपत्ति नहीं' दी गई। *30* अप्रैल *2020* को प्रकाशित बैठक के कार्यवृत्त में कोई कारण नहीं दिया गया है और न ही वे विचार की गई सामग्री और आयोजित चर्चा का कोई विवरण देते हैं। उल्लेखनीय है कि समिति का अधिदेश सेंट्रल विस्टा और सचिवालय परिसर के विकास पर सरकार को सलाह देने के लिए वास्तुकारों और नगर योजनाकारों को शामिल करना है। हालांकि, चार स्वतंत्र प्रतिनिधि, अर्थात् *(i)* भारतीय वास्तुकार संस्थान के अध्यक्ष; *(ii)* भारतीय वास्तुकार संस्थान *(*उत्तरी अध्याय*)* के प्रतिनिधि; *(iii)* नगर योजनाकार संस्थान, भारत के अध्यक्ष; और *(iv)* प्रतिनिधि।

इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स, भारत, अनुपस्थित थे और उन्होंने भाग नहीं लिया। यहां तक कि एन. डी. एम. सी. के मुख्य वास्तुकार भी उपस्थित नहीं थे। इसलिए,

केवल सरकार के प्रतिनिधि, निदेशक दिल्ली प्रभाग,

2.3. 3 विरासत संरक्षण समिति और *7.26* राज्यों सहित बाहरी एजेंसियों से पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता/कोई आपत्ति नहीं धरोहर भवनों, धरोहर परिसरों और विशिष्ट क्षेत्रों सहित धरोहर स्थलों के संरक्षण का प्रावधान अनुलग्नक *II* के अनुसार होगा। दूसरे शब्दों में, अनुलग्नक *II* बाध्यकारी और अनिवार्य है।

63. दिल्ली के एकीकृत उप-कानूनों के लिए अनुलग्नक-*II,* उद्देश्य को प्रभावी बनाता है और स्पष्ट और सख्त मानदंडों को निर्दिष्ट करके प्रस्ताव करता है जो *[2021] 15* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

धरोहर स्थल, जिसमें धरोहर भवन, धरोहर परिसर और प्राकृतिक स्थल शामिल हैं।

पुनः क्षेत्र। अनुलग्नक *II* के प्रासंगिक भागों में लिखा है:

" *1.* धरोहर सहित धरोहर स्थलों का संरक्षण

भवन, विरासत/क्षेत्र और प्राकृतिक विशेषताएँ

क्षेत्र *(*कृपया इस दस्तावेज़ के खंड *2.18.2* और *7.26* देखें*)*

धरोहर स्थलों के संरक्षण में इमारतें, कलाकृतियां, संरचनाएं, क्षेत्र और ऐतिहासिक, सौंदर्य, वास्तुकला, सांस्कृतिक या पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण *(*धरोहर इमारतें और इमारतें*)* शामिल होंगे। विरासत परिसर*)*, पर्यावरण के प्राकृतिक विशेषता वाले क्षेत्र

प्राकृतिक सुंदरता के महत्व या स्थल।

1.1 . लागू करने योग्यः यह विनियमन विरासत स्थलों पर लागू होगा जिसमें वे इमारतें, कलाकृतियां, संरचनाएं, सड़कें शामिल होंगी।

ऐतिहासिक, वास्तुशिल्प, सौंदर्य, सांस्कृतिक या पर्यावरणीय मूल्य के क्षेत्र और परिसर *(*इसके बाद सूचीबद्ध विरासत भवनों/सूचीबद्ध विरासत क्षेत्रों के रूप में संदर्भित*)* और पर्यावरणीय महत्व या प्राकृतिक सुंदरता के वे प्राकृतिक विशेषता वाले क्षेत्र जिनमें पवित्र उपवन, पहाड़ियां, पहाड़ी, जल निकाय *(*और उससे सटे क्षेत्र*)*, खुले क्षेत्र, जंगली क्षेत्र, बिंदु, पैदल यात्रा, सवारी, लगाम लगाने वाले रास्ते *(*इसके बाद 'सूचीबद्ध प्राकृतिक विशेषता वाले क्षेत्र' के रूप में संदर्भित*)* शामिल हैं, जिन्हें अधिसूचना *(*क्षेत्रों*)* में सूचीबद्ध किया जाएगा। सरकार द्वारा जारी/एम. पी. डी. में चिन्हित।

1.1. 1 परिभाषाएँ:

*(*क*)* "विरासत भवन" का अर्थ है और इसमें एक या अधिक परिसरों या उसके किसी भाग की कोई भी इमारत और/या संरचना और/या कलाकृति शामिल है जिसके लिए ऐतिहासिक और/या पर्यावरण और/या वास्तुकला और/या कारीगर और/या सौंदर्य और/या सांस्कृतिक और/या पर्यावरण और/या पारिस्थितिक उद्देश्य के लिए संरक्षण और/या संरक्षण की आवश्यकता होती है और इसमें ऐसी इमारत या उसके हिस्से से सटे भूमि का ऐसा हिस्सा शामिल है जो बाड़ लगाने या ढकने के लिए या किसी भी तरह से ऐसी इमारत के ऐतिहासिक और/या वास्तुकला और/या सौंदर्य और/या सांस्कृतिक मूल्य को संरक्षित करने के लिए आवश्यक हो।

*(*बी*)* "विरासत परिसर" का अर्थ है और इसमें कोई भी स्थान शामिल है जिसके लिए ऐतिहासिक और/या वास्तुकला और/या सौंदर्य और/या सांस्कृतिक और/या पर्यावरण और/या पारिस्थितिक उद्देश्य के लिए संरक्षण और/या संरक्षण की आवश्यकता होती है। ऐसी जगह दीवारों या अन्य चीज़ों से घिरी हो सकती है।
किसी विशेष क्षेत्र या स्थान या भवन की सीमाएँ या

इसके चारों ओर काल्पनिक रेखा खींची गई है।

अजीव सूरी बनाम। दिल्ली विकास प्राधिकरण और

ओआरएस। *[*संजीव खन्ना, जे।*]*

एक्सएक्स

XX

XX

1.2 धरोहर भवनों के मालिकों की जिम्मेदारीः धरोहर परिसरों या धरोहर गलियों में धरोहर भवनों और भवनों के मालिकों का यह कर्तव्य होगा कि वे भवनों की नियमित मरम्मत और रखरखाव करें। सरकार, दिल्ली नगर निगम या संबंधित स्थानीय निकाय और प्राधिकरण ऐसी मरम्मत और रखरखाव के लिए सरकार, दिल्ली नगर निगम या अन्य स्थानीय निकायों के स्वामित्व वाली इमारतों को छोड़कर जिम्मेदार नहीं होंगे।

1.3 विकास/पुनर्विकास/मरम्मत पर प्रतिबंध

आदि।

(i) किसी भी विकास या पुनर्विकास या इंजीनियरिंग संचालन या भवन की पेंटिंग सहित परिवर्धन/परिवर्तन, मरम्मत, नवीनीकरण, विशेष सुविधाओं का प्रतिस्थापन या उक्त सूचीबद्ध इमारतों या सूचीबद्ध परिसरों या सूचीबद्ध प्राकृतिक विशेषता क्षेत्रों के किसी भी हिस्से को प्लास्टर करने या ध्वस्त करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, सिवाय इसके कि आयुक्त, एम. सी. डी., उपाध्यक्ष डी. डी. ए. /

एन. डी. एम. सी. के अध्यक्ष। इस तरह की अनुमति देने से पहले एजेंसी

संबंधित सरकार द्वारा नियुक्त विरासत संरक्षण समिति से परामर्श करेगा और विरासत संरक्षण समिति की सलाह के अनुसार कार्य करेगा।

((ii) बशर्ते कि, सूचीबद्ध इमारतों *(*या सूचीबद्ध सड़कों या परिसरों के भीतर की इमारतों या किसी भी सूचीबद्ध प्राकृतिक स्थान पर निर्माण*)* को ध्वस्त करने या बड़े बदलाव/परिवर्धन के लिए कोई अनुमति देने से पहले।

किसी भी सूचीबद्ध प्राकृतिक विशेषता क्षेत्रों की विशेषताओं या सीमाओं का परिवर्तन, जनता से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे। और विरासत संरक्षण समिति द्वारा विचार किया जाएगा।

(iii) बशर्ते कि, केवल असाधारण मामलों में, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, आयुक्त, एम. सी. डी./उपाध्यक्ष डी. डी. ए./अध्यक्ष एन. डी. एम. सी. इस मामले को पुनर्विचार के लिए विरासत संरक्षण समिति को वापस भेज सकते हैं।

हालांकि, इस तरह के पुनर्विचार के बाद विरासत संरक्षण समिति का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

1.4 दंडः नियमों का उल्लंघन अनधिकृत विकास से संबंधित प्रावधानों के तहत दंडनीय होगा। के मामले में विरासत भवनों की जानबूझकर उपेक्षा और/या क्षति साबित हुई *[2021] 15* एस. सी. आर.

और विरासत परिसर, या यदि उपेक्षा या किसी अन्य कारण से इमारत को क्षतिग्रस्त या नष्ट करने की अनुमति दी जाती है, तो संबंधित अधिनियम के तहत प्रदान की गई दंडात्मक कार्रवाई के अलावा, साइट पर किसी भी नए भवन के निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी यदि कोई विरासत है।

किसी धरोहर क्षेत्र में इमारत या इमारत को आयुक्त, एम. सी. डी./उपाध्यक्ष डी. डी. ए./अध्यक्ष एन. डी. एम. सी. से उचित अनुमति के बिना क्षतिग्रस्त या गिरा दिया जाता है।

यह विरासत संरक्षण समिति के लिए खुला होगा कि वह अनधिकृत रूप से ध्वस्त या क्षतिग्रस्त विरासत भवन के पुनर्निर्माण/पुनर्निर्माण के अनुरोध पर विचार करे, बशर्ते कि इस तरह के नए निर्माण में सभी मंजिलों में कुल निर्मित क्षेत्र मूल विरासत भवन में एक ही रूप और शैली में एक साथ रखे गए सभी मंजिलों में कुल निर्मित क्षेत्र से अधिक न हो।

1.5 धरोहर भवनों, धरोहर क्षेत्रों और सूचीबद्ध प्राकृतिक विशेषताओं सहित धरोहर स्थलों की सूची तैयार करना।

क्षेत्रः धरोहर भवनों, धरोहर क्षेत्रों और सूचीबद्ध प्राकृतिक विशेषताओं वाले क्षेत्रों सहित धरोहर स्थलों की सूची तैयार करना।

धरोहर संरक्षण समिति की सलाह पर आयुक्त एम. सी. डी./उपाध्यक्ष डी. डी. ए./अध्यक्ष एन. डी. एम. सी. द्वारा तैयार और पूरक किया जाना है। अंतिम रूप देने से पहले, जनता की आपत्तियाँ और सुझाव आमंत्रित किए जाने चाहिए और उन पर विचार किया जाना चाहिए। उक्त सूची जिस पर विनियमन लागू होता है, वह नहीं होगी।

आयुक्त, एम. सी. डी./उपाध्यक्ष-डी. डी. ए./अध्यक्ष एन. डी. एम. सी. और/या सरकार और/या विरासत द्वारा विचार किया गया संरक्षण समिति।

जब किसी भवन या भवन के समूह या प्राकृतिक विशेषता क्षेत्रों को सूचीबद्ध किया जाता है तो इसका स्वचालित रूप से अर्थ होगा *(*जब तक कि अन्यथा संकेत नहीं दिया जाता है*)* कि परिसर/भूखंड सीमा के भीतर सभी सहायक संरचनाओं और कलाकृतियों आदि के साथ इसके पूरे परिसर/भूखंड सीमा सहित पूरी संपत्ति सूची का हिस्सा बनेगी।

1.6 विकास मानदंडों में परिवर्तन/संशोधन/छूटः उक्त धरोहर संरक्षण समिति की सलाह पर ए. जे. ई. वी. सूरी बनाम.

दिल्ली विकास प्राधिकरण और

ओआरएस। *[*संजीव खन्ना, जे।*]*

सरकार द्वारा नियुक्त और दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए लिखित, आयुक्त, एम. सी. डी./उपाध्यक्ष-अध्यक्ष डी. डी. ए./अध्यक्ष

एन. डी. एम. सी. डी. डी. ए. अधिनियम, *1957* के अनुसार किसी भी विरासत के ऐतिहासिक या सौंदर्य या सांस्कृतिक या वास्तुशिल्प या पर्यावरणीय गुणवत्ता के संरक्षण या संरक्षण या प्रतिधारण के लिए यदि

आवश्यक हो तो दिल्ली के एम. पी. डी. या बिल्डिंग बाय-कानूनों में निर्धारित विकास नियंत्रण मानदंडों को बदलने, संशोधित करने या शिथिल करने के लिए प्रक्रिया का पालन करेगा।

साइट।

1.7 धरोहर क्षेत्र/प्राकृतिक विशेषता क्षेत्रः के मामले में

ऊपर दिए गए इस भवन उप-कानून संख्या *1.5* के प्रावधानों के अनुसार अधिसूचित सड़कों, परिसरों, क्षेत्रों और *(*जहां विरासत संरक्षण समिति द्वारा आवश्यक समझा जाता है*)* प्राकृतिक विशेषता वाले क्षेत्रों को विकास की अनुमति दी जाएगी।

संबंधित सड़कों, परिसरों/प्राकृतिक विशेषता क्षेत्रों के लिए निर्धारित विशेष अलग विनियमन जो आयुक्त, एम. सी. डी./उपाध्यक्ष डी. डी. ए./अध्यक्ष एन. डी. एम. सी. द्वारा बनाए जाएंगे। धरोहर संरक्षण समिति की सलाह।

परिक्षेत्र, रीट, प्राकृतिक विशेषताओं, क्षेत्रों के लिए विशेष अलग-अलग विनियमों को अंतिम रूप देने से पहले, जनता से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करने के उद्देश्य से इसका मसौदा आधिकारिक राजपत्र में और प्रमुख *1* समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाएगा।

30 दिनों की अवधि के भीतर प्राप्त सभी आपत्तियाँ और सुझाव आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से आयुक्त, एम. सी. डी./उपाध्यक्ष डी. डी. ए./अध्यक्ष एन. डी. एम. सी./विरासत संरक्षण समिति द्वारा विचार किया जाएगा।

उपरोक्त सुझावों और आपत्तियों पर विचार करने के बाद,

विरासत की सलाह पर कार्य करने वाली संबंधित एजेंसी संरक्षण समिति सड़कों, परिक्षेत्रों, क्षेत्रों और प्राकृतिक विशेषताओं के लिए अलग-अलग विनियमों के उपरोक्त मसौदे को संशोधित करेगी *(*यदि आवश्यक हो*)* और इसे अधिसूचना के लिए सरकार को भेजेगी।

1.10 क्षितिज रेखा और वास्तुकला संबंधी सामंजस्य बनाए रखना। इसके बाद

दिशा-निर्देश बनाए जाते हैं, विरासत परिसरों के भीतर या विरासत स्थलों के आसपास के भवन परिसर में क्षितिज रेखा बनाए रखेंगे और वास्तुकला शैली का पालन करेंगे *(*बिना किसी ऊँची या ऊंची इमारत के*)*।

बहु मंजिला विकास*)* जो आसपास के क्षेत्र में मौजूद हो सकता है, ताकि उक्त विरासत स्थलों के मूल्य और सुंदरता या दृश्य को कम या नष्ट न किया जा सके। *[2021] 15* एस. सी. आर. के भीतर विकास।

धरोहर स्थलों के परिसर या आसपास के क्षेत्र आयुक्त, एम. सी. डी./उपाध्यक्ष डी. डी. ए./अध्यक्ष एन. डी. एम. सी. द्वारा विरासत की सलाह पर बनाए गए दिशानिर्देशों के अनुसार होंगे।

संरक्षण समिति या अलग नियम/दिशानिर्देशः डी. डी. ए./एन. डी. एम. सी./एम. सी. डी. द्वारा संबंधित क्षेत्रों के लिए निर्धारित, यदि कोई हो।

1.11 प्रतिबंधात्मक करारः तारीख तक मौजूद प्रतिबंध

सरकार या दिल्ली नगर निगम या दिल्ली विकास प्राधिकरण या नई दिल्ली नगर परिषद द्वारा पट्टे पर दिए गए भूखंडों पर समझौतों, नियमों और शर्तों के तहत लगाई गई यह अधिसूचना विकास नियंत्रण विनियमों के अलावा लागू की जाती रहेगी। हालाँकि, विरासत संरक्षण हित/पर्यावरण संरक्षण के साथ किसी भी संघर्ष के मामले में, यह विरासत विनियमन प्रबल होगा।

1.12 : सूचीबद्ध इमारतों/सूचीबद्ध क्षेत्रों की श्रेणीकरणः सूचीबद्ध धरोहर भवनों/सूचीबद्ध धरोहर क्षेत्रों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। इनकी परिभाषा और विकास, अनुमतियों के लिए बुनियादी दिशानिर्देश इस प्रकार हैं:

सूचीकरण स्वामित्व या उपयोग में परिवर्तन को नहीं रोकता है। हालांकि, इस तरह के सूचीबद्ध विरासत भवन/सूचीबद्ध क्षेत्रों के उपयोग में बदलाव की अनुमति विरासत की पूर्व मंजूरी के बिना नहीं है।

संरक्षण समिति। उपयोग उक्त सूचीबद्ध विरासत स्थल के अनुरूप होना चाहिए।

ग्रेड-*II*

ग्रेड-*III*

ग्रेड-*I*

विरासत श्रेणी-*III*

हेरिटेज ग्रेड-*II (*ए और बी*)*

(ए*)* परिभाषा

इसमें भवन और

इमारतें शामिल हैं

विरासत श्रेणी-*I*

और क्षेत्रीय सीमाएँ

महत्व की सीमाएँ

शहर के परिदृश्य के लिए; जो जगाता है

इसमें इमारतें और

या स्थानीय महत्व

राष्ट्रीय या

विशेष रखने वाला

वास्तुकला, सौंदर्य या

ऐतिहासिक महत्व,

समाजशास्त्रीय रुचि

वास्तुकला या सौंदर्यशास्त्र

उत्कृष्टता को मूर्त रूप देना

लेकिन उतना नहीं जितना

योग्यता, या सांस्कृतिक या

विरासत श्रेणी-*II*। ये

ऐतिहासिक महत्व

वास्तुकला शैली, डिजाइन, प्रौद्योगिकी और सामग्री

हालांकि कम पैमाने का योगदान निर्धारित करने के लिए

उपयोग और/या सौंदर्यशास्त्र;

विरासत श्रेणी-*I*। वे.

चरित्र का

वे संबंधित हो सकते हैं

स्थान और हो सकता है

स्थानीय स्थलचिह्न हैं,

जीवन शैली के प्रतिनिधि

एक महान ऐतिहासिक के साथ

जो योगदान करते हैं

छवि और पहचान

विशेष रूप से

घटना, व्यक्तित्व,

क्षेत्र। वे हो सकते हैं

आंदोलन या संस्था।

समुदाय या क्षेत्र और

भी अलग किया जा सकता है

वे थे और हैं।

कुशल कारीगरों का काम

या मॉडल हो सकते हैं

के प्रमुख स्थलचिह्न

सेटिंग द्वारा, या विशेष राजीव सूरी वी।

दिल्ली विकास प्राधिकरण और

ओआरएस। *[* संजीव खन्ना, जे।*]*

क्षेत्र। सब प्राकृतिक।

अग्रभाग का चरित्र

अनुपात और

और ऊँचाई की एकरूपता,

स्थल इसके अंतर्गत आते हैं।

अलंकरण या

ए के अनुरूप बनाया गया

चौड़ाई और पैमाना।

ग्रेड-*I*।

विशेष जलवायु।

विरासत श्रेणी-*III*

((ख) उद्देश्यः विरासत

विरासत श्रेणी-*II*

ग्रेड-मैं इसका भरपूर हकदार हूँ

बुद्धिमान होने का हकदार है।

संरक्षण *(*हालांकि एक पर

बुद्धिमान होने का हकदार है।

सावधानीपूर्वक संरक्षण करें।

ग्रेड-*II* से कम पैमाना

संरक्षण।

और विशेष सुरक्षा

((ग) परिवर्तनों का क्षेत्रः

अद्वितीय विशेषताएँ और

(ग्रेड-*II (ए)* आंतरिक

कोई हस्तक्षेप नहीं या तो अनुमति दी गई है

विशेषताएँ*)*

परिवर्तन और अनुकूली पुनः

उपयोग मोटे तौर पर हो सकता है

बाहरी या आंतरिक

विरासत श्रेणी-*III*

अनुमति है लेकिन इसके अधीन

धरोहर भवन या

प्राकृतिक विशेषताएँ जब तक कि

कड़ी जाँच। ख्याल रखेंगे।

बुद्धिमान होने का हकदार है।

संरक्षण *(*हालांकि एक पर

ब्याज में आवश्यक है

सुनिश्चित करने के लिए

सभी विशेष का संरक्षण

ग्रेड-*II* से कम पैमाना

सुदृढ़ीकरण और

जिन पहलुओं के लिए यह है

लंबा करना, जीवन का

और विशेष सुरक्षा

विरासत में शामिल

अद्वितीय विशेषताएँ और

इमारतें/या परिसर या

कोई भी भाग या विशेषताएँ

ग्रेड-*II* ग्रेड-*II (*बी*)* में

विशेषताएँ*)*।

वहाँ से। इस उद्देश्य के लिए,

उपरोक्त के अतिरिक्त,

आंतरिक परिवर्तन और

बिल्कुल आवश्यक और

विस्तार या अतिरिक्त

न्यूनतम परिवर्तन होंगे

एक ही भूखंड में इमारत

द्वारा अनुकूली पुनः उपयोग किया जा सकता है

या यौगिक में हो सकता है

अनुमति दी जाए और उन्हें चाहिए

और बड़े की अनुमति दी जाएगी।

बदलावों में शामिल हैं

कुछ परिस्थितियों में

के अनुरूप रहें

मूल।

विस्तार और अतिरिक्त

अनुमति दी गई बशर्ते कि

विस्तार/अतिरिक्त

एक ही भूखंड में इमारतें

((घ) प्रक्रियाः

इमारत सामंजस्य में है

या यौगिक। हालांकि,

कोई भी परिवर्तन होना चाहिए

विकास की अनुमति

के साथ *(और नहीं करता)*

से अलग करें*)* मौजूदा

जिसमे वे

बदलावों के लिए

के साथ सामंजस्य और होना चाहिए

की सलाह पर

विरासत भवन *(ओं)* या

धरोहर संरक्षण

ऐसा न हो कि वे

विशेष रूप से परिसरों में

मौजूदा से अलग करें

समिति।

ऊँचाई और

सामने की ओर।

विरासत

(ई) दृश्य/आसपास

भवन/परिसर।

विकास की अनुमति

विकासः

विकास की अनुमति

क्षेत्रों में सभी विकास

बदलावों के लिए

की सलाह पर

आसपास की विरासत

बदलावों के लिए

की सलाह पर

ग्रेड-*I* को विनियमित किया जाएगा।

धरोहर संरक्षण

और नियंत्रित, सुनिश्चित करना *1*

धरोहर संरक्षण

समिति।

कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता

समिति।

विरासत श्रेणी-*I* क्षेत्रों में सभी विकास की भव्यता या दृष्टिकोण।

क्षेत्रों में सभी विकास

आसपास की विरासत

ग्रेड-*II* होगा

आसपास की विरासत

विनियमित और नियंत्रित,

ग्रेड-*III* होगा

1 यह सुनिश्चित करना कि ऐसा नहीं है

विनियमित और नियंत्रित,

1 यह सुनिश्चित करना कि ऐसा नहीं है

की भव्यता, या

विरासत से दृश्य

की भव्यता, या

विरासत से दृश्य

ग्रेड-*II*

ऊपर वर्णित किसी भी चीज़ को अधिकार प्रदान करने वाला नहीं माना जाना चाहिए।

भूखंड के मालिक/अधिभोगकर्ता को ध्वस्त करने या पुनर्निर्माण करने या बनाने के लिए

प्रत्यक्ष, विशेष रूप से उनके द्वारा निर्दिष्ट क्षेत्रों में, कि बाहरी
भवनों के डिजाइन और ऊंचाई के लिए उनकी मंजूरी होनी चाहिए

क्षेत्र की सुंदरता को बनाए रखें।

64. स्वतंत्रता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए, की संरचना

अनुच्छेद *1.14* के अनुसार विरासत संरक्षण समिति व्यापक रूप से इतिहासकार, प्राकृतिक इतिहासकार जैसे बाहरी विशेषज्ञों को शामिल करने पर आधारित है।

पर्यावरणविद आदि। एकीकृत भवन उपनियमों के अनुच्छेद *1.14* में कहा गया है:

" 1.14 वंश संरक्षण का संयोजन

समिति विरासत
संरक्षण समिति द्वारा नियुक्त किया जाएगा

सरकार में शामिल हैं:

(i) विशेष सचिव/अतिरिक्त सचिव,

(शहरी विकास मंत्रालय*)*

सभापति

अतिरिक्त महानिदेशक *(*वास्तुकला*),*

((ख)

सीपीडब्ल्यूडी

सदस्य

अनुभव रखने वाले संरचनात्मक अभियंता

(iii)

क्षेत्र में दस साल और सदस्यता

इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स, भारत

10 साल का अनुभव रखने वाले वास्तुकार

सदस्य

(क*)* शहरी डिज़ाइनर

(ख*)* संरक्षण वास्तुकार

((iv) पर्यावरणविद जिनका गहन ज्ञान है और

सदस्य

विषय का *10* वर्ष का अनुभव।

राजीव सूरी बनाम। दिल्ली विकास प्राधिकरण और

ओआरएस। *[* संजीव खन्ना, जे।*]*

क्षेत्र का ज्ञान रखने वाले इतिहासकार और

(v)

इस क्षेत्र में *10* साल का अनुभव होना।

सदस्य

((vi) प्राकृतिक इतिहासकार जिनका *10* वर्ष का अनुभव हो।

मैदान में।

सदस्य

(vii) मुख्य योजनाकार, नगर और देश योजना

संगठन

सदस्य

(viii) मुख्य नगर नियोजक, एम. सी. डी.

सदस्य

(x) आयुक्त *(*पी. एल. जी.*)*, डी. डी. ए.

सदस्य

(x) मुख्य वास्तुकार, एन. डी. एम. सी

सदस्य

(xi) पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के प्रतिनिधि

सदस्य

भारत

(xii) सचिव, दिल्ली शहरी कला

सदस्य सचिव

आयोग

(xiii) समिति के पास शक्ति होगी -

सह-तीन अतिरिक्त सदस्यों का चयन करें जो

संबंधित अनुभव हो सकता है।

(xiv) अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल

सरकारी विभाग के अलावा /
स्थानीय निकाय तीन साल के होंगे।

65. 1 अक्टूबर *2009* की अधिसूचना द्वारा *147* धरोहरों की सूची

धरोहर भवनों, धरोहर परिसरों और सूचीबद्ध प्राकृतिक स्थलों सहित

धरोहर संरक्षण समिति की सलाह पर नई दिल्ली नगर परिषद *(*एन. डी. एम. सी.*)* के अध्यक्ष द्वारा तैयार किए गए विशेष क्षेत्रों को प्रकाशित किया गया था। इस प्रकाशन से पहले सार्वजनिक सूचना दी गई थी जिसमें उन सभी व्यक्तियों से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए गए थे जिन पर प्रभाव पड़ने की संभावना है। यह प्रकाशन नई दिल्ली नगर परिषद अधिनियम, *1994* की धारा *2* की उप-धारा *(17)* के साथ पठित दिल्ली भवन उप-कानून, *1983* के उप-कानून *23.1* और *23.5* द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर रहा था। वर्तमान मुकदमे के लिए, हम दर्ज करेंगे कि निम्नलिखित भवनों/परिसरों को उनके स्थान के साथ ग्रेड-*I* के रूप में अधिसूचित किया गया हैः

भवन/परिसरों का नाम

स्थान

एस. नं.

इंडिया गेट

एल. बी. जेड, सेंट्रल विस्टा

3

इंडिया गेट कैनोपी

एल. बी. जेड, सेंट्रल विस्टा

4

एल. बी. जेड, सेंट्रल विस्टा

7

नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक

संसद भवन और परिसर

एल. बी. जेड, सेंट्रल विस्टा

8

एल. बी. जेड, सेंट्रल विस्टा

9

सेंट्रल विस्टा परिसर

राजपथ

राष्ट्रीय अभिलेखागार और परिसर

13

जनपथ

66. इस स्तर पर लुटियंस को संदर्भित करना भी प्रासंगिक होगा।

बंगला क्षेत्र दिशानिर्देश, *1988,* जो निम्नानुसार निर्धारित करता हैः

..... *(*ख*)* लुटियंस बंगला क्षेत्रः वर्तमान को बनाए रखने के लिए

क्षेत्र क्षेत्र। ..... निर्माण के लिए निम्नलिखित मानदंड थे
लुटियंस बंगला क्षेत्र में।

((i)

भूखंड पर आवास के नए निर्माण में होना चाहिए
मौजूदा बंगले के समान आधार क्षेत्र और एक होना चाहिए

यदि भूखंड खाली है, तो बंगले की ऊँचाई जो है
आसपास के भूखंडों में सबसे कम।

((ख)

खान मार्केट, यशवंत जैसे वाणिज्यिक क्षेत्रों में
महल आदि, और लुटियन के भीतर संस्थागत क्षेत्रों में

बंगला क्षेत्र, मानदंड उनके लिए समान होंगे

क्षेत्र के बाहर ये संबंधित क्षेत्र।

(iii) सेंट्रल विस्टा के लिए मौजूदा नियम जारी रहेंगे।

लागू करने के लिए।

((iv)

" "

67. एकीकृत भवन उपचुनाव का अनुलग्नक-*II*-दिल्ली और दिल्ली के लिए कानून

निर्मित विरासत के संरक्षण से संबंधित दिल्ली के मास्टर प्लान के पैराग्राफ *10* को एक साथ और सामंजस्यपूर्ण तरीके से पढ़ना होगा। दिल्ली के मास्टर प्लान के पैराग्राफ *10* के खंड *(5)*, जैसा कि ऊपर देखा गया है, स्थानीय प्राधिकरण या भूमि देय एजेंसी को ल्यूटेन के बंगला क्षेत्र और अन्य विरासत क्षेत्रों के भीतर विशिष्ट विरासत परिसर के संबंध में विशेष संरक्षण योजना तैयार करने का काम सौंपा गया है, जैसा कि क्षेत्रीय योजना में संकेत दिया गया है। यह मास्टर प्लान का एक वैधानिक अधिदेश है। यह कार्य किसी तीसरे व्यक्ति या वास्तुकार को नहीं सौंपा जा सकता है, हालांकि विशेष राजीव सूरी *v* की तैयारी के लिए राय और सलाह लेना संभव है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण और

ओआरएस। *[* संजीव खन्ना, जे।*]*

संरक्षण योजनाएं। दुर्भाग्य से, न तो स्थानीय निकाय और न ही भूमि देय एजेंसी ने विशिष्ट विरासत परिसर और निकटवर्ती क्षेत्रों के लिए संरक्षण योजनाएं/योजनाएं तैयार की हैं। याचिकाकर्ताओं का यह तर्क सही है कि जब कानून प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण या भूमि-स्वामित्व वाली एजेंसी को सूचीबद्ध विरासत परिसरों और आसपास के क्षेत्रों के संरक्षण और सुधार के लिए एक विशेष संरक्षण योजना तैयार करने की आवश्यकता होती है, तो आवश्यकता अनिवार्य है।

68. अनुलग्नक-*II* के पैराग्राफ *1* में कहा गया है कि विरासत स्थलों के संरक्षण में ऐतिहासिक इमारतों, संरचनाओं, क्षेत्रों और परिसरों को शामिल किया गया है।

सौंदर्य, वास्तुशिल्प और महत्वपूर्ण इमारतें और परिसर। पैराग्राफ *1* में कहा गया है कि सूचीबद्ध विरासत भवन और सूचीबद्ध विरासत परिसर पहाड़ियों, पहाड़ियों, जल निकायों या आसपास के क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं होंगे।

समान, लेकिन खुले क्षेत्र, जंगली क्षेत्र, बिंदु, सैर, आदि भी। इसके अलावा, विरासत भवनों और विरासत क्षेत्रों की शर्तों को व्यापक रूप से दिया गया है

और परिभाषाओं को शामिल करना। जैसा कि परिभाषित किया गया है, ऐतिहासिक भवन का मतलब है और इसमें एक या अधिक परिसरों या यहां तक कि उसके हिस्से की कोई भी इमारत शामिल है जिसके लिए ऐतिहासिक, पर्यावरणीय संरक्षण या संरक्षण की आवश्यकता होती है।

ऐतिहासिक, वास्तुशिल्प, सौंदर्य, पर्यावरण, पारिस्थितिक या सांस्कृतिक उद्देश्य। ऐसा स्थान दीवारों या अन्य सीमाओं से घिरा हो सकता है। विशेष क्षेत्र या स्थान या इमारत या उसके चारों ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा द्वारा।

विकास, इंजीनियरिंग संचालन, परिवर्धन/परिवर्तन, मरम्मत या नवीनीकरण, जिसमें भवन की पेंटिंग, विशेष का प्रतिस्थापन शामिल है। सूचीबद्ध विरासत *[2021] 15* एस. सी. आर. के किसी भी हिस्से की विशेषताएँ या विस्फोट या विध्वंस।

भवनों/सूचीबद्ध परिसरों का निर्माण निर्दिष्ट अधिकारियों की अनुमति के अलावा किया जाएगा, जिसमें उपाध्यक्ष, प्राधिकरण और अध्यक्ष, एन. डी. एम. सी. शामिल हैं। इसके अलावा, इस तरह की अनुमति देने से पहले, एजेंसी विरासत संरक्षण समिति से परामर्श करेगी और इस मामले में कार्रवाई करेगी।

धरोहर संरक्षण समिति की सलाह के अनुसार। असाधारण मामलों में, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, उपाध्यक्ष, प्राधिकरण और अध्यक्ष, एन. डी. एम. सी. सहित प्राधिकरण इस मामले को विरासत संरक्षण समिति को भेज सकता है। विचार करें। इस तरह के पुनर्विचार के बाद विरासत संरक्षण समिति का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी है। धरोहर संरक्षण समिति को विध्वंस के लिए कोई अनुमति देने से पहले, या सूचीबद्ध इमारतों या यहां तक कि सूचीबद्ध सड़कों/परिसरों आदि के भीतर की इमारतों में बड़े बदलाव/परिवर्धन के लिए जनता से सुझाव/आपत्तियां आमंत्रित करने और उन पर विचार करने की आवश्यकता होती है। इसलिए, ध्वस्त करने या बड़े बदलाव/जोड़ के लिए विरासत संरक्षण समिति द्वारा सार्वजनिक भागीदारी अनिवार्य और आवश्यक है। अनुच्छेद *1.6* में कहा गया है कि विरासत संरक्षण समिति की सलाह पर और कारणों को लिखित रूप में दर्ज करने के लिए आयुक्त/उपाध्यक्ष /

नगरपालिका समिति/प्राधिकरण/एन. डी. एम. सी. के अध्यक्ष विकास अधिनियम के अनुसार प्रक्रिया का पालन करेंगे, जिसमें परिवर्तन, संशोधन और ढील दी जाएगी।

किसी भी विरासत स्थल की ऐतिहासिक, सौंदर्य, सांस्कृतिक या पर्यावरणीय गुणवत्ता के संरक्षण, संरक्षण के लिए मास्टर प्लान या भवन उप कानूनों में विकास नियंत्रण मानदंड। इसलिए सवाल उठेगा कि क्या प्रस्तावित संशोधनों के प्रावधानों को आकर्षित करेंगे

अनुच्छेद *1.6*। हम इस प्रश्न को विरासत संरक्षण समिति द्वारा उठाए जाने और निर्णय लेने के लिए खुला छोड़ देंगे। उपनियम *1.7* के पहले भाग में कहा गया है कि उपनियम *1.5* के तहत अधिसूचित सड़क/परिक्षेत्र क्षेत्रों के संबंध में कोई भी विकास अनुमति विरासत संरक्षण समिति की सलाह पर एन. डी. एम. सी. के अध्यक्ष सहित संबंधित प्राधिकारी द्वारा प्रतिबंधात्मक सड़कों, परिक्षेत्रों, प्राकृतिक विशेषता क्षेत्रों के लिए निर्धारित अलग विनियमन के अनुसार होगी। परिच्छेद *1.7* के दूसरे और तीसरे भाग, जो परिक्षेत्रों, सड़कों, प्राकृतिक विशेषता क्षेत्रों के लिए विशेष अलग-अलग विनियमों से संबंधित हैं, के लिए आवश्यक है कि किसी भी मसौदे को अंतिम रूप देने से पहले उसे सरकारी राजपत्र में और जनता से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करने वाले एक प्रमुख समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाए। जनता को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन के तीस दिनों के भीतर आपत्तियां दर्ज करने और सुझाव देने का अधिकार है जिस पर विचार किया जाएगा।

एन. डी. एम. सी. के अध्यक्ष और धरोहर संरक्षण समिति सहित अधिकारियों द्वारा। यह सुझावों पर विचार करने के बाद ही होगा-राजीव सूरी बनाम।

दिल्ली विकास प्राधिकरण और

ओआरएस। *[*संजीव खन्ना, जे।*]*

और आपत्तियाँ कि संबंधित अभिकरण, विरासत संरक्षण समिति की सलाह पर कार्य करते हुए, कि सड़क, परिसर, प्राकृतिक विशेषता क्षेत्र के लिए अलग-अलग विनियमों का मसौदा अधिसूचना के लिए सरकार को भेजा जाएगा। पैराग्राफ *1.1* में क्षितिज और वास्तुकला के सामंजस्य को बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है और इसका पालन करने की आवश्यकता है।

अनुच्छेद *1.11* पट्टा विलेख के तहत मौजूदा प्रतिबंध, स्थानीय निकायों सहित सरकार इसके अलावा लागू होगी और जारी रहेगी, लेकिन विरासत संरक्षण हित या पर्यावरण के साथ टकराव के मामले में। संरक्षण, विरासत नियम प्रबल होंगे। इसलिए निर्माण के संबंध में *1988* के दिशानिर्देश सेंट्रल विस्टा क्षेत्र पर लागू होते रहेंगे, जो एल. बी. जेड. के अंतर्गत आता है। इसके अलावा एकीकृत भवन उप-कानूनों के अनुलग्नक *II* के तहत प्रतिबंध लागू होते हैं। अनुच्छेद *1.12*

कहा गया है कि धरोहर भवनों/सूचीबद्ध धरोहर परिसरों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया जाएगा, अर्थात् ग्रेड *I*, ग्रेड *II* और ग्रेड *III*। ग्रेड-*I* के संबंध में शर्तें सबसे सख्त और सबसे सख्त हैं। ग्रेड *I* से संबंधित पैराग्राफ *(*सी*)* में कहा गया है कि विरासत भवन या प्राकृतिक विशेषताओं के बाहरी या आंतरिक भाग पर किसी भी हस्तक्षेप की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि यह भवन या परिसर के जीवन को मजबूत करने और बढ़ाने के लिए आवश्यक न हो। केवल तभी जब मूल के अनुरूप बिल्कुल आवश्यक न्यूनतम परिवर्तनों की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा, सभी परिवर्तनों के लिए विकास अनुमति की आवश्यकता होती है जो केवल विरासत संरक्षण समिति की सलाह पर दी जा सकती है। खंड *(*ई*)* के अनुसार, विरासत श्रेणी-*I* के आसपास के क्षेत्र में विकास को विनियमित और नियंत्रित किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह विरासत श्रेणी-*I* की भव्यता या दृष्टिकोण को प्रभावित न करे।

70. सलाहकार की नियुक्ति के लिए बोलियां आमंत्रित करने का नोटिस था

कहा गया:

इस बोली दस्तावेजों का उद्देश्य राष्ट्रपति भवन के द्वार से लेकर इंडिया गेट तक, लगभग *4* वर्ग किलोमीटर के पूरे सेंट्रल विस्टा क्षेत्र की फिर से योजना बनाना है। एक नया मास्टर
पूरे सेंट्रल विस्टा क्षेत्र के लिए योजना तैयार की जानी है जो एक नए भारत के मूल्यों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है-अच्छा *[2021] 15* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

शासन, दक्षता, पारदर्शिता, जवाबदेही और समानता भारतीय संस्कृति और सामाजिक परिवेश में निहित है। मास्टर प्लान में अवधारणा, योजना, विस्तृत डिजाइन और रणनीतियाँ, विकास/पुनर्विकास कार्य, नवीनीकरण कार्य, मौजूदा भवनों को ध्वस्त करने के साथ-साथ संबंधित बुनियादी ढांचे और स्थल विकास कार्य शामिल होंगे। ये नई प्रतिष्ठित संरचनाएँ
कम से कम *150* से *200* वर्षों तक विरासत में रहें। "

आवश्यक और आवश्यक थे। पैराग्राफ *1.12* में विशेष रूप से और स्पष्ट रूप से कहा गया है कि "विरासत संरक्षण समिति की पूर्व मंजूरी के बिना इस तरह के सूचीबद्ध विरासत भवन/सूचीबद्ध क्षेत्रों के उपयोग में बदलाव की अनुमति नहीं है। उपयोग उक्त सूचीबद्ध विरासत स्थल के अनुरूप होना चाहिए। इस प्रकार सेंट्रल विस्टा के भीतर छह भूखंडों के 'भूमि उपयोग' परिवर्तनों को अधिसूचित करने से पहले विरासत संरक्षण समिति से पूर्व अनुमोदन/अनापत्ति प्रमाण पत्र अनिवार्य और आवश्यक था, बशर्ते कि भूखंड/क्षेत्र 'सूचीबद्ध भवनों' के अंतर्गत आ रहे हों। इसके अलावा, किसी भी विकास से पहले विरासत संरक्षण समिति से अनुच्छेद *1.3* के संदर्भ में पूर्व अनुमति/कोई आपत्ति की आवश्यकता नहीं है। पुनर्विकास, इंजीनियरिंग संचालन, नवीनीकरण, विध्वंस आदि। स्थानीय निकाय द्वारा किसी भी भूखंड पर किसी भी निर्माण के लिए भवन अनुमति जारी करने से पहले विरासत संरक्षण समिति से पूर्व अनुमति की भी आवश्यकता होती है, जिसे *1988* के दिशानिर्देशों का पालन करना पड़ता है।

71. यह एक अच्छी तरह से स्थापित प्रस्ताव है कि जहां एक निश्चित तरीके से एक निश्चित काम करने की शक्ति दी जाती है, तो काम उसी तरह से किया जाना चाहिए।

शुगर एंड केमिकल्स लिमिटेड *v.* भारत संघ *6 2)*। धरोहर संरक्षण समिति के मानित या सैद्धांतिक रूप से अनुमति/अनुमोदन/अनापत्ति प्रमाण पत्र का कोई प्रावधान नहीं है। वास्तव में प्रत्यर्थियों द्वारा मानित अनुमोदन/अनुमति की ऐसी कोई याचिका नहीं उठाई जाती है। *59* आकाशवाणी *1936* पी. सी. *253*

60 (2016) 9 एससीसी *20*

61 (2019) 3 एससीसी *224* *62 (2019) 5* एस. सी. सी. *480* राजीव सूरी बनाम

दिल्ली विकास प्राधिकरण और

ओआरएस। *[* संजीव खन्ना, जे।*]*

72. जैसा कि पहले देखा गया है, प्राधिकरण की तकनीकी समिति ने प्रस्ताव की जांच करते हुए *5* दिसंबर, *2019* को आयोजित अपनी बैठक में उन्होंने कहा था कि अन्य बातों के साथ-साथ विरासत संरक्षण समिति की मंजूरी लेने के लिए कदम उठाए जाएंगे। हालांकि विरासत संरक्षण

भूमि उपयोग में परिवर्तन के उद्देश्य "। 'मे' शब्द का उपयोग स्वयं ही प्रतिबिंबित करता है। उत्तरदाताओं के मन में संदेह, जबकि तकनीकी समिति ने कोई संदेह व्यक्त नहीं किया था और दृढ़ थी कि विरासत संरक्षण समिति से अनुमोदन या मंजूरी अनिवार्य और आवश्यक है। हम तकनीकी समिति के निर्णय के कार्यवृत्त को फिर से प्रस्तुत करेंगे जो इस प्रकार हैः

"विस्तृत विचार-विमर्श के बाद, डी. डी. अधिनियम, *1957* की धारा *11* ए के तहत आगे की प्रक्रिया के लिए तकनीकी समिति द्वारा भूखंड संख्या *1* के लिए भूमि उपयोग में उपरोक्त संशोधन के साथ कार्यसूची के पैरा *4* में निहित प्रस्ताव की सिफारिश की गई थी। निम्नलिखित के साथ

शर्तें:

प्रधानमंत्री कार्यालय, धरोहर संरक्षण समिति और सेंट्रल विस्टा समिति से मंजूरी एलएंडडीओ द्वारा ली जाएगी।

धरोहर भवनों से संबंधित विरासत के अनुसार निपटा जाएगा।

प्रावधान "।

73. ऊपर बताए गए कारणों के लिए, एकीकृत भवन उप कानूनों के अनुलग्नक *II* की व्याख्या पर यह माना जाना चाहिए कि पूर्व अनुमोदन /

भूखंडों/क्षेत्रों के भूमि उपयोग परिवर्तन के लिए अनुमति आवश्यक थी सूचीबद्ध धरोहर इमारतें और परिसर। जैसा कि ऊपर देखा गया है, पैराग्राफ *1.3* में कहा गया है कि पुनर्विकास, इंजीनियरिंग संचालन, या यहां तक कि परिवर्धन/परिवर्तन आदि के लिए विरासत संरक्षण की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है।

समिति। हालांकि विध्वंस के लिए, सूचीबद्ध इमारतों या भवन परिसरों में बड़ी मरम्मत और परिवर्तन/परिवर्धन जनता से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करने की प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। धरोहर संरक्षण समिति सुझावों और आपत्तियों पर विचार करेगी।

धरोहर संरक्षण समिति का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी है।

74. उत्तरदाताओं ने दो अन्य बचाव किए हैं। सबसे पहले, नई संसद का निर्माण *[2021] 15* एस. सी. आर. से सटे एक खाली भूखंड पर किया जा रहा है।

मौजूदा संसद भवन को विरासत संरक्षण समिति से अनुमोदन/कोई आपत्ति की आवश्यकता नहीं है। याचिकाकर्ताओं के अनुसार यह तर्क गलत है क्योंकि यह दिल्ली के वैधानिक मास्टर प्लान और एकीकृत भवन उप-कानूनों के विपरीत है। उन पर निर्भर है 'विरासत भवन' शब्द को दी गई परिभाषा, जिसमें ऐसी

इमारत से सटे भूमि का ऐसा हिस्सा और उसका हिस्सा शामिल है जो बाड़ लगाने या ढकने के लिए या किसी भी तरह से ऐतिहासिक और/या वास्तुशिल्प और/या सौंदर्य और/या सांस्कृतिक मूल्य को संरक्षित करने के लिए आवश्यक हो। हम देखेंगे और मानेंगे कि उत्तरदाताओं को आगे बढ़ना चाहिए था और

अलग से)। इसके अलावा, यदि एन. डी. एम. सी. सहित उत्तरदाताओं द्वारा दी गई व्याख्या को स्वीकार किया जाना है, तो एक अनुक्रम के रूप में यह कहा जाता है कि निर्माण या विकास ग्रेड-*I* भवन से सटे या उससे सटे एक खाली भूखंड में हो सकता है। यह व्याख्या अस्वीकार्य प्रतीत होती है क्योंकि यह मास्टर प्लान में व्यक्त शर्तों के विपरीत है और एकीकृत भवन विदाई-कानून। यह अनपेक्षित परिणामों की ओर भी ले जाएगा और इन दोनों विधानों के उद्देश्य और उद्देश्य के साथ असंगत होगा, एक प्रासंगिक सिद्धांत जब हम संदेह या अस्पष्टता के मामले में प्रावधानों की व्याख्या करते हैं। यह हमारा अस्थायी दृष्टिकोण है, क्योंकि यह विरासत संरक्षण समिति का विचार है कि 'ऐसी इमारत और उसके हिस्से से सटे भूमि का ऐसा हिस्सा शामिल है जो बाड़ लगाने या ढकने के लिए या किसी भी तरह से ऐतिहासिक और/या संरक्षण के लिए आवश्यक हो सकता है।

ऐसी इमारत का वास्तुशिल्प और/या सौंदर्य और/या सांस्कृतिक मूल्य '। *75.* संसद भवन, राष्ट्रीय अभिलेखागार, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक के साथ-साथ सेंट्रल विस्टा परिसर को विशेष रूप से ग्रेड-*I* भवनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है और इसलिए, अनुलग्नक *II* के विभिन्न खंडों के तहत कई प्रतिबंध और प्रतिबंध लागू होते हैं। बार हों या नहीं और

प्रतिबंध फिर से लागू होंगे जिन प्रश्नों की जांच की जाएगी और विरासत संरक्षण समिति द्वारा निर्णय लिया जाएगा। न तो यह अदालत और न ही

विरासत संरक्षण से पूर्व अनुमोदन/अनुमति के बिना समिति। इसके अलावा, स्थानीय निकाय को राजीव सूरी *v* जारी करने से स्पष्ट रूप से रोक दिया गया है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण और

ओआरएस। *[* संजीव खन्ना, जे।*]*

सूचीबद्ध विरासत भवनों/परिसरों के संबंध में भवन परमिट। स्थानीय निकाय अर्थात एन. डी. एम. सी. को स्पष्टीकरण/पुष्टि के लिए धरोहर संरक्षण समिति से संपर्क करना चाहिए था और उनकी सलाह पर आगे बढ़ना चाहिए था।

76. दूसरे बचाव के समर्थन में, उत्तरदाताओं ने संक्षिप्त स्पष्टीकरण के साथ भारत संघ का एक अतिरिक्त हलफनामा दायर किया है।

श्री विजय कौशल और सुश्री रूबी कौशल का शपथ पत्र। एन. डी. एम. सी. के उप मुख्य वास्तुकार श्री विजय कौशल द्वारा दायर हलफनामे में कहा गया है कि नई दिल्ली नगर परिषद अधिनियम, *1994* की धारा *2* की उप-धारा *(17)* के साथ पठित एकीकृत भवन उप-कानून, *1983* के अनुसार सेंट्रल विस्टा परिसरों को विशेष रूप से ग्रेड *I* भवन के रूप में शामिल किया गया है।

प्रकाशित *141* विरासत स्थलों की सूची में संदर्भ दिया गया है, जिसमें विरासत भवन, विरासत परिसर और सीमित राष्ट्रीय विशेषता क्षेत्र शामिल हैं, जिसमें संसद भवन और परिसर, इंडिया गेट, इंडिया गेट कैनोपी, उत्तर

और दक्षिण खंड, राष्ट्रीय अभिलेखागार और परिसर और सेंट्रल विस्टा परिसर शामिल हैं। यह कहा गया है कि धरोहर भवनों की सूची

एन. डी. एम. सी. क्षेत्र में विरासत संरक्षण समिति के परामर्श से एक आई. एन. टी. ए. सी. एच. रिपोर्ट के आधार पर अंतिम रूप दिया गया था। आई. एन. टी. ए. सी. एच. रिपोर्ट का यह दावा करने के लिए संदर्भ दिया गया है कि सेंट्रल विस्टा, एल. बी. जेड. क्षेत्र, राजपथ का सीमांकन उनके द्वारा इस प्रकार किया गया है:

" भौतिक विवरण-विस्टा को वायसराय हाउस *(*अब राष्ट्रपति भवन*)* को पुराना किले के उत्तरी प्रवेश द्वार से जोड़ने के लिए बनाया गया था। पूर्वी छोर पर युद्ध स्मारक मेहराब *(*इंडिया गेट*)* बनाया गया था, जिसके चारों ओर राजकुमारों के घर बनाए गए थे। सड़क पर दोनों तरफ चौड़े लॉन हैं। सेंट्रल विस्टा के वास्तुशिल्प चरित्र को भूनिर्माण, सड़क के फर्नीचर, जल निकायों आदि द्वारा बढ़ाया जाता है और यह महत्वपूर्ण है कि कोई भी नया जोड़/हस्तक्षेप उसके प्रति संवेदनशील हो।
क्षेत्र के चरित्र का सम्मान करता है "।

तदनुसार, यह प्रस्तुत किया जाता है कि राष्ट्रपति संपदा, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक, संसद भवन और परिसर वाली इमारतें

और राष्ट्रीय अभिलेखागार और परिसर ग्रेड-*I* इमारतें हैं। निर्माण भवन, उद्योग भवन, रेल भवन, कृषि भवन और वायु भवन आदि जैसी अन्य इमारतों को विरासत सूची में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि हलफनामा अस्पष्ट है क्योंकि यह सेंट्रल विस्टा परिसर के भीतर आने वाले क्षेत्र की पहचान नहीं करता है, जिसे अन्य विरासत भवनों के अलावा ग्रेड *I* के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसके अलावा, इंटैक रिपोर्ट दायर नहीं की गई है और न ही कोई विवरण *[2021] 15* एस. सी. आर. है।

सुसज्जित किया गया। याचिकाकर्ताओं ने कई इंटैक रिपोर्टों का उल्लेख किया है, जो दर्शाता है कि सेंट्रल विस्टा परिसर में भूखंड संख्या शामिल होगी। *118*.

77. सुश्री रूबी कौशल, विरासत की सदस्य सचिव

संरक्षण समिति ने खंड *2.3* का उल्लेख किया है। *3 (*ग*)* एकीकृत भवन कानूनों में कहा गया है कि सभी बाहरी एजेंसियां विशिष्ट क्षेत्रों की जानकारी के साथ रंगीन कोडित मानचित्र तैयार करेंगी जहां अनुमोदन/एनओसी की आवश्यकता है और इन मानचित्रों को वेबसाइट पर और मंजूरी देने वाले अधिकारियों की वेबसाइटों पर भी सीधे या एक लिंक के माध्यम से रखा जाएगा। इसके बाद दिल्ली के रंग-कोडित मानचित्र *(*अनुलग्नक ए-*1)* का संदर्भ दिया जाता है।

विरासत संरक्षण समिति की वेबसाइट यह बताने के लिए कि समिति का अधिकार क्षेत्र "एक अन्य विस्तृत मानचित्र से जुड़ा हुआ है जो राजपत्रित अधिसूचित सूचीबद्ध विरासत भवन, परिसर, क्षेत्र की प्राकृतिक विशेषताओं के स्थान को दर्शाता है, जो अनुलग्नक ए-*2* के रूप में संलग्न है। " दुर्भाग्य से, पहले मानचित्र *(*अनुलग्नक ए-*1)* में रंग-संकेतन स्पष्ट नहीं है। मानचित्र में यह भी दर्ज किया गया है कि उसमें दिखाई गई रूपरेखा संकेतात्मक है और स्मारकों/परिसरों/विरासत संरचनाओं का आकार, रूपरेखा या स्थान एएसआई, एमसीडी या एनडीएमसी के पास उपलब्ध है। नक्शा इस प्रकार संलग्न है

सेंट्रल विस्टा परिसर के भीतर आने वाले क्षेत्र को समझने और पता लगाने के लिए अनुलग्नक ए-*2* फिर से स्पष्ट और सुपाठ्य नहीं है। यह मानचित्र एन. डी. एम. सी., एम. सी. डी. और ए. एस. आई. द्वारा श्रेणी-*I*, श्रेणी-*II* और श्रेणी-*III* के रूप में वर्गीकृत अन्य ऐतिहासिक इमारतों का पता/सीमांकन करता है और फिर से बताता है कि स्मारकों/परिसरों/विरासत संरचनाओं का आकार, रूपरेखा या स्थान एन. डी. एम. सी., एम. सी. डी. और ए. एस. आई. के पास उपलब्ध है। मानचित्र एन. डी. एम. सी. अधिसूचना एफ. एन. को संदर्भित करता है। *4/2/2009/*यू. डी./आई-*6565* दिनांक *1* अक्टूबर *2009*। जैसा कि योजना *(*अनुलग्नक ए-*1)* के मामले में कहा गया है कि दिखाया गया आकार, रूपरेखा और स्थान सूचक हैं। सुश्री रूबी कौशल का यह हलफनामा ऐसा नहीं है

की भाषा का उपयोग करने के लिए सीमाओं या काल्पनिक रेखा का वर्णन करें

खंड *(*ख*)* से पैरा *1.1* तक। *1* सेंट्रल विस्टा परिसरों के भीतर आने वाले क्षेत्र का सीमांकन करने के लिए एकीकृत भवन उपनियम।

78. इसके विपरीत याचिकाकर्ता कम से कम तीन मानचित्रों पर भरोसा करते हैं जो काल्पनिक रेखा के साथ सेंट्रल विस्टा क्षेत्र का सीमांकन करते हैं। उन्हें प्रकाशित/मुद्रित करने वाले प्राधिकरण के विवरण के साथ नीचे दिया गया है। उन्हें।

सेंट्रल विस्टा और उसके स्थल-गंजू, एम. एन. आशीष। री।

ए।

शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के लिए लुटियंस बंगला क्षेत्र के लिए विकास योजना,

ग्रेहा, नई दिल्ली, *1998*।

राजीव सूरी बनाम। दिल्ली विकास प्राधिकरण और

ओआरएस। *[* संजीव खन्ना, जे।*]*

नक्शा *4*-सेंट्रल विस्टा और उसके स्थलचिह्न

केंद्रीय विस्टा और इसके लैंडमार्क

लिंग विद्यमान विशिष्टताएँ

विस्तारित विशेष क्षेत्र

एमओ

1.92

230

फेडटी

भूतपूर्व

कैटेगरी *I* लैंडमार्क्स

कैटेगरी *I* लैंडमार्क्स

1. रोशत्रपति भवन *6.* इंडिया गेट

अजईपुर हाउस

इपटियाला हाउस

2 जयपुर कॉलम

आम आदमी

मध्य छत्तीसगढ़

एल्गाश संग्रहालय

साउथ ब्लॉक

6. राष्ट्रीय स्टेडियम

हैदराबाद हाउस

जी. राष्ट्रीय अभिलेखागार

नॉर्थ ब्लॉक

9. विशेष वर्ग, स्थान और

डियराडो हाउस

एस. संसद भवन

लुटवेन की पिकनिक का प्रमुख दृश्य

संयुक्त राष्ट्र एक

- गंजू, एम. एन. आशीष। लुटियंस बंगला क्षेत्र के लिए पुनर्विकास योजना, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के लिए। ग्रेहा। नया। दिल्ली, *1998*।

बी।

दिल्ली शहरी कला आयोग का नक्शा-स्रोत नक्शा

1988 की सीमा के साथ जी. एस. डी. एल. द्वारा निर्मितः समझौता ज्ञापन पत्र

नहीं। डी. ओ. नं. के. *13011/17/86*-डी. डी. आई. आई. ए. *8.2.88*

क्षेत्रः *25.88* स्क्वायर। किमी.

•

एल. बी. जेड *1900*

(सेंट्रल विस्टा सहित*)*

सेंट्रल विस्टा

अनुशोचना

मानचित्र लुटियन दिखा रहा है

17 5

19 ए -

1988 तक बंगला क्षेत्र क्षेत्र

---- डो = एन-------- *[2021] 15* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

भारत सरकार, मंत्रालय में प्रकाशित योजना तैयार करें

सी.

आवास और शहरी मामलों और सी. पी. डब्ल्यू. डी. की पुस्तिका 'विरासत भवनों का संरक्षण और लेखा परीक्षा', सितंबर,
2019

केंद्रीय

ए.

विस्टा

ए.

?

●

केंद्रीय विस्टा

परियोजना प्रस्तावक द्वारा सेंट्रल विस्टा क्षेत्र के ये नक्शे

स्वयं सी. पी. डब्ल्यू. डी. और दिल्ली शहरी कला आयोग, जो एक सांविधिक निकाय है, स्पष्ट रूप से केंद्रीय राज्य के विस्तार और सीमाओं का संकेत देते हैं।

विस्टा परिसर/क्षेत्र, जिसमें संसद भवन और प्लॉट नं। *118* . उपरोक्त पृष्ठभूमि में, राजपथ पर सेंट्रल विस्टा परिसर में परिसर के क्षेत्र के सीमांकन के बारे में उत्तरदाताओं का तर्क प्रथम दृष्टया गलत और गलत प्रतीत होता है। संसद भवन और प्लॉट नं. *118* जाहिरा तौर पर केंद्रीय क्षेत्र का एक हिस्सा हैं। पैराग्राफ *1* के खंड *(ए)* और *(बी)* में विरासत निर्माण और विरासत परिसर की परिभाषाएँ। *1* . इस दृष्टिकोण और व्याख्या का भी समर्थन करते हैं। हालाँकि, हमें इस पहलू पर अंतिम रूप से निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि विरासत संरक्षण समिति के पास तथ्यों और विवरणों का पता लगाने के बाद इस पहलू की जांच करने और निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र और अधिकार है। अनुच्छेद *1.5* के अनुसार, धरोहर स्थलों की सूची एन. डी. एम. सी. के अध्यक्ष द्वारा धरोहर संरक्षण समिति की सलाह पर तैयार की जानी है। अनुलग्नक *II* के संदर्भ में, विरासत संरक्षण समिति को विरासत क्षेत्रों की सीमाओं से संबंधित किसी भी विवाद की जांच करनी चाहिए और निर्णय लेना चाहिए।

79. सेंट्रल विस्टा परिसर, अर्थात राजपथ पर, अपने आप में है।

कोई इमारत नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि संसद, उत्तर और दक्षिण खंड, राष्ट्रीय अभिलेखागार जैसे अन्य धरोहर भवनों के परिसरों को खंड *(ए)* से अनुच्छेद *1.1* के संदर्भ में सूचीबद्ध भवनों से सटे क्षेत्रों के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। *1* . एक विपरीत व्याख्या इमारत के परिसर के अर्थ को लगभग नकार देगी। इस क्षेत्र को ऐतिहासिक परिसर घोषित करने के पीछे का विचार राजीव सूरी बनाम का है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण और

ओआरएस। *[* संजीव खन्ना, जे।*]*

सुरक्षा दें भले ही कोई निर्मित संरचना मौजूद न हो। यह एक अतिरिक्त है

संरक्षण, जब कई इमारतों को पहले ही शामिल किया जा चुका है

विरासत सूची। वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ताओं के अनुसार, यह किसी भी संदेह को स्पष्ट और स्पष्ट करने के लिए है कि सीमांकित रेखा/सीमाओं के भीतर सेंट्रल विस्टा परिसर में हरित क्षेत्र/उद्यान एकीकृत भवन उप कानूनों के तहत ग्रेड *I* के रूप में सुरक्षा के हकदार हैं। इस संबंध में दिल्ली के लिए एकीकृत भवन उप-कानून, *2016* के अनुलग्नक-*II* के अनुच्छेद *1.2,15* और *1.7* का उल्लेख किया जा सकता है, जो ऊपर उद्धृत किए गए हैं और जो उपयुक्त प्रतीत होते हैं। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि इन मुद्दों पर अपनी राय दर्ज करने से पहले विरासत संरक्षण समिति द्वारा जांच की जानी चाहिए।

80. परियोजना प्रस्तावक के रूप में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग,

12 फरवरी *2020* को पर्यावरण मंजूरी के लिए एक आवेदन दायर किया था। इसके बाद *12* मार्च *2020* को संशोधित आवेदन दाखिल किया गया। दोनों आवेदन नई दिल्ली के संसद मार्ग पर मौजूदा संसद

भवन के विस्तार और नवीनीकरण के लिए थे। दूसरे/संशोधित आवेदन में अन्य बातों के साथ-साथ परियोजना की अनुमानित लागत *Rs.922* करोड़ थी।

81. मूल और संशोधित प्रपत्र संख्या के अनुसार। *1* और *1* ए, यह परियोजना अनुसूची की मद *8 (ए)* द्वारा कवर की गई एक भवन और निर्माण परियोजना है।

2006 पर्यावरण प्रभाव अधिसूचना। हमारे लिए पर्याप्त है।

वर्गीकरण मानव स्वास्थ्य और प्राकृतिक और मानव निर्मित संसाधनों पर संभावित प्रभावों की स्थानिक सीमा पर आधारित है। चार चरणों की जांच प्रक्रिया *2006* की अधिसूचना के अनुसार *(i)* जांच, *(ii)* स्कूपिंग, *(iii)* सार्वजनिक परामर्श और *(iv)* मूल्यांकन। श्रेणी बी*1* के लिए एक पर्यावरण मूल्यांकन रिपोर्ट की आवश्यकता होती है और इसके परिणामस्वरूप स्कूपिंग की चरण *(ii)* प्रक्रिया अनिवार्य है। चरण *(iii)* भवन और निर्माण परियोजनाओं/क्षेत्र विकास परियोजनाओं के लिए सार्वजनिक परामर्श की आवश्यकता नहीं है।

82. 8 (ए)-निर्माण और निर्माण परियोजनाओं के बीच का अंतर

इसका अर्थ है "सभी मंजिलों पर निर्मित या ढका हुआ क्षेत्र, जिसमें इसके तहखाने और अन्य सभी सेवा क्षेत्र शामिल हैं, जो इमारत में प्रस्तावित हैं। या निर्माण परियोजनाएं। *"[2021] 15* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

83. परियोजना प्रस्तावक के रूप में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग

मूल प्रपत्र संख्या *1* ने घोषणा की थीः

" 1.1. 1 बुनियादी जानकारी

विवरण

एस. नं.

वस्तु

मौजूदा प्लॉटः प्लॉट *116*

प्रस्तावित क्षमता/क्षेत्र/लंबाई /

3

संभालने के लिए टनभार/आदेश

प्लॉट क्षेत्रः *10.75* एकड़

क्षेत्र/पट्टा क्षेत्र/सं। कुओं से

(43,505 एम *2)*

ड्रिल किया जाए

निर्मित क्षेत्रः *44,940* एम *2*

प्रस्तावित प्लॉटः प्लॉट *118*

प्लॉट क्षेत्रः *10.5* एकड़

(42,031 एम *2)*

निर्मित क्षेत्र वर्तमान -

5200 एम *2*

ध्वस्त करने के लिए प्रस्तावित क्षेत्रः

5200 एम *2*

प्रस्तावित निर्माण क्षेत्रः

65,000 एम *2*

. अतः प्रस्तावित बिल्ट-अप

क्षेत्रफल-*65,000* वर्ग मीटर होगा।

कुल प्रस्तावित परियोजना क्षेत्र

विस्तार के बाद दोनों भूखंड और

नवीनीकरण

क्षेत्रः *21.25* एकड़।

(85,536 एम *2)*

• निर्मित क्षेत्रः *1,09,940* एम *2 2*

स्रोतः

प्लॉट क्षेत्र के लिएः भूमि पर आधारित आँकड़े

विकास कार्यालय, सरकार

भारत का

निर्मित क्षेत्र के लिएः परियोजना

प्रस्तावक

16

वैकल्पिक स्थलों का विवरण

यह सबसे उपयुक्त है और

जाँच की गई, यदि कोई हो। का स्थान

इन साइटों पर दिखाया जाना चाहिए

उपयुक्त स्थल।

टॉपशीट

आपस में जुड़ी परियोजनाएं

17

नहीं।

क्या अलग से आवेदन

18

आपस में जुड़ी हुई परियोजना है

नहीं।

प्रस्तुत किया? क्या

वहाँ कोई है

22

116 का भूमि उपयोग 'संसद' है।

सरकार

आदेश/नीति,

प्लॉट संख्या *118* का वर्तमान भूमि उपयोग है

साइट से संबंधित/संबंधित

मनोरंजन और भूमि उपयोग में परिवर्तन

'संसद की प्रक्रिया चल रही है।

राजीव सूरी बनाम। दिल्ली विकास प्राधिकरण और

ओआरएस। *[संजीव खन्ना, जे।]*

1.1. 2 गतिविधि

वस्तु

विवरण

एस. नं.

मौजूदा भूमि की मंजूरी,

1.2

प्लॉट *116*

वनस्पति और इमारतें*?*

प्लॉट नं. में *250* पेड़ मौजूद हैं।

116

प्लॉट *118*

प्लॉट *118* पर *333* पेड़ हैं। से बाहर

इनमें से *100* पेड़ों को रखा जाएगा और *233*

प्लॉट *118* में उगने वाली अन्य वनस्पति

साफ करने की भी आवश्यकता होगी

नए संसद भवन का निर्माण।

290 पेड़ लगाने का प्रस्ताव है

प्लॉट *118.*

भूमिगत कार्य जिनमें शामिल हैं

1.9

तहखाने के लिए खुदाई का काम

खनन या सुरंग बनाना*?*

उन कारकों से संबंधित कॉलम में जिन पर विचार किया जाना चाहिए जैसे -

परिणामी विकास और पर्यावरणीय प्रभाव पैदा करेगा या

इलाके में अन्य मौजूदा या नियोजित गतिविधियों के साथ संचयी प्रभाव की संभावना, इसे नीचे बताया गया था:

एस. नहीं।

जानकारी/चेकलिस्ट

हाँ/नहीं? विवरण

इसके साथ (

पुष्टि

अनुमानित मात्राएँ/दरें,

जहाँ भी संभव हो)

के साथ

सूचना डेटा का स्रोत

विकास की ओर ले जाता है

9.1

विकास या विकास
परियोजना से प्रेरित

जिन पर पड़ सकता है प्रभाव
द.

पर्यावरण

ई. जी. :

नहीं।

समर्थन

बुनियादी ढांचा

(सड़कें, बिजली की आपूर्ति, कचरा या

अपशिष्ट जल उपचार, आदि)

विकास

आवास

निष्कर्षण उद्योगों की आपूर्ति

उद्योग, (अन्य)
साइट के उपयोग के बाद की ओर ले जाएँ,

9.2

यह सबसे उपयुक्त है और

जिसका प्रभाव पड़ सकता है।

नहीं।

उपयुक्त स्थल।

पर्यावरण के बारे में

बाद के लिए एक मिसाल कायम करें

9.3

नहीं।

विकास
संचयी प्रभाव पड़ता है

9.4

अन्य वर्तमान से निकटता

नहीं।

या नियोजित परियोजनाओं के साथ

समान प्रभाव *[2021] 15* एस. सी. आर

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

84. पार्किंग की जरूरतों के पहलू पर, यह कहा गया कि सुरक्षा के कारण आस-पास के भूखंड पर पार्किंग की आवश्यकता का ध्यान रखा जाएगा

कारणों से। *85.* संशोधित आवेदन के साथ, परियोजना प्रस्तावक ने एक निजी सलाहकार द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट भी प्रस्तुत की थी, जिसका शीर्षक था -

'नया संसद भवन-यातायात संचरण और प्रबंधन योजना, जिसका अनुच्छेद *4.1* निम्नानुसार है:

" *4.1* सामान्य

निर्माण वाहन परिसंचरण और प्रबंधन योजना पते

विभिन्न वाहनों के माध्यम से सामग्री के संग्रह और निपटान के लिए साइट का प्रभावी उपयोग। यह वाहनों के लिए प्रवेश/निकास बिंदु, आवश्यक बैरिकेडिंग, यातायात मोड़ और साइट लेआउट बनाता है। एक अच्छा प्रबंधन

योजना स्थल पर और सार्वजनिक सड़कों पर वाहन की आवाजाही के प्रभाव को कम करती है। सेंट्रल विस्टा के पुनर्विकास में सेंट्रल विस्टा क्षेत्र में अस्थायी स्थानांतरण, विध्वंस और नए केंद्रीय सचिवालय भवनों, नए संसद भवन और अन्य संबद्ध भवनों का निर्माण शामिल है। सेंट्रल विस्टा का पुनर्विकास तीन चरणों में किया जाएगा, जिसमें अलग-अलग इमारतें होंगी।

साथ ही प्रत्येक चरण में परिचालन रूप से स्थानांतरित और निर्मित किया गया।

निर्माण चरण का विवरण नीचे दिया गया हैः

1. आई. जी. एन. सी. ए., संसद भवन और पूर्ण का स्थानांतरण

नए संसद भवन और *3* केंद्रीय भवनों का निर्माण

सचिवालय भवन।

2. वी. पी. हाउस, मौजूदा केंद्रीय सचिवालय भवन का स्थानांतरण और *7* केंद्रीय सचिवालय भवनों का पूर्ण निर्माण।

3. उत्तर, दक्षिण प्रखंड का स्थानांतरण और पूर्ण निर्माण

शेष इमारतें।

वर्तमान यातायात की मात्रा, नियमों और मौजूदा सड़कों पर प्रतिबंध के आधार पर सामग्री की डिलीवरी और संग्रह की अनुमति *10: 00* पीएम से *6: 00* एएम। विशेष आयोजनों और सुरक्षा कारणों से मार्ग और समय में परिवर्तन की सूचना दिल्ली यातायात पुलिस द्वारा संबद्ध ठेकेदारों, विक्रेताओं और आपूर्ति एजेंसियों को दी जाएगी।

वितरण और संग्रह अनुसूची की योजना बनाने के लिए।

86. मूल आवेदन *1* फरवरी *2020* को आयोजित विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति *(*ई. ए. सी.*)* की *49* वीं बैठक में लिया गया था। बैठक में दर्ज किया गया है कि बड़ी संख्या में अभ्यावेदन प्राप्त किए गए थे।

दिल्ली विकास प्राधिकरण और

ओआरएस। *[*संजीव खन्ना, जे।*]*

अध्यक्ष/सदस्यों द्वारा मुख्य रूप से चिंता व्यक्त करने का प्रयासः

भारतीय संसद संरचनात्मक रूप से समग्र का एक हिस्सा है। अधिसूचित विरासत परिसर, सेंट्रल विस्टा। आवेदन पूरी तरह से ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक अवहेलना करता है।

किसी भी अन्य नियमित निर्माण परियोजना के "विस्तार और नवीनीकरण" को ध्यान में रखते हुए मौजूदा संसद का महत्व।

आवेदन में संसद के विस्तार को एक स्वतंत्र परियोजना के रूप में माना गया है, जबकि यह सेंट्रल विस्टा विरासत परिसर के प्रस्तावित पुनर्विकास का केवल एक हिस्सा है। संसद के विस्तार को एक अलग तरीके से माना जाना

परियोजना एम. ओ. ई. एफ. सी. सी. के ओ. एम. दिनांकित *(सं. जे-11013/41/2006-IA.II (आई))* 'पर्यावरण मंजूरी के अनुदान के लिए एकीकृत और अंतर संबंधित परियोजनाओं पर विचार' के लिए। द. वर्तमान आवेदन इस ओ. एम. की आवश्यकताओं की पूरी तरह से अवहेलना करता है।

आवेदन विभिन्न प्रभावों के पैमाने और अवधि के प्रश्नों के लिए व्यक्तिपरक प्रतिक्रियाओं से भरा है जो संभावित हैं प्रस्तावित निर्माण के कारण। इन्हें केवल राय के रूप में माना जा सकता है क्योंकि आवेदन का समर्थन करने के लिए कोई अध्ययन या विस्तृत मूल्यांकन नहीं हैं।

परियोजना के लिए भूमि उपयोग परिवर्तन पर लंबित मुकदमेबाजी के कारण पर्यावरण मंजूरी के लिए आवेदन को अलग रखा जाना चाहिए। सेंट्रल विस्टा के लिए भूमि उपयोग परिवर्तन अधिसूचना, जिसमें प्लॉट *118* शामिल है, दिल्ली उच्च न्यायालय यानी डब्ल्यू. पी. सी. *1575/2020* और डब्ल्यू. पी. के समक्ष मुकदमे के तहत है। *(ग) 1568/2020*। "

यह देखते हुए कि निर्माण के लिए प्रस्तावित कुल निर्मित क्षेत्र की गणना में एक गलती थी, परियोजना प्रस्तावक था निर्मित क्षेत्र की जानकारी को संशोधित करने के लिए कहा गया। परियोजना प्रस्तावक को एक संशोधित आवेदन दायर करना था। इसके अलावा, परियोजना प्रस्तावक था

ई. ए. सी. द्वारा अभ्यावेदनों का पैरा-वाइज जवाब दाखिल करने का निर्देश

प्राप्त, यातायात प्रबंधन योजना और 'मौजूदा संसद भवन के नवीनीकरण' की गुंजाइश। ई. ए. सी. ने यह भी दर्ज करना उचित समझा कि प्रस्ताव राष्ट्र के लिए एक बड़े संसद भवन के निर्माण के संबंध में था और इस परियोजना का सामाजिक बुनियादी ढांचे और क्षेत्र के समग्र विकास में सकारात्मक योगदान होगा। ऑपरेशन के दौरान निवारक उपाय करके प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव को कम किया जा सकता है।

87. इसके बाद, परियोजना प्रस्तावक ने संशोधित आवेदन दायर किया था और प्राप्त अभ्यावेदनों का बिंदुवार जवाब दिया था।

22 अप्रैल *2020* को आयोजित ई. ए. सी. की *50* वीं बैठक में संशोधित प्रस्ताव पर विचार किया गया। बैठक के कार्यवृत्त से पता चलता है कि यह परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों और बिंदुवार जवाब और प्लॉट संख्या *118* के भूमि उपयोग के परिवर्तन के बारे में जानकारी को विस्तार से प्रस्तुत करता है जो अदालती मुकदमेबाजी का विषय था। पर्यावरण मंजूरी पर आपत्ति जताते हुए प्राप्त अभ्यावेदनों का उल्लेख करते हुए ऊपर उल्लिखित विशिष्ट आपत्तियां दर्ज की गईं। यह भी कहा गया कि पर्यावरण मंजूरी में पानी, हवा, मिट्टी, शोर और सामाजिक और वास्तुशिल्प विरासत सहित अन्य जैविक और अजैविक कारकों को शामिल करते हुए भवन के भौतिक पर्यावरण पदचिह्न के प्रभाव को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

88. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत बिंदुवार उत्तर में कहा गया है कि एकीकृत और परस्पर संबंधित परियोजनाएं वे हैं जिनके बिना

प्रस्तावित परियोजना के आवश्यक कार्यात्मक परिणाम प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं। संसद भवन अनिवार्य रूप से उन कार्यों को करता है जो हैं -

अन्य कार्यालय भवनों में किए जाने वाले कार्यकारी कार्यों से भिन्न, और इसलिए, संसद के विस्तार को एक

संसद भवन और सेंट्रल विस्टा में प्रस्तावित अन्य भवनों के अंतिम उपयोगकर्ताओं के रूप में एकीकृत और परस्पर संबंधित परियोजना अलग हैं। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा बिंदुवार उत्तर में कहा गया हैः

"ए। संसद और सेंट्रल विस्टा ईसी अलगावः

एकीकृत और अंतर-संबंधित परियोजनाएं वे हैं -

आई.

जिन परियोजनाओं के बिना आवश्यक कार्यात्मक *I v*।

दिल्ली विकास प्राधिकरण और

ओआरएस। *[* संजीव खन्ना, जे।*]*

प्रस्तावित परियोजना का परिणाम प्राप्त नहीं किया जा सकता है।

उदाहरण के लिए, ऐसी परियोजनाओं में एक कैप्टिव परियोजना शामिल होगी।

कोयले की खदान या जेटी से जुड़ा बिजली संयंत्र

तरल प्राकृतिक गैस *(*एल. एन. जी.*)* टर्मिनल से जुड़ा हुआ।

प्रस्तावित संसद भवन अनिवार्य रूप से है।

विधायी कार्य, जो अलग हैं

अन्य कार्यालयों में किए जाने वाले कार्यकारी कार्य इमारतें और इसलिए, एक के रूप में नहीं माना जा सकता है

एकीकृत और अंतर-संबंधित परियोजना बनाम अन्य

सरल कारण से प्रस्तावित सेंट्रल विस्टा इमारतें कि यह निश्चित रूप से स्वतंत्र रूप से काम कर सकता है

अन्य संरचनाएँ।

संसद की अध्यक्षता माननीय उपाध्यक्ष करते हैं।

राज्यसभा के लिए भारत के राष्ट्रपति और लोकसभा के माननीय अध्यक्ष, नहीं

कार्यकारी। इसका अपना सचिवालय है। अंतिम उपयोगकर्ता

इसलिए वे बहुत अलग हैं।

अन्य केंद्रीय वीटा भवनों का पुनर्विकास विस्तार के विपरीत एक अलग गतिविधि है और

संसद का नवीनीकरण।

XXX

XXX

मौजूदा और प्रस्तावित संसद के एकीकरण के लिए

सीएस।

वर्तमान संसद भवन और प्रस्तावित

संसद का विस्तार निश्चित रूप से कार्य के संदर्भ में परस्पर संबंधित है क्योंकि इसके कुछ कार्य हैं - संसद का संचालन मौजूदा भवन में किया जाएगा।

और साथ ही कुछ कार्य किए जाएंगे। प्रस्तावित भवन में-लेकिन इसके संदर्भ में भी

भौतिक उपयोगिताएँ। वास्तव में, प्लॉट *116* और *118* अंतर हैं।

आज भी संबंधित *(*और लगभग चार दशकों से*)*

क्योंकि मौजूदा संसद भवन में

उसी भूखंड *(118)* पर उपयोगिताएँ जहाँ संसद का विस्तार प्रस्तावित है। आगे बढ़ते हुए, यह हुआ है

दोनों के लिए एक साझा उपयोगिता खंड का प्रस्ताव, वर्तमान और प्रस्तावित संसद भवन।

इसलिए, यह प्रस्तावित संसद *[2021] 15* एस. सी. आर. का भी अनुसरण करता है।

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

यह वास्तव में मौजूदा संसद भवन/संरचना का विस्तार है।

मौजूदा संसद भवन की आवश्यकता है

ii.

इसके नवीनीकरण की अनुमति देने के लिए अस्थायी रूप से खाली किया गया और

नवीनीकरण। यह केवल तभी किया जा सकता है जब नया
संसद भवन का निर्माण तत्काल आधार पर किया गया है।

ई विकल्पः

आई. जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है।

इमारतें खड़ी नहीं हैं। वे आपस में जुड़े हुए हैं। सुविधाओं को साझा किया जाएगा। अधिकारियों को अक्सर एक इमारत से दूसरी इमारत में जाने की आवश्यकता होगी।

कई उपयोगिताएँ सामान्य होंगी या एक ही स्थान पर रखी जाएंगी।

जगह।

यह एक विस्तार है न कि ग्रीनफील्ड परियोजना। तुलनीय नई परियोजना के पर्यावरणीय प्रभाव हमेशा रेट्रोफिट, नवीनीकरण की तुलना में अधिक होंगे।

और विस्तार जैसा कि प्रस्तावित किया जा रहा है।

संसद को अन्य सीटों के करीब होना चाहिए

शासन।

यह इस प्रकार है कि चुना गया विकल्प वास्तव में भारत की संसद जैसी इमारत के लिए सबसे अच्छा है।

सेंट्रल विस्टा विकास की तुलना में अनुकरणीय प्रभाव

प्रस्तावित संसद विस्तारः

पड़ोसी भूखंड पर एक मौजूदा इमारत का विस्तार। संयुक्त संरचना के अधिकांश प्रभाव पहले से ही स्थल पर हो रहे हैं। नए संसद भवन के विस्तार से पर्यावरणीय प्रभाव होंगे, जो कि मामूली और वृद्धिशील होंगे। कृपया परिशिष्ट *1* देखें।

इस निष्कर्ष के कारण पर प्रकाश डालना।

ii. पारिस्थितिकी पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि जिन पेड़ों को प्रत्यारोपित करने की आवश्यकता है, उन्हें कुछ समय के लिए नर्सरी रखने के लिए भेजा जाएगा। इसके बाद, इन्हें बाहरी स्थल विकास के हिस्से के रूप में प्लॉट *118* में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

ट्रीज़ राजीव सूरी वी. दिल्ली विकास प्राधिकरण और

ओआरएस। *[*संजीव खन्ना, जे।*]*

जिसे प्लॉट *118* के भीतर समायोजित नहीं किया जा सकता है
सेंट्रल विस्टा क्षेत्र के भीतर प्रत्यारोपित। उपरोक्त विवरण

एमओईएफ एंड सीसी के साथ प्रतिनिधित्व किया गया है। पेड़ों के प्रत्यारोपण के लिए आवश्यक अनुमति प्राप्त की जाएगी।

सक्षम एजेंसियां।

iii. सार्वजनिक स्थानों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा।

प्रस्तावित संसद के विस्तार के कारण। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्लॉट *118*, जो प्लॉट *116* से सटा हुआ है, जिस पर मौजूदा संसद खड़ी है, में वर्तमान में लगभग चार दशकों से पार्किंग, सहायक सेवाएं और संसद भवन के लिए एक स्वागत कक्ष है। रिसेप्शन *1976* में बनाया गया था और एसी चिलर प्लांट जैसी उपयोगिताओं को *1981-82* में बनाया गया था, जबकि उप-स्टेशन *1974* में बनाया गया था, क्योंकि प्लॉट *116* के भीतर इन सुविधाओं को समायोजित करना संभव नहीं था। चूंकि पूरा क्षेत्र एक उच्च सुरक्षा क्षेत्र है, इसलिए इसका उपयोग कभी भी मनोरंजक उपयोग के लिए जिला उद्यान के रूप में नहीं किया जा सकता है।

89. इसके बाद, ई. ए. सी. अपने निष्कर्ष और निष्कर्षों को दर्ज करने के लिए आगे बढ़ा, जिसमें लिखा था:

" *50.3 .7.5 .* दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर

प्रस्तावक विज़-ए-विज़ शमन उपायों द्वारा

प्रस्तावक, ईएसी द्वारा प्रस्तावित पर्यावरणीय प्रभाव

परियोजना के पर्यावरणीय पहलुओं का मूल्यांकन किया और सिफारिश की

निम्नलिखित विशिष्टताओं के साथ पर्यावरण मंजूरी प्रदान करने के लिए

निर्दिष्ट अन्य मानक ईसी शर्तों के साथ शर्तें

मंत्रालय द्वारा उक्त के लिए दिनांक *4* जनवरी, *2019* को ओम के माध्यम से परियोजना/गतिविधि *(*कार्यवृत्त के अनुलग्नक-*8* में निर्दिष्ट*)*, जबकि

पर्यावरण मंजूरी के समझौते पर विचार करना। "

उपरोक्त को दर्ज करते हुए, ई. ए. सी. ने वायु और जल प्रदूषण अधिनियम के तहत दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति से मंजूरी, पर्याप्त अग्नि सुरक्षा के प्रावधान जैसी अन्य मंजूरी से संबंधित शर्तों सहित पंद्रह शर्तों को लागू करने के लिए आगे बढ़े।

उपाय आदि। *90.* जो चिंता का विषय है वह है चर्चा, कारणों या यहाँ तक कि निष्कर्ष या निष्कर्ष की कमी या समावेश के पहलू पर निष्कर्ष निकालना। बेंगलुरु विकास प्राधिकरण में "मूल्यांकन" के मामले में *v.* सुधाकर

हेगड़े *6 3*, इस अदालत ने स्पष्ट किया है:

63 (2019) 15 एससीसी *401*।

"एस. ई. ए. सी. द्वारा मूल्यांकन *2006* द्वारा संरचित और परिभाषित किया गया है।

अधिसूचना। इस स्तर पर, एस. ई. ए. सी. को ई. सी. के अनुदान के लिए आवेदक द्वारा प्रस्तुत ई. आई. ए. रिपोर्ट सहित आवेदन और अन्य दस्तावेजों की "विस्तृत जांच" करने की आवश्यकता होती है। मूल्यांकन प्रक्रिया के पूरा होने पर, एस. ई. ए. सी. एस. ई. आई. ए. ए. को निम्नलिखित के लिए "स्पष्ट सिफारिशें" करता है: *((i)*

निर्धारित नियमों और शर्तों पर पूर्व निर्वाचन आयोग का अनुदान; या *(ii)* आवेदन की अस्वीकृति। महत्वपूर्ण रूप से, ईसी के अनुदान के लिए एस. ई. ए. सी. द्वारा की गई सिफारिशों को आम तौर पर स्वीकार किया जाता है

एस. ई. आई. ए. ए. और "कारणों" पर आधारित होना चाहिए।

प्रासंगिक, अप्रासंगिक या आंशिक रूप से प्रासंगिक है, या क्या निर्णय आंशिक रूप से अनुमानों और अनुमानों पर और आंशिक रूप से साक्ष्य पर आधारित है। *(* धीरज लाल और गिरधारी लाल बनाम मामले में इस न्यायालय के संवैधानिक पीठ के फैसले को देखें। आयकर आयुक्त, *64)*। कम से कम संक्षेप में यह समझने के लिए कि प्राधिकरण को किस बात ने प्रभावित और राजी किया था, कुछ कारण अनिवार्य और आवश्यक हैं। एक मुद्दा निश्चित रूप से उठाया गया था जिसके जवाब की आवश्यकता थी वह था टुकड़े करने या शामिल करने का सवाल। हम इस पहलू पर दर्ज कारणों या निष्कर्षों को समझने और उनका पता लगाने में असमर्थ हैं। *91.* एस. एन. मुखर्जी बनाम भारत संघ ", सीमेंस इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड में टिप्पणियाँ। भारत संघ

और अन्य *66* को यह ठहराने के लिए उद्धृत किया गया था कि अर्ध-न्यायिक कार्य का प्रयोग करने वाले प्रशासनिक प्राधिकरण और न्यायाधिकरण अपने अस्तित्व को उचित ठहरा सकते हैं और न्यायिक प्रक्रिया में विश्वास पैदा करके लोगों के साथ विश्वसनीयता बनाए रख सकते हैं। जब तक कारणों का खुलासा नहीं किया जाता है, यह जानना संभव नहीं है कि क्या

प्राधिकरण ने अपना दिमाग लगाया था या नहीं। इसके अलावा कारण देने से मनमानेपन की संभावना कम हो जाती है। यह कानून के शासन की एक अनिवार्य आवश्यकता है कि कुछ कारणों को कम से कम संक्षिप्त में न्यायिक या अर्ध-न्यायिक आदेश में प्रकट किया जाना चाहिए, भले ही वह पुष्टि का आदेश हो। इसी तरह

64 आकाशवाणी *1955* एस. सी. *271* *65* ए. आई. आर *1990* एस. सी. *1984*

66 (1976) 2 एस. सी. सी. *981* राजीव सूरी बनाम

दिल्ली विकास प्राधिकरण और

ओआरएस। *[* संजीव खन्ना, जे।*]*

अनुशासनात्मक प्राधिकरण के अध्यक्ष में टिप्पणियां की गई हैं,

रानी लक्ष्मी बाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बनाम। जगदीश चंद वार्ष्णेय। *67* आय कर आयुक्त बनाम. वालचंद एंड कंपनी प्रा. लिमिटेड, *68* का मानना है कि कुछ अर्ध-न्यायिक न्यायाधिकरणों को न्यायिक भावना से संपर्क करना चाहिए और मामले का फैसला करना चाहिए और उस उद्देश्य के लिए उसे अपने समक्ष विवादित प्रश्नों

को साक्ष्य के साथ इंगित करना चाहिए और निर्णय के समर्थन में अपने कारणों को दर्ज करना चाहिए। समर्थन में बिना किसी कारण के निर्णय दर्ज करने की प्रथा की गंभीर रूप से निंदा की जा सकती है। जब एक अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण द्वारा कारण देना और दर्ज करना कानून में अनिवार्य है, तो यह कई उद्देश्यों को पूरा करता है। सबसे पहले, एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया द्वारा विवेक का प्रयोग इसके अभ्यास में स्पष्टता से सबसे अच्छा साबित होता है। *69* दूसरा, यह प्राधिकरण द्वारा विचार को बढ़ावा देता है और इसे विचार करने और निर्णय लेने के लिए मजबूर करता है

प्रासंगिक बिंदु और सावधानीपूर्वक विचार सुनिश्चित करने वाली विसंगतियों से बचें। *70* तीसरा, अपीलीय प्राधिकरण या न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करने वाले न्यायालय अपनी अपीलीय या न्यायिक समीक्षा शक्ति का प्रयोग करने में असमर्थ हैं जब तक कि उन्हें समीक्षा के तहत आदेश के अंतर्निहित विचार के बारे में सलाह और जागरूक नहीं किया जाता है। *1* चौथा, कारणों को दर्ज करने की आवश्यकता अच्छे प्रशासन और शासन के मूल सिद्धांतों में से एक है। अंत में, कारणों की रिकॉर्डिंग, विशेष रूप से प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा प्रदर्शन

अर्ध-न्यायिक कार्य, पूर्वाग्रह और पूर्वाग्रह की कमी सुनिश्चित करते हैं। यह विशेष रूप से तब होता है जब सरकार और नागरिकों को एक-दूसरे के खिलाफ खड़ा किया जाता है, क्योंकि तब ऐसे आरोप लग सकते हैं कि कार्यकारी अधिकारी या अर्ध न्यायिक प्राधिकरण चीजों को लोगों के अधिकारों के बजाय नीति निर्माता और समीचीनता के दृष्टिकोण से देखते हैं। इस प्रकार, कारणों को दर्ज करने में विफलता न्याय से इनकार करने के बराबर हो सकती है, क्योंकि कारण निर्णय निर्माता के दिमाग और विचाराधीन विवाद के बीच एक जीवंत कड़ी हैं।

और निर्णय या निष्कर्ष पर पहुंचे। इसलिए, बोलने के आदेश की आवश्यकता को न्यायिक रूप से एक अनिवार्यता के रूप में मान्यता दी गई है। पंजाब राज्य में *v.* भाग सिंह ", यह देखा गयाः

6. यहां तक कि प्रशासनिक आदेशों के संबंध में, लॉर्ड डेनिंग, एम. आर. ब्रीन बनाम। अमालगामेटेड इंग। संघ *[(1971) 1* सभी ई. आर. *1148: (1971) 2* क्यूबी *175: (1971) 2* डब्ल्यूएलआर *742 (*सीए*)]* ने देखाः " कारण देना अच्छे के मूल सिद्धांतों में से एक है।

70 जॉन पी. डनलोप *71* प्रतिभूति और विनिमय आयोग *72 (2004) 1* एस. सी. सी. *547 [2021]* *15* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रशासन "। अलेक्जेंडर मशीनरी *(*डडली*)* में

लिमिटेड वी. क्रेबट्री *[1974* आई. सी. आर. *120 (*एन. आई. आर. सी.*)]* यह देखा गया थाः " कारण बताने में विफलता न्याय से इनकार करने के बराबर है। कारण जीवंत हैं।

निर्णय की वैधता का निर्णय लेने में न्यायिक समीक्षा। कारणों का अधिकार एक मजबूत न्यायिक प्रणाली का एक अनिवार्य हिस्सा है, कम से कम अदालत के समक्ष मामले में दिमाग के अनुप्रयोग को इंगित करने के लिए पर्याप्त कारण हैं। एक अन्य तर्क यह है कि प्रभावित पक्ष को पता चल सकता है कि निर्णय उसके खिलाफ क्यों गया है। सलामी देने वालों में से एक

प्राकृतिक न्याय की आवश्यकताएँ आदेश के कारणों को स्पष्ट करती हैं, दूसरे शब्दों में, एक बोलने-बाहर। "स्फिंक्स का अस्पष्ट चेहरा" आम तौर पर न्यायिक या अर्ध-न्यायिक के साथ असंगत होता है।

प्रदर्शन "।

92. उपरोक्त स्थिति का सामना करते हुए, हमारे सामने यह तर्क दिया गया था कि *2006* की ई. आई. ए. अधिसूचना के प्रासंगिक खंड में ऐसा नहीं है

पर्यावरण मंजूरी दिए जाने पर कारण बताने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, हनुमान लक्ष्मण अरोस्कर बनाम में हाल के फैसले में इस अदालत की टिप्पणियाँ इसके विपरीत हैं। भारत संघ "इनक्यूरियम के अनुसार है। ई. आई. ए. अधिसूचना का प्रासंगिक खंड इस प्रकार है:

" *(i)* मूल्यांकन का अर्थ है विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति या राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति द्वारा विस्तृत जांच।

आवेदन और अन्य दस्तावेज जैसे अंतिम ई. आई. ए. रिपोर्ट, पर्यावरण मंजूरी देने के लिए आवेदक द्वारा संबंधित नियामक प्राधिकरण को प्रस्तुत सार्वजनिक सुनवाई कार्यवाही सहित सार्वजनिक परामर्श का परिणाम। यह मूल्यांकन संबंधित विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति या राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति द्वारा पारदर्शी तरीके से एक ऐसी कार्यवाही में किया जाएगा जिसमें आवेदक को आवश्यक प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

व्यक्तिगत रूप से या किसी अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से स्पष्टीकरण। इस कार्यवाही के समापन पर, संबंधित विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति या राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति संबंधित नियामक प्राधिकरण को स्पष्ट सिफारिशें करेगी।

73 (2019) 15 एस. सी. सी. *401* राजीव सूरी बनाम।

दिल्ली विकास प्राधिकरण और

ओआरएस। *[* संजीव खन्ना, जे।*]*

या तो निर्धारित नियमों और शर्तों पर पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी देने के लिए, या पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी के लिए आवेदन को अस्वीकार करने के लिए, उसी के कारणों के साथ।

गौ रक्सा हितरक्षक मंच बनाम में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। भारत संघ ने ठीक ही कहा है कि वाक्य के पहले भाग के अंत में अल्पविराम का उपयोग, 'नियम और शर्तें' शब्दों को जोड़कर और 'नियम और शर्तें' शब्दों को 'उसी के कारणों के साथ' जोड़कर पढ़ने की आवश्यकता है। इस मामले में यह आयोजित किया गया था, और हम सम्मानपूर्वक सहमत हैं कि

निकाय, जिसमें ई. ए. सी. के साथ-साथ मंत्रालय भी शामिल है, को मंजूरी देने या अस्वीकार करने के लिए नियामक प्राधिकरण को स्पष्ट सिफारिशें करनी होती हैं, साथ ही इसके कारणों को भी बताना होता है। इसके अलावा, ई. ए. सी. द्वारा पारित आदेश राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के समक्ष अपील योग्य हैं।

अपीलीय मंच तब तक समझने और निर्णय लेने में सक्षम नहीं होगा जब तक कि कारणों को निर्धारित नहीं किया जाता है और चुनौती के तहत आदेश में कहा नहीं जाता है। ई. ए. सी. को कार्य आउटसोर्स करने का पूरा

उद्देश्य, जिसमें विशेषज्ञ और विशेषज्ञों को कुछ वस्तुनिष्ठ मानदंडों के आधार पर उचित मूल्यांकन करना होता है। ई. ए. सी. एक ऐसा निकाय है जिसे अपने सामूहिक दिमाग को लागू करना होता है न कि निष्कर्ष दर्ज करने के लिए। इसे अपने निष्कर्षों को उचित ठहराना चाहिए और आधार देना चाहिए। हनुमान लक्ष्मण अरोस्कर का कहना हैः

"160. ई. ए. सी. ने एक विशेषज्ञ निकाय के रूप में उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपनी भूमिका और कार्य का त्याग कर दिया जो इसकी शक्ति के प्रयोग के लिए बाहरी थीं और पर्यावरण के उन पहलुओं पर ध्यान देने में विफल रही जो इसके निर्णय लेने के लिए महत्वपूर्ण थे। *2006* की अधिसूचना

यह मानता है कि आम तौर पर, एम. ओ. ई. एफ. सी. सी. स्वीकार करेगा

ईएसी की सिफारिश। यह ई. ए. सी. की भूमिका को और भी महत्वपूर्ण बनाता है। एन. जी. टी. एक न्यायिक निकाय है जो निर्वाचन आयोग के अनुदान पर अपीलीय अधिकार क्षेत्र में निहित है। एनजीटी ने निपटा

प्रस्तुतियाँ जिनका अनिवार्य रूप से एक में आग्रह किया गया था

अनुच्छेद। यह एनजीटी अधिनियम, *2010* की धारा *16 (*एच*)* और धारा *20* के तहत अपनी भूमिका और शक्ति की वास्तविक प्रकृति को समझने में विफल रहा। योग्यता की समीक्षा करने में विफल रहने पर, एनजीटी ने एक न्यायिक कार्य का निर्वहन नहीं किया है जो उचित रूप से उससे संबंधित है।

93. प्रत्यर्थी ने तर्क दिया था कि यह न्यायालय इस सवाल की जांच कर सकता है कि इसमें कटौती और समावेशन है या नहीं। हम विवादित आदेश की कानूनी शुद्धता का पता लगाने के लिए हैं न कि एक कार्य करने के लिए।

गहराई और ताजा योग्यता अभ्यास। हम विशेषज्ञ नहीं हैं। वैधानिक प्रावधान

74 (2013) एससीसी ऑनलाइन एनजीटी *85 [2021] 15* एस. सी. आर.

सम्मान किया जाना चाहिए। कुछ रिट याचिकाकर्ताओं का कहना है कि संसद पुस्तकालय और अनुलग्नक के निर्मित क्षेत्र को जानबूझकर बाहर रखा गया है। यदि पुस्तकालय और अनुलग्नक के निर्मित क्षेत्र को निर्मित क्षेत्र में जोड़ा जाता है, तो कुल निर्मित क्षेत्र *1,99,435* वर्ग किमी होगा। एमटीआरएस। , और इसलिए आवेदन को मद *8 (*बी*)* के संदर्भ में संसाधित किया जाना चाहिए न कि मद *8 (*ए*)* के संदर्भ में, भले ही सेंट्रल विस्टा के टुकड़े/विभाजन के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया गया हो। हम ई. ए. सी. द्वारा किसी भी विचार के अभाव में इन पहलुओं का जवाब नहीं देना चाहते हैं या इनमें नहीं जाना चाहते हैं। हालाँकि, रिमांड पर इन पहलुओं पर विचार किया जाना चाहिए।

94. उत्तरदाताओं ने अपनी दलीलों में और सुनवाई के दौरान, सेंट्रल विस्टा के पुनर्विकास की आवश्यकता के कारण प्रस्तुत किए हैं। न्यायिक समीक्षा के दायरे और दायरे को ध्यान में रखते हुए, हमने

सेंट्रल विस्टा के पुनर्विकास के संबंध में मास्टर प्लान के संशोधन के लिए उत्तरदाताओं द्वारा दिए गए आधारों के गुण-दोष पर जानबूझकर विचार नहीं किया गया। हालाँकि हम उसी को रिकॉर्ड करेंगे और याचिकाकर्ताओं द्वारा काउंटर पर ध्यान देंगे। उत्तरदाताओं ने कहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निर्मित झोपड़ियां या अस्थायी बैरक या अस्तबल *90* एकड़ से अधिक भूमि पर फैले हुए हैं, जिसमें नॉर्थ ब्लॉक से सटे खुले क्षेत्र, साउथ ब्लॉक से सटे ए एंड बी ब्लॉक, त्यागराज में भूखंड शामिल हैं।

मार्ग, जामनगर हाउस और जोधपुर हाउस। इसके अलावा, शास्त्री भवन, निर्माण भवन, उद्योग भवन, रेल भवन, कृषि भवन और वायु भवन आदि जैसे भवनों का निर्माण स्वतंत्रता के बाद किया गया था। झोपड़ियों और इन इमारतों ने लगभग पचास क्षेत्रों के अपने संरचनात्मक जीवन को समाप्त कर दिया है और भूकंप-सुरक्षित नहीं हैं, खराब सेवा एकीकरण, भूमि के अक्षम उपयोग, अपर्याप्त सुविधाओं और सुसंगत वास्तुशिल्प पहचान की कमी से पीड़ित हैं। ये झोपड़ियां और इमारतें आधुनिक कार्यालयों के रूप में काम नहीं कर सकती हैं, और इन्हें फिर से तैयार करने और नवीनीकृत करने की आवश्यकता होती है, जिसकी लागत प्रति वर्ष लगभग *Rs.50* करोड़ होगी। इसके अलावा, इन इमारतों और अन्य का उपयोग और वास्तुकला असंगत है; उदाहरण के लिए, उपराष्ट्रपति का निवास, विज्ञान भवन और राष्ट्रीय संग्रहालय एक दूसरे के बगल में स्थित हैं। संपदा निदेशालय द्वारा जारी गैर-उपलब्धता प्रमाण पत्र के अनुसार लगभग *3* लाख *80* हजार मीटर कार्यालय स्थान की कमी है जिसके लिए *1* करोड़ रुपये तक के किराए की आवश्यकता होगी। सेंट्रल विस्टा विकास और पुनर्विकास योजना यह सुनिश्चित करेगी कि सभी मंत्रालयों के साथ औपचारिक केंद्रीय सचिवालय दक्षता और कार्य के तालमेल के लिए एक ही स्थान पर स्थित हो। कुल मिलाकर लगभग *51* मंत्रालयों को सेंट्रल विस्टा में बनाए जाने वाले *10* भवनों में आधुनिक तकनीकी विशेषताओं और सुविधाओं वाले कार्यालय स्थान होंगे।

वहाँ राजीव सूरी बनाम। दिल्ली विकास प्राधिकरण और

ओआरएस। *[* संजीव खन्ना, जे।*]*

यह लगभग *3* कि. मी. लंबाई का एक भूमिगत शटल होगा जो सभी इमारतों को जोड़ेगा और एकीकृत करेगा। मौजूदा संसद भवन और अनुलग्नक को ध्वस्त नहीं किया जा रहा है; एक नए संसद भवन का निर्माण किया जा रहा है, जो मौजूदा भवनों के साथ संसद परिसर बनाएगा। यह कहा जाता है कि संसद भवन था *1927* में शुरू की गई और पिछले कुछ वर्षों में संसदीय गतिविधियों और वहां काम करने या आने वाले लोगों की संख्या में कई गुना वृद्धि हुई है।

संसद भवन को शाही विधान परिषद के लिए बनाया गया था और राष्ट्रीय विधानमंडल के लिए इसकी योजना नहीं बनाई गई है। अधिक जगह की मांग के कारण *1956* में संरचना में दो मंजिलें जोड़ी गईं। बाद में पुस्तकालय भवन और अनुलग्नक को जोड़ा गया। इमारत को वर्तमान अग्नि सुरक्षा मानदंडों के अनुसार डिज़ाइन नहीं किया गया है और अन्य सुरक्षा मुद्दे हैं। विद्युत वातानुकूलन और नलसाजी प्रणाली अपर्याप्त, अक्षम और संचालन और रखरखाव के लिए महंगी हैं। संसद में ऑडियो वीडियो प्रणाली है पुराने और हॉल ध्वनिकी प्रभावी नहीं हैं। अंत में, यह कहा गया है कि लोकसभा में सीटों की संख्या के लिए अंतिम परिसीमन *1971* की जनगणना के आधार पर किया गया था। तब से *545* सीटों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। *2026* के बाद सीटों की संख्या में काफी वृद्धि होने की संभावना है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों क्षमता से भरे हुए हैं और इनमें कोई जगह नहीं है।

अतिरिक्त सीटें। बैठने की व्यवस्था तंग और बोझिल है और दूसरी पंक्ति से परे कोई डेस्क नहीं है। इससे आंदोलन बेहद बाधित हो जाता है। सेंट्रल हॉल में केवल *440* लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा सभी धरोहर भवनों को संरक्षित किया जा रहा है और उनमें से कई का उपयोग संग्रहालयों के रूप में किया जाएगा।

95. दूसरी ओर, याचिकाकर्ताओं ने प्रस्तुत किया है:

(क*)* मौजूदा संसद भवन और सेंट्रल विस्टा निरंतर और जीवित विरासत हैं जिन्हें भविष्य की पीढ़ियों के लिए संरक्षित और संरक्षित किया जाना चाहिए। लगभग *80* एकड़ भूमि का पुनर्विकास, राष्ट्रीय संग्रहालय को ध्वस्त करना और नई संसद का निर्माण स्थायी रूप से प्रतिष्ठित भूमि को प्रभावित करेगा।

चरित्र, क्षितिज रेखा, लेआउट और सेंट्रल विस्टा का वास्तुशिल्प सामंजस्य। यह अपरिवर्तनीय और गैर-अपरिवर्तनीय नुकसान का कारण बनेगा और गार्डे *1* विरासत भवनों को नुकसान पहुंचाएगा और

सीमाएँ।
यदि अनुमति दी जाए तो पुनर्विकास अनुच्छेद *49* का उल्लंघन करेगा और

(ख*)*

51 (ग*)* राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों का। इसके अलावा, सार्वजनिक न्यास का सिद्धांत ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण *[2021] 15* एस. सी. आर. पर लागू होता है।

विशेष परिणाम वाली इमारतें/परिसर और गुण
(लोक प्रहरी बनाम। यू. पी. राज्य *")*।

*((*ग*)*

आवश्यकतानुसार पुनर्विकास किया जाना चाहिए।

ऐतिहासिक रुचि के स्थानों पर लागू होने वाले सुस्थापित मानदंड। विश्व धरोहर और समकालीन वास्तुकला पर वियना ज्ञापन-ऐतिहासिक शहरी परिदृश्य का प्रबंधन *(2005),* विरासत और लोकतंत्र पर आई. सी. ओ. एम. ओ. एस. की दिल्ली घोषणा *(2017)* और अन्य का संदर्भ दिया गया है। शुरू किया जा रहा अभ्यास विरासत संरक्षण की सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन करने में विफल रहता है।

कोई विशेषज्ञ या विशेष अध्ययन और मूल्यांकन नहीं किया गया है।

*((*घ*)*

शुरू किए गए और अनुपस्थिति में, संरचनात्मक अखंडता, अग्नि सुरक्षा और भूकंपीय चिंताओं आदि के आरोप केवल आरक्षण और संदेह हैं। उत्तरदाताओं द्वारा किए गए इस दावे के समर्थन में कोई अनुभवजन्य डेटा नहीं है कि संसद भवन आदि का जीवन समाप्त हो गया है। उत्तर और दक्षिण प्रखंडों और राष्ट्रपति भवन जैसे

एक ही समय में निर्मित अन्य भवनों के संबंध में ऐसा कोई संदेह नहीं उठाया जाता है। इसके विपरीत, दायर लिखित प्रस्तुतियों के लिए अनुलग्नक एफ

प्रत्यर्थी द्वारा संसद भवन के संरक्षण की स्थिति को 'निष्पक्ष' के रूप में दर्ज किया जाता है। धरोहर मूल्यांकन अध्ययन

इसे शुरू किया जाना चाहिए और सार्वजनिक किया जाना चाहिए। मौजूदा संसद

भवन का उन्नयन किया जा सकता है।

वैकल्पिक रूप से, विस्तार या अतिरिक्त निर्माण

(ई)

एक नई संसद के निर्माण का पता लगाया जा सकता है। कार्यालय स्थान, नौकरशाही के आधिकारिक निवास के पास बनाए जा सकते हैं।

हालांकि लागत-लाभ विश्लेषण नहीं किया गया है।

(च)

परिपक्व पेड़ों आदि को हटाया या प्रत्यारोपित नहीं किया गया है।
शामिल किया गया। रुपये के उस खर्च का दावा करें। *1,000* करोड़

किराया आदि के कारण प्रति वर्ष, किसी द्वारा समर्थित नहीं है।

दस्तावेज़ और अनुमानित है।

8) 6 एस. सी. सी. *1* राजीव सूरी बनाम। दिल्ली विकास प्राधिकरण और

ओआरएस। *[*संजीव खन्ना, जे।*]*

समय के साथ, हरियाली में कमी आई है

(जी)

सेंट्रल विस्टा में क्षेत्र, जो आम जनता के लिए खुला और सुलभ है। सार्वजनिक क्षेत्र और कम हो जाएगा।

पुनर्विकास योजना के साथ।

क्षेत्र 'सी' जहाँ न्यू इंडिया गार्डन प्रस्तावित हैं, एक पर है

(ज)

अलग-अलग स्थान और क्षेत्र 'डी' के भीतर नहीं, जिसमें सेंट्रल विस्टा और एल. बी. जेड. स्थित हैं। एक प्रमुख और प्रतिष्ठित स्थान सेंट्रल विस्टा में हरे/मनोरंजक क्षेत्र में कमी की भरपाई अलग-अलग स्थान पर एक उद्यान द्वारा नहीं की जा सकती है।

((i)

संविधान *(84* वां संशोधन अधिनियम*), 2002* द्वारा

राष्ट्रीय जनसंख्या रणनीति के एक हिस्से के रूप में नए परिसीमन करने पर रोक बढ़ा दी गई। के लिए परिसीमन

एक ही कारण हो भी सकता है और नहीं भी। किसी भी मामले में यह *2026* के बाद की अगली जनगणना के बाद होगी, यानी *2031* में।

96. हमने याचिकाकर्ताओं की दलीलों का उल्लेख किया है और

उत्तरदाता कुछ विस्तार से लेकिन योग्यता पर टिप्पणी नहीं करेंगे। ये जटिल और गूढ़ मुद्दे हैं जिन पर पहले चरण में विरासत संरक्षण समिति जैसे विशेष अधिकारियों द्वारा विचार और निर्णय लिया जाना चाहिए। यदि हम दलीलों के गुण-दोषों पर विचार करते हैं और उनकी जांच करते हैं, तो हम सीधे उनके अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करेंगे और शक्ति का अतिक्रमण करेंगे। न्यायिक समीक्षा। यह वैधानिक/अर्ध-न्यायिक द्वारा आदेशों में तर्क और चर्चा है जो न्यायिक जांच और समीक्षा के अधीन है। इसके अलावा, विरासत, वास्तुकला, कार्यशीलता आदि से संबंधित मामले।

ये इस क्षेत्र के विशेषज्ञों और विशेषज्ञों जैसे वास्तुकारों, नगर योजनाकारों, इतिहासकारों, शहरीविदों, इंजीनियरों आदि के लिए परीक्षण और मार्गदर्शन करने के लिए हैं। यह देखने के लिए पर्याप्त होगा कि गुणों पर स्टैंड अलग-अलग धारणाओं और मान्यताओं को दर्शाते हैं। उत्तरदाता बिना किसी संदेह के वास्तव में मानते हैं कि

सेंट्रल विस्टा और नए संसद भवन का पुनर्विकास अनिवार्य आवश्यकता। सेंट्रल विस्टा में बदलाव की आवश्यकता है। झोपड़ियाँ

और कुछ गैर-धरोहर इमारतें जैसे शास्त्री भवन, निर्माण भवन, उद्योग भवन आदि, जिनके बारे में कहा जाता है, *90* से अधिक क्षेत्रों में फैले हुए हैं।

एकड़ भूमि के पुनर्विकास की आवश्यकता है। इसी तरह, यदि नए संसद भवन की आवश्यकता है और यह आवश्यक है, तो इसका निर्माण किया जाना चाहिए। कई पूर्व और वर्तमान अध्यक्षों ने नई संसद के निर्माण की आवश्यकता व्यक्त की है। कुछ याचिकाकर्ता कार्यक्षमता के लिए आंशिक और विनियमित पुनर्विकास का विरोध नहीं करते हैं, जबकि *[2021] 15* एस. सी. आर.

विरासत, लोकाचार और दृश्य रूप को संरक्षित करना। सेंट्रल विस्टा और

97. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, भूमि उपयोग के संशोधन/परिवर्तन की अंतिम अधिसूचना को अलग करते हुए और रद्द करते हुए सेंट्रल विस्टा में *6* भूखंडों के संबंध में दिनांक *28* मार्च *2020* को हम निम्नानुसार निर्देश देंगे:

केंद्र सरकार/प्राधिकरण इसे सार्वजनिक करेगा।

ए*)*

वेब पर डोमेन, *7* दिनों की अवधि के भीतर चित्र, लेआउट योजनाओं, व्याख्यात्मक ज्ञापन आदि के साथ समझदार और पर्याप्त जानकारी।

बी*)*

प्राधिकरण की वेबसाइट पर सार्वजनिक विज्ञापन और

उचित प्रकाशन के साथ केंद्र सरकार

प्रिंट मीडिया में *7* दिनों के भीतर बनाया जाएगा।

कोई भी जो सुझाव/आपत्तियां दायर करने का इच्छुक है, वह ऐसा कर सकता है।

सी*)*

प्रकाशन की तारीख से *4* सप्ताह के भीतर। आपत्तियाँ /

सुझाव ईमेल या डाक पते पर भेजे जा सकते हैं जिसे सार्वजनिक सूचना में इंगित/उल्लिखित किया जाएगा।

डी*)*

सार्वजनिक सूचना तिथि, समय और स्थान को भी सूचित करेगी।

जब सार्वजनिक सुनवाई, जो विरासत संरक्षण समिति द्वारा इच्छुक व्यक्तियों को दी जाएगी

उक्त समिति के समक्ष उपस्थित होना। स्थगन या स्थगन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। हालांकि,

यदि आवश्यक हो तो विरासत संरक्षण समिति इसे ठीक कर सकती है।

सुनवाई के लिए अतिरिक्त तिथि।

ईवी सूरी वी. दिल्ली विकास प्राधिकरण और

ओआरएस। *[* संजीव खन्ना, जे।*]*

बी. ओ. ई. एच. के अभिलेखों और अन्य अभिलेखों के साथ प्राधिकरण द्वारा प्राप्त आपत्तियों/सुझावों को विरासत संरक्षण समिति को भेजा जाएगा। इन आपत्तियों आदि पर भी निर्णय लेते समय विचार किया जाएगा।

अनुमोदन/अनुमति का प्रश्न।

विरासत संरक्षण समिति सभी का फैसला करेगी

एकीकृत भवन विदाई के अनुसार विवाद दिल्ली के कानून और मास्टर प्लान।

विरासत संरक्षण समिति को सार्वजनिक भागीदारी का अभ्यास करने की भी स्वतंत्रता होगी यदि वह अनुच्छेद *1.3* या एकीकृत भवन उप कानूनों के अन्य अनुच्छेदों के संदर्भ में उचित और आवश्यक महसूस करती है।

परामर्श, सुनवाई आदि। यह राजपथ पर सेंट्रल विस्टा क्षेत्र की सीमाओं के संबंध में विवाद की भी जांच करेगा।

सरकार, जो तब कानून के अनुसार और विकास की धारा *11* ए के संदर्भ में एक आदेश पारित करेगी। अधिनियम और लागू विकास नियम, के साथ पढ़ें

एकीकृत भवन विदाई-कानून। धरोहर संरक्षण समिति भी करेगी

साथ ही पूर्व अनुदान के मुद्दे की जांच करें

परिणाम स्थानीय निकाय को सूचित किया जाएगा। , एन. डी. एम. सी., उसके बाद और केवल तभी जब मास्टर प्लान में संशोधनों को अधिसूचित किया गया हो। विरासत संरक्षण समिति एक भाषण पारित करेगी

निष्कर्षों के लिए कारण निर्धारित करने का आदेश।

हम *22* अप्रैल, *2020* के ई. ए. सी. के आदेश को दरकिनार करते हैं और

पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा जून, *2020* में मंजूरी दी जाएगी और ई. ए. सी. को प्रेषण का आदेश पारित किया जाएगा ताकि वे पर्यावरण मंजूरी *[2021] 15* एस. पर प्रश्न का निर्णय ले सकें।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

परिवर्तन/संशोधन के प्रश्न पर निर्णय की प्रतीक्षा किए बिना इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से *30* दिनों की अवधि के भीतरः भूमि का उपयोग करें। बोलने और तर्कपूर्ण आदेश पारित किया जाएगा।
99. यदि पक्ष किसी आदेश/अनुमोदन/गैर-अनुमोदन से व्यथित हैं तो वे कानून के अनुसार इसे चुनौती देने के हकदार होंगे।

मामले के तथ्यों में लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा

मामलों का निपटारा

बिभूति भूषण बोस

[2021] 15 एस. सी. आर *283*

राजीव सूरी

वी.

दिल्ली विकास प्राधिकरण और ओआरएस

(2020 का हस्तांतरित मामला *(*सिविल*)* सं. *229)*

05 जनवरी, *2021*

[ए. एम. खानविलकर, दिनेश माहेश्वरी और

संजीव खन्ना, जे. जे.*]*

न्यायिक समीक्षा-भारत सरकार की सेंट्रल विस्टा परियोजना का दायरा और विस्तार-संबंधित न्यायिक जांच

इसकी अनुमति-परामर्श करने का सरकार का कर्तव्य-अर्ध विधायी अभ्यास में भाग लेने के नागरिक के अधिकार का दायरा और दायरा-भूमि उपयोग में परिवर्तन, वैधानिक और अन्य अनुमतियों के अनुदान, पर्यावरण के साथ-साथ विरासत मंजूरी आदि सहित वैधानिक प्राधिकरणों द्वारा लिए गए निर्णयों से संबंधित मुद्दे। दिल्ली विकास अधिनियम, *1957* के तहत सेंट्रल विस्टा में छह भूखंडों के भूमि उपयोग में बदलाव और सेंट्रल विस्टा समिति, दिल्ली शहरी द्वारा दी गई अनुमतियों/अनुमोदनों को चुनौती

दिल्ली शहरी कला आयोग अधिनियम, *1973* के तहत कला आयोग और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, *1986* के तहत एक नए संसद भवन के निर्माण के लिए मंजूरी/कोई आपत्ति नहीं-एकीकृत भवन के उप-कानूनों के अनुलग्नक *II* के अनुसार विरासत संरक्षण समिति की पूर्व अनुमति/अनुमोदन लेने में विफलता, आरोप-संसद भवन निर्माण में पर्याप्त सार्वजनिक भागीदारी के अभाव की याचिका।

पूरी प्रक्रिया-आयोजित *(*प्रति बहुमत*) (*प्रति ए. एम. खानविलकर, जे. *[*अपने और दिनेश माहेश्वरी, जे. के लिए*]):* सेंट्रल विस्टा कमेटी *(*सीवीसी*)* द्वारा "कोई आपत्ति नहीं" के अनुदान में कोई कमी नहीं है; डीयूएसी अधिनियम, *1973* के अनुसार दिल्ली शहरी कला आयोग *(*डीयूएसी*)* द्वारा "अनुमोदन"; और हेरिटेज द्वारा "पूर्व अनुमोदन"। दिल्ली के लिए भवन उपनियम, *2016* के खंड *1.12* के तहत संरक्षण समिति *(*एच. सी. सी.*)*-इसके अलावा, केंद्र सरकार द्वारा यू / डी. डी. ए. अधिनियम, *1957* का *s.11A (2)* न्यायसंगत और उचित है और इस प्रकार भूखंड संख्या के भूमि उपयोग में परिवर्तन के संबंध में संशोधन। *2* दिल्ली के मास्टर प्लान, *2021*/जोन-डी और जोन-सी के लिए क्षेत्रीय विकास योजना में *8* तक, दिनांक *20.3.2020* की विवादित अधिसूचना के माध्यम से, पुष्टि की गई-विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति *(*ईएसी*)* द्वारा पर्यावरण मंजूरी *(*ईसी*)* की सिफारिश और मंत्रालय द्वारा अनुदान

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पर्यावरण और वन *(*एम. ओ. ई. एफ.*)* का प्रावधान न्यायसंगत, उचित और *2006* की अधिसूचना सहित कानून के अनुसार है-परियोजना प्रस्तावक

नई संसद भवन परियोजना के अभिन्न अंग के रूप में पर्याप्त क्षमता वाले स्मॉग टावरों की स्थापना; और इसके अतिरिक्त, स्मॉग का उपयोग करें। पूरे निर्माण चरण के दौरान निर्माण स्थल पर बंदूकें साइट पर प्रगति पर हैं-खंड के तहत पूर्व अनुमति का चरण

1.3 धरोहर संरक्षण समिति *(*एच. सी. सी.*)* के भवन उपनियमों के अनुसार, वास्तविक विकास/पुनर्विकास आदि का चरण शुरू होना है न कि योजना और विकास का प्रारंभिक चरण।

परियोजना का औपचारिकरण-तदनुसार, प्रत्यर्थियों को भूखंड संख्या *118* सहित विरासत कानूनों द्वारा शासित उल्लिखित भूखंडों/संरचनाओं/परिसरों पर वास्तव में कोई विकास/पुनर्विकास कार्य शुरू करने से पहले नामित प्राधिकरण से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी चाहिए।

यदि पहले से प्राप्त नहीं किया गया है-आयोजित *(*संजीव खन्ना, जे के अनुसार*) (*आंशिक रूप से*)*

असहमति*) (*अल्पसंख्यक निर्णय*):* असहमति केवल वैधानिक प्रावधानों की व्याख्या पर सार्वजनिक भागीदारी के पहलुओं, विरासत संरक्षण समिति *(*एचसीसी*)* से पूर्व अनुमोदन लेने में विफलता और विशेषज्ञ मूल्यांकन द्वारा पारित आदेश पर है।

समिति *(*ई. ए. सी.*)*-हालांकि बोली आमंत्रित करने की सूचना, परामर्श का पुरस्कार और शहरी कला आयोग के आदेश के पहलुओं पर, एक स्वतंत्र और स्वतंत्र आदेश के रूप में, कोई असहमति नहीं है-भूमि उपयोग के संशोधन/परिवर्तन की अंतिम अधिसूचना दिनांक *28* मार्च को। *2020* सेंट्रल विस्टा में *6* भूखंडों के संबंध में रद्द कर दिया गया और अलग कर दिया गया, निर्देशों के साथ-*22* अप्रैल, *2020* का ई. ए. सी. का आदेश और पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा *17* जून, *2020* को पर्यावरण मंजूरी को अलग कर दिया गया, और ई. ए. सी. को प्रेषण का आदेश इस अनुरोध के साथ पारित किया गया कि वे भूमि उपयोग के परिवर्तन/संशोधन के प्रश्न पर निर्णय की प्रतीक्षा किए बिना पर्यावरण मंजूरी पर निर्णय ले सकते हैं-दिल्ली विकास अधिनियम, *1957 - s.11A (2)*-दिल्ली शहरी कला आयोग अधिनियम, *1973*-पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, *1986*-दिल्ली के लिए निर्माण उपनियम, *2016*-दिल्ली का मास्टर प्लान, *2021*।

सिद्धांत/सिद्धांत-कानून के शासन का सिद्धांत-आयोजितः कानून के शासन का सिद्धांत एक सामान्य धागे के रूप में चलता है

राज्य के सभी अंगों को कानून के सार के साथ-साथ इस तरह के प्रदर्शन के लिए चित्रित प्रक्रिया को समान महत्व देना। मूल कार्य-यह दोनों छोरों और साधनों को छूने का निरंतर प्रयास होना चाहिए।

राजीव सूरी बनाम। दिल्ली विकास प्राधिकरण और

ओआरएस।

न्यायपालिका और कानून का शासन-कर्तव्य

न्यायपालिका नियंत्रण और संतुलन सुनिश्चित करने के लिए है; और सरकार और नागरिकों के आमने-सामने आने पर उनके बीच खुद को स्थापित करना है।

कानून के एक न्यायालय में-न्यायिक अंग लागू करने के लिए नहीं है नागरिकों का या यहाँ तक कि सुशासन का अपना संस्करण

अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए कानून के शासन के नाम पर सरकार

न्यायिक समीक्षा।

सरकारी नीति-न्यायिक समीक्षा में हस्तक्षेप -

दायरा-आयोजितः न्यायालय के निर्णयों पर अपील में नहीं बैठते हैं सरकार व्यक्तिपरक निर्णय की योग्यता समीक्षा के रूप में करेगी

सरकार अपनी ओर से किसी नीति के लाभ या हानि की जांच कर सकती है, वह वांछित लक्ष्य प्राप्त कर सकती है या नहीं भी कर सकती है।

उद्देश्य-सरकार को गलतियाँ करने या प्राप्त करने का अधिकार है।

नीतिगत मामलों में सफलताएँ जब तक कि प्रक्रिया में संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं किया जाता है-यह पूछताछ करने के लिए न्यायालय की चिंता नहीं है

एक निर्वाचित सरकार की प्राथमिकताओं में-न्यायिक समीक्षा का उद्देश्य कभी भी सरकार के दिमाग में प्रवेश करना नहीं होता है और इस तरह किसी निर्णय की वैधता की जाँच करें।

न्यायिक समीक्षा-सैद्धांतिक न्यायिक समीक्षा-"संवैधानिक"

"संतुलन" को झुकाए बिना बनाए रखने योग्य-एक निर्वाचित सरकार विकास के मामलों में जनता की आस्था का भंडार है

न्यायिक समीक्षा के वितरण का सहारा नहीं लिया जा सकता है

अपने दृष्टिकोण के समर्थन के लिए व्यथित/असहमत अनुभाग जब तक कि यह प्रदर्शित नहीं किया जाता है कि प्रस्तावित कार्रवाई में है

कानून द्वारा या किसी दिए गए मामले में स्थापित प्रक्रिया का उल्लंघन, रंगीन सरकार की शक्तियों का प्रयोग-इसलिए, यह महत्वपूर्ण है

ताकि न्यायालय सभी उपस्थित परिस्थितियों के लिए जीवित रहें और केवल इस धारणा के अनुसार एक अन्य विकल्प के कारण हस्तक्षेप न करें।

जनता के पीड़ित/असहमत वर्ग का एक बेहतर विकल्प।

सिद्धांत/सिद्धांत-संविधानवाद आयोजित किया गयाः

संविधानवाद एक सापेक्ष अवधारणा है जिसकी परिकल्पना की गई है

संवैधानिक आदेश जिसमें प्रयोग करने की शक्तियाँ और सीमाएँ

उन शक्तियों को विधिवत स्वीकार किया जाता है-यह एक उपकरण है जिसका उपयोग किया जाता है

शासन के संवैधानिककरण के अंतिम लक्ष्य तक पहुँचना

लेकिन इसे एक वैकल्पिक मॉडल प्रस्तुत करने के लिए तैनात नहीं किया जा सकता है

शासन-संविधानवाद का सिद्धांत एक कार्य प्रगति पर है *[2021] 15* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

योजना के साथ ही-इसे केवल कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं के न्यूनतम मानकों को विकसित करने के लिए तैनात किया जा सकता है-यह विस्तृत वैधानिक नियामक योजनाओं को कमजोर करने या प्रतिस्थापित करने के लिए नहीं है। भारत का संविधान-की भूमिकाः हमारी व्यवस्था में संविधान दोहरी भूमिका निभाता है-पहला, संविधान के संरक्षक के रूप में।

मौलिक अधिकार और दूसरा, संरचना के रूप में संविधान

शासन।

लोकतंत्र-सहभागी लोकतंत्र का सिद्धांत-सरकारी प्रक्रियाओं में सार्वजनिक भागीदारी के तत्वः

सहभागितापूर्ण लोकतंत्र के सिद्धांत के दो अभिन्न तत्व हैं-पहला, निर्णय लेने में सार्वजनिक भागीदारी और दूसरा, सरकारी कार्यों के बारे में जानकारी को सार्वजनिक क्षेत्र में रखना-सरकारी प्रक्रियाओं में सार्वजनिक भागीदारी का दायरा हालांकि एक देश के कानूनी ढांचे पर निर्भर करता है और न्यायालय को विचाराधीन परियोजना की श्रेष्ठता की आड़ में उस क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए अनिच्छुक होना चाहिए-एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में जहां नागरिक ने सरकार को प्रचुर शासन सौंपा है, यह सरकार का बाध्यकारी दायित्व है कि वह नागरिकों को अपने कार्यों के बारे में अच्छी तरह से सूचित रखे, जैसा कि एक विवेकपूर्ण ट्रस्टी करेगा।

नीति और विकास-न्यायालयों की भूमिका-आयोजितः न्यायालय संविधान द्वारा परिभाषित सीमाओं के भीतर काम करते हैं, और

शासन करने के लिए नहीं बुलाया जा सकता है, क्योंकि उनके पास इस संबंध में कोई साधन या कौशल और विशेषज्ञता नहीं है-उस समय की सरकार की विकास नीतियों के संबंध में राजनीतिक मुद्दों पर संसद में बहस होनी चाहिए, जिसके लिए वह जवाबदेह है-न्यायालय की भूमिका संवैधानिकता की जांच करने तक सीमित है, जिसमें शामिल हैं -

नीति और सरकारी कार्यों की वैधता-विकास का अधिकार एक बुनियादी मानव अधिकार है और राज्य के किसी भी अंग से विकास की प्रक्रिया में बाधा बनने की उम्मीद नहीं की जाती है जब तक कि सरकार कानून के अनुसार आगे बढ़ती है -

न्यायपालिका।

तत्काल मामलों में, इस न्यायालय को याचिकाकर्ताओं द्वारा एक व्यापक और उच्च न्यायिक कार्य करने के लिए कहा गया था भारत सरकार की सेंट्रल विस्टा परियोजना की अनुमति के बारे में जांच। नीति दस्तावेजों के अनुसार, राजीव सूरी बनाम।

दिल्ली विकास प्राधिकरण और

ओआरएस।

नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज *(*आई. एन. टी. ए. सी. एच.*)* मुख्य धुरी राजपथ के साथ. रायसीना हिल्स में राष्ट्रपति भवन, सचिवालय *(*उत्तर और दक्षिण*)* से घिरा हुआ है। ब्लॉक*)*. संसद भवन. षट्कोणीय गोल-जिसके आसपास इंडिया गेट और चंदवा है।

भूमि उपयोग में परिवर्तन, वैधानिक और अन्य अनुमतियों के अनुदान, पर्यावरण के साथ-साथ वैधानिक प्राधिकरणों द्वारा लिए गए निर्णयों से संबंधित विभिन्न मुद्दे। कार्यवाही में विरासत मंजूरी आदि को उठाया गया था। यह चुनौती भारत में लागू होने वाले लोकतांत्रिक मूल्यों के उच्च सिद्धांतों पर आधारित थी और यह केवल शासी अधिनियमों के वैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन तक सीमित नहीं थी। उस पर है

परियोजना की प्रकृति-हमारे लोकतांत्रिक गणराज्य के लिए उच्च राजनीतिक महत्व और श्रेष्ठता का होना; और "कानून के शासन" को बनाए रखने के लिए, जो "कानून द्वारा शासन" द्वारा शासन की तुलना में उच्च स्तर पर है। पूरी प्रक्रिया में पर्याप्त सार्वजनिक भागीदारी के अभाव के संबंध में एक तर्क भी दिया गया था। प्रत्यक्ष सार्वजनिक परामर्श के संबंध में तर्क को आगे बढ़ाते हुए, याचिकाकर्ताओं ने कहा कि सहभागी लोकतंत्र की अवधारणा की मांग है कि इस प्रकृति की परियोजना में आम जनता को शामिल किया जाना चाहिए क्योंकि वे राष्ट्रीय विरासत के वास्तविक हितधारक हैं और परियोजना की रूपरेखा तैयार करने, परामर्श निविदा जारी करने, मास्टर प्लान को संशोधित करने और डिजाइन को अंतिम रूप देने और उसमें बदलाव करने से पहले परियोजना के हर चरण में उनसे परामर्श किया जाना चाहिए।

सेंट्रल विस्टा के संशोधन और पुनर्विकास से संबंधित विवाद के अलग-अलग पहलू हैं। सबसे पहले, कानूनी है

दिल्ली विकास अधिनियम, *1957* के तहत सेंट्रल विस्टा में छह भूखंडों के भूमि उपयोग में बदलाव की चुनौती और दिल्ली शहरी कला *[2021] 15* एस. सी. आर. के तहत सेंट्रल विस्टा समिति, दिल्ली शहरी कला आयोग द्वारा दी गई अनुमति/अनुमोदन।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आयोग अधिनियम, *1973* और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, *1986* के तहत नए संसद भवन के निर्माण के लिए मंजूरी/ना-आपत्ति। पूर्व अनुमति/अनुमोदन लेने में विफलता

एकीकृत भवन उप-कानूनों के अनुलग्नक *II* के अनुसार विरासत संरक्षण समिति का आरोप लगाया गया है। रिट याचिका *(*सिविल*)* सं. *853/2020* में नौवें प्रत्यर्थी को बोली आमंत्रित करने और परामर्श देने की सूचना को चुनौती दी गई है। गहन और वैचारिक स्तर पर यह प्रश्न परामर्श करने के लिए सरकार के कर्तव्य और अर्ध विधायी अभ्यास में भाग लेने के नागरिक के अधिकार के दायरे और दायरे से संबंधित है। के साथ जुड़ा हुआ दो मुद्दे न्यायिक समीक्षा की शक्ति के दायरे और विस्तार का तीसरा सवाल है।

मामलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

ए. एम. खानविलकर के अनुसार, जे. *[*अपने लिए और दिनेश माहेश्वरी के लिए, जे.*] (*बहुमत निर्णय*)*

पकड़नाः *1.1* . कानून के शासन के लिए अस्तित्व में कानून की आवश्यकता होती है; इस तरह के कानून को संविधान के अर्थ के भीतर कानून के रूप में योग्य होना चाहिए।

और उसमें निर्धारित मानकों को पूरा करना चाहिए और भारत में कानून के शासन के कानूनी रूप से लागू अर्थ को संविधान के चारों कोनों के भीतर एक लोकतांत्रिक शासन के रूप में सबसे अच्छी तरह से समझा जा सकता है, जैसा कि मूल रूप से परिकल्पित है और जैसा कि समय-समय पर व्याख्या की जाती है। द.

लोकतंत्र का अस्तित्व अपने आप में कानून के शासन के पालन की गारंटी नहीं देता है, लेकिन सभी द्वारा कानून के शासन का पालन एक वास्तविक संपन्न लोकतंत्र की पहचान है। *[*पैरा *133] [386-*बी-डी*]*

1.2 . यह तथ्य कि सभी शक्तियाँ कानून से प्रवाहित होती हैं और उनका प्रयोग ऐसे कानून के अनुसार किया जाना चाहिए, में सिद्धांतित किया जाना आसान है।

एक संवैधानिक प्रवचन, लेकिन में बनाए रखना मुश्किल है

संविधान। यह किसी भी राज्य-नागरिक संभोग के लिए एक निरंतर प्रेरणा प्रदान करता है और इस न्यायालय से दो संस्थाओं के बीच एक न्यायसंगत संतुलन बनाने का आह्वान करता है, दोनों समान रूप से एक ही सिद्धांत से बंधे हैं। कानून की श्रेष्ठता। इस संतुलन को बनाए रखने के लिए एक न्यायपूर्ण और समय-परीक्षित कार्यप्रणाली कानून के शासन पर आधारित लोकतंत्र के घोषित लक्ष्य को आगे बढ़ाने और इसे पीछे खींचने के अंतिम परिणाम में निहित है। *[*पैरा *134] [386-*डी-एफ*]* राजीव सूरी बनाम।

दिल्ली विकास प्राधिकरण और

ओआरएस।

1.3 . कानून के शासन का सिद्धांत मूल और साथ ही प्रक्रियात्मक कानूनों के माध्यम से एक सामान्य धागे के रूप में चलता है। एक लोकतांत्रिक

राजनीति के लिए राज्य के सभी अंगों से कानून के सार के साथ-साथ ऐसे मूल कार्यों को करने के लिए चित्रित प्रक्रिया को समान महत्व देने की आवश्यकता होती है। यही दोनों छोरों और साधनों को छूने का निरंतर प्रयास होना चाहिए। *[*पैरा *135] [386* एफ-जी*]*

2.2 . न्यायिक समीक्षा कुछ मौजूदा अधिकारों और राहतों और उपचारों के संदर्भ में एक अभ्यास है। प्रशासनिक और कार्यपालिका या नीतिगत मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप के संबंध में भारत में कानून का शासन, जैसा कि स्वीकार किया गया है और स्थापित किया गया है, अब एकीकृत नहीं है। न्यायपालिका को आदेश

दिया गया है कि वह नियंत्रण और संतुलन सुनिश्चित करे और खुद को न्यायपालिका के बीच रखे। सरकार और नागरिक जब न्यायालय में आमने-सामने होते हैं। इसका उद्देश्य एक बराबरी करने वाले के रूप में कार्य करना और यह सुनिश्चित करना है कि कार्यपालिका से लेकर नागरिकों तक निर्णयों के प्रवाह की निगरानी के माध्यम से

अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांतों का प्रिज्म, जब भी ऐसा करने के लिए कहा जाता है। न्यायिक निकाय का उद्देश्य न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए कानून के शासन के नाम पर सरकार पर नागरिकों या यहां तक कि सुशासन के अपने संस्करण को लागू करना नहीं है। *[*पैरा *145] [394-*एच*; 395-*ए-सी*]*

2.3 . भारत में जो प्रचलित है वह है "संवैधानिक देय प्रक्रिया" अर्थात वह प्रक्रिया जो संवैधानिक योजना के तहत देय है। और जो देय है, वह एक सैद्धांतिक न्यायिक समीक्षा है जिसमें *[2021] 15* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

"संतुलन" को झुकाए बिना एक "चेक" बनाए रखा जा सकता है। क्योंकि, राज्य के सभी अंग संविधान के तहत कानून, आदर्शों, अपेक्षाओं, अधिकारों और कर्तव्यों द्वारा स्थापित प्रक्रियाओं और प्रक्रियाओं को प्रभावी बनाने के सामान्य लक्ष्य के लिए संवैधानिक रूप से प्रतिबद्ध हैं और किसी भी विचलन की अनुमति नहीं दी जा सकती है। वहाँ से। *[*पैरा *158] [405-*ए-सी*]*

3. लोकतंत्र में, मतदाता निर्वाचित सरकार में अपना विश्वास व्यक्त करते हैं जो विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है और

उम्मीद है कि यह जनहित में सर्वोत्तम संभव कार्रवाई को अपनाएगा। इस प्रकार, एक निर्वाचित सरकार जनता का भंडार है।

विकास के मामलों में विश्वास। जनता/नागरिकों के कुछ वर्ग का एक और दृष्टिकोण हो सकता है, यदि निर्वाचित सरकार द्वारा समझी गई कार्रवाई के साथ पूर्ण असहमति नहीं है, लेकिन तब, पीड़ित/असहमत वर्ग द्वारा अपने दृष्टिकोण के समर्थन के लिए न्यायिक समीक्षा के वितरण का सहारा तब तक नहीं लिया जा सकता है जब तक कि यह प्रदर्शित नहीं किया जाता है कि प्रस्तावित

कार्रवाई कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का उल्लंघन है या किसी मामले में सरकार की शक्तियों का रंगीन प्रयोग है।

इसलिए, अदालतों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे सभी उपस्थित परिस्थितियों के लिए जीवित रहें और केवल इसलिए हस्तक्षेप न करें क्योंकि जनता के पीड़ित/असहमत वर्ग की धारणा में एक और विकल्प एक बेहतर विकल्प होता। *[*पैरा *163] [406-*एच*; 407* ए-सी*]*

4.1 . न्यायालय व्यक्तिपरक निर्णय की योग्यता समीक्षा करने के लिए सरकार के निर्णयों पर अपील में नहीं बैठते हैं।

इस तरह। सरकार अपने स्तर पर किसी नीति के लाभ या हानि की जांच कर सकती है, वह वांछित उद्देश्य को प्राप्त कर सकती है या नहीं भी कर सकती है। सरकार को गलतियाँ करने का अधिकार है या

जब तक इस प्रक्रिया में संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं होता है, तब तक नीतिगत मामलों में सफलता प्राप्त करें। निर्वाचित सरकार की प्राथमिकताओं की जांच करना न्यायालय की चिंता नहीं है। न्यायिक समीक्षा का उद्देश्य कभी भी सरकार के दिमाग में प्रवेश करना और इस तरह किसी निर्णय की वैधता की जांच करना नहीं होता है। *[* अनुच्छेद *164* और *165] [407*-सी; *408*-बी-सी*]* *4.2* . न्यायिक समीक्षा में मुख्य रूप से राज्य की कार्रवाई-विधायी, कार्यकारी, प्रशासनिक और नीति की समीक्षा शामिल है। विधायी कार्रवाई की समीक्षा में प्राथमिक परीक्षा किसी विशेष राजीव सूरी बनाम पर कानून बनाने के लिए विधायिका के पास शक्ति का अस्तित्व है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण और

ओआरएस।

विषय वस्तु। इस उद्देश्य के लिए, पीठ और पदार्थ, सामंजस्यपूर्ण निर्माण, क्षेत्रीय संबंध आदि के सिद्धांतों का अक्सर सहारा लिया जाता है। एक बार जब शक्ति का अस्तित्व विवाद में नहीं होता है, तो यह अनिवार्य रूप से संविधान के अनुच्छेद *13* के तहत एक जांच है जो राज्य को कानून बनाने के कार्य में भाग*-3* के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करने का आदेश देती है। कार्यकारी कार्रवाई की समीक्षा इस बात पर निर्भर करेगी कि

क्रिया की सटीक प्रकृति। क्योंकि, कार्यपालिका का क्षेत्र व्यापक है और आम तौर पर राज्य के सभी अवशिष्ट कार्यों को अपने दायरे में लेने के लिए समझा जाता है। इस प्रकार, समीक्षा का सटीक दायरा निर्णय और विषय वस्तु पर निर्भर करेगा। उदाहरण के लिए, एक क़ानून के तहत की गई कार्रवाई क़ानून के अनुसार होनी चाहिए और वैधानिक या संवैधानिक मापदंडों के अधिकार क्षेत्र से बाहर होने पर इसकी जाँच की जानी चाहिए। जाँच को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि कार्यकारी कार्रवाई कार्यकारी शक्तियों के दायरे में हो।

संवैधानिक योजना में क्रमशः राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के लिए निर्धारित किया गया है। विशुद्ध प्रशासनिक कार्रवाई की समीक्षा का दायरा अच्छी तरह से तय किया गया है। चूंकि आम तौर पर

व्यक्ति इस तरह की कार्रवाई में सीधे शामिल होते हैं, न्यायालय प्राकृतिक न्याय के पवित्र सिद्धांतों-ऑडी अल्ट्रेम पार्टेम, बोलने के आदेश, पूर्वाग्रह की अनुपस्थिति आदि से संबंधित है। जांच को अनुचितता के वेड्सबरी सिद्धांतों द्वारा भी सूचित किया जाता है। नीतिगत निर्णय की समीक्षा में एक सीमित जांच शामिल होती है। दूसरा, न्यायालय द्वारा अनुमान लगाना या न्यायिक राय का प्रतिस्थापन करना कि एक बेहतर नीति क्या होगी, इस जांच के दायरे से पूरी तरह से बाहर रखा गया है। संवैधानिक योजना के तहत, सरकार/कार्यपालिका के पास आवश्यक अनुसंधान, अध्ययन, संवाद और विशेषज्ञ परामर्श करने के लिए संसाधन निहित हैं और तदनुसार, एक शुद्ध नीतिगत निर्णय में हस्तक्षेप नहीं किया जाता है।

एक सामान्य तरीके से। में एक प्रकट अवैधता या मनमानेपन या प्रक्रियात्मक खामियों को प्रदर्शित करने के लिए बोझ भारी है

नीतिगत निर्णय की पराकाष्ठा। हालाँकि, संविधान द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों के संरक्षण की अंतर्निहित विशेषता को संवैधानिक न्यायालय द्वारा राज्य की कार्रवाई की सभी पूछताछों को सूचित करना चाहिए। *[* पैरा *167] [410*-डी-एच; *411*-ए-बी*]*

5.1 . संविधानवाद एक सापेक्ष अवधारणा है जिसकी परिकल्पना की गई है

एक संवैधानिक आदेश जिसमें उन शक्तियों के प्रयोग पर शक्तियों और सीमाओं को विधिवत स्वीकार किया जाता है। यह एक उपकरण है जिसका उपयोग किया जाता है

[2021] 15 एस. सी. आर. के संवैधानिककरण के अंतिम लक्ष्य तक पहुँचना।

शासन और इसे एक विकल्प प्रस्तुत करने के लिए तैनात नहीं किया जा सकता है

शासन का मॉडल। यदि व्याख्या के व्यक्तिपरक सिद्धांतों को संविधान की पाठ्य योजना से अलग करके लागू किया जाता है, विशेष रूप से जब पाठ्य योजना प्रशासन की एक विस्तृत संरचना निर्धारित करती है, तो यह न केवल बेतुका होगा, बल्कि अतिक्रमण और अस्पष्टता के खतरों से भी भरा होगा। क्योंकि, ऐसा करना एक विधिवत निर्वाचित सरकार को किनारे पर खींचना होगा क्योंकि यह "तीन सज्जनों" को आकर्षित करने वाले अनिर्धारित सिद्धांतों के आधार पर गलत निर्णय लिए जाने के निरंतर डर में होगी।

5.2 . संविधानवाद का सिद्धांत एक ऐसा कार्य है जो प्रगति पर है जिसका उद्देश्य एक मौजूदा योजना में जीवन और रक्त का संचार करना है जो संवैधानिक वैधता की कसौटी पर खरा उतरा है और योजना के साथ खुद को जोड़ने के लिए नहीं है। इसे केवल कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं के न्यूनतम मानकों को विकसित करने के लिए तैनात किया जा सकता है। यह विस्तृत वैधानिक नियामक योजनाओं को कमजोर करने या प्रतिस्थापित करने के लिए नहीं है। *[* पैरा *172] [413-*ए-बी*]*

6.1 . हमारे संविधान के तहत परिकल्पित व्यवस्था की एक समग्र समझ से पता चलेगा कि हम एक प्रतिनिधि हैं

6.2 . सहभागी लोकतंत्र के सिद्धांत के दो अभिन्न तत्व हैं-पहला, निर्णय लेने में सार्वजनिक भागीदारी और दूसरा, सरकारी कार्यों के बारे में जानकारी को सार्वजनिक क्षेत्र में रखना। पहला तत्व, चाहे कितना भी वांछनीय क्यों न हो, कानून के शासन या प्रक्रिया की स्थिति द्वारा सावधानीपूर्वक सीमित किया जाता है। कानून द्वारा स्थापित, जैसा कि वर्तमान में है, और सार्वजनिक भागीदारी की आवश्यकता और राजीव सूरी के प्रभावी कामकाज के बीच एक अच्छा संतुलन बनाया गया है।

प्रशासन। विधायिका ने इस तरह की सार्वजनिक भागीदारी और शासी अधिनियमों में इसकी सीमा के लिए स्पष्ट रूप से प्रावधान किया है। *[* पैरा *184] [421-*ई-एफ*]*

6.3 . भागीदारी में तीन विशेषताएँ शामिल हैं -

चरण, विस्तार और भागीदारी की प्रकृति। अनुमेय भागीदारी की सीमा और गुणवत्ता कई कारकों पर निर्भर करती है, जिसमें प्रक्रिया का चरण, विषय वस्तु की प्रकृति, प्रभावित व्यक्तियों की संख्या, स्थानीय स्थितियां, भूगोल, परियोजना का रणनीतिक महत्व, परियोजना के लिए बजटीय आवंटन आदि शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं। ए की विषय वस्तु

6.4. विशेष रूप से, इस अभ्यास को अमूर्तता में केवल इसलिए नहीं किया जा सकता है क्योंकि भागीदारी एक लोकतांत्रिक संरचना के पहलुओं में से एक है। बल्कि, इसमें कारकों के एक जटिल जाल का नाजुक विश्लेषण शामिल है। क्या किसी मामले में व्यक्तिगत मौखिक सुनवाई का प्रावधान किया जाना है या केवल अभ्यावेदन आमंत्रित किए जाने हैं या सार्वजनिक चर्चा के लिए बुलाया जाना है, यह एक मामला है विधायिका को इस संबंध में एक कानून बनाना है। *[*पैरा *186] [422-*बी*]*

6.5. भागीदारी के बारे में हमारी अपनी धारणा हो सकती है और यह निर्धारित से मौलिक रूप से अलग हो सकती है। यह हो सकता है

संभव है कि कुछ लोग सीधे तरीके से अनसुना महसूस करें,

हालाँकि, एक लोकतंत्र, एक अंतिम विश्लेषण में, नागरिकों के सामूहिक ज्ञान की व्यापकता के बारे में है, जो कुछ लोगों के व्यक्तिगत ज्ञान की सराहना कर सकता है या नहीं। नागरिक पूरी तरह से स्वतंत्र हैं

सरकारी नीति या बोलने के अधिकार के स्वतंत्र प्रयोग में इसे बनाने के तरीके के साथ किसी भी धारणा की वकालत करें और अभिव्यक्ति, लेकिन ऐसी धारणा के प्रवर्तन को न्यायिक समीक्षा का सहारा लेकर फलीभूत नहीं किया जा सकता है। सार्वजनिक भागीदारी का विचार

प्रशासनिक मामले विधायिका द्वारा निर्धारित प्रतिनिधित्व के स्तर और विस्तार पर आधारित होते हैं। हमारे जैसी बड़ी आबादी वाला कोई भी देश प्रत्यक्ष रूप से वादा नहीं कर सकता है। प्रशासनिक मामलों में *(*सरकार की*)* निर्णय लेने की प्रक्रिया में प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी, जब तक कि कानून ऐसा निर्धारित न करे। *[*पैरा *187* और *188] [422-*सी-एफ*] [2021] 15* एस. सी. आर.

6.6. हालांकि, यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि इस तरह की सार्वजनिक भागीदारी सरकार के विवेक को खत्म करने के लिए नहीं है

या विकास कार्यों में देरी करना। यह केवल जनहित को कम करने के लिए सरकार की नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सभी हितधारकों से रचनात्मक सुझाव/आपत्तियां आमंत्रित करने के लिए है। *[*पैरा *189] [422-*एफ-जी*]* *6.7*. विदेशी क्षेत्राधिकारों से आयातित संवैधानिक सिद्धांत के गद्यात्मक, नरम, अप्रयोज्य आध्यात्मिक सिद्धांत,

न्यायिक समीक्षा का एक अतिरिक्त संवैधानिक मानक नहीं बना सकते हैं या शासन के हर स्तर पर जनता की भागीदारी का विस्तार नहीं कर सकते हैं।

उस संबंध में कोई वैधानिक व्यवस्था नहीं है। इस प्रकार, सरकारी प्रक्रियाओं में जनता की भागीदारी का दायरा एक मुद्दा है

किसी देश के कानूनी ढांचे पर निर्भर होना और न्यायालय को विचाराधीन परियोजना की श्रेष्ठता की आड़ में उस क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए अनिच्छुक होना चाहिए। *[*पैरा *191] [426*-ए-बी*]*

6.8. सहभागी लोकतंत्र का दूसरा पहलू सरकार के कार्यों के बारे में सार्वजनिक रूप से जानकारी का खुलासा करना है।

याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि प्रभावी भागीदारी के लिए, नागरिकों को पता होना चाहिए कि वे किसमे भाग ले रहे हैं और क्यों। यह विचार के योग्य है। जब तक पूर्ण और प्रासंगिक न हो सरकारी निर्णय के बारे में जानकारी सार्वजनिक डोमेन में रखी जाती है, जनता सरकार के साथ सार्थक तरीके से जुड़ने के लिए तैयार नहीं होगी। लोकतंत्र में, पूर्ण जानकारी का प्रकटीकरण सशक्तिकरण है और सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रवर्तक के रूप में कार्य करता है। सूचना तक खुली पहुंच प्रदान करने से पारदर्शिता का लक्ष्य भी हासिल होता है, जिसके लिए सभी सार्वजनिक संस्थान प्रतिबद्ध हैं। यह कहना सही है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, *2005* ने नागरिक को सूचना प्राप्त करने का अधिकार दिया है।

सरकार लेकिन यह कहना पूरी तरह से असमर्थनीय होगा कि सरकार पर खुला रहने का कोई कर्तव्य नहीं है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में जहां नागरिक ने प्रचुर मात्रा में शासन को सौंपा है सरकार का यह दायित्व है कि वह एक विवेकपूर्ण न्यासी के रूप में नागरिकों को अपने कार्यों के बारे में अच्छी तरह से सूचित रखे

करेंगे। *[*पैरा *193* और *194] [428*-सी-डी*; 431*-सी*]*

6.9. राजनीतिक न्याय का विचार सरकार के लोकतांत्रिक रूप की रूढ़िवादी समझ तक सीमित नहीं है।

हम एक सूचना युग में हैं और राजनीतिक न्याय राजीव सूरी बनाम होगा।

दिल्ली विकास प्राधिकरण और

ओआरएस।

सूचनात्मक न्याय के बिना अधूरा जो अनिवार्य रूप से निर्णय निर्माताओं को अपने निर्णयों के विषयों को उन सभी सूचनाओं के सही प्राप्तकर्ता के रूप में मानने की आवश्यकता है जो उनके जीवन पर प्रभाव डाल सकती हैं। इसके अलावा, सूचना की खुली उपलब्धता भी शिक्षा के उद्देश्य को आगे बढ़ाएगी और

सशक्तिकरण। अनुच्छेद *51 (*एच*)* मौलिक कर्तव्य का प्रावधान करता है।

"वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और जांच और सुधार की भावना का विकास करना। जांच और सुधार की भावना को आगे बढ़ाना काफी हद तक सूचना की उपलब्धता पर निर्भर करता है। यह और कुछ नहीं बल्कि एक कर्तव्य है जो नागरिकों को सुशासन में भाग लेने का आदेश देता है। विशेष रूप से, वर्तमान मामले में उत्तरदाताओं ने खुलेपन के महत्व को पहचाना है और यह प्रदर्शित करने के लिए विस्तृत डेटा रखा है कि परियोजना के सभी चरणों में कैसे शामिल हैं।

सभी अनुमतियाँ, आदेश, निमंत्रण, अनुमोदन आदि जल्द से जल्द उपलब्ध अवसर पर समय-समय पर सीधे सार्वजनिक पहुंच के लिए ऑनलाइन उपलब्ध कराए गए थे। *[* अनुच्छेद *196* और *197] [431-*एच*; 432* ए-डी*]*
7. वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक इस न्यायालय से उन क्षेत्रों में प्रवेश करने का आह्वान किया जो इससे परे हैं

संवैधानिक न्यायालय की सुविचारित शक्तियाँ। इसमें कोई शक नहीं कि

अदालतें अपार सार्वजनिक विश्वास का भंडार हैं और यह तथ्य कि कुछ जनहित कार्यों ने सराहनीय परिणाम दिए हैं, उल्लेखनीय है, लेकिन यह महसूस करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि अदालतें संविधान द्वारा परिभाषित सीमाओं के भीतर काम करती हैं। न्यायालय को शासन करने के लिए नहीं बुलाया जा सकता है। क्योंकि, न्यायालय के पास इस संबंध में कोई साधन या कौशल और विशेषज्ञता नहीं है। *[* पैरा *420] [595-*ई*; 595-*जी-एच*; 596-*ए*]*

8. "नियंत्रण और संतुलन" की संवैधानिक रूप से परिकल्पित प्रणाली का पूरी तरह से गलत अर्थ लगाया गया है और इसमें गलत तरीके से लागू किया गया है।

इस मामले में। "नियंत्रण और संतुलन" का सिद्धांत दो अवधारणाओं को प्रस्तुत करता है-"नियंत्रण" और "संतुलन"। जहाँ पहला न्यायिक समीक्षा की अवधारणा में एक अभिव्यक्ति पाता है, वहीं दूसरा शक्तियों के पृथक्करण के अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत से लिया गया है। द.

तत्कालीन सरकार की विकास नीतियों सहित राजनीतिक मुद्दों पर संसद में बहस होनी चाहिए, जिसके प्रति वह जवाबदेह है। न्यायालय की भूमिका नीति की वैधता सहित संवैधानिकता की जांच करने तक सीमित है और सरकारी कार्रवाई। विकास का अधिकार एक बुनियादी मानव अधिकार है और राज्य का कोई भी अंग *[2021] 15* एस. सी. आर. बनने की उम्मीद नहीं है।

जब तक सरकार कानून के अनुसार आगे बढ़ती है, तब तक विकास की प्रक्रिया में बाधा। *[* पैरा *421] [596-*बी डी*]*

9. अंत में, इसे निम्नानुसार घोषित और निर्देशित किया गया है:

(i) अनुदान में कोई दुर्बलता नहीं है: *(* ए*)* सेंट्रल विस्टा कमेटी *(*सीवीसी*)* द्वारा "कोई आपत्ति नहीं"; *(*बी*)* द्वारा "अनुमोदन" दिल्ली शहरी कला आयोग *(*डीयूएसी*)* डीयूएसी अधिनियम, *1973* के अनुसार; और *(*सी*)* दिल्ली के लिए भवन उपनियम, *2016* के खंड *1.12* के तहत विरासत संरक्षण समिति *(*एचसीसी*)* द्वारा "पूर्व अनुमोदन"।

((ii) इसके अलावा, केंद्र द्वारा शक्ति का प्रयोग

डी. डी. ए. अधिनियम, *1957* की धारा *11* ए *(2)* के तहत सरकार न्यायसंगत और उचित है और इस प्रकार भूखंड संख्या के भूमि उपयोग में परिवर्तन के संबंध में संशोधन। *2* दिल्ली के मास्टर प्लान, *2021/*जोन-डी और जोन-सी के लिए क्षेत्रीय विकास योजना में *8* तक

अधिसूचना दिनांक *20.3.2020* की पुष्टि की गई है।

(iii) विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति *(*ई. ए. सी.*)* द्वारा पर्यावरण मंजूरी *(*ई. सी.*)* की सिफारिश और पर्यावरण मंत्रालय द्वारा अनुदान। यह न्यायसंगत, उचित और *2006* की अधिसूचना सहित कानून के अनुसार है। इसमें दिए गए उचित निर्देशों के साथ-साथ यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि परियोजना के प्रस्तावक द्वारा रेखांकित किए गए शमन उपायों का उनके अक्षर और भावना में पालन किया जाए।

(iv) परियोजना प्रस्तावक नई संसद के अभिन्न अंग के रूप में पर्याप्त क्षमता वाले स्मॉग टावर स्थापित कर सकता है।

निर्माण परियोजना; और इसके अतिरिक्त, धुंध बंदूकों का उपयोग करें निर्माण के पूरे चरण में निर्माण स्थल प्रगति पर है।

साइट पर।

(v) प्रत्यर्थी एमओईएफ समान जारी करने पर विचार करेगा

परियोजना की निर्माण गतिविधि के दौरान स्मॉग गन का उपयोग करने सहित समान पैमाने और परिमाण पर काम चल रहा है। *(vi)* धरोहर संरक्षण समिति के भवन उपनियमों के खंड *1.3* के तहत पूर्व अनुमति का चरण।

(एच. सी. सी.*)*, वास्तविक विकास/पुनर्विकास आदि का चरण है।

राजीव सूरी बनाम। दिल्ली विकास प्राधिकरण और

ओआरएस।

कार्य शुरू होना है न कि परियोजना की योजना और औपचारिकरण का प्रारंभिक चरण।

तदनुसार, उत्तरदाता उपरोक्त प्राप्त करेंगे।

वास्तव में किसी भी विकास/पुनर्विकास कार्य को शुरू करने से पहले नामित प्राधिकरण की पूर्व अनुमति भूखंड संख्या *118* सहित विरासत कानूनों द्वारा शासित भूखंड/संरचनाएं/परिसर, यदि पहले से प्राप्त नहीं हैं।

(vii) इस मामले में आवश्यक सीमित परीक्षा के आलोक में सलाहकार का चयन/नियुक्ति न्यायसंगत मानी जाती है।

और उचित। *[* पैरा *423] [596-*एफ-एच*; 597-*ए-एच*; 598-*ए*]*

लाल बहादुर बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य। *(2018) 15* एस. सी. सी. *407;* बैंगलोर मेडिकल ट्रस्ट बनाम। बी. एस

मुद्दप्पा और ओआरएस। *(1991) 4* एस. सी. सी. *54 [1991] 3* एस. सी. आर. *102;* आर. के. मित्तल और अन्य। वी. उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य। *(2012) 2* एससीसी *232: [2011] 15* एस. सी. आर. *877;* ग्रेटर मुंबई नगर निगम और अन्य। वी. हीरामन

सीताराम देवरुखर और अन्य। *(2019) 14* एससीसी *411;* गोयल गंगा डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम। सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय और अन्य के माध्यम से भारत संघ। *(2018) 18* एस. सी. सी. *257;* भारत संघ और अन्र. वी. साइनामाइड इंडिया लिमिटेड और ए. एन. आर. *(1987) 2* एस. सी. सी. *720;* श्री सीताराम शुगर कंपनी लिमिटेड और अन्र। वी. संघ

भारत और ओआरएस। *(1990) 3* एससीसी *223: [1990] 1* एस. सी. आर. *909;* पंजाब राज्य बनाम तहल सिंह और अन्य। *(2002) 2* एससीसी *7: [2002] 1* एससीआर *27;* पुणे नगर निगम और ए. एन. आर. वी. प्रवर्तक और बिल्डर संघ और ए. एन. आर. *(2004)*

10 एससीसी *796: [2004] 2* पूरक। एस. सी. आर. *207;* ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ आंध्र प्रदेश लिमिटेड और ए. एन. आर. वी. साई रिन्यूएबल पावर प्राइवेट लिमिटेड और अन्य। *(2011) 11* एस. सी. सी. *34 [2010] 8* एस. सी. आर. *636;* तुलसीपुर शुगर कंपनी लिमिटेड बनाम। अधिसूचित क्षेत्र समिति, तुलसीपुर *(1980) 2* एससीसी *295: [1980] 2* एस. सी. आर. *1111;* सुंदरजस कन्यालाल भाटीजा और अन्य। वी. कलेक्टर, ठाणे, महाराष्ट्र और अन्य। *(1989) 3* एससीसी *396 [1989] 3* एससीआर *405;* बैंगलोर विकास

प्राधिकरण *v.* एयरक्राफ्ट एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और अन्य। *(2012) 3* एससीसी *442: [2012] 4* एस. सी. आर. *881;* अध्यक्ष, इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम। शुद्ध औद्योगिक

कोक एंड केमिकल्स लिमिटेड और अन्य। *(2007) 8* एससीसी *705:*

[2021] 15 एस.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2007] 6 एससीआर *799;* एम. सी मेहता बनाम भारत संघ और अन्य। *(2019) 12* एस. सी. सी. *720;* मोटर वाहन टायर

विनिर्माता संघ बनाम। नामित प्राधिकरण और अन्य। *(2011) 2* एससीसी *258 [2011] 1* एससीआर *198;* यू. पी. और अन्य का राज्य। वी. महाराजा धर्मंदर प्रसाद सिंह और अन्य। *(1989) 2* एस. सी. सी. *505 [1989] 1* एस. सी. आर. *176;* अरुणा रॉय और अन्य। वी. भारत संघ और अन्य। *(2002) 7* एससीसी *368: [2002] 2* पूरक। एस. सी. आर. *266;* त्रावणकोर रेयॉन लिमिटेड बनाम। भारत संघ *(1969) 3* एससीसी *868: [1970] 3* एससीआर *40;* हनुमान लक्ष्मण अरोस्कर बनाम। भारत संघ *(2019) 15* एससीसी *401 [2019] 5* एससीआर *916;* राजेंद्र शंकर

शुक्ला और ओआरएस। वी. छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य। *(2015) 10* एससीसी *400: [2015] 11* एससीआर *723;* एस. एन. चंद्रशेखर और अन्र. वी. कर्नाटक राज्य और अन्य। *(2006) 3* एससीसी *208: [2006] 1* एस. सी. आर. *1039;* विरेन्द्र गौर और अन्य। वी. हरियाणा राज्य और अन्य। *(1995) 2* एस. सी. सी. *577 [1994] 6* पूरक। एस. सी. आर. *78;* इंदरप्रीत सिंह काहलों और अन्य। वी. पंजाब राज्य और अन्य। *(2006) 11* एससीसी *356: [2006] 1* पूरक। एस. सी. आर. *772;* बहादुरसिंह बहादुरसिंह लखुभाई लखुभाई गोहिल बनाम। जगदीशभाई एम. कमलिया और अन्य। *(2004) 2* एससीसी *65:*

[2003] 6 पूरक। एस. सी. आर. *1023;* राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम बनाम। एस. रघुनाथन और अन्य। *(1998) 7* एससीसी *66: [1998] 1* पूरक। एससीआर *156;* आर. एस. गर्ग बनाम यू. पी. और अन्य का राज्य। *(2006) 6* एससीसी *430: [2006] 4* पूरक। एससीआर *120;* वास्तुकला परिषद बनाम। मुकेश

गोयल और ओआरएस। *2020* एससीसी ऑनलाइन एससी *329;* महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक बोर्ड

शिक्षा वी. के. एस. गांधी और अन्य। *(1991) 2* एससीसी *716: [1991] 1* एस. सी. आर. *772;* अलकनंदा जलविद्युत कंपनी लिमिटेड बनाम। अनुज जोशी और अन्य। *(2014) 1* एससीसी *769: [2013] 11* एस. सी. आर. *784;* वेल्लोर नागरिक कल्याण मंच बनाम। भारत संघ और अन्य। *(1996) 5* एससीसी *647: [1996] 5* पूरक। एससीआर *241;* ए. पी. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड *II* बनाम प्रो. एम. वी. नायडू *(*सेवानिवृत्त*)* और अन्य। *(2001) 2* एससीसी *62: [2000] 5* पूरक। एस. सी. आर. *249;* लाफार्ज उमियम माइनिंग प्राइवेट सीमित वी। भारत संघ *(*यू. ओ. आई.*)* और अन्य। *(2011) 7* एससीसी *338: [2011] 7* एससीआर *954;* कीस्टोन रियल्टर्स प्राइवेट

सीमित वी। अनिल वी. थारथारे और अन्य। *(2020) 2* एससीसी *66: [2019] 17* एस. सी. आर. *539;* बेंगलुरु विकास प्राधिकरण अजीव सूरी बनाम।

दिल्ली विकास प्राधिकरण

ओआरएस।

वी. सुधाकर हेगड़े और अन्य। *2020* एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. *328;* बौद्धिक मंच, तिरुपति बनाम। ए. पी. और अन्य का राज्य। *(2006) 3* एससीसी *549: [2006] 2* एस. सी. आर. *419;* सामान्य कारण *v.* भारत संघ और अन्य। *(2017) 9* एससीसी *499: [2017] 13* एस. सी. आर. *361;* मध्य प्रदेश और अन्न राज्य। वी. ठाकुर

भरत सिंह एयर *1967* एससी *1170: [1967] 2* एससीआर *454;* के. एस. पुट्टास्वामी *(*सेवानिवृत्त*)* और अन्न। *(II) v.* भारत संघ और ए. एन. आर. *(2019) 1* एससीसी *1: [2018] 8* एस. सी. आर. *1;* इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया बनाम। भारतीय रिजर्व बैंक

(2020) 10 एससीसी *274: [2020] 2* एस. सी. आर. *297;* सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया और अन्य। वी. भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण और अन्य। *(2016) 7* एससीसी

703 : [2016] 9 एससीआर *1;* के. एस. पुट्टास्वामी और अन्न. *(I) v.* भारत संघ और अन्य। *(2017) 10* एससीसी *1: [2017] 10* एससीआर *569;* यू. पी. राज्य बनाम राज नारायण और अन्य। *(1975) 4* एससीसी *428: [1975] 3* एस. सी. आर. *333;* रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड बनाम इंडियन एक्सप्रेस समाचार पत्रों के मालिक,

बॉम्बे प्रा. लिमिटेड और ओआरएस। *(1988) 4* एससीसी *592: [1988] 3* पूरक। एससीआर *212;* एम. सी मेहता बनाम कमल नाथ और अन्य। *(1997) 1* एससीसी *388: [1996] 10* पूरक। एससीआर *12;* आई. आर. कोएल्हो *(*मृत*)* एल. आर. वी. टी. एन. राज्य *(2007) 2* एस. सी. सी. *1: [2007] 1* एस. सी. आर. *706;* सरकार *(*एन. सी. टी. दिल्ली*) v.* भारत संघ और ए. एन. आर. *(2018) 8* एससीसी *501: [2018] 7* एस. सी. आर. *1;* लोक प्रहरी अपने महासचिव के माध्यम से *v.* उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य। *(2018) 6* एससीसी *1: [2018] 6* एस. सी. आर. *1076;* राजीव मनकोटिया बनाम। भारत के राष्ट्रपति के सचिव और अन्य। *(1997) 10* एससीसी *441: [1997] 3* एससीआर *421;* सुशांत टैगोर और अन्य। वी. भारत संघ और अन्य। *(2005) 3*

एससीसी *16: [2005] 2* एस. सी. आर. *502;* के. गुरुप्रसाद राव बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य। *(2013) 8* एस. सी. सी. *418 [2013] 11* एस. सी. आर. *581;* मनोहर जोशी बनाम

महाराष्ट्र राज्य और अन्य। *(2012) 3* एस. सी. सी. *619;* पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन और अन्य। वी. भारत संघ और ए. एन. आर. *(2019) 3* एस. सी. सी. *224;* ब्रजेंद्र सिंह याम्बेम बनाम। भारत संघ और ए. एन. आर. *(2016) 9* एससीसी *20: [2016] 6* एस. सी. आर. *333;* हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड और ए. एन. आर. वी.

भारत संघ और अन्य। *2019* एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. *1520;* पंजाब राज्य और अन्र. वी. खान चंद *(1974) 1* एस. सी. सी. *549: [1974] 2* एससीआर *768;* शायरा बानो बनाम।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

भारत और ओआरएस। *(2017) 9* एससीसी *1: [2017] 9* एस. सी. आर. *797;* प्राकृतिक संसाधन आवंटन, पुनः, विशेष संदर्भ

2012 (2012) का नंबर *1 10* एस. सी. सी. *1: [2012] 9* एस. सी. आर. *311;* मनोज नरूला बनाम। भारत संघ *(2014) 9* एससीसी *1:*

[2014] 9 एससीआर *965;* ग्लोबल एनर्जी लिमिटेड और ए. एन. आर. वी. केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग *(2009) 15*

एससीसी *570: [2009] 9* एस. सी. आर. *22;* सकल पेपर्स *(*पी*)* लिमिटेड और अन्य। वी. भारत संघ ए. आई. आर. *1962* एस. सी. *305: [1962] 3* एससीआर *842;* बेनेट कोलमैन एंड कंपनी एंड ओआरएस। वी. भारत संघ और अन्य। *(1972) 2* एससीसी *788: [1973] 2* एस. सी. आर. *757;* भारत संघ और अन्य। वी. मोशन पिक्चर एसोसिएशन एंड ओआरएस। *(1999) 6* एससीसी *150: [1999] 3* एस. सी. आर. *875;* भारतीय जीवन बीमा निगम बनाम। प्रो. मनुभाई डी. शाह *(1992) 3* एससीसी *637: [1992] 3* एस. सी. आर. *595;* सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, सरकार। भारत का & ओआरएस। वी. क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल एंड ओआरएस। *(1995) 2* एससीसी *161: [1995] 1* एस. सी. आर. *1036;* चंद्रमौलेश्वर प्रसाद बनाम। पटना उच्च न्यायालय और अन्य। *(1969) 3* एससीसी *56: [1970] 2* एससीआर *666;* उड़ीसा माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम। पर्यावरण और वन मंत्रालय और अन्य। *(2013) 6* एस. सी. सी. *476 [2013] 6* एस. सी. आर. *881;* भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण बनाम। नरेंद्र आनंद और अन्य। *(2012) 2* एससीसी *562: [2012] 1* एससीआर *260;* नगर निगम, मेरठ बनाम। अल फहीम

मांस निर्यात प्रा. लि. लिमिटेड और ओआरएस। *(2006) 13* एससीसी *382: [2006] 10* पूरक। एससीआर *354;* दत्ता एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड। लि.

वी. इंडो मर्चेंटाइल्स प्रा. लिमिटेड और ओआरएस। *(1997) 1* एससीसी *53: [1996] 8* पूरक। एस. सी. आर. *710;* मेरठ विकास

प्राधिकरण *v.* एसोसिएशन ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड एन. आर. *(2009) 6* एससीसी *171: [2009] 6* एससीआर *663;* मनोहर लाल शर्मा बनाम। प्रधान सचिव और अन्य। *(2014) 9* एससीसी *516 [2014] 8* एससीआर *446;* राधा कृष्ण अग्रवाल और

ओआरएस। वी. बिहार राज्य और अन्य। *(1977) 3* एससीसी *457: [1977] 3* एस. सी. आर. *249;* उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

& ओआरएस। वी. ओम प्रकाश शर्मा *(2013) 5* एससीसी *182: [2013] 6* एससीआर *199;* अखिल भारतीय उपभोक्ता कांग्रेस बनाम। मध्य प्रदेश राज्य और अन्य। *(2011) 5* एससीसी *29: [2011] 5* एससीआर *77;* हरमिंदर सिंह अरोड़ा बनाम। भारत संघ और अन्य। *(1986) 3* एससीसी *247: [1986] 3* एस. सी. आर. *63;* जगदीश मंडल बनाम उड़ीसा राज्य और अन्य।

(2007) 14 अजीव सूरी बनाम। दिल्ली विकास प्राधिकरण

ओआरएस।

एस. सी. सी. *517 [2006] 10* पूरक। एससीआर *606;* रमण दयराम शेट्टी बनाम। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण और अन्य। *(1979) 3* एससीसी *489: [1979] 3* एससीआर *1014;* सुनील बत्रा बनाम। दिल्ली प्रशासन *(1978) 4* एससीसी *494: [1979] 1* एस. सी. आर. *392;* राजबाला और अन्य। वी. हरियाणा राज्य और अन्य। *(2016) 1* एससीसी *463: [2015] 9* एससीआर *113;*

केशवन माधव मेनन बनाम। स्टेट ऑफ बॉम्बे एयर

1951 एससी *128: [1951] 0* एससीआर *228;* नर्मदा बचाओ आंदोलन बनाम। भारत संघ और अन्य। *(2000) 10* एससीसी *664: [2000] 4* पूरक। एस. सी. आर. *94;* शिमनीत उत्श इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और ए. एन. आर. वी. पश्चिम बंगाल परिवहन अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड और अन्य। *(2010) 6* एस. सी. सी. *303 [2010] 6* एस. सी. आर. *1110;* मध्य प्रदेश राज्य बनाम नर्मदा बचाओ आंदोलन और अन्र। *(2011) 7* एस. सी. सी. *239: [2011] 6* एस. सी. आर. *443;* फिल्म समारोह और अन्य निदेशालय। वी. गौरव अश्विन जैन और अन्य। *(2007) 4* एससीसी *737: [2007] 5* एस. सी. आर. *7;* केरल राज्य बनाम। जोसेफ एंटनी *(1994) 1* एससीसी *301: [1993] 3* पूरक। एस. सी. आर. *531;* जी. सुंदरराजन बनाम भारत संघ और अन्य। *(2013) 6* एससीसी *620: [2013] 8* एस. सी. आर. *631;* मैसूर विश्वविद्यालय बनाम सी. डी. गोविंदा राव

& एन. आर. *[1964] 4* एस. सी. आर. *575;* टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड बनाम भारत संघ और ए. एन. आर. *(1996) 9* एससीसी *709: [1996] 3* पूरक। एस. सी. आर. *808;* रेलवे अधिकारियों का संघ

एसोसिएशन और ओआरएस। वी. भारत संघ *(2003) 4* एस. सी. सी. *289 [2003] 2* एस. सी. आर. *1085;* अविषेक गोयनका बनाम। भारत संघ और ए. एन. आर. *(2012) 5* एससीसी *275: [2012] 5* एससीआर *547;* डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया बनाम। सुभर्ती के. के. बी. चैरिटेबल

ट्रस्ट और ए. एन. आर. *(2001) 5* एससीसी *486: [2001] 3* एस. सी. आर. *149;* बसवैया *(डॉ.)* बनाम। डॉ. एच. एल. रमेश और अन्य। *(2010) 8* एससीसी *372 [2010] 9* एससीआर *227;* के. टी. प्लांटेशन प्राइवेट लिमिटेड और ए. एन. आर. वी. कर्नाटक राज्य *(2011) 9* एससीसी *1: [2011] 13* एस. सी. आर. *636;* रोहित धूपर और अन्य। वी. उपराज्यपाल और अन्य। *(2009)* एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल *487;* केनरा बैंक बनाम वी. के. अवस्थी *(2005) 6* एससीसी *321 [2005] 3* एससीआर *81;* हरियाणा वित्तीय निगम और अन्र. वी. कैलाश

चंद्र आहूजा *(2008) 9* एस. सी. सी. *31: [2008] 10* एस. सी. आर. *222;* पंजाब नेशनल बैंक और अन्य। वी. मंजीत

सिंह और अन्र। *(2006) 8* एससीसी *647: [2006] 6* पूरक। एससीआर *825;* कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम *[2021] 15* एस।

& एन. आर. वी. एस. जी. येदियुरप्पा और अन्र. *(2005) 3* एससीसी *409: [2005] 2* एस. सी. आर. *520;* विवेक नंद सेठी बनाम अध्यक्ष, जे एंड के बैंक लिमिटेड और अन्य। *(2005) 5* एससीसी *337: [2005] 3* एससीआर *1095;* रंजन कुमार मित्रा बनाम। एंड्रयू यूले एंड कंपनी लिमिटेड और अन्य। *(1997) 10* एस. सी. सी. *386;* जगजीत सिंह बनाम। हरियाणा राज्य और अन्य। *(2006) 11* एससीसी *1: [2006] 10* पूरक। एस. सी. आर. *521;* अध्यक्ष, खनन परीक्षा बोर्ड और खानों के मुख्य निरीक्षक बनाम। रामजी *(1977) 2* एससीसी *256*

: [1977] 2 एस. सी. आर. *904;* एल. आर. के माध्यम से सोहन लाल गुप्ता *(मृत)*। *&* ओआरएस। वी. आशा देवी गुप्ता और अन्य। *(2003) 7* एस. सी. सी. *492 [2003] 3* पूरक। एससीआर *249;* मेजर जी. एस. सोधी बनाम भारत संघ *(1991) 2* एस. सी. सी. *382;* भीम सेन और अन्य। वी. पंजाब राज्य ए. आई. आर *1951* एस. सी. *481: [1952]* एससीआर *18;* बेरियम केमिकल्स लिमिटेड और ए. एन. आर. वी. कंपनी लॉ बोर्ड और अन्य। ए. आई. आर *1967* एस. सी. *295: [1966]* पूरक। एस. सी. आर. *311;* रोहतास इंडस्ट्रीज बनाम। एस. डी. अग्रवाल और अन्य। *(1969) 1* एससीसी *325: [1969] 3* एस. सी. आर. *108;* एम. झांगिर भटुशा और अन्य। वी. भारत संघ और अन्य। *(1989) 2* पूरक। एससीसी *201: [1989] 3* एस. सी. आर. *356;* हरियाणा वित्तीय निगम और अन्र. वी. जगदम्बा ऑयल मिल्स एंड अन्र। *(2002) 3* एससीसी *496: [2002] 1* एस. सी. आर. *621;* पूरनलाल लखनपाल बनाम। भारत के राष्ट्रपति और अन्य। ए. आई. आर. *1961* एससी *1519: [1962] 1* एस. सी. आर. *688;* भारत संघ और अन्य। वी. ई. जी. नम्बूदिरी ए. आई. आर. *1991* एस. सी. *1216: [1991] 2* एस. सी. आर. *451;* महाबीर जूट मिल्स लिमिटेड, गोरखपुर बनाम शिबबन लाल सक्सेना और अन्य। *(1975) 2* एस. सी. सी. *818 [1976] 1* एस. सी. आर. *168;* शरत कुमार दास और

ओआरएस। वी. विश्वजीत पटनायक और अन्य। *(1995) 1* पूरक। एससीसी *434: [1994] 5* पूरक। एस. सी. आर. *223;* डॉ. अश्विनी कुमार बनाम। भारत संघ और ए. एन. आर. *2019* एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. *1144* आर. के. गर्ग बनाम भारत संघ और अन्य। *(1981) 4* एससीसी *675:*

[1982] 1 एस. सी. आर. *947;* प्रीमियम ग्रेनाइट और एन. आर. वी. टी. एन. और अन्य का राज्य। *(1994) 2* एससीसी *691: [1994] 1* एस. सी. आर. *579;* दिल्ली विज्ञान मंच बनाम भारत संघ *(1996) 2* एससी *405 [1996] 2* एससीआर *767;* बाल्को कर्मचारी संघ

(रेग.*)* वी. भारत संघ और अन्य। *(2002) 2* एससीसी *333: [2001] 5* पूरक। एससीआर *511;* जी. बी. महाजन और अन्य। वी. जलगाँव नगर परिषद और अन्य। *(1991) 3* एससीसी *91: [1990] 3* पूरक। एस. सी. आर. *20;* इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राज

नारायण *(1975) 1* पूरक। एससीसीः *[1975]* पूरक।

एस. सी. सी. *1;* अजीव सूरी बनाम। दिल्ली विकास प्राधिकरण

ओआरएस।

यूनिवर्सल एस्टेट और ए. एन. आर. *(2010) 14* एस. सी. सी. *253;* विलियनूर इयार्काई पडुकप्पु मैयम बनाम। भारत संघ और अन्य। *(2009) 7* एससीसी *561: [2009] 9* एस. सी. आर. *225;* सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एंड एन. वी. भारत संघ और अन्य। *(2000) 8* एस. सी. सी. *606;* स्टरलाइट इंडस्ट्रीज *(*इंडिया*)* लिमिटेड और अन्य। वी. भारत संघ और अन्य। *(2013) 4* एससीसी *575 [2013] 6* एससीआर *573;* नगर निगम,

उज्जैन और अन्र। वी. बीवीजी इंडिया लिमिटेड और अन्य। *(2018) 5* एस. सी. सी. *462 [2018] 6* एस. सी. आर. *861;* एन. डी. जयाल और अन्र। वी. भारत संघ और अन्य। *(2004) 9* एस. सी. सी. *362 [2003] 3* पूरक। एस. सी. आर. *152;* खरक सिंह बनाम यू. पी. और अन्य का राज्य। ए. आई. आर. *1963* एस. सी. *1295 [1964] 1* एस. सी. आर. *332;* सतवंत सिंह साहनी बनाम। डी. रामारत्नम, सहायक पासपोर्ट अधिकारी, नई दिल्ली और अन्य। ए. आई. आर *1967* एस. सी *1836: [1967] 2*

एस. सी. आर. *525;* रुस्तम कावासजी कूपर बनाम। भारत संघ *(1970) 1* एस. सी. सी. *248 [1970] 3* एस. सी. आर. *530;* मेनका गांधी बनाम। भारत संघ और ए. एन. आर. ए. आई. आर *1978* एस. सी *597: [1978] 2* एस. सी. आर. *621;* बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य

(1980) 2 एससीसी *684: [1996] 3* एससीआर *721;* ए. पी. और अन्य का राज्य। वी. मैकडॉवेल एंड कंपनी एंड ओआरएस। *(1996) 3* एस. सी. सी. *709;* मो. आरिफ उर्फ अशफाक बनाम। पंजीयक, भारत का सर्वोच्च न्यायालय और अन्य। *(2014) 9* एससीसी *737: [2014] 11* एससीआर *1009;* स्विस रिबन प्राइवेट लिमिटेड और ए. एन. आर. वी. भारत संघ और अन्य। *(2019) 4* एससीसी *17:*

[2019] 3 [2021] 15 एस.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एस. सी. आर. *535;* केशवानंद भारती श्रीपदगलवरु बनाम।

केरल राज्य और अन्र। *(1973) 4* एससीसी *225: [1973]* पूरक। एस. सी. आर. *1;* पीयरलेस जनरल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी। लिमिटेड और ए. एन. आर. वी. भारतीय रिजर्व बैंक *(1992) 2* एससीसी *343: [1992] 1* एस. सी. आर. *406;* दारोगा सिंह और अन्य। वी. बी. के. पांडे *(2004) 5* एससीसी *26: [2004] 1* पूरक। एससीआर *113;* सैयद हसन रसूल नुमा और अन्य। वी. भारत संघ और अन्य। *(1991) 1* एससीसी *401: [1990] 3* पूरक। एस. सी. आर. *165;* मैकिनन मैकेंजी एंड कंपनी लिमिटेड बनाम।

मैकिनन मैकेंजी कर्मचारी संघ *(2015) 4* एस. सी. सी. *544 [2015] 4* एस. सी. आर. *45;* बाबू वर्गीज और अन्य। वी. केरल बार काउंसिल और अन्य। *(1999) 3* एससीसी *422: [1999] 1* एस. सी. आर. *1121;* उत्तर प्रदेश राज्य बनाम। सिंघारा सिंह और अन्य। ए. आई. आर. *1964* एस. सी. *358;* केदार नाथ यादव बनाम। पश्चिम

बंगाल राज्य और अन्य। *(2017) 11* एससीसी *601: [2016] 11* एस. सी. आर. *263;* खुब चंद और अन्य। वी. राजस्थान राज्य और

ओआरएस। आकाशवाणी *1967* एससी *1074: [1967] 1* एस. सी. आर. *120;* मिथु बनाम पंजाब राज्य *(1983) 2* एससीसी *277: [1983] 2* एस. सी. आर. *690;* राजबाला और अन्य। वी. हरियाणा राज्य और अन्य। *(2016) 2* एससीसी *445: [2015] 12* एससीआर *1106;* टाटा सेल्युलर बनाम। भारत संघ *(1994) 6* एससीसी *651: [1994] 2* पूरक। एस. सी. आर. *122;* भानुमति और अन्य। वी. उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य। *(2010) 12* एससीसी *1: [2010] 7* एस. सी. आर. *585;* के. कृष्ण मूर्ति और अन्य। वी. भारत संघ *(*यू. ओ. आई*)* और ए. एन. आर. *(2010) 7* एस. सी. सी. *202 [2010] 6* एस. सी. आर. *972;* मोहिंदर सिंह गिल और अन्र। वी. मुख्य चुनाव आयुक्त, नई दिल्ली और अन्य। *(1978) 1* एससीसी *405: [1978] 2* एस. सी. आर. *272;* जनहित मंच और अन्र। वी. महाराष्ट्र राज्य

और ओआरएस। *(2019) 2* एससीसी *505: [2018] 14* एससीआर *860;* एस. पी. गुप्ता और अन्य। वी. भारत के राष्ट्रपति और अन्य। आकाशवाणी *1982*

एससी *149: [1982] 2* एससीआर *365;* आर. के. जैन बनाम। भारत संघ *(1993) 4* एससीसी *119: [1993] 3* एस. सी. आर. *802;* केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, भारत का सर्वोच्च न्यायालय बनाम. सुभाष चंद्र अग्रवाल *(2020) 5* एससीसी *481 [2019] 16* एससीआर *424;* टी. एस. आर. सुब्रमण्यन और अन्य। वी. भारत संघ और ओआरएस। *(2013) 15* एस. सी. सी. *732 [2013] 11* एस. सी. आर. *991;* अंजलि भारद्वाज और अन्य। वी. भारत संघ और ओआरएस। *2019 (3)* स्केल *447;* रघुनाथराव

गणपतराव बनाम। भारत संघ ए. आई. आर. *1993* एस. सी. *1267:*

[1993] अजीव सूरी बनाम। दिल्ली विकास प्राधिकरण

ओआरएस।

1 एस. सी. आर. *480;* माचवरपु श्रीनिवास राव और अन्र। वी. विजयवाड़ा, गुंटूर, तेनाली, मंगलगिरी शहरी विकास प्राधिकरण और अन्य। *(2011) 12* एससीसी *154: [2011] 12* एस. सी. आर. *639;* प्रभाकर बनाम। संयुक्त निदेशक, रेशम उत्पादन विभाग और अन्र। *(2015) 15* एससीसी *1: [2015] 9* एस. सी. आर. *890;* कानूनी मामलों के अधीक्षक और अनुस्मारक, पश्चिम बंगाल बनाम। कलकत्ता निगम ए. आई. आर. *1967* एस. सी. *997: [1967] 2* एस. सी. आर. *170;* स्टेट बैंक ऑफ पटियाला और अन्य। वी. एस. के. शर्मा *(1996) 3* एससीसी *364: [1996] 3* एस. सी. आर. *972;* सचिव, आंध्र प्रदेश समाज कल्याण आवासीय शैक्षणिक संस्थान बनाम। पिंडिगा श्रीधर और अन्य। *(2007) 13* एससीसी *352: [2007] 4* एस. सी. आर. *145;* लक्ष्मी नारायण और अन्य। वी. भारत संघ और अन्य। *(1976) 2* एससीसी *953: [1976] 2* एससीआर *785;* गणेश बैंक ऑफ इंडिया

कुरुंदवाड़ लिमिटेड और अन्य। वी. भारत संघ और अन्य। *(2006) 10* एससीसी *645: [2006] 5* पूरक। एससीआर *437;* पंजाब

कम्युनिकेशंस लिमिटेड *v.* भारत संघ और अन्य। *(1999) 4* एस. सी. सी. *727 [1999] 2* एस. सी. आर. *1033;* भारत संघ और अन्य। वी. हिंदुस्तान विकास निगम और अन्य। *(1993) 3* एस. सी. सी. *499 [1993] 3* एस. सी. आर. *128;* राम प्रवेश सिंह और अन्य। वी. बिहार राज्य और अन्य। *(2006) 8* एससीसी *381: [2006] 6*

पूरक। एस. सी. आर. *512;* कर्नल ए. एस. सांगवान बनाम भारत संघ और अन्य। *1980* सप. एससीसी *559;* सचिव, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, सरकार

भारत बनाम. सिप्ला लिमिटेड और अन्य। *(2003) 7* एससीसी *1: [2003] 2* पूरक। एस. सी. आर. *177;* सूराराम प्रताप रेड्डी और अन्य। वी. जिला कलेक्टर, रंगा रेड्डी जिला। *&* ओआरएस। *(2008) 9* एससीसी *552: [2008] 13* एससीआर *126;* मिशिगन रबर

(भारत*)* लिमिटेड बनाम। कर्नाटक राज्य और अन्य। *(2012) 8* एस. सी. सी. *216 [2012] 8* एस. सी. आर. *128* और कल्पना मेहता और

ओआरएस। वी. भारत संघ और अन्य *(2018) 7* एससीसी *1: [2018] 4* एस. सी. आर. *1* संदर्भित है।

उत्कर्ष मंडल बनाम। भारत संघ *2009* एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल *3836;* टी. मुरुगानंदम बनाम। पर्यावरण और वन मंत्रालय मनु*/*जी. टी.*/0135/2014 (*अपील संख्या *50/2012* में एन. जी. टी. का निर्णय दिनांक *10.11.2014);* सुनील कुमार चुघ और अन्य। वी. सचिव, पर्यावरण विभाग, महाराष्ट्र सरकार और अन्य। *MANU/GT/0153/[2021] 15 S.*

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2015 [2014 की अपील संख्या *66* पर निर्णय लिया गया *3.9.2015;* समता और अन्र। वी. भारत संघ और अन्य। *2013* एस. सी. सी. ऑनलाइन एन. जी. टी. *101;* सरपंच, ग्राम पंचायत, तिरोदा, ताल। सावंतवाड़ी, जिला सिंधुदुर्ग, महाराष्ट्र और अन्य। वी. पर्यावरण और वन मंत्रालय और अन्य। *2011* एससीसी ऑनलाइन एनजीटी *10;* मेसर्स। लिथोफेरो और ओआरएस। वी. पर्यावरण और वन मंत्रालय *(2013)* एससीसी ऑनलाइन एनजीटी *40;* एस. रामा राव और अन्य। वी. जवाहरलाल नेहरू प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हैदराबाद और अन्र। *1977* एससीसी ऑनलाइन एपी *27;* एयरसेल सेल्युलर लिमिटेड बनाम। भारत संघ *2016* एस. सी. सी. ऑनलाइन मैड *8463;* फ्रेंड्स ऑफ राजौरी गार्डन एनवायरनमेंट एंड अन्र। वी. दक्षिण दिल्ली नगर निगम *2020* एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल *458* संदर्भित।

इलिनोइस सेंट्रल रेलरोड कं. वी. राज्य के लोग

इलिनोइस *[146* यू. एस. *387: 36* एल एड *1018 (1892)]* लोकतांत्रिक गठबंधन और ए. एन. आर. वी. मसोंडो नं. और अन्र। *2003 (2)* बी. सी. एल. आर. *128 (*सी. सी.*);* मैटाटियल नगरपालिका और अन्य। वी. दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के राष्ट्रपति और अन्य। *2007 (1)* बी. सी. एल. आर. *47 (*सी. सी.*);* दक्षिण अफ्रीकी पशु चिकित्सा संघ बनाम। राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष और अन्य। *2019 (2)* बी. सी. एल. आर. *273 (*सी. सी.*);* लॉ सोसाइटी केस ऑफ केन्या बनाम। महान्यायवादी और अन्य। *[* अपील न्यायालय, केन्या का निर्णय

2014 की सिविल अपील संख्या *96* में *27.9.2019* पर निर्णय लिया गया*;* सिविल सेवा संघ परिषद *v.* सिविल सेवा मंत्री *1984 (3)* सभी ई. आर. *935;* संबद्ध प्रांतीय

पिक्चर हाउस लिमिटेड बनाम। वेड्सबरी कॉर्पोरेशन *(1947) 2* ऑल ई. आर. *680;* आर. वी. गृह विभाग के लिए राज्य सचिव, एक्स पार्टी डेली *[2001] 3* सभी ईआर *433;* रेजिना *(*महमूद*)* बनाम। गृह राज्य सचिव

विभाग *[2001] 1* डब्ल्यूएलआर *840;* हुआंग और ओआरएस। वी. गृह विभाग के लिए राज्य सचिव *[2005] 3* सभी ई. आर. *435;* लोच्नर बनाम। न्यूयॉर्क *198* यू. एस. *45 (1905);* न्यू स्टेट आइस कंपनी बनाम। लिबमैन *285* यू. एस. *262;* वेस्ट कोस्ट होटल कं. बनाम। पैरिश *300* यू. एस. *379 (1937);* संयुक्त राज्य अमेरिका बनाम। कैरोलीन उत्पाद कंपनी *304* यू. एस. *144 (1938);* अमेरिकन फेडरेशन ऑफ लेबर एट। अल. वी. अमेरिकन सैश एंड डोर कं. *335* यू. एस. *538 (1949);* फर्ग्यूसन, अटॉर्नी जनरल एजेव सूरी बनाम।

दिल्ली विकास प्राधिकरण

ओआरएस।

कैनसस, आदि। अल. वी. स्क्रूपा *372* यू. एस. *726 (1963);* वुल्फ बनाम। कोलोराडो *338* यू. एस. *25 (1949);* लेग एंड ओआरएस। वी. इनर लंदन एजुकेशन अथॉरिटी *[1972] 1* डब्ल्यूएलआर *1245;* बिशप वी. वुड *426* यू. एस. *341 (1976);* अर्नेट, निदेशक, आर्थिक अवसर कार्यालय, आदि। अल. वी. केनेडी एट। अल. *416* यू. एस. *134 (1974);* बोर्ड ऑफ रीजेंट्स ऑफ स्टेट

महाविद्यालय आदि। अल. वी. रोथ *408* यू. एस. *564 (1972);* नॉर्थ वेल्स पुलिस के मुख्य सिपाही बनाम। इवांस *[1982] 1* डब्ल्यू. एल. आर. *1155;* मोरे, के सार्वजनिक खातों के लेखा परीक्षक इलिनोइस एट। अल. वी. डौड एट। अल. *354* यूएस *457 (1957);* किंग एंड ओआरएस। वी. अटॉर्नी फिडेलिटी फंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड

एन. आर. *2006 (4)* बी. सी. एल. आर. *462;* एथिल निगम बनाम। ईपीए *426* यू. एस. *941 (1977): 541* एफ. *2* डी *1 (1977);* डॉक्टर्स फॉर लाइफ इंटरनेशनल बनाम। राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष और अन्य। *2006 (12)* बी. सी. एल. आर. *1399;* कियांबू काउंटी सरकार और अन्य। वी. रॉबर्ट एन. गकुरु और अन्य *[2014* की सिविल अपील संख्या *200* में अपील न्यायालय, केन्या का निर्णय *30.6.2017* पर निर्णय लिया गया*];* लोनरो पीएलसी बनाम। व्यापार और उद्योग राज्य सचिव और ए. एन. आर. *[1989] 2* सभी ईआर *609* और आर. वी. रक्षा मंत्रालय, पूर्व पी। मर्रे

[1998] सीओडी *134 (*क्यूबीडी*)*-संदर्भित।

संविधान सभा बहस खंड। *I, VIII, IX* और *XI;* टी. आर. एस. एलन, संवैधानिक न्यायाधीश, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय

प्रेस *(*एडन। *2001)* पृ. *1 ;* ड्यूक लॉ जर्नल, वॉल्यूम। *1977* , सं. *2,* आठवाँ वार्षिक प्रशासनिक कानून मुद्दा *(*मई, *1977)* , पीपी। *453-488 ;* न्यायिक प्रक्रिया की प्रकृति, बेंजामिन कार्डोजो, न्यू हेवनः येल यूनिवर्सिटी प्रेस, *13* वीं संस्करण। *1946 pg. 141 ;* प्रशासनिक कानून, *5* वीं संस्करण। , थॉमसन स्वीट और मैक्सवेल, पृ. *440 ;* का शब्दकोश

पर्यावरण और पारिस्थितिकी शब्दकोश

पारिस्थितिकी, ब्लूम्सबरी, पी. एच. कॉलिन, *5* म संस्करण। , पृष्ठ *116;* "विकास के अधिकार को लागू करना अंतर्राष्ट्रीय कानून और सतत विकास-सिद्धांत और प्रैक्टिस, एडन। *2004* , *pg. 354 ;* प्रोफेसर स्कॉटलैंड डी. सी. सर्किट न्यायिक सम्मेलन, पर्यावरण संरक्षणः कानून और नीति, द्वितीय संस्करण। , *pg. 122 ;* लैंडस्केप आर्किटेक्चर पत्रिका, फ्रेडरिक स्टेनर और जॉन रॉबर्ट्स प्रॉस्पेक्टः पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन, लैंडस्केप आर्किटेक्चर मैगज़ीन, मई/जून, *1986,* वॉल्यूम। *76* , *pg.*

132 और "हवाई की सीमाओं को चार्ट करना"

वायहोल खाई के बाद व्यापक सार्वजनिक विश्वास सिद्धांत

हवाई की व्यापक सार्वजनिक सीमाओं का चार्ट बनाना

2 - संदर्भित किया गया।

संजीव खन्ना के अनुसार, जे. *(*आंशिक रूप से असहमत*) (*अल्पसंख्यक*)*

फैसला*)*

पकड़नाः *1* . यह अलग असहमतिपूर्ण निर्णय कारण है।

वैधानिक प्रावधान, धरोहर संरक्षण समिति से पूर्व अनुमोदन लेने में विफलता और विशेषज्ञ द्वारा पारित आदेश मूल्यांकन समिति। हालांकि बोली आमंत्रित करने की सूचना, परामर्श का पुरस्कार और शहरी कला आयोग के आदेश के पहलुओं पर, एक स्वतंत्र और स्वतंत्र आदेश के रूप में, ए. एम. खानविलकर, जे. *[*पैरा *3] [599-*डी-ई*]*

2.1 . पहली बार *1985* में स्थापित गनिंग सिद्धांतों को निम्नानुसार स्पष्ट किया जा सकता हैः *(* क*)* परामर्श तब होना चाहिए जब

प्रस्ताव अभी भी एक प्रारंभिक चरण में हैं; *(*बी*)* प्रस्तावक को प्रस्ताव के लिए पर्याप्त कारण देने चाहिए जो बुद्धिमान विचार और प्रतिक्रिया की अनुमति देते हैं; *(*सी*)* विचार और प्रतिक्रिया के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए; और *(*डी*)* किसी भी प्रस्ताव को अंतिम रूप देते समय परामर्श के उत्पाद को ईमानदारी से ध्यान में रखा जाना चाहिए।

वैधानिक प्रस्ताव। ये सिद्धांत बुनियादी बातों को दर्शाते हैं -

यदि सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया को विवेकपूर्ण और सार्थक होना है तो आवश्यकताएं आवश्यक हैं। वे आम तौर पर परामर्श करने के कर्तव्य और परामर्श के अधिकार के उचित अनुप्रयोग के लिए आधार और नींव बनाते हैं। फिर भी, इन सिद्धांतों को जलडमरूमध्य में नहीं रखा जाना चाहिए और उपयोग की मात्रा निर्भर करेगी। तथ्यात्मक मैट्रिक्स पर और स्थिति विशिष्ट है। *[*पैरा *25] [639-*डी जी*]*

2.2 . दिल्ली विकास अधिनियम, *1957* की धारा *7* से *11-*ए

एक मास्टर प्लान और क्षेत्रीय विकास योजना *(*ओं*)* तैयार करने के लिए विस्तृत प्रक्रिया का आदेश जिसमें यह निर्देश भी शामिल है कि प्राधिकरण एक मसौदा तैयार करेगा और आम जनता के लिए निरीक्षण के लिए एक प्रति उपलब्ध कराएगा और आपत्तियों और सुझावों को आमंत्रित करेगा।

दिल्ली विकास प्राधिकरण और

ओआरएस।

किसी भी व्यक्ति से। विकास अधिनियम की धारा *10,11* और *11*-ए और दिल्ली विकास *(*मास्टर प्लान और क्षेत्रीय विकास योजना*)* नियम, *1959* के नियम *4,8,9* और *10* में गुंनिंग सिद्धांतों को काफी हद तक प्रतिध्वनित किया जा सकता है। में परामर्श के तरीके और प्रकृति के बारे में उनके हितकारी जनादेश की अनदेखी करना

सहभागितापूर्ण अभ्यास, विचार-विमर्श के लाभकारी उद्देश्य को विफल कर देगा। फलदायी और रचनात्मक होने के लिए सार्वजनिक भागीदारी एक यांत्रिक अभ्यास या औपचारिकता नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसे कम से कम और बुनियादी आवश्यकताओं का पालन करना चाहिए। इस प्रकार, भूखंड संख्या के साथ वर्तमान और प्रस्तावित भूमि उपयोग देने वाली राजपत्र अधिसूचना को अपलोड करना ही पर्याप्त नहीं था

अनुपालन, बल्कि स्पष्ट और साथ ही निहित शर्तों का उल्लंघन करने वाली एक कवायद, यानी पर्याप्त और बोधगम्य प्रकटीकरण करने की आवश्यकता और आवश्यकता। यह स्थिति भी बहती है।

प्रक्रियात्मक निष्पक्षता के सामान्य कानून सामान्य कर्तव्य से। प्रक्रियात्मक वैध अपेक्षा के सिद्धांत को आकर्षित किया जाएगा जैसा कि नीचे बताया गया है। विकास अधिनियम और विकास नियमों के संदर्भ में जानकारी के बोधगम्य और पर्याप्त प्रकटीकरण का अर्थ है और यह उस स्तर को संदर्भित करता है जिस तक

प्रस्तावों पर अंतिम निर्णय लेने से पहले जनता के लिए जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए ताकि वे विचारशील निर्णय लेने वाली विधायी कवायद में एक सूचित आवाज उठा सकें। वर्तमान मामले में इस चूक और विफलता को जांच और सुनवाई बोर्ड *(*बी. ओ. ई. एच.*)* द्वारा स्वीकार किया गया था और स्वीकार किया गया था, जिसने विवरण के प्रकटीकरण और प्रस्तुत करने की सिफारिश की थी। प्रस्तावों की प्रकृति को देखते हुए बोधगम्य और पर्याप्त प्रकटीकरण महत्वपूर्ण था जो प्रतिष्ठित और ऐतिहासिक केंद्रीय क्षेत्र को प्रभावित करेगा।
विस्टा। नागरिकों को स्पष्ट रूप से भाग लेने और खुद को व्यक्त करने, सुझाव देने और आपत्तियां प्रस्तुत करने के प्रस्ताव की व्याख्या करते हुए समझदार विवरण जानने का अधिकार था। प्रस्तावित परिवर्तन, नीतिगत निर्णयों के विपरीत, काफी हद तक अपरिवर्तनीय होंगे। भौतिक निर्माण या विध्वंस एक बार हो जाने के बाद, पूर्ववत नहीं किया जा सकता है या

अध्ययन के साथ आवश्यकता और आवश्यकता से संबंधित औचित्य और व्याख्यात्मक ज्ञापन के साथ पुनर्विकास योजना, लेआउट आदि। और रिपोर्ट करते हैं। विशेष महत्व यह है कि क्या परिवर्तनों द्वारा, *[2021] 15* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सेंट्रल विस्टा में हरे और अन्य क्षेत्रों में आम लोगों की पहुंच को कम/प्रतिबंधित किया जाएगा और दृश्य और अखंडता प्रभाव, और प्रतिष्ठित और अन्य क्षेत्रों के उपयोग में प्रस्तावित परिवर्तन को कम किया जाएगा।

धरोहर इमारतें। *[*पैरा *27,28] [641*-ए-बी; *642*-ए-एच*]*

3. वर्तमान मामले के संदर्भ में, निष्पक्षता पर जोर देने वाले वैधानिक प्रावधानों की प्रकृति और महत्व को देखते हुए विचार-विमर्श में जनता की भागीदारी, और सेंट्रल विस्टा के महत्व और महत्व, सार्वजनिक

भागीदारी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए समझदार और पर्याप्त प्रकटीकरण के सिद्धांत को मानने में उत्तरदाताओं की विफलता को नजरअंदाज करना उचित और सही नहीं होगा। सही मायने में आपत्तियां और सुझाव देने के अधिकार में प्रस्ताव के संबंध में पर्याप्त जानकारी का अधिकार शामिल होगा। विकास अधिनियम और विकास नियमों द्वारा निर्धारित विधायी योजना का आधार रचनात्मक और रचनात्मक भागीदारी है। सहभागितापूर्ण अधिकारों को अधिकतम सीमा तक प्रभावी और वास्तविक बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए, बजाय इसके कि उन्हें केवल अनियमितता के रूप में पढ़ा जाए या उन्हें अनावश्यक या अनिवार्य के रूप में कम किया जाए। *[*पैरा *37] [649-*एफ-एच*; 650* ए-बी*]*

4. केंद्र सरकार ने रिकॉर्ड में भी नहीं रखा है

एकल दस्तावेज या कार्यवृत्त यह दिखाने के लिए कि आपत्तियों और सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया गया था। *[*पैरा *51] [662-*डी-ई*]*

5. वर्तमान मामले में मुख्य मुद्दा यह है कि क्या उत्तरदाताओं ने जनता से परामर्श करने के अपने कर्तव्य का पालन किया है या नहीं।

निर्धारित प्रक्रिया और सक्षम प्राधिकारी का पालन किया

दिल्ली विकास अधिनियम, *1957* और दिल्ली विकास *(*मास्टर प्लान और क्षेत्रीय विकास योजना*)* नियम, *1959* के संदर्भ में संशोधन/संशोधन करने के लिए कार्य किया था। सार्वजनिक नीति के गुण अपने आप में न्यायालय द्वारा तय किया जा रहा विवाद नहीं है। *[*पैरा *55] [671* ई*; 672-*सी*]*

6. यह एक सुस्थापित प्रस्ताव है कि कहाँ शक्ति दी जाती है।

किसी चीज़ को एक निश्चित तरीके से करने के लिए, उस चीज़ को उस तरह से किया जाना चाहिए या बिल्कुल नहीं। प्रदर्शन के अन्य तरीके हैं -

अनिवार्य रूप से निषिद्ध। जब कानून एक विशेष नियम निर्धारित करता है

अधिनियम एक विशेष प्रक्रिया का पालन करके किया जाना चाहिए, अधिनियम उस तरीके से किया जाना चाहिए या बिल्कुल नहीं। राजीव सूरी की तकनीकी समिति *v.*

दिल्ली विकास प्राधिकरण और

ओआरएस।

प्राधिकरण ने *5* दिसंबर, *2019* को आयोजित अपनी बैठक में कहा कि प्रस्ताव की जांच करते हुए, अन्य बातों के साथ, कहा गया था कि विरासत संरक्षण समिति से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। हालाँकि विरासत संरक्षण समिति को कभी भी अनुमोदन/अनुमति प्राप्त करने के लिए स्थानांतरित नहीं किया गया था। कोई स्वीकृति/अनुमति नहीं ली गई है। *[*पारस *71,72] [688-*एफ*; 689-*ए-बी*]*

और/या वास्तुशिल्प और/या सौंदर्य और/या ऐसी इमारत का सांस्कृतिक मूल्य। हालाँकि, उत्तरदाताओं को आगे बढ़ना चाहिए था और धरोहर संरक्षण समिति से स्पष्टीकरण मांगा। इसके अलावा, यदि एन. डी. एम. सी. सहित उत्तरदाताओं द्वारा दी गई व्याख्या को स्वीकार किया जाना है, तो एक अनुक्रम के रूप में यह इस प्रकार है कि निर्माण या विकास में समय लग सकता है।

प्रथम श्रेणी की इमारत से सटे या उससे सटे खाली भूखंड में रखें। यह व्याख्या अस्वीकार्य प्रतीत होती है क्योंकि यह इसके विपरीत है

इन दोनों विधानों के उद्देश्य और उद्देश्य के साथ असंगत होगा, एक प्रासंगिक सिद्धांत जब कोई व्याख्या करता है संदेह या अस्पष्टता के मामले में प्रावधान। यह एक अस्थायी दृष्टिकोण है, क्योंकि यह विरासत संरक्षण समिति की राय है।

'इसमें ऐसी इमारत से सटे भूमि का ऐसा हिस्सा और हिस्सा शामिल है।

बाड़ लगाने या ढकने के लिए या किसी भी तरह से ऐतिहासिक और/या वास्तुकला और/या वास्तुकला को संरक्षित करने के लिए इसकी आवश्यकता हो सकती है।

ऐसी इमारत का सौंदर्य और/या सांस्कृतिक मूल्य '। *[*पैरा *74] [689*

एच*; 690-*ए-ई*]*

8. केंद्र सरकार प्रक्रिया का पालन किए बिना और विरासत संरक्षण *[2021] 15* एस. सी. आर. से पूर्व अनुमोदन/अनुमति के बिना संशोधित भूमि उपयोग परिवर्तनों को अधिसूचित नहीं कर सकती थी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

वायु और जल प्रदूषण के तहत दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति से मंजूरी जैसी मंजूरी की आवश्यकता होगी अधिनियम, पर्याप्त अग्नि सुरक्षा उपायों का प्रावधान, आदि। जो चिंता का विषय है वह है चर्चा, कारणों या यहाँ तक कि निष्कर्ष या निष्कर्ष की कमी या समावेश के पहलू पर निष्कर्ष निकालना। ई. ए. सी. के समक्ष कार्यवाही प्रकृति में प्रतिकूल नहीं है। ई. ए. सी. एक निष्पक्ष अन्वेषक और एक स्वतंत्र उद्देश्य निर्णायक दोनों के रूप में कार्य करता है जब

यह तय करना कि पर्यावरण मंजूरी दी जाए या नहीं। दिमाग का ऐसा अनुप्रयोग होना चाहिए जो निष्कर्ष को उचित ठहराने वाले कारणों को दर्ज करने पर परिलक्षित होता है। केवल प्रतिस्पर्धी स्टैंड का पुनरुत्पादन पर्याप्त नहीं है। इसके विपरीत यह दिमाग के उपयोग के बिना यांत्रिक अनुदान को प्रतिबिंबित करेगा। इसके अलावा, यह मान लेना अदालत/अपीलीय मंच का काम नहीं है कि इसका क्या महत्व है, क्या निष्कर्ष ऐसी सामग्री पर निर्भर करता है जो प्रासंगिक, अप्रासंगिक या आंशिक रूप से प्रासंगिक है, या क्या निर्णय आंशिक रूप से अनुमानों और अनुमानों पर और आंशिक रूप से साक्ष्य पर आधारित है। *[*पारस *89,90] [703-*एफ-जी*; 704-*सी-ई*]*

10. यह तर्क दिया गया कि *2006* की पर्यावरण प्रभाव आकलन *(*ई. आई. ए.*)* अधिसूचना के प्रासंगिक खंड में पर्यावरण मंजूरी दिए जाने पर कारण देने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, अवगत कराने वाले निकाय, जिसमें ई. ए. सी. के साथ-साथ मंत्रालय भी शामिल है, को मंजूरी देने या अस्वीकार करने के लिए नियामक प्राधिकरण को स्पष्ट सिफारिशें करनी होती हैं, साथ ही इसके कारणों को भी बताना होता है। इसके अलावा, ई. ए. सी. द्वारा पारित आदेश राष्ट्रीय हरित आयोग के समक्ष अपील योग्य हैं। न्यायाधिकरण। अपीलीय मंच तब तक समझने और निर्णय लेने में सक्षम नहीं होगा जब तक कि कारणों को निर्धारित नहीं किया जाता है

और चुनौती के तहत आदेश में कहा नहीं जाता है। ई. ए. सी. को कार्य आउटसोर्स करने का पूरा उद्देश्य, जिसमें विशेषज्ञ और विशेषज्ञ शामिल हैं, एक उचित राजीव सूरी बनाम होना है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण और

ओआरएस।

11. ऐसे जटिल और गूढ़ मुद्दे हैं जिन पर पहले चरण में विशेषज्ञ द्वारा विचार और निर्णय लिया जाना चाहिए। विरासत संरक्षण समिति जैसे अधिकारी। यदि याचिकाओं के गुण-दोषों पर विचार किया जाता है और उनकी जांच की जाती है, तो यह उनके अधिकार क्षेत्र का सीधा अतिक्रमण होगा और न्यायिक समीक्षा की शक्ति से अधिक होगा। यह वैधानिक/अर्ध-न्यायिक द्वारा आदेशों में तर्क और चर्चा है जो न्यायिक जांच और समीक्षा के अधीन है। इसके अलावा, विरासत, वास्तुकला, कार्यशीलता आदि से संबंधित मामले इस क्षेत्र के विशेषज्ञों और विशेषज्ञों जैसे वास्तुकारों, नगर योजनाकारों, इतिहासकारों, शहरीविदों, इंजीनियरों आदि के लिए परीक्षण और मार्गदर्शन करने के लिए हैं। उत्तरदाताओं का निस्संदेह मानना है कि सेंट्रल विस्टा और नए संसद भवन का पुनर्विकास एक अनिवार्य आवश्यकता है। सेंट्रल विस्टा में बदलाव की आवश्यकता है। जिन झोपड़ियों और कुछ गैर-धरोहर भवनों जैसे शास्त्री भवन, निर्माण भवन, उद्योग भवन आदि, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे *90* एकड़ से अधिक भूमि पर फैले हुए हैं, उन्हें फिर से विकसित करने की आवश्यकता है। इसी तरह, यदि नए संसद भवन की आवश्यकता है और यह आवश्यक है, तो इसका निर्माण किया जाना चाहिए। कई पूर्व और वर्तमान अध्यक्षों ने नई संसद के निर्माण की आवश्यकता व्यक्त की है। कुछ याचिकाकर्ता आंशिक रूप से विरोध नहीं करते हैं

और विरासत, लोकाचार और दृश्य रूप को बनाए रखते हुए और संरक्षित करते हुए कार्यक्षमता के लिए पुनर्विकास को विनियमित किया। सेंट्रल विस्टा और संसद भवन एक विरासत है और राष्ट्र और लोगों से संबंधित है। उनकी प्राथमिक शिकायत जानकारी और विवरण की कमी है। वे प्रस्तुत करते हैं कि विशेषज्ञ और विशेषज्ञ प्रदान कर सकते हैं

ऐतिहासिक इमारतों के संरक्षण और उन्हें कार्यात्मक बनाने के लिए स्वीकार्य समाधान, जैसा कि अन्यत्र हुआ है। याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए मुद्दों के साथ-साथ प्रतिवादियों के रुख को वैधानिक अधिकारियों द्वारा ध्यान में रखा जाना चाहिए। वैधानिक अधिदेश के अनुसार। अंततः, इस मुद्दे को पेशेवरों द्वारा विवरण का पता लगाने के बाद कानून के अनुसार तय किया जाना चाहिए।

विशेषज्ञ। *[* पैरा *96] [711-*डी-एच*; 712-*ए-सी*]*

12. सेंट्रल विस्टा में *6* भूखंडों के संबंध में *28* मार्च *2020* की भूमि उपयोग के संशोधन/परिवर्तन की अंतिम अधिसूचना को अलग करते हुए और रद्द करते हुए, यह निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:

ए*)* केंद्र सरकार/प्राधिकरण सार्वजनिक रूप से लगाएगा

वेब पर डोमेन, *7* दिनों की अवधि के भीतर चित्र, लेआउट योजनाओं, व्याख्यात्मक ज्ञापन आदि के साथ समझदार और पर्याप्त जानकारी।

ख*)* प्राधिकरण और केंद्र सरकार की वेबसाइट पर उचित विज्ञापन के साथ सार्वजनिक विज्ञापन। प्रिंट मीडिया में प्रकाशन *7* दिनों के भीतर किया जाएगा।

ग*)* सुझाव/आपत्तियाँ दाखिल करने का इच्छुक कोई भी व्यक्ति प्रकाशन की तारीख से *4* सप्ताह के भीतर ऐसा कर सकता है।

आपत्तियाँ/सुझाव ईमेल या डाक पते पर भेजे जा सकते हैं जिसे सार्वजनिक सूचना में इंगित/उल्लिखित किया जाएगा।

घ*)* सार्वजनिक सूचना सार्वजनिक सुनवाई की तारीख, समय और स्थान को भी अधिसूचित करेगी, जो विरासत संरक्षण समिति द्वारा उक्त समिति के समक्ष उपस्थित होने के इच्छुक व्यक्तियों को दी जाएगी। स्थगन या स्थगन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

हालांकि, आवश्यकता पड़ने पर विरासत संरक्षण समिति सुनवाई के लिए अतिरिक्त तारीख तय कर सकती है। ई*)* प्राधिकरण द्वारा प्राप्त आपत्तियों/सुझावों के साथ-साथ बी. ओ. ई. एच. और अन्य अभिलेखों को विरासत संरक्षण समिति को भेजा जाएगा। निर्णय लेते समय इन आपत्तियों आदि पर भी विचार किया जाएगा।

अनुमोदन/अनुमति का प्रश्न।

च*)* धरोहर संरक्षण समिति एकीकृत भवन विदाई के अनुसार सभी विवादों का फैसला करेगी।

दिल्ली के कानून और मास्टर प्लान। जी*)* विरासत संरक्षण समिति को परामर्श, सुनवाई आदि के लिए अनुच्छेद *1.3* या एकीकृत भवन उप कानूनों के अन्य अनुच्छेदों के संदर्भ में उचित और आवश्यक महसूस होने पर सार्वजनिक भागीदारी अभ्यास करने की भी स्वतंत्रता होगी। यह राजपथ पर सेंट्रल विस्टा क्षेत्र की सीमाओं के संबंध में विवाद की भी जांच करेगा।

ज*)* धरोहर संरक्षण समिति की रिपोर्ट इसके बाद केंद्रीय ए. जे. ई. ई. वी. सूरी वी. को भेजे गए अभिलेखों के साथ होगा।

दिल्ली विकास प्राधिकरण और

ओआरएस।

सरकार, जो तब उसके अनुसार एक आदेश पारित करेगी

कानून के साथ और विकास की धारा *11* ए के संदर्भ में

अधिनियम और लागू विकास नियम, के साथ पढ़ें

I) धरोहर संरक्षण समिति भी साथ ही पूर्व अनुदान के मुद्दे की जांच करें

प्लॉट संख्या *118* पर नई संसद के निर्माण/परमिट के संबंध में अनुमति/अनुमोदन। हालाँकि, इसका अंतिम निर्णय या

परिणाम स्थानीय निकाय को सूचित किया जाएगा। ,

एन. डी. एम. सी., मास्टर में संशोधन के बाद और केवल तभी

योजना को अधिसूचित किया गया।

जे) धरोहर संरक्षण समिति एक पारित करेगी

बोलने का आदेश निष्कर्षों के कारणों को निर्धारित करता है। [पैरा 97] [712-सी-एच; 713-ए-जी]

13. 22 अप्रैल, 2020 को ई. ए. सी. का आदेश और

पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा मंजूरी

1 17 जून, 2020 को अलग रखा गया है, और पारित किए गए लोगों को एक अनुरोध के साथ प्रेषण का आदेश दिया गया है कि वे इस प्रश्न पर निर्णय ले सकते हैं

तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर भुगतान मंजूरी

भूमि उपयोग के परिवर्तन/संशोधन पर निर्णय की प्रतीक्षा किए बिना प्राप्त इस आदेश का। [पैरा 98] [713-जी-एच;

ए]

अखिल भारतीय भर्ती बोर्ड और एक अन्य v. के. श्याम कुमार और अन्य (2010) 6 एससीसी 614 [2010] 6

एससीआर 291; अनुराधा भसीन बनाम। भारत संघ (2020) 3 एस. सी. सी. 637; मॉडर्न डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर

वी. मध्य प्रदेश और अन्य राज्य (2016) 7 एससीसी 353 [2016] 3 एससीआर 579; के. एस. पुट्टास्वामी (आधार)

5 जे) (2019) 1 एस. सी. सी. 1: [2018] 8 एस. सी. आर. 1; ग्वालियर रायन

सिल्क एम. एफ. जी. कं. लिमिटेड बनाम। सहायक बिक्री आयुक्त

कर (1974) 4 एससीसी 98: [1974] 2 एस. सी. आर. 879; रे. : द.

दिल्ली कानून अधिनियम। ए. आई. आर 1951 एस. सी 332: [1951] एससीआर 747; इंडियन एक्सप्रेस समाचार पत्र बनाम भारत संघ (1985) 1

एससीसी 641: [1985] 2 एस. सी. आर. 287; केरल संस्थान चेतु थोझिलाली यूनियन बनाम। केरल राज्य और अन्य। (2006) 4

एससीसी 327 [2006] 3 एससीआर 420; इस्पात इंडस्ट्रीज लिमिटेड

वी. सीमा शुल्क आयुक्त (2006) 12 एस. सी. सी. 583

: [2006] 6 पूरक। एससीआर *733;* भारत संघ *[2021] 15* एस।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अन्य *(2016) 7* एस. सी. सी. *703: [2016] 9* एससीआर *1;* यू. पी. राज्य बनाम राज नारायण *(1975) 4* एससीसी *428: [1975] 3* एस. सी. आर. *333;* सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय बनाम बंगाल क्रिकेट संघ *(1995) 2* एस. सी. सी. *161: [1995] 1* एससीआर *1036;* रिलायंस

पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड बनाम इंडियन एक्सप्रेस समाचार पत्रों के मालिक, बॉम्बे प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड *(1988) 4* एससीसी *592;*

पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज *v.* भारत संघ *(2004) 2* एससीसी *476: [2004] 1* एस. सी. आर. *232;* केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बनाम। आदित्य बंदोपाध्याय

(2011) 8 एससीसी *497: [2011] 11* एस. सी. आर. *1028;* रज़ा बुलंद शुगर कंपनी लिमिटेड *v.* नगरपालिका बोर्ड, रामपुर ए. आई. आर. *1965*

एससी *895; [1965]* एससीआर *970;* लछमी नारायण बनाम। भारत संघ *(1976)* एस. सी. सी. *953: [1979] 1* एस. सी. आर. *845;* परविंदर सिंह और अन्य बनाम। पंजाब राज्य *(1979)*

1 एससीसी *137: [1979] 1* एससीआर *845;* राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम बनाम। बाल मुकुंद बैरवा *(2009) 4* एस. सी. सी. *299 [2009] 2* एस. सी. आर. *161;* अन्नामलाई विश्वविद्यालय बनाम। सरकार के सचिव, सूचना और पर्यटन विभाग *(2009) 4* एस. सी. सी. *590 [2009] 3* एस. सी. आर. *355;* एम. सी मेहता बनाम भारत संघ *(2019) 12* एस. सी. सी. *720;* आर. के. मित्तल बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य *(2012) 2* एससीसी *232: [2011] 15* एस. सी. आर. *877;* राजेंद्र शंकर शुक्ला बनाम। छत्तीसगढ़ राज्य *(2015) 10* एससीसी *400 [2015] 11*

एससीआर *723;* इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम। मदन लाल *(1990) 2* एस. सी. सी. *334;* सैयद हसन रसूल नुमा बनाम। भारत संघ *(1991) 1* एससीसी *401: [1990] 3* पूरक। एससीआर *165;* यू. पी. राज्य बनाम मनबोधन लाल श्रीवास्तव आकाशवाणी

1957 एससी *912: [1958]* एससीआर *533;* यू. पी. राज्य बनाम बाबू राम उपाध्याय एआईआर *1961* एससी *751: [1961]* एस. सी. आर. *679;* अधीक्षक और कानूनी अनुस्मारक, पश्चिम बंगाल राज्य बनाम। कलकत्ता निगम ए. आई. आर. *1967* एस. सी. *997:*

अजीव सूरी बनाम। दिल्ली विकास प्राधिकरण

ओआरएस।

[1967] एससीआर *170;* कमला प्रसाद खेतान बनाम। भारत संघ ए. आई. आर *1957* एस. सी. *676: [1957]* एस. सी. आर. *1052;* अनुसूचित जाति और कमजोर वर्ग कल्याण संघ बनाम। कर्नाटक राज्य *(1991) 2* एससीसी *604: [1991] 1* एस. सी. आर. *974;* झारखंड राज्य बनाम। ब्रह्मपुत्र मेटालिक्स लिमिटेड

2020 (12) जे. टी. *78;* परिंदर सिंह बनाम भारत संघ

मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम भारत संघ और दूसरा *(1976) 2* एस. सी. सी. *981: [1976]* पूरक। एस. सी. आर. *489;* अध्यक्ष, अनुशासन प्राधिकरण, रानी लक्ष्मी बाई

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बनाम। जगदीश चंद वार्ष्णेय *(2009) 4* एससीसी *240: [2009] 5* एस. सी. आर. *326;* आयकर आयुक्त बनाम. वालचंद एंड कंपनी प्रा. लिमिटेड ए. आई. आर. *1967* एस. सी. *1435 [1967]* एस. सी. आर. *214;* पंजाब राज्य बनाम। भाग। सिंह *(2004) 1* एससीसी *547: [2003] 6* पूरक। एससीआर *904;* भारत हनुमान लक्ष्मण अरोस्कर बनाम। भारत संघ

(2019) 15 एससीसी *401 [2019] 5* एससीआर *916* और लोक प्रहरी बनाम. उत्तर प्रदेश राज्य *(2018) 6* एस. सी. सी. *1: [2018] 6* एस. सी. आर. *1076* निर्दिष्ट है।

भाऊसाहब तवनप्पा महाजन वी।

की स्थिति

महाराष्ट्र एयर *1982* बम *284* और गौ रक्सा हितरक्सक मंच बनाम। भारत संघ *(2013)* एस. सी. सी. ऑनलाइन एन. जी. टी. *85* संदर्भित।

मॉन्ट्राल स्ट्रीट रेलवे कंपनी बनाम नॉरमैंडिन ए. आई. आर. *1917* पी. सी. *142* और नजीर अहमद बनाम। राजा सम्राट ए. आई. आर. *1936* पी. सी. *253* का उल्लेख किया गया।

एसोसिएटेड प्रोविंशियल पिक्चर हाउस बनाम वेड्सबरी निगम *1947 (2)* सभी ई. आर. *680 (*सी. ए.*);* आर. ओक्स *1986 1* एस. सी. आर. *103 [*कनाडाई सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय*];*

मिक्सनाम प्रॉपर्टीज लिमिटेड बनाम। चेर्टसे शहरी जिला *[2021] 15* एस. सी.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

परिषद *(1632) 2* सभी ई. आर. *787;* क्रूज बनाम। जॉनसन *1898,*

डिवीजनल कोर्ट*;* आर *(*मोस्ले*)* बनाम। लंदन बरो ऑफ

हरिंगे *(2014)* यूकेएससी *56;* आर वी। ब्रेंट लंदन बरो

परिषद, पूर्व पक्ष गनिंग *(1985) 84* एलजीआर *168;* स्टीफन वीरा वी. लंदन बरो ऑफ कैमडेन *(2012)* ईडब्ल्यूएचसी

287 ; आर. वी. उत्तर और पूर्वी डेवोन स्वास्थ्य प्राधिकरण, पूर्व पी

कफलान *2001* क्यू. बी. *212: (2000) 2* डब्ल्यूएलआर *622 (*सीए*);*

रेजिना वी। सामाजिक सेवा राज्य सचिव *1986*
डब्ल्यू. एल. आर. वॉल्यूम। *1 pg. 1 ;* डॉक्टर्स फॉर लाइफ इंटरनेशनल बनाम

नेशनल असेंबली के अध्यक्ष *2006 (12) BCLR*

1399 [दक्षिण के संवैधानिक न्यायालय का निर्णय

अफ्रीका*];* आर *(*भट्ट मर्फी*)* और अन्य बनाम। स्वतंत्र

कैमडेन का बरो *2009* ई. डब्ल्यू. सी. सी. आई. वी. *1029;* आर *(*केली*)* बनाम।
लंदन बरो ऑफ हौन्स्टन *2010* ई. डब्ल्यू. एच. सी. सी. वी. *1256;*

आर *(*विएरा के आवेदन पर*)* वी। लंदन बरो ऑफ

कैमडेन *2012* ई. डब्ल्यू. एच. सी. *287*-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

ए. एम. खानविलकर के निर्णय में, जे. *(2018) 15* एस. सी. सी. *407*

संदर्भित किया गया है

पैरा *24*

[1991] 3 एससीआर *102*

संदर्भित किया गया है

पैरा *24*

[2011] 15 एससीआर *877*

संदर्भित किया गया है

पैरा *24*

(2019) 14 एस. सी. सी. *411*

संदर्भित किया गया है

पैरा *24*

(2018) 18 एस. सी. सी. *257*

पैरा *24*

संदर्भित किया गया है

(1987) 2 एससीसी *720*

पैरा *30*

संदर्भित किया गया है

[1990] 1 एससीआर *909*

पैरा *30*

संदर्भित किया गया है

[2002] 1 एससीआर *27*

संदर्भित किया गया है

पैरा *30*

[2004] 2 पूरक। एससीआर *207*

पैरा *30*

संदर्भित किया गया है

[2010] 8 एससीआर *636*

संदर्भित किया गया है

पैरा *30*

[1980] 2 एससीआर *1111*

संदर्भित किया गया है

पैरा *30*

[1989] 3 एससीआर *405*

संदर्भित किया गया है

पैरा *30*

[2012] 4 एससीआर *881*

संदर्भित किया गया है

पैरा *30*

[2007] 6 एससीआर *799*

संदर्भित किया गया है

पैरा *30* राजीव सूरी बनाम। दिल्ली विकास प्राधिकरण और

ओआरएस।

(2019) 12 एससीसी *720*

संदर्भित किया गया है

पैरा *35*

[2011] 1 एससीआर *198*

संदर्भित किया गया है

पैरा *35*

[1989] 1 एससीआर *176*

संदर्भित किया गया है

पैरा *35*

[2002] 2 पूरक। एससीआर *266*

संदर्भित किया गया है

पैरा *35*

[1970] 3 एससीआर *40*

संदर्भित किया गया है

पैरा *35*

[2019] 5 एससीआर *916*

संदर्भित किया गया है

पैरा *35*

[2015] 11 एससीआर *723*

संदर्भित किया गया है

पैरा *35*

[2006] 1 एससीआर *1039*

संदर्भित किया गया है

पैरा *35*

[1994] 6 पूरक। एससीआर *78*

संदर्भित किया गया है

पैरा *35*

[2006] 1 पूरक। एससीआर *772*

पैरा *48*

संदर्भित किया गया है

[2003] 6 पूरक। एससीआर *1023*

संदर्भित किया गया है

पैरा *48*

[1998] 1 पूरक। एससीआर *156*

पैरा *51*

संदर्भित किया गया है

[2006] 4 पूरक। एससीआर *120*

पैरा *52*

संदर्भित किया गया है

[1991] 1 एससीआर *772*

पैरा *52*

संदर्भित किया गया है

[2013] 11 एससीआर *784*

संदर्भित किया गया है

पैरा *60*

[1996] 5 पूरक। एससीआर *241*

संदर्भित किया गया है

पैरा *64*

[2000] 5 पूरक। एससीआर *249*

संदर्भित किया गया है

पैरा *64*

[2011] 7 एससीआर *954*

संदर्भित किया गया है

पैरा *65*

[2019] 17 एससीआर *539*

संदर्भित किया गया है

पैरा *67*

[2006] 2 एससीआर *419*

पैरा *67*

संदर्भित किया गया है

[2017] 13 एससीआर *361*

संदर्भित किया गया है

पैरा *67*

[1967] 2 एससीआर *454*

संदर्भित किया गया है

पैरा *80*

[2018] 8 एससीआर *1*

संदर्भित किया गया है

पैरा *85*

[2020] 2 एससीआर *297*

पैरा *85*

संदर्भित किया गया है

[2016] 9 एससीआर *1*

संदर्भित किया गया है

पैरा *86*

[2017] 10 एससीआर *569*

संदर्भित किया गया है

पैरा *86*

[1975] 3 एससीआर *333*

संदर्भित किया गया है

पैरा *92*

[1988] 3 पूरक। एससीआर *212*

संदर्भित किया गया है

पैरा *92 [2021] 15* एस.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[1996] 10 पूरक। एससीआर *12*

संदर्भित किया गया है

पैरा *97*

[2007] 1 एससीआर *706*

पैरा *98*

संदर्भित किया गया है

[2018] 7 एससीआर *1*

संदर्भित किया गया है

पैरा *98*

[2018] 6 एससीआर *1076*

संदर्भित किया गया है

पैरा *98*

[1997] 3 एससीआर *421*

संदर्भित किया गया है

पैरा *98*

[2005] 2 एससीआर *502*

संदर्भित किया गया है

पैरा *98*

[2013] 11 एससीआर *581*

पैरा *98*

संदर्भित किया गया है

(2012) 3 एससीसी *619*

संदर्भित किया गया है

पैरा *98*

(2019) 3 एससीसी *224*

पैरा *98*

संदर्भित किया गया है

[2016] 6 एससीआर *333*

संदर्भित किया गया है

पैरा *98*

[1974] 2 एससीआर *768*

संदर्भित किया गया है

पैरा *98*

[2017] 9 एससीआर *797*

पैरा *98*

संदर्भित किया गया है

[2012] 9 एससीआर *311*

संदर्भित किया गया है

पैरा *98*

[2014] 9 एससीआर *965*

पैरा *98*

संदर्भित किया गया है

[2009] 9 एससीआर *22*

संदर्भित किया गया है

पैरा *98*

[1962] 3 एससीआर *842*

संदर्भित किया गया है

पैरा *98*

[1973] 2 एससीआर *757*

संदर्भित किया गया है

पैरा *98*

[1999] 3 एससीआर *875*

पैरा *98*

संदर्भित किया गया है

[1992] 3 एससीआर *595*

संदर्भित किया गया है

पैरा *98*

[1995] 1 एससीआर *1036*

पैरा *98*

संदर्भित किया गया है

[1970] 2 एससीआर *666*

पैरा *98*

संदर्भित किया गया है

[2013] 6 एससीआर *881*

संदर्भित किया गया है

पैरा *98*

[2012] 1 एससीआर *260*

संदर्भित किया गया है

पैरा *98*

[2006] 10 पूरक। एससीआर *354*

पैरा *98*

संदर्भित किया गया है

[1996] 8 पूरक। एससीआर *710*

संदर्भित किया गया है

पैरा *98*

[2009] 6 एससीआर *663*

संदर्भित किया गया है

पैरा *98*

[2014] 8 एससीआर *446*

संदर्भित किया गया है

पैरा *98*

[1977] 3 एससीआर *249*

संदर्भित किया गया है

पैरा *98* राजीव सूरी बनाम। दिल्ली विकास प्राधिकरण और

ओआरएस।

[2013] 6 एससीआर *199*

संदर्भित किया गया है

पैरा *98*

[2011] 5 एससीआर *77*

पैरा *98*

संदर्भित किया गया है

[1986] 3 एससीआर *63*

संदर्भित किया गया है

पैरा *98*

[2006] 10 पूरक। एससीआर *606*

पैरा *98*

संदर्भित किया गया है

[1979] 3 एससीआर *1014*

पैरा *98*

संदर्भित किया गया है

[1979] 1 एससीआर *392*

पैरा *110*

संदर्भित किया गया है

[2015] 9 एससीआर *113*

पैरा *110*

संदर्भित किया गया है

[1951] एससीआर *228*

संदर्भित किया गया है

पैरा *111*

[2000] 4 पूरक। एससीआर *94*

पैरा *114*

संदर्भित किया गया है

[2010] 6 एससीआर *1110*

पैरा *114*

संदर्भित किया गया है

[2011] 6 एससीआर *443*

संदर्भित किया गया है

पैरा *114*

[2007] 5 एससीआर *7*

संदर्भित किया गया है

पैरा *114*

[1993] 3 पूरक। एससीआर *531*

पैरा *114*

संदर्भित किया गया है

[2013] 8 एससीआर *631*

पैरा *114*

संदर्भित किया गया है

[1964] 4 एससीआर *575*

संदर्भित किया गया है

पैरा *114*

[1996] 3 पूरक। एससीआर *808*

पैरा *114*

संदर्भित किया गया है

[2003] 2 एससीआर *1085*

संदर्भित किया गया है

पैरा *114*

[2012] 5 एससीआर *547*

पैरा *114*

संदर्भित किया गया है

[2001] 3 एससीआर *149*

पैरा *114*

संदर्भित किया गया है

[2010] 9 एससीआर *227*

संदर्भित किया गया है

पैरा *114*

[2011] 13 एससीआर *636*

संदर्भित किया गया है

पैरा *114*

[2005] 3 एससीआर *81*

संदर्भित किया गया है

पैरा *114*

[2008] 10 एससीआर *222*

संदर्भित किया गया है

पैरा *114*

[2006] 6 पूरक। एससीआर *825*

संदर्भित किया गया है

पैरा *114*

[2005] 2 एससीआर *520*

पैरा *114*

संदर्भित किया गया है

एससीआर *1095*

[2005] 3

संदर्भित किया गया है

पैरा *114*

(1997) 10 एस. सी. सी. *386*

पैरा *114*

संदर्भित किया गया है

[2006] 10 पूरक। एससीआर *521*

संदर्भित किया गया है

पैरा *114 [2021] 15* एस. सी.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[1977] 2 एससीआर *904*

संदर्भित किया गया है

पैरा *114*

[2003] 3 पूरक। एससीआर *249*

संदर्भित किया गया है

पैरा *114*

(1991) 2 एस. सी. सी. *382*

संदर्भित किया गया है

पैरा *114*

[1952] एससीआर *18*

संदर्भित किया गया है

पैरा *114*

[1966] पूरक। एससीआर *311*

संदर्भित किया गया है

पैरा *114*

[1969] 3 एससीआर *108*

संदर्भित किया गया है

पैरा *114*

[1989] 3 एससीआर *356*

पैरा *114*

संदर्भित किया गया है

[2002] 1 एससीआर *621*

पैरा *114*

संदर्भित किया गया है

[1962] 1 एससीआर *688*

संदर्भित किया गया है

पैरा *114*

[1991] 2 एससीआर *451*

संदर्भित किया गया है

पैरा *114*

[1976] 1 एससीआर *168*

संदर्भित किया गया है

पैरा *114*

[1994] 5 पूरक। एससीआर *223*

पैरा *114*

संदर्भित किया गया है

[1982] 1 एससीआर *947*

पैरा *114*

संदर्भित किया गया है

[1994] 1 एससीआर *579*

संदर्भित किया गया है

पैरा *114*

[1996] 2 एससीआर *767*

संदर्भित किया गया है

पैरा *114*

[2001] 5 पूरक। एससीआर *511*

संदर्भित किया गया है

पैरा *114*

[1990] 3 पूरक। एससीआर *20*

संदर्भित किया गया है

पैरा *114*

[1975] पूरक। एससीसी *1*

संदर्भित किया गया है

पैरा *114*

[1978] 2 एससीआर *1*

संदर्भित किया गया है

पैरा *114*

[2006] 5 पूरक। एससीआर *1*

संदर्भित किया गया है

पैरा *114*

[2008] 4 एससीआर *1*

पैरा *114*

संदर्भित किया गया है

[2015] 13 एससीआर *1*

संदर्भित किया गया है

पैरा *114*

[2003] 2 एससीआर *387*

संदर्भित किया गया है

पैरा *114*

[1996] 10 पूरक। एससीआर *209*

पैरा *114*

संदर्भित किया गया है

[2006] 8 पूरक। एससीआर *398*

संदर्भित किया गया है

पैरा *114*

(2010) 14 एस. सी. सी. *253*

संदर्भित किया गया है

पैरा *114*

[2009] 9 एससीआर *225*

संदर्भित किया गया है

पैरा *114*

(2000) 8 एस. सी. सी. *606*

संदर्भित किया गया है

पैरा *114* राजीव सूरी बनाम। दिल्ली विकास प्राधिकरण और

ओआरएस।

[2013] 6 एससीआर *573*

संदर्भित किया गया है

पैरा *114*

[2018] 6 एससीआर *861*

संदर्भित किया गया है

पैरा *114*

[2003] 3 पूरक। एससीआर *152*

संदर्भित किया गया है

पैरा *114*

[1964] 1 एससीआर *332*

संदर्भित किया गया है

पैरा *114*

[1967] 2 एससीआर *525*

संदर्भित किया गया है

पैरा *114*

[1970] 3 एससीआर *530*

संदर्भित किया गया है

पैरा *114*

[1978] 2 एससीआर *621*

पैरा *114*

संदर्भित किया गया है

[1996] 3 एससीआर *721*

पैरा *114*

संदर्भित किया गया है

(1996) 3 एस. सी. सी. *709*

संदर्भित किया गया है

पैरा *114*

[2014] 11 एससीआर *1009*

पैरा *114*

संदर्भित किया गया है

[2019] 3 एससीआर *535*

पैरा *114*

संदर्भित किया गया है

[1973] 0 पूरक। एससीआर *1*

पैरा *114*

संदर्भित किया गया है

[1992] 1 एससीआर *406*

संदर्भित किया गया है

पैरा *114*

[2004] 1 पूरक। एससीआर *113*

पैरा *114*

संदर्भित किया गया है

[1990] 3 पूरक। एससीआर *165*

संदर्भित किया गया है

पैरा *121*

[2015] 4 एससीआर *45*

पैरा *121*

संदर्भित किया गया है

[1999] 1 एससीआर *1121*

पैरा *121*

संदर्भित किया गया है

पैरा *121*

ए. आई. आर *1964* एस. सी. *358*

संदर्भित किया गया है

[2016] 11 एससीआर *263*

पैरा *121*

संदर्भित किया गया है

[1967] 1 एससीआर *120*

संदर्भित किया गया है

पैरा *121*

[1983] 2 एससीआर *690*

संदर्भित किया गया है

पैरा *143*

[2015] 12 एससीआर *1106*

संदर्भित किया गया है

पैरा *143*

[1994] 2 पूरक। एससीआर *122*

संदर्भित किया गया है

पैरा *147*

[2010] 7 एससीआर *585*

संदर्भित किया गया है

पैरा *177*

[2010] 6 एससीआर *972*

संदर्भित किया गया है

पैरा *177*

[1978] 2 एससीआर *272*

संदर्भित किया गया है

पैरा *177*

[2018] 14 एससीआर *860*

पैरा *193*

संदर्भित किया गया है

[1982] 2 एससीआर *365*

संदर्भित किया गया है

पैरा *193 [2021] 15* एस.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[1993] 3 एससीआर *802*

संदर्भित किया गया है

पैरा *19*

[2019] 16 एससीआर *424*

पैरा *19*

संदर्भित किया गया है

[2013] 11 एससीआर *991*

संदर्भित किया गया है

पैरा *19*

पैरा *19*

2019 (3) स्केल *447*

संदर्भित किया गया है

[1993] 1 एससीआर *480*

पैरा *19*

संदर्भित किया गया है

[2011] 12 एस. सी. आर. *239*

पैरा *21*

संदर्भित किया गया है

[2015] 9 एससीआर *890*

पैरा *22*

संदर्भित किया गया है

[1967] 2 एससीआर *170*

पैरा *24*

संदर्भित किया गया है

[1996] 3 एससीआर *972*

संदर्भित किया गया है

पैरा *26*

[2007] 4 एससीआर *145*

पैरा *26*

संदर्भित किया गया है

[1976] 2 एससीआर *785*

पैरा *26*

संदर्भित किया गया है

[2006] 5 पूरक। एससीआर *437*

पैरा *26*

संदर्भित किया गया है

[1999] 2 एससीआर *1033*

संदर्भित किया गया है

पैरा *29*

[1993] 3 एससीआर *128*

पैरा *29*

संदर्भित किया गया है

[2006] 6 पूरक। एससीआर *512*

संदर्भित किया गया है

पैरा *29*

1980 सप. एस. सी. सी. *559*

संदर्भित किया गया है

पैरा *34*

[2003] 2 पूरक। एससीआर *177*

संदर्भित किया गया है

पैरा *34*

[2008] 13 एससीआर *126*

संदर्भित किया गया है

पैरा *34*

[2012] 8 एससीआर *128*

संदर्भित किया गया है

पैरा *39*

[2018] 4 एससीआर *1*

पैरा *41*

संदर्भित किया गया है

संजीव खन्ना के फैसले में, जे.

[2010] 6 एससीआर *291*

संदर्भित किया गया है

पैरा *7*

(2020) 3 एस. सी. सी. *637*

संदर्भित किया गया है

पैरा *8*

[2016] 3 एससीआर *579*

पैरा *8*

संदर्भित किया गया है

[1986] 1 एससीआर *103*

पैरा *8*

संदर्भित किया गया है

[2018] 8 एससीआर *1*

संदर्भित किया गया है

पैरा *8*

[1974] 2 एससीआर *879*

पैरा *10*

संदर्भित किया गया है

[1951] एससीआर *747*

संदर्भित किया गया है

पैरा *10* राजीव सूरी बनाम। दिल्ली विकास प्राधिकरण और

ओआरएस।

1985] 2 एससीआर *287*

संदर्भित किया गया है

पैरा *11*

2006] 3 एससीआर *420*

संदर्भित किया गया है

पैरा *11*

2006] 6 पूरक। एससीआर *733*

संदर्भित किया गया है

पैरा *13*

1987] 2 एससीआर *841*

पैरा *14*

संदर्भित किया गया है

2004] 2 पूरक। एससीआर *207*

पैरा *14*

संदर्भित किया गया है

1988] 1 पूरक। एससीआर *627*

संदर्भित किया गया है

पैरा *15*

2016] 9 एससीआर *1*

पैरा *17*

संदर्भित किया गया है

1975] 3 एससीआर *333*

संदर्भित किया गया है

पैरा *18*

1995] 1 एससीआर *1036*

संदर्भित किया गया है

पैरा *18*

1988) 4 एस. सी. सी. *592*

पैरा *18*

संदर्भित किया गया है

2004] 1 एससीआर *232*

संदर्भित किया गया है

पैरा *18*

2011] 11 एससीआर *1028*

संदर्भित किया गया है

पैरा *19*

1965] एससीआर *970*

पैरा *20*

संदर्भित किया गया है

1979] 1 एससीआर *845*

संदर्भित किया गया है

पैरा *21*

1979] 1 एससीआर *845*

संदर्भित किया गया है

पैरा *23*

2009] 2 एससीआर *161*

पैरा *27*

संदर्भित किया गया है

2009] 3 एससीआर *355*

संदर्भित किया गया है

पैरा *27*

2019) 12 एससीसी *720*

संदर्भित किया गया है

पैरा *30*

2011] 15 एससीआर *877*

संदर्भित किया गया है

पैरा *31*

2015] 11 एससीआर *723*

संदर्भित किया गया है

पैरा *32*

1990) 2 एस. सी. सी. *334*

पैरा *33*

संदर्भित किया गया है

1990] 3 पूरक। एससीआर *165*

संदर्भित किया गया है

पैरा *34*

1958] एससीआर *533*

संदर्भित किया गया है

पैरा *35*

1961] एससीआर *679*

संदर्भित किया गया है

पैरा *35*

पैरा *53 (*बी*)*

1967] एससीआर *170*

संदर्भित किया गया है

पैरा *53 (*सी*)*

1957] एससीआर *1052*

संदर्भित किया गया है

पैरा *53 (*सी*)*

1991] 1 एससीआर *974*

संदर्भित किया गया है

पैरा *53 (*ई*)*

संदर्भित किया गया है

6 एससीआर *333*

संदर्भित किया गया है

[2016]

पैरा *71*

(2019) 3 एससीसी *224*

संदर्भित किया गया है

पैरा *71*

[2019] 6 एससीआर *307*

संदर्भित किया गया है

पैरा *71*

[2019] 5 एससीआर *916*

संदर्भित किया गया है

पैरा *90*

आकाशवाणी *1955* एस. सी. *271*

पैरा *90*

संदर्भित किया गया है

[1990] 1 पूरक। एससीआर *44*

संदर्भित किया गया है

पैरा *91*

[1976] पूरक। एससीआर *489*

पैरा *91*

संदर्भित किया गया है

[2009] 5 एससीआर *326*

पैरा *91*

संदर्भित किया गया है

[1967] 3 एससीआर *214*

संदर्भित किया गया है

पैरा *91*

[2003] 6 पूरक। एससीआर *904*

संदर्भित किया गया है

पैरा *91*

[2019] 5 एससीआर *916*

संदर्भित किया गया है

पैरा *92*

[2018] 6 एससीआर *1076*

पैरा *95 (*बी*)*

संदर्भित किया गया है

नागरिक मूल न्यायनिर्णयः हस्तांतरित मामला *(*दीवानी*)*

2020 का सं. *229*।

उच्च न्यायालय के *28.02.2020* दिनांकित निर्णय और आदेश से

2020 के एल. पी. ए. सं. *119* में नई दिल्ली में दिल्ली सरकार द्वारा।

के साथ

2020 का हस्तांतरित मामला *(*सिविल*)* संख्या *230,* सिविल अपील संख्या *12*

2021 की रिट याचिका *(*सिविल*)* संख्या *510,638,681,845,853,922* और *2020* की *1041*।

श्री तुषार मेहता, एस. जी., संजय आर. हेगड़े, श्याम दीवान, राजीव

बंसल, हरीश एन. साल्वे, वरिष्ठ अधिवक्ता। , शिखिल सूरी, शिव कुमार सूरी, सुश्री मधु सूरी, सुश्री शिल्पा सैनी, सुश्री श्वेता सैनी, सुश्री निकिता थापर, सुश्री विनिश्मा कौल, अंकित यादव, अंशुमन श्रीवास्तव, रोहन प्रताप तलवार, सुश्री सुगंधा यादव, सुश्री रिया सिंह साहनी, सुश्री सनम त्रिपाठी, भाव रतन, सुश्री वृंदा भंडारी, गौतम भाटिया, सुश्री सनम त्रिपाठी, शादन फरासत, भरत गुप्ता, गुरमीत सिंह मक्कर, कानू अग्रवाल, अशोक पाणिग्रही, सुश्री गरिमा प्रसाद, जी. एस. ओबेरॉय, रजत नायर, कानू अग्रवाल, राज बहादुर यादव, योगिंदर हांडू, सुश्री रूबी सिंह ए। करंजावाला एंड कंपनी, सौरभ मिश्रा, ओंकार सिंह, अरुण वर्मा, सुश्री नेहा त्रिपाठी, चिराग एम. श्रॉफ, सुश्री संजना नांगिया, सुश्री अभिलाषा भारती, अंशुमन श्रीवास्तव, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

राजीव सूरी बनाम। दिल्ली विकास प्राधिकरण और

ओआरएस।

न्यायालय के निर्णय दिए गए थे

ए. एम. खानविलकर, जे.

*सामग्री की सारणी

एस एन ओ।

पारस

टॉपिक

परिचय

1

1.

परियोजना के उद्देश्य

2.

2-10

पार्टियों की कार्यवाही और विवाद

3.

11-123

विचार करें।

कानून का शासन

4.

124-135

5.

लोकतांत्रिक प्रक्रिया और न्यायिक समीक्षा

136-158

159-167

न्यायिक समीक्षा बढ़ाने की आवश्यकता

6.

संविधानवाद

7.

168-172

भारत में सहभागी लोकतंत्र

8.

173-198

भूमि उपयोग में परिवर्तन

199

9.

क*)* मास्टर प्लान और जोनल प्लान क्या है*?*

200-202

203-228

ख*)* योजनाओं में संशोधन

229

ग*)* निर्णय लेने से पहले की प्रक्रिया

घ*)* निर्णय लेने की प्रक्रिया के दौरान प्रक्रिया और

230-265

धारा *11* ए के तहत सार्वजनिक सुनवाई

ई*)* अर्ध विधायी कार्य

266-273

च*)* भूमि उपयोग निर्णय में परिवर्तन के बाद

274-275

10. सी. वी. सी. मंजूरी

क*)* सी. वी. सी. की स्थिति और अनुदान के लिए अपनाई गई प्रक्रिया

276-287

" कोई आपत्ति नहीं *"*

ख*)* मन का गैर-अनुप्रयोग

288-295

ग*)* वैध अपेक्षा

296-298

11. डीयूएसी स्वीकृति

क) डीयूएसी द्वारा वैधानिक अनुमोदन के लिए चरण

299-306

ख) अनुमोदन देने में मनमानेपन

307-312

12. भूमि उपयोग में परिवर्तन के लिए चुनौती

313-325

धरोहर संरक्षण

13. धरोहर स्थलों पर विकास का दायरा (पूर्ववर्ती)

326-332

मंजूरी बनाम पूर्व अनुमति)

14. पर्यावरण मंजूरी (ईसी)

333-368

15. एन. जी. टी. द्वारा गुण समीक्षा

369-382

16. परामर्श सेवा एन. आई. टी.

383-397

क) चयन प्रक्रिया

398-400

ख) डिजाइन/अवधारणा प्रतियोगिता

17. पब्लिक ट्रस्ट

401-407

18. सार्वजनिक डोमेन में जानकारी की उपलब्धता

408-410

19. आई. ए. में प्रारंभिक आपत्ति

411-419

*एड। ध्यान दें: पृष्ठांकन मूल निर्णय के अनुसार है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

परिचय

1. इन याचिकाओं/अपीलों/मामलों द्वारा, हम याचिकाकर्ताओं द्वारा एक व्यापक और उच्च न्यायिक कार्य करने के लिए आमंत्रित किए जाते हैं।

भारत सरकार की सेंट्रल विस्टा परियोजना *1* की अनुमति के बारे में जांच। इन कार्यवाहियों में भूमि उपयोग में परिवर्तन, वैधानिक और अन्य अनुमतियों के अनुदान, पर्यावरण के साथ-साथ विरासत मंजूरी आदि सहित वैधानिक प्राधिकरणों द्वारा लिए गए निर्णयों से संबंधित विभिन्न मुद्दे उठाए गए हैं। चुनौती लोकतांत्रिक मूल्यों के उच्च सिद्धांतों पर आधारित है जो भारत में लागू होते हैं और केवल शासी अधिनियमों के वैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन तक सीमित नहीं हैं। यह हमारे लोकतांत्रिक गणराज्य के लिए उच्च राजनीतिक महत्व और श्रेष्ठता की परियोजना की प्रकृति के कारण है; और "कानून के शासन" को बनाए रखने के लिए, जो "कानून द्वारा शासन" द्वारा शासन की तुलना में उच्च स्तर पर है।

परियोजना के उद्देश्य

2. नीतिगत दस्तावेजों के अनुसार, परियोजना के विकास की आवश्यकता देश के सर्वोच्च विधायी विंग के कुशल संचालन के लिए एक बड़े कार्य स्थल के निर्माण और वर्तमान में मंत्रालयों/विभागों के लिए एकीकृत प्रशासनिक ब्लॉक के निर्माण में निहित है।

किराये के आधार सहित विभिन्न स्थान।

3. संसद भवन, एक श्रेणी-*I* विरासत संरचना,

इसे *1927* में चालू किया गया था और आज यह *93* साल पुरानी संरचना है। स्वतंत्रता के बाद की अवधि में संरचना में विभिन्न संशोधन किए गए हैं ताकि बदलती आवश्यकताओं के अनुसार इसकी कार्यक्षमता को बनाए रखा जा सके। *1971* की जनगणना के बाद, जिसमें भारत की कुल जनसंख्या *548,159,6521* दर्ज की गई थी, लोक सभा के लिए सीटों की संख्या *545* निर्धारित की गई थी। आज, जनसंख्या तेजी से बढ़ी है और कहा जाता है कि *130* करोड़ का आंकड़ा पार कर गई है। *2026* में प्रस्तावित अगली परिसीमन प्रक्रिया के परिणामस्वरूप दोनों सदनों में कुल सीटों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि होगी। तदनुसार, उन्नत और अनुरूप स्थानिक आवश्यकताएँ होनी चाहिए।

4. वर्तमान सेंट्रल हॉल में केवल *440* लोगों के बैठने की क्षमता है।

लोग। यह पहले से ही समायोजित करने की वर्तमान आवश्यकता से कम है संयुक्त सत्र के दौरान दोनों सदनों के सदस्य एक साथ। वर्तमान में, मौजूदा सेंट्रल हॉल के विस्तार की कोई गुंजाइश नहीं है। नतीजतन, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र एक के माध्यम से आयोजित किए जाते हैं

1 संक्षेप में, "परियोजना" राजीव सूरी बनाम।

दिल्ली विकास प्राधिकरण और ओआरएस। *[ए. एम. खानविलकर, जे.]*

भूमिगत पारगमन संपर्क और संरचनात्मक पहचान के साथ चिह्नित। परियोजना को तत्काल पूरा करने की आवश्यकता व्यक्त करते हुए कहा गया है कि नई संसद *2022* में देश के *75* वें स्वतंत्रता दिवस के साथ-साथ होने वाले वैश्विक जी-*20* शिखर सम्मेलन का प्रतीक होगी। उसी वर्ष भारत ने इसकी मेजबानी की थी। उद्देश्य, जैसा कि उत्तरदाताओं की लिखित प्रस्तुतियों में कहा गया है, संक्षेप में इस प्रकार हैं:

"(i) जीवंत भारतीय लोकतंत्र की वर्तमान और उभरती जरूरतों को पूरा करने के लिए अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी के साथ एक नया संसद भवन।
((ख)

सभी मंत्रालयों के साथ साझा केंद्रीय सचिवालय

कार्यप्रणाली में दक्षता और तालमेल के लिए स्थान।

(iii)

सेंट्रल विस्टा को विश्व स्तरीय सार्वजनिक के रूप में पुनर्विकसित किया जाएगा

राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों के लिए स्थान और स्थान।

6. विभिन्न मंत्रालयों के कार्यालयों में कार्यालय स्थानों की भारी कमी के साथ-साथ इसी तरह की संरचनात्मक खामियों की ओर इशारा किया गया है

वर्तमान में सेंट्रल विस्टा क्षेत्र में *47* इमारतों में फैला हुआ है और विशेष रूप से, केंद्रीय सचिवालय ब्लॉक। यह कहा गया है कि नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक सहित मंत्रालयों के आवास वाली विभिन्न इमारतें बुनियादी अग्नि और भूकंप सुरक्षा मानदंडों को पूरा करने के लिए भी सुसज्जित नहीं हैं और इन्हें नियमित रूप से उन्नत करने की आवश्यकता होती है, जिसमें सालाना लगभग *1* करोड़ रुपये के आवर्ती खर्च शामिल होते हैं। संपदा निदेशालय द्वारा जारी गैर-उपलब्धता प्रमाणपत्रों *(*एन. ए. सी.*)* के अनुसार, *3* लाख *38* हजार वर्ग मीटर कार्यालय स्थान की कमी को चिह्नित किया गया है। इस स्थिति को जोड़ने के लिए, केंद्रीय

सरकार विभिन्न मंत्रालयों के कार्यालयों को समायोजित करने के लिए किराये के स्थानों पर सालाना लगभग *1,000* करोड़ रुपये के बराबर राशि खर्च कर रही है। प्रस्ताव में कहा गया है:

"सेंट्रल विस्टा क्षेत्र की अधिकांश इमारतें *40-50* साल से अधिक पुरानी हैं और या तो जीवित रह गई हैं या अपनी संरचना के करीब पहुंच गई हैं। जीवन जीते हैं। *100* साल पहले निर्मित अन्य इमारतें जैसे -

नॉर्थ और साउथ ब्लॉक भूकंप के लिए सुरक्षित नहीं हैं। कार्यस्थल, पार्किंग सुविधाओं और सेवाओं की कमी है। केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों का विभिन्न क्षेत्रों में विस्तार

स्थान अक्षमताओं और समन्वय में कठिनाई की ओर ले जाते हैं।

7. संबंधित अन्य दस्तावेजों की जांच करने पर

सी. टी., मौजूदा केंद्रीय के पुनर्विकास/निर्माण के उद्देश्य

ईटरीएट को मोटे तौर पर इस प्रकार संक्षेपित किया गया है:

आजादी के *73* साल बाद भी देश ऐसा नहीं करता है

((i)

एक साझा सचिवालय भवन हो। कुछ मंत्रालय सेंट्रल विस्टा परिसर में स्थित हैं जबकि कुछ मंत्रालय दिल्ली के अन्य हिस्सों में स्थित हैं।

((ख)

उपलब्ध जगह की कमी के कारण विभिन्न मंत्रालयों ने कर्मचारियों को नियुक्त किया है

किराए पर परिसर और अब तक केंद्र सरकार की ओर से अपने मंत्रालयों का उपयोग करने के लिए भुगतान किया गया अधिकांश किराया
दिल्ली में हजारों करोड़ की कमाई होती है।

((iii) नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक और एक या दो अन्य इमारतों को छोड़कर, बाकी इमारतें विरासत की इमारतें नहीं हैं और आवश्यकता के आधार पर पास के क्षेत्र में बनाई गई हैं।

((iv) अधिकांश मौजूदा इमारतें अपनी संरचनात्मक अवधि से आगे निकल चुकी हैं।

जीवन और भूकंप प्रतिरोधी नहीं हैं;

(v)

चूंकि कोई साझा केंद्रीय सचिवालय और मंत्रालय नहीं हैं

अलग-अलग स्थानों पर फैले हुए हैं, परिणामी प्रभाव प्रशासनिक अक्षमता और अंतर में कठिनाई है विभागीय समन्वय;

(vi) इससे यात्रा भी होती है, जिसके परिणामस्वरूप यातायात जाम हो जाता है।

और प्रदूषण;

(vii) खराब सेवा, भूमि के अक्षम उपयोग, अपर्याप्त सुविधाओं और पुराने बुनियादी ढांचे से पीड़ित, अव्यवस्थित रूप से फैले मौजूदा सचिवालय भवन;

(viii) सेंट्रल विस्टा पर छह भूखंड हैं, जिनमें अस्थायी घर हैं।

द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान *90* एकड़ भूमि पर कब्जा करने वाली बैरक या स्थिर इमारत, जिसका कम उपयोग किया गया है; *7* सूरी बनाम।

दिल्ली विकास प्राधिकरण और ओआरएस। *[ए. एम. खानविलकर, जे.]*

सेंट्रल विस्टा क्षेत्र में कम उपयोग किए गए स्थानों का उपयोग करना; केंद्र के सभी कार्यालयों का एकीकृत कामकाज

सरकार;

सरकारी कार्यस्थलों का आधुनिकीकरण उत्पादकता और मानव संसाधन का कुशल प्रबंधन;

वैज्ञानिक मानकों के अनुरूप और भावी पीढ़ियों की जरूरतों के अनुरूप टिकाऊ हरित भवनों की अवधारणा को बढ़ावा देना; और

सभी मंत्री कार्यालयों को एक भूमिगत प्रणाली के माध्यम से जोड़ना। नियमित प्रशासनिक कार्यों के सुचारू प्रदर्शन के लिए शटल परिवहन प्रणाली।

मौजूदा संसद भूखंड संख्या *116* के पूरक के निर्णय के संबंध में, जिसमें निर्मित क्षेत्र वाले *10.75* एकड़ हैं।*)* प्लॉट संख्या *118* पर निर्मित उपयोगिताओं के साथ *5200* वर्ग किलोमीटर के निर्मित क्षेत्र को मापने के लिए। एमटीएस। जो विरासत नहीं है ई; आवश्यक महसूस किया गया है क्योंकिः

मौजूदा संसद भवन का निर्माण *1921* में किया गया था।

1927 ;

इस भवन का निर्माण स्वतंत्रता से पहले शाही विधान परिषद के लिए किया गया था और इसका उद्देश्य कभी भी ऐसा नहीं था

एक द्विसदनीय राष्ट्रीय विधानमंडल; *2* इस संरचना में *1956* में फर्श जोड़े गए थे।

अधिक स्थान की मांग; समय-समय पर इस भवन में दिन की आवश्यकता के अनुसार तदर्थ परिवर्धन हुए हैं, जिससे इसमें और वृद्धि हुई है।

विरासत संरचना पर अतिरिक्त बल;

अव्यवस्थित तरीके से, जिससे रिसाव होता है और इमारत की विरासत प्रकृति नष्ट हो जाती है; ये प्रणालियाँ जैसे ऑडियो-वीडियो प्रणाली, ए/सी प्रणाली आदि बाद में जोड़े गए हैं और इन्हें विभिन्न चरणों में स्थापित किया गया था।

एक तदर्थ आधार; *[2021] 15* एस. सी. आर

(viii) 2026 तक लोकसभा में सीटों की संख्या *545* से बढ़ जाएगी। लोकसभा और राज्यसभा दोनों खचाखच भरी हुई हैं।

और सीटों को जोड़ने की कोई क्षमता नहीं होगी जब

सीटों की संख्या बढ़ेगी।

(ix) आसन्न परिसीमन अभ्यास के आलोक में उभरती स्थानिक आवश्यकताओं के लिए संसद के सदनों को तैयार करना। *(x)* संसद के केंद्रीय कक्ष में बैठने की क्षमता केवल *440* व्यक्तियों के लिए है। जब भी संवैधानिक संयुक्त सत्र आयोजित किए जाते हैं, तो बड़ी संख्या में अस्थायी सीटें गलियारों में रखी जाती हैं, जो इस महान की गरिमा को कम करती हैं।

लोकतांत्रिक संस्थाएं;

(xi) दोनों सदस्यों के लिए बैठने की तंग व्यवस्था

सदन और कर्मचारियों ने एक गंभीर सुरक्षा जोखिम पैदा किया

आग के किसी भी खतरे या किसी बाहरी हमले के मामले में त्वरित निकासी की आवश्यकता होती है। मौजूदा संसद का निर्माण नहीं किया गया है

भूकंप प्रतिरोधी दृष्टिकोण;

(xii) इन कारकों के बारे में चिंताओं को अतीत में लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति द्वारा समय-समय पर उठाया गया है।

(xiii) संसद के सदनों की एकल और संयुक्त बैठकों के लिए आधुनिक और तकनीकी रूप से उन्नत स्थान सुनिश्चित करना।

आधुनिक सुरक्षा मानदंडों के अनुरूप; तथा

(xiv) श्रेणीबद्ध विरासत संरचनाओं पर आक्रामक पुनर्निर्माण गतिविधि नहीं करके निर्मित विरासत को संरक्षित करना, जिन पर कानून में केवल न्यूनतम नवीकरण उपायों की अनुमति है।

9. चर्चा शुरू करने से पहले, हम यह अवलोकन करना उचित समझते हैं कि प्रस्ताव में, जहां तक भूमि उपयोग में परिवर्तन का संबंध है, निम्नलिखित शामिल हैं -

सेंट्रल विस्टा क्षेत्र में आने वाले सात भूखंड-भूखंड नं. *22 (*या प्लॉट संख्या *118*-नया संसद भवन*), 3,4,5,6,7* और *8*। "सेंट्रल विस्टा क्षेत्र या क्षेत्र" और "सेंट्रल विस्टा प्रिसिन्क्ट्स" शब्द, जैसा कि निर्णय में विभिन्न स्थानों पर उपयोग किया जाता है, विनिमेय नहीं हैं। जहां मास्टर प्लान के अनुसार सेंट्रल विस्टा क्षेत्र व्यापक रूप से पूरे क्षेत्र को संदर्भित करता है, वहीं सेंट्रल विस्टा परिसर "राजपथ पर सेंट्रल विस्टा क्षेत्र" को संदर्भित करता है।

141 धरोहर भवनों/परिसरों की सूची के अनुसार। विषय प्लॉट, सिवाय इसके

2 संक्षेप में, "प्लॉट नं. *2* " या "प्लॉट नं.

118 " राजीव सूरी बनाम। दिल्ली विकास प्राधिकरण और ओआरएस। *[* ए. एम. खानविलकर, जे.*]*

प्लॉट नं. *3* , यह सेंट्रल विस्टा क्षेत्र में आता है न कि सेंट्रल विस्टा परिसर में।

10. कानून के शासन द्वारा शासित एक संवैधानिक लोकतंत्र में जहां विचारों की विविधता को सुना और सम्मान किया जाता है; और

संविधानवाद दोनों उद्देश्यों के साथ-साथ सबसे बुद्धिमान इरादों को पूरा करने के साधनों को छूता है, सरकार के प्रत्येक कार्य को, चाहे वह कितना भी प्रशंसनीय हो, इसके कार्यान्वयन में स्वतंत्र प्रवाह की आवश्यकता नहीं है और जब तक कि यह संवैधानिक मापदंडों की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है। इसी तरह, याचिकाकर्ताओं *(*जन-उत्साही व्यक्ति होने का दावा करने वाले*)* ने परियोजना के विभिन्न पहलुओं पर आपत्ति जताते हुए इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें सेंट्रल विस्टा परिसरों में प्रस्तावित परिवर्तनों को प्रभावी बनाने के लिए अपनाए गए तरीके और प्रक्रिया भी शामिल है, लेकिन यह सीमित नहीं है। हमारा परीक्षण प्रवाह ऐसी आपत्तियों से जो इस समूह में हमारे सामने प्रस्तुत की गई हैं

मामले।

प्रक्रियाएँ और सामग्री

पार्टियाँ

इसके खिलाफ, याचिकाकर्ताओं ने डब्ल्यू. पी. में दिनांकित *21.12.2019* सार्वजनिक सूचना को चुनौती देने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। *(*ग*) 2020* की सं. *1568*। उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने दिनांक *11.2.2020* के आदेश के माध्यम से उत्तरदाताओं को न्यायालय को पहले सूचित करने का निर्देश दिया विवादित सार्वजनिक सूचना को आगे बढ़ाने के लिए कोई भी कदम उठाना। आदेश का प्रासंगिक उद्धरण इस प्रकार हैः

" 20. यदि एमपीडी *2020-21* में प्रस्तावित परिवर्तनों को अधिसूचित करने का निर्णय लिया जाता है, तो डीडीए इस तरह के निर्णय को अधिसूचित करने से पहले अदालत से संपर्क करेगा।

12. प्रत्यर्थी भारत संघ ने *2020* की एल. पी. ए. संख्या *119* को भारत सरकार की खंड पीठ के समक्ष दायर करके उपरोक्त आदेश पर आपत्ति जताई।

उच्च न्यायालय। डिवीजन बेंच ने दिनांक *28.2.2020* के आदेश के माध्यम से विद्वान एकल न्यायाधीश के उपरोक्त निर्देश पर एकतरफा रोक लगाने का आदेश दिया। एक अन्य रिट याचिका डब्ल्यू. पी. *(*ग*) 2020* का सं. *1575* भी उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित था।

13. डिवीजन बेंच के आदेश से नाराज याचिकाकर्ताओं ने एस. एल. पी. के माध्यम से इस अदालत का दरवाजा खटखटाया। *2020* की *(*सिविल*)* डायरी संख्या *8430* जो

3 3 संक्षेप में, "डी. डी. ए". या "प्राधिकरण", जैसा भी मामला हो, *4* संक्षेप में, "उच्च न्यायालय" *[2021] 15* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इसके परिणामस्वरूप इस न्यायालय के समक्ष दिनांकित *6.3.2020* आदेश के संदर्भ में पूरे विषय को वापस ले लिया गया, जो इस प्रकार हैः

हमारी राय में, यह न्यायसंगत और उचित है कि जिस तरह से अंतरिम निर्देश पारित किए गए हैं और फिर उच्च न्यायालय द्वारा खाली किए गए हैं, उसके बारे में शिकायत की जांच करने के बजाय इस न्यायालय द्वारा रिट याचिका की सुनवाई की जाए। वास्तव में, यह आदेश किसी भी तरह से उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही का प्रतिबिंब नहीं है, लेकिन व्यापक जनहित में, हम यह उचित समझते हैं कि उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित चुनौती से संबंधित पूरे मामले की सुनवाई की जाए।

और इस न्यायालय द्वारा शीघ्रता से निर्णय लिया गया।
हमें यह समझने के लिए दिया गया है कि एक और रिट याचिका है

इसी मुद्दे से जुड़े उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है।
तदनुसार, रिट याचिका सं। *1568* और दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित *2020* का *1575* इस न्यायालय में वापस ले लिया जाएगा और हस्तांतरित मामलों के रूप में दर्ज किया जाएगा, जिनकी सुनवाई के साथ-साथ

18.03.2020 पर वर्तमान विशेष अनुमति याचिका।

उच्च न्यायालय के समक्ष *2020* की लेटर्स पेटेंट अपील संख्या *119*

इस आदेश के संदर्भ में निपटाया जाता है।

इस बीच अधिकारियों द्वारा उठाए गए कोई भी कदम विषय होंगे।

कार्यवाही के परिणाम के लिए।

दोनों पक्षों को अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने की स्वतंत्रता दी गई है।

रजिस्ट्री तुरंत रिट के केस रिकॉर्ड के लिए बुलाएगी।

याचिका सं। *1568* और उच्च न्यायालय से *2020* का *1575* "।

इसके बाद, और अधिक याचिकाएं दायर की गईं और हम सभी याचिकाओं को समान रूप से सुनने के लिए सहमत हुए। हम क्रमशः *19.6.2020* और *29.7.2020* दिनांकित प्रमुख मामले में पारित दो अन्य आदेशों को पुनः प्रस्तुत करना उचित समझते हैं। वही इस प्रकार पढ़ा जाता हैः

19.6.2020

" आदेश

हमने पक्षों के लिए विद्वान वकील को सुना है।

याचिकाओं के संशोधन के लिए आवेदनों की अनुमति न्यायसंगत अपवादों के अधीन और दलीलों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना दी जाती है।
उत्तरदाता *(ओं)* के लिए उपलब्ध।

अजीव सूरी बनाम। दिल्ली विकास प्राधिकरण और ओआरएस। *[* ए. एम. खानविलकर, जे.*]*

संबंधित मामले *(ओं)* में याचिकाकर्ता को रिट याचिका ज्ञापन से युक्त सूचकांक के साथ अलग से संकलन दाखिल करने के लिए,

संशोधन, उसके अनुलग्नक *(ओं)* के साथ, दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष दायर हलफनामों के बाद। उक्त संकलन का उपयोग संबंधित मामलों की सुनवाई के समय किया जाएगा। संबंधित हस्तांतरित मामलों में संकलन *23* जून, *2020* तक ई-मेल/ऑन-लाइन के माध्यम से दायर किया जाना चाहिए।

याचिकाकर्ताओं के वकील श्री शिखिल सूरी ने हमें सूचित किया है कि इस अदालत में एक और याचिका दायर की गई है।

2020 की रिट याचिका *(सी) No.510* है। उक्त याचिका की सुनवाई इन याचिकाओं *(*स्थानांतरित मामलों*)* के साथ की जाएगी। हम यह स्पष्ट करते हैं कि इसके संबंध में किसी भी पक्ष द्वारा कोई अन्य याचिका/कार्यवाही शुरू की गई है या आगे दायर की जानी है।

विषय परियोजना, वर्तमान के साथ सुनी जाए और आगे बढ़ाई जाए

मामले।

प्रत्यर्थी *3* जुलाई, *2020* को या उससे पहले समेकित जवाब दाखिल कर सकते हैं, जिसे संबंधित कार्यालय में रिकॉर्ड पर रखा जा सकता है।

हस्तांतरित मामले/कार्यवाही।

7 तारीख को सभी संबंधित मामलों के साथ इन मामलों को सूचीबद्ध करें।

जुलाई, *2020* "।

29.7.2020

" आदेश

प्रारंभिक पर पक्षों के लिए विद्वान वकील को सुना

पहले से उठाई गई प्रारंभिक आपत्ति को बनाए रखना ताकि सभी न्यायालय द्वारा उचित स्तर पर पहलुओं पर विचार किया जा सकता है।

प्रत्यर्थी *(ओं)* और याचिकाकर्ता *(ओं)* के वकील को प्रत्येक को अनुमति देते समय इस विकल्प का सहारा लेने में कोई आपत्ति नहीं है।

उन्हें प्रस्तावित रिट याचिका का जवाब दाखिल करना है, जिसे *[2021] 15* एस. सी. आर. द्वारा दायर किया जाना है।

आई. ए. *No.59230/2020* में आवेदक। जैसा कि विद्वान वरिष्ठ वकील श्री श्याम दीवान द्वारा आश्वासन दिया गया है, मूल रिट याचिका होगी

आज से एक सप्ताह के भीतर दाखिल किया गया।

उक्त रिट याचिका में प्रतिवादी रिट याचिका के ज्ञापन की सेवा से एक सप्ताह के भीतर एक व्यापक जवाब दाखिल करें। प्रस्तावित रिट याचिका की अग्रिम प्रति आवेदक *(ओं)* द्वारा सॉलिसिटर जनरल के कार्यालय में ई-मेल/ऑन-लाइन के माध्यम से रजिस्ट्री में दाखिल करते समय दी जानी चाहिए।

शुरू होने वाले सप्ताह में बोर्ड के अंत में मामलों को सूचीबद्ध करें।

17 अगस्त, *2020* "।

महामारी के बीच मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए, हमने इस दौरान तकनीकी बातों पर जोर देने से परहेज किया।

सुनवाई और पक्षकारों को समयसीमा और प्रस्तुतियों की मात्रा दोनों के संदर्भ में, अभिवचन, लिखित बयान और दस्तावेज दायर करने की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की। हम अब विषय याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाई गई चुनौती का विज्ञापन कर सकते हैं।

सिविल अपील सं./*2021*

(एस. एल. पी. से उठना। *(ग)* नहीं। *2021* @डायरी संख्या *8430/2020)*

14. अपीलार्थी *(*रिट याचिकाकर्ता*)* ने डिवीजन बेंच के आदेश को इस आधार पर चुनौती दी है कि विद्वान एकल न्यायाधीश के सुविचारित आदेश को अपीलार्थी को सुने बिना डिवीजन बेंच द्वारा खाली कर दिया गया था। यह प्राकृतिक न्याय के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन था जिसमें अपीलार्थी को प्रतिकूल आदेश पारित करने से पहले सुना जाना आवश्यक था। यह आगे कहा गया है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने प्रतिवादियों को मूल रिट याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए कहा था, हालांकि, कोई जवाब दायर नहीं किया गया था और खंड पीठ इस पहलू पर विचार करने में विफल रही, जबकि

विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दी गई रोक को खाली करना।

15. विशेष अनुमति याचिका से उत्पन्न इस अपील में, आवेदकों *(*तीसरे पक्ष*)* ने वापस बुलाने/संशोधन के लिए अनुरोध करते हुए आई. ए. नं. *59796/2020* दायर किया।

इस न्यायालय के दिनांक *6.3.2020* के आदेश के तहत निम्नलिखित निर्देश जारी किए गए थेः

"हम यह स्पष्ट करते हैं कि विषय परियोजना से संबंधित किसी भी पक्ष द्वारा इसके बाद शुरू की गई या दायर की जाने वाली किसी भी अन्य याचिका/कार्यवाही की सुनवाई की जाए और वर्तमान मामलों के साथ आगे बढ़ाया जाए। राजीव सूरी बनाम।

दिल्ली विकास प्राधिकरण और ओआरएस। *[*ए. एम. खानविलकर, जे.*]*

आवेदकों ने तर्क दिया है कि उपरोक्त निर्देश पर रोक लगा दी गई है

पर्यावरण मंजूरी के अनुदान को चुनौती देने के अपने वैधानिक उपाय के आह्वान के लिए राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाने वाले आवेदक। यह प्रस्तुत किया जाता है कि एनजीटी, एक विशेषज्ञ निकाय होने के नाते

तकनीकी सदस्यों से सुसज्जित होने के कारण, उन्हें सबसे पहले पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना चाहिए। इसलिए, इस न्यायालय का आदेश आवेदकों के लिए अन्यथा उपलब्ध वैधानिक उपायों को कम नहीं कर सकता था। हालाँकि, इन मामलों की सुनवाई के समापन पर, आवेदकों के विद्वान वकील ने प्रार्थना की थी कि इस आवेदन को निष्फल के रूप में निपटाया जाए।

टी. सी. *(*ग*)* नहीं। *229/2020* *(* पूर्व में डब्ल्यू. पी. *(*ग*)* उच्च न्यायालय के समक्ष *2020* की सं. *1568*

दिल्ली*)*

16. मूल रूप से अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय में दायर इस याचिका में

226 संविधान के अनुसार, याचिकाकर्ताओं ने दिनांकित *21.12.2019* सार्वजनिक सूचना और दिनांकित *20.3.2020* भूमि उपयोग में परिवर्तन के लिए अंतिम अधिसूचना पर हमला किया है। प्रासंगिक प्रार्थनाएँ इस प्रकार हैं:

"I. अभिलेखों के लिए एक उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी करें। और सार्वजनिक सूचना एस. ओ. *4587* ई दिनांक *21.12.2019* को रद्द करते हुए जारी किया गया

उत्तरदाता संख्या *1* दिल्ली विकास प्राधिकरण *(*डी. डी. ए.*)* द्वारा; और /

या

XXX

XXX

XXX

IV. अभिलेखों के लिए एक उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी करें

और अधिसूचना एस. ओ. *1192 (*ई*)* दिनांक *20.03.2020* जारी को रद्द करना।

भारत संघ द्वारा आवास मंत्रालय के माध्यम से प्रतिनिधित्व और शहरी मामले "।

17. भूमि और विकास अधिकारी ', आवास और आवास मंत्रालय

शहरी मामले, भारत सरकार ने भूखंडों की भूमि-स्वामित्व एजेंसी होने के नाते, भूमि उपयोग में परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू की। एल एंड डीओ /

8 भूखंडों के लिए एल-आईआईए*/11 (1158)/545* दिनांक *4.12.2019*। प्लॉट संख्या *1* से *7* और *8* केंद्रीय विस्टा क्षेत्र के क्रमशः योजना क्षेत्र-डी और सी में हैं। तकनीकी समिति की बैठक में उक्त प्रस्ताव पर विचार किया गया।

5 संक्षेप में "एनजीटी"।

7 1 संक्षेप में, "द एल एंड डीओ" *8* संक्षेप में, "एमओएचयूए"

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

डी. डी. ए. *5.12.2019* पर जिसमें प्राधिकरण द्वारा आगे की प्रक्रिया के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की गई थी। सिफारिश इस प्रकार है:

"विस्तृत विचार-विमर्श के बाद, पैरा *4* में निहित प्रस्ताव
प्लॉट नं. के लिए भूमि उपयोग में उपरोक्त संशोधन के साथ कार्यसूची।

1 तकनीकी समिति द्वारा आगे के लिए सिफारिश की गई थी

डी. डी. अधिनियम, *1957* की धारा-*11* ए के तहत प्रसंस्करण। निम्नलिखित के साथ

(i) प्रधानमंत्री कार्यालय से मंजूरी, विरासत संरक्षण
समिति और सेंट्रल विस्टा समिति द्वारा लिया जाएगा

एल एंड डीओ।

((ii) धरोहर भवनों से संबंधित विरासत के अनुसार निपटा जाएगा।

प्रावधान "।

(जोर दिया गया*)*

18. इसके बाद, प्राधिकरण की बैठक में *11.12.2019* पर

राज निवास, दिल्ली *(*उपराज्यपाल का निवास*)*, तकनीकी समिति की सिफारिशों को विचार के लिए रखा गया था। प्राधिकरण ने धारा के अनुसार प्रस्तावित संशोधनों के लिए जनता से आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित करने के लिए सार्वजनिक सूचना जारी करने के निर्देश के साथ सिफारिशों को मंजूरी दी।

11 दिल्ली विकास अधिनियम का ए, *1957%*। *11.12.2019* पर लिया गया निर्णय इस प्रकार है:

"कार्यसूची में शामिल प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। सार्वजनिक
डीडी की धारा-*11* ए के तहत आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित करने का नोटिस

अधिनियम, *1957* जारी किया जाए।

19. इसके बाद, *21.12.2019* पर, प्राधिकरण ने सार्वजनिक सूचना जारी की

एस. ओ. *4587* ई. क्षेत्र सी और डी में विभिन्न दिशाओं/स्थानों पर स्थित भूखंड संख्या *1* से *8* के भूमि उपयोग में बदलाव के प्रस्ताव के साथ और उक्त प्रस्ताव के लिए देश के नागरिकों से सुझाव/आपत्तियां आमंत्रित करता है। आपत्तियों पर एक सार्वजनिक सुनवाई के बाद, प्राधिकरण द्वारा उपराज्यपाल, दिल्ली की अध्यक्षता में

अपनी अगली बैठक में इस मामले पर विचार किया गया। बोर्ड ने अनुशंसा की कि भूखंड संख्या के संबंध में एक नया प्रस्ताव शुरू किया जाए। *1.* इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया गया

बैठक में प्राधिकरण। अतः प्लॉट नं. *1* मूल प्रस्ताव से बाहर रखा गया था और इन याचिकाओं का विषय नहीं है। जहां तक प्लॉट नं. *2 8* तक, प्राधिकरण ने सार्वजनिक परामर्श के बाद प्रस्ताव को मंजूरी दी *9* संक्षेप में, *"1957* का अधिनियम" राजीव सूरी बनाम।

दिल्ली विकास प्राधिकरण और ओआरएस। *[* ए. एम. खानविलकर, जे.*]*

और इसे अंततः अंतिम अधिसूचना जारी करने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्तुत किया गया। *20.3.2020* पर, अंतिम अधिसूचना *(*आक्षेपित*)* केंद्र सरकार द्वारा भूखंड संख्या के भूमि उपयोग में परिवर्तन को अधिसूचित करते हुए जारी किया गया था। *2 8* तक।

20. चुनौती का समर्थन करने के लिए, याचिकाकर्ता यह दावा करेगा कि मास्टर प्लान दिल्ली, *2021-1* में अनिवार्य रूप से जोन डी के लिए एक अद्यतन क्षेत्रीय विकास योजना तैयार किए बिना भूमि उपयोग में परिवर्तन प्रस्तावित किए गए थे, और इसलिए, परिवर्तन अद्यतन जानकारी और अनुभवजन्य डेटा द्वारा समर्थित नहीं हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उत्तरदाताओं ने परिवर्तनों को आगे बढ़ाने के लिए *2001* के एक पुराने जेडडीपी पर भरोसा किया। इसके अलावा, एक अद्यतन योजना के अभाव में, उत्तरदाताओं द्वारा प्रस्तावित परिवर्तनों के संबंध में एक सूचित निर्णय नहीं लिया जा सकता था, विशेष रूप से जनसंख्या घनत्व के मानकों से संबंधित। इसे मास्टर प्लान के अध्याय-*16* का उल्लेख करके पूरक किया जाता है जिसमें विभिन्न शहरी गतिविधियों, सामाजिक और भौतिक बुनियादी ढांचे को शुरू करने के लिए वर्तमान आंकड़ों के आधार पर एक व्यापक भूमि उपयोग योजना की आवश्यकता होती है।

21. यह प्रस्तुत किया जाता है कि जारी किया गया प्रस्ताव *1957* अधिनियम की धारा *11* ए के अधिकार से बाहर है क्योंकि प्राधिकरण के पास विषय भूखंडों के भूमि उपयोग को संशोधित करने की कोई शक्ति नहीं थी। तर्क इस समझ से उत्पन्न होता है कि

प्रस्तावित संशोधन मास्टर प्लान को काफी हद तक बदल देते हैं और धारा *11* ए *(1)* प्राधिकरण को ऐसी प्रकृति के संशोधन करने से रोकती है जो योजना के स्वरूप में महत्वपूर्ण परिवर्तनों को प्रभावित करते हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रस्तावित परिवर्तनों की प्रकृति को संशोधनों के नाम पर आगे नहीं बढ़ाया जा सकता था क्योंकि वे एक महत्वपूर्ण प्रकृति के थे और इस प्रकार, एक नए मास्टर प्लान या मौजूदा मास्टर प्लान में संशोधन की आवश्यकता थी।

22. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री शिखिल सूरी ने प्रस्तुत किया है कि चूंकि *21.12.2019* दिनांकित नोटिस के संदर्भ में दूषित हो गया है उपर्युक्त प्रस्तुतियाँ, दिनांकित *20.3.2020* की अंतिम अधिसूचना खराब और अवैध है क्योंकि ऐसी अधिसूचना एक वैध सार्वजनिक सूचना से पहले होनी चाहिए थी। याचिकाकर्ता प्रस्तुत करता है कि प्रस्तावित परिवर्तन मास्टर प्लान के विपरीत हैं। योजना के विभिन्न अध्यायों में विरोधाभासों को प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया है। यह कहा गया है कि सार्वजनिक सूचना मास्टर प्लान के अध्याय-*17* का विज्ञापन नहीं करती है जो "विकास संहिता" का प्रावधान करती है और निर्माण की गुणवत्ता पर जोर देती है।

10 संक्षेप में, "जेडडीपी" या "क्षेत्रीय योजना"

"संक्षेप में, "मास्टर प्लान" *(*दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार किया गया और दिल्ली विकास अधिनियम *1957* की धारा *11* ए *(2)* के तहत केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित और *7* फरवरी *2007* को अधिसूचित *(*भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग *II*-धारा *3* उप-धारा *(ii)* संख्या *125 (*माघ *18,1928)* एस. ओ. *141-(*ई*)* के माध्यम से*)*।

किसी भी भूमि उपयोग प्रस्ताव और विकास पर विचार करते समय पर्यावरण

नीतियाँ। यह कहा गया है कि योजना के अध्याय-*8* में एन. सी. आर. क्षेत्र में सरकारी कार्यालयों के विकेंद्रीकरण की आवश्यकता है जो सरकारी कार्यालयों का एक एकीकृत परिदृश्य बनाने के प्रस्ताव के विपरीत है। यह आगे कहा गया है

केंद्रीय विस्ता परिसरों को बदलने का प्रस्ताव निर्मित विरासत के संरक्षण के लिए अध्याय-*10* के अधिदेश को नहीं मानता है।

23. यह आग्रह किया जाता है कि उत्तरदाताओं ने मनमाने तरीके से काम किया है और अनुच्छेद *21* के साथ-साथ जनता के सिद्धांत का उल्लंघन किया है

24. अपनी दलीलों को पुष्ट करने के लिए, याचिकाकर्ताओं ने लाल बहादुर बनाम पर भरोसा रखा है। उत्तर प्रदेश राज्य *& Ors.*[1]*2* बैंगलोर मेडिकल ट्रस्ट बनाम बी. एस. मुद्दप्पा और *Ors.*[13] *13*, आर. के. मित्तल और अन्य। वी. उत्तर प्रदेश राज्य और *Ors.*[1]*4*, नगर निगम

ग्रेटर मुंबई और ओआरएस। वी. हीरामन सीताराम देवरुखर *& Ors.*[1] *15* और गोयल गंगा डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम. सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय के माध्यम से भारत संघ *& Ors.*[1]*6 16*,

25. डी. डी. ए. द्वारा दायर जवाबी हलफनामे में, यह प्रस्तुत किया गया है कि प्रस्ताव केवल पर्यावरण के संरक्षण और संरक्षण के साथ इष्टतम उपयोग के लिए प्रस्तावित योजना के साथ मौजूदा भूमि उपयोग को संरेखित करने के लिए है और समग्र रूप से केंद्रीय विस्टा परिसरों की विरासत का निर्माण किया गया है। जहाँ तक जनसंख्या घनत्व के विवाद का संबंध है, यह प्रस्तुत किया जाता है कि परियोजना के परिणामस्वरूप जनसंख्या घनत्व में कोई वृद्धि नहीं होने वाली है क्योंकि यह क्षेत्र तैरती हुई आबादी को आकर्षित करता है जो केवल आधिकारिक कार्य घंटों के दौरान एक अस्थायी पदचिह्न लाता है। *26.* जहां तक अद्यतन जेड. डी. पी. की अनुपस्थिति का संबंध है, प्रतिवादी डी. डी. ए. ने अपने जवाबी हलफनामे में मास्टर प्लान के अध्याय-*16* पर भरोसा करते हुए आग्रह किया कि ऐसी योजना की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी क्योंकि अध्याय-*16* स्पष्ट रूप से पिछली योजना के उपयोग की अनुमति देता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि

एक अद्यतन योजना के अभाव में, पिछले मास्टर प्लान के तहत तैयार किया गया जेडडीपी चालू है।

27. समेकित जवाबी हलफनामे में, उत्तरदाताओं *(*संघ*)*

भारत सरकार*)* ने आग्रह किया है कि प्रस्ताव में जिन परिवर्तनों का संकेत दिया गया है

12 (2018) 15 एस. सी. सी. *407 (*पैरा *12,13* और *15) 13 (1991) 4* एस. सी. सी. *54 (*पैरा *23* और *24) 14 (2012) 2* एससीसी *232 (*पैरा *47) 15 (2019) 14* एससीसी *411 (*पैरा *6) 16 (2018) 18* एससीसी *257* राजीव सूरी बनाम।

दिल्ली विकास प्राधिकरण और ओआरएस। *[* ए. एम. खानविलकर, जे.*]*

भूमि उपयोग मामूली संशोधनों की प्रकृति में है न कि मास्टर प्लान के महत्वपूर्ण परिवर्तन, जैसा कि सुझाव दिया गया है। तर्क का जवाब दें

आपत्तियाँ, चाहे वह मौजूदा योजना के संशोधन के लिए हो या नई मास्टर प्लान तैयार करने के लिए। इस दृष्टिकोण का समर्थन करने के लिए एस. ओ. *141* दिनांक *7.2.2007* का संदर्भ दिया गया है। *29.* लिखित प्रस्तुतियों में आगे यह आग्रह किया गया है कि प्राधिकरण द्वारा कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया गया है। इसमें, प्रस्ताव भूमि और विकास कार्यालय-भूमि स्वामित्व एजेंसी-द्वारा शुरू किया गया था और तकनीकी समिति के उचित विचार के लिए रखा गया था।

श्री सीताराम शुगर कंपनी लिमिटेड एंड अन्र। वी. भारत संघ और *Ors.[1]8 18,* पंजाब राज्य बनाम। तहल सिंह और अन्य "। , पुणे नगर निगम और अन्र. वी. प्रमोटर एंड बिल्डर्स एसोसिएशन *& Anr.20,* ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ आंध्र प्रदेश लिमिटेड *&* अन्र। वी. साई रिन्यूएबल पावर प्राइवेट लिमिटेड और *Ors.2[1] 21,* तुलसीपुर शुगर कंपनी लिमिटेड। वी. अधिसूचित क्षेत्र समिति, तुलसीपुर *22,* सुंदरजस कन्यालाल

7 (1987) 2 एस. सी. सी. *720 (*पैरा *4,6,7* और *14) 18 (1990) 3* एस. सी. सी. *223 (*पैरा *36* से *47)*

1 9 (2002) 2 एससीसी *7 (*पैरा *36* से *44) 20 (2004) 10* एससीसी *796 (*पैरा *2* से *5) 21 (2011) 11* एससीसी *34 (*पैरा *39)*

22 (1980) 2 एस. सी. सी. *295 (*पैरा *3,5,7* और *8)*

[2021] 15 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

भाटीजा और ओआरएस। वी. कलेक्टर, ठाणे, महाराष्ट्र *& Ors.23*

बैंगलोर विकास प्राधिकरण बनाम। एयरक्राफ्ट एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड *& Ors.24* और अध्यक्ष, इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम। प्योर इंडस्ट्रियल कोक एंड केमिकल्स लिमिटेड *& Ors.25*।

टी. सी. *(*ग*)* नहीं. *230/2020 [*पूर्व में *W. P. (*ग*) 2020* की सं. *1575*

दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष*]*

31. इस याचिका में चुनौती *5.2.2020* दिनांकित सार्वजनिक सूचना और *20.3.2020* दिनांकित अंतिम अधिसूचना को भी दी गई है। प्रार्थनाओं का प्रासंगिक उद्धरण इस प्रकार है:

"क) परमादेश या किसी अन्य रिट/आदेश/निर्देश की प्रकृति में एक रिट जारी करें जिससे प्रतिवादी संख्या *1* द्वारा दिनांकित विवादित सार्वजनिक नोटिस को रद्द कर दिया जाए और सभी

इसके लिए की गई परिणामी कार्रवाई;

बी) अनिवार्य या किसी अन्य रिट/आदेश/निर्देश की प्रकृति में एक रिट जारी करें, जिससे प्रतिवादी संख्या *2* द्वारा दिनांकित भूमि उपयोग में परिवर्तन के लिए विवादित अधिसूचना और उसे आगे बढ़ाने के लिए की गई सभी कार्रवाइयों को रद्द कर दिया जाए।

उक्त सुनवाई के बारे में जानकारी देने के लिए व्यापक प्रसार। विरोध करने वाले थे आपत्तियों को उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों की समानता के आधार पर आवंटित स्लॉट (समय) के अनुसार व्यक्तिगत/सार्वजनिक सुनवाई के लिए उपस्थित रहने के लिए कहा गया ताकि उन्हें एक साथ सुना जा सके। जवाब में, केवल *42* व्यक्ति मौखिक सुनवाई के लिए उपस्थित हुए। सुनवाई उस उद्देश्य के लिए प्रकाशित कार्यक्रम के अनुसार संपन्न हुई।

33. उक्त नोटिस का दावा करते हुए, याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उत्तरदाताओं ने कम समय की सूचना पर विरोध करने वालों को सार्वजनिक सुनवाई के लिए बुलाया

केवल एक दिन जिसने अधिकांश विरोधियों को प्रभावी रूप से अक्षम कर दिया

23 (1989) 3 एस. सी. सी. *396 (*पैरा *2,3,5,7,15,27* और *28) 24 (2012) 3* एस. सी. सी. *442 (*पैरा *2,8,9,66,67,76* और *77) 25 (2007) 8* एस. सी. सी. *705 (*पैरा *20,42* और *87* से *90)*

26 संक्षेप में, "बोएह" राजीव सूरी बनाम।

दिल्ली विकास प्राधिकरण और ओआरएस। *[* ए. एम. खानविलकर, जे.*]*

ऐसा प्रतीत होता है कि इतनी कम अवधि के भीतर यात्रा की व्यवस्था नहीं की जा सकती थी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अल्प सूचना के परिणामस्वरूप विरोध करने वालों को स्वाभाविक न्याय से वंचित कर दिया गया और *1957* के अधिनियम की धारा-*11* ए में परिकल्पित सार्वजनिक परामर्श की आवश्यकता के सार को नकार दिया गया। इस निवेदन को पुष्ट करने के लिए, यह आग्रह किया जाता है कि विवादित नोटिस का प्रभाव सुनवाई को केवल औपचारिकता में कम करने का था और निष्पक्ष अवसर की आवश्यकताओं का उल्लंघन करता था जो लोकतांत्रिक निर्णय लेने का एक आवश्यक पहलू है। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि एक घंटे के समय स्लॉट के भीतर मौखिक प्रस्तुतियों के लिए *200* व्यक्तियों को बुलाया गया था, जिससे सुनवाई अपने आप में अर्थहीन और अप्रभावी हो गई।

34. याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री संजय हेगड़े ने आगे कहा कि प्रतिवादियों ने सार्वजनिक क्षेत्र में प्रस्तावित परिवर्तनों के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी और पर्याप्त जानकारी के बिना, यह प्रभावी आपत्तियां उठाने के अवसर से इनकार करने में निहित था। रिलायंस को इस दृष्टिकोण का समर्थन करने के लिए कई निर्णयों पर रखा गया है कि एक मास्टर प्लान से पहले जनसंख्या घनत्व, खुले स्थानों की उपलब्धता आदि सहित कई मानकों के आधार पर एक व्यापक परामर्श अभ्यास किया जाना चाहिए। *35.* अपने मामले का समर्थन करने के लिए, याचिकाकर्ताओं ने एम. सी. मेहता बनाम का संदर्भ दिया है। भारत संघ और अन्य "। *7* , ऑटोमोटिव टायर

विनिर्माता संघ बनाम। नामित प्राधिकरण और *Ors.28*, यू. पी. और अन्य राज्य। वी. महाराजा धर्मेंद्र प्रसाद सिंह और *Ors.2*[9] अरुणा रॉय और अन्य। वी. भारत संघ और *Ors.30*, त्रावणकोर रेयॉन लिमिटेड *v.* भारत संघ *3 1*, हनुमान लक्ष्मण अरोस्कर बनाम। भारत संघ *3 2*, उत्कर्ष मंडल बनाम। भारत संघ *3 3 33*, आर. के. मित्तल *3 4*, राजेंद्र शंकर शुक्ला और अन्य। वी. छत्तीसगढ़ राज्य और *Ors.*[3]*5 S. N.*

चंद्रशेखर और अन्र। वी. कर्नाटक राज्य और अन्य। *3 6 36*, लाल बहादुर *3*, बैंगलोर मेडिकल ट्रस्ट और विरेंद्र गौर और अन्य। वी. हरियाणा राज्य *& Ors.*[3]*9*।

27 (2019) 12 एस. सी. सी. *720 (*पैरा *13* और *15* से *18) 28 (2011) 2* एस. सी. सी. *258 (*पैरा *16,63,77-80* और *83) 29 (1989) 2* एस. सी. सी. *505 (*पैरा *64)*

30 (2002) 7 एससीसी *368 (*पैरा *7* और *8) 31 (1969) 3* एससीसी *868 (*पैरा *7* और *12) 32 (2019) 15* एससीसी *401 (*पैरा *112.8)*

33 2009 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल *3836 (*पैरा *31* और *32) 34 4 (14* पर ऊपर, पैरा *48* और *49)*

35 (2015) 10 एस. सी. सी. *400 (*पैरा *7,38,39,103,108* और *109) 36 (2006) 3* एस. सी. सी. *208 (*पैरा *31,33* और *34)*

37 (12 पर उपर्युक्त, पैरा *12,14* से *16,24* और *26) 38 (13* पर उपर्युक्त, पैरा *13* और *23* से *29)*

39 (1995) 2 एस. सी. सी. *577 (*पैरा *7,8* और *10)*

संचार, भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए छह प्रमुख समाचार पत्रों में सार्वजनिक सुनवाई की सूचना भी प्रकाशित की गई थी। *37.* आपत्तियाँ माँगने से पहले सार्वजनिक डोमेन में जानकारी की कमी के तर्क का जवाब देते हुए, समेकित उत्तर में कहा गया है कि परियोजना से संबंधित प्रत्येक विवरण प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट *(www.dda.org.in)* पर प्रकाशित किया गया था और यह आम जनता के लिए किसी भी समय इसे प्राप्त करने के लिए खुला था।

38. विद्वान महान्यायवादी, उत्तरदाताओं की ओर से पेश होते हुए,

उन्होंने तर्क दिया कि *1957* के अधिनियम या *1959* के नियमों में मौखिक सुनवाई की कोई आवश्यकता नहीं है और इसके बावजूद सुनवाई का प्रावधान

निष्पक्षता और पारदर्शिता के उपाय के रूप में प्राधिकरण। उन्होंने आगे कहा कि इस प्रक्रिया में किसी भी धरोहर भवन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

39. उत्तरदाताओं द्वारा दायर लिखित प्रस्तुतियों में, यह है

प्रस्तुत किया कि प्राकृतिक न्याय से इनकार करने के तर्क को बनाए नहीं रखा जा सकता है क्योंकि मास्टर प्लान और नगर योजना का संशोधन एक की गतिविधियाँ हैं विधायी चरित्र और विधायी कार्यों में,

सार्वजनिक सुनवाई की अनुमति केवल अन्य प्रशासनिक कार्यों के विपरीत कानून में प्रदान की गई सीमा तक दी जा सकती है।

प्रक्रियाएँ।

डब्ल्यू. पी. *(C)* नहीं। *510/2020*

40. भूमि उपयोग में परिवर्तन की अंतिम अधिसूचना पोस्ट करें, विशेष

याचिकाकर्ता इसमें "अनापत्ति" के उक्त अनुदान को चुनौती देना चाहता है। कार्य प्रभाग, एम. ओ. एच. यू. ए. द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन दिनांक *14.10.2019* को एक और चुनौती, जिसके तहत सेंट्रल विस्टा समिति *4 0 40* इसका पुनर्गठन किया गया। प्रासंगिक प्रार्थनाएँ इस प्रकार हैं:

40 संक्षेप में, "सीवीसी"

राजीव सूरी बनाम। दिल्ली विकास प्राधिकरण और ओआरएस। *[* ए. एम. खानविलकर, जे.*]*

सेंट्रल विस्टा का समूह और केंद्रीय सचिवालय सेंट्रल विस्टा समिति एजेंडा आइटम के साथ-प्रस्तावित नई संसद प्लॉट संख्या *118* नई दिल्ली में इमारत जो *23* अप्रैल *2020* को आयोजित की गई थी; और/या

II. आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय *(*एम. ओ. एच. यू. ए.*)* को एक उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी करें, जिसमें *14* अक्टूबर, *2019* के कार्यालय ज्ञापन *F.No.6/21/2018/*ए. डी. जी. *(*कार्य*)/338-*डब्ल्यू*-1* को रद्द कर दिया गया है, जिसे एक स्पष्ट रूप से पुनर्गठित किया गया था।

हितों के स्पष्ट टकराव के साथ पक्षपाती सेंट्रल विस्टा समिति

सेंट्रल विस्टा परियोजना में "।

41. याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अतिरिक्त लिखित नोट में, यह है

आग्रह किया कि सीवीसी का पुनर्गठन बिना किसी निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ जांच के विषय परियोजना के संबंध में प्रस्तावों के माध्यम से जल्दबाजी में किया गया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसमें परियोजना प्रस्तावक मुख्य वास्तुकार *(*सी. पी. डब्ल्यू. डी.*)* थे और पुनर्गठन के बाद, समिति की अध्यक्षता ए. डी. जी. *(*कार्य*)*, सी. पी. डब्ल्यू. डी., परियोजना प्रस्तावक के एक अन्य अधिकारी को सौंपी गई थी, जो इस तथ्य का संकेत है कि सी. वी. सी. में हितों का एक स्पष्ट टकराव था। यह भी आग्रह किया जाता है कि परियोजना प्रस्तावक और अध्यक्ष की समान पहचान ने कौसा सुआ में नेमो जूडेक्स के सिद्धांत को कम कर दिया। बैठक के कार्यवृत्त का उल्लेख करते हुए, याचिकाकर्ता का तर्क है कि कार्यवृत्त इस समिति की ओर से स्पष्ट रूप से विचार के गैर-अनुप्रयोग को प्रकट करता है क्योंकि कथित "कोई आपत्ति नहीं" के लिए कोई कारण नहीं दिए गए हैं। इस निवेदन को पुष्ट करने के लिए, यह आग्रह किया जाता है कि समिति को मूल रूप से एक अध्ययन समूह के रूप में परिकल्पित किया गया था जो सरकार को सलाह देने के लिए था और इस उद्देश्य के विपरीत, समिति ने अपने कर्तव्य के लिए केवल जुबानी सेवा का भुगतान किया और एक अध्ययन समूह के रूप में कार्य करने में विफल रही।

42. यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त बैठक उचित तरीके से नहीं बुलाई गई थी क्योंकि इसमें नामित अधिकारी शामिल नहीं थे और विचार करने के लिए उनकी ओर से विभिन्न कनिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे

प्रस्ताव। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि बैठक का निर्धारित कोरम पूरा नहीं हुआ था क्योंकि अध्ययन समूह के *12* में से केवल *7* सदस्य बैठक में उपस्थित थे, जिससे स्वतंत्र गैर-सरकारी संगठनों से संबंधित *5* सदस्यों को छोड़ दिया गया था। याचिकाकर्ता के मामले के अनुसार, गैर-सरकारी संगठनों और *[2021] 15* एस. सी. आर. से प्रतिनिधित्व की अनुपस्थिति।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सरकार के कनिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति से पता चलता है कि वहाँ

कोई प्रभावी विचार-विमर्श और दिमाग का उपयोग नहीं था।

43. याचिकाकर्ता आगे प्रस्तुत करता है कि विषय परियोजना के विस्तृत नक्शे, चित्र, योजना, लेआउट और अन्य प्रासंगिक दस्तावेज

इन्हें समिति के समक्ष नहीं रखा गया था और ये दस्तावेज प्रस्ताव के संबंध में एक सूचित निर्णय लेने के लिए अनिवार्य थे। याचिकाकर्ता का तर्क है कि प्रासंगिक सामग्री पर विचार के अभाव ने बैठक के परिणाम को दूषित कर दिया था।

44. उत्तरदाताओं द्वारा दायर जवाबी हलफनामे में, यह प्रस्तुत किया जाता है कि सीवीसी एक सीमित उद्देश्य को पूरा करता है और इसका अध्ययन करने के लिए है

विचार और परीक्षण के लिए प्रस्तुत किए गए विकास प्रस्ताव

क्या प्रस्ताव क्षेत्र के समग्र चरित्र के अनुरूप है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि समिति का अतीत में विभिन्न समय पर उभरती आवश्यकताओं के अनुसार पुनर्गठन किया गया है और अध्यक्ष पद के लिए नामांकन पदनाम *(*पदेन*)* के आधार पर किया जाता है, चाहे कोई भी व्यक्ति पदधारी हो। नामित की अनुपस्थिति के संबंध में

सदस्यों, यह प्रस्तुत किया जाता है कि एक सामान्य प्रथा के रूप में, जब कुछ सदस्य अन्य व्यस्तताओं में व्यस्त होते हैं, तो उसी विभाग/कार्यालय से उनके प्रतिनिधियों को नामित किया जाता है और उनके कार्यों पर कार्य करने के लिए अधिकृत किया जाता है। की ओर से। जहां तक कोरम का संबंध है, यह कहा गया है कि समिति की बैठकों के लिए कोई कोरम निर्धारित नहीं है और इसके अभाव में *25* प्रतिशत का मानक कोरम आवश्यकता के लिए पर्याप्त होगा।

45. बैठक के संचालन के संबंध में, जवाबी हलफनामे में कहा गया है कि ऑनलाइन बैठक महामारी के बीच मानक सरकारी प्रोटोकॉल के अनुरूप थी और इसका उद्देश्य बैठक के उद्देश्य से सदस्यों को अपने घरों से बाहर निकलने की आवश्यकता के बिना भागीदारी की सुविधा प्रदान करना था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रस्ताव की आगे की प्रक्रिया के लिए सीवीसी द्वारा अनापत्ति का अनुदान एक पूर्व-आवश्यकता थी और महामारी की अनिश्चितताओं के बीच सीवीसी की बैठक में अनिश्चित काल तक देरी करके पूरी परियोजना को स्थगित नहीं किया जा सकता था। उत्तरदाताओं ने इस बात पर भी प्रकाश डाला है कि बैठक के कार्यवृत्त सभी

सदस्यों *(*गैर-उपस्थित लोगों सहित*)* को भेजे गए थे और उनके द्वारा कोई आपत्ति नहीं उठाई गई थी और न ही किसी सदस्य से अनापत्ति देने के औचित्य के बारे में कोई आपत्ति प्राप्त हुई थी।

डब्ल्यू. पी. *(C)* नहीं। *638/2020*

46. इस याचिका का जोर सीवीसी द्वारा दी गई "अनापत्ति" दिनांक *23.4.2020* पर भी है। प्रासंगिक प्रार्थना इस प्रकार है:

राजीव सूरी बनाम। दिल्ली विकास प्राधिकरण और ओआरएस। *[* ए. एम. खानविलकर, जे.*]*

" ए. अनिवार्य या किसी अन्य रिट/आदेश/निर्देश की प्रकृति में एक रिट जारी करें, जिससे प्रतिवादी संख्या *2* द्वारा प्रस्तावित नए संसद भवन को केंद्रीय विस्टा समिति होने के नाते दी गई "ना-आपत्ति" को रद्द कर दिया जाए।

23.04.2020 , जो *30.04.2020* पर प्रसारित उस बैठक के कार्यवृत्त और सभी परिणामी कार्रवाइयों में परिलक्षित होता है

वहाँ; "

47. डब्ल्यू. पी. में आग्रह किए गए आधारों के अलावा *(*ग*) 510/2020,* याचिकाकर्ता यहाँ प्रस्तुत करते हैं कि सी. वी. सी. के तहत काम कर रहा था

ए. डी. जी. *(*वर्क्स*)* की अध्यक्षता जो वास्तुकार या नगर योजनाकार नहीं है और इस प्रकार उक्त प्रस्ताव पर विचार करने के लिए आवश्यक कौशल/ज्ञान का अभाव है। तर्क लिखित में पूरक है

प्रस्तुतियाँ जहाँ यह कहा गया है कि सीवीसी को सौंपे गए कर्तव्यों की प्रकृति के लिए समिति के प्रमुख को एक पेशेवर वास्तुकार या नगर योजनाकार होने की आवश्यकता होती है ताकि प्रस्ताव पर सूक्ष्म तरीके से विचार किया जा सके। इस निवेदन को पुष्ट करने के लिए, याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि बैठक बाहरी विशेषज्ञों की अनुपस्थिति के बावजूद बुलाई गई थी और यह पेशेवर की पेशेवर जांच से बचने के लिए एक जानबूझकर उठाया गया कदम था, जिससे उक्त अनापत्ति को मनमाना और अवैध माना जाता है।

48. याचिकाकर्ताओं ने गैर के तर्क पर भी जोर दिया है

दिमाग का अनुप्रयोग, डब्ल्यू. पी. में लिए गए के समान। *(*ग*)* इस आधार पर कि उत्तरदाताओं द्वारा एक नए संसद भवन की व्यवहार्यता और आवश्यकता पर विचार करने के लिए कोई मूल्यांकन नहीं किया गया था और पूरी प्रक्रिया अनुचित जल्दबाजी में की गई थी। इस तर्क को पुष्ट करने के लिए, इस पर निर्भरता रखी गई है

इंदरप्रीत सिंह काहलों और अन्य। वी. पंजाब राज्य *& Ors.4*[1] और बहादुरसिंह लखुभाई गोहिल बनाम। जगदीशभाई एम. कमलिया और *Ors.4*[2] ने आग्रह किया कि अनुचित जल्दबाजी में की गई कार्रवाई को कानूनन गलत घोषित किया जा सकता है।

49. यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि सीवीसी ने कानूनी की अवहेलना की

धरोहर संरचनाओं से निपटने के लिए रूपरेखा। याचिकाकर्ता भवन उपनियमों के अनुलग्नक-*II* के साथ पठित खंड *7.26* से समर्थन चाहते हैं ताकि यह तर्क दिया जा सके कि श्रेणी-*I* विरासत भवनों/परिसरों में न्यूनतम

परिवर्तन की अनुमति है और समिति इसे लागू करने में विफल रही है। विचार करें। पर्यावरणीय प्रभावों, यातायात मूल्यांकन आदि से संबंधित विभिन्न कारकों को ध्यान में रखने में समिति की कथित विफलता पर भी उक्त अनापत्ति का आरोप लगाया गया है।

41 (2006) 11 एस. सी. सी. *356 (*पैरा *72* और *73) 42 (2004) 2* एस. सी. सी. *65 (*पैरा *24* और *25)*

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

50. सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश श्री हेगड़े ने कहा कि सीवीसी, हालांकि मूल रूप से एक सलाहकार निकाय के रूप में कल्पना की गई थी, इसने अपने लंबे समय तक काम करने के कारण एक वैधानिक चरित्र ग्रहण किया है और ऐसी परियोजनाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है। "सेंट्रल विस्टा समिति की भूमिका पर पूरक टिप्पणी" प्रस्तुत की गई

याचिकाकर्ताओं द्वारा, बोलियों को आमंत्रित करने वाले नोटिस और खंड *6* का संदर्भ दिया जाता है। *3* इस दृष्टिकोण का समर्थन करने के लिए कि सी. वी. सी. की परिकल्पना एक वैधानिक समिति के रूप में की गई थी, जोन-डी के लिए जेड. डी. पी.

51. वैकल्पिक रूप से, यह आग्रह किया जाता है कि सीवीसी का वैधानिक अधिदेश प्रशासनिक क्षेत्र में वैध अपेक्षाओं के सिद्धांत के अनुरूप है

विषय हैं। याचिकाकर्ताओं ने राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम बनाम पर भरोसा किया है। एस. रघुनाथन और *Ors.4*[3] ने तर्क दिया कि यह सिद्धांत तर्कसंगतता और प्राकृतिक न्याय के आधार पर आधारित है, और अब मूल के साथ-साथ प्रक्रियात्मक अधिकारों का स्रोत बन गया है।

52. ऊपर उल्लिखित मामलों के अलावा, याचिकाकर्ताओं ने आर. एस. गर्ग बनाम पर भरोसा रखा है। उत्तर प्रदेश राज्य और *Ors.44,* परिषद

वास्तुकला वी। मुकेश गोयल और अन्य "। और महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बनाम। के. एस. गांधी और अन्य। *46*

53. सीवीसी के वैधानिक चरित्र के बारे में तर्क का विद्वान सॉलिसिटर जनरल द्वारा विरोध किया गया है। वह आग्रह करेगा कि यह है केवल सरकार को सलाह देने के लिए एक सीमित अधिदेश के साथ एक सलाहकार निकाय

विचार के लिए प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव पर। इसके पास मंजूरी देने या निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं है। इसके अलावा, केवल इसलिए कि कोई निकाय जेडडीपी *(*जोन-डी*)* में संदर्भित किया गया है या लंबे समय से काम कर रहा है, यह अपने आप में एक वैधानिक चरित्र नहीं लेगा जब तक कि यह एक क़ानून द्वारा प्रदान नहीं किया जाता है। *54.* जहां तक विवेक का उपयोग न करने के तर्क का संबंध है, यह प्रस्तुत किया जाता है कि सीवीसी को न्यायिक/अर्ध-न्यायिक निकायों के समान तरीके से अपनी मंजूरी के लिए कारण प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है और यह तथ्य कि सीवीसी ने अपने निर्णय में परियोजना प्रस्तावक/सीपीडब्ल्यूडी को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा था कि परियोजना सेंट्रल विस्टा के चरित्र के अनुरूप है।

मन का अनुप्रयोग। यह आग्रह किया जाता है कि मन के अनुप्रयोग को प्रकट किया जाना चाहिए

43 (1998) 7 एस. सी. सी. *66 44 (2006) 6* एस. सी. सी. *430 (*पैरा *28) 45 2020* एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. *329 (*पैरा *58) 46 6 (1991) 2* एस. सी. सी. *716 (*पैरा *20* और *21)*

राजीव सूरी बनाम। दिल्ली विकास प्राधिकरण और ओआरएस। *[* ए. एम. खानविलकर, जे.*]*

पर्याप्त अनुपालन के दृष्टिकोण से। उत्तरदाताओं ने आग्रह किया है कि वर्तमान मामला एक सामान्य मामला है और व्यापक राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए उसी के अनुसार व्यवहार किया जाना चाहिए। संक्षिप्तता के लिए, इस प्रार्थना के उत्तरदाताओं की अन्य प्रस्तुतियाँ यहाँ दोहराई नहीं जा रही हैं।

डब्ल्यू. पी. *(*ग*)* नहीं. *681/2020* और *W. P. (C)* नहीं। *845/2020*

55. 12.2.2020 पर, परियोजना प्रस्तावक *(CPWD)* ने "मौजूदा संसद भवनों के विस्तार और नवीनीकरण" के लिए चुनाव आयोग के लिए आवेदन दायर किया।

नई दिल्ली "। विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति *47* ने अपनी *49* वीं बैठक में उक्त आवेदन पर विचार किया। परियोजना के विवरण की जांच करने के बाद, ई. ए. सी. ने नोट किया कि समिति के साथ-साथ पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा कई आपत्तियां प्राप्त हुई हैं, जिसमें परियोजना के संबंध में विभिन्न चिंताएं व्यक्त की गई हैं। इस जानकारी को रेखांकित करने के बाद समिति ने उक्त आपत्तियों को दर्ज करना और परियोजना प्रस्तावक को आगे के विचार-विमर्श के लिए अतिरिक्त जानकारी प्रस्तुत करने के लिए कहना उचित समझा गया। इसलिए प्रस्ताव को स्थगित कर दिया गया। *11.3.2020* पर, *CPWD* ने अतिरिक्त सामग्री की आपूर्ति के लिए समिति के अवलोकन का जवाब दिया और प्रस्ताव पर विचार करने के लिए प्रासंगिक दस्तावेज प्रस्तुत किए। समिति द्वारा मांगी गई अतिरिक्त जानकारी के आलोक में प्रपत्र-*I* और प्रपत्र-*IA* को भी संशोधित किया गया था। संशोधित प्रपत्र में, लागत से संबंधित विवरण

परियोजना, कुल निर्मित क्षेत्र और पेड़ों की संख्या में संशोधन किया गया। परियोजना की कुल लागत रुपये से बढ़ा दी गई थी। *776* प्रस्तावित संसद के कुल निर्मित क्षेत्र को *59,800* वर्ग मीटर से बढ़ाकर *65,000* वर्ग मीटर कर दिया गया। *118* बढ़ाया गया था *326* से *333* तक। आई. डी. *1* पर अपनी *50* वीं बैठक में, ई. ए. सी. ने संशोधित प्रस्ताव पर विचार किया और ई. सी. की मानक शर्तों के साथ-साथ विषय परियोजना की प्रकृति के अनुरूप कुछ विशिष्ट शर्तों के अधीन ई. सी. के अनुदान के लिए इसे मंजूरी दी। इसके बाद आई. डी. *1* पर एम. ओ. ई. एफ. ने ई. ए. सी. की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया और संसद भवन के विस्तार और नवीनीकरण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। ई. सी. का यह अनुदान इन दोनों याचिकाओं में विवादित है। प्रार्थनाओं का प्रासंगिक उद्धरण इस प्रकार है:

"ए।

एक रिट/आदेश रद्द करने की प्रकृति में एक आदेश पारित करें और

परियोजना के संबंध में प्रत्यर्थी संख्या *1* द्वारा जारी दिनांक *17.06.2020* की विवादित पर्यावरण मंजूरी को अलग करते हुए जिसका शीर्षक है "पर्यावरण का विस्तार और नवीनीकरण"।

47 संक्षेप में, "ईएसी"

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संसद मार्ग पर मौजूदा संसद भवन, नई दिल्ली

दिल्ली ";

बी।

एक लिखित/आदेश की प्रकृति में एक आदेश पारित करें
प्रत्यर्थी संख्या *1* द्वारा जारी दिनांक *17.06.2020* पर्यावरण मंजूरी के रिकॉर्ड और उसके बाद यह माना जाता है कि निर्माण में विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति द्वारा की गई पूरी निर्णय लेने की प्रक्रिया-दिनांक *17.06.2020* पर्यावरण मंजूरी जारी होने तक दूषित है।

और तदनुसार उसी को अलग रखें;

एक लिखित/आदेश की प्रकृति में एक आदेश पारित करें जिसमें घोषणा की जाए कि

सी.

विषय परियोजना संसद भवन, सामान्य केंद्रीय सचिवालय का विकास/पुनर्विकास और

नई दिल्ली में सेंट्रल विस्टा एक समग्र परियोजना है।

पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने के उद्देश्य; "

क्लीयरेंस को रद्द करने के लिए उपरोक्त प्रार्थना के अलावा, डब्ल्यू. पी. में याचिकाकर्ता। *(ग) 681/2020* ने निर्वाचन आयोग के लिए प्रस्तुत प्रस्तावों में जानकारी को जानबूझकर छिपाने और भ्रामक जानकारी की आपूर्ति के मामले का आरोप लगाया है और इस प्रकार प्रार्थना की है:

"*2.* परियोजना प्रस्तावक के रूप में प्रत्यर्थी संख्या *3* के खिलाफ सीधी कार्रवाई

जानकारी को छिपाने और गलत और प्रस्तुत करने के लिए

भ्रामक जानकारी; परियोजना को श्रेणी बी*1* के बजाय श्रेणी बी*2* के रूप में वर्गीकृत करना; और *8 (*बी*)* के बजाय अनुसूची *8 (*ए*)* परियोजना; और पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करना; जो *2006* की ई. आई. ए. अधिसूचना के खंड *8* में निर्धारित शर्तों, 'पूर्व पर्यावरण मंजूरी की अस्वीकृति का अनुदान', और उप खंड *(vi)* की दंडात्मक शर्तों को आकर्षित करता है; जिसके परिणामस्वरूप परियोजना को रद्द कर दिया जाता है।

पर्यावरण मंजूरी "।

56. डब्ल्यू. पी. में याचिकाकर्ता *(*सी*) 845/2020* ने प्रस्तुत किया है कि ईएसी प्रस्ताव पर विचार करते समय अपने दिमाग को लागू करने में विफल रहा और दोनों विभिन्न व्यक्तियों द्वारा प्रस्ताव और आपत्तियों

को यांत्रिक तरीके से माना गया। निवेदन को हनुमान लक्ष्मण अरोस्कर पर भरोसा करके पुष्ट किया जाता है, जिसमें इस न्यायालय ने कहा कि ई. ए. सी. को एक विशेषज्ञ निकाय होने के नाते परियोजना के हर प्रासंगिक पहलू और पर्यावरण पर इसके प्रभाव के लिए खुद को लागू करना चाहिए।

57. याचिकाकर्ताओं ने, आम जवाब में, यह तर्क देते हुए तर्क को आगे बढ़ाया है कि वे केवल कुछ स्पष्टीकरण चाहते हैं।

49 (32 पर ऊपर*)*

राजीव सूरी बनाम। दिल्ली विकास प्राधिकरण और ओआरएस। *[* ए. एम. खानविलकर, जे.*]*

परियोजना प्रस्तावक पर्याप्त अनुपालन नहीं है और यह केवल प्रतिक्रिया/डेटा/बयानों की विस्तृत जांच पर होगा कि मन के प्रयोग की आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है। यह जोड़ा गया है कि ई. ए. सी. द्वारा एक तर्कपूर्ण आदेश की अनुपस्थिति याचिकाकर्ताओं के मामले को आगे बढ़ाती है क्योंकि प्रशासनिक/अर्ध-न्यायिक अधिकारी कारण दर्ज किए बिना अनुमोदन नहीं दे सकते हैं।

58. इस तर्क का समर्थन करने के लिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि ईएसी विफल रहा

ध्यान दें कि परियोजना के प्रस्तावक ने जानबूझकर संसद की परियोजना को बड़े सेंट्रल विस्टा परियोजना से अलग कर दिया था, जिसका उद्देश्य एकल आधार पर विचार करके जांच के स्तर को कम करना था। इस पृथक्करण के कारण, परियोजना को मद *8 (*ए*)* में बी*2* परियोजना *(*भवन और निर्माण*)* के रूप में वर्गीकृत किया गया था; जबकि परियोजना का सामूहिक मूल्यांकन इसे मद *8 (*बी*)* यानी टाउनशिप और क्षेत्र विकास में डाल देगा।

2006 के पर्यावरण प्रभाव आकलन *50* अधिसूचना के संदर्भ में बी*1* श्रेणी के अंतर्गत आता है। इस वर्गीकरण के परिणामस्वरूप,

प्रतिवाद किया, उत्तरदाताओं ने अनैतिक रूप से दूर कर दिया संदर्भ की व्यापक शर्तें *(*टी. ओ. आर.*)*, दायरा और ई. आई. ए. रिपोर्ट तैयार करने की आवश्यकताएँ क्योंकि ये आवश्यकताएँ बी*2* पर लागू नहीं होती हैं।

श्रेणी परियोजनाएं। इस निवेदन को पुष्ट करने के लिए, यह जोड़ा जाता है कि यह केवल व्यापक जांच को दरकिनार करने के लिए था कि उत्तरदाताओं ने प्रस्ताव को "नवीनीकरण" और "विस्तार" परियोजना के रूप में वर्णित किया, बजाय यह निर्दिष्ट करने के कि *65,000* वर्ग मीटर के निर्मित क्षेत्र के साथ एक पूरी नई इमारत का प्रस्ताव किया जा रहा है और साथ ही सेंट्रल विस्टा परिसरों का समग्र रूप से विकास किया जा रहा है।

59. याचिकाकर्ताओं के अनुसार, प्रस्तावित परियोजना तीन घटकों के साथ एक एकल परियोजना है- विकास/पुनर्विकास संसद भवन, सामान्य केंद्रीय सचिवालय और सेंट्रल विस्टा। परियोजना के जानबूझकर विघटन और टुकड़े-टुकड़े करने के तर्क का समर्थन सरकार के विभिन्न दस्तावेजों का उल्लेख करके किया जाता है, जिसमें सरकार द्वारा एक ही दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया था, अर्थात्:

(1) सी. पी. डब्ल्यू. डी. ने निविदाएं आमंत्रित करने का नोटिस दिया जिसमें परियोजना को इस रूप में संदर्भित किया गया था

"संसद भवन का विकास/पुनर्विकास,

51 संक्षेप में, *"2006* अधिसूचना" या "ई. आई. ए. अधिसूचना", जैसा भी मामला हो। *[* हालाँकि इस अधिसूचना को *"2006* की अधिसूचना" के रूप में वर्णित किया गया है, लेकिन इसे अगस्त, *2015* में पुनर्मुद्रित किया गया है *(*पृष्ठ *3-55* द्वारा दायर दस्तावेजों के संकलन में*)*। उत्तरदाता*), 6.7.2015* तक सभी संशोधनों को शामिल करते हुए, और इस निर्णय में अधिसूचना के निकाले गए हिस्से पुनर्मुद्रित संस्करण से हैं*]*।

न्यू में आम केंद्रीय सचिवालय और सेंट्रल विस्टा

दिल्ली "।

डी. डी. ए. दिनांक *21.12.2019* की सार्वजनिक सूचना आपत्तियाँ आमंत्रित करती है

((ख)

और *8* भूखंडों के भूमि उपयोग में बदलाव का सुझाव दिया।

सामूहिक रूप से।

एम. ओ. एच. यू. ए. की दिनांकित प्रेस विज्ञप्ति *25.10.2019* इसे एक

(iii)

एकीकृत परियोजना जैसा कि यह पढ़ता है:

"रायसीना पर पुरानी इमारतों को सुधारने के उद्देश्य से

पहाड़ियों, बेहतर सामान्य सचिवालय भवनों का निर्माण,

सांसदों की नई आवश्यकता और पूरे केंद्र का उन्नयन
पूरे मास्टर प्लान पर फिर से विचार करके विस्टा क्षेत्र, एक विश्व स्तरीय

सलाहकार की आवश्यकता थी। ..... "

60. याचिकाकर्ताओं ने जारी किए गए ओ. एम. दिनांक *24.12.2010* पर भरोसा किया है।

एम. ओ. ई. एफ. द्वारा जो "एकीकृत और आपस में जुड़ी परियोजनाओं पर विचार" का उल्लेख करता है, यह आग्रह करने के लिए कि कानूनी अधिदेश के लिए ई. सी. के उद्देश्य के लिए आपस में जुड़ी और एकीकृत परियोजनाओं के सामूहिक मूल्यांकन की आवश्यकता है ताकि संचयी प्रभाव का आकलन किया जा सकता है। प्रस्तुतिकरण को समर्थन देने के लिए, यह आग्रह किया जाता है कि उक्त ओ. एम. को एक उद्देश्यपूर्ण अर्थ दिया जाना चाहिए ताकि ऐसी परियोजनाओं के बारे में व्यापक जानकारी प्राप्त की जा सके।

पर्यावरण संरक्षण का उद्देश्य। रिलायंस को अलकनंदा हाइड्रोपावर कंपनी लिमिटेड बनाम पर रखा गया है। अनुज जोशी और अन्य।

52

इस दृष्टिकोण के पूरक के लिए कि पर्यावरणीय प्रभाव के सही मूल्यांकन पर पहुंचने के लिए किसी परियोजना के संयुक्त प्रभाव पर विचार किया जाना चाहिए। "संचयी प्रभाव" वाक्यांश के अर्थ पर जोर देते हुए, याचिकाकर्ताओं ने टी. मुरुगानंदम बनाम में एनजीटी के निर्णय पर भरोसा किया है। पर्यावरण और वन मंत्रालय का कहना है कि संचयी मूल्यांकन में सभी वर्तमान और वनों के प्रति एक समग्र दृष्टिकोण शामिल है

भविष्य की उचित रूप से पूर्वानुमेय गतिविधियाँ ताकि पारिस्थितिकी पर वास्तविक प्रभाव निर्धारित किया जा सके।

61. यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि उत्तरदाताओं ने जानबूझकर छिपाया

संचयी प्रभावों, अन्य मौजूदा या नियोजित परियोजनाओं से निकटता आदि के बारे में विशेषज्ञ समिति से प्रासंगिक जानकारी, जो जानकारी को छिपाने और गलत जानकारी प्रस्तुत करने से संबंधित *2006* की अधिसूचना के खंड *8 (vi)* को आकर्षित करेगी। रिलायंस ने फिर से

52 (2014) 1 एस. सी. सी. *769* *53* मनु/जी. टी./*0135/2014 (*अपील सं. *50/2012* में एनजीटी का निर्णय दिनांक *10.11.2014)*

राजीव सूरी बनाम। दिल्ली विकास प्राधिकरण और ओआरएस। *[* ए. एम. खानविलकर, जे.*]*

उस समर्पण का विरोध करने के लिए हनुमान लक्ष्मण अरोस्कर *54* पर रखा गया

2006 की अधिसूचना के तहत बिना किसी छिपाव के प्रामाणिक जानकारी की एक बुनियादी अपेक्षा है और दोषपूर्ण प्रपत्र-*I* के आधार पर दी गई कोई भी मंजूरी अस्वीकार की जा सकती है।

62. याचिकाकर्ताओं का कहना है कि परियोजना प्रस्तावक विफल रहा

पर्यावरण पर परियोजना के वास्तविक प्रभाव की जांच करने के लिए कोई भी मूल्यांकन अध्ययन करना। प्रतिवादियों का यह बयान कि नए संसद भवन का पर्यावरण पर मामूली और वृद्धिशील प्रभाव पड़ेगा, कथित तौर पर निराधार और निराधार है। यह आग्रह किया जाता है कि अपने दावे के समर्थन में किसी भी वैज्ञानिक मूल्यांकन के अभाव में, परियोजना प्रस्तावक ने विशेषज्ञ समिति को गलत जानकारी दी और इसके बारे में गलत आश्वासन दिया

वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, भूविज्ञान, पारिस्थितिकी और जैव विविधता पर प्रभाव। पेड़ों के प्रत्यारोपण पर उत्तरदाताओं के आश्वासन को भी आधारहीन और सारहीन बताया गया है क्योंकि पेड़ों की उम्र, परिधि और प्रजातियों को निर्धारित करने के लिए कोई अध्ययन नहीं किया गया था जो एक प्रत्यारोपित पेड़ के जीवित रहने की क्षमता की जांच करने के लिए आवश्यक तत्व हैं।

63. याचिकाकर्ताओं ने आगे कहा कि परियोजना प्रस्तावक

पार्किंग की जगह की आवश्यकता के संबंध में विशेषज्ञ समिति को गलत जानकारी दी और गुमराह किया और मास्टर प्लान का उल्लंघन किया जो अनिवार्य है

100 वर्ग मीटर।

प्रति वाहन *1.8* ईसीएस *(*समतुल्य कार स्थान*)* की पार्किंग आवश्यकता

निर्मित क्षेत्र। इस विनिर्देशन के विपरीत, *65,000* वर्ग मीटर के प्रस्तावित निर्मित क्षेत्र के लिए आवश्यकताओं में *100* ई. सी. एस. की पार्किंग जगह बताई गई थी जो कि बहुत कम है।

64. वेल्लोर नागरिक कल्याण मंच पर भरोसा करना *v.* संघ का

भारत और ए. पी. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड *II v.* प्रो. एम. वी. नायडू *(*सेवानिवृत्त*)* और *Ors.5*, याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि ई. ए. सी. को मूल्यांकन के दौरान एहतियाती सिद्धांत को ध्यान में रखना चाहिए था क्योंकि यह उन सभी मामलों में आकर्षित होता है जहां एक पहचान योग्य जोखिम है

पर्यावरणीय क्षरण मौजूद है और इस प्रकार, पर्यावरणीय नुकसान की अनुपस्थिति को प्रदर्शित करने के लिए परियोजना प्रस्तावक पर भारी बोझ था। इस मामले में, ई. ए. सी. बिना किसी विश्लेषण के पूर्ण आश्वासनों पर भरोसा नहीं कर सकता था क्योंकि अन्यथा यह दिमाग का उपयोग न करने का मामला होता। सीमा निवेदन यह है कि *2006* की अधिसूचना के तहत ई. ए. सी. की भूमिका अच्छी तरह से बनाई गई है और हनुमान लक्ष्मण अरोस्कर में, इस न्यायालय ने कारणों के महत्व पर प्रकाश डाला था और सभी पर्यावरणीय कारकों का विस्तृत विश्लेषण किया था।

54 (32 पर ऊपर*)*

56 (2001) 2 एस. सी. सी *62* *57 (32* पर ऊपर*)*

प्राइवेट लिमिटेड *v.* भारत संघ *(*यू. ओ. आई.*)* और *Ors.58*, सिद्धांत आनुपातिकता और मन मानकों के गैर-अनुप्रयोग को लागू किया जा सकता है

पर्यावरण समीक्षा मामलों और हनुमान लक्ष्मण अरोस्कर के अनुसार, *2006* की अधिसूचना और ई. ए. सी. द्वारा गहन योग्यता समीक्षा अनिवार्य है।

ऐसा करने में विफल रहे। इस प्रकार, प्रतिवादी इन उच्च मानकों से बंधे हैं और इस न्यायालय द्वारा उस आधार पर पूरे मामले की जांच की जानी चाहिए।

66. डब्ल्यू. पी. में याचिकाकर्ता *(*ग*)* नहीं. *681/2020* ने चुनाव आयोग पर हमला करने के लिए इसी तरह की दलीलों को अपनाया है और उन्हें दोहराया नहीं जा रहा है। उल्लेख करते हुए *2006* की अधिसूचना के खंड *7* में, याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि अधिसूचना नई परियोजनाओं के लिए ईसी के चार चरणों पर विचार करती है और

इस परियोजना को नए निर्माण के बजाय "विस्तार" के रूप में प्रदर्शित करते हुए, उत्तरदाताओं ने महत्वपूर्ण चरणों से बचा लिया है। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि ई. ए. सी. को सतत विकास, सार्वजनिक विश्वास और अंतर-पीढ़ीगत समानता के सिद्धांतों के आलोक में प्रस्ताव पर विचार करना चाहिए था।

67. अपनी दलीलों का समर्थन करने के लिए, याचिकाकर्ताओं ने इस पर भरोसा किया है

कीस्टोन रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम अनिल वी. थारथारे और *Ors.60* बेंगलुरु विकास प्राधिकरण बनाम। सुधाकर हेगड़े और अन्य। *61*

सुनील कुमार चुघ और अन्य। वी. सचिव, पर्यावरण विभाग, महाराष्ट्र सरकार और *Ors.62*, समता और अन्न। वी. भारत संघ और *Ors.6*[3], बौद्धिक मंच, तिरुपति बनाम। ए. पी. और अन्य का राज्य। *64* , सामान्य कारण वी। भारत संघ और अन्य "। , सरपंच, ग्राम पंचायत, तिरोदा, ताल। सावंतवाड़ी, जिला सिंधुदुर्ग, महाराष्ट्र और अन्य। वी. पर्यावरण और वन मंत्रालय और गोयल गंगा डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड "*7.*

68. सीपीडब्ल्यूडी द्वारा दायर जवाबी हलफनामे में कहा गया है कि नए संसद भवन का निर्माण मौजूदा संसद भवन के बगल में किया जा रहा है। *58 (2011) 7* एस. सी. सी. *338*

59 (32 पर ऊपर*)*

61 2020 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. *328 (*पैरा *99* और *100)* *62* एम. ए. एन. यू./जी. टी./*0153/2015 [2014* की अपील संख्या *66* का निर्णय *3.9.2015 (*पैरा *24* से *26)* पर लिया गया*]*

63 2013 एससीसी ऑनलाइन एनजीटी *101 (*पैरा *38)* *64 (2006) 3* एस. सी. सी. *549 (*पैरा *66* से *69,72* से *76,78* और *82) 65 (2017) 9* एस. सी. सी. *499 (*पैरा *208,209* और *210)*

66 2011 एस. सी. सी. ऑनलाइन एन. जी. टी. *10 (*पैरा *19) 67 (16* पर ऊपर, पैरा *17)*

राजीव सूरी बनाम। दिल्ली विकास प्राधिकरण और ओआरएस। *[* ए. एम. खानविलकर, जे.*]*

भवन और दोनों भवन एक दूसरे के पूरक होंगे

कार्यक्षमता। साथ ही, मौजूदा भवन को ग्रेड-*I* संरचनाओं के लिए निर्धारित सीमाओं के अनुसार पुनर्निर्मित और पुनर्निर्मित किया जाएगा और इस प्रकार, परियोजना को एक विस्तार और नवीकरण परियोजना के रूप में सही नाम दिया गया था। *69.* यह प्रस्तुत किया जाता है कि *2006* की अधिसूचना के संदर्भ में, *1,50,000* वर्ग मीटर से कम के निर्मित क्षेत्र वाली परियोजनाओं के निर्माण के लिए किसी विस्तृत ई. आई. ए. की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वे श्रेणी *8 (*ए*)* के अंतर्गत आते हैं, और चूंकि विषय परियोजना का निर्मित क्षेत्र *1,50,000* वर्ग मीटर से कम है, इसलिए अधिसूचना के अनुसार इस तरह के किसी भी मूल्यांकन की आवश्यकता नहीं है और इस प्रकार, ई. ए. सी. इस तरह के किसी भी प्रभाव मूल्यांकन के लिए जोर नहीं दे रहा था। विद्वान महान्यायवादी ने आगे कहा कि *8 (*ए*)* या *8 (*बी*)* के रूप में वर्गीकरण का बहुत अधिक परिणाम नहीं होगा क्योंकि वर्गीकरण की प्रकृति पर विचार करने में कोई पूर्वाग्रह नहीं होता है।

पर्यावरण पर परियोजना का संचयी प्रभाव, यदि कोई हो। इस निवेदन को पुष्ट करने के लिए, यह आग्रह किया जाता है कि कानून के अधिदेश के अनुसार, केंद्रीय सचिवालय परियोजना के लिए एक विस्तृत ई. आई. ए. किया जाएगा क्योंकि यह श्रेणी *8 (*बी*)* यानी टाउनशिप और क्षेत्र विकास के अंतर्गत आता है। इस तरह का आकलन,

कानून के अनुसार, *10* किलोमीटर के दायरे में भूमि उपयोग की जांच करेगा और चूंकि संसद इन आयामों के भीतर आती है, इसलिए पर्यावरणीय चिंताएं *(*यदि कोई हों*)*

इसके साथ जुड़े मामलों को भी उसी मूल्यांकन में संबोधित किया जा सकता है और अतिरिक्त शमन उपाय लागू किए जा सकते हैं। *70.* इस तर्क के लिए कि ये दोनों परियोजनाएं एक सामूहिक मूल्यांकन की मांग करने वाली एकीकृत परियोजनाएं हैं, जवाबी हलफनामे में कहा गया है कि

"एकीकृत परियोजना" शब्द उन परियोजनाओं को संदर्भित करता है जो एक दूसरे के बिना इस हद तक मौजूद नहीं हो सकती हैं कि उनका अस्तित्व और कार्यशीलता अनिवार्य रूप से एक दूसरे पर निर्भर है। वर्तमान मामले में, उत्तरदाताओं ने प्रस्तुत किया, ये दोनों परियोजनाएं अलग-अलग समयसीमा, अलग-अलग बजटीय आवंटन, भारत संघ *(*संसद और कार्यपालिका*)* के अलग-अलग खंडों और विभिन्न उपयोगिताओं के लिए भी चिह्नित हैं। इसमें, संसद की परियोजना *2022* में समाप्त होने वाली है, दूसरी परियोजना *2026* तक चल सकती है। यह भी आग्रह किया जाता है कि इसके लिए बजटीय आवंटन

संसद परियोजना लोकसभा सचिवालय द्वारा बनाई जाती है और उत्तर/दक्षिण खंड परियोजना संस्कृति मंत्रालय द्वारा बनाई जाती है। संसद परियोजना के लिए अलग ई. सी. आवेदन को और उचित ठहराने के लिए, समेकित उत्तर

यह बताता है कि व्यवहार के रूप में, ईसी केवल प्रारंभिक दृष्टि/मास्टर प्लान के आधार पर नहीं दिया जाता है और इस तरह का आवेदन केवल उन परियोजनाओं के लिए किया जाना चाहिए जिनके लिए विस्तृत चित्र, योजना लेआउट आदि उपलब्ध हैं ताकि एक सूचित प्रभाव मूल्यांकन *(*साइट विशिष्ट*) [2021] 15* एस. सी. आर.

बनाया जाए। केंद्रीय सचिवालय परियोजना अभी तक उस स्तर तक नहीं पहुंची है।

प्रस्तुतिकरण इस प्रकार हैः

"8. ..... इसलिए, पर्यावरण मंजूरी के लिए आवेदन केवल किसी परियोजना की योजना और निष्पादन के अंतिम चरणों में प्रभावी और सटीक रूप से किया जा सकता है, न कि परियोजना के संक्षिप्त विवरण का उल्लेख किए बिना व्यापक व्यापक स्तर पर।

सलाहकार के जुड़ाव के लिए दस्तावेज़, इसका मतलब यह नहीं है कि परियोजना प्रस्तावक भविष्य के सभी उद्देश्यों के लिए इसे समग्र रूप से मानने के लिए बाध्य है। जबकि, सरकार को संसद की परियोजना को प्रभावित किए बिना केंद्रीय सचिवालय परियोजना की योजना को छोड़ने का भी अधिकार है। यह आग्रह किया जाता है कि संसद का विस्तार/नवीनीकरण और उस अर्थ में नए केंद्रीय सचिवालय का विकास दो अलग-अलग परियोजनाएं हैं और निर्माण से पहले कानून के तहत विभिन्न प्रक्रियात्मक अनुपालनों को आकर्षित करती हैं। इसकी शुरुआत इस प्रकार होती है, जैसा कि लिखित प्रस्तुतियों में कहा गया हैः

"20. यह प्रस्तुत किया जाता है कि लागत और योजना दक्षता से लाभ उठाने के लिए एक ही सलाहकार के माध्यम से सभी घटकों की वास्तुकला और इंजीनियरिंग योजना को पूरा करना संभव नहीं है। इसका मतलब यह है कि संसद की परियोजना और शेष सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजनाएं, पर्यावरण मंजूरी

के उद्देश्यों के लिए, एक ही परियोजना है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि संसद परियोजना और शेष सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास अलग-अलग परियोजनाएं हैं और ऐसी परियोजनाओं के संबंध में योजना अलग-अलग चरणों में बनाई जाती है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि निष्पादन

विभिन्न परियोजनाओं को चरणों में शुरू किया जाएगा।

72. यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रस्तावित का कुल निर्मित क्षेत्र

संसद भवन *65,000* वर्ग मीटर का है, जबकि प्रस्तावित केंद्रीय सचिवालय का भवन लगभग *17* लाख वर्ग मीटर का है और संसद की परियोजना को एक स्वतंत्र परियोजना के रूप में मानना और व्यापक योजना के विशाल क्षेत्रीय विस्तार के कारण इसे देरी का शिकार होने से रोकना सक्षम प्राधिकारी का एक सचेत नीतिगत निर्णय था। इस प्रकार, सरकार का सचेत निर्णय पूरा करना सुनिश्चित करना है

परियोजना का निर्माण सुचारू रूप से करना और इसे नगर विकास परियोजना से जोड़ना नहीं।

73. ई. ए. सी. द्वारा विवेक का उपयोग न करने के विवाद का प्रतिवाद प्रत्यर्थी एम. ओ. एच. यू. ए. द्वारा अपने उत्तर शपथ पत्र में किया गया है जिसमें यह राजीव सूरी बनाम है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण और ओआरएस। *[* ए. एम. खानविलकर, जे.*]*

प्रस्तुत किया कि ईएसी में वैज्ञानिक विशेषज्ञ शामिल हैं जो पिछले डेढ़ वर्षों से ईसी के प्रस्तावों पर विचार कर रहे हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि *49* वीं ई. ए. सी. बैठक में विस्तृत विचार-विमर्श किया गया, जिसके बाद मौजूदा भवन के नवीनीकरण की गुंजाइश, लंबित मामलों की स्थिति, यातायात प्रबंधन योजना, जनता से प्राप्त आपत्तियों पर प्रतिक्रिया, भूखंड संख्या *1* के भूमि उपयोग को दर्शाने वाले अद्यतन मास्टर प्लान के बारे में संशोधित प्रपत्र-*1* ए में पूरक जानकारी मांगी गई थी। *118* और तदनुसार, पूरी जानकारी समिति के समक्ष रखी गई और इसकी सिफारिश तैयार करने से पहले अगली बैठक में इस पर विधिवत विचार किया गया। इस प्रकार, मन का अनुप्रयोग पूरी प्रक्रिया में व्यापक रूप से लिखा जाता है। जहां तक प्रपत्र-*1* में संबंधित परियोजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करते समय धोखाधड़ी और गलत निरूपण के आरोप का संबंध है, लिखित प्रस्तुतियों में कहा गया है कि ओ. एम. दिनांक *24.12.2010*, जिस पर याचिकाकर्ताओं ने इस तर्क को बढ़ाने के लिए भरोसा किया था, गलत धारणा थी क्योंकि अंतर-संबद्ध परियोजनाओं की अवधारणा का उपयोग बहु-क्षेत्रीय परियोजनाओं के संदर्भ में किया जाता है और विषय परियोजना में बहु-क्षेत्रीय घटक शामिल नहीं होते हैं और यह एक स्वतंत्र भवन निर्माण परियोजना है।

74. उत्तरदाताओं द्वारा दायर लिखित प्रस्तुतियों में, यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि संभावित की पहचान करने के लिए एक विस्तृत अध्ययन किया गया था प्रस्तावित परियोजना के प्रभावों और वायु उत्सर्जन, पानी, मिट्टी आदि से संबंधित चिंताओं को ई. ए. सी. द्वारा एक निर्धारित करके विधिवत संबोधित किया गया था

पर्यावरण प्रबंधन योजना *(*ई. एम. पी.*)* और संचालन संबंधी उपाय। यह सूचित किया जाता है कि स्थल पर सीवेज उपचार संयंत्र की स्थापना, पुनर्नवीनीकरण पानी का उपयोग, वर्षा जल भंडारण टैंकों, पुनर्नवीनीकरण सामग्री का उपयोग, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन आदि जैसे उपायों का पालन किया जाएगा।

75. विद्वान सॉलिसिटर जनरल ने हनुमान लक्ष्मण अरोस्कर के मामले में इस अदालत के फैसले में अंतर करने की मांग की है।

उक्त मामले में, विश्लेषण एक श्रेणी-ए परियोजना के संदर्भ में किया गया था और इसके अलावा, कारणों की आवश्यकता के संबंध में न्यायालय का दृष्टिकोण उस मामले के तथ्यों के संदर्भ में था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि *2006* की अधिसूचना के अनुसार, कारणों की आवश्यकता केवल आपत्तियों की अस्वीकृति के मामलों में होती है न कि सभी मामलों में। इस निवेदन को पुष्ट करने के लिए, डब्ल्यू. पी. में तर्क आगे बढ़ाया गया। *(ग)* यह दोहराया गया है कि विशेषज्ञों द्वारा लिए गए निर्णय न्यायिक/अर्ध-न्यायिक निकायों द्वारा लिए गए निर्णयों के समान नहीं हैं।

डब्ल्यू. पी. *(C)* नहीं। *853/2020*

76. 2.9.2019 पर, प्रत्यर्थी *CPWD* ने राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय डिजाइन से *NIT* संख्या *04/CPM/RPZ/NIT/2019-20* के माध्यम से बोलियां आमंत्रित कीं और

68 (32 पर ऊपर*)*

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संसद भवन, सामान्य केंद्रीय सचिवालय और सेंट्रल विस्टा के विकास/पुनर्विकास के लिए एक व्यापक वास्तुकला और इंजीनियरिंग योजना के लिए सलाहकार *(*परामर्श सेवा*)* की नियुक्ति के लिए योजना बनाने वाली फर्में। न्यूनतम पात्रता मानदंड आवश्यक हैं।

आर्किटेक्ट्स *69* ने प्रत्यर्थी को एक प्रतिनिधित्व दिया जिसमें कुछ कहा गया था निविदा दस्तावेज में पात्रता शर्तों पर आपत्तियाँ। परिषद

वास्तुकला विभाग ने *9.9.2019* पर भी इसी तरह की आपत्तियां उठाईं और एक खुली डिजाइन प्रतियोगिता का आह्वान किया। एन. आई. टी. के संबंध में स्पष्टीकरण के लिए इच्छुक पक्षों के लिए *12.9.2019* पर एक बोली-पूर्व बैठक आयोजित की गई थी। बोली-पूर्व बैठक की चर्चा के बाद, सी. पी. डब्ल्यू. डी. ने परामर्श सेवा एन. आई. टी. के लिए एक शुद्धिपत्र और परिशिष्ट जारी किया, जिसके तहत ऑनलाइन बोली लगाने की तिथि निर्धारित की गई है।

जमा करने की राशि को *23.9.2019* से *30.9.2019* तक बढ़ा दिया गया और बकाया राशि को घटाकर *Rs.25* लाख कर दिया गया। इस प्रक्रिया के बाद, पांच फर्मों ने तकनीकी बोलियों के लिए अर्हता प्राप्त की और चार फर्मों ने वित्तीय बोलियों के लिए अर्हता प्राप्त की। *25.10.2019* पर, एम. ओ. एच. यू. ए. ने घोषणा की कि मेसर्स. एचसीपी डिज़ाइन्स को सम्मानित किया गया है

पूरे सेंट्रल विस्टा क्षेत्र के विकास के लिए एन. आई. टी. परामर्श सेवाएँ। इसके बाद भूमि उपयोग में परिवर्तन के लिए डी. डी. ए. की सार्वजनिक सूचना, आपत्तियों पर सार्वजनिक सुनवाई, भूमि उपयोग में परिवर्तन की अंतिम अधिसूचना और सी. वी. सी. द्वारा प्रासंगिक समय पर अनापत्ति की मंजूरी दी गई, जैसा कि पहले ही ऊपर चर्चा की जा चुकी है।

77. दिल्ली शहरी कला आयोग *70* ने अपनी *1542* वीं बैठक में संसद की परियोजना के प्रस्ताव पर विचार किया और इसे दर्ज किया

शहरी रूप, सौंदर्यशास्त्र, प्रस्तावित पुरानी इमारत के साथ पुरानी इमारत का एकीकरण, हरित इमारत सुविधाओं को शामिल करने आदि के बारे में विभिन्न अवलोकन। इसके बाद, आईडी*1 (1544* वीं बैठक*)* पर, डीयूएसी ने परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत एक संशोधित भवन योजना प्रस्ताव पर विचार किया और पार्किंग आवश्यकताओं, सार्वजनिक कला, गगनचुंबी रोशनी और इमारत की ऊंचाई के बारे में कुछ टिप्पणियों के साथ अपनी मंजूरी दे दी।

78. याचिकाकर्ता ऊपर वर्णित परियोजना के विभिन्न चरणों को जोड़कर परियोजना को एक व्यापक चुनौती देना चाहते हैं। प्रार्थनाओं का प्रासंगिक उद्धरण इस प्रकार है:

"ए। एक घोषणा कि सेंट्रल विस्टा परियोजना, जिसमें संसद भवन भी शामिल है, लेकिन यह संसद भवन तक ही सीमित नहीं है, संविधान के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।

भारत और अवैध, अमान्य है*;*

69 संक्षेप में "आई. आई. ए". *70* संक्षेप में, "डुआक" अजीव सूरी बनाम।

दिल्ली विकास प्राधिकरण और ओआरएस। *[* ए. एम. खानविलकर, जे.*]*

बी। एक घोषणा कि संसद भवन सहित सेंट्रल विस्टा को फिर से डिजाइन करने के लिए एक परियोजना को पूरा किया जा सकता है *(i)* केवल अनुसरण में

एक वस्तुनिष्ठ और स्वतंत्र मूल्यांकन के बाद किया गया हितधारक परामर्श जो ऐसी परियोजना की आवश्यकता की पुष्टि करता है*; (ii)* व्यापक रूप से प्रचारित मुक्त डिजाइन प्रतियोगिता के माध्यम से*; (iii)* पर्याप्त समय सीमा के साथ एक पारदर्शी प्रक्रिया को अपनाकर।

जो परामर्श, डिजाइन और विकास में व्यापक भागीदारी को सक्षम बनाता है।

निष्पादन चरण*;* और *(iv)* एक प्रतिनिधि और स्वतंत्र जूरी द्वारा डिजाइन के चयन के माध्यम से*;*

सी। एक घोषणा कि संसद भवन भारत की राष्ट्रीय राजनीतिक विरासत का एक हिस्सा है*;* कि यह भारतीय लोकतंत्र का एक जीवित प्रतीक है*;* और यह कि इसे केवल एक पारदर्शी प्रक्रिया का पालन करके ही प्रतिस्थापित किया जा सकता है

व्यापक हितधारक परामर्श और वैश्विक सर्वश्रेष्ठ को शामिल करना

डिजाइन में उत्कृष्टता का चयन करने के लिए अभ्यास*;*

डी। प्रत्यर्थी सं. *1* और सं. *2* को प्रत्येक दस्तावेज़, पत्राचार और प्रत्येक दस्तावेज़ की प्रतियों को याचिकाकर्ताओं को प्रकट करने और प्रस्तुत करने के लिए आदेश देने और निर्देश देने वाला आदेश या कोई अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश।

विवादित परियोजना की अवधारणा से संबंधित और प्रतिवादी सं. एन. आई. टी. सं. *04/*सी. पी. एम./आर. पी. जेड./एन. आई. टी./*2019-20* दिनांक *02.09.2019* द्वारा जारी बोली आमंत्रित करने वाले विवादित सूचना जारी करने की तारीख तक अन्य संचार *(*इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सहित*)*।

1 , सी. पी. डब्ल्यू. डी. *(*परामर्श सेवा एन. आई. टी.*)*, जिसमें परामर्श सेवा एन. आई. टी. की तैयारी से संबंधित सभी दस्तावेज शामिल हैं,

उत्तरदाता संख्या *1* और संख्या *2* या उनके अधिकारियों के कब्जे और नियंत्रण में हैं, जिसमें कोई भी दस्तावेज, पत्राचार या कोई भी शामिल है। दूसरे के साथ आदान-प्रदान किए गए अन्य संचार

उत्तरदाता या उनके किसी भी अधिकारी; "

उपरोक्त प्रार्थनाओं के अलावा, निम्नलिखित को रद्द करने और निर्धारित करने के लिए आगे की प्रार्थनाएँ की जाती हैं:

" *(i)* केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के उत्तरदाता संख्या *1* द्वारा जारी बोली एन. आई. टी. संख्या *04*/सी. पी. एम./आर. पी. जेड./एन. आई. टी./*2019-20* दिनांक *02.09.2019* आमंत्रित करने की सूचना।

(ii) प्रत्यर्थी संख्या *9*, एच. सी. पी. डिजाइन, योजना और प्रबंधन प्रा. लि. को परामर्श बोली का पुरस्कार। लिमिटेड, दिनांक *18.10.2019;* *(iii) [2021] 15* एस. सी. आर. के निर्माण के लिए एन. आई. टी. सं. *01*/सी. ई./पी. सी. डब्ल्यू. जेड./सी. पी. डब्ल्यू. डी./*2020-21*, दिनांक जुलाई *2020* की पूर्व-योग्यता बोलियां आमंत्रित करने की सूचना।

प्लॉट संख्या *118* संसद भवन एस्टेट, नई दिल्ली में नया संसद भवन, जुलाई *2020* में प्रतिवादी संख्या *1* द्वारा जारी किया गया।

((iv) प्रत्यर्थी संख्या *3*, दिल्ली शहरी द्वारा दी गई मंजूरी।
कला आयोग ने नई संसद भवन, प्लॉट संख्या *118*, एन. ए. के प्रस्ताव के लिए अपनी *1545* वीं बैठक में

नई रायसीना रोड, नई दिल्ली ";

(v) प्रतिवादी संख्या *7*, दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा जारी डी. डी. ए. अधिनियम, *1957* की धारा *11*-ए के तहत दिल्ली के लिए मास्टर प्लान *2021*/जोन-डी के लिए क्षेत्रीय विकास योजना में प्रस्तावित परिवर्तनों के खिलाफ जनता से आपत्तियां आमंत्रित करने का नोटिस।

(vi) डी. डी. ए. द्वारा प्लॉट संख्या *118* सहित उपरोक्त भूखंड के लिए भूमि उपयोग में परिवर्तन को मंजूरी देने के लिए किया गया परिणामी निर्णय, जिसमें नया संसद भवन है।

प्रस्तावित किया गया; *(vii)* डी. डी. ए.
अधिनियम, *1957* की धारा *11*-ए के तहत अधिसूचना, जिसमें प्रस्तावित नए संसद भवन के लिए भूमि उपयोग में परिवर्तन सहित सेंट्रल विस्टा में भूमि उपयोग में परिवर्तन की अनुमति दी गई है;

(viii) प्रतिवादी संख्या *8* द्वारा लिया गया निर्णय, केंद्रीय विस्टा समिति दिनांक *23.04.2020*, जैसा कि *30.04.2020* पर प्रकाशित कार्यवृत्त में परिलक्षित होता है।

79. याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील श्री श्याम दीवान, जिनका समर्थन सुश्री वृंदा भंडारी और श्री गौतम भाटिया ने किया।

विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि यह याचिका राज्य से बहुत ही मौलिक स्तर पर पूछताछ करने का प्रयास करती है ताकि "कानून के शासन" के सिद्धांत को लागू किया जा सके जो "कानून द्वारा शासन" से अलग है। मोटे तौर पर, यह याचिकाकर्ताओं का मामला है कि उत्तरदाताओं ने विषय परियोजना की अवधारणा के चरण से ही "कानून द्वारा नियम" के सिद्धांत का पालन किया है और इसके लिए विभिन्न अनुमोदन और मंजूरी प्राप्त करने सहित ठोस उचित प्रक्रिया के विचार का पालन करने में विफल रहे हैं। जैसा कि उपरोक्त प्रार्थना से स्पष्ट है, याचिकाकर्ताओं ने इस न्यायालय से इस प्रकृति और महत्व की परियोजना में लोकतांत्रिक उचित प्रक्रिया, पारदर्शिता के मानकों, सार्वजनिक परामर्श और प्रक्रियात्मक निष्पक्षता से संबंधित उपयुक्त घोषणाएं जारी करने का आह्वान किया है।

80. पिछली याचिकाओं में आम प्रार्थनाओं के संबंध में पहले से ही आग्रह किए गए आधारों के अलावा, याचिकाकर्ताओं की प्राथमिक प्रस्तुति राजीव सूरी *v.*

दिल्ली विकास प्राधिकरण और ओआरएस। *[ए. एम. खानविलकर, जे.]*

इसमें यह कहा गया है कि संसद भवन को बदलने या उसके नवीनीकरण के किसी भी निर्णय से पहले व्यापक सार्वजनिक परामर्श किया जाना चाहिए क्योंकि यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया की एक अनिवार्य विशेषता है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि इस तरह की परियोजना को एक कानून द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए और भले ही वह नहीं बनाई गई हो, कार्यकारी सरकार हितधारकों के न्यूनतम मानकों को सुनिश्चित करने के लिए एक सीमित सरकार की रूपरेखा के तहत काम करने के लिए बाध्य है। परामर्श, पारदर्शिता, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा, पर्याप्त भागीदारी समय और डिजाइन में उत्कृष्टता। रिलायंस को मध्य प्रदेश और अन्न राज्य पर रखा गया है। वी. ठाकुर भरत सिंह "यह तर्क देते हुए कि उस समय की सरकार पर अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त संवैधानिक सीमाएँ हैं। रिट याचिका में याचिकाकर्ताओं द्वारा परिकल्पित परामर्श और समेकित उत्तर के लिए प्रत्युत्तर के तरीके में दो तत्व शामिल हैं-विशेषज्ञ एजेंसियों के साथ परामर्श और आम जनता के साथ परामर्श।

81. विशेषज्ञ परामर्श की कमी के बारे में तर्क में कहा गया है कि उत्तरदाता विरासत संरक्षण समिति *72* से परामर्श करने में विफल रहे जो विरासत संरचनाओं से जुड़े मामलों में एक विशेषज्ञ निकाय है और परियोजना की अवधारणा के चरण से ही उनसे परामर्श किया जाना चाहिए था। यह तर्क दिया जाता है कि डिजाइन को बंद करने से पहले भी, परियोजना प्रस्तावक एचसीसी से परामर्श करने के लिए बाध्य था। के लिए, क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं होगा

प्रक्रिया पूरी होने और विकास कार्य शुरू होने के बाद उससे परामर्श करें। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उत्तरदाताओं ने विश्व स्तर पर स्वीकृत अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों के अनुसार विरासत की रक्षा और संरक्षण के अपने दायित्व का उल्लंघन किया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अनुकूली पुनः उपयोग और न्यूनतम प्रभाव के सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए और पुनर्स्थापना या संशोधन के किसी भी संचालन को एक विस्तृत पुरातात्विक और ऐतिहासिक अध्ययन से पहले अनिवार्य रूप से एक विशेष ऑपरेशन के रूप में माना जाना चाहिए। यह जोड़ा गया है कि वर्तमान मामले में उचित प्रक्रिया का पालन न करना है

यह अनुच्छेद *49* का भी उल्लंघन करता है, जो एक निदेशक सिद्धांत होने के नाते देश के शासन में मौलिक है। इसी तरह, डीयूएसी और सीवीसी जैसे अन्य निकायों के साथ परामर्श न केवल अपर्याप्त था और मनमाना लेकिन विलंबित भी क्योंकि यह योजना की अवधारणा के चरण में ही किया जाना चाहिए था। यह

आग्रह किया जाता है कि निविदा दस्तावेज में सलाहकार से एचसीसी या सीवीसी जैसे विशेषज्ञ निकायों द्वारा कोई मूल्यांकन किए बिना सेंट्रल विस्टा के लिए एक नया मास्टर प्लान बनाने का आह्वान किया जाए। यह आगे तर्क दिया जाता है कि सीपीडब्ल्यूडी को एक भौतिक संचालन करना चाहिए था

धरोहर संरचनाओं का लेखापरीक्षा करना और संसद की विशेष समिति के विचार आमंत्रित करना। इस प्रस्तुति को समर्थन देने के लिए, इसे आगे लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

71 आकाशवाणी *1967* एससी *1170* *72* संक्षेप में, "एचसीसी" *[2021] 15* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रस्तुतियाँ कि *2015* के बाद, किसी भी संसदीय समिति ने मौजूदा संरचना की मरम्मत की संभावनाओं या पूरे सेंट्रल विस्टा के परिवर्तन की आवश्यकता की जांच नहीं की है।

82. याचिकाकर्ताओं ने ब्रिटेन की संसद द्वारा पारित संसद भवन *(*पुनर्स्थापना और नवीनीकरण*)* अधिनियम, *2019* की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया। यह तर्क देते हुए कि यह व्यापक कानून इस प्रकृति की परियोजनाओं को शुरू करते समय अन्य लोकतंत्रों द्वारा अपनाई गई सर्वोत्तम प्रथाओं को दर्शाता है।

ज्ञापन संख्या *1 (2)/82*-डी. यू. ए. सी. दिनांक *7.7.2005* के अनुसार जो इसे संरक्षण के कर्तव्य के साथ जोड़ता है। एक सांविधिक निकाय के रूप में, याचिकाकर्ताओं का कहना है कि आयोग को इस परियोजना के प्रभाव पर विचार करना चाहिए था विरासत का गहन अध्ययन करके और यह ऐसा न करके अपने जनादेश को पूरा करने में विफल रहा। यह आदेश दिल्ली शहरी कला आयोग अधिनियम, *1973* की धारा *11* से लिया गया है, जो आयोग को सरकार को सलाह देने और स्थानीय निकायों के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित करने का कर्तव्य देता है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि सलाह देने का यह कर्तव्य प्रक्रिया के सभी चरणों में जारी रहना चाहिए, जिसमें निविदा से पहले का चरण भी शामिल है।

84. सी. वी. सी. द्वारा दी गई अनापत्ति पर आपत्ति जताते हुए, याचिकाकर्ताओं का रुख डब्ल्यू. पी. में लिए गए रुख के समान है। *(*ग*) 638/2020* जैसा कि अब तक निर्धारित किया गया है। इसलिए, संक्षिप्तता के लिए इसे दोहराया नहीं जाता है। प्राथमिक समर्पण मन के गैर-अनुप्रयोग, की अनुपस्थिति से संबंधित है

सीवीसी के लिए परिकल्पित कारण, यांत्रिक अनुमोदन और वास्तविक कर्तव्य का त्याग। *85.* अनुभवजन्य डेटा की आवश्यकता के संबंध में पिछली याचिकाओं में दिए गए तर्कों के अलावा, याचिकाकर्ताओं ने इस पर भरोसा किया है

के. एस. पुट्टास्वामी *(*सेवानिवृत्त*)* और अन्र। *(II) v.* यूनियन ऑफ इंडिया और इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया बनाम। भारतीय रिजर्व बैंक "व्यापक सार्वजनिक हित में कार्रवाई करने से पहले उचित/अनुभवजन्य स्वतंत्र अध्ययन की आवश्यकता को दोहराने के लिए लिखित प्रस्तुतियों में। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन को संदर्भ दिया गया है

इस दृष्टिकोण का समर्थन करें कि डिग्री को समझने के लिए अनुभवजन्य डेटा आवश्यक है।

उचित अध्ययन की कमी के आधार पर नुकसान और निर्णय को आनुपातिकता की परीक्षा में विफल होना चाहिए। उचित वैज्ञानिक अध्ययन आयोजित करने की आवश्यकता

73 संक्षेप में, "द डीयूएसी एक्ट"

75 (2020) 10 एस. सी. सी. *274* *76 (75* पर ऊपर*)*

राजीव सूरी बनाम। दिल्ली विकास प्राधिकरण और ओआरएस। *[* ए. एम. खानविलकर, जे.*]*

86. प्रत्यक्ष सार्वजनिक परामर्श के संबंध में तर्क को आगे बढ़ाते हुए याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि सहभागी लोकतंत्र की अवधारणा यह मांग की जाती है कि इस तरह की परियोजना में आम जनता को शामिल किया जाना चाहिए क्योंकि वे राष्ट्रीय विरासत के वास्तविक हितधारक हैं और परियोजना की रूपरेखा तैयार करने, परामर्श निविदा जारी करने, मास्टर प्लान में संशोधन करने और परियोजना के हर चरण में उनसे परामर्श किया जाना चाहिए।

डिजाइन को अंतिम रूप देना और उसमें बदलाव करना। हनुमान लक्ष्मण अरोस्कर और यू. बी. बी. एल. के अनुलग्नक *II* के खंड *1.3* पर यह तर्क देने के लिए भरोसा रखा गया है कि कानून के अधिदेश में किसी भी अनुमति देने से पहले जनता से सुझाव आमंत्रित करने और विशेषज्ञ निकायों द्वारा उस पर विचार करने की आवश्यकता है। इस निवेदन को पुष्ट करने के लिए, श्री दीवान ने तर्क दिया है कि भारतीय लोकतंत्र की प्रकृति जनता की परिकल्पना करती है

निर्णय लेने के सबसे बुनियादी स्तर पर भागीदारी। सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया और अन्य पर निर्भरता स्थापित करना। वी.

हितधारक परामर्श, हितधारकों से प्रस्तुतियाँ आमंत्रित करना, कारणों के साथ समर्थित सभी निर्णयों का पूर्ण प्रलेखन। के. एस. पुट्टास्वामी और अन्र पर और अधिक निर्भरता रखी गई है। *(I) v.* भारत संघ और अन्य "। यह तर्क देने के लिए कि गोपनीयता के समान, लोकतंत्र भी एक यात्रा है सही जो परियोजना के सभी सिद्धांतों और सभी चरणों में यात्रा करता है।

87. याचिकाकर्ताओं की लिखित दलीलों में कहा गया है कि जनता का अधिकार

राज्य की परिणामी कार्रवाई के लिए भागीदारी और परामर्श एक पूर्व-आवश्यकता है और यह संविधान के *19 (1) (ए)* से आता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह आवश्यकता तर्कसंगतता से पैदा होती है और राज्य के अधीन है

अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सकारात्मक उपाय करना संवैधानिक कर्तव्य है। यह आग्रह किया जाता है कि किसी मामले में भागीदारी की कितनी सीमा उचित हो सकती है, यह मामला-दर-मामला आधार पर कुछ मापदंडों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जा सकता है, जिसमें-दायरा और सार्वजनिक शामिल हैं। राज्य की कार्रवाई का महत्व, इसमें शामिल तात्कालिकता, जनता के साथ जुड़ने के लिए मंचों की उपलब्धता, सार्वजनिक भागीदारी की प्रभावशीलता आदि।

88. याचिकाकर्ताओं ने लिखित प्रस्तुतियों में तुलनात्मक रूप से ताकत प्राप्त करके व्यापक सार्वजनिक भागीदारी के विचार का समर्थन किया है।

77 (32 पर ऊपर*)*

78 (2016) 7 एस. सी. सी. *703* *79 (2017) 10* एससीसी *1 [2021] 15* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

विषय पर संवैधानिक स्थिति-अन्य क्षेत्राधिकारों में मामला। रिलायंस को डॉक्टर्स फॉर लाइफ इंटरनेशनल बनाम पर रखा गया है। के अध्यक्ष

नेशनल असेंबली *& Ors.80*, दक्षिण अफ्रीका के संवैधानिक न्यायालय द्वारा वितरित, जिसमें जनता के लिए एक स्पष्ट प्रावधान प्रदान किया गया है परामर्श को लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक व्यावहारिक और प्रतीकात्मक हिस्सा माना जाता था। इस तरह के अधिकार की प्रकृति और दायरे का वर्णन करते हुए, याचिकाकर्ता निर्णय के पैरा *98* से टिप्पणियों को अपनाते हैं जिसमें निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से अप्रत्यक्ष भागीदारी और

जनता द्वारा भागीदारी दोनों को आवश्यक सिद्धांतों के रूप में मान्यता दी जाती है

लोकतंत्र। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ताओं का यह भी कहना है कि डॉक्टर्स फॉर लाइफ इंटरनेशनल *3 1* में, राजनीतिक भागीदारी के अधिकार को व्यक्त प्रावधान से परे भी मान्यता दी गई है।

क्षेत्रीय मानवाधिकार उपकरण।

89. श्री दीवान, सार्वजनिक भागीदारी पर प्रस्तुतिकरण को आगे बढ़ाने के लिए, कियाम्बू काउंटी सरकार और अन्य में अपील न्यायालय, केन्या के निर्णय पर और अधिक भरोसा रखते हैं। वी. रॉबर्ट एन. गाकुरु

& Ors.82 जिसमें सार्वजनिक भागीदारी की परिकल्पना मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों रूप से की गई थी। प्रतिभागिता की अवधारणा का प्रतिपादन करते हुए लोकतंत्र, कियांबू काउंटी *8 3* में अदालत ने आगे कहा कि लोकतंत्र सहभागी लोकतंत्र नहीं है।

90. याचिकाकर्ता, उत्तरदाताओं द्वारा दायर तीसरे समेकित उत्तर के प्रत्युत्तर में, प्रस्तुत करते हैं कि सार्वजनिक भागीदारी पर आधारित है लोकतांत्रिक उचित प्रक्रिया का सिद्धांत जिसके लिए कम से कम छह बुनियादी मापदंडों को पूरा करने की आवश्यकता होती है:

((i)

व्यापक बहस और चर्चा के आधार पर निर्णय;

विशिष्ट दायित्वों को निर्धारित करने वाला मजबूत वैधानिक ढांचा

((ख)

प्रक्रिया में शामिल विभिन्न निकायों के;

(iii)

संसद के माध्यम से बजटीय नियंत्रण;

((iv) जनता के साथ निरंतर आदान-प्रदान के लिए सार्वजनिक पोर्टल और

हितधारक;

(v) विरासत में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं;

(€ vi) प्रकटीकरण और पारदर्शिता।

80 2006 (12) BCLR 1399 *81 (80* पर ऊपर*) 2014* की सिविल अपील संख्या *200* का निर्णय *30.6.2017 (*अपील न्यायालय, केन्या*) 83 (82* पर ऊपर*)*

राजीव सूरी बनाम। दिल्ली विकास प्राधिकरण और ओआरएस। *[* ए. एम. खानविलकर, जे.*]*

91. निष्कर्ष के लिए, याचिकाकर्ताओं ने सिद्धांतों का एक सेट प्रस्तुत किया है

जिसे ऐसी किसी भी प्रक्रिया में "परामर्श" की आवश्यक विशेषताओं के रूप में कहा जा सकता है और हम विचार की स्पष्टता और मामले के बेहतर विचार के लिए इसे इस प्रकार दोहराते हैं:

" (क) इसमें दो समूह शामिल होते हैं -

प्रस्तावक, जिन पर परामर्श करने का कर्तव्य रहा है

(1)

इस मामले में कास्ट, राज्य, के माध्यम से कार्य

उत्तरदाता; और

हितधारक, जिसके पास परामर्श लेने का दावा है और

(2)

जिनके इनपुट की मांग की जाती है-इस मामले में, भारत के पूरे नागरिक, गैर-विशेष रूप से रिट के माध्यम से प्रतिनिधित्व करते हैं।

याचिकाकर्ता।

(ख) प्रस्तावक के बीच 'विचारों की बैठक' होनी चाहिए।

और हितधारक;

कि प्रत्येक पक्ष का पूर्ण और सार्थक संचार है
प्रस्ताव और प्रति-प्रस्ताव, और दल अपना

दूसरों के लिए ज्ञात दृष्टिकोण और 'चर्चा और

उनके विचारों के सापेक्ष गुणों की जांच करें; और

(ई) जबकि आम सहमति आवश्यक नहीं है, न्यूनतम वरीयता

सभी संबंधित लोगों के लिए एक 'संतोषजनक समाधान' होना चाहिए। यह है।

प्रस्तुत किया कि सेंट्रल विस्टा परियोजना इन्हें पूरा करने में विफल रही है

आवश्यकताएँ "।

92. याचिकाकर्ताओं ने लिखित प्रस्तुतियों में एक आधार अपनाया है

कार्यवाही ने नागरिकों के जानने के अधिकार को खतरे में डाल दिया है, जिसे न्यायमूर्ति के. एस. पुट्टास्वामी *(1)* और यू. पी. बनाम राज्य के अनुसार संविधान के अनुच्छेद *19 (1) (ए)* के तहत मौलिक माना जाता है। राज नारायण *& Ors.85* के रूप में *84 (* ऊपर *79* पर*)*

85 (1975) 4 एससीसी *428 [2021] 15* एस. सी. आर.

साथ ही संविधान की व्यापक भावना के तहत। रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड पर और अधिक निर्भरता रखी गई है। के स्वामी

इंडियन एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स, बॉम्बे प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड और ओआरएस। *86* यह तर्क देना कि जानने का अधिकार भी अनुच्छेद *21* से पता लगाया जा सकता है। यह आग्रह किया जाता है कि संरचनाओं के संबंध में कोई भी संशोधन/परिवर्तन/नवीनीकरण जैसे

देश की जीवित विरासत को प्रतिबिंबित करने वाली संसद को इस तरह से चलाया जाना चाहिए जिसमें आम जनता की आवाज को मान्यता दी जाए। इस निवेदन को पुष्ट करने के लिए, यह तर्क दिया जाता है कि जब तक जनता को इसके बारे में जागरूक नहीं किया जाता है सरकारी कार्रवाई, यह इस तरह के कार्यों पर सवाल उठाने और निर्णय लेने की प्रक्रिया में लोकतांत्रिक रूप से भाग लेने की स्थिति में नहीं होगा।

93. प्रत्यर्थी संख्या *9 (*सलाहकार*)* के संबंध में भी, याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह राज्य का एक प्रतिनिधि है और जनता सहित राज्य के समान प्रथाओं और प्रक्रियाओं को अपनाने के लिए कर्तव्यबद्ध है।

डिजाइन, वास्तुकला, विरासत प्रभाव आदि के संबंध में परामर्श।

94. परामर्श सेवा एन. आई. टी. पर हमला करने के लिए, याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि यह निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा के सिद्धांतों को कमजोर करता है और अंतर्राष्ट्रीय फर्मों को आवेदन करने से रोकता है। यह तथ्य कि छह बोलीदाताओं ने निविदा के लिए आवेदन किया था, प्रक्रिया की अनुचितता को दर्शाता है। यह आग्रह किया जाता है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एक खुली डिजाइन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना चाहिए क्योंकि यह दुनिया भर में एक मानक अभ्यास है। वैश्विक मानकों के अनुसार, याचिकाकर्ताओं ने प्रस्तुत किया है कि इस तरह की प्रतियोगिताओं में तीन बुनियादी मानदंड शामिल हैं-एक दो-भाग वाली खुली प्रतियोगिता,

जूरी द्वारा आंकी जाने वाली प्रतियोगिता *(*नागरिक भागीदारी के साथ*)*, व्यापक भागीदारी को प्रोत्साहित करना। विभिन्न घरेलू उदाहरणों का भी हवाला दिया गया-जिसमें राष्ट्रीय युद्ध स्मारक और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र शामिल हैं-यह प्रदर्शित करने के लिए कि एक खुली डिजाइन प्रतियोगिता कैसे मानक है।

96. याचिकाकर्ताओं ने आगे कहा है कि निविदा दस्तावेज में परियोजना की कोई अनुमानित लागत प्रदान नहीं की गई थी जो न केवल मनमाना है बल्कि सामान्य वित्त नियम, *2017* के नियम *182* का भी उल्लंघन है। *86 (1988) 4* एस. सी. सी. *592* राजीव सूरी बनाम।

दिल्ली विकास प्राधिकरण और ओआरएस। *[* ए. एम. खानविलकर, जे.*]*

उचित व्यय के अनुमान के लिए परिकल्पना की गई है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि परामर्श एन. आई. टी. ने एक गुणवत्ता और लागत आधारित चयन *(*क्यू. सी. बी. एस.*)* प्रणाली को नियोजित करने की मांग की, जबकि एक ही समय में, लागत प्रतिशत के आधार पर बोलियों को आमंत्रित किया, जिसने प्रभावी रूप से निष्पक्ष और गैर-भेदभावपूर्ण तरीके से विभिन्न बोलियों को रैंक करना असंभव बना दिया। प्रतिशत संबंधी प्रावधान आधारित शुल्क पर भी खंड *3.4* के विपरीत होने का आरोप लगाया गया है। *2* परामर्श और सेवाओं की खरीद नियमावली *(*वित्त मंत्रालय*)* जो प्रतिशत आधारित शुल्क को हतोत्साहित करती है क्योंकि इसमें आर्थिक विकास के लिए प्रोत्साहन का अभाव है।

डिजाइन।

97. पिछली याचिकाओं में अपनाए गए सार्वजनिक विश्वास के आधार को आगे बढ़ाते हुए, इस याचिका में भी, श्री दीवान ने दृढ़ता से तर्क दिया है कि उत्तरदाताओं ने इस परियोजना को आगे बढ़ाते समय सार्वजनिक विश्वास के सिद्धांत से समझौता किया है। एम. सी. मेहता बनाम पर निर्भरता। कमल नाथ *& Ors.*[3]*7*, यह प्रस्तुत किया जाता है कि एक अस्थायी सरकार जनता के लिए संसाधनों को विश्वास में रखती है और उनका उपयोग केवल जनता के लिए किया जा सकता है।

जनता का लाभ। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि अमेरिकी कानून के तहत *(*इलिनोइस सेंट्रल रेलरोड कंपनी। इलिनोइस राज्य के लोग*)* के साथ-साथ, सार्वजनिक विश्वास सिद्धांत उन संपत्तियों तक फैला हुआ है जो "विशेष परिणाम" की हैं और उसी तर्क का विस्तार करते हुए, यह आग्रह किया जाता है कि सेंट्रल विस्टा राष्ट्र के लिए विशेष परिणाम का है, जिससे उचित प्रक्रिया की उच्च सीमा का आह्वान किया जाता है। सार्वजनिक विश्वास के दमन के तर्क को आगे बढ़ाने के लिए, यह आग्रह किया जाता है कि बोली दस्तावेज से पता चलता है कि एक नए संसद भवन के निर्माण या मौजूदा भवन के नवीनीकरण का निर्णय निजी सलाहकार द्वारा लिया गया था और एक निजी सलाहकार को इस तरह का मौलिक निर्णय सौंपना सार्वजनिक विश्वास के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है।

98. ऊपर उल्लिखित मामलों के अलावा, याचिकाकर्ताओं ने एल. आर. वी. द्वारा आई. आर. कोएल्हो *(*मृत*)* पर निर्भरता रखी है। टी. एन. राज्य, सरकार *(*एन. सी. टी. दिल्ली*)* बनाम। भारत संघ और ए. एन. आर. ", लोक प्रहरी अपने महासचिव के माध्यम से *v.* उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य "। *1*, राजीव मनकोटिया बनाम। भारत के राष्ट्रपति के सचिव और अन्य "। *92 22*, सुशांत टैगोर और अन्य। वी. भारत संघ और अन्य "। , के. गुरुप्रसाद राव बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य "। , मनोहर जोशी बनाम। महाराष्ट्र राज्य

87 (1997) 1 एस. सी. सी. *388 88 [146* यू. एस. *387: 36* एल एड *1018 (1892)] 89 (2007) 2* एस. सी. सी. *1 (*पैरा *48,109,139-141* और *151) 90 (2018) 8* एस. सी. सी. *501 (*पैरा *53* से *57)*

91 (2018) 6 एस. सी. सी. *1 (*पैरा *2,6,13,18* और *19) 9 2 92 (1997) 10* एस. सी. सी. *441 (*पैरा *4,6,13,18* और *19) 93 (2005) 3* एस. सी. सी. *16 (*पैरा *21* और *32)* *94 (2013) 8* एस. सी. सी. *418 (*पैरा *15,71,94,95* और *102)*

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

& ओआरएस "। , जनहित फाउंडेशन और अन्य। वी. भारत संघ और ए. एन. आर. ", ब्रजेंद्र सिंह याम्बेम बनाम। भारत संघ और ए. एन. आर. ", हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड और ए. एन. आर. वी. भारत संघ और अन्य "। , पंजाब और अन्न राज्य। वी. खान चंद ", शायरा बानो बनाम। भारत संघ और *Ors.[1]00,* प्राकृतिक संसाधन आवंटन, पुनः, *2012* का विशेष संदर्भ संख्या *1 1 0 1,* मनोज नरूला बनाम। भारत संघ *1 02,* ग्लोबल एनर्जी लिमिटेड और ए. एन. आर. वी. केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग *03,* सकल पेपर्स *(*पी*)* लिमिटेड और अन्य। वी. भारत संघ *1 04,* बेनेट कोलमैन एंड कंपनी एंड ओआरएस। वी. भारत संघ और

ओआरएस। *05,* भारत संघ और अन्य। वी. मोशन पिक्चर एसोसिएशन एंड ओआरएस। भारतीय जीवन बीमा निगम बनाम। प्रो. मनुभाई डी. शाह, सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार। भारत और ओआरएस। वी. क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल एंड ओआरएस। *108 ,*

चंद्रमौलेश्वर प्रसाद बनाम। पटना उच्च न्यायालय और अन्य। *09,* उड़ीसा माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम। पर्यावरण और वन मंत्रालय और *Ors.[11]0 110,* लोकतांत्रिक गठबंधन और अन्न। वी. मसोंडो नंबर और *Anr.[11]* मैटाटियल नगर पालिका और अन्य। वी. दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के अध्यक्ष *& Ors.[11]2 112,* दक्षिण अफ्रीकी पशु चिकित्सा संघ *v.* राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष और अन्य। *113 ,* केन्या का लॉ सोसाइटी केस बनाम। महान्यायवादी और अन्य "। *114 1 4,* भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण *v.* नरेंद्र आनंद और अन्य। *115 " 1 5,* नगर निगम, मेरठ बनाम। अल फहीम

95 (2012) 3 एससीसी *619*

9 6 96 (2019) 3 एस. सी. सी. *224 (*पैरा *99)* *97 (2016) 9* एस. सी. सी. *20 (*पैरा *38)*

98 2019 एससीसी ऑनलाइन एससी *1520 (*पैरा *17)*

99 (1974) 1 एस. सी. सी. *549 (*पैरा *12)*

100 (2017) 9 एस. सी. सी. *1 (*पैरा *85)*

101 (2012) 10 एस. सी. सी. *1 (*पैरा *149* और *184)*

102 (2014) 9 एस. सी. सी. *1 (*पैरा *82)*

103 (2009) 15 एस. सी. सी. *570*

104 ए. आई. आर *1962* एस. सी. *305*

106 (1999) 6 एससीसी *150* *107 (1992) 3* एस. सी. सी. *637*

108 (1995) 2 एससीसी *161*

109 (1969) 3 एस. सी. सी. *56 (*पैरा *7)*

110 (2013) 6 एस. सी. सी. *476 (*पैरा *50,51,66* और *70)* *1 1 1 2003 (2)* बी. सी. एल. आर. *128 (*सी. सी.*) (*दक्षिण अफ्रीकी संवैधानिक न्यायालय*) 112 2007 (1)* बी. सी. एल. आर. *47 (*सी. सी.*) (*दक्षिण अफ्रीकी संवैधानिक न्यायालय*) 113 2019 (2)* बी. सी. एल. आर. *273 (*सी. सी.*) (*दक्षिण अफ्रीकी संवैधानिक न्यायालय*) 114* सिविल अपील संख्या *96 2014* का निर्णय *27.9.2019 (*अपील न्यायालय, केन्या*) 115 (2012) 2* एस. सी. सी. *562 (*पैरा *7)*

राजीव सूरी बनाम। दिल्ली विकास प्राधिकरण और ओआरएस। *[* ए. एम. खानविलकर, जे.*]*

मांस निर्यात प्रा. लि. लिमिटेड *& Ors.*[11]*6 116,* दत्ता एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड वी. इंडो मर्चेंटाइल्स प्रा. लिमिटेड और ओआरएस "। *17 ,* मेरठ विकास प्राधिकरण बनाम। एसोसिएशन ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज *& Anr.*[11]*8 118,* मनोहर लाल शर्मा बनाम। प्रधान सचिव और अन्य "। *1 9 119,* राधा कृष्ण अग्रवाल और अन्य। वी.

बिहार राज्य और *Ors.*[1]*20,* उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद और अन्य। वी. ओम प्रकाश शर्मा *1 2 1,* अखिल भारतीय उपभोक्ता कांग्रेस बनाम। मध्य प्रदेश राज्य और *Ors.*[1]*22,* हरमिंदर सिंह अरोड़ा बनाम। भारत संघ और *Ors.*[1]*23,* जगदीश मंडल बनाम। उड़ीसा राज्य *& Ors.*[1]*24* और रमण दयराम शेट्टी बनाम। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा

भारतीय प्राधिकरण *& Ors.*[1]*25*।

99. प्रतिवादियों ने लोकतंत्र की अवधारणा पर याचिकाकर्ताओं की दलीलों का जवाब देने के लिए विस्तृत लिखित प्रस्तुतियाँ दायर की हैं, क्योंकि यह भारत में मौजूद है और संविधान के तहत परिकल्पित लोकतांत्रिक उचित प्रक्रिया है। यह तर्क दिया जाता है कि इसमें सार्वजनिक भागीदारी का तरीका

भारत प्रतिनिधि मोड के माध्यम से है, क्योंकि हमने शासन के प्रतिनिधि मॉडल को अपनाया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। इस तर्क को पुष्ट करने के लिए, लिखित प्रस्तुतियों में कहा गया है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक आवश्यक तत्व यह है कि सीधे निर्वाचित व्यक्ति लोगों की सच्ची इच्छा का प्रतिनिधित्व करते हैं और उन्हें ऐसे निर्णय लेने चाहिए जो लोगों को प्रभावित करते हैं। *100.* प्रत्यर्थियों ने तर्क दिया है कि भारत में परिकल्पित कानून के शासन के सिद्धांत के लिए मौजूदा वैधानिक और संवैधानिक सिद्धांतों के उचित पालन की आवश्यकता है। इस प्रक्रिया में काल्पनिक चरणों को शामिल करना।

लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा निर्णय लेने का होगा

कानून के शासन के विरोधी। लिखित प्रस्तुतियों में यह आग्रह किया गया है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित सहभागी प्रक्रिया की प्रकृति जनमत संग्रह के समान है। हमारे संविधान में ऐसी प्रक्रिया की परिकल्पना नहीं की गई है।

101. लोकसभा सचिवालय के भीतर पर्याप्त परामर्श प्रदर्शित करने के लिए, उत्तरदाताओं ने जनरल पर एक छोटा सा हलफनामा दिया है।

116 (2006) 13 एस. सी. सी. *382 (*पैरा *16) 117 (1997) 1* एस. सी. सी. *53 (*पैरा *3* और *4) 118 (2009) 6* एस. सी. सी. *171 (*पैरा *28* और *37* से *39) 1,19 (2014) 9* एस. सी. सी. *516*

120 (1977) 3 एस. सी. सी. *457 (*पैरा *9* और *10) 121 (2013) 5* एस. सी. सी. *182 (*पैरा *29)*

124 (2007) 14 एस. सी. सी. *517 125 (1979) 3* एससीसी *489 [2021] 15* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उद्देश्य समिति *1 26* जिसमें कहा गया है कि जी. पी. सी. का विचार, जो मूल रूप से पहली बार *26.11.1954* पर गठित किया गया था, पीठासीन अधिकारी/अध्यक्ष को सदन के मामलों से संबंधित मामलों पर विचार करते समय दल की लाइनों की परवाह किए बिना सदन के सभी सदस्यों को विश्वास में लेने में सक्षम बनाना था। विद्वान सॉलिसिटर जनरल ने आगे प्रस्तुत किया है कि इस परियोजना की आवश्यकता को लोकसभा के तत्कालीन अध्यक्ष द्वारा दिनांकित *9.12.2015* पत्र के माध्यम से लिखित रूप में व्यक्त किया गया था। *2019* में, वर्तमान अध्यक्ष द्वारा प्रधानमंत्री को एक और पत्र लिखा गया था। इसके अलावा, संबंधित अधिकारियों द्वारा अलग-अलग प्रस्तुतियाँ दी गईं।

लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति के समक्ष विभाग

अर्थात, परियोजना के बारे में उन्हें अवगत कराने के लिए भारत के उपराष्ट्रपति। हलफनामे में यह प्रस्तुत किया गया है कि *17* वीं लोकसभा के लिए जी. पी. सी. का गठन आई. डी. *1* पर किया गया था और उक्त समिति की वर्तमान संरचना में निम्नलिखित राष्ट्रीय राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व है; जिनके सदस्य संसद में निर्वाचित प्रतिनिधि थे:

भारतीय जनता पार्टी *(*भाजपा*)*

- द्रविड़ मुनेत्र कड़गम *(*डीएमके*)*
- अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस *(*एआईटीसी*)*
- भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस *(*आई. एन. सी.*)*
- शिवसेना *(*एसएस*)*

बीजू जनता दल *(*बीजेडी*)*
बहुजन समाज पार्टी *(*बीएसपी*)*

- लोक जन शक्ति पार्टी *(*एलजेएसपी*)*

क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी *(*आर. एस. पी.*)*

- तेलंगाना राष्ट्र समिति *(टीआरएस)*
- युवाजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी *(*वाईएसआर कांग्रेस पार्टी*)*
- जनता दल *(*यूनाइटेड*) (*जद यू*)*
- राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी *(*एनसीपी*)*
- समाजवादी पार्टी *(*सपा*)*

102. यह प्रस्तुत किया जाता है कि *19.3.2020* पर जी. पी. सी. के समक्ष एक विस्तृत प्रस्तुति दी गई थी। इस बैठक में संसद सदस्यों ने भाग लिया *1 26* संक्षेप में, "जी. पी. सी".

राजीव सूरी बनाम। दिल्ली विकास प्राधिकरण और ओआरएस। *[* ए. एम. खानविलकर, जे.*]*

प्रमुख राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि होने के नाते लोकसभा में उपस्थिति, एक विशेष आमंत्रित, छह सचिवालय सदस्य, सचिव और एम. ओ. एच. यू. ए. के संयुक्त सचिव, डॉ. बिमल पटेल, निदेशक, एच. सी. पी. डिजाइन, और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष *(*जी. पी. सी. के अध्यक्ष*)* ने की। प्रस्तुतिकरण के दौरान उपरोक्त व्यक्ति उपस्थित थे।

नई संसद भवन परियोजना के बारे में। इसके अलावा, बजटीय विचारों को संबंधित समिति के समक्ष रखा गया था। पार्टी लाइनों से परे सदस्यों की संख्या और कोई आपत्ति रिकॉर्ड पर नहीं रखी जाती है। इसलिए यह आरोप लगाना गलत होगा कि परियोजना के संबंध में संसद को अंधेरे में रखा गया था।

105. जहां तक डी. यू. ए. सी. द्वारा अनुमोदन का संबंध है, प्रतिवादियों ने समेकित उत्तर में प्रस्तुत किया है कि दिल्ली में प्रत्येक स्थानीय निकाय को डी. यू. ए. सी. द्वारा अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता है, जो एक वैधानिक निकाय है जो सरकार को प्रस्तुत किए गए मामलों पर सलाह और मार्गदर्शन करने के लिए है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि डीयूएसी अधिनियम की धारा *11* के अनुसार, भवन निर्माण की किसी भी परियोजना के संबंध में डीयूएसी द्वारा जांच के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना चाहिए। संचालन या इंजीनियरिंग संचालन या कोई विकास प्रस्ताव। यह कहा गया है कि परियोजना के विभिन्न घटकों के लिए विभिन्न चरणों पर विचार करते हुए, संसद की परियोजना के संबंध में डी. यू. ए. सी. की मंजूरी प्राप्त कर ली गई है, जबकि शेष सेंट्रल विस्टा परिसरों के लिए मंजूरी भविष्य में प्रस्तावित विकास गतिविधि के रूप में ली जाएगी। जहां तक मन के अनुप्रयोग का संबंध है, यह कहा गया है कि प्रस्ताव पहले *[2021] 15* एस. सी. आर. था।

समिति ने अपनी *1542* वीं बैठक दिनांक *1* में विचार किया जिसमें वाहन पार्किंग योजना और परिदृश्य योजना के संबंध में अपर्याप्त जानकारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। इसके बाद, समिति की *1545* वीं बैठक में एक संशोधित प्रस्ताव रखा गया, जिसमें इसे मंजूरी दी गई थी। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि समिति के कार्यवृत्त से पता चलता है कि विरासत, पार्किंग, परिदृश्य आदि से संबंधित सभी अभ्यावेदन समिति के समक्ष रखे गए थे और अनुमोदन देते समय उसके द्वारा विधिवत विचार किया गया था। इस निवेदन को पुष्ट करने के लिए, यह आग्रह किया जाता है कि समिति द्वारा *1547* वीं बैठक में *10.7.2020* पर कार्यवृत्त की पुष्टि की गई थी और इस तरह के अनुसमर्थन के समय किसी भी सदस्य द्वारा कोई संशोधन का सुझाव नहीं दिया गया था। *106.* जहाँ तक विरासत संरचनाओं के संरक्षण और एच. सी. सी. की अनुमति का संबंध है, ऊपर पहले से ही आग्रह किए गए आधारों के अलावा, उत्तरदाताओं का कहना है कि पूरी परियोजना में कोई विरासत संरचना प्रभावित नहीं हो रही है। लिखित प्रस्तुतियों में, यह कहा गया है कि विरासत संरक्षण उनके जीवन को बढ़ाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करके विरासत संरचनाओं में सुधार करने से नहीं रोकता है। इस तर्क की उत्पत्ति को लिखित प्रस्तुतियों के पैरा *150* के निम्नलिखित उद्धरण को पुनः प्रस्तुत करके समझा जा सकता है:

" 150. ..... वर्तमान परियोजना अतीत से एक क्रांतिकारी विराम का प्रतिनिधित्व नहीं करती है ताकि भविष्य पर भरोसा किया जा सके, बल्कि देश की नाजुक विरासत और ऐतिहासिक मूल्य के संरक्षण के लिए एक विवेकपूर्ण नीतिगत प्रयास शामिल है।

विकास और विकास के लिए जगह देते हुए क्षेत्र

आने वाली पीढ़ियाँ। … .....

107. यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि प्रासंगिक कानूनों के अनुसार, केवल मौजूदा संसद भवन के पुनर्निर्माण के लिए अनुमति की आवश्यकता होगी

और मौजूदा भूखंड को प्रभावित किए बिना, पड़ोसी स्वतंत्र भूखंड में नए भवन के निर्माण के लिए ऐसी किसी पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है।

केवल सूचीबद्ध इमारतों के लिए और यहां तक कि ऐसी इमारतों के लिए भी, योजना चरण में एचसीसी से ऐसी मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। ऐसी सभी मंजूरियों की आवश्यकता होती है। केवल विकास के स्तर पर। इस निवेदन को पुष्ट करने के लिए, यह आग्रह किया जाता है कि एच. सी. सी. का अधिदेश केवल इमारतों तक ही सीमित है और यह ऐसी इमारतों से सटे क्षेत्रों से संबंधित नहीं है। जहां तक क्षेत्र का संबंध है, डी. यू. ए. सी. को इस तरह के परिवर्तनों पर विचार करने और अनुमोदन देने का अधिकार है और तदनुसार, उसने पहले ही अपनी मंजूरी दे दी है।

राजीव सूरी बनाम। दिल्ली विकास प्राधिकरण और ओआरएस। *[ए. एम. खानविलकर, जे.]*

आग्रह किया कि सरकारी कार्य के पूर्व अनुभव की आवश्यकता यह सुनिश्चित करने के लिए सचेत रूप से प्रदान किया गया था कि फर्म सरकार के प्रशासनिक ढांचे में काम करने में सक्षम है। उत्तरदाताओं के पास है

110. इस मामले में बढ़ी हुई न्यायिक समीक्षा के विवाद को संबोधित करते हुए, प्रतिवादी, टी. सी. में पहले से ही आग्रह किए गए आधारों के अलावा। *(ग) 229/2020* ने प्रस्तुत किया है कि विषय परियोजना में नीतिगत निर्णयों का एक समूह शामिल है, अर्थात्-नई संसद का निर्माण, प्रस्तावित संरचना, सामान्य केंद्रीय सचिवालय, उन्हें पारस्परिक रूप से स्वतंत्र परियोजनाओं के रूप में मानते हुए और बिना किसी बाधा के इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए

विरासत पर। यह आग्रह किया जाता है कि न्यायिक समीक्षा का दायरा वैधानिक और संवैधानिक सिद्धांतों के उल्लंघन की जांच तक सीमित होना चाहिए और सैद्धांतिक और शैक्षणिक प्रश्नों पर विचार करने या नीतिगत निर्णयों को रद्द करने के लिए लागू करने की आवश्यकता नहीं है अन्यथा अनुपालन में संविधान के वैधानिक प्रावधान और अधिदेश। प्रत्यर्थियों ने अपनी लिखित दलीलों में न्यायमूर्ति के. एस. पुट्टास्वामी *(द्वितीय) 27* पर यह तर्क देने के लिए भरोसा व्यक्त किया है कि "कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया" अभिव्यक्ति एक निष्पक्ष और उचित प्रक्रिया को दर्शाती है और इसे उचित प्रक्रिया खंड के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है, जैसा कि अमेरिकी संवैधानिक योजना में समझा और लागू किया गया है। रिलायंस को सुनील बत्रा बनाम पर रखा गया है। दिल्ली प्रशासन *1 28* और राजबाला और अन्य। वी. हरियाणा राज्य और *Ors.[1]29* ने तर्क दिया कि इस न्यायालय ने संविधान के तहत ठोस उचित प्रक्रिया के अस्तित्व को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। को।

127 (74 पर ऊपर*)* *128 (1978) 4* एससीसी *494*

129 (2016) 1 एससीसी *463 [2021] 15* एस. सी. आर.

इस निवेदन के समर्थन में, यह प्रस्तुत किया जाता है कि भारत में न्यायिक समीक्षा, अनुच्छेद *13* के संदर्भ में, संविधान के भाग *III* के किसी भी प्रावधान के वास्तविक उल्लंघन के संदर्भ में समझी जानी चाहिए।

111. विद्वान सॉलिसिटर जनरल ने प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ताओं का पूरा मामला केवल एक विकल्प प्रस्तुत करता है और दोनों के बीच चयन करने के लिए है। उपलब्ध विकल्प न्यायिक समीक्षा के दायरे में नहीं हैं। यह आग्रह किया जाता है कि जब अदालत में तुच्छ और अमूर्त पर अपील की जाती है

जो आधार किसी भी सटीक परिभाषा में असमर्थ हैं, न्यायालय को सतर्क रहना चाहिए और संविधान की भाषा के अनुरूप व्याख्या करनी चाहिए। रिलायंस को केशवन माधव मेनन बनाम पर रखा गया है। इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाने के लिए बॉम्बे राज्य। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि यदि प्रक्रिया का पर्याप्त रूप से और व्यापक अर्थों में पालन किया गया है और दिमाग के अनुप्रयोग को विधिवत प्रकट किया गया है, तो लाफार्ज उमियम माइनिंग में व्याख्या के आधार पर कोई मिनट की जांच नहीं की जाती है।

112. सार्वजनिक विश्वास से संबंधित विवाद को संबोधित करते हुए,

उत्तरदाताओं का स्पष्ट रूप से कहना है कि वे मुख्य रूप से इस धारणा से सहमत हैं कि सरकार को सार्वजनिक विश्वास के अनुसार कार्य करना चाहिए। हालाँकि, यह सिद्धांत सरकार को जनहित की उन्नति के लिए सार्वजनिक विश्वास में रखे गए संसाधनों का उपयोग करने से नहीं रोकता है।

113. इस तर्क के जवाब में कि उत्तरदाताओं ने सलाहकार को नए निर्माण/नवीनीकरण का निर्णय सौंपकर सार्वजनिक विश्वास के साथ समझौता किया, यह प्रस्तुत किया जाता है कि एक मास्टर प्लान बनाने या यह तय करने का कार्य कि क्या एक नए भवन की आवश्यकता है या नहीं, कभी भी सलाहकार को नहीं सौंपा गया था और यह सभी संबंधित संस्थाओं के साथ परामर्श के बाद सरकार द्वारा लिया गया एक सचेत निर्णय था। परामर्श एन. आई. टी. ने केवल संभावित बोलीदाताओं से एक दृष्टि दस्तावेज तैयार करने का आह्वान किया जिसका उपयोग परियोजना के संबंध में बोलीदाताओं के दृष्टिकोण को समझने के लिए किया जा सकता है।

और उस आधार पर उनके आवेदनों की जांच करें और इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि सरकार ने अपने कर्तव्य का त्याग किया है। सलाहकार केवल यह सलाह देने के लिए था कि क्या नवीनीकरण पर्याप्त होगा या एक नई संरचना आसन्न होगी और परियोजना के सभी पहलुओं के बारे में अंतिम निर्णय सरकार के पास है।

114. अपनी स्थिति का समर्थन करने के लिए, उत्तरदाताओं ने नर्मदा बचाओ आंदोलन बनाम पर भरोसा रखा है। भारत संघ *& Ors.132,* शिमनीत

131 (58 पर ऊपर*)* *132 (2000) 10* एस. सी. सी. *664 (*पैरा *226* से *235)*

राजीव सूरी बनाम। दिल्ली विकास प्राधिकरण और ओआरएस। *[* ए. एम. खानविलकर, जे.*]*

यूटीसीएच इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और ए. एन. आर. वी. पश्चिम बंगाल परिवहन

अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड और *Ors.*[1]*33,* मध्य प्रदेश राज्य बनाम। नर्मदा बचाओ आंदोलन और

एन. आर. *1 34,* फिल्म समारोह और अन्य निदेशालय। वी. गौरव अश्विन जैन और अन्य। *135* , केरल राज्य बनाम। जोसेफ एंटनी *1 36,* जी सुंदरराजन बनाम।

भारत संघ और *Ors.*[13]*7 137,* मैसूर विश्वविद्यालय बनाम। सी. डी. गोविंदा राव और अन्र. *138* , टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड बनाम भारत संघ और ए. एन. आर. *139* फेडरेशन ऑफ रेलवे ऑफिसर्स एसोसिएशन एंड ओआरएस। वी. संघ का

भारत *1 40,* अविषेक गोयनका बनाम। भारत संघ और ए. एन. आर. *1 4 1 141,* डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया बनाम। सुभर्ती के. के. बी. चैरिटेबल ट्रस्ट और *Anr.*[1]*42,* बसवैया

(डॉ.*)* वी. डॉ. एच. एल. रमेश और अन्य। *43,* के. टी. प्लांटेशन प्राइवेट लिमिटेड और ए. एन. आर. वी. कर्नाटक राज्य *1 44,* रोहित धूपर और अन्य। वी. उपराज्यपाल और अन्य। *1 45,* साइनामाइड इंडिया *1 46,* केनरा बैंक बनाम। वी. के. अवस्थी *1 47,* हरियाणा वित्तीय निगम और अन्र। वी. कैलाश चंद्र

आहूजा *1 48,* पंजाब नेशनल बैंक और अन्य। वी. मंजीत सिंह और अन्र। *149* कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम और अन्र। वी. एस. जी.

कोट्टेरप्पा और ए. एन. आर. *1 50,* विवेक नंद सेठी बनाम। अध्यक्ष, जे एंड के बैंक लिमिटेड और *Ors.*[1]*5*[1]*,* रंजन कुमार मित्रा बनाम। एंड्रयू यूले एंड कंपनी लिमिटेड और अन्य। *1 52,* जगजीत सिंह बनाम। हरियाणा राज्य और अन्य। *153* , अध्यक्ष, खनन परीक्षा बोर्ड और खानों के मुख्य निरीक्षक बनाम। रामजी *1 54,* एलआर के माध्यम से सोहन लाल गुप्ता *(*मृत*)*। *&* ओआरएस। वी. आशा देवी गुप्ता

133 (2010) 6 एस. सी. सी. *303 (*पैरा *34,42* से *48* और *52) 134 (2011) 7* एस. सी. सी. *239 (*पैरा *36* और *37)* *135 (2007) 4* एससीसी *737 (*पैरा *16) 136 (1994) 1* एससीसी *301 (*पैरा *14) 137 (2013) 6* एससीसी *620 (*पैरा *200,201,207* से *212) 138 (1964) 4* एससीआर *575 (*पैरा *12)*

139 (1996) 9 एससीसी *709 (*पैरा *68) 140 (2003) 4* एससीसी *289 (*पैरा *12)* *1 4 141 (2012) 5* एस. सी. सी. *275 (*पैरा *20* से *22* और *25) 14 2 (2001) 5* एस. सी. सी. *486 (*पैरा *11* और *16)*

150 (2005) 3 एस. सी. सी. *409 (*पैरा *24) 15 (2005) 5* एस. सी. सी. *337 (*पैरा *19,20* और *22) 152 (1997) 10* एस. सी. सी. *386 (*पैरा *1)* *153 (2006) 11* एस. सी. सी. *1 (*पैरा *14,20,24* से *27,44,46,47* और *49) 154 (1977) 2* एस. सी. सी. *256 (*पैरा *13)*

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

& ओआरएस। *155* , मेजर जी. एस. सोधी वी। भारत संघ *1 56*, भीम सेन और अन्य। वी.

पंजाब राज्य *1 57*, बेरियम केमिकल्स लिमिटेड और अन्र। वी. कंपनी लॉ बोर्ड और अन्य। *58*, रोहतास इंडस्ट्रीज बनाम। एस. डी. अग्रवाल और अन्य। *159* , एम. झांगिर भटुशा और अन्य। वी. भारत संघ और *Ors.*[1]*60*, हरियाणा वित्तीय निगम और ए. एन. आर. वी. जगदम्बा ऑयल मिल्स एंड अन्र। *161* , पुरानलाल लखनपाल बनाम। भारत के राष्ट्रपति और *Ors.*[1]*62*, भारत संघ और अन्य। वी. ई. जी. नम्बूदिरी *63*, महाराष्ट्र राज्य बोर्ड *64*, महाबीर जूट मिल्स लिमिटेड, गोरखपुर बनाम। शिबबन लाल सक्सेना और *Ors.165*, शरत कुमार दास और अन्य। वी. विश्वजीत पटनायक और *Ors.*[1]*66*, डॉ. अश्विनी कुमार बनाम। भारत संघ और ए. एन. आर. *1 67*, आर. के. गर्ग बनाम. भारत संघ और *Ors.168*, प्रीमियम ग्रेनाइट और ए. एन. आर. वी. टी. एन. राज्य और *Ors.169*, दिल्ली विज्ञान मंच बनाम। भारत संघ *1 70 0*, बाल्को कर्मचारी संघ

(रेग.*)* वी. भारत संघ और *Ors.*[1]*1 171*, मध्य प्रदेश राज्य बनाम। नर्मदा बचाओ आंदोलन *1 72*, प्राकृतिक संसाधन आवंटन *1 73*, जीबी। महाजन और ओआरएस। वी. जलगाँव नगर परिषद और *Ors.*[1]*74*, मेरठ विकास प्राधिकरण *1 75*, इंदिरा नेहरू गांधी बनाम। राज नारायण *176*

कर्नाटक राज्य बनाम। भारत संघ और *Anr.*[1]*7*, कुलदिप नायर और अन्य। वी. भारत संघ *& Ors.*[1]*78*, अशोक कुमार ठाकुर बनाम। भारत संघ और सर्वोच्च न्यायालय अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन

155 (2003) 7 एस. सी. सी. *492 (*पैरा *29,43* और *44) 156 (1991) 2* एस. सी. सी. *382 (*पैरा *35* से *37) 157* ए. आई. आर. *1951* एस. सी. *481 158* ए. आई. आर. *1967* एस. सी. *295 (*पैरा *10,27,60* और *64) 159 (1969) 1* एस. सी. सी. *325 (*पैरा *7* से *9,11* और *13) 160 1989 (2)* पूरक। एससीसी *201 (*पैरा *8,9* और *13) 161 (2002) 3* एससीसी *496 (*पैरा *10)*

162 ए. आई. आर *1961* एस. सी *1519*

169 (1994) 2 एससीसी *691 (*पैरा *54) 170 (1996) 2* एससी *405 (*पैरा *7)* *171 (2002) 2* एस. सी. सी. *333 (*पैरा *77* से *88) 172 (*उपर्युक्त *134*, पैरा *36)*

173 (उपर्युक्त *101,* पैरा *146* से *150) 174 (1991) 3* एस. सी. सी. *91 (*पैरा *22* से *26) 175 (* ऊपर *118* पर, पैरा *40* से *46,61,62,67* और *68) 176 1975* सप। एस. सी. सी. *1 (*पैरा *176* और *661)*

177 (1977) 4 एस. सी. सी. *608 (*पैरा *238) 178 (2006) 7* एस. सी. सी. *1 (*पैरा *107) 179 (2008) 6* एस. सी. सी. *1 (*पैरा *116)*

राजीव सूरी बनाम। दिल्ली विकास प्राधिकरण और ओआरएस। *[* ए. एम. खानविलकर, जे.*]*

& एन. आर. वी. भारत संघ *1,80,* सिविल सेवा संघ परिषद बनाम।

सिविल सेवा मंत्री *1 8 1,* एसोसिएटेड प्रोविंशियल पिक्चर हाउस लिमिटेड *v.* वेड्सबरी कॉर्पोरेशन *1 82,* इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड *v.* अजय कुमार *1 8 3 183,* आर वी। गृह विभाग के लिए राज्य सचिव, एक्स पार्टी डेली *1 84,* रेजिना *(*महमूद*)* बनाम। गृह विभाग के लिए राज्य सचिव *1 85,* हुआंग और ओआरएस। वी. गृह विभाग के लिए राज्य सचिव *1 86,* एशिया फाउंडेशन एंड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड *v.* ट्राफलगर हाउस कंस्ट्रक्शन *(*आई*)* लिमिटेड और

अन्य *187,* रिलायंस एयरपोर्ट डेवलपर्स *(*पी*)* लिमिटेड बनाम। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और अन्य। *188 ,* हिमाचल प्रदेश आवास और शहरी

विकास प्राधिकरण बनाम। यूनिवर्सल एस्टेट और ए. एन. आर. *189 ,* विलियनूर

इयर्काई पडुकप्पु मैयम बनाम। भारत संघ और *Ors.190,* सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एंड ए. एन. आर. वी. भारत संघ और *Ors.191,* जगदीश मंडल *1 9 2,* स्टरलाइट इंडस्ट्रीज *(*इंडिया*)* लिमिटेड और अन्य। वी. भारत संघ और *Ors.193,* नगर निगम, उज्जैन और अन्र। वी. बीवीजी इंडिया लिमिटेड और *Ors.194,* लाफार्ज उमियम माइनिंग *1 9 9 5,* एन. डी. जयाल और अन्र। वी. भारत संघ और अन्य। *196 ,* अलकनंदा जलविद्युत

कंपनी *1 9 7,* एम/एस। लिथोफेरो और ओआरएस। वी. पर्यावरण और वन मंत्रालय *1 9 8 198,* लोच्नर बनाम। न्यूयॉर्क *199,* न्यू स्टेट आइस कं. बनाम। लिबमैन *200* वेस्ट कोस्ट होटल कं. बनाम। पैरिश *201,* संयुक्त राज्य अमेरिका बनाम। कैरोलीन उत्पाद

180 (2016) 5 एस. सी. सी. *1 (*पैरा *381) 18 1 1984 (3)* सभी ई. आर. *935*

182 (1947) 2 सभी ईआर *680 183 (2003) 4* एस. सी. सी. *579*

185 [2001] 1 डब्ल्यूएलआर *840 186 [2005] 3* सभी ई. आर. *435 187 (1997) 1* एस. सी. सी. *738 (*पैरा *9,10* और *11)*

188 (2006) 10 एस. सी. सी. *1 (*पैरा *56,77* और *89* से *92) 189 (2010) 14* एस. सी. सी. *253 (*पैरा *22,23* और *26)*

190 (2009) 7 एस. सी. सी. *561 (*पैरा *113* से *115* और *165* से *170) 191 (2000) 8* एस. सी. सी. *606 (*पैरा *19* से *22)*

192 (ऊपर *124* पर, पैरा *21,21.1,21.6* और *22)*

194 (2018) 5 एस. सी. सी. *462 (*पैरा *14,15* और *27) 195 (58* पर उपर्युक्त, पैरा *105* से *111) 196 (2004) 9* एस. सी. सी. *362 (*पैरा *19* और *20)*

(ऊपर *52* पर, पैरा *13* से *16)*

198 (2013) एससीसी ऑनलाइन एनजीटी *40 (*पैरा *17* से *21* और *39) 199 198* यू. एस. *45 (1905)*

200 285 अमेरिका *262 (1932)* *201 300* अमेरिका *379 (1937)*

कं. *202,* अमेरिकन फेडरेशन ऑफ लेबर एट। अल. वी. अमेरिकन सैश एंड डोर *Co.20*[3]*,* फर्ग्यूसन, कान्सास के अटॉर्नी जनरल, आदि। अल. वी.

स्क्रूपा *2 04,* खरक सिंह बनाम। यू. पी. और अन्य का राज्य। *205* , सतवंत सिंह साहनी बनाम। डी. रामारत्नम, सहायक पासपोर्ट अधिकारी, नई दिल्ली और *Ors.206,* वुल्फ बनाम। कोलोराडो *2 07,* रुस्तम कावासजी कूपर बनाम। भारत संघ *208,* मेनका गांधी बनाम। भारत संघ और ए. एन. आर. *209* , बचन सिंह बनाम। पंजाब राज्य, ए. पी. और अन्य राज्य। वी. मैकडॉवेल एंड कंपनी *& Ors.*[211] *211,* मोहम्मद। आरिफ उर्फ अशफाक बनाम। पंजीयक, भारत का सर्वोच्च न्यायालय और अन्य। *21 2,* शायरा बानो *2 1 3,* के. एस. पुट्टास्वामी और अन्न।

(I) 2 1 4, स्विस रिबन्स प्राइवेट लिमिटेड और ए. एन. आर. वी. भारत संघ और *Ors.2*[15]*,* केशवानंद भारती श्रीपदगलवरु बनाम। केरल राज्य और

एन. आर. *216* , पीयरलेस जनरल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड एंड ए. एन. आर. वी. भारतीय रिजर्व बैंक *2 1 7* और दारोगा सिंह और अन्य। वी. बी. के. पांडे *2 1 8*

115. प्रत्यर्थी संख्या *9 (*सलाहकार*)* की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ वकील श्री हरीश साल्वे ने दृढ़ता से तर्क दिया कि पक्षपात के आरोप

203 335 अमेरिका *538 (1949)* *204 372* अमेरिका *726 (1963)*

205 ए. आई. आर *1963* एस. सी. *1295* *206* ए. आई. आर *1967* एस. सी *1836*

207 338 अमेरिका *25 (1949)* *208 (1970) 1* एस. सी. सी. *248*

210 (1980) 2 एस. सी. सी. *684* *211 (1996) 3* एस. सी. सी. *709*

212 (2014) 9 एससीसी *737*

213 (100 पर ऊपर*)* *214 (* ऊपर *79* पर*)*

215 (2019) 4 एससीसी *17 2 1 6 (1973) 4* एससीसी *225 (*पैरा *634,1436,1437* और *1442) 217 (1992) 2* एससीसी *343*

218 (2004) 5 एस. सी. सी. *26 (*पैरा *30)*

राजीव सूरी बनाम। दिल्ली विकास प्राधिकरण और ओआरएस। *[* ए. एम. खानविलकर, जे.*]*

भारत में और जनमत संग्रह द्वारा नहीं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि भारत में परिकल्पित भागीदारी की प्रकृति के लिए प्रणाली में बाधा उत्पन्न किए बिना भागीदारी की आवश्यकता है। यह सरकार को तय करना है कि किसे सुना जाना है, उदाहरण के लिए, चुनाव आयोग के मुद्दों में, केवल स्थानीय प्रभावित लोगों को सुना जाना है।

116. यह भी आग्रह किया जाता है कि पर्याप्त भागीदारी की अनुपस्थिति को भी पर्याप्त नहीं कहा जा सकता है।

पूरी प्रक्रिया को रद्द करने के लिए वेड्सबरी की अनुचितता। इसके अलावा, सरकार द्वारा लिए जाने वाले महत्वपूर्ण निर्णयों जैसे कि एक नए संसद भवन के निर्माण के संबंध में सहभागी लोकतंत्र का तर्क, यदि स्वीकार किया जाता है, तो न्यायपालिका को सरकारी निर्णयों के प्रकार को परिभाषित करने के लिए मजबूर करेगा, जहां इसी तर्क को लागू करते हुए ऐसी प्रक्रिया का पालन करने की आवश्यकता है। यह अंधेरे में टटोलना होगा और किसी भी मानक के आधार पर न्यायिक कार्य नहीं होगा। इसमें, उसी तर्क का उपयोग तब उस समय की सरकार को सार्वजनिक कार्य करने के लिए मजबूर करने के लिए किया जा सकता है

पड़ोसी देश द्वारा आक्रमण के कारण मोर्चों पर युद्ध के लिए जाने से पहले भागीदारी, जो एक नए संसद भवन के निर्माण के निर्णय से अधिक महत्वपूर्ण है।

117. श्री साल्वे प्रस्तुत करते हैं कि न्यायिक समीक्षा का दायरा केवल दो पूछताछों पर केंद्रित होना चाहिए- पहला, क्या कोई अवैधता है या नहीं।

किसी भी वैधानिक आदेश का उल्लंघन और दूसरा, क्या कोई प्रक्रियात्मक अन्याय है जिसे न्यायिक रूप से प्रबंधनीय मानकों द्वारा जांचा जा सकता है। जहाँ तक सार्वजनिक क्षेत्र में जानकारी की कमी का संबंध है, यह है प्रस्तुत किया कि जानकारी को सार्वजनिक क्षेत्र में रखना एक बात है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि केवल जानकारी की अनुपस्थिति निर्णय को दूषित कर देगी।

118. श्री साल्वे ने अपनी दलीलों को पुष्ट करने के लिए अरुणा रॉय *2 1 9* पर भरोसा किया।

डब्ल्यू. पी. *(C)* नहीं। *922/2020*

119. आई. डी. *1* पर, एम. ओ. एच. यू. ए. ने *1957* अधिनियम की धारा *11* ए के तहत कार्य करते हुए अधिसूचना एस. ओ. *3348 (ई)* जारी की थी जिसके तहत अध्याय

प्रार्थनाः *219 (30* पर ऊपर*)*

" आई. अभिलेखों के लिए एक उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी करें और प्रत्यर्थी संख्या *1* द्वारा घोषित अधिसूचना एस. ओ. *3348 (ई)* दिनांक *17.10.2017* को रद्द करने के लिए, जो शक्ति से परे है। *1957* के दिल्ली विकास प्राधिकरण अधिनियम के तहत, और भारत के संविधान के अनुच्छेद *14* और *21* का उल्लंघन;

120. टी. सी. में आग्रह किए गए आधारों के अलावा *(ग) 229/2020*, यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त अधिसूचना वेड्सबरी के सिद्धांतों का उल्लंघन करती है।

तर्कसंगतता का सिद्धांत और तीन आधारों पर हमला किया जा सकता है-अवैधता, तर्कहीनता और प्रक्रियात्मक अनुचितता। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि अधिसूचना शक्ति के एक रंगीन प्रयोग का परिणाम थी और

प्रत्यर्थियों के पास ऐसी कोई शक्ति निहित नहीं है जिससे कि बिना संकल्पित उद्देश्यों के लिए भूमि के उपयोग की अनुमति दी जा सके। *121.* अपने मामले का समर्थन करने के लिए याचिकाकर्ताओं ने सैयद हसन रसूल नुमा और अन्य पर भरोसा किया है। वी. भारत संघ और *Ors.220*, मैकिनन

मैकेंजी एंड कंपनी लिमिटेड बनाम मैकिनन मैकेंजी कर्मचारी संघ *2 2 1*, बाबू वर्गीज और अन्य। वी. केरल बार काउंसिल और अन्य। *222* , उत्तर प्रदेश राज्य बनाम। सिंघारा सिंह और *Ors.223*, केदार नाथ यादव बनाम। पश्चिम बंगाल राज्य और *Ors.224*, खुब चंद और अन्य। वी. राजस्थान राज्य और अन्य। *225* , एस. रामा राव और अन्य। वी. जवाहरलाल नेहरू प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हैदराबाद और *Anr.226*, एयरसेल

सेल्युलर लिमिटेड *v.* भारत संघ *2 27* और लेग एंड ओआरएस। वी. आंतरिक लंदन शिक्षा प्राधिकरण *228*।

डब्ल्यू. पी. *(C)* नहीं। *1041/2020*

122. यह याचिका विभिन्न अनुमोदनों को चुनौती देने का प्रयास करती है, जिसमें दिनांकित *2.9.2019*, दिनांकित *17.6.2020* और सीवीसी द्वारा दिनांकित *30.4.2020* द्वारा कोई आपत्ति नहीं शामिल है। प्रार्थना इस प्रकार है:

" आई. आदेश और/या निर्देश *(ओं)* की प्रकृति में एक रिट जारी करें
संसद सहित सेंट्रल विस्टा के पुनर्विकास के लिए दी गई/ली गई विभिन्न मंजूरियों/निर्णयों के अभिलेखों के लिए

220 (1991) 1 एस. सी. सी. *401 (*पैरा *11* से *14) 221 (2015) 4* एस. सी. सी. *544 (*पैरा *42* और *44) 222 (1999) 3* एस. सी. सी. *422 (*पैरा *31* और *32) 223* ए. आई. आर. *1964* एस. सी. *358 (*पैरा *7* और *8) 224 (2017) 11* एस. सी. सी. *601 (*पैरा *85,88* और *89) 225* ए. आई. आर. *1967* एस. सी. *1074 (*पैरा *7) 226 1977* एस. सी. सी. ऑनलाइन ए. पी. *271 (*पैरा *23,24,28* और *31)*

227 2016 एस. सी. सी. ऑनलाइन मैड *8463 (*पैरा *141,142,144* और *152) 228 [1972] 1* डब्ल्यू. एल. आर. *1245 (*चांसरी डिवीजन*)*

राजीव सूरी बनाम। दिल्ली विकास प्राधिकरण और ओआरएस। *[* ए. एम. खानविलकर, जे.*]*

दिनांक *02.09.2019* एन. आई. टी. के नोटिस के अनुसार दी गई निविदा
सं. *04/CPM/RPZ/NIT/2019-20*, संसद के संबंध में पर्यावरणीय मंजूरी दिनांक *17.06.2020*, सेंट्रल विस्टा

समिति "कोई आपत्ति नहीं" दिनांक *30.04.2020,* और उसी की समीक्षा करने के बाद उक्त अनुमोदनों/निर्णयों को रद्द करने और अलग करने के लिए। "

123. याचिकाकर्ता द्वारा यहां अपनाए गए आधार डब्ल्यू. पी. में याचिकाकर्ताओं द्वारा अपनाए गए आधारों के समान हैं। *(ग) सं. 853/2020* और *W. P. (ग)* नहीं. *638/2020* और हम संक्षिप्तता के लिए इसका विस्तार करने का इरादा नहीं रखते हैं।

समन्वय कानून का नियम

124. पक्षों की ओर से विद्वान वकील की तीखी और उत्कृष्ट दलीलों पर चर्चा करने के बाद, हम पाते हैं कि वे ही प्रस्तावित हैं। उच्च संवैधानिक सिद्धांतों और लोकतांत्रिक राजनीति के मूल्यों पर विशेष जोर देने के साथ कानून के शासन द्वारा शासन की परिकल्पना, जैसा कि भारत में अपनाया गया है, और संवैधानिकता के सिद्धांत पर। वैधानिक और नगरपालिका कानूनों के कथित उल्लंघन से संबंधित अन्य सभी आधार, याचिकाकर्ताओं की उपरोक्त मौलिक सिद्धांतों की समझ से उत्पन्न होते हैं और इस प्रकार, हम इस मौलिक आधार की जांच करके अपनी चर्चा शुरू करते हैं ताकि यह समझा जा सके कि ऐसे सिद्धांतों के आलोक में न्यायिक रूप से प्रबंधनीय मानकों में नीति/प्रशासनिक निर्णय लेने की निगरानी किस हद तक, यदि बिल्कुल भी हो, और किस तरीके से की जा सकती है।

125. इस मुद्दे पर विचार करने के लिए, हम इसे उचित समझते हैं

देश का शासन, इसके दिमाग में दो अवधारणाएँ थीं-लोकतंत्र और कानून का शासन। इस स्पष्ट जोर देने का कारण सर एस. राधाकृष्णन के शब्दों से उचित रूप से परिलक्षित होता है, जो बोलने के लिए उठे थे। *11.12.1946* पर स्थायी अध्यक्ष के चुनाव के बाद प्रथम वक्ता। उन्होंने कहाः

"..... हमें उन सभी महान आत्माओं को कृतज्ञता के साथ याद करना होगा जिन्होंने इस देश की स्वतंत्रता के लिए काम किया और इस दिन की सुबह के लिए कष्ट उठाए। हज़ारों लोग मारे गए, हज़ारों से अधिक लोगों ने निर्धनता, कारावास और निर्वासन का सामना किया, और यह उनकी पीड़ा है जिसने इस महान इमारत को मजबूत और निर्मित किया है।

229 संविधान सभा बहस खंड। *I (9.12.1946-23.12.1946)*

126. तथ्य यह है कि लाखों भारतीयों ने लगातार संघर्ष किया था

एक ऐसी लोकतांत्रिक राजनीति में सांस लें जो उन्हें केवल विषयों के रूप में नहीं बल्कि प्रमुख घटकों के रूप में मानती थी, जिस पर राष्ट्र की पूरी इमारत खड़ी होती है, यह प्राथमिक कारण था कि हमारे संविधान निर्माता एक ऐसा वातावरण चाहते थे जहां कानून सभी पर समान रूप से काम करे, जहां कानून का शासन सनक से शासन की थोड़ी सी भी धारणा पर हावी हो, जहां राज्य और नागरिकों के बीच समीकरण असंतुलन से चिह्नित नहीं होता है और जहां कानून, जैसा कि मौजूद है, सभी कानूनी संबंधों को नियंत्रित करता है।

127. जब समझ को समझने का प्रयास किया जाता है

संविधान सभा की बहसों के दौरान कानून के शासन द्वारा शासन की अवधारणा के संबंध में, एक दिलचस्प पैटर्न उभरता है और

हमें अब से इसका वर्णन करना चाहिए। भाग-*3* पर चर्चा के दौरान श्री नजीरुद्दीन अहमद ने जोर देकर कहा कि लोकतंत्र का अर्थ है कानून का शासन। उन्होंने अपना दृष्टिकोण इस प्रकार स्पष्ट किया:

"हम दुनिया के बेहतरीन लोकतंत्रों में से एक का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन

लोकतंत्र के निहितार्थ का स्पष्ट रूप से सामना किया जाना चाहिए। लोकतंत्र

इसका अर्थ है बल के शासन के विपरीत कानून का शासन। में।
निरंकुशता और अधिनायकवादी राज्यों में कानून सर्वोच्च नहीं है। लेकिन

लोकतंत्र का अर्थ है कानून की सर्वोच्चता जहां कोई नहीं है।

वह सर्वोच्च व्यक्ति है, कानून से ऊपर है। हमें करना चाहिए।

इसलिए सभी कानून का सम्मान करते हैं और कानून का पालन करने वाले नागरिक होने चाहिए।

कानून का पालन करने की उस भावना को विकसित करने का आदेश जिसमें निहित है
लोकतंत्र की सुरक्षा। हमें स्वयं लोकतांत्रिक का पालन करना चाहिए।

सिद्धांत, लोकतांत्रिक तरीके और कानून का सम्मान करें। *2309 9*

(जोर दिया गया*)*

एक अन्य अवसर पर डॉ. पी. के. सेन ने खुलासा किया कि कानून का शासन है

इसका उद्देश्य सरकार को विघटनकारी प्रवृत्तियों से बचाना था। उन्होंने कहा:

"..... कानून का शासन, मेरे विनम्र निर्णय में, वह नियम है जिसे होना चाहिए

सरकार को हर तरह के विघटनकारी से बचाएँ

प्रवृत्तियाँ. *23 9 9*

उस प्रशासनिक व्यवस्था पर बोलते हुए जिसे अंग्रेजों ने छोड़ दिया था

डॉ. पी. सुब्बारायन ने कहा कि कानून का शासन एक ऐसी अवधारणा है जिस पर देश का भविष्य निर्भर करता है। उन्होंने कहा:

"दूसरा मुद्दा जिस पर मैं बात करना चाहता हूं वह है कानून का शासन।

सोच अंग्रेजी कानूनी प्रणाली का एक विशिष्ट हिस्सा है। अगर ऐसा है तो

अजीव सूरी बनाम। दिल्ली विकास प्राधिकरण और ओआरएस। *[ए. एम. खानविलकर, जे.]*

जो कुछ भी मैं इस देश के भविष्य में रखना चाहूंगा,

यही कानून का नियम है। *232 9 9* *17.9.1949* पर, श्री के. एम. मुंशी के विकास पर बोलने के लिए उठे

स्वतंत्र भारत के लिए भारतीय न्यायालय ने एक यह आशा कानून के शासन के आदर्श के अलावा और कुछ नहीं पर आधारित है। उन्होंने कहाः

"महोदय, ब्रिटिश संसद और प्रिवी काउंसिल दो हैं।

महान संस्थान जो एंग्लो-सैक्सन जाति ने मानव जाति को दिए हैं। पिछली कुछ शताब्दियों के दौरान प्रिवी काउंसिल ने न केवल स्थापना की है

राष्ट्रमंडल। जहाँ तक भारत का संबंध है, प्रिवी की भूमिका परिषद सबसे महत्वपूर्ण में से एक रही है। यह बहुत हो गया है

महान एकीकरण शक्ति और हम भारतीयों के लिए यह बन गया

जो अकेले हमने लोकतांत्रिक संस्थानों को आधारित किया है जो हमने अपने संविधान में इसकी स्थापना की है। *2339 9*

(जोर दिया गया)

अस्तित्व में है और यह सर्वोच्च न्यायालयों के परिवार में शामिल हो जाएगा लोकतांत्रिक दुनिया जिसमें से प्रिवी काउंसिल सबसे पुरानी है और

प्रिवी काउंसिल के साथ भाग लेना हमारा सर्वोच्च न्यायालय आगे बढ़ाएगा प्रिवी काउंसिल की परंपराएँ, परंपराएँ जिनमें शामिल हैं कि

न्यायिक अलगाव, वह अडिग अखंडता, वह अधीनता

कानून के शासन के लिए सब कुछ और वह कर्तव्यनिष्ठ सम्मान अधिकारों और न्याय के लिए न केवल विषयों के बीच और

विषयों के साथ-साथ राज्य और विषयों के बीच भी। *99 '*

(जोर दिया गया)

इस प्रवचन से जो निकलता है वह यह है कि इसके निर्माता

शीर्षक ने एक ऐसी कानूनी और राजनीतिक प्रणाली की परिकल्पना की जो कानून के शासन के लिए उपयुक्त होगी।

128. कानून का शासन अन्य बातों के साथ-साथ चार सार्वभौमिक सिद्धांतों को प्रस्तुत करता है। यह एक

कानून, संस्थान, मानदंड और सामुदायिक प्रतिबद्धता जो

स्टेट्यूएंट असेंबली डिबेट वॉल्यूम। *XI (14.11.1949-26.11.1949)* स्टेट्यूएंट असेंबली डिबेट वॉल्यूम। *IX (30.7.1949-18.9.1949)*

परिकल्पना की गई-कानून के तहत सरकारी और निजी कर्ताओं की समान रूप से जवाबदेही; कानून न्यायपूर्ण, स्पष्ट, प्रचारित और स्थिर होने चाहिए और समान रूप से लागू होने चाहिए, मौलिक अधिकारों और मानवाधिकारों की रक्षा करनी चाहिए; खुली सरकार।

अर्थात् वे प्रक्रियाएँ जिनके द्वारा कानून बनाए जाते हैं,

प्रशासित और लागू किए गए सुलभ, निष्पक्ष और कुशल हैं; और

सुलभ न्याय-सक्षम, नैतिक और स्वतंत्र प्रतिनिधित्वों और तटस्थ लोगों द्वारा न्याय का समय पर वितरण शामिल करना जो सुलभ हैं, जिनके पास पर्याप्त संसाधन हैं और वे उन समुदायों के लक्षणों को प्रतिबिंबित करते हैं जिनकी वे सेवा करते हैं

129. सैद्धांतिक रूप से, कानून के शासन की अवधारणा को समझा गया था

और निरंकुश शासन को आगे बढ़ाने के लिए भी लागू किया। लुई *XIV*, नेपोलियन और हिटलर की सरकारें कानून के शासन के अलावा और कुछ नहीं पर आधारित थीं। लेकिन राजनीतिक विमर्श के विकास के साथ, कानून के शासन का विस्तार एक निरंकुश से लोकतांत्रिक हो गया। यह तानाशाहों द्वारा अपने विषयों को नियंत्रित करने के लिए उपयोग की जाने वाली एक अवधारणा से शासन के एक जीवित विचार में परिवर्तित हो गया जिसमें नागरिक और राज्य दोनों के साथ बातचीत करते हैं।

एक स्तर के खेल के मैदान पर अन्य।

130. वर्तमान जाँच के प्रयोजनों के लिए, हमें प्रदान करने की आवश्यकता है

इस विचार का जीवन और अर्थ एक ऐसी अवधारणा के रूप में है जो प्रबंधनीय मानकों के साथ न्यायिक अनुप्रयोग में सक्षम है न कि केवल राजनीतिक बयानबाजी के विचार के रूप में। इन दोनों दृष्टिकोणों के बीच का अंतर वास्तविक है और "संवैधानिक न्याय" में टी. आर. एस. एलन के परिचयात्मक शब्दों में परिलक्षित होता है जहाँ वे इस प्रकार टिप्पणी करते हैं:

"सरकार के बारे में एक तर्क की सहायता में इसकी अलंकारिक शक्ति
अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, या संवैधानिक वैधता, बनाता है

कानून का शासन एक समझने योग्य संदेह का विषय है जितना कि एक

जिनके विचारों के समर्थन में बहुत आसानी से आह्वान किया जाना है
दृढ़ता सावधानीपूर्वक जांच का सामना नहीं कर सकती है।

(जोर दिया गया*)*

131. कानून के शासन का सिद्धांत दो शब्दों को जोड़ता है-शासन।

और कानून। ये दोनों शब्द न केवल एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं, बल्कि एक-दूसरे के लिए जिम्मेदार अर्थों को भी नियंत्रित करते हैं। नियम "राज्य को नियंत्रित करने के विचार को संदर्भित करता है और किसी देश में अपनाए गए मॉडल की प्रकृति के आधार पर, इस तरह के नियम को कई तरीकों से प्रभावित किया जा सकता है। जब हम देते हैं

234 विश्व न्याय परियोजना। ओआरजी *235* टी. आर. एस. एलन, संवैधानिक न्यायाधीश, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस *(*एडन। *2001)* पृ.

1 राजीव सूरी बनाम। दिल्ली विकास प्राधिकरण और ओआरएस। *[* ए. एम. खानविलकर, जे.*]*

स्वयं संविधान में, हमने स्पष्ट रूप से इस तरह के नियम की कल्पना "लोकतांत्रिक" यानी लोगों की, लोगों द्वारा और लोगों द्वारा सरकार के रूप में की थी।

जनता के लिए। "कानून" शब्द, अब, भारत में शासन करने के तरीके की सटीक रूपरेखा प्रस्तुत करता है। अनुच्छेद *13* एक समावेशी परिभाषा प्रदान करता है -

"जैसा कि भारत में समझा जाता है और इस प्रकार पढ़ता है:

"*13.* मौलिक के साथ असंगत या अपमान में कानून

(1) इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के क्षेत्र में लागू सभी कानून, जहाँ तक वे हैं इस भाग के प्रावधानों के साथ असंगत, की सीमा तक

ऐसी असंगति, शून्य हो।

(2) राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो इसे हटा दे या कम कर दे।

इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकार और इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई कोई भी कानून, उल्लंघन की सीमा तक, शून्य होगी।

(3) इस लेख में, जब तक कि संदर्भ अन्यथा आवश्यक न हो,

(क*)* "कानून" में कोई भी अध्यादेश, आदेश, उप-कानून, नियम, क्षेत्र में होने वाले विनियमन, अधिसूचना, प्रथा या उपयोग

भारत की कानून की शक्ति;

पूर्व में निरसित, इसके बावजूद कि ऐसा कोई कानून या उसका कोई हिस्सा तब बिल्कुल भी या लागू नहीं हो सकता है विशेष क्षेत्र।

(4) इस अनुच्छेद में कुछ भी अनुच्छेद *368* के तहत किए गए इस संविधान के किसी भी संशोधन पर लागू नहीं होगा।

अनुच्छेद *13* में उल्लिखित पहला लिखित बचाव, स्पष्ट रूप से किसी भी कानून के निर्माण को प्रतिबंधित करता है जो मौलिक नियमों का उल्लंघन करता है।

अधिकार। संसद में पारित कानून इस परिभाषा में शामिल नहीं है, लेकिन अनुच्छेद *245* और *246* में अलग से शामिल है। यह स्पष्ट है कि भारत में शासन की संरचना निर्माताओं द्वारा विधिवत संहिताबद्ध की जाती है। इसका मुख्य अर्थ है संविधान में परिकल्पित कानून पर आधारित एक लोकतांत्रिक शासन।

132. समय बीतने के साथ-साथ "कानून" शब्द भी प्रचलित हो गया है।

लिखित और अलिखित सुरक्षा उपायों की अधिकता से घिरा हुआ है, जिससे उन अधिकारों की श्रृंखला का विस्तार होता है जो संस्थापक *[2021] 15* एस. सी. आर. द्वारा व्यक्त नहीं किए गए थे।

पिताओं। क्योंकि, एक जीवित और गतिशील संविधान की सबसे उल्लेखनीय विशेषताएँ सामाजिक-आर्थिक संरचनाओं और उतार-चढ़ाव के विकास के साथ विकसित होने और प्रभावी बने रहने की इसकी क्षमता है। अधिक विस्तार से बताने के लिए, तर्कसंगतता, मनमानी और निष्पक्षता की विशेषताओं ने समय-समय पर कानून को दिशा दिखाई है और इस प्रकार, इस तरह के कानून द्वारा शासन करने के लिए।

133. उपरोक्त चर्चा कम से कम तीन मामलों पर निर्देशात्मक है पहला, कानून के शासन के लिए अस्तित्व में कानून की आवश्यकता होती है; दूसरा, ऐसा कानून होना चाहिए।

सभी के लिए एक वास्तविक संपन्न लोकतंत्र की पहचान है। *134.* यह तथ्य कि सभी शक्तियाँ कानून से प्रवाहित होती हैं और उनका प्रयोग इस तरह के कानून के अनुसार किया जाना चाहिए, संविधान में सिद्धांतित किया जाना आसान है।

प्रवचन, लेकिन कानून के निरंतर बढ़ते प्रभाव के बाद इसे बनाए रखना मुश्किल है। यही कारण है कि कथन-'कानून का शासन' एक गतिशील अवधारणा को शामिल करना चाहिए, भले ही इसकी जड़ें संविधान के चार कोनों में निहित हों। यह किसी भी राज्य-नागरिक संभोग के लिए एक निरंतर प्रेरणा प्रदान करता है और इस न्यायालय से दो संस्थाओं के बीच एक न्यायपूर्ण संतुलन बनाने का आह्वान करता है, दोनों समान रूप से कानून की श्रेष्ठता के एक ही सिद्धांत से बंधे हैं। इस संतुलन को बनाए रखने के लिए एक न्यायपूर्ण और समय-परीक्षित कार्यप्रणाली लोकतंत्र के घोषित लक्ष्य को आगे बढ़ाने के अंतिम परिणाम में निहित है। कानून के शासन पर और इसे पीछे की ओर नहीं खींचना।

135. कानून के शासन का सिद्धांत मूल और साथ ही प्रक्रियात्मक कानूनों के माध्यम से एक सामान्य धागे के रूप में चलता है। एक लोकतांत्रिक राजनीति की आवश्यकता है राज्य के सभी अंगों को कानून के सार के साथ-साथ ऐसे मूल कार्यों को करने के लिए चित्रित प्रक्रिया को समान महत्व देना। यही दोनों छोरों को छूने का निरंतर प्रयास होना चाहिए।

मतलब।

समीक्षा

136. याचिकाकर्ताओं ने इस न्यायालय से प्रक्रियाओं की वैधता की जांच के लिए "लोकतांत्रिक उचित प्रक्रिया" के पैमाने को लागू करने का आह्वान किया है।

विभिन्न चरणों में उत्तरदाताओं द्वारा अपनाया गया। इस पर अपनी राय व्यक्त करने से पहले कि क्या भारत में कानून के शासन की अवधारणा राजीव सूरी बनाम की परिकल्पना करती है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण और ओआरएस। *[* ए. एम. खानविलकर, जे.*]*

लोकतांत्रिक प्रक्रिया के समान हो या न हो, हमें इस वाक्यांश के अर्थ को समझने का प्रयास करना चाहिए।

137. "लोकतांत्रिक उचित प्रक्रिया" वाक्यांश किसी के लिए गुप्त नहीं है।

उचित रूप से स्वीकार्य परिभाषा और इस प्रकार, इसे समझना प्रासंगिक है।

पदार्थ में। रॉडनी ए. स्मोला ने अपने मौलिक कार्य "लोकतांत्रिक कारण प्रक्रियाः बिशप बनाम के बाद प्रशासनिक प्रक्रिया। वुड *'236* ने इस वाक्यांश को एक नकारात्मक अवधारणा के रूप में समझाया, जो याचिकाकर्ताओं की समझ के विपरीत, उन्हें बढ़ाने के बजाय संवैधानिक सुरक्षा को कम करता है। उन्होंने इसे एक घटना के रूप में प्रस्तुत किया जिसमें:

"..... प्रशासनिक प्रक्रिया को परिभाषित करने, आकार देने और सीमित करने की जिम्मेदारी अदालतों से ली गई है और उन्हें दी गई है

विधायिकाएँ। इस जिम्मेदारी को निर्वाचित लोगों के हाथों में देकर

प्रतिनिधियों, सर्वोच्च न्यायालय ने प्रभावी रूप से एक बनाया है

" लोकतांत्रिक देय प्रक्रिया खंड "।

138. इसके उच्चारण तक ले जाने वाली पृष्ठभूमि की कहानी

वाक्यांश को बिशप वी का संदर्भ देकर समझा जा सकता है। वुड *237* में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने उत्तरी कैरोलिना में एक पुलिसकर्मी कार्ल बिशप की बर्खास्तगी को बरकरार रखा, जिसे बिना पूर्व सुनवाई के समाप्त कर दिया गया था। न्यायालय ने इस आधार पर निर्णय की पुष्टि की कि लागू वैधानिक

रोजगार कानूनों में किसी भी पूर्व सुनवाई को अनिवार्य नहीं किया गया था और इसे उचित प्रक्रिया खंड के आह्वान से मजबूर नहीं किया जा सकता था। उस पर

आगे की जाँच में, यह ध्यान दिया जाएगा कि यह निर्णय एक अलग निर्णय नहीं था, बल्कि यह सार्वजनिक रोजगार से समाप्ति पर पूर्व निर्णयों की परिणति थी, जैसा कि स्मोला ने अपने काम में उल्लेख किया है। अर्नेट, निदेशक, आर्थिक अवसर कार्यालय, आदि से शुरू करते हुए। अल. वी. केनेडी एट। अल. *238* और राज्य महाविद्यालयों के बोर्ड ऑफ रीजेंट्स आदि। अल. वी. रोथ *239*, यू. एस. सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिकी संविधान के *14* वें संशोधन में निहित उचित प्रक्रिया खंड से एक सचेत प्रस्थान किया। इस प्रस्थान का आधार न्यायमूर्ति स्टीवर्ट की राय में परिलक्षित होता है, जिन्होंने रोथ *240* में न्यायालय के लिए लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा

था कि सरकार में कुछ प्रक्रियाएं हैं जिनमें उचित प्रक्रिया खंड का आयात नहीं किया जा सकता है। उन्होंने चौदहवें संशोधन की भाषा पर भरोसा किया जिसमें कहा गया है कि कोई भी राज्य किसी भी व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता या संपत्ति से वंचित नहीं करेगा।

238 416 अमेरिका *134 (1974)* *2399 408* यू. एस. *564 (1972)*

240 (ऊपर *239* पर*)*

[2021] 15 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कानून की उचित प्रक्रिया के बिना "यह अभिनिर्धारित करना कि उचित प्रक्रिया खंड केवल तभी प्रभावी होगा जब किसी व्यक्ति का जीवन, स्वतंत्रता या संपत्ति दांव पर हो। विधियों के तहत विशिष्ट प्रक्रियाओं के प्रवर्तन के लिए उचित प्रक्रिया के व्यापक अनुप्रयोग से न्यायिक नजर को स्थानांतरित करने के पीछे अंतर्निहित विचार यह है कि, उचित प्रक्रिया जीवन, स्वतंत्रता या संपत्ति के वास्तविक वंचित होने से जुड़े मामलों तक ही सीमित होनी चाहिए। स्मोला, उपरोक्त कार्य में,

ध्यान दें कि सभी प्रशासनिक कारण प्रक्रिया निर्णय मुख्य रूप से दो विशेषताओं द्वारा चिह्नित किए गए थेः

सबसे पहले, एक संपत्ति का ब्याज एक अमूर्त अपेक्षा नहीं है

यह निर्धारित करते हुए कि क्या एक घोषित ब्याज केवल एक अपेक्षा है या एक परिपक्व पात्रता है, न्यायालय संविधान की ओर नहीं, बल्कि कानून के एक स्वतंत्र स्रोत की ओर देखेगा, जैसे कि राज्य क़ानून *241* " देय राशि के व्यापक आवेदन से यह सचेत न्यायिक विचलन

अमेरिकी संवैधानिक विमर्श में प्रक्रिया खंड को उचित प्रक्रिया के लोकतांत्रिक उचित प्रक्रिया में विकास के रूप में समझा जाता है क्योंकि यह निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा विधिवत अधिनियमित कानूनों के जनादेश को प्रभावी बनाता है।

139. हालाँकि याचिकाकर्ताओं ने इस वाक्यांश का उपयोग एक तरह से किया है

जो अमेरिका में लोकतांत्रिक उचित प्रक्रिया के कथित रूप से विपरीत है, उपरोक्त चर्चा प्रशासनिक मामलों में "उचित प्रक्रिया" के समान एक प्रक्रियात्मक मानक की स्वीकृति पर याचिकाकर्ताओं के जोर को समझने के लिए प्रासंगिक है। उपरोक्त चर्चा अप्रतिरोध्य रूप से निम्नलिखित निष्कर्ष प्रस्तुत करती है -

सबसे पहले, मामलों में उचित प्रक्रिया की आवश्यकता की परिकल्पना की गई है

व्यक्तिगत अधिकारों से वंचित करना;

दूसरा, किसी अधिकार से वंचित होने का दावा करने से पहले, दावेदार को ऐसे अधिकार की पात्रता साबित करने की जिम्मेदारी का निर्वहन करना होगा;

तीसरा, इस तरह के अभाव को सुधारने के लिए इसे स्पष्ट रूप से साबित करने की आवश्यकता है।

चौथा, अमेरिका में भी, इस सिद्धांत की न्यायिक स्वीकृति है कि

उचित प्रक्रिया की आवश्यकता को सभी में लागू नहीं किया जा सकता है।

सरकारी प्रक्रियाएँ;

पाँचवाँ, ऐसी परिस्थितियाँ हो सकती हैं जब विधिवत अधिनियमित और वैध कानूनों का अस्तित्व देय के सिद्धांत के अनुप्रयोग को बाधित कर सकता है।

न्यायनिर्णयन में प्रक्रिया।

241 ड्यूक लॉ जर्नल, वॉल्यूम। *1977* , सं. *2*, आठवाँ वार्षिक प्रशासनिक विधि अंक *(*मई, *1977)*, पृष्ठ।

454 राजीव सूरी बनाम। दिल्ली विकास प्राधिकरण और ओआरएस। *[* ए. एम. खानविलकर, जे.*]*

140. भारतीय संदर्भ की ओर लौटते हुए, उचित प्रक्रिया का मार्ग

भारतीय संविधान के खंड का अपना एक अनूठा इतिहास है। जब पंडित श्री ठाकुर दास भार्गव ने संविधान सभा में अनुच्छेद *15 (*अब अनुच्छेद *21)* में संशोधन का प्रस्ताव रखा, ताकि "कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया" शब्दों को "कानून की उचित प्रक्रिया *42"* से प्रतिस्थापित किया जा सके, तो विधानसभा के कई अन्य दिग्गजों ने उनका समर्थन किया, जिन्होंने एक स्वर में माना कि बाद की अभिव्यक्ति का समावेश व्यक्तियों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा में बहुत अधिक प्रभावी होगा। हालाँकि, प्रस्तावित परिवर्तन डॉ. बी. आर. अम्बेडकर और श्री अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर सहित अन्य लोगों को पसंद नहीं आया। अमेरिका में इस सिद्धांत की उत्पत्ति और संदिग्ध स्वीकार्यता पर ध्यान आकर्षित करते हुए अय्यर ने कहाः

..... आज, प्रोफेसर विलिस के अनुसार, अभिव्यक्ति का अर्थ है,

सर्वोच्च न्यायालय क्या कहता है कि किसी विशेष मामले में इसका क्या अर्थ है

मामला। यह बस संभव है, कुछ उत्साही लोकतंत्रवादियों के पास अधिक हो सकता है

चेतना के माध्यम से व्यक्त इच्छा की तुलना में न्यायपालिका में विश्वास

पाँच सज्जन, कानून की अदालत के रूप में बैठे, और क्या कह रहे हैं
वास्तव में उनके अनुसार किसी भी विशेष में उचित प्रक्रिया है

लंबे प्रवचनों और तर्कों को सुनने के बाद

दोनों पक्षों के संक्षिप्त वकील, कुछ लोगों को अपील कर सकते हैं

की व्यक्त इच्छाओं से अधिक लोकतंत्रवादी
विधायिका या इसके लिए जिम्मेदार कार्यपालिका की कार्रवाई

संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने एक सुसंगतता को नहीं अपनाया है
बिल्कुल भी दृष्टिकोण और निर्णय परस्पर विरोधी हैं। एक फैसला बहुत

अक्सर एक और निर्णय को उलट दिया। मैं किसी भी सदस्य को चुनौती दूंगा।

राज्यों के सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि ऐसा कुछ भी है
'उचित प्रक्रिया' की व्याख्या के संबंध में एकरूपता।

केवल लॉ रिपोर्ट्स एनोटेटेड में सूचकांक लेना होगा।

पंद्रह वर्षों के लिए संस्करण और एक वर्ष के निर्णयों की तुलना करें

इस अवसर पर अध्यक्षता करने वाले न्यायाधीश। जस्टिस होम्स ने एक
सामाजिक नियंत्रण के लिए अनुकूल दृष्टिकोण। एक के अन्य न्यायाधीश थे

टोरी रंग जिन्होंने व्यक्ति के पक्ष में एक मजबूत दृष्टिकोण अपनाया

स्वतंत्रता और निजी संपत्ति। *24 3* "

(जोर दिया गया*)*

242 संविधान सभा बहस खंड। *IX (30.7.1949-18.9.1949) 243* संविधान सभा बहस खंड। *VII (4.11.1948-8.1.1949)*

संशोधन को मतदान द्वारा अस्वीकार किए जाने से पहले डॉ. बी. आर.

अम्बेडकर ने विधानसभा में विवाद का सारांश दिया और कहा कि कैसे "उचित प्रक्रिया" और "कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया" के बीच का अंतर अनिवार्य रूप से न्यायिक समीक्षा के विस्तार और दायरे में से एक है जिसे स्वतंत्र भारत में प्रयोग करने के लिए न्यायालयों को सशक्त किया जाना चाहिए। उन्होंने कहाः

..... सवाल अब वाक्यांश की शुरुआत से उठाया गया है

'उचित प्रक्रिया यह है कि क्या न्यायपालिका को अतिरिक्त अधिकार दिए जाने चाहिए।

राज्य द्वारा बनाए गए कानूनों पर इस आधार पर सवाल उठाने की शक्ति कि

वे कुछ बुनियादी सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं। *24411*

उन्होंने विस्तार से बताया और एक तरह से एक्सप्रेस को मजबूत किया।

उचित प्रक्रिया खंड का निषेध जो उनके भाषण का अनुसरण करने वाला था और कहाः

" "उचित प्रक्रिया" का सवाल, मेरे विचार में, सवाल उठाता है।

संघीय संविधान, यह हमेशा न्यायपालिका के लिए निर्णय लेने के लिए खुला है
क्या विधायिका द्वारा पारित कोई विशेष कानून अधिकार से बाहर है

या कानून की शक्तियों के संदर्भ में अंतर-अधिकार जो हैं
संविधान द्वारा विशेष विधानमंडल को प्रदान किया गया। अगर कानून

किसी विशेष विधानमंडल द्वारा किया गया कार्य शक्ति के अधिकार से अधिक है।

अमान्य है। यह सामान्य बात है जो सभी संघीय क्षेत्रों में होती है।
संविधान। संघीय संविधान में प्रत्येक कानून, चाहे बनाया गया हो

केंद्र में संसद द्वारा या एक के विधानमंडल द्वारा बनाया गया

राज्य, हमेशा न्यायपालिका द्वारा परीक्षण के अधीन है

कानून बनाने वाली विधायिका के अधिकार का दृष्टिकोण।

'उचित प्रक्रिया' खंड, मेरे निर्णय में, देगा

न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानून पर सवाल उठाने की शक्ति

दूसरे आधार पर विधायिका। वह जमीन होगी
क्या वह कानून कुछ बुनियादी बातों के अनुरूप है

व्यक्ति के अधिकारों से संबंधित सिद्धांत।

99

(जोर दिया गया*)*

उपरोक्त चर्चा स्पष्ट रूप से बताती है कि इसके निर्माता

संविधान ने एक उचित प्रक्रिया खंड को शामिल करने को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया।

141. मसौदे से "उचित प्रक्रिया" को स्पष्ट रूप से हटाना

"कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया" द्वारा इसका गठन और प्रतिस्थापन

244 संविधान सभा बहस खंड। *VII (4.11.1948-8.1.1949)*

राजीव सूरी बनाम। दिल्ली विकास प्राधिकरण और ओआरएस। *[*ए. एम. खानविलकर, जे.*]*

जैसा कि न्यायविद ग्रैनविल ऑस्टिन ने उल्लेख किया है, इस न्यायालय द्वारा के. एस. पुट्टास्वामी *(1) 245* में इस प्रकार कहा गया है:

"*276.* संविधान सभा द्वारा किया गया तीसरा बड़ा बदलाव यह था कि संविधान के मसौदे के पाठ से "कानून की उचित प्रक्रिया" वाक्यांश को हटा दिया गया था। न्यायमूर्ति फ्रैंकफर्टर के साथ बी. एन. राउ की बैठक के बाद, मसौदा समिति ने "कानून की उचित प्रक्रिया" वाक्यांश को हटा दिया और इसे "स्थापित प्रक्रिया" के साथ बदल दिया।

कानून द्वारा "। ग्रैनविल ऑस्टिन के बीच बातचीत को संदर्भित करता है

फ्रैंकफर्टर और बी. एन. राउ और हटाने का कारण [ग्रैनविल

ऑस्टिन, भारतीय संविधानः ए की आधारशिला

नेशन *(*ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, *1966)* पी। *103.] :*

"इसके तुरंत बाद, राउ ने संविधान के निर्माण के बारे में न्यायाधीशों, संविधानवादियों और राजनेताओं से बात करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, आयरलैंड और इंग्लैंड की अपनी यात्रा शुरू की। संयुक्त राज्य अमेरिका में वे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश फेलिक्स फ्रैंकफर्टर से मिले, जिन्होंने उन्हें बताया कि वे उचित प्रक्रिया खंड में निहित न्यायिक समीक्षा की शक्ति को अलोकतांत्रिक दोनों मानते हैं- क्योंकि कुछ न्यायाधीश किसी राष्ट्र के प्रतिनिधियों द्वारा अधिनियमित कानून को वीटो कर सकते हैं और न्यायपालिका के लिए बोझिल हैं। फ्रैंकफर्टर हार्वर्ड लॉ स्कूल के महान संवैधानिक वकील, जेम्स ब्रैडली थायर से बहुत प्रभावित थे, जिन्हें यह भी डर था कि विधायी निरीक्षण या दुर्व्यवहार के खिलाफ सुरक्षा के रूप में उचित प्रक्रिया पर बहुत अधिक निर्भरता कानून को कमजोर कर सकती है।
लोकतांत्रिक प्रक्रिया। फ्रैंकफर्टर से मिलने से पहले ही थायर के विचारों ने राउ को प्रभावित किया था। अपने संवैधानिक प्रस्तावों में, राउ ने बताया था कि थायर और अन्य लोगों ने 'सर्वोच्च न्यायालय में खोजने का प्रयास करने के खतरों की ओर ध्यान आकर्षित किया था

अनुभव के सबक के बजाय इसके खिलाफ एक सुरक्षा

जन प्रतिनिधियों की गलतियाँ "।

142. इसके अलावा, उचित प्रक्रिया का पूरा विचार सुरक्षा के लिए था

यह सुनिश्चित करके कि ऐसी स्वतंत्रता को छीनने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया कुछ मानकों का पालन करती है, व्यक्तियों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता। इसका उपयोग कभी भी वैधानिक परिभाषित/स्पष्ट दायित्वों की तुलना में उच्च बेंच मार्क लागू करके प्रशासनिक निर्णयों को घेरने या उन पर सवाल उठाने के लिए नहीं किया गया था। इसका मतलब यह नहीं है कि प्रशासनिक कार्रवाई को संविधान द्वारा अनियंत्रित छोड़ दिया गया था। संविधान में प्रावधान है कि

ऐसी योजना जिसमें "कानून" को भाग-*III* के सभी प्रावधानों के अधीन बनाया गया हो। *245 (*ऊपर *79* पर*)*

कार्रवाई की प्रकृति और अधिकारों पर परिणाम की प्रकृति पर निर्भर करता है। संविधान द्वारा प्रदान किए जा सकने वाले उपचार की प्रकृति को निर्धारित करने के लिए कार्रवाई की प्रकृति और परिणाम की प्रकृति की परीक्षा आवश्यक है। इस उद्देश्य के लिए, कार्यकारी कार्रवाई के बीच एक रेखा खींची जानी चाहिए जिसका व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर सीधा असर पड़ता है; और कार्यकारी कार्रवाई जिसमें मंत्री/प्रशासनिक कार्य शामिल हैं जिनका व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर कोई सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है। *143.* यह अंतर भारत में

संवैधानिक कानून के विकास के एक महत्वपूर्ण पहलू को उजागर करने के लिए प्रासंगिक है। जहाँ तक व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं का संबंध है, हम

द्वारा एक पूरे दिल से और बल्कि व्यापक दृष्टिकोण देखा है

अदालत। यह ध्यान दिया जा सकता है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर असर डालने वाली प्रशासनिक कार्रवाई की समीक्षा के दौरान ही इस न्यायालय ने "कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया" में प्रक्रिया को न्यायपूर्ण, निष्पक्ष और गैर-मनमाना होना अनिवार्य किया, जैसा कि मेनका गांधी *246* में काल्पनिक, मनमाना और दमनकारी से अलग है। समय की शिथिलता के साथ, प्रक्रिया की निष्पक्षता को बढ़ाने के लिए आयाम जोड़े जाने लगे ताकि कार्यपालिका के लिए किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना अधिक कठोर हो सके। मिट्ठू वी. पंजाब राज्य *247* और सुनील बत्रा *248*, निष्पक्षता और गैर-मनमानेपन के मानकों को "कानून" शब्द के साथ-साथ "कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया" वाक्यांश में सूचित करने के लिए आयोजित किया गया था क्योंकि व्यक्तिगत स्वतंत्रताएँ दांव पर थीं। सुनील बत्रा *249* में, जे. देसाई ने पैरा *228* में इस प्रकार उल्लेख किया है:

"*228.* ..... अनुच्छेद *21* में "कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया" अभिव्यक्ति में "कानून" शब्द की व्याख्या मेनका गांधी के मामले में इस अर्थ में की गई है कि कानून सही, न्यायपूर्ण और निष्पक्ष होना चाहिए, न कि मनमाना, काल्पनिक या दमनकारी। अन्यथा यह कोई प्रक्रिया नहीं होगी और अनुच्छेद *21* की आवश्यकता पूरी नहीं होगी। यदि यह मनमाना है तो यह अनुच्छेद *14* का उल्लंघन होगा।

हालांकि, राजबाला और ओआरएस में। वी. हरियाणा राज्य और इस न्यायालय ने भारतीय संविधान में मूल उचित प्रक्रिया के सिद्धांत के अस्तित्व के बारे में संक्षिप्त रूप से टिप्पणी की:

"*64.* मैकडॉवेल एंड कंपनी मामले के उपरोक्त उद्धरण से *[*स्टेट ऑफ ए. पी. *v.* मैकडॉवेल एंड कंपनी, *(1996) 3* एस. सी. सी. *709*, पैरा *43]*

स्पष्ट करें कि इस देश में अदालतें इस कार्य को नहीं करती हैं

246 (209 पर ऊपर*)*

247 (1983) 2 एस. सी. सी. *277* *248 (128* पर ऊपर*)*

249 (128 पर ऊपर*)* *250 (2016) 2* एस. सी. सी. *445* अजीव सूरी बनाम।

दिल्ली विकास प्राधिकरण और ओआरएस। *[* ए. एम. खानविलकर, जे.*]*

कानून के एक टुकड़े को इस आधार पर असंवैधानिक घोषित करना कि

कानून "मनमाना" है क्योंकि इस तरह के अभ्यास का एक मूल्य है

निर्णय और अदालतें विधायी ज्ञान की जांच नहीं करती हैं।

विकल्प जब तक कि कानून अन्यथा कुछ विशिष्ट का उल्लंघन नहीं करता है संविधान का प्रावधान। इस तरह के कार्य करने के लिए

परीक्षण वस्तुतः आयात करने के बराबर होगा

द्वारा नियोजित "मूल नियत प्रक्रिया" का सिद्धांत

अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने पहले के समय में

भारतीय विधान की संवैधानिकता की जांच करना। के रूप में

उपरोक्त उद्धरण में इंगित किया गया है, यहां तक कि संयुक्त राज्य अमेरिका में भी

सिद्धांत वर्तमान में संदिग्ध वैधता का है। यह न्यायालय लंबा है।

ए. एस. कृष्णा बनाम मद्रास राज्य, ए. आई. आर. *1957* एससी *297* घोषित किया कि उचित प्रक्रिया के सिद्धांत का कोई अनुप्रयोग नहीं है

भारतीय संविधान के तहत *[*नगरपालिका समिति,

अमृतसर बनाम। पंजाब राज्य *(1969) 1* एस. सी. सी. *475]*। जैसा कि बताया गया है।

फ्रैंकफर्टर, जे. द्वारा, मनमानेपन एक मंत्र बन गया।

(जोर दिया गया*)*

के. एस. पुट्टास्वामी *(1) 2 5 1* में, न्यायालय अधिक स्पष्ट था -

जी इन दो अभिव्यक्तियों के बीच द्विभाजन और इस प्रकार देखा गयाः

" *290.* प्रारूपण के आसपास का संवैधानिक इतिहास

अनुच्छेद *21* में जानबूझकर किए गए कार्य का प्रचुर प्रतिबिंब है।

और संविधान सभा के हटाने के निर्णय का अध्ययन किया

मसौदे से "कानून की उचित प्रक्रिया" अभिव्यक्ति

संविधान जब अपनाया गया था। में

संविधान सभा, डॉ. बी. आर. की अध्यक्षता में प्रारूप समिति।

निर्णय लेने की प्रक्रिया की अनिश्चितताओं का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन संयुक्त राज्य अमेरिका में नियत प्रक्रिया खंड की व्याख्या शामिल है।

महत्वपूर्ण रूप से, हमारे संविधान निर्माताओं के दिमाग में मौजूद है

अमेरिका में सामाजिक कल्याण कानून को अमान्य कर दिया गया था इस आधार पर कि उसने उचित प्रक्रिया खंड का उल्लंघन किया है

पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को खुद को प्रस्तुत करने के लिए अनुबंध की स्वतंत्रता

श्रम के लिए मुक्त बाजार में काम करने के लिए। यह मॉडल स्पष्ट रूप से नहीं था

समान वाक्यांश को शामिल करने का विरोध करने वालों से अपील करें भारतीय संविधान में "।

(जोर दिया गया*)*

79 पर ओरा*)*

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इसने आगे ठोस उचित प्रक्रिया के निर्माण के खतरों का उल्लेख किया

भारत में संवैधानिक व्याख्या के एक कठोर सिद्धांत और इससे जुड़ी अनिश्चितताओं के रूप में:

"*296.* इसे एक अभ्यास के रूप में समझने का खतरा
"मूल देय प्रक्रिया "यह है कि इसके परिणामस्वरूप

अमेरिकी संविधान से एक अवधारणा का समावेश

जिसे संविधान द्वारा जानबूझकर स्वीकार नहीं किया गया था

व्याख्या। विशेष रूप से संवैधानिक
हमारे संविधान में उस वाक्यांश को हटाने के आसपास का इतिहास,

संयुक्त राज्य अमेरिका के तहत मूल उचित प्रक्रिया के अभ्यास के साथ एक कानून
संविधान। कुछ में मूल नियत प्रक्रिया का संदर्भ

निर्णय अनिवार्य रूप से एक ठोस चुनौती का संदर्भ है।

किसी कानून की वैधता के लिए इस आधार पर कि उसका मूल *(*विशिष्ट के रूप में*)*

प्रक्रियात्मक*)* प्रावधान संविधान का उल्लंघन करते हैं।

(जोर दिया गया*)*

144. इसलिए, समीक्षा में हमारे न्यायशास्त्र का प्रक्षेपवक्र

व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामले सख्त दृष्टिकोण में से एक रहे हैं। हालाँकि, यह प्रचार करना एक गलत नाम है कि हम धीरे-धीरे चुनी हुई "कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया" से एक बार सचेत रूप से बदल गए हैं।

"कानून की उचित प्रक्रिया" को अस्वीकार कर दिया। निर्विवाद रूप से, हम व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मामले से नहीं निपट रहे हैं। याचिकाकर्ता, अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद, किसी भी विवादित कार्यकारी कार्रवाई के कारण किसी भी व्यक्ति के जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित होने के मामले को प्रदर्शित करने में सक्षम नहीं हुए हैं। जबकि, याचिकाकर्ताओं के लिए यह आवश्यक है कि

उचित प्रक्रिया तर्क को लागू करने के लिए विवादित कार्यकारी कार्रवाई के कारण उनके मूल मौलिक अधिकारों पर एक वास्तविक और प्रत्यक्ष प्रभाव या प्रतिबंध प्रदर्शित करें। एक कारण-प्रभाव संबंध आवश्यक

है। केवल तभी राज्य पर भार भाग-*III* के अनुमेय अपवादों के भीतर प्रतिबंधों की अनुपस्थिति या प्रतिबंधों के औचित्य को दिखाने के लिए स्थानांतरित हो जाएगा।

145. स्वीकार करते हुए, हम एक प्रक्रिया की समीक्षा में बैठे हैं

प्रशासनिक या ऐसा कहने के लिए अर्ध विधायी कार्रवाई जो बाद की श्रेणी में आती है, अर्थात्, व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर कोई सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है। न्यायिक समीक्षा कुछ मौजूदा अधिकारों और राजीव सूरी बनाम के संदर्भ में एक अभ्यास है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण और ओआरएस। *[* ए. एम. खानविलकर, जे.*]*

राहत और उपचार के लिए प्रार्थना की। प्रशासनिक और कार्यपालिका या नीतिगत मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप के संबंध में भारत में कानून का शासन, जैसा कि स्वीकार किया गया है और स्थापित किया गया है, अब एकीकृत नहीं है। न्यायपालिका को आदेश दिया गया है कि वह नियंत्रण और संतुलन सुनिश्चित करे और अदालत में आमने-सामने आने पर सरकार और नागरिकों के बीच खुद को स्थापित करे। इसका उद्देश्य एक बराबरी करने वाले के रूप में कार्य करना और यह सुनिश्चित करना है कि कार्यपालिका से लेकर नागरिकों तक निर्णयों के प्रवाह की निगरानी के चश्मे के माध्यम से की जाए। अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत, जब भी ऐसा करने के लिए कहा जाता है। न्यायिक निकाय का उद्देश्य कानून के शासन के नाम पर सरकार पर नागरिकों या यहां तक कि सुशासन के अपने संस्करण को थोपना नहीं है।

न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्ति का प्रयोग।

146. नॉर्थ वेल्स पुलिस के मुख्य कांस्टेबल बनाम। इवांस *252,* लॉर्ड ब्राइटमैन ने बहुत संक्षिप्त रूप से इस प्रकार देखाः

"न्यायिक समीक्षा का संबंध निर्णय से नहीं, बल्कि निर्णय लेने की प्रक्रिया से है। जब तक अदालत की शक्ति पर उस प्रतिबंध का पालन नहीं किया जाता है, तब तक अदालत, मेरे विचार में, सत्ता के दुरुपयोग को रोकने की आड़ में, खुद को सत्ता हड़पने का दोषी ठहराएगी।

बेंजामिन कार्डोजो ने अपने मौलिक कार्य "प्रकृति की प्रकृति" में

न्यायिक प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया गया है कि कैसे एक न्यायाधीश पवित्र सिद्धांतों से अपनी शक्ति प्राप्त करता हैः

न्यायाधीश, भले ही वह स्वतंत्र हो, फिर भी पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है। उसे आनंद में नवाचार नहीं करना है। वह एक शूरवीर नहीं है-गलती करने वाला, सुंदरता या अच्छाई के अपने आदर्श की खोज में अपनी इच्छा से घूम रहा है। उसे पवित्र सिद्धांतों से प्रेरणा लेनी है। उसे असमंजस की भावना, अस्पष्ट और अनियंत्रित परोपकार के आगे नहीं झुकना है। उसे परंपरा द्वारा सूचित, सादृश्य द्वारा व्यवस्थित, प्रणाली द्वारा अनुशासित और "के अधीन" विवेक का प्रयोग करना है।
सामाजिक जीवन में व्यवस्था की प्राथमिक आवश्यकता "। सभी में काफी चौड़ा

विवेक विवेक का क्षेत्र है जो बना रहता है। *253* "

रिलायंस एयरपोर्ट डेवलपर्स *254* में, इस न्यायालय ने प्रशासनिक कार्रवाई में न्यायिक समीक्षा के दायरे पर चर्चा की और इस प्रकार नोट कियाः

"56. एक बिंदु जो निर्धारण के लिए आता है वह है गुंजाइश

प्रशासनिक निर्णयों के मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप।

प्रशासनिक कार्रवाई को व्यापक क्षेत्र के लिए संदर्भित किया जाता है

252 [1982] 1 डब्ल्यू. एल. आर. *1155 253* न्यायिक प्रक्रिया की प्रकृति, बेंजामिन कार्डोजो, न्यू हेवनः येल यूनिवर्सिटी प्रेस, *13* वीं संस्करण। *1946 pg. 141* *254 (188* पर ऊपर*)*

सरकारी गतिविधियाँ जिनमें शक्ति के भंडार कार्यकारी, अर्ध-विधायी और अर्ध-न्यायिक प्रकृति के वैधानिक कार्यों के प्रत्येक वर्ग का प्रयोग कर सकते हैं। यदि ऐसी शक्ति के प्रयोग में स्पष्ट त्रुटि है या शक्ति का प्रयोग स्पष्ट रूप से मनमाना है तो यह एक सामान्य कानून है कि शक्ति का प्रयोग, चाहे विधायी हो या प्रशासनिक, अलग कर दिया जाएगा *(*देखें यू. पी. *v.* राज्य। रेनुसागर पावर कंपनी *[(1988) 4* एस. सी. सी. *59* ए. आई. आर. *1988* एस. सी. *1737]*। एक समय में, इंग्लैंड में पारंपरिक दृष्टिकोण यह था कि कार्यपालिका जवाबदेह नहीं थी जहां उसकी कार्रवाई विशेषाधिकार शक्ति के प्रयोग के लिए जिम्मेदार थी। प्रोफेसर डी स्मिथ ने अपने उत्कृष्ट कार्य न्यायिक समीक्षा प्रशासनिक कार्रवाई, *4* था संस्करण में लिखा है। पीपी में। *285-87* उसकी अपनी संक्षिप्त भाषा में कानूनी स्थिति बताती है कि अदालतों द्वारा तैयार किए गए प्रासंगिक सिद्धांतों को व्यापक रूप से संक्षेप में निम्नानुसार प्रस्तुत किया जा सकता है। वह प्राधिकारी जिसमें विवेकाधिकार है

इससे पहले की बात; इसे किसी अन्य निकाय के आदेशों के तहत कार्य नहीं करना चाहिए या प्रत्येक व्यक्ति में विवेक का प्रयोग करने से खुद को अक्षम नहीं करना चाहिए। मामला। अपने विवेकाधिकार के कथित प्रयोग में, उसे वह नहीं करना चाहिए जो करने के लिए उसे मना किया गया है, और न ही उसे वह करना चाहिए जो करने के लिए उसे अधिकृत नहीं किया गया है। इसे सद्भावना से कार्य करना चाहिए, सभी प्रासंगिक विचारों को ध्यान में रखना चाहिए और इससे प्रभावित नहीं होना चाहिए।

अप्रासंगिक विचार, पत्र या कानून की भावना के लिए विदेशी उद्देश्यों को बढ़ावा देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए जो इसे शक्ति देता है

कार्य करें, और मनमाने ढंग से या मनमौजी तरीके से कार्य नहीं करना चाहिए।

(जोर दिया गया*)*

इसके बाद न्यायालय ने सिद्धांतों को दो व्यापक श्रेणियों में विभाजित किया। *"56. .....* इन कई सिद्धांतों को आसानी से वर्गीकृत किया जा सकता है।

दो मुख्य श्रेणियाँः *(i)* विवेकाधिकार का प्रयोग करने में विफलता, और *(ii)* विवेकाधीन शक्ति का अधिकता या दुरुपयोग। हालाँकि, दोनों वर्ग पारस्परिक रूप से अनन्य नहीं हैं। इस प्रकार, विवेकाधिकार को अनुचित रूप से बाधित किया जा सकता है क्योंकि अप्रासंगिक विचारों को ध्यान में रखा गया है, और जहां कोई प्राधिकरण

अपने विवेकाधिकार को किसी अन्य निकाय को सौंपता है तो वह अधिकार से बाहर काम करता है। राजीव सूरी बनाम।

दिल्ली विकास प्राधिकरण और ओआरएस। *[ए. एम. खानविलकर, जे.]*

न्यायालय ने आगे दिमाग के गैर-अनुप्रयोग के आधार जोड़े

o प्रासंगिक कारक और तथ्यों का अस्तित्व न होना और इस प्रकार नोट किया गया:

"57. ..... यदि शक्ति का प्रयोग गैर-विचार पर किया गया है या

प्रासंगिक कारकों पर मन का गैर-अनुप्रयोग, शक्ति का प्रयोग

स्पष्ट रूप से गलत माना जाएगा। यदि एक शक्ति *(*चाहे

विधायी या प्रशासनिक*)* का प्रयोग तथ्यों के आधार पर किया जाता है।
जो मौजूद नहीं हैं और जो स्पष्ट रूप से गलत हैं, इस तरह का अभ्यास

सत्ता दूषित हो जाएगी। " सिविल सेवा संघों की परिषद *255* में,
लॉर्ड डिप्लॉक ने प्रयास किया

o प्रशासनिक कार्रवाई की न्यायिक समीक्षा के आधारों को संक्षेप में प्रस्तुत करें। उनके चौड़े सिर और इस प्रकार नोट किए गए:

"..... मुझे लगता है कि न्यायिक समीक्षा आज एक ऐसे चरण में विकसित हुई है जब,

उन कदमों के किसी भी विश्लेषण को दोहराये बिना जिनके द्वारा

विकास हुआ है, कोई भी आसानी से नीचे वर्गीकृत कर सकता है

तीन प्रमुख वे आधार हैं जिन पर प्रशासनिक कार्रवाई की जाती है
न्यायिक समीक्षा द्वारा नियंत्रित करना। पहला मैदान जिसे मैं बुलाता

'अवैधता', दूसरी' तर्कहीनता 'और तीसरी '
प्रक्रियात्मक अनुचितता '। इसका मतलब यह नहीं है कि आगे

मामला दर मामला आधार पर विकास समय के साथ नहीं हो सकता है।

अतिरिक्त आधार जोड़ें। मेरे मन में विशेष रूप से संभव है

'आनुपातिकता' के सिद्धांत को भविष्य में अपनाना जो है

हमारे कई साथियों के प्रशासनिक कानून में मान्यता प्राप्त

यूरोपीय आर्थिक समुदाय के सदस्य; लेकिन निपटाने के लिए
तत्काल मामले में तीन पहले से ही अच्छी तरह से स्थापित प्रमुख हैं कि मैं

मैंने उल्लेख किया है कि यह पर्याप्त होगा।

(जोर दिया गया*)*

यह ध्यान देने के अलावा कि न्यायिक समीक्षा केवल मामलों में ही आवश्यक है

अवैधता, तर्कहीनता और प्रक्रियात्मक अनुचितता, लॉर्ड डिप्लॉक

सांकेतिक रूप से नोट किया गया कि समीक्षा की श्रेणियां संपूर्ण नहीं हो सकती हैं

समाज जहाँ प्रशासनिक कार्रवाई सभी क्षेत्रों में प्रवेश कर रही है

अमानवीय गतिविधि और वह "आनुपातिकता" अभी तक एक और के रूप में उभर सकती हैभविष्य में समीक्षा का दौर।

147. इस न्यायालय ने टाटा सेल्युलर में स्थिति को संक्षेप में प्रस्तुत किया

भारत संघ *256* और इस प्रकार मनाया गयाः

5 (ऊपर *181* पर*)*

6 (1994) 6 एससीसी *651 [2021] 15* एस. सी. आर.

" 94. उपरोक्त से जो सिद्धांत निकाले जा सकते हैं वे हैंः

(1) आधुनिक प्रवृत्ति प्रशासनिक कार्रवाई में न्यायिक संयम की ओर इशारा करती है।

(2) अदालत अपील की अदालत के रूप में नहीं बैठती है, बल्कि केवल निर्णय लेने के तरीके की समीक्षा करती है।

(3) अदालत के पास प्रशासनिक निर्णय को सही करने की विशेषज्ञता नहीं है। यदि प्रशासनिक निर्णय की समीक्षा की अनुमति दी जाती है, तो यह आवश्यक विशेषज्ञता के बिना अपने स्वयं के निर्णय को प्रतिस्थापित करेगा, जो स्वयं गलत हो सकता है।

(जोर दिया गया*)*

148. हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि न्यायपालिका का दायरा, संचालन और विस्तार

पुनर्विलोकन उस विषय वस्तु की प्रकृति पर निर्भर करता है जिससे न्यायालय निपट रहा है। एक संवैधानिक न्यायालय हस्तक्षेप का एक समान मानक तैयार नहीं कर सकता है, विशेष रूप से जब प्रशासनिक कार्रवाई की प्रकृति में विषय वस्तु के आधार पर निष्पादन में समीचीनता *(*सापेक्ष शब्दों में*)* शामिल हो सकती है। सिविल सेवा संघों की परिषद *257* में, लॉर्ड स्कारमैन ने इस प्रकार कहाः

"..... जैसे विशेषाधिकार से संबंधित कानून में प्राचीन प्रतिबंध

प्राकृतिक न्याय की आवश्यकता, अर्थात् निष्पक्ष रूप से कार्य करने का कर्तव्य, इसलिए
कि यह विशुद्ध रूप से प्रशासनिक अधिनियम की आवश्यकता है, इसलिए यह भी है

आधुनिक कानून, एक जीवंत रेखाचित्र जिसका मेरे महान और विद्वान मित्र

लॉर्ड डिप्लॉक ने अपने भाषण में शामिल किया है, की सीमा का विस्तार किया है

विशेषाधिकार शक्ति के प्रयोग के संबंध में न्यायिक समीक्षा।

आज, इसलिए, निर्धारण में नियंत्रण कारक

क्या विशेषाधिकार शक्ति का प्रयोग इसके अधीन है
न्यायिक समीक्षा इसका स्रोत नहीं है बल्कि इसका विषय है।

(जोर दिया गया*)*

149. ग्राहम एल्डस और जॉन एल्डर ने अपनी पुस्तक "एप्लीकेशन फॉर

न्यायिक समीक्षा, कानून और व्यवहार, जैसा कि रिलायंस एयरपोर्ट डेवलपर्स *258* में अदालत ने भरोसा किया है, ने राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेशी मामलों की दो श्रेणियों की पहचान की है ताकि यह प्रदर्शित किया जा सके कि न्यायिक समीक्षा कैसे की जाती है।

(ऊपर *181* पर*)*

258 (*188* पर ऊपर*)*

राजीव सूरी बनाम। दिल्ली विकास प्राधिकरण और ओआरएस। *[* ए. एम. खानविलकर, जे.*]*

न्यायालय के समक्ष विषय वस्तु के आलोक में प्रतिबंधित/ढाला जा सकता है

निम्नलिखित शब्दों में:

"*57.* ..... निष्कासन के खिलाफ एक सामान्य धारणा है

न्यायालयों की अधिकारिता, ताकि वैधानिक प्रावधान जो

न्यायिक समीक्षा को बाहर रखने के उद्देश्य से समझा जाता है
सीमित रूप से। हालांकि, कुछ क्षेत्रों में

सरकारी गतिविधि, राष्ट्रीय सुरक्षा प्रतिमान है,

जिसे अदालतें खुद को अक्षम मानती हैं

स्वाभाविक रूप से समीक्षा योग्य नहीं हैं लेकिन चूंकि सदन के भाषण
सिविल सेवा संघों की परिषद में लॉर्ड्स बनाम। मंत्री के लिए

सिविल सेवा *[1985* एसी *374: (1984) 3* डब्ल्यूएलआर *1174* (एचएल)*: (1984) 3* सभी ई. आर. *935]* यह संदिग्ध है। लॉर्ड्स डिप्लॉक, स्कैमन और रोस्किली

इस बात से सहमत प्रतीत होता है कि दोनों के बीच कोई सामान्य अंतर नहीं है

शक्तियाँ, इस आधार पर कि उनका स्रोत वैधानिक है या नहीं

विशेषाधिकार लेकिन यह कि न्यायिक समीक्षा विषय द्वारा सीमित की जा सकती है

किसी विशेष शक्ति का मामला, उस मामले में राष्ट्रीय सुरक्षा। कई

विशेषाधिकार शक्तियाँ वास्तव में संवेदनशील, गैर से संबंधित हैं।

न्यायसंगत क्षेत्र, उदाहरण के लिए, विदेशी मामले, लेकिन कुछ हैं

से संबंधित विशेषाधिकारों सहित सिद्धांत रूप में समीक्षित

सिविल सेवा जहाँ राष्ट्रीय सुरक्षा शामिल नहीं है। एक और गैर

न्यायसंगत शक्ति निर्णय लेने के लिए महान्यायवादी का विशेषाधिकार है

क्या जनता की ओर से कानूनी कार्यवाही शुरू की जाए

रुचि "।

(जोर दिया गया*)*

150. यह उल्लेखनीय है कि आर वी में भी। के लिए राज्य सचिव

गृह विभाग, एक्स पार्टी डेली *259,* एक मामला जिसमें लॉर्ड कुक

वेड्सबरी के फैसले की यह कहते हुए आलोचना की कि यह भारी रूप से प्रतिबंधित करता है

केवल उन कार्यों को लक्षित करके न्यायालय की न्यायिक समीक्षा की शक्ति जोइसे बेहद अनुचित कहा जा सकता है, उन्होंने इसे एक बिंदु बना दिया

स्पष्ट रूप से ध्यान दें कि एक विस्तृत न्यायिक समीक्षा के लिए बुलाने को कभी भी प्रशासनिक कार्रवाई की योग्यता समीक्षा में परिवर्तित करने के लिए नहीं समझा जा सकता है।

उन्होंने इस प्रकार टिप्पणी की:*259 (184* पर ऊपर*)*

" [28] पारंपरिक आधारों के बीच दृष्टिकोण में अंतर

इसलिए समीक्षा और आनुपातिकता दृष्टिकोण

सही तरीके से। इसका मतलब यह नहीं है कि बदलाव हुआ है।
समीक्षा के योग्य। इसके विपरीत, जैसा कि प्रोफेसर जोवेल ने कहा है

इंगित किया, न्यायाधीशों की संबंधित भूमिकाएँ और

प्रशासक मौलिक रूप से अलग हैं और बने रहेंगे।

हाथ में विषय वस्तु '। कि शामिल मामलों में भी ऐसा है
सम्मेलन अधिकार। कानून के संदर्भ में सब कुछ है।

(जोर दिया गया)

151. हम उपयोगी रूप से फ्रैंकफ्यूटर, जे. मोरे की उक्ति को उधार ले सकते हैं,

इलिनोइस एट के सार्वजनिक खातों के लेखा परीक्षक। अल. वी. डौड एट। अल. *260* , आर. के. गर्ग *2 6 1* में इस न्यायालय द्वारा अनुमोदन के साथ उल्लेख किया गया है-"कि न्यायालयों के पास केवल नष्ट करने की शक्ति है, न कि पुनर्निर्माण करने की। जब इन्हें जोड़ा जाता है

आर्थिक विनियमन की जटिलता, अनिश्चितता, त्रुटि के लिए दायित्व, विशेषज्ञों का विस्मयकारी संघर्ष, और घटनाओं द्वारा न्यायाधीशों को कितनी बार खारिज किया गया है-आत्म-सीमा को न्यायिक ज्ञान और संस्थागत प्रतिष्ठा और स्थिरता का मार्ग देखा जा सकता है। " प्रीमियम ग्रेनाइट्स *262* में, यहां तक कि इस न्यायालय ने भी दोहराया कि यह न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र नहीं है कि वे इस बात पर विचार करने के लिए सार्वजनिक नीति के अपरिवर्तित महासागर को शुरू करें कि क्या कोई विशेष सार्वजनिक नीति बुद्धिमान है या बेहतर सार्वजनिक नीति विकसित की जा सकती है। इस तरह की कवायद को कार्यपालिका और विधायी प्राधिकरणों के विवेक पर छोड़ दिया जाना चाहिए, जैसा भी मामला हो। न्यायालय केवल तभी हस्तक्षेप कर सकता है जब मामले में संविधान या किसी अन्य वैधानिक अधिकार द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन शामिल हो।

152. एक प्राथमिकता, द्वारा तैनात की जाने वाली प्रक्रिया का प्रिस्क्रिप्शन

प्रशासन द्वारा अपने व्यवसाय के सामान्य क्रम में अपने निर्णय लेने का निर्णय न्यायालय को नहीं करना है। विशेष रूप से ऐसे मामलों में जहाँ *260 354* यूएस *457 (1957)*

(168 पर ऊपर*)*

262 (ऊपर *169* पर*)*

राजीव सूरी बनाम। दिल्ली विकास प्राधिकरण और ओआरएस। *[* ए. एम. खानविलकर, जे.*]*

निर्णय एक विधिवत अधिनियमित वैधानिक योजना के अनुरूप लिए जाते हैं, यह कानून के एक न्यायालय के लिए खुला नहीं है कि वह इस विशिष्ट तर्क पर इसकी अवहेलना करे कि शासी वैधानिक योजना की प्रकृति या प्रकृति के लिए कमी है। परियोजना का महत्व। भले ही कोई न्यायालय इसे बहस योग्य पाए, लेकिन यह न्यायालय के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सख्ती से की गई कार्रवाई को रद्द करने का कोई आधार नहीं हो सकता है।

153. निस्सन्देह, कानून का शासन की अवधारणा पर आधारित है

"एक्सपोजिटरी ज्यूरिसप्रूडेंस "जिसमें वास्तविक कानूनी प्रणाली की सामग्री की व्याख्या की आवश्यकता होती है क्योंकि यह मौजूद है। यह कहना कि किसी मामले में प्रक्रिया को निर्धारित करने वाली वैधानिक योजना पर्याप्त नहीं है और कार्यपालिका द्वारा लोकतांत्रिक उचित प्रक्रिया के एक नए मानक को लागू किया जाना चाहिए था, कानून के शासन के सिद्धांत को त्यागने का एक उत्कृष्ट तरीका होगा, जिसके लिए सभी और विशेष रूप से न्यायिक मंच द्वारा दृष्टिकोण की स्थिरता और एकरूपता की आवश्यकता होती है। ऐसे मामलों में जो निर्णय लेने की प्रक्रिया के लोकतंत्रीकरण सहित प्रशासनिक दक्षता के आदर्शों को पूरा करने के लिए हितकर प्रतीत हो सकते हैं, भले ही किसी न्यायालय की राय हो कि एक अलग प्रक्रिया *(*वैधानिक योजना के अलावा*)* अधिक न्यायसंगत और उचित होगी, वह न्यायिक समीक्षा के माध्यम से अपने आदर्श को लागू करने का प्रयास नहीं कर सकता है, इसे *264* से कम करने के लिए बहुत कम। न्यायिक समीक्षा में, हम सरकारी कार्यों में आदर्शवाद पर चर्चा में नहीं बैठते हैं, बल्कि हमारा क्षेत्र इसकी वैधता की जांच करना है।

संवैधानिक मूल्य और उस संबंध में कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया।

154. लोकतांत्रिक उचित प्रक्रिया जैसी अभिव्यक्ति का आयात

एक प्रशासनिक मामला कम से कम तीन गंभीर परिणामों से भरा होता है-पहला, अपनी अयोग्यता की किसी भी घोषणा के बिना एक वैधानिक प्रक्रिया को लागू न करने के तरीके से; दूसरा, एक ऐसी प्रक्रिया का आयात जो निर्धारित कानून के अनुसार "देय" नहीं है, लेकिन माना जाता है।

263 ब्लैक लॉ डिक्शनरी, *11* वां संस्करण *(*पृष्ठ *726)* *264 [* देखः जोसेफ एंटनी *(*ऊपर*)*-पैरा *14* और स्टेट ऑफ एम. पी. *v.* नर्मदा बचाओ आंदोलन *(*ऊपर*)*-पैरा *36* और *37] [2021] 15* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

155. हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि न तो कानून के शासन का सिद्धांत और न ही

न्यायिक समीक्षा में ऐसे परिदृश्य की परिकल्पना की गई है। न्यायमूर्ति जे. सी. शाह ने "कानून का शासन और भारतीय संविधान" पर अपने प्रकाशित व्याख्यान में सही कहा किः

"एक लोकतांत्रिक समाज में कानून का शासन अपने अंतिम चरण में हो सकता है
विश्लेषण को निम्नलिखित व्यापक प्रस्तावों तक सीमित किया जाए:

(1) कानून की सामग्री को ध्यान में रखे बिना, सभी शक्तियाँ

राज्य से व्युत्पन्न होता है और इसका प्रयोग किया जाना चाहिए

कानून के अनुसार।

(2)

व्यक्तित्व। उस उद्देश्य के लिए *(ए)* व्यक्ति की सुरक्षा
एक निष्पक्ष न्यायिक के माध्यम से अधिकार सुरक्षित किए जाते हैं।

प्राधिकरण। न्यायपालिका द्वारा इसका यह अर्थ नहीं है कि प्राधिकरण को

दीवानी अदालत में मुकदमे का सामान रखें। अ.

आवश्यक गुणों से युक्त प्रशासनिक न्यायाधिकरण

न्यायाधिकरण न्यायिक के बुनियादी मानदंडों से अलग हो जाता है
प्रक्रिया या अप्रासंगिक विचारों या वस्तुओं से प्रभावित है,

कानून के शासन का उल्लंघन किया जाता है; *(*बी*)* कानून तैयार किया जाना चाहिए।

व्यक्तिगत स्थिति और अवसर की समानता सुनिश्चित करना,

सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों में, और

उसकी विशेष शक्ति और उसके विकास के लिए वातावरण

क्षमताएँ। *265* टी

(जोर दिया गया*)*

इस प्रकार, वैधानिक प्रक्रियाओं में न्यायालय की व्यक्तिपरक धारणाओं को जोड़ना।

कानून के शासन के मूल सिद्धांत के विपरीत होगा जिसके लिए "राज्य में सभी शक्तियों" का प्रयोग इसके अनुसार किया जाना आवश्यक है -

कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया।

156. एक अन्य आयाम जिसे ध्यान में रखा जाना चाहिए वह है तथ्य

कार्यपालिका की व्यक्तिपरक संतुष्टि। व्यक्तिपरक मामलों में जनहित में संवैधानिक न्यायालयों की भागीदारी से संबंधित कानून

संतुष्टि अच्छी तरह से तय है। अदालतों का हस्तक्षेप न तो किसी निर्णय पर पहुँचने के लिए सरकार द्वारा भरोसा की गई सामग्री की गुणवत्ता पर गौर करने के लिए आवश्यक है और न ही ऐसी सामग्री की पर्याप्तता पर निर्णय लेने के लिए।

265 1972 में बॉम्बे में प्रकाशित, पीपी।

24-25 राजीव सूरी बनाम। दिल्ली विकास प्राधिकरण और ओआरएस। *[*ए. एम. खानविलकर, जे.*]*

सामग्री। ये मामले व्यक्तिपरक होते हैं और यदि विधायिका राज्य के एक अंग पर व्यक्तिपरक शक्तियों की अनुमति देती है, तो दूसरे में न्यायिक समीक्षा का नाम*)* अपने स्थान पर अपनी व्यक्तिपरक राय को प्रतिस्थापित करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। न्यायालय की एकमात्र चिंता यह देखना है कि निर्णय लेने के

लिए जिस सामग्री पर भरोसा किया गया है, उसकी प्रासंगिकता को देखना है ताकि यह देखा जा सके कि निर्णय विवेक के प्रयोग से रहित नहीं है। यह इस मूल विचार पर आधारित है कि एक व्यक्तिपरक निर्णय की संरचना वस्तुनिष्ठ कारणों की नींव पर खड़ी होती है। न्यायालय तब हस्तक्षेप कर सकता है जब कोई निर्णय किसी कारण से रहित हो या दुर्भावना से प्रभावित हो या जब वैधानिक उल्लंघन के बाद निर्णय पर पहुंचा जाए। बेरियम में

केमिकल्स *266*, न्यायालय ने वैधानिक शक्तियों के प्रयोग में एक आदेश पर विचार करते हुए, प्रिवी काउंसिल के स्पष्टीकरण को स्वीकार किया और कहा

इस प्रकार:

" (60) ..... भले ही इसे सद्भावना से और शक्ति प्रदान करने वाले कानून के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के सर्वोत्तम इरादे से पारित किया जाता है, क्योंकि प्राधिकरण को उस कानून की सीमाओं के अनुसार और उसके भीतर कार्य करना होता है, इसके आदेश को भी चुनौती दी जा सकती है।

यदि यह उन सीमाओं से परे है या कानून के लिए बाहरी आधारों पर पारित किया गया है या यदि इसे पारित करने के लिए कोई आधार नहीं है या यदि आधार ऐसे हैं कि कोई भी यथोचित रूप से इस पर नहीं पहुंच सकता है

कानून के तहत आवश्यक राय या संतुष्टि।

यह निर्णय न्यायिक समीक्षा की रूपरेखा को चित्रित करता है, जैसे कि:

सरकार द्वारा राय/संतुष्टि का गठन

((i)

विशुद्ध रूप से एक व्यक्तिपरक प्रक्रिया थी और इस तरह की राय हो सकती थी

औचित्य, तर्कसंगतता या पर्याप्तता के आधार पर चुनौती नहीं दी जाएगी;
तथापि, व्यक्तिपरक राय/संतुष्टि

((ख)

सरकार को तथ्यों/परिस्थितियों के आधार पर पहुंचने की आवश्यकता है, जिसके लिए सरकार को सक्षम होना चाहिए

वस्तुनिष्ठ रूप से अस्तित्व में है;

(111) माला फिडेस, धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार गठन को दूषित कर देगा

राय/संतुष्टि; और

((iv) यदि राय/संतुष्टि सद्भावना से प्राप्त की गई थी तो वह थी -

न्यायिक समीक्षा से मुक्त जब तक कि:

(क) यह दिखाया गया था कि वस्तुनिष्ठ तथ्य/परिस्थितियाँ मौजूद नहीं थीं; या

266 (158 पर ऊपर*)*

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(ख) किसी के लिए भी राय बनाना असंभव था /

उन तथ्यों/परिस्थितियों के आधार पर संतुष्टि,

तब के लिए सरकार की राय हो सकती है

आवेदन न करने के आधार पर चुनौती दी गई

मन या विकृति या इस आधार पर कि यह था

विधान से बाहर के आधारों पर गठित

और क़ानून के दायरे से बाहर था।

उपरोक्त सिद्धांतों को रोहतास इंडस्ट्रीज *267* में दोहराया गया है।

जिसमें इस न्यायालय ने इस प्रकार उल्लेख किया:

" 11. ..... पहले बताए गए कारणों से हम निष्कर्ष से सहमत हैं।

उपखंड *(1)* में निर्धारित किए गए अनुसार व्यवसाय किया जा रहा था या
उपखंड *(2)* में उल्लिखित व्यक्ति धोखाधड़ी के दोषी थे या

कंपनी के प्रति या उसके प्रति कदाचार या अन्य कदाचार
इसका कोई भी सदस्य सरकार के लिए एक शर्त है

आवश्यक राय बनाने के लिए और यदि उन शर्तों का अस्तित्व है

जब आदेश दिया गया था तब परिस्थितियाँ मौजूद थीं। अन्य में
शब्दों में, विचाराधीन परिस्थितियों का अस्तित्व खुला है

न्यायिक समीक्षा यद्यपि सरकार द्वारा बनाई गई राय है

न्यायालय द्वारा समीक्षा के लिए उत्तरदायी नहीं है। जैसा कि पहले कहा गया था कि आवश्यक
इस मामले में परिस्थितियाँ मौजूद नहीं थीं।

(जोर दिया गया*)*

157. यह ध्यान दिया जाए कि संविधान एक प्रभावी प्रावधान करता है

न्यायालय के लिए ऐसी विधि को लागू करने के लिए और विधि के अभाव में, न्यायालय मनमानेपन, न्याय और समता के क्षेत्रों में उद्यम करने की स्थिति में हो सकता है, ताकि उसके समक्ष के कारण में पूर्ण न्याय किया जा सके। ऐसी शक्ति अनुच्छेद *142* में अच्छी तरह से निहित है। हालाँकि, प्रक्रिया को निर्धारित करने वाली विधायिका द्वारा अधिनियमित किसी मौजूदा कानून को किसी भी चुनौती के अभाव में, उसके तहत की गई सभी कार्रवाई और उसके पर्याप्त अनुपालन में वैध बने रहना चाहिए और न्यायालय सही देने के लिए कर्तव्यबद्ध होगा। *267 (* ऊपर *159* पर*)*

राजीव सूरी बनाम। दिल्ली विकास प्राधिकरण और ओआरएस। *[* ए. एम. खानविलकर, जे.*]*

उस पर प्रभाव डालें। वर्तमान मामले में, अधिनियमित *(*वैधानिक*)* प्रक्रियाओं में से कोई भी हमले का विषय नहीं है।

158. भारत में जो प्रचलित है वह है "संवैधानिक देय प्रक्रिया" अर्थात वह प्रक्रिया जो संवैधानिक योजना के तहत देय है। और जो देय है, जैसा कि ऊपर बताया गया है, वह एक सैद्धांतिक न्यायिक समीक्षा है जिसमें "संतुलन" को झुकाए बिना एक "चेक" बनाए रखा जा सकता है। के लिए, सभी अंगों राज्य संविधान के तहत कानून, आदर्शों, अपेक्षाओं, अधिकारों और कर्तव्यों द्वारा स्थापित प्रक्रियाओं और प्रक्रियाओं को प्रभावी बनाने के सामान्य लक्ष्य के लिए संवैधानिक रूप से प्रतिबद्ध है और उसके लिए प्रतिबद्ध है।

वहाँ से विचलन की अनुमति दी जा सकती है। हालाँकि, हमें यह स्पष्ट करना चाहिए कि हमारा मतलब अवधारणा के बीच संघर्ष को दर्शाना नहीं है याचिकाकर्ताओं द्वारा परिकल्पित लोकतांत्रिक उचित प्रक्रिया और हमारे द्वारा उजागर की गई संवैधानिक उचित प्रक्रिया।

उच्च न्यायिक समीक्षा की आवश्यकता

159. याचिकाकर्ताओं ने विस्तार से तर्क दिया है कि वर्तमान मामले में न्यायिक समीक्षा बढ़ाने की आवश्यकता क्यों है। अंतर्निहित विचार नहीं है

एक उच्च समीक्षा को स्वीकार करके मान्यता। क्या किसी नीति के अनुसरण में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार कार्यपालिका द्वारा पहले ही निर्णय लिए जाने के बाद न्यायालय के लिए समीक्षा के मानक को नया बनाना और बढ़ाना उचित होगा*?* यदि हां, तो न्यायालय के लिए उन विषयों की पहचान करने का आधार या मानदंड क्या होगा जिनमें इस तरह के नवाचार या पदोन्नति की अनुमति है*?* *160.* याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि मानकों को केवल इस परियोजना के लिए बढ़ाया जा सकता है जो एक सामान्य परियोजना है। यहाँ तक कि उत्तरदाताओं ने भी एक स्तर पर इस परियोजना के लिए सुई जेनरिस उपचार का आह्वान किया है। हमें शुरू में ही इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हम किसी से भी प्रभावित नहीं हैं। किसी विशेष विषय को आम बोलचाल में सुई जेनरिस के रूप में मानना एक है।

लेकिन न्यायिक कार्यवाही में उस चरित्र के साथ कुछ समझौता करना एक पूरी तरह से अलग बात है। इस तरह के किसी भी न्यायशास्त्र की व्याख्या अप्रत्याशित परिणामों से भरी होगी और अनिश्चितताओं से भरी होगी। क्या किसी विशेष विकास परियोजना के लिए *[2021] 15* एस. सी. आर. की आवश्यकता है।

तात्कालिकता या विशेष उपचार की आवश्यकता है या सरकार से अधिकतम ध्यान देने की आवश्यकता है या बजटीय कारणों या आवश्यकताओं के लिए स्थगित किया जाना है प्रस्ताव को शुरू करने के लिए प्राधिकरण 'ए', न कि प्राधिकरण 'बी', कार्यपालिका के नीतिगत निर्णय का विषय है। इसके अलावा, वैधानिक योजना से परे मानदंड लागू करके न्यायिक समीक्षा को "ऊंचा" करने का कोई कानूनी आधार नहीं है और विशेष रूप से जब सरकार ने मंजूरी दे दी है।

परियोजना को कोई विशेष दर्जा नहीं दिया गया है और कानून के अनुसार ऐसी विकास परियोजनाओं के सामान्य मार्ग से गुजरा है।

161. किसी दी गई परियोजना में, सरकार अपने व्यक्तिपरक ज्ञान में सुई जेनरिस का दर्जा अच्छी तरह से प्रदान कर सकती है बशर्ते वह निर्धारित प्रक्रियात्मक मानकों से विचलित न हो। एक बार जब सरकार ने फैसला किया कि

जब कोई विधायिका, अपने विवेक से, एक कानूनी ढांचे को लागू करने का निर्णय लेती है, तो यह उम्मीद की जाती है और यह इस तरह से माना जाना चाहिए कि उसने हितधारकों-विशेषज्ञों और गैर-विशेषज्ञों, संस्थानों, प्रक्रियाओं, अनुमोदन के लिए समय सीमा, अंतर-विभागीय अपीलों, अंतर-विभागीय अपीलों आदि की भागीदारी के संबंध में गहन विश्लेषण किया है। पुनर्विलोकन में बैठे न्यायालय के पास यह तंत्र उपलब्ध नहीं है और संविधान कभी नहीं चाहता था कि वह ऐसा करे। इसलिए, जब न्यायालय के समक्ष समीक्षा लाई जाती है, तो यह एक के संदर्भ में शामिल प्रशासनिक प्रक्रिया की समीक्षा के लिए एक अलग *(*या तथाकथित ऊँचा*)* दृष्टिकोण अपनाने का विकल्प नहीं चुन सकते हैं

विशेष परियोजना। न्यायालय की भूमिका अच्छी तरह से परिभाषित है और इसे प्रशासन को नीति निर्माताओं के स्थान पर कदम रखते हुए वैकल्पिक विचारों की विविधता से निपटने के लिए नहीं छोड़ना चाहिए।

162. एक नीतिगत निर्णय सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक न्याय सहित विभिन्न संकेतकों में कई चरणों और कारकों से गुजरता है। इसकी अंतिम परिणति। परियोजना की प्रकृति के अनुसार, सरकार कुछ कदम उठाकर परियोजना को निष्पादित करती है-विधायी, प्रशासनिक आदि और यह वही है जो न्यायालय के रडार के तहत आता है। पारंपरिक माध्यमों से सरकारी कामकाज में बढ़ती पारदर्शिता

और आधुनिक मीडिया नागरिकों के बीच की खाई को कम कर रहा है और सरकार और सरकारी कार्यों को उच्च स्तर की जांच के साथ पूरा किया जाता है

वास्तविक समय के आधार पर। *163.* लोकतंत्र में, मतदाता निर्वाचित सरकार में अपना विश्वास व्यक्त करते हैं जो विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है और उम्मीद करते हैं कि वह राजीव सूरी बनाम को अपनाएगी।

जनहित में सर्वोत्तम संभव कार्रवाई। इस प्रकार, एक निर्वाचित सरकार विकास के मामलों में जनता के विश्वास का भंडार है। जनता/नागरिकों के कुछ वर्ग का एक और दृष्टिकोण हो सकता है, यदि निर्वाचित सरकार द्वारा समझी गई कार्रवाई के साथ पूरी तरह से असहमति नहीं है, लेकिन तब, पीड़ित/असहमत वर्ग द्वारा अपने

दृष्टिकोण के समर्थन के लिए न्यायिक समीक्षा का उपयोग तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक कि यह प्रदर्शित नहीं किया जाता है कि प्रस्तावित कार्रवाई कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का उल्लंघन है या किसी दिए गए मामले में, सरकार की शक्तियों का रंगीन प्रयोग है। इसलिए, अदालतों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे सभी उपस्थित परिस्थितियों के लिए जीवित रहें और केवल इसलिए हस्तक्षेप न करें क्योंकि जनता के पीड़ित/असहमत वर्ग की धारणा में एक और विकल्प एक बेहतर विकल्प होता।

164. जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, न्यायालय व्यक्तिपरक निर्णय की योग्यता समीक्षा करने के सरकार के निर्णयों पर अपील में नहीं बैठते हैं। प्राकृतिक संसाधन आवंटन *268* में, इस न्यायालय ने उल्लेख किया कि सार्वजनिक संसाधनों से संबंधित सरकारी निर्णयों में एक "जटिल स्थिति" है।

उनके साथ जुड़े आर्थिक मूल्य और विषय वस्तु के असाधारण होने की व्यक्तिपरक समझ के आधार पर समीक्षा के मानक को बढ़ाना समीक्षा क्षेत्राधिकार को हतोत्साहित करेगा। नर्मदा बचाओ आंदोलन बनाम। भारत संघ *269*, इस न्यायालय ने कहा कि:

"*229.* अब यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि अदालतें, अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, नीतिगत निर्णय के क्षेत्र में अतिक्रमण नहीं करेंगी। अवसंरचनात्मक परियोजना होनी चाहिए या नहीं और क्या किस प्रकार की परियोजना शुरू की जानी है और इसे कैसे किया जाना है

निष्पादित, नीति बनाने की प्रक्रिया का हिस्सा हैं और अदालतें नीतिगत निर्णय पर निर्णय लेने के लिए अक्षम हैं।

लिया गया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह यह देखे कि किसी निर्णय को लेने में किसी भी कानून का उल्लंघन न हो और लोगों की
संविधान के तहत अनुमत सीमा के अलावा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जाता है। फिर भी इस तरह के नीतिगत निर्णय के लिए कोई भी चुनौती परियोजना के निष्पादन से पहले होनी चाहिए। परियोजना के निष्पादन में किसी भी देरी का अर्थ है लागत में वृद्धि और किसी परियोजना को शुरू करने के निर्णय को, यदि इसके निष्पादन के शुरू होने के बाद चुनौती दी जाती है, तो उसे बाधाओं के आधार पर बहुत हद तक बाहर फेंक दिया जाना चाहिए यदि

याचिकाकर्ता को इस तरह के निर्णय की जानकारी थी और

268 (101 पर ऊपर*)* *269 (132* पर ऊपर*)*

उस समय अदालत का रुख किया जा सकता था। सिर्फ इसलिए कि

याचिका को पी. आई. एल. कहा जाता है इसका मतलब यह नहीं है कि सामान्य सिद्धांत

मुकदमेबाजी पर लागू नहीं होगा। लाचेस उनमें से एक है।

(जोर दिया गया*)*

165. सरकार लाभ या हानि की जाँच कर सकती है।

किसी नीति की अपनी ओर से, वह वांछित उद्देश्य को प्राप्त कर सकती है या नहीं भी कर सकती है। सरकार को गलतियाँ करने या सफलता प्राप्त करने का अधिकार है।

नीतिगत मामले तब तक होते हैं जब तक कि इस प्रक्रिया में संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं होता है। निर्वाचित सरकार की प्राथमिकताओं की जांच करना न्यायालय की चिंता नहीं है। न्यायिक समीक्षा का उद्देश्य कभी भी सरकार के दिमाग में प्रवेश करना और इस तरह किसी निर्णय की वैधता की जांच करना नहीं होता है। शिमनीत उत्श इंडिया *270* में, इस न्यायालय ने पैरा *52* में इस प्रकार टिप्पणी की:

"52. ..... अदालतों ने बार-बार कहा है कि
सरकार की नीति को बदलाव के साथ बदला जा सकता है।

परिस्थितियाँ और केवल परिवर्तन के आधार पर, ऐसी नीति

दूषित नहीं किया जाएगा। सरकार के पास इसे अपनाने का विवेक है

अलग नीति या सेवा करने के लिए गणना की गई अपनी नीति को बदलें या बदलें

जनहित और इसे और अधिक प्रभावी बनाना। संतुलन में विकल्प
नीति में परिवर्तन के लिए प्रासंगिक पक्ष और विपक्ष के साथ निहित है

प्राधिकरण। लेकिन सरकार द्वारा प्रयोग किए जाने वाले किसी भी विवेक की तरह
या सार्वजनिक प्राधिकरण, नीति में परिवर्तन अनुरूप होना चाहिए

वेड्सबरी के साथ *[*एसोसिएटेड प्रोविंशियल पिक्चर हाउस*]*

लिमिटेड वी. वेड्सबरी कॉर्प. *, (1948) 1* के बी *223: (1947) 2* सभी ईआर

680 (सी. ए.*)]* तर्कसंगतता और मनमानेपन, तर्कहीनता से मुक्त,

पक्षपात और द्वेष "।

(जोर दिया गया*)*

मध्य प्रदेश राज्य में *v.* नर्मदा बचाओ आंदोलन *2 7 1,*

न्यायालय बांध के निर्माण के कारण विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के मुद्दे पर विचार कर रहा था। इसने यह देखा कि किसी नीतिगत मामले में न्यायिक हस्तक्षेप निम्नलिखित शब्दों में सीमित है:

"36. न्यायालय द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णय को रद्द नहीं किया जा सकता है।
सरकार द्वारा केवल इसलिए कि उसे लगता है कि एक और

निर्णय निष्पक्ष या अधिक वैज्ञानिक या तार्किक होता।

या बुद्धिमान। नीतियों की समझदारी और सलाह ये हैं -
आम तौर पर न्यायिक समीक्षा के लिए उत्तरदायी नहीं है जब तक कि नीतियां

270 (133 पर ऊपर*)*

*271 (*ऊपर *134* पर*)*

राजीव सूरी बनाम। दिल्ली विकास प्राधिकरण और ओआरएस। *[*ए. एम. खानविलकर, जे.*]*

वैधानिक या संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत हैं या
मनमाना या तर्कहीन या सत्ता का दुरुपयोग। *(* राम सिंह को देखें

विजय पाल सिंह बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य *[(2007) 6* एस. सी. सी. *44],* विलियनूर

इयर्कई पडुकप्पु मैयम बनाम। भारत संघ *[(2009) 7* एससीसी *561]*
और केरल राज्य बनाम। पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज *(2009)*

8 एस. सी. सी. *46]*।

37. इस प्रकार, यह एक तय कानूनी प्रस्ताव के रूप में उभरता है कि

सरकार के पास नीति को बदलने की शक्ति और क्षमता है

जमीनी वास्तविकताओं के आधार पर। एक सार्वजनिक नीति नहीं हो सकती है
पी. आई. एल. के माध्यम से चुनौती दी गई जहां राज्य सरकार सक्षम है

नीति तैयार करने के लिए और किसी को भी इसे उठाने की आवश्यकता नहीं है

पॉलिसी बदलने पर भी शिकायत। सार्वजनिक नीति कर सकते हैं
केवल वहाँ चुनौती दी जाएगी जहाँ यह कुछ संवैधानिक या वैधानिकता का उल्लंघन करता है

प्रावधान "।

(जोर दिया गया*)*

166. टाटा आयरन एंड स्टील *272* में, पैराग्राफ *68* में, अदालत ने नोट किया

यह कि जब भी न्यायालय के समक्ष लाए गए मुद्दे नीति निर्धारण और कई तकनीकी मुद्दों से जुड़े होते हैं, तो न्यायालय बहुत सावधान रहते हैं और उन्हें संयम बरतना चाहिए और नीति-निर्माण में अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। इसी तरह, नर्मदा बचाओ आंदोलन बनाम। भारत संघ *273,* पैराग्राफ *228* में, न्यायालय ने उल्लेख किया कि एक परियोजना को सरकार की पसंद के अनुसार विभागीय रूप से या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा निष्पादित किया जा सकता है, जबकि यह सुनिश्चित करते हुए कि यह कुछ नियमों के अनुसार किया जाता है।

प्रक्रिया या निर्धारित तरीका। इसके अलावा, न्यायालय को यह मानने के लिए अनिच्छुक होना चाहिए कि अधिकारी ठीक से काम नहीं करेंगे और न्यायालय की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए। बाद में *2007* में, न्यायालय ने फिल्म समारोह निदेशालय *274* में स्थिति को इस प्रकार दोहरायाः

16. सरकारी नीति की न्यायिक समीक्षा का दायरा है -
अब अच्छी तरह से परिभाषित। न्यायालय अपीलीय के रूप में कार्य नहीं करते हैं और न ही कर सकते हैं।

शुद्धता, उपयुक्तता की जांच करने वाले अधिकारी और

किसी नीति की उपयुक्तता, और न ही न्यायालय इसके लिए सलाहकार हैं

नीति संबंधी मामलों पर कार्यपालक जो कार्यपालक है

तैयार करने का अधिकार। न्यायिक समीक्षा का दायरा जब

सरकार की किसी नीति की जांच करना यह जांचना है कि क्या वह उसका उल्लंघन करती है।

नागरिकों के मौलिक अधिकार या प्रावधानों के खिलाफ है

272 (ऊपर *139* पर*)*

273 (132 पर ऊपर*)* *274 (135* पर ऊपर*)*

स्पष्ट रूप से मनमाना। अदालतें नीति में भी हस्तक्षेप नहीं कर सकतीं।
इस आधार पर कि यह गलत है या इस आधार पर कि एक बेहतर, निष्पक्ष

या बेहतर विकल्प उपलब्ध है। नीति की वैधता, न कि
नीति का विवेक या सुदृढ़ता न्यायिक समीक्षा का विषय है।

(आसिफ हमीद बनाम। जम्मू और कश्मीर राज्य *[1989* पूरक *(2)* एस. सी. सी.
364] , सीताराम शुगर कंपनी लिमिटेड बनाम भारत संघ *(1990) 3* एस. सी. सी.

495] और अखिल भारत गोसेवा संघ *(3) v.* ए. पी. राज्य *[(2006)]*
4 एस. सी. सी. *162)]*

(जोर दिया गया*)*

167. उपरोक्त चर्चा को संक्षेप में प्रस्तुत करने के लिए, यह ध्यान दिया जा सकता है कि न्यायिक

समीक्षा में मुख्य रूप से राज्य की कार्रवाई-विधायी, कार्यकारी, प्रशासनिक और नीति की समीक्षा शामिल है। विधायी कार्रवाई की समीक्षा में प्राथमिक परीक्षा किसी विशेष विषय पर कानून बनाने के लिए विधायिका के पास शक्ति का अस्तित्व है। इस उद्देश्य के लिए, हम अक्सर पीठ और पदार्थ, सामंजस्यपूर्ण निर्माण, क्षेत्रीय संबंध आदि के सिद्धांतों का सहारा लेते हैं।

एक बार जब शक्ति का अस्तित्व विवाद में नहीं होता है, तो यह अनिवार्य रूप से संविधान के अनुच्छेद *13* के तहत एक जांच है जो राज्य को कानून बनाने के कार्य में भाग*-3* के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करने का आदेश देती है। कार्यकारी कार्रवाई की समीक्षा कार्रवाई की सटीक प्रकृति पर निर्भर करेगी। क्योंकि, कार्यपालिका का क्षेत्र व्यापक है और आम तौर पर राज्य के सभी अवशिष्ट कार्यों को अपने दायरे में लेने के लिए समझा जाता है। इस प्रकार, समीक्षा का सटीक दायरा निर्णय और विषय वस्तु पर निर्भर करेगा। उदाहरण के लिए, एक क़ानून के तहत की गई कार्रवाई क़ानून के अनुसार होनी चाहिए और वैधानिक या संवैधानिक मापदंडों के अधिकार क्षेत्र से बाहर होने पर इसकी जाँच की जानी चाहिए। जाँच को यह भी

सुनिश्चित करना चाहिए कि कार्यकारी कार्रवाई क्रमशः राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के लिए निर्धारित कार्यकारी शक्तियों के दायरे में हो।

संवैधानिक योजना। विशुद्ध प्रशासनिक कार्रवाई की समीक्षा का दायरा अच्छी तरह से तय किया गया है। चूँकि आम तौर पर व्यक्ति इस तरह की कार्रवाई में सीधे शामिल होते हैं, इसलिए न्यायालय प्राकृतिक न्याय के पवित्र सिद्धांतों-ऑडी ऑल्ट्रेम पार्टेम, बोलने के आदेश, पूर्वाग्रह की अनुपस्थिति आदि से संबंधित है। जाँच को वेड्सबरी सिद्धांतों द्वारा भी सूचित किया जाता है

अनुचितता। नीतिगत निर्णय की समीक्षा में एक सीमित जांच शामिल होती है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, न्यायालय द्वारा दूसरा अनुमान या राजीव सूरी बनाम का प्रतिस्थापन।

दिल्ली विकास प्राधिकरण और ओआरएस। *[ए. एम. खानविलकर, जे.]*

एक बेहतर नीति क्या होगी, इस पर न्यायिक राय को इस जांच के दायरे से सख्ती से बाहर रखा गया है। संवैधानिक योजना के तहत, सरकार/कार्यपालिका के पास आवश्यक अनुसंधान, अध्ययन, संवाद और विशेषज्ञ परामर्श करने के लिए संसाधन निहित हैं और

तदनुसार, एक विशुद्ध नीतिगत निर्णय में सामान्य तरीके से हस्तक्षेप नहीं किया जाता है। एक प्रकट अवैधता को प्रदर्शित करने के लिए बोझ भारी है या

नीतिगत निर्णय की पराकाष्ठा में मनमानेपन या प्रक्रियात्मक खामियां। हालांकि, संविधान द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों के संरक्षण की अंतर्निहित विशेषता को संवैधानिक न्यायालय द्वारा राज्य की कार्रवाई की सभी पूछताछों को सूचित करना चाहिए।

संवैधानिकता

168. याचिकाकर्ताओं द्वारा उपरोक्त मानकों में परिवर्तन को उचित ठहराने के लिए संविधानवाद के सिद्धांत को लागू किया गया है। का आदर्श संविधानवाद राज्य और नागरिक से जुड़े लगभग हर संवैधानिक विमर्श में जगह पाता है और हमें इस आदर्श को उस संदर्भ में प्रतिबिंबित करने की आवश्यकता है जिसमें यह दिखाई देता है। "संविधानवाद", राजनीतिक सिद्धांत की अभिव्यक्ति के रूप में, विविध अर्थ प्राप्त करने का विशिष्टता रखता है और अधिकांश अन्य अवधारणाओं के विपरीत, अर्थ मौलिक रूप से विशिष्ट और अस्पष्ट हैं जो उस विशिष्ट संदर्भ से परे हैं जिसमें उनका उपयोग किया जाता है। लिखित संविधान वाले देश में इस सिद्धांत को सही शब्दावली में समझने की आवश्यकता कई गुना बढ़ जाती है। तो फिर भूमिका क्या है?

लिखित संविधान की छत्रछाया में कार्य करने वाले न्यायालय के लिए संवैधानिकता का सिद्धांत?

169. इस अभिव्यक्ति के उपयोग की एक विशिष्ट विशेषता

संवैधानिक मामला यह है कि एक पक्ष इसे एक स्वतंत्र मूल नियम के रूप में पेश करने की कोशिश करता है, इसके विपरीत यह नियम के पीछे केवल एक बल है, और दूसरा पक्ष इसे एक अनावश्यक सैद्धांतिक अवधारणा के रूप में खारिज करता है। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि संवैधानिकता के वास्तविक महत्व को न्यायिक अनुप्रयोग की एक स्वतंत्र अवधारणा के रूप में नहीं समझा जा सकता है। दुनिया भर के न्यायविदों ने इस शब्द के अलग-अलग अर्थ दिए हैं। जहां कुछ लोगों ने इसे संविधान में परिकल्पित कानून के शासन और न्यायिक समीक्षा की मौलिक अवधारणाओं के साथ जोड़ा है, वहीं अन्य लोगों ने इसे संविधान को इसके वास्तविक

महत्व से परे बदलने के लिए एक कट्टरपंथी विचार के रूप में माना है। कुछ लोगों के लिए, कार्यपालिका के कामकाज पर न्यायिक सर्वोच्चता और

विधायिका को संविधानवाद के लिए आवश्यक माना जाता है। दूसरों के लिए, जैसे प्रो. बरेन्ड्ट *275*, शक्तियों के पृथक्करण का आदर्श इसका सार है

275 ई. बरेन्ड्ट, एन इंट्रोडक्शन टू कांस्टीट्यूशनल लॉ, *(*क्लेरेंडन प्रेस, ऑक्सफोर्ड *1998)*, पेज।

संविधानवाद। इस अवधारणा की व्यक्तिपरकता के आधार पर, जो एरिक खुशाल मुर्केस ने "द क्वेस्ट फॉर कॉन्स्टीट्यूशनिज़्म इन यूके पब्लिक लॉ डिस्कोर्स" में नोट किया है कि इस सिद्धांत के कारण किसी भी संवैधानिक प्रवचन की मूल सामग्री के बदलने की संभावना नहीं है:

"..... उपरोक्त प्रत्येक विद्वान अपना संदेश देने में सक्षम है *(*

कानून के शासन की मूल अवधारणा, सरकार की वैधता
कार्रवाई, और मूल संस्थागत मूल्य*)* बिना किसी सहायता के।

संविधानवाद के लिए। दूसरे शब्दों में, अगर संविधानवाद था

संवैधानिक प्रवचनों से हटा दिया गया, उनके मूल
सामग्री अपरिवर्तित रहेगी। *2769 9*

(जोर दिया गया*)*

170. इसलिए, संविधानवाद एक सापेक्ष अवधारणा है जो

एक संवैधानिक आदेश की परिकल्पना की गई है जिसमें उन शक्तियों के प्रयोग पर शक्तियों और सीमाओं को विधिवत स्वीकार किया जाता है। यह एक उपकरण है जिसका उपयोग किया जाता है

शासन के संवैधानिककरण के अंतिम लक्ष्य तक पहुंचना और इसे शासन का एक वैकल्पिक मॉडल प्रस्तुत करने के लिए तैनात नहीं किया जा सकता है। हमें यह कहना चाहिए कि यदि व्याख्या के व्यक्तिपरक सिद्धांतों को संविधान की पाठ्य योजना से अलग करके लागू किया जाता है, विशेष रूप से जब पाठ्य योजना प्रशासन की एक विस्तृत संरचना को निर्धारित करती है, तो यह न केवल बेतुका होगा, बल्कि अतिक्रमण और अस्पष्टता के खतरों से भी भरा होगा। क्योंकि, ऐसा करना एक विधिवत निर्वाचित सरकार को किनारे पर खींचना होगा क्योंकि यह निर्णय लिए जाने के निरंतर डर में होगी।

सज्जनों या अदालत में बैठे पांच सज्जनों "। और इसका क्या नुकसान होगा। राष्ट्र की संप्रभुता सहित सरकारी खजाने के रूप में जनहित।

171. इस संबंध में, हमें इस न्यायालय के कथन को याद रखना चाहिए

केशवन माधव मेनन *277*, जिसमें यह कहा गया है कि जिस पर संविधान की भावना होने का दावा किया जाता है, उस पर तर्क हमेशा आकर्षक होता है, क्योंकि यह भावनाओं और भावनाओं के लिए एक शक्तिशाली अपील करता है।

276 द क्वेस्ट फॉर कांस्टीट्यूशनलिस्म इन यूके पब्लिक लॉ डिस्कोर्स, जो एरिक खुशाल मुर्केस, ऑक्सफोर्ड जर्नल ऑफ लीगल स्टडीज, वॉल्यूम। *29 , pg. 446* *277 (130* पर ऊपर*)*

राजीव सूरी बनाम। दिल्ली विकास प्राधिकरण और ओआरएस। *[ए. एम. खानविलकर, जे.]*

172. अंत में, संविधानवाद का सिद्धांत एक ऐसा कार्य है जो प्रगति पर है जिसका उद्देश्य एक मौजूदा योजना में जीवन और रक्त का संचार करना है जो संवैधानिक वैधता की कसौटी पर खरी उतरी है और न कि योजना के साथ खुद को जोड़ना है। इसे केवल कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं के न्यूनतम मानकों को विकसित करने के लिए तैनात किया जा सकता है। यह विस्तृत वैधानिक नियामक योजनाओं को कमजोर करने या प्रतिस्थापित करने के लिए नहीं है।

भारत में भागीदारी लोकतंत्र

173. पूरी प्रक्रिया में पर्याप्त सार्वजनिक भागीदारी के अभाव के संबंध में एक तर्क दिया गया है। यह उत्पन्न होता है

यह समझना कि भारत एक सहभागी लोकतंत्र है। इसके लिए निर्णय लेने के सभी चरणों में नागरिकों की भागीदारी का प्रावधान किया जाना चाहिए। शायद ही कभी हम ऐसे उदाहरण देखते हैं जब किसी देश में लोकतंत्र की प्रकृति ही प्रशासनिक समीक्षा कार्रवाई में बहस का विषय बन जाती है।

हालाँकि, इस बहस को एक तार्किक अंत तक ले जाना महत्वपूर्ण है, क्योंकि लागू करने योग्य सहभागी अधिकार लोकतंत्र की प्रकृति से प्रवाहित होने का आरोप है।

सवाल अनिवार्य रूप से "लोगों द्वारा शासन" वाक्यांश के अर्थ के बारे में है जैसा कि लोकतंत्र के अर्थ को समझने में उपयोग किया जाता है।

174. भारत में शासन के तरीके की उत्पत्ति का पता लगाते हुए, यह हमेशा ध्यान में रखा जाएगा कि हमने एक लंबी यात्रा की है जिसकी शुरुआत

भारतीय परिषद अधिनियम, *1861278*। *1857* में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद, वायसराय की विधान परिषद को पहली बार "गैर-आधिकारिक" सदस्यों को शामिल करने के लिए खोला गया था, हालांकि, सदस्यों में कोई प्रतिनिधि चरित्र नहीं था। इस परिषद की सीमाओं का उल्लेख श्री एस. पी. वर्मा ने "भारत में संसदीय लोकतंत्र" में किया था।

भारत में संसदीय प्रणाली की यात्रा को समझने के लिए उत्पत्ति और यही प्रासंगिक हैः

निश्चित विधायी परियोजनाएं। उन्हें सरकार के सदस्यों से सवाल पूछने और उनके जवाब मांगने का कोई अधिकार नहीं होगा। न ही उनके पास वित्त पर अधिकार होगा
सरकार *'279*। *9 9*

इसके बाद भारतीय परिषद अधिनियम, *1892280* लाया गया, जिसके तहत अप्रत्यक्ष चुनाव शुरू किए गए और स्थानीय निकायों के सदस्यों को अधिकार दिए गए।

278 संक्षेप में, *"1861* अधिनियम" *279* भारत में संसदीय लोकतंत्र *(*प्रथम संस्करण, *1987)*, पृष्ठ। *5 280* संक्षेप में, *"1892* अधिनियम" *[2021] 15* एस. सी. आर.

विधायिका के लिए सदस्यों की सिफारिश करना। श्री के. रघु राम रेड्डी ने "भारत में संसदीय प्रणाली की जड़ें" में इस अधिनियम के उद्देश्यों का उल्लेख किया है, जिनका प्रासंगिक उद्धरण इस प्रकार है:

..... " आधार को व्यापक बनाना और सरकार के कार्यों का विस्तार करना।

भारत का, और गैर-आधिकारिक लोगों को और अधिक अवसर देना और

भारतीय समाज में स्वदेशी तत्वों के काम में भाग लेने के लिए
सरकार "। " " *9 281*

हालाँकि, यह भारतीय सदस्यों को स्वीकार्य नहीं था।

राष्ट्रीय कांग्रेस और यह निराशा *1897* के सत्र में एक प्रमुख न्यायविद और कांग्रेस अध्यक्ष सर चेट्टूर शंकरन नायर के शब्दों में सामने आई। उन्होंने इस प्रकार कहा:

" हमारे शुरुआती स्कूल के दिनों से महान अंग्रेजी लेखकों ने
हमारे क्लासिक्स रहे। अंग्रेजों ने कॉलेजों में हमारे प्रोफेसर रहे हैं।

हमारे स्कूलों में अंग्रेजी इतिहास पढ़ाया जाता है। अब हम जीवन जी रहे हैं

अँग्रेजी। हमें प्रेस की स्वतंत्रता से वंचित करना; हमें अस्वीकार करना।
प्रतिनिधि संस्थानों, इंग्लैंड को उन्हें नजरअंदाज करना होगा

बहुत से सिद्धांत जिनके लिए उनके इतिहास के महानतम नामों ने मेहनत की
और खून बहाया। *2829 9*

(जोर दिया गया*)*

उपरोक्त अवलोकन से एक बहुत ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह है कि

कि सर शंकरन ने प्रचार किया कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम प्रतिनिधि संस्थानों को प्राप्त करने के लिए क्या प्रयास कर रहा था। लोकतांत्रिक प्रणाली की ओर धीमी यात्रा के कारण भारतीय परिषद अधिनियम, *1909-283 (*जिसे मॉर्ले-मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है*)* बना, जिसके तहत कुल *68* सदस्यों और प्रतिनिधियों में से *32* गैर-सरकारी सदस्यों के लिए चुनाव शुरू किए गए।

तत्व प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद, भारत सरकार अधिनियम, *1919-284 (*मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार के बाद*)* पेश किया गया और इस अधिनियम ने एक प्रतिनिधि लोकतंत्र के लिए रास्ता खोला। *20.8.1917* पर, ब्रिटिश सरकार ने अपनी नीति बताते हुए एक घोषणा की। वह इस प्रकार हैः

"महामहिम की सरकार की नीति जिसके साथ

भारत सरकार प्रशासन की हर शाखा में भारतीयों के जुड़ाव को बढ़ाने और प्रगतिशील विकास की दृष्टि से स्वशासित संस्थानों के क्रमिक विकास के लिए पूरी तरह से सहमत है।

283 संक्षेप में, "*1909* अधिनियम" *284* संक्षेप में, "*1919* का अधिनियम" राजीव सूरी बनाम।

दिल्ली विकास प्राधिकरण और ओआरएस। *[* ए. एम. खानविलकर, जे.*]*

ब्रिटिश साम्राज्य के अभिन्न अंग के रूप में भारत में जिम्मेदार सरकार की प्राप्ति।

1919 के अधिनियम को सीमा बिंदु माना गया था

भारत में संसदीय संस्कृति की शुरुआत। श्री रेड्डी का कहना है कि यह "लोगों को सत्ता हस्तांतरण" की भावना में एक महत्वपूर्ण शुरुआत थी। इसके बाद, भारत सरकार अधिनियम, *1935-285* पेश किया गया, जिसमें मतदान और प्रांतीय अधिकारों को बढ़ाने का प्रावधान किया गया।

प्रांतों में निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ स्वायत्तता। यात्रा अंततः संविधान सभा में समाप्त हुई जब सदस्यों ने

स्वतंत्र भारत के लिए तैयार की जाने वाली सरकार के स्वरूप के सवाल पर विचार-विमर्श किया गया। सदस्यों को यकीन था कि लोकतंत्र वांछनीय है, लेकिन इस तरह के लोकतंत्र का सही आकार पूर्व निर्धारित नहीं था, जैसा कि पंडित जवाहरलाल के शब्दों से समझ में आता है। नेहरू ने इस प्रकार कहाः

अपने लोगों के गुस्से के साथ और उन्हें स्वीकार्य बनें। हम लोकतंत्र के लिए खड़े हैं लेकिन लोकतंत्र का कौन सा रूप है, इसे क्या आकार देता है।
यह एक और मामला है जिसे इस सदन को तय करना है। *286* "

175. संविधान सभा में, जब शासन के तरीके का सवाल विचार-विमर्श के लिए आया, तो कई महत्वाकांक्षी प्रस्ताव थे -

विभिन्न लोकतांत्रिक संरचनाओं का सुझाव देने के लिए सदस्यों द्वारा किया गया। ऐसे कुछ प्रस्तावों ने "वापस बुलाने" के लिए एक खंड लाने का सुझाव दिया ताकि मतदाता खराब प्रदर्शन के कारण एक निर्वाचित सदस्य को वोट देने में सक्षम हो सकें।

प्रत्यक्ष लोकतंत्र के प्रस्ताव भी विचार-विमर्श के लिए रखे गए ताकि लोगों द्वारा सीधे संचालित सरकार की स्थापना की जा सके। विधानसभा ने ऐसे सभी प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया और लोकतंत्र का एक प्रतिनिधि मॉडल अपनाया। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा *21.7.1947* पर लाए गए प्रस्ताव का उल्लेख करना उपयोगी है। उन्होंने इस प्रकार कहाः

"..... अब सर, एक बात हमें शुरू में ही तय करनी है

किस तरह की सरकारी संरचना होनी चाहिए, क्या यह है

एक प्रणाली जहाँ मंत्रिस्तरीय जिम्मेदारी है या क्या यह

संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति प्रणाली प्रचलित है

अमेरिका; कई सदस्य संभवतः पहली नजर में आपत्ति कर सकते हैं

यह अप्रत्यक्ष चुनाव है और वयस्क मताधिकार द्वारा चुनाव को पसंद कर सकता है। हमने इस मामले पर चिंता से विचार किया और हम आए।

285 संक्षेप में, "*1935* का अधिनियम" भारत में *286* संसदीय लोकतंत्र, वी. भास्कर राव, बी. वेंकटेश्वरलू, *1987*, पृष्ठ।

बहुत निश्चित निष्कर्ष तक कि यह वांछनीय नहीं होगा,
सबसे पहले क्योंकि हम मंत्री चरित्र पर जोर देना चाहते हैं

सरकार की वह शक्ति वास्तव में मंत्रालय में निहित थी

उसी समय हम राष्ट्रपति को मात्र एक राष्ट्रपति नहीं बनाना चाहते थे।
आकृति-फ्रांसीसी राष्ट्रपति की तरह सिर। हमने उसे कुछ नहीं दिया।

वास्तविक शक्ति लेकिन हमने उनकी स्थिति को एक महान अधिकारी बना दिया है

और गरिमा। इस संविधान के मसौदे से आप देखेंगे कि वह

रक्षा बलों के कमांडर-इन-चीफ होने के लिए भी

अमेरिकी राष्ट्रपति हैं। अब, इसलिए, अगर हमारे पास एक चुनाव था
वयस्क मताधिकार और फिर भी उसे कोई वास्तविक शक्तियाँ नहीं दी, यह हो सकता है

थोड़ा विसंगत हो जाता है और बस असाधारण हो सकता है

बिना किसी पर्याप्त राशि के समय और ऊर्जा और धन का व्यय

परिणाम। व्यक्तिगत रूप से, मैं लोकतांत्रिक के लिए पूरी तरह से सहमत हूं।

प्रक्रिया लेकिन ऐसी एक चीज है जो बहुत अधिक है

लोकतांत्रिक प्रक्रिया और मुझे बहुत डर है कि अगर हमारे पास है

बड़े पैमाने पर समय बर्बाद करना, हमारे पास समय नहीं बचेगा
चुनाव की तैयारी के अलावा कुछ और करने के लिए

और चुनाव होते हैं। हमारे पास पर्याप्त चुनाव हैं

संविधान। हम वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव कराएंगे

संघीय विधानमंडल। अब अगर आप इसमें बहुत कुछ जोड़ते हैं

राष्ट्रपति चुनाव जिसमें प्रत्येक वयस्क पूरे देश में मतदान करता है
भारत, वह एक जबरदस्त मामला होगा। वास्तव में आर्थिक रूप से भी

इसे लागू करना मुश्किल होगा और अन्यथा भी यह सबसे ज्यादा परेशान करेगा।

वर्ष के एक बड़े हिस्से के लिए गतिविधियाँ। .....

28799

(जोर दिया गया*)*

चुनाव की तैयारी के लिए उनके द्वारा उजागर की गई दुर्दशा

और *73* साल से अधिक समय बीतने के बाद भी लगातार नहीं तो रुक-रुक कर चुनाव कराना बहुत प्रासंगिक है।

176. जो भी हो, हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारे संस्थापकों

लोकतंत्र की प्रकृति के बारे में अपनी दृष्टि के बारे में अस्पष्ट थे जो हमें विरासत में मिलने की आवश्यकता है। इसके अलावा, विधानसभा के सदस्य चुनौतियों, विशेष रूप से प्रशासनिक चुनौतियों से अवगत थे, जो उनके रास्ते में आ सकती हैं।

"बहुत अधिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया" के कारण प्रशासन की दक्षता। मसौदे की स्वीकृति से तीन दिन पहले, *23.11.1949* पर, टी. जे. एम. विल्सन ने भविष्य में सार्वजनिक भागीदारी में वृद्धि की आशा व्यक्त की। उन्होंने इस प्रकार कहाः

287 संविधान सभा बहस खंड। *IV (14.7.1947-31.7.1947)*

अजीव सूरी बनाम। दिल्ली विकास प्राधिकरण और ओआरएस। *[* ए. एम. खानविलकर, जे.*]*

"लोकतंत्र की सबसे प्राथमिक आवश्यकता प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है।

नागरिक मतदान करें और हमने अपने संविधान में इसके लिए प्रावधान किया है। लेकिन यहां तक कि जमीनी स्तर पर हमारे कुछ दोस्तों ने भी इस पर सवाल उठाए थे

कि वे सरकार चलाने के लिए पर्याप्त रूप से शिक्षित नहीं हैं

देश से। उनका तर्क है कि केवल बुद्धि की आवश्यकता है।

देश की सरकार के लिए। लेकिन परिस्थितियाँ और भी

दर्शन बदल गया है। सरकार भी बदल गई है।

सरकार कुछ भौतिक या कुछ मितभाषी नहीं है।

सरकार को आज लोगों की वास्तविक स्थितियों से निपटना है

और लोगों की ज़रूरतें, चाहे वे भोजन और कपड़े की हों या उनकी

स्वास्थ्य और शिक्षा और कोई और कैसे जानने का दावा कर सकता है इन लोगों की ज़रूरतें खुद लोगों से बेहतर हैं? सोचा।

निश्चित रूप से आवश्यक है और बुद्धि वास्तव में आवश्यक है; लेकिन जब तक कि

यह कार्रवाई के साथ एकजुट है, जब तक कि यह अनुभव पर आधारित न हो

लोग, यह बहुत कुछ हासिल नहीं करेगा। अतः इसका उद्देश्य

वयस्क मताधिकार, प्रत्येक व्यक्ति का मतदान करने का अधिकार इसे पाटना है

क्रिया और विचार के बीच की खाई। लेकिन क्या यह एक बार मतदान करने का अधिकार है? पाँच साल में पर्याप्त? लोकतंत्र का सार ऐसा नहीं है

जिनका अस्तित्व राजनीतिक दल आदि कहलाता है,

लेकिन लोकतंत्र का सार प्रभावी भागीदारी है

देश की वास्तविक सरकार में व्यक्ति का।

भागीदारी जितनी अधिक और अधिक प्रभावी होगी

सरकार में व्यक्ति, लोकतंत्र जितना बड़ा होता है,

क्योंकि लोकतंत्र अभी भी केवल एक आदर्श है जो अभी होना बाकी है मानवता तक पहुँचता है। विकेंद्रीकरण हो गया होगा।

उस दिशा में कुछ, अगर हम अपने में इसके लिए प्रदान किया था

संविधान। *2889 9*

(जोर दिया गया*)*

177. भाग-*IV* में अनुच्छेद *40* को तब निर्देश का हिस्सा बनाया गया था।

आईपल्स, जो इस प्रकार पढ़ता है:

" 40. ग्राम पंचायतों का संगठन। राज्य लेगा

ग्राम पंचायतों को संगठित करने और उन्हें इस तरह के अधिकार प्रदान करने के लिए कदम

शक्तियाँ और प्राधिकरण जो उन्हें सक्षम करने के लिए आवश्यक हो सकते हैं

स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करें। अधिक विकेंद्रीकरण और खुलापन की उपरोक्त आशा *1992* में *73* वें और *74* वें की शुरुआत के साथ क्रेसी को सही ठहराया गया था।

स्टेट्यूएंट असेंबली डिबेट वॉल्यूम। *XI (14.11.1949-26.11.1949)*

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संविधान में संशोधन जिसके परिणामस्वरूप ग्रामीण और शहरी भारत में स्थानीय स्वशासन को शामिल किया गया। भारत में लोकतंत्र का यह उद्घाटन भागीदारी बढ़ाने की दिशा में एक कदम था। यह इस न्यायालय द्वारा भानुमति और ओआरएस में नोट किया गया था। वी. उत्तर प्रदेश राज्य और ओआरएस। *289* , जिसमें इसे इस प्रकार देखा गया थाः

"26. निर्देशक सिद्धांतों में से एक के रूप में अस्पष्ट स्थिति में क्या था अनुच्छेद *40* के तहत, सत्तर-तीसरे संविधान के माध्यम से

इसके पीछे मुख्य उद्देश्य लोकतांत्रिक सुनिश्चित करना है। भागीदारी के गांधीवादी सिद्धांत पर विकेंद्रीकरण

लोकतंत्र ताकि पंचायत व्यवहार्य बन सके और

इस प्रकार यह आवश्यक स्थिति प्राप्त कर सकता है और गरिमा के साथ कार्य कर सकता है। आम आदमी के सम्मान को प्रेरित करके "।

(जोर दिया गया*)*

इसके अलावा, के. कृष्ण मूर्ति और अन्य मामलों में सर्वोच्च न्यायालय।

वी. भारत संघ *(*यू. ओ. आई.*)* और *Anr.2*[9]*0* ने पंचायतों के माध्यम से भागीदारी का अवलोकन करते हुए इस प्रकार कहा थाः

"56. लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के उद्देश्य केवल ये नहीं हैं

शासन को लोगों के करीब लाने के लिए, लेकिन इसे और अधिक बनाने के लिए

कमजोर वर्गों के प्रति सहभागी, समावेशी और जवाबदेह

समाज। ..... "

स्वतंत्रता के बाद के एक और फैसले में, इस न्यायालय ने

मोहिंदर सिंह गिल और अन्र। वी. मुख्य चुनाव आयुक्त, नई दिल्ली और अन्य। *291* , यह देखते हुए कि प्रतिनिधि मॉडल एक सहभागी लोकतंत्र की न्यूनतम आवश्यकता के रूप में कैसे कार्य करता है, इस प्रकार देखा गयाः

"*24.* लोकतंत्र लोगों द्वारा बनाई गई सरकार है। यह निरंतरता है

प्रतिभागी ऑपरेशन, एक विनाशकारी, आवधिक अभ्यास नहीं। द.

छोटा आदमी, अपनी भीड़ में, मतदान में अपने वोट को चिह्नित करता है

उनकी संसद की सामाजिक लेखा परीक्षा और उनके प्रतिनिधि की राजनीतिक पसंद।

खिलना, लोकप्रिय सरकार की न्यूनतम साख
प्रत्येक कार्यकाल के बाद लोगों से नवीनीकरण की अपील की जाती है

289 (2010) 12 एससीसी *1*

290 (2010) 7 एससीसी *202*

291 (1978) 1 एस. सी. सी. *405* राजीव सूरी बनाम।

दिल्ली विकास प्राधिकरण और ओआरएस। *[* ए. एम. खानविलकर, जे.*]*

संवैधानिक बाध्यताएँ। चुनाव का अधिकार बहुत है
संविधान का सार *'(*जूनियस*)*। इसे थोड़ा तर्क की आवश्यकता है

मान लीजिए कि संसदीय प्रणाली का दिल स्वतंत्र और निष्पक्ष है

चुनाव समय-समय पर वयस्क मताधिकार के आधार पर आयोजित किए जाते हैं, हालांकि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र बहुत अधिक मांग कर सकता है।

(जोर दिया गया*)*

178. वास्तव में, प्रशासनिक विवरणों को शामिल करने का आधार

संविधान के भीतर, उन्हें सामान्य अधिनियमों द्वारा निर्धारित करने के लिए छोड़ने के विपरीत, एक ऐसे परिदृश्य से बचना था जिसमें

अघोषित अधिकारों और मानकों के लिए दबाव डालने से प्रशासन बाधित होता है। जब डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने संविधान का मसौदा विधानसभा के समक्ष रखा, तो उन्होंने इस प्रकार स्पष्ट शब्दों में बात की:

"इस आरोप के बारे में कि संविधान के मसौदे ने एक

भारत सरकार अधिनियम, *1935* के प्रावधानों का अच्छा हिस्सा,

मैं माफी नहीं मांगता। इसमें शर्म करने की कोई बात नहीं है।

उधार लेते हैं। इसमें कोई साहित्यिक चोरी शामिल नहीं है। किसी के पास कोई पेटेंट नहीं है

संविधान के मौलिक विचारों में अधिकार। मैं क्या हूँ*?*
खेद है कि सरकार से लिए गए प्रावधान

भारत अधिनियम, *1935*, ज्यादातर प्रशासन के विवरण से संबंधित है। आई.

इस बात से सहमत हैं कि प्रशासनिक विवरण में कोई जगह नहीं होनी चाहिए

संविधान। मेरी बहुत इच्छा है कि मसौदा तैयार किया जाए।

समिति उन्हें शामिल करने से बचने का रास्ता देख सकती है

संविधान। लेकिन यह इस आवश्यकता पर कहा जाना चाहिए कि

उनके समावेश को उचित ठहराता है। "

(जोर दिया गया*)*

179. उपरोक्त चर्चा में इस उद्देश्य के लिए महत्वपूर्ण निष्कर्ष हैं -

वर्तमान विवाद। इससे पता चलता है कि हमारे संस्थापकों ने कभी भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र की परिकल्पना एक आदर्श मॉडल के रूप में नहीं की थी। सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था। स्वतंत्रता के लिए संघर्ष के दिनों से लेकर संविधान सभा की बहसों और बाद में स्वतंत्र भारत में, हमने हमेशा लोकतंत्र के प्रतिनिधि मॉडल को अपनाया है, जिसमें राजनीतिक संप्रभुता भारत के लोगों में निहित है और कानूनी संप्रभुता भारत के संविधान में निहित है। शासन ग्राम पंचायतों से लेकर संसद तक सरकार के सभी स्तरों पर अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से लोगों द्वारा किया जाता है।

180. हालाँकि, हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि केवल एक की स्वीकृति

प्रतिनिधि मॉडल ने एक बार और *[2021] 15* एस. सी. आर. के लिए देश के भाग्य पर मुहर नहीं लगाई।

सभी। वास्तव में, समय के साथ, जहां भी संभव हो और आवश्यकता हो, व्यापक सार्वजनिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने का निरंतर प्रयास किया गया है।

प्रशासन की दक्षता और कानून के शासन को ध्यान में रखते हुए। हालाँकि, यह उस संबंध में विधायिका द्वारा अधिनियमित कानूनों के माध्यम से किया गया है।

181. 1992 में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत हो सकती है -

उपरोक्त प्रस्ताव की स्वीकृति के रूप में देखा जाता है। भारतीय परिदृश्य में, यह कहना पूरी तरह से गलत होगा कि सार्वजनिक भागीदारी पांच साल में एक बार सार्वभौमिक मताधिकार के प्रयोग तक सीमित है। आज, सरकार जनता को सरकारी प्रस्तावों के खिलाफ अभ्यावेदन आमंत्रित करने के रूप में सार्वजनिक भागीदारी की परिकल्पना करने वाले अधिनियमित कानूनों के जनादेश के अनुसार प्रशासनिक प्रक्रियाओं की एक श्रृंखला में भाग लेने के लिए आमंत्रित करती है। इसके अलावा, प्रत्येक नागरिक को प्रशासनिक कार्रवाई की समीक्षा के लिए संवैधानिक न्यायालयों से संपर्क करने का गारंटीकृत अधिकार है। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि संविधान का भाग *III* वह धुरी है जिसके चारों ओर लोकतंत्र घूमता है क्योंकि यह विविध

राजनीतिक और सामाजिक विचारों, समान हितों की अभिव्यक्ति और राजनीतिक संघों के लिए एक खुला बाजार बनाता है। राजा और ओआरएस में। वी. अटॉर्नी फिडेलिटी फंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल और *Anr.293*, दक्षिण अफ्रीका के सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक भागीदारी के पहलुओं को इस प्रकार नोट किया:

"22. ..... सार्वजनिक भागीदारी में सार्वजनिक भागीदारी शामिल हो सकती है।

टिप्पणी और अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के माध्यम से: लेकिन

यह न तो निश्चित है और न ही इसकी सामग्री का संपूर्ण है। आम जनता

संसद पर जनता को सुविधा प्रदान करने का दायित्व थोपना
अपनी प्रक्रियाओं में भागीदारी, संविधान एक आधार निर्धारित करता है

मानक, लेकिन फिर संसद में महत्वपूर्ण छूट छोड़ देता है

इसे पूरा करें "।

(जोर दिया गया*)*

292 जैसे कि: *(1)* पंचायत *(*अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार*)* अधिनियम, *1996; (2)*

अनुसूचित जनजातियाँ और अन्य पारंपरिक वनवासी *(*अनुसूचित जनजातियों की मान्यता*)*

वन अधिकार*)* अधिनियम, *2006; (3)* भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, *2013; (4)* भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण अधिनियम, *2008; (5)* पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, *2006; (6)* दिवाला और दिवालियापन संहिता, *2016; (7)* सामान्य खंड अधिनियम, *1897;* और *(8)* वन अधिकार अधिनियम, *2006*।

293 2006 (4) बी. सी. एल. आर. *462 (*दक्षिण अफ्रीकी संवैधानिक न्यायालय*)*

राजीव सूरी बनाम। दिल्ली विकास प्राधिकरण और ओआरएस। *[* ए. एम. खानविलकर, जे.*]*

182. माइकल वाल्ज़र, "दर्शन और लोकतंत्र" में,

यह स्पष्ट रूप से नोट किया जाता है कि प्रतिनिधि निर्णय लेने में शामिल प्रक्रिया उन निर्णयों को अत्यधिक नैतिक मूल्य कैसे देती है। वह इस प्रकार टिप्पणी करता है:

"लोकतांत्रिक सिद्धांत के लिए, जो सरकारी निर्णयों को नैतिक रूप से बाध्यकारी बनाता है वह प्रक्रिया है: जनता स्वतंत्र रूप से चुनती है

प्रतिनिधि, उन प्रतिनिधियों की बहस और नीति को लागू करना और बाद में पुनर्निर्वाचन के लिए खड़े होना, और प्रशासकों को लागू करना

उस नीति को। *294* "

183. हमारे संविधान के तहत परिकल्पित व्यवस्था की एक समग्र समझ से पता चलेगा कि हम एक प्रतिनिधि लोकतंत्र हैं

इसमें सहभागी लोकतंत्र के मजबूत तत्व अंतर्निहित हैं। हालाँकि, भागीदारी का तत्व न केवल कानूनों द्वारा बल्कि संविधान द्वारा भी विनियमित किया जाता है। यदि संविधान ने यह परिकल्पना की होती कि प्रत्येक महत्वपूर्ण निर्णय याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित तरीके से जनता की ओर से लिया जाएगा, तो उस व्यवस्था के लिए स्पष्ट रूप से प्रावधान किया जाता। यह नहीं हुआ है। इस प्रकार, हमारी प्रणाली में संविधान दोहरी भूमिका निभाता है-पहला, मौलिक अधिकारों के संरक्षक के रूप में संविधान और दूसरा, शासन की संरचना के रूप में संविधान।

जनभागीदारी और प्रशासन का प्रभावी संचालन। विधायिका ने पहले निर्दिष्ट शासी अधिनियमों में इस तरह की सार्वजनिक भागीदारी और उसके विस्तार के लिए स्पष्ट रूप से प्रावधान किया है। *185.* भागीदारी में तीन विशेषताएँ शामिल हैं-चरण, विस्तार और भागीदारी की प्रकृति। का विस्तार और गुणवत्ता

295 संविधानवाद और लोकतंत्र, समकालीन दुनिया में परिवर्तन, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय प्रेस, *1993*
296 (ऊपर *292* पर*)*

186. उल्लेखनीय है कि इस अभ्यास को अमूर्तता में केवल इसलिए नहीं किया जा सकता है क्योंकि भागीदारी लोकतांत्रिक व्यवस्था के पहलुओं में से एक है। संरचना। बल्कि, इसमें कारकों के एक जटिल जाल का नाजुक विश्लेषण शामिल है। क्या किसी मामले में व्यक्तिगत मौखिक सुनवाई का प्रावधान किया जाना है या केवल अभ्यावेदन आमंत्रित किया जाना है या सार्वजनिक चर्चा का आह्वान किया जाना है,

विधायिका के लिए इस संबंध में एक कानून बनाने का मामला।

187. भागीदारी के बारे में हमारी अपनी धारणा हो सकती है और यह निर्धारित से मौलिक रूप से अलग हो सकती है। यह संभव हो सकता है कि कुछ लोग प्रत्यक्ष रूप से अनसुना महसूस करें, हालांकि, एक लोकतंत्र, एक अंतिम विश्लेषण में, नागरिकों के सामूहिक ज्ञान की व्यापकता के बारे में है, जो कुछ लोगों के व्यक्तिगत ज्ञान की सराहना कर सकता है या नहीं भी कर सकता है। द.

थॉमस जेफरसन के शब्दों में भी भावना प्रतिध्वनित हुई जब उन्होंने जॉन टेलर को *28.5.1816* पर लिखा कि "नागरिकों का समूह अपने अधिकारों का सबसे सुरक्षित भंडार है"।

188. नागरिक सरकारी नीति के साथ किसी भी धारणा की वकालत करने या अपने स्वतंत्र अभ्यास में इसे बनाने के तरीके के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं।

बोलने और अभिव्यक्ति के अधिकार का अधिकार है, लेकिन इस तरह की धारणा को न्यायिक समीक्षा का सहारा लेकर लागू नहीं किया जा सकता है। प्रशासनिक मामलों में सार्वजनिक भागीदारी का विचार किस स्तर और विस्तार पर आधारित है

विधायिका द्वारा निर्धारित प्रतिनिधित्व। हमारे जैसी बड़ी आबादी वाला कोई भी देश प्रशासनिक मामलों में *(*सरकार की*)* निर्णय लेने की प्रक्रिया में प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्यक्ष भागीदारी का वादा नहीं कर सकता है, जब तक कि कानून ऐसा निर्धारित नहीं करता है। *189.* इस प्रकार कहने के बाद, यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि इस तरह की सार्वजनिक भागीदारी सरकार के विवेक का स्थान लेने के लिए नहीं है या

190. जनहित मंच और अन्न में उच्चतम न्यायालय। वी. महाराष्ट्र राज्य और *Ors.2*[9]*8* ने राय दी कि परामर्श प्रक्रिया हमेशा होती है। मददगार है। हालांकि, यह सावधान करने के लिए चला गया कि निर्वाचित का दृष्टिकोण

297 द वर्क्स ऑफ थॉमस जेफरसन, फेडरल एडिशन वॉल्यूम। *11 (* पत्राचार और पत्र *1808-1816)*, पीपी। *298*

298 (2019) 2 एस. सी. सी. *505* राजीव सूरी बनाम।

दिल्ली विकास प्राधिकरण और ओआरएस। *[* ए. एम. खानविलकर, जे.*]*

शरीर को कुछ व्यक्तियों के लिए रास्ता देना चाहिए। अदालत ने कहा कि

इस प्रकारः

शक्तियाँ। उस समय की निर्वाचित सरकार, जिसके पास है
लोगों का जनादेश नीतिगत मामलों का ध्यान रखना है। वहाँ है।

विभिन्न स्तरों पर एक लोकतांत्रिक संरचना, स्तर से शुरू

ग्राम पंचायतों, नगर पालिकाओं, नगर निगम प्राधिकरणों,
विधान सभाएँ और निर्वाचित संसद; उनमें से प्रत्येक

करने के लिए एक भूमिका है। पहलुओं में, जैसा कि पल में प्रस्तुत किया गया है

एक मामले में, एक परामर्श प्रक्रिया हमेशा सहायक होती है, और एक है

जो पहले ही किया जा चुका है। का दर्शन

अपीलार्थी *2* को अनिवार्य नीति के रूप में प्रेषित नहीं किया जा सकता है -
सरकार, जो कि होगा एक था

की जाने वाली प्रार्थनाओं पर मैंडमस जारी किया जाना है। परिप्रेक्ष्य

व्यक्तियों की संख्या भिन्न हो सकती है, लेकिन यदि निर्वाचित निकाय जिनके पास है

नीति निर्माण शक्तियों को आदर्शों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना है

प्रत्येक व्यक्ति की स्थिति अराजक होगी। द.

बनाई गई नीतियां और बनाए गए कानून, जब तक कि वे

भारत के संविधान की अवहेलना, हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता

के साथ, अपीलार्थियों के कहने पर। याचिकाकर्ताओं ने
इस बिंदु को पूरी तरह से भूल गए "

(जोर दिया गया*)*

191. याचिकाकर्ताओं द्वारा जीवन भर के लिए डॉक्टरों पर निर्भरता

ऊपर चर्चा किए गए सिद्धांतों के आलोक में, नीति के निर्माण से पहले सार्वजनिक भागीदारी को अनिवार्य करने वाले भारतीय संदर्भ में वैधानिक शासन के अभाव में अंतर्राष्ट्रीय *9 9* और कियाम्बू काउंटी *300* की अधिक प्रासंगिकता नहीं हो सकती है। इन निर्णयों के महान प्रेरक मूल्य के बावजूद, हम कुछ स्पष्ट मतभेदों से बच नहीं सकते हैं जो निर्णय के चरित्र को बदल देते हैं।

ये निर्णय। डॉक्टर्स फॉर लाइफ इंटरनेशनल *3-1* में, न्यायालय ने पैरा *75* में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया कि उसकी राय स्पष्ट और व्यक्त वैधानिक प्रावधानों पर आधारित है जो राष्ट्रीय परिषद को जनता की सुविधा के लिए अनिवार्य करती है।

भागीदारी। यह इस प्रकार देखा गया:

" [75] धारा *72 (1) (*ए*)* और *118 (1) (*ए*)* के प्रावधान
भागीदारी प्रावधान*)* स्पष्ट रूप से एन. सी. ओ. पी. पर एक कर्तव्य लागू करते हैं और

299 (80 पर ऊपर*)*

300 (82 पर ऊपर*)*

301 (80 पर ऊपर*)*

[2021] 15 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रांतीय विधायिकाओं को उनके कार्यों में सार्वजनिक भागीदारी की सुविधा प्रदान करने के लिए संबंधित विधायी प्रक्रियाएँ। सवाल यह है कि प्रकृति क्या है*?*

और इन प्रावधानों द्वारा समझे गए कर्तव्य का दायरा और
यह किस हद तक न्यायोचित है "।

केन्याई अपील न्यायालय के समक्ष भी इसी तरह की स्थिति मौजूद थी

कियाम्बू काउंटी *3 02*। दूसरा, न्यायालय का निर्णय विधायी प्रक्रियाओं में सार्वजनिक भागीदारी के दायरे की जांच करता है। परिचयात्मक पैरा में, यह इस प्रकार नोट करता है:

"..... पहला सवाल प्रकृति और इसके दायरे से संबंधित है।

सुविधा प्रदान करने के लिए राज्य के एक विधायी अंग का संवैधानिक दायित्व

इसकी विधायी प्रक्रियाओं और इसकी विधायी प्रक्रियाओं में सार्वजनिक भागीदारी

समितियाँ और अनुपालन करने में विफलता के परिणाम

वह दायित्व "।

याचिकाकर्ताओं ने यह स्थिति अपनाई है कि यह निर्णय नहीं है

यह स्पष्ट सार्वजनिक परामर्श प्रावधान और विधायी प्रक्रियाओं के संबंध में सीमित है, लेकिन यह अंतर्राष्ट्रीय और विदेशी उपकरणों से ताकत प्राप्त करता है, जिन पर भारत ने भी हस्ताक्षर किए हैं। तथापि, न्यायालय, पैरा *95* में, विधि के सही प्रस्ताव को निर्धारित करता है और इस प्रकार टिप्पणी करता है:

" [95] अंतर्राष्ट्रीय कानून की सटीक प्रकृति और दायरा

सार्वजनिक मामलों के संचालन में भाग लेने का अधिकार एक मामला है।

अलग-अलग राज्यों को अपने कानूनों के माध्यम से निर्धारित करने के लिए और

नीतियाँ। .....

(जोर दिया गया*)*

अंत में, इसने आगे व्याख्या की कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का अधिकार

राजनीतिक भागीदारी में "भाग लेने का सामान्य अधिकार" और "वोट देने का विशिष्ट अधिकार" शामिल है। इसने इस प्रकार उल्लेख किया:

सब कुछ नहीं है; इसमें सार्वजनिक भागीदारी को सुविधाजनक बनाने का कर्तव्य शामिल है
यह सुनिश्चित करके कि नागरिकों के पास है सार्वजनिक मामलों का संचालन

आवश्यक जानकारी और प्रयोग करने का प्रभावी अवसर
राजनीतिक भागीदारी का अधिकार।

(जोर दिया गया*)*

302 (82 पर ऊपर*)*

राजीव सूरी बनाम। दिल्ली विकास प्राधिकरण और ओआरएस। *[* ए. एम. खानविलकर, जे.*]*

दक्षिण अफ्रीका में परिकल्पित लोकतंत्र की प्रकृति के संबंध में, न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की:

लोकतंत्र। यह देश के नागरिकों को सार्वजनिक मामलों में सक्रिय रूप से शामिल होने, सरकारी संस्थानों के साथ अपनी पहचान बनाने और बनाए गए कानूनों से परिचित होने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह भाग लेने वालों की नागरिक गरिमा को बढ़ाता है
उनकी आवाज़ को सुनने और ध्यान में रखने में सक्षम बनाना। यह लोकतांत्रिक और बहुलवादी समायोजन की

भावना को बढ़ावा देता है जिसकी गणना ऐसे कानूनों का निर्माण करने के लिए की जाती है जिन्हें व्यापक रूप से स्वीकार किए जाने और व्यवहार में प्रभावी होने की संभावना है। यह लोगों की नजर में कानून की वैधता को मजबूत करता है। अंत में, अपने खुले और सार्वजनिक चरित्र के कारण यह गुप्त लॉबिंग और प्रभाव डालने के लिए एक काउंटरवेट के रूप में कार्य करता है। सहभागी लोकतंत्र का उन लोगों के लिए विशेष महत्व है जो हमारे जैसे महान देश में अपेक्षाकृत वंचित हैं।

धन और प्रभाव की विषमताएँ मौजूद हैं।

[116] इसलिए हमारे लोकतंत्र में इसके मूल और मौलिक सिद्धांतों में से एक, सहभागी लोकतंत्र का सिद्धांत शामिल है। जिस
लोकतांत्रिक सरकार पर विचार किया जा रहा है वह आंशिक रूप से है

प्रतिनिधि और आंशिक रूप से सहभागी, जवाबदेह, उत्तरदायी और पारदर्शी है और इसमें सार्वजनिक भागीदारी का प्रावधान करता है।

कानून बनाने की प्रक्रियाएँ। ..... हमें शुरू में ही
ध्यान में रखना चाहिए, डॉक्टर्स फॉर लाइफ।

अंतर्राष्ट्रीय *3 0 3*, परामर्श पर व्यक्त प्रावधान पर विश्लेषण को छोड़कर, इस में हमारे द्वारा व्यक्त किए गए विचारों के साथ संघर्ष में काम नहीं करता है।

निर्णय। यह विधिवत मान्यता देता है कि शासन के मामले में भागीदारी की सटीक रूपरेखा स्थानीय परिस्थितियों, विशेष रूप से उस संबंध में नगरपालिका कानूनों के अस्तित्व और विषय की प्रकृति पर निर्भर करती है।

बात है। यह ध्यान देने के लिए पर्याप्त है कि ऊपर उल्लिखित निर्णयों में, न्यायालय प्रशासनिक प्रक्रियाओं को चुनौती देने से नहीं निपट रहा था।

एक विकास परियोजना से संबंधित। यह उत्तरदाताओं द्वारा उचित रूप से आग्रह किया जाता है

303 (80 पर ऊपर*)*

कि विदेशी क्षेत्राधिकारों से आयातित संवैधानिक सिद्धांत के गद्यात्मक, नरम, अप्रयोज्य आध्यात्मिक सिद्धांत न्यायिक समीक्षा का एक अतिरिक्त संवैधानिक मानक नहीं बना सकते हैं या इसका विस्तार नहीं कर सकते हैं।

शासन के हर स्तर पर जनता की भागीदारी के संबंध में कोई वैधानिक व्यवस्था नहीं है। इस प्रकार, सरकारी प्रक्रियाओं में सार्वजनिक भागीदारी का दायरा किसी देश के कानूनी ढांचे पर निर्भर करता है और

न्यायालय को विचाराधीन परियोजना की श्रेष्ठता की आड़ में उस क्षेत्र में प्रवेश करने से घृणा होनी चाहिए।

192. यह भी आग्रह किया गया कि नई संसद के उन्नयन या निर्माण के संबंध में ब्रिटेन में अपनाए गए दृष्टिकोण की तरह,

भारतीय संसद को इस संबंध में एक विशेष कानून बनाना चाहिए जिसमें सभी चरणों में व्यापक सार्वजनिक भागीदारी की गारंटी शामिल है। कुछ हद तक समान

डॉ. अश्विनी कुमार *3 04* में याचिका पर विचार किया गया था, जिसमें न्यायालय ने राज्य के तीन घटकों की शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांतों के संदर्भ में स्थापित कानूनी स्थिति को स्वीकार करने के बाद,

उसी को नकार दिया। हम उपयोगी रूप से इस सूचित निर्णय के पैरा *26* से *28* में व्याख्या का उल्लेख कर सकते हैं, जो इस प्रकार हैः

"26. विधान बनाने या कानून बनाने में विधायिका के समक्ष मौजूद विकल्पों की एक विस्तृत श्रृंखला से कुछ राजनीतिक, नैतिक और सामाजिक मूल्यों को दूसरों पर प्राथमिकता देने का विकल्प शामिल है। यह विविध और वैकल्पिक मूल्यों को अभिव्यक्ति/अर्थ देने और इसे इस तरह से मिश्रित करने के लिए एक संतुलन और एकीकरण अभ्यास है कि यह कई दृष्टिकोणों का प्रतिनिधि है ताकि यह समर्थन प्राप्त कर सके।

अन्य निर्वाचित प्रतिनिधियों से संस्थागत समूह और स्वीकृति को पारित करने के लिए। विधान, किसी अधिनियम या कानून के रूप में,

व्यापक और सामान्य सिद्धांतों को निर्धारित करता है। यह कानून का स्रोत है जिसे न्यायाधीशों को लागू करने के लिए कहा जाता है। न्यायाधीश, जब वे कानून को लागू करते हैं, तो वे भाषा के नियमों और अच्छी तरह से पहचाने गए पृष्ठभूमि अनुमानों द्वारा विवश होते हैं कि विधायिका किस तरीके से कानून को पढ़ने का इरादा रखती है। न्यायाधीशों द्वारा कानून का अनुप्रयोग विधायिका द्वारा कानून के अधिनियमन का पर्याय नहीं है। न्यायाधीशों के पास यह बताने की शक्ति है कि किसी विशेष मामले में क़ानून कितना सटीक रूप से लागू होगा। इस तरह वे विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को लागू करके उसे पूरा करते हैं। व्याख्या की इस शक्ति या न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग कानून के अधिनियमन के बाद किया जाता है, जिसे तब विषय बनाया जाता है -

अदालतों के समक्ष व्याख्या या चुनौती।

304 (167 पर ऊपर*)*

अजीव सूरी बनाम। दिल्ली विकास प्राधिकरण और ओआरएस। *[* ए. एम. खानविलकर, जे.*]*

27. विधायिका, एक संस्था और सरकार की एक शाखा के रूप में, संरचना, विविधता और जवाबदेही के मामले में एक लोकतांत्रिक संस्था के गुणों वाले बड़े सामाजिक समुदाय का एक सूक्ष्म जगत है। विधायिका बहुत सारे प्रतिनिधित्व और संसाधनों को लाने के लिए सावधानीपूर्वक डिज़ाइन की गई और अपनाई गई अंतर्निहित प्रक्रियाओं का उपयोग करती है क्योंकि उनके पास संस्थान के भीतर काम करने वाले लोगों की जानकारी, कौशल, विशेषज्ञता और ज्ञान तक पहुंच होती है और

कार्यकारी के रूप में बाहर। विधान और न्यायिक निर्णय की प्रक्रिया और तरीका पूरी तरह से अलग हैं। न्यायिक निर्णय में व्याख्या के नियमों और पूर्ववर्ती कानूनों को लागू करना शामिल है और एक व्यक्तिगत न्यायाधीश या पीठ की गहरी समझ, ज्ञान और विवेक के बावजूद, अपनी व्यापक और व्यापक विविध राजनीति को देखते हुए, इसे एक लोकतांत्रिक समाज में कानून बनाने के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है। संविधान में कहा गया है कि विधायिका सर्वोच्च है और कानून के मामलों में उसका अंतिम निर्णय होता है जब वह लोकतांत्रिक जवाबदेही के रूप में जांच और अदालतों द्वारा आगे की जांच के साथ विभिन्न वर्गों से इनपुट के साथ विकल्पों

और विकल्पों पर विचार करता है जो न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते हैं। यह न्यायाधीशों के लिए नहीं है कि वे कानून के नए सभी अपनाने वाले सिद्धांतों को इस तरह से विकसित करने की कोशिश करें जो व्यक्तिगत न्यायाधीशों के रुख और राय को दर्शाता है, जबकि समग्र रूप से समाज/विधायक अस्पष्ट हैं और प्रासंगिक मुद्दों पर काफी विभाजित हैं। भीम सिंह बनाम। भारत संघ, यह देखते हुए कि

संविधान कार्यों के अतिव्यापी होने को सख्ती से प्रतिबंधित नहीं करता है क्योंकि आधुनिक संसदीय लोकतंत्र में यह अपरिहार्य है।

संविधान एक अन्य शाखा के कार्यों के प्रयोग को प्रतिबंधित करता है जिसके परिणामस्वरूप संवैधानिक जवाबदेही के शासन को छीन लिया जाता है। जब जवाबदेही बरकरार रखी जाएगी, तभी शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं होगा। संविधान न केवल यह माँग करता है और आदेश देता है कि हमें नियंत्रित करने वाले सही निर्णय होने चाहिए, बल्कि समान रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए कि सही निकाय और संस्था द्वारा सही निर्णय लिए जाएं। यह वही है जो वैधता देता है, चाहे वह कानून हो, नीतिगत निर्णय हो या अदालत का निर्णय।

28. यह कभी-कभी बल के साथ संघर्ष किया जाता है जो अलोकप्रिय और

कठिन निर्णयों को अन्य दो शाखाओं के बजाय न्यायाधीशों द्वारा अधिक आसानी से समझा और लिया जाता है। वास्तव में, ऐसे सुझाव थे

अप्रत्यक्ष रूप से बनाया गया। यह तर्क इस विश्वास पर आधारित है कि न्यायाधीश सीधे मतदाताओं के प्रति जवाबदेह नहीं हैं और इसलिए, *[2021] 15* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पल के प्रश्नों से सापेक्ष स्वतंत्रता का आनंद लें, जो उन्हें एक अलग, निष्पक्ष और न्यायपूर्ण दृष्टिकोण लेने में सक्षम बनाता है। यह स्थिति कि न्यायाधीश निर्वाचित और जवाबदेह नहीं हैं, सही है, लेकिन यह न्यायिक विधान की प्रकृति में किसी अदालत के आदेश को उचित नहीं ठहराएगा क्योंकि यह संवैधानिक सर्वोच्चता का उल्लंघन करेगा और उस लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अमान्य और विकृत कर देगा जिसके द्वारा कानून बनाए जाते हैं। ऊपर बताए गए कारणों से, यह तर्क है

संवैधानिक रूप से अस्वीकार्य और असमर्थनीय "।

193. सहभागी लोकतंत्र का दूसरा पहलू सरकार के कार्यों के बारे में सार्वजनिक रूप से जानकारी का खुलासा करना है। द.

याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि प्रभावी भागीदारी के लिए, नागरिकों को पता होना चाहिए कि वे किसमे भाग ले रहे हैं और क्यों। यह विचार के योग्य है। क्योंकि, जब तक सरकारी निर्णय के बारे में पूरी और प्रासंगिक जानकारी सार्वजनिक नहीं की जाती है, तब तक जनता सरकार के साथ सार्थक तरीके से जुड़ने के लिए तैयार नहीं होगी। लोकतंत्र में, पूर्ण जानकारी का प्रकटीकरण सशक्तिकरण है और सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रवर्तक के रूप में कार्य करता है। सूचना तक खुली पहुंच प्रदान करने से पारदर्शिता का लक्ष्य भी हासिल होता है, जिसके लिए सभी सार्वजनिक संस्थान प्रतिबद्ध हैं। एस. पी. गुप्ता और अन्य में। वी. भारत के राष्ट्रपति और

इस न्यायालय ने सूचना, पारदर्शिता और पारदर्शिता के माध्यम से चलने वाले सामान्य धागे के बारे में चर्चा की।

उत्तरदायित्व और निम्नानुसार अवलोकन किया गयाः

"63. अब यह संविधान से स्पष्ट है कि हमने इसे अपनाया है

सरकार का एक लोकतांत्रिक रूप। जहाँ एक समाज ने लोकतंत्र को अपने धार्मिक विश्वास के रूप में स्वीकार करने का विकल्प चुना है, वहाँ नागरिकों को यह जानना आवश्यक है कि उनकी सरकार क्या कर रही है।

नागरिकों को यह तय करने का अधिकार है कि वे किसके द्वारा और किन नियमों द्वारा शासित होंगे और उन्हें अपने आचरण के लिए उनकी ओर से शासन करने वालों को जवाबदेह ठहराने का अधिकार है। कोई भी लोकतांत्रिक सरकार इसके बिना नहीं रह सकती।

जवाबदेही और जवाबदेही का मूल अभिधारणा यह है कि लोगों को सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी होनी चाहिए। यह तभी होगा जब लोग जानेंगे कि सरकार कैसी है।

यह कार्य करना कि वे उस भूमिका को पूरा कर सकें जो लोकतंत्र उन्हें सौंपता है और लोकतंत्र को वास्तव में एक प्रभावी सहभागी लोकतंत्र बना सकते हैं। जेम्स मैडिसन ने कहा था, "ज्ञान हमेशा के लिए अज्ञानता को नियंत्रित करेगा और जो लोग अपने स्वयं के राज्यपाल होने का मतलब रखते हैं, उन्हें ज्ञान द्वारा दी गई शक्ति से खुद को लैस करना चाहिए। एक लोकप्रिय

305 ए. आई. आर. *1982* एस. सी. *149* अजीव सूरी बनाम।

दिल्ली विकास प्राधिकरण और ओआरएस। *[*ए. एम. खानविलकर, जे.*]*

लोकप्रिय जानकारी या साधनों के बिना सरकार

इसे प्राप्त करना केवल एक प्रहसन या त्रासदी या शायद एक प्रस्तावना है

लोकतांत्रिक राज्य। और इसलिए खुलेपन की मांग सरकार विभिन्न भागों में तेजी से बढ़ रही है

संसार "।

*(*जोर दिया गया*)*

आर. के. जैन बनाम भारत संघ की ओर से, न्यायालय ने फिर कहाः

"41. ..... यह तभी होगा जब लोग जानेंगे कि सरकार कैसी है। कार्य करना कि वे अपने स्वयं के लोकतांत्रिक अधिकारों को पूरा कर सकते हैं

लोकतंत्र। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि सार्वजनिक जांच के संपर्क में आना स्वच्छ और स्वस्थ रहने का एक निश्चित साधन है

प्रशासन। के संबंध में जानकारी का प्रकटीकरण

सरकार का कामकाज नियम और गोपनीयता वाला होना चाहिए।

सार्वजनिक जानकारी माना गया था। का दृष्टिकोण न्यायालय को गोपनीयता के क्षेत्र को उतना ही कम करना चाहिए जितना

जनहित की आवश्यकता के साथ लगातार संभव

हर समय ध्यान में रखते हुए कि प्रकटीकरण भी काम करता है

जनहित का एक महत्वपूर्ण पहलू। ..... "

(जोर दिया गया*)*

केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, भारत का सर्वोच्च न्यायालय

भास चंद्र अग्रवाल *307,* इस न्यायालय ने शासन को दोहराया

स्थिति और सूचना का अधिकार अधिनियम, *2005-308* की प्रस्तावना से एक सूचित नागरिक के महत्व पर प्रकाश डाला और

वेद इस प्रकार हैः

" 120. इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हमारे पास एक संक्षिप्त विवरण होना चाहिए।

आर. टी. आई. अधिनियम की योजना का संदर्भ। वस्तुओं का कथन

और कारण एक लोकतंत्र के निर्माण के एक महान लक्ष्य की परिकल्पना करते हैं जो

यह प्रभावी सरकार के बीच संतुलन भी प्रदान करता है। कुशल संचालन, ऐसी पारदर्शी प्रणालियों का व्यय और

93) 4 एससीसी *119 20) 5* एस. सी. सी. *481*

संक्षेप में, *"2005* अधिनियम*" [2021] 15* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यह मानता है कि ये सिद्धांत आपस में टकराव पैदा करने के लिए अपरिहार्य हैं और इस तरह के परस्पर विरोधी हितों के सामंजस्य की आवश्यकता है और इसे संरक्षित करने की और आवश्यकता है।
लोकतांत्रिक आदर्श की सर्वोच्चता। इस मानक लोकतांत्रिक आदर्श की मान्यता के लिए हमें कुशल संचालन की जवाबदेही और पारदर्शिता के इष्टतम स्तरों पर और विस्तार करने की आवश्यकता है

सरकार की ओर से। ..... न्यायालय ने तब इस बात पर प्रकाश डाला कि सूचना तक पहुँच कितनी खुली है।

इस प्रकार लोकतंत्र के सहभागी तत्व के लिए महत्वपूर्णः

"192. जे. भगवती ने सामाजिक-राजनीतिक पृष्ठभूमि पर विस्तार किया जो "संविधान में निहित बुनियादी मूल्यों से बंधे लोकतांत्रिक समाज" में किसी भी दृष्टिकोण को सूचित करना चाहिए। उन्होंने एक चित्र बनाया

लोकतंत्र, पारदर्शिता और यह मानने की जवाबदेही कि जवाबदेही का एक बुनियादी अभिधारणा, जो एक लोकतांत्रिक सरकार के लिए मौलिक है, यह है कि सरकार के बारे में जानकारी लोगों के लिए सुलभ है। उनका मानना था कि सहभागी लोकतंत्र की उपलब्धता पर आधारित है

सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी। "लोकतांत्रिक राज्य के स्तंभ" के रूप में जानने का अधिकार लोकतंत्र के लिए सकारात्मक सामग्री का संकेत देता है और यह सुनिश्चित करता है कि लोकतंत्र स्थिर न रहे बल्कि एक "निरंतर प्रक्रिया" बन जाए। इस प्रकार, एक सीमा

पारदर्शिता का समर्थन एक दावे से अधिक किया जाना चाहिए
गोपनीयता-इसे यह प्रदर्शित करना चाहिए कि प्रकटीकरण से होने वाला सार्वजनिक नुकसान पारदर्शिता में सार्वजनिक हित से अधिक है।

" "

टी. एस. आर. सुब्रमण्यन और अन्य में। वी. भारत संघ और *Ors.309*

इसी तरह के प्रस्ताव को पैरा *34* में इस प्रकार देखा जा सकता हैः

"39. लोकतंत्र के लिए एक जागरूक नागरिक और पारदर्शिता की आवश्यकता होती है

जानकारी। सूचना का अधिकार अधिनियम, *2005 ("*आर. टी. आई. अधिनियम*")* नागरिक के सूचना तक सुरक्षित पहुंच के अधिकार को मान्यता देता है।

सार्वजनिक प्राधिकरण के नियंत्रण में, बढ़ावा देने के लिए
प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही। ..... "

अंजलि भारद्वाज और ओआरएस में। वी. भारत संघ और उनके न्यायालय ने मान्यता दी कि सूचना का अधिकार *2005* के अधिनियम के लागू होने से पहले ही अनुच्छेद *9 (1) (*ए*)* से पता लगाया जा सकता था और इस प्रकार टिप्पणी कीः

(2013) 15 एस. सी. सी. *732*

2019 (3) स्केल *447* राजीव सूरी बनाम।

दिल्ली विकास प्राधिकरण और ओआरएस। *[* ए. एम. खानविलकर, जे.*]*

"10. आर. टी. आई. अधिनियम के लागू होने से बहुत पहले
वर्ष *2005* में इस न्यायालय ने बार-बार इस पर जोर दिया

लोगों का सूचना का अधिकार अनुच्छेद *19 (1) (ए)* का एक पहलू होना

संविधान से। यह माना गया है कि सूचना का अधिकार है

एक मौलिक अधिकार और अनुच्छेद *19 (1) (ए)* से प्रवाहित होता है, जो

बोलने का अधिकार सुनिश्चित करता है। इस अधिकार का भी पता लगाया गया है

अनुच्छेद *21* जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। वहाँ

यह घोषणा करने वाले कई निर्णय हैं कि पारदर्शिता है

एक स्वस्थ लोकतंत्र के काम करने की कुंजी "।

194. यह कहना सही है कि *2005* के अधिनियम ने नागरिक को सशक्त बनाया है

सरकार से जानकारी प्राप्त करने के लिए लेकिन यह बिल्कुल होगा यह कहना असमर्थनीय है कि सरकार का खुला रहना कोई कर्तव्य नहीं है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में जहां नागरिक ने प्रचुर मात्रा में काम सौंपा है

शासन

सरकार के लिए, यह सरकार का बाध्यकारी दायित्व है कि वह नागरिकों को अपने कार्यों के बारे में अच्छी तरह से सूचित रखे, जैसा कि एक विवेकपूर्ण न्यासी करेगा।

195. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि "राजनीतिक न्याय" का सिद्धांत है -

राष्ट्रीय जीवन के सभी संस्थानों को सूचित करना और एक न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक है। इसके अलावा, राजनीतिक न्याय हासिल करने की परिकल्पना "लोगों के कल्याण" की दिशा में एक कदम के रूप में की गई है। "राजनीतिक न्याय" शब्द का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि यह निर्देशात्मक सिद्धांतों में अपनी स्थिति और संविधान की प्रस्तावना में प्रमुखता से व्याख्या किए जाने के कारण देश के शासन के लिए केवल मौलिक नहीं है।

प्रयास करें।

"..... अपने सभी नागरिकों को सुरक्षित करने के लिए:

न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक;
रघुनाथराव गणपतराव बनाम। भारत संघ *3 1 1*, न्यायालय

राजनीतिक न्याय शब्द को एक अर्थ प्रदान करने का प्रयास किया और देखा

इस प्रकार:

" 96 ..... राजनीतिक न्याय लोगों के अधिकारों के सिद्धांत से संबंधित है,

अर्थात् सार्वभौमिक मताधिकार का अधिकार, लोकतांत्रिक रूप का अधिकार
सरकार और राजनीतिक मामलों में भागीदारी का अधिकार।

(जोर दिया गया*)*

196. राजनीतिक न्याय का विचार रूढ़िवादी तक सीमित नहीं है।

सरकार के लोकतांत्रिक रूप की समझ। हम एक में हैं *311* ए. आई. आर *1993* एस. सी. *1267 [2021] 15* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सूचना युग और राजनीतिक न्याय सूचनात्मक न्याय के बिना अधूरा होगा, जिसके लिए अनिवार्य रूप से निर्णय निर्माताओं को अपने निर्णयों के विषयों को उन सभी सूचनाओं के सही प्राप्तकर्ता के रूप में मानने की आवश्यकता होती है जो उनके जीवन पर प्रभाव डाल सकती हैं। इसके अलावा, खोलें। सूचना की उपलब्धता से शिक्षा और सशक्तिकरण के उद्देश्य को भी बढ़ावा मिलेगा। अनुच्छेद *51 (*एच*)* मौलिक कर्तव्य का प्रावधान करता है

वैज्ञानिक मनोवृत्ति, मानवतावाद और जांच की भावना का विकास करना।

और सुधार "। जांच और सुधार की भावना को आगे बढ़ाना काफी हद तक सूचना की उपलब्धता पर निर्भर करता है। यह और कुछ नहीं बल्कि एक कर्तव्य है जो नागरिकों को सुशासन में भाग लेने का आदेश देता है।

197. विशेष रूप से, वर्तमान मामले में उत्तरदाताओं ने खुलेपन के महत्व को पहचाना है और हमारे सामने विस्तृत डेटा रखा है

यह प्रदर्शित करें कि कैसे सभी अनुमतियों, आदेशों, निमंत्रणों, अनुमोदनों आदि सहित परियोजना के सभी चरणों को जल्द से जल्द उपलब्ध अवसर पर समय-समय पर सीधे सार्वजनिक पहुंच के लिए ऑनलाइन उपलब्ध कराया गया था। हम उचित स्तर पर इसकी जांच करेंगे।

198. इस उद्देश्य के लिए उपरोक्त सिद्धांतों के महत्व, अनुप्रयोग के दायरे और पर्याप्त मूल्य पर पूरी तरह से चर्चा करने के बाद।

मामले में, अब हम विशिष्ट चुनौतियों का विज्ञापन कर सकते हैं।

भूमि उपयोग में बदलाव

199. भूमि उपयोग में परिवर्तन के खिलाफ चुनौती का समाधान करने के लिए,

विचार के लिए तीन व्यापक प्रश्न उत्पन्न होते हैं, अर्थात्:

क्या विषय भूखंडों के भूमि उपयोग में परिवर्तन है

((i)

कानून में अनुमत है*?*

((ख)

यदि अनुमति है तो इस तरह का परिवर्तन किस हद तक किया जा सकता है।

कानून के दायरे में?

(iii)

चाहे मानदंड, प्रक्रियात्मक हों या अन्यथा,
इस तरह के परिवर्तन को प्रभावी बनाने के लिए पालन किया गया है

उत्तरदाताओं द्वारा?

मास्टर प्लान और जोनल प्लान क्या है

200. हम सबसे पहले *1957* में परिकल्पित मास्टर प्लान, क्षेत्रीय योजनाओं और उनमें संशोधनों से संबंधित कानूनी ढांचे का विज्ञापन कर सकते हैं।

अधिनियम और मास्टर प्लान *(*वर्तमान में लागू मास्टर प्लान*)*। मान लीजिए, अब तक दिल्ली के लिए तीन मास्टर प्लान बनाए गए हैं। वर्तमान से पहले योजना, दो मास्टर प्लान लागू थे-मास्टर प्लान, *1962 (*राजीव सूरी बनाम के लिए लागू*)*।

दिल्ली विकास प्राधिकरण और ओआरएस। *[* ए. एम. खानविलकर, जे.*]*

20 वर्ष *1962-1981)*, मास्टर प्लान, *2001* और अब मास्टर प्लान, *2007 (1981-2021)* से लागू। *1957* के अधिनियम की धारा *7* एक मास्टर प्लान तैयार करने का प्रावधान करती है और इस प्रकार पढ़ती है:

" 7. दिल्ली के लिए नागरिक सर्वेक्षण और मास्टर प्लान।

(1) प्राधिकरण, जितनी जल्दी हो सके, एक नागरिक सर्वेक्षण करेगा

और दिल्ली के लिए एक मास्टर प्लान तैयार करें।
(2) मास्टर प्लान होगा

(क*)* उन विभिन्न क्षेत्रों को परिभाषित करें जिनमें दिल्ली को विभाजित किया जा सकता है। विकास के उद्देश्यों के लिए और तरीके को इंगित करें

जिसमें प्रत्येक क्षेत्र की भूमि का उपयोग करने का प्रस्ताव है।

(चाहे उस पर विकास के निष्पादन द्वारा या
अन्यथा*)* और वे चरण जिनके द्वारा ऐसा कोई विकास होता है

किया जाएगा; और
(ख*)* फ्रेम-वर्क के एक बुनियादी पैटर्न के रूप में कार्य करता है जिसके भीतर

विभिन्न क्षेत्रों की क्षेत्रीय विकास योजनाएं हो सकती हैं -

तैयार हैं।

(3) मास्टर प्लान किसी अन्य मामले के लिए प्रावधान कर सकता है जो है -
दिल्ली के उचित विकास के लिए यह आवश्यक है।

(जोर दिया गया*)*

मुख्य रूप से, मास्टर प्लान का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रीय क्षेत्रों को चित्रित करना है

दिल्ली के भीतर के क्षेत्र और प्रत्येक क्षेत्र में भूमि उपयोग का तरीका। यह क्षेत्रीय योजनाओं की परिणामी तैयारी के लिए एक बुनियादी ढांचे या पूर्वनिर्धारण के रूप में भी कार्य करता है। उप-धारा *(3)* एक अवशिष्ट चरित्र की है। यह भविष्यवाणी करता है कि मास्टर प्लान किसी अन्य मामले *(*उसी खंड के पहले भाग में निर्दिष्ट के अलावा*)* के लिए भी प्रदान कर सकता है जो दिल्ली के उचित विकास के लिए आवश्यक है।

201. मास्टर प्लान को प्रभावी बनाने के लिए*, 1957* का अधिनियम आदेश देता है

मास्टर प्लान के तहत बनाए गए प्रत्येक क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय योजनाओं की तैयारी। संबंधित क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय योजना में एक स्थल योजना होनी चाहिए और उचित विकास सुनिश्चित करने के लिए धारा *8* की उप-धारा *(2)* में निर्दिष्ट अन्य विवरणों सहित मास्टर प्लान में निर्धारित भूमि उपयोग के अनुरूप क्षेत्र के विकास के लिए उपयोग योजना होनी चाहिए। यह है।

मास्टर प्लान का एक सबसेट। धारा *8* इस प्रकार प्रदान करती हैः

"8. क्षेत्रीय विकास योजनाएं। *- (1)* साथ ही साथ

मास्टर प्लान तैयार करना या उसके बाद जितनी जल्दी हो सके*, [2021] 15* एस. सी. आर.

प्राधिकरण प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय विकास योजना तैयार करने के लिए आगे बढ़ेगा जिसमें दिल्ली को विभाजित किया जा सकता है।

(2) एक क्षेत्रीय विकास योजना हो सकती है

(क*)* विकास के लिए एक स्थल-योजना और उपयोग-योजना शामिल करें
क्षेत्र और भूमि के अनुमानित स्थान और विस्तार दिखाएँ

सार्वजनिक भवनों जैसी चीजों के लिए क्षेत्र में प्रस्तावित उपयोग

और अन्य सार्वजनिक कार्य और उपयोगिताएँ, सड़कें, आवास, मनोरंजन,
उद्योग, व्यवसाय, बाजार, स्कूल, अस्पताल और सार्वजनिक और

निजी खुले स्थान और सार्वजनिक और निजी की अन्य श्रेणियां
उपयोग करता है;

(ख*)* जनसंख्या घनत्व और भवन निर्माण के मानकों को निर्दिष्ट करें।

(ग) क्षेत्र के प्रत्येक क्षेत्र को दिखाएँ जो, की राय में हो सकता है
प्राधिकरण, विकास के लिए आवश्यक या घोषित किया जाए या फिर

विकास;

(घ) विशेष रूप से, सभी या किसी के बारे में प्रावधान शामिल हैं

निम्नलिखित मामले, अर्थात्:

((i) भवनों के निर्माण के लिए किसी भी स्थल को भूखंडों में विभाजित करना।
((ii) सड़कों, खुले स्थानों के लिए भूमि का आवंटन या आरक्षण,

उद्यान, मनोरंजन स्थल, विद्यालय, बाजार और अन्य सार्वजनिक स्थल

उद्देश्य;

((ग) किसी क्षेत्र का बस्ती या कॉलोनी के रूप में विकास और

प्रतिबंध और शर्तें जिनके अधीन इस तरह के

((iv) किसी भी स्थल पर भवनों का निर्माण और प्रतिबंध
और खुले स्थानों के संबंध में बनाए रखने की शर्तें

या इमारतों और इमारतों की ऊंचाई और चरित्र के आसपास;

(v) किसी भी स्थल पर इमारतों का संरेखण;

(vi) ऊंचाई या अग्रिम युग की वास्तुशिल्प विशेषताएँ।

से

किसी भी स्थल पर बनाई जाने वाली कोई भी इमारत; *(vii)* उन
आवासीय भवनों की संख्या जिनका निर्माण किया जा सकता है।

किसी भी भूखंड या स्थल पर; अजीव सूरी बनाम।

दिल्ली विकास प्राधिकरण और ओआरएस। *[ए. एम. खानविलकर, जे.]*

((viii) भवनों के निर्माण से पहले या बाद में ऐसे स्थल पर किसी स्थल या भवन के संबंध में प्रदान की जाने वाली सुविधाएँ और वह व्यक्ति या प्राधिकरण जिसके द्वारा या जिसके द्वारा

ऐसी सुविधाएँ प्रदान की जानी चाहिए; *(ix)* दुकानों, कार्यशालाओं,
गोदामों या कारखानों या किसी विशिष्ट वास्तुशिल्प विशेषता या भवनों के निर्माण के संबंध में निषेध या प्रतिबंध

क्षेत्र में उद्देश्य;

(x) दीवारों, बाड़ों, बाड़ों या किसी अन्य संरचनात्मक या वास्तुशिल्प निर्माण और उस ऊंचाई का रखरखाव जिस पर

उन्हें बनाए रखा जाएगा;

(xi) प्रयोजनों के लिए किसी भी साइट के उपयोग के संबंध में प्रतिबंध

भवनों के निर्माण के अलावा; और

(xii) कोई अन्य मामला जो उचित कार्य के लिए आवश्यक हो।

योजना के अनुसार क्षेत्र या उसके किसी क्षेत्र का विकास और ऐसे क्षेत्रों में अव्यवस्थित रूप से इमारतों के निर्माण को रोकने के लिए

क्षेत्र या क्षेत्र "।

क्षेत्र के उचित विकास के लिए।*202.* मास्टर प्लान क्षेत्रीय योजना के बीच संबंधों की समझ आगे के विश्लेषण के लिए प्रासंगिक है। जहाँ मास्टर प्लान एक क्षेत्र के लिए विकास की एक व्यापक दृष्टि को निर्धारित करता है, वहीं क्षेत्रीय योजना मास्टर प्लान में व्यक्त दृष्टि को विशिष्टता प्रदान करने के लिए है जो निर्दिष्ट क्षेत्रों में दृष्टि के निष्पादन को सुविधाजनक बनाती है। मास्टर प्लान की दृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए एक क्षेत्रीय योजना चींटी। मास्टर प्लान में, एक क्षेत्रीय

एस इस प्रकार परिभाषित किया गया है:

" 2 (2) क्षेत्रीय विकास योजना का अर्थ है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के क्षेत्रों *(*प्रभागों*)* में से एक के लिए एक योजना जिसमें सामाजिक बुनियादी ढांचे के प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी हो।

उद्यान और खुले स्थान, परिसंचरण प्रणाली, आदि।

"भूमि उपयोग योजना" शीर्षक से मास्टर प्लान का अध्याय *16* इस पर प्रकाश डालता है

एक क्षेत्रीय योजना का बहिष्कार:

" 16.1 ..... क्षेत्रीय योजनाएं नीतियों का विस्तार से वर्णन करेंगी।

मास्टर प्लान *2021* और लेआउट प्लान *[2021] 15* एस. सी. आर. के बीच कड़ी के रूप में कार्य करें।

और मास्टर प्लान। विकास योजनाएं और रूपरेखा

विभिन्न उपयोग परिसरों को इंगित करने वाली योजनाएं इसके अनुरूप होंगी

मास्टर प्लान/जोनल प्लान। क्षेत्रों की क्षेत्रीय योजनाएं

धारा *8* के तहत तैयार किया जाए और धारा *10* के तहत संसाधित किया जाए और साथ ही भूमि उपयोग के संशोधनों को संसाधित किया जाएगा।

दिल्ली विकास अधिनियम, *1957* की धारा *11 (*ए*)* के तहत। पहले से ही

इसके अनुरूप अनुमोदित उप-क्षेत्रीय *(*पूर्ववर्ती क्षेत्रीय*)* योजनाएं

मास्टर प्लान उन क्षेत्रों के लिए जारी रहेगा जहां जोनल

योजनाओं को मंजूरी नहीं दी गई है। क्षेत्रीय योजनाओं के रूप में

मंजूरी के *12* महीने के भीतर संरचना योजनाएं तैयार की जाएंगी।

किसी भी क्षेत्र की क्षेत्रीय योजना के अभाव में, विकास मास्टर प्लान के प्रावधानों के अनुसार होना चाहिए।

प्रस्तावित शहरी क्षेत्र में किसी भी शहरी गतिविधि की अनुमति नहीं होगी।

भूमि उपयोग में परिवर्तन/मास्टर में संशोधन के बिना विस्तार

दिल्ली विकास अधिनियम, *1957* के अनुसार योजना "

(जोर दिया गया*)*

क्षेत्रीय योजना, जैसा कि ऊपर बताया गया है, लेआउट के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करती है।

योजना-निर्दिष्ट क्षेत्र के लिए। अंतर्निहित कारण यह सुनिश्चित करना है कि एक क्षेत्रीय क्षेत्र के अभाव में विकास की गति रुक न जाए योजना और साथ ही संबंधित क्षेत्र और विशेष रूप से पूरी दिल्ली के उचित विकास के लिए है। इसलिए, मास्टर प्लान में परिकल्पित विकास का दायरा और दिशा निर्बाध रहेगी, चाहे वह एक नई क्षेत्रीय योजना के साथ पूरक हो या नहीं।

या नहीं।

योजनाओं का स्थानांतरण

203. अब हम संबंधित वैधानिक योजना की जांच कर सकते हैं

योजनाओं में संशोधन। चुनौती का जोर हमें योजना को संशोधित करने के प्रावधानों का विश्लेषण करने के लिए आवश्यक बनाता है।

312 लेआउट प्लान का अर्थ है एक योजना जो सभी उपयोग परिसरों के विन्यास और आकारों को दर्शाती है। प्रत्येक उपयोग क्षेत्र में विशिष्ट उपयोग क्षेत्र के तहत क्षेत्र के विस्तार के आधार पर एक या एक से अधिक लेआउट योजना हो सकती है और इसके विपरीत।

अजीव सूरी बनाम। दिल्ली विकास प्राधिकरण और ओआरएस। *[*ए. एम. खानविलकर, जे.*]*

204. 1957 के अधिनियम की धारा *11* ए प्राथमिक प्रावधान है जो इसे सक्षम बनाता है।

योजना बनाने के लिए। यह एक अलग अध्याय के तहत आता है जिसका शीर्षक है

मुख्य योजना और क्षेत्रीय विकास योजना के लिए विभाजन "। वही इस प्रकार पढ़ता है:

" *11* ए. योजना में संशोधन। *(1)* प्राधिकरण कर सकता है

मास्टर प्लान या क्षेत्रीय विकास में कोई संशोधन योजना जैसा वह उचित समझता है, ऐसे संशोधन हैं जो उसकी राय में योजना के स्वरूप में महत्वपूर्ण परिवर्तनों को प्रभावित नहीं करते हैं और जो भूमि-उपयोग की सीमा या मानकों से संबंधित नहीं हैं।

जनसंख्या घनत्व।

(2) केंद्र सरकार कोई भी संशोधन कर सकती है।

मास्टर प्लान या क्षेत्रीय विकास योजना के लिए क्या ऐसे संशोधन उप-धारा *(1)* में या अन्यथा निर्दिष्ट प्रकृति के होते हैं।

(3) योजना में कोई भी संशोधन करने से पहले, प्राधिकरण या, जैसा भी मामला हो, केंद्र सरकार इस संबंध में बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित किए गए रूप और तरीके से एक सूचना प्रकाशित करेगी, जिसमें प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे। अधिसूचना में निर्दिष्ट किया जा सकता है और प्राधिकरण या प्राधिकरण द्वारा प्राप्त होने वाली सभी आपत्तियों और सुझावों पर विचार करेगा।

केंद्र सरकार।

(4) इस धारा के प्रावधानों के तहत किए गए प्रत्येक संशोधन को उस तरीके से प्रकाशित किया जाएगा जिसे प्राधिकरण या केंद्र सरकार, जैसा भी मामला हो, निर्दिष्ट करे और संशोधन या तो प्रकाशन की तारीख को या ऐसी अन्य तारीख को लागू होंगे जब प्राधिकरण या केंद्र सरकार

ठीक कर सकते हैं। *(5)* जब प्राधिकरण उप-धारा *(1)* के तहत योजना में कोई संशोधन करता है, तो वह केंद्र सरकार को उस तारीख के तीस दिनों के भीतर ऐसे संशोधनों का पूरा विवरण देगा।

प्राधिकरण द्वारा किए जाने वाले प्रस्तावित संशोधन हैं जो चरित्र में महत्वपूर्ण परिवर्तनों को प्रभावित करता है

योजनाएँ या क्या वे भूमि-उपयोग की सीमा से संबंधित हैं या

जनसंख्या घनत्व के मानकों के अनुसार, इसे *[2021] 15* एस. सी. आर. के रूप में संदर्भित किया जाएगा।

केंद्र सरकार जिसका उस पर निर्णय होगा

(7) अध्याय *III* को छोड़कर किसी अन्य अध्याय में कोई निर्देश
मास्टर प्लान या क्षेत्रीय विकास योजना को इस रूप में माना जाएगा -

मास्टर प्लान या क्षेत्रीय विकास योजना के रूप में संदर्भ

इस धारा के प्रावधानों के तहत संशोधित किया गया।

(जोर दिया गया*)*

205. धारा *11* ए शक्ति और प्रक्रिया दोनों का भंडार है।

संशोधन। यह दो संस्थाओं को इस तरह की शक्ति प्रदान करता है-प्राधिकरण *(*डीडीए*)*।

और केंद्र सरकार। प्राधिकरण में निहित संशोधन की शक्ति, उप-धारा *(1)* में निर्दिष्ट के रूप में सीमित है, लेकिन उस संबंध में केंद्र सरकार को व्यापक विवेकाधिकार दिया गया है। दोनों संस्थाओं को दी गई शक्ति का विस्तार भिन्न और भिन्न है। धारा *11* ए *(1)* प्राधिकरण को इसमें संशोधन करने का अधिकार देती है - तीन स्पष्ट क्षेत्रों के अधीन मास्टर प्लान या क्षेत्रीय योजनाः

इस तरह के संशोधन महत्वपूर्ण परिवर्तनों को प्रभावित नहीं करते हैं।

((i)

योजना की प्रकृति*;*

((ख)

इस तरह के संशोधन भूमि-उपयोग की सीमा से संबंधित नहीं हैं*;*

इस तरह के संशोधन मानकों से संबंधित नहीं हैं

(iii)

जनसंख्या घनत्व।

जबकि प्राधिकरण के अधिदेश से एक उल्लेखनीय प्रगति में,

उप-धारा *(2)* केंद्र सरकार को प्रभाव डालने का अधिकार देती है

मास्टर प्लान या क्षेत्रीय योजना में संशोधन इस बात की परवाह किए बिना कि क्या ऐसे संशोधन उप-धारा *(1)* में निर्दिष्ट प्रकृति के हैं या कोई अन्य संशोधन जो लोक हित में आवश्यक समझा जाए।
विधायिका द्वारा उपयोग की जाने वाली भाषा स्पष्ट है और इसका कोई अन्य अर्थ नहीं है। दूसरे शब्दों में, उप-धारा *(2)* व्यापक रूप से लिखी गई है और केंद्र सरकार को व्यापक शक्ति प्रदान करती है। यह सीमित नहीं है

उप-धारा *(1)* में निर्दिष्ट मास्टर प्लान या क्षेत्रीय योजना के स्वरूप या विस्तार में परिवर्तन न करने के संबंध में प्रतिबंध लगाना, यदि केंद्र सरकार सार्वजनिक हित में ऐसा करने का इरादा रखती है, जिसमें उचित प्रावधान भी शामिल हैं।

दिल्ली का विकास। प्रावधान की यह शाब्दिक समझ मास्टर प्लान के पाठ के साथ पूरी तरह से सामंजस्य में है, जैसा कि हम देखेंगे, जो सार्वजनिक हित के आधार पर आवश्यकता के मामलों में संशोधन की आवश्यकता

को भी स्वीकार करता है। हालाँकि, इस तरह के संशोधन को पूरा करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके ऐसा किया जा सकता है। उप-राजीव सूरी की धारा *(6) v.*

दिल्ली विकास प्राधिकरण और ओआरएस। *[* ए. एम. खानविलकर, जे.*]*

प्रावधान भी शिक्षाप्रद है। यह केंद्र सरकार को यह तय करने का अधिकार देता है कि क्या प्राधिकरण ने संशोधन करते समय उप-धारा *(1)* के तहत तीन स्पष्ट सीमाओं का उल्लंघन किया है और यह निर्णय अंतिम है। आइए हम इस योजना को आगे समझते हैं।

206. 1957 के अधिनियम की धारा *41* में नियंत्रण का प्रावधान है -

प्राधिकरण पर केंद्र सरकार और इस विचार को आगे बढ़ाते हुए कि अधिनियम के तहत इसकी एक बेहतर भूमिका है। वह इस प्रकार हैः

"41. केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रण। *(1)* प्राधिकरण

ऐसे निर्देशों का पालन करेगा जो उससे जारी किए जाएं।

इस अधिनियम का प्रशासन।
(2) यदि अपनी शक्तियों के प्रयोग में या उनके संबंध में और

इस अधिनियम के तहत प्राधिकरण द्वारा अपने कार्यों का निर्वहन,

केंद्र सरकार का निर्णय
इस तरह का विवाद अंतिम होगा।

(3) केंद्र सरकार किसी भी समय अपने दम पर ऐसा कर सकती है

प्रस्ताव पर या इस ओर से किए गए आवेदन पर, रिकॉर्ड के लिए कॉल करें

के लिए प्राधिकरण द्वारा पारित किसी भी मामले का निपटारा या आदेश

किसी की वैधता या औचित्य के बारे में खुद को संतुष्ट करने का उद्देश्य

पारित आदेश या जारी किया गया निर्देश और ऐसा आदेश या जारी कर सकता है

उसके संबंध में ऐसा निर्देश जो वह उचित समझेः
बशर्ते कि केंद्र सरकार कोई आदेश पारित नहीं करेगी

ऐसे व्यक्ति को उचित ठहराये बिना किसी भी व्यक्ति के लिए पूर्वाग्रहपूर्ण
सुनने का अवसर "।

(जोर दिया गया*)*

यही इरादा अपरिवर्तित दिल्ली में भी परिलक्षित हुआ था

विकास *(*मास्टर प्लान और क्षेत्रीय विकास*)* नियम, *1959 3 1 3* नियम *12* में प्राधिकरण द्वारा मास्टर प्लान में संशोधन का प्रावधान किया गया है और कहा गया है कि प्राधिकरण *1957* के अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार हर पांच साल की समाप्ति पर संशोधन कर सकता है। *1957* के अधिनियम में निर्धारित "प्रक्रिया के अनुसार" कार्य करने की आवश्यकता ने इंगित किया कि प्राधिकरण को धारा *11* ए *(1)* के तहत तीन शर्तों से विचलित नहीं होना चाहिए। नियम *12* इस प्रकार हैः

313 संक्षेप में, "*1959* नियम" *[2021] 15* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

"*12.* मास्टर प्लान में संशोधन। - प्राधिकरण प्रक्रिया के अनुसार हर पांच साल की समाप्ति पर, यदि आवश्यक हो, तो मास्टर प्लान के पूरे या किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकता है।
अधिनियम और इन नियमों द्वारा निर्धारित जैसे कि प्रस्तावित

संशोधन नया मास्टर प्लान था।

बशर्ते कि यदि प्राधिकरण की राय है कि किसी विशेष समय पर प्रचलित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है
ऐसा करने के लिए, वह उक्त अवधि की समाप्ति से पहले किसी भी समय मास्टर प्लान या उसके किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकता है।

सरकार, इस ओर से आवेदन प्राप्त होने पर, सार्वजनिक उद्यानों और मनोरंजन के मैदानों के आकार में किसी भी बदलाव की अनुमति नहीं देती है।
अनुमोदित आकार के किसी भी तरह से दस प्रतिशत से अधिक।

नियम *13* नियम *12* के पूरक होने के कारण अनिवार्य था कि प्राधिकरण द्वारा मास्टर प्लान का प्रत्येक संशोधन अनुमोदन के अधीन था।

केंद्र सरकार द्वारा। इसका प्रासंगिक उद्धरण इस प्रकार हैः

"*13.* संशोधन के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी
मास्टर प्लान। - *(1)* मास्टर प्लान का संशोधन तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता है।

वास्तव में, नियम *12* और *13* को हटा दिया गया *[*दिल्ली विकास *(*मास्टर प्लान और क्षेत्रीय विकास योजना*)* संशोधन के माध्यम से*]*

नियम, *1966 3 14]*। हालांकि, वे कानून बनाने वाले निकायों के इरादे को समझने के साथ-साथ नियोजन गतिविधियों में केंद्र सरकार और प्राधिकरण के बीच संबंधों का पता लगाने में उपयोगी हैं। नियम *12* और *13* को सामूहिक रूप से पढ़ने से पता चलता है कि जहां तक मास्टर प्लान में संशोधन का संबंध है, प्राधिकरण केंद्र सरकार के अधीन है। इसकी शक्तियाँ केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। साथ ही, उपरोक्त नियमों के संयुक्त पठन से एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह है कि

संपूर्ण योजना *(*अधिनियम और नियम*)* में, मास्टर प्लान/क्षेत्रीय योजना के संशोधन की केंद्र सरकार की शक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं है-चाहे वह न्यूनतम समय अवधि का हो जिसके बाद संशोधन किए जा सकते हैं या किसी वरिष्ठ निकाय से अनुमोदन लेने का हो। इसलिए, क्रम में

314 संक्षेप में, *"1966* नियम*"* राजीव सूरी बनाम।

दिल्ली विकास प्राधिकरण और ओआरएस। *[* ए. एम. खानविलकर, जे.*]*

संशोधन की वैधता निर्धारित करने के लिए, उस इकाई का पता लगाना अत्यंत महत्वपूर्ण है जिसने संशोधन अभ्यास शुरू किया है। हम कानून को स्पष्ट रूप से चित्रित करने के बाद, बाद के चरण में इस मामले के तथ्यों के आलोक में इस पर विचार कर सकते हैं।

207. मास्टर प्लान/जोनल में संशोधनों की अनुमति

योजना में इन योजनाओं के किसी भी हिस्से में संशोधन शामिल हैं। संशोधनों के दायरे पर केंद्र सरकार पर कोई प्रतिबंध नहीं है। हालाँकि, अनुमेय संशोधनों की सीमा की गुणात्मक जाँच के लिए, अब हम "संशोधन" शब्द के अर्थ का विज्ञापन कर सकते हैं।

जैसा कि मास्टर प्लान और *1957* अधिनियम के लागू प्रावधानों में कल्पना की गई है।

संशोधनः अर्थ। *208.*
मास्टर प्लान, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, *2007* में अधिसूचित किया गया था

2021 तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में विकास की दिशा का मार्गदर्शन करें। खंड में शामिल हैं "की प्रमुख मुख्य बातें योजना ", नए क्षेत्रों का नियोजित विकास और पुराने क्षेत्रों का कायाकल्प करना समानांतर लक्ष्य बताए गए हैं। प्वाइंट *18* इस प्रकार हैः

" 18. मास्टर प्लान में कई नवाचार शामिल हैं

राष्ट्रीय राजधानी का विकास। एक महत्वपूर्ण सुधार किया गया है
प्रचलित भूमि नीति में परिकल्पित और जनता को सुविधा प्रदान करना -

निजी भागीदारी। योजनाबद्ध विकास के साथ

नए क्षेत्रों में, एक प्रमुख ध्यान प्रोत्साहित करने पर रहा है

पुराने, जीर्ण-शीर्ण क्षेत्रों का पुनर्चक्रण उनके कायाकल्प के लिए।

योजना में पुनर्गठन के लिए एक तंत्र पर विचार किया गया है

जन परिवहन पर आधारित शहर। भौतिक दृष्टिकोण योजनाएँ

संबंधित सेवा एजेंसियों द्वारा तैयार की गई आधारभूत संरचना
सेवाओं के बेहतर समन्वय और संवर्धन में सहायता "।

(जोर दिया गया*)*

बिंदु *19* इंगित करता है कि मास्टर प्लान, एक बार जम जाने के बाद, नहीं जा रहा है

समाज की अवधि और बदलती आवश्यकताओं के पूरा होने तक विकास के दायरे को स्थिर करने के लिए एक संशोधन की आवश्यकता हो सकती है /

योजना की समीक्षा। वह इस प्रकार है:

"19. मास्टर प्लान में दूरदर्शिता और नीति दिशानिर्देशों की परिकल्पना की गई है

2021 तक की परिप्रेक्ष्य अवधि। यह प्रस्तावित है कि योजना

के साथ तालमेल रखने के लिए पाँच वार्षिक अंतराल पर समीक्षा की जाए

समाज की तेजी से बदलती आवश्यकताएँ।

(जोर दिया गया*)*

मास्टर प्लान की दृष्टि, जैसा कि योजना में निर्दिष्ट किया गया है, संक्षेप में

इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि विरासत को विकास के आधुनिक स्वरूपों के साथ जोड़ना एक प्रमुख विशेषता है। वह इस प्रकार है;

"दृष्टि *3.* विजन-
2021 दिल्ली को एक वैश्विक महानगर और विश्व बनाने के लिए है।

वर्ग शहर, जहाँ सभी लोग उत्पादक कार्यों में लगे होंगे

जीवन की बेहतर गुणवत्ता के साथ काम करें, एक स्थायी वातावरण में रहें।

इससे, अन्य बातों के अलावा, योजना और कार्रवाई की आवश्यकता होगी

जनसंख्या वृद्धि और दिल्ली में प्रवास की चुनौती का सामना करना;

विशेष रूप से कमजोर वर्गों के लिए पर्याप्त आवास का प्रावधान

समाज का; छोटे उद्यमों की समस्याओं का समाधान करना,

विशेष रूप से असंगठित अनौपचारिक क्षेत्र में;

झुग्गियों का मुद्दा, पुराने और जीर्ण-शीर्ण क्षेत्रों का उन्नयन
शहर; पर्याप्त बुनियादी सुविधाओं का प्रावधान; संरक्षण

पर्यावरण; दिल्ली की विरासत का संरक्षण और

इसे नए और जटिल आधुनिक पैटर्न के साथ मिश्रित करना

विकास; और यह सब टिकाऊ ढांचे के भीतर करना।

विकास, सार्वजनिक निजी और सामुदायिक भागीदारी और
स्वामित्व की भावना और अपने नागरिकों के बीच अपनापन की भावना "।

(जोर दिया गया*)*

मास्टर प्लान के उपरोक्त उद्धरणों से जो निकलता है वह यह है कि

मास्टर प्लान विकास की एक गतिशील दृष्टि प्रस्तुत करता है जो आकस्मिक परिस्थितियों के आलोक में उपयुक्त संशोधनों की आवश्यकता को विधिवत स्वीकार करता है। योजना की गतिशील प्रकृति आगे "योजना समीक्षा और निगरानी" शीर्षक वाले अध्याय *18* में परिलक्षित होती है जो निर्दिष्ट करता है कि उभरते सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनों का ध्यान रखने के लिए योजना के कामकाज की चरणबद्ध निगरानी आवश्यक है। इसमें आगे कहा गया है कि प्रभावी कार्यान्वयन के लिए योजना की आवधिक समीक्षा आवश्यक है। वह इस प्रकार हैः

" *18.0* योजना समीक्षा और निगरानी
आवश्यक परिवर्तनों का मूल्यांकन करने के लिए योजना की निगरानी आवश्यक है

शहर में जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना। उचित रूप से चरणबद्ध निगरानी

यह योजना को उभरती सामाजिक-आर्थिक ताकतों के प्रति उत्तरदायी बनाता है।

योजना का कार्यान्वयन तभी प्रभावी हो सकता है जब इसकी निगरानी की जाए।

और उचित समय पर समीक्षा की गई।
परिणामस्वरूप, ऐसी समीक्षा उपयुक्त तरीके से की जा सकती है।

योजना में संशोधन। यह बिंदु *18.5* में संक्षेप में परिलक्षित होता है जो इस प्रकार हैः

राजीव सूरी बनाम। दिल्ली विकास प्राधिकरण और ओआरएस। *[* ए. एम. खानविलकर, जे.*]*

" *18.5* समीक्षा

उपरोक्त समूहों की सहायता से योजना की समय पर समीक्षा और

योजना नीतियों के साथ-साथ यदि आवश्यक हो तो संशोधन
कार्यान्वयन प्रक्रियाएँ, जो फिर से समायोजित करने में मदद करेंगी

योजना में ऐसी घटनाएँ जिनका पूर्वानुमान या पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता था
योजना निर्माण के दौरान। यदि योजना की समय पर निगरानी की जाती है

और उचित रूप से समीक्षा की गई, नीतियों को इसमें ढाला जा सकता है
वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार सही दिशा

शहर के लोग।

(जोर दिया गया*)*

उपरोक्त बिंदु इस दृष्टिकोण का एक सुदृढ़ीकरण है कि योजनाएं कर सकती हैं

दिल्ली के उचित विकास के लिए नीतियों को सही दिशा में ढालने के लिए मध्य-पाठ्यक्रम सुधारों और संशोधनों से गुजरना। मास्टर प्लान में परिकल्पित संशोधनों और उनकी अनुमति की प्रकृति को दूसरों के बीच इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है:

सबसे पहले, वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संशोधन आवश्यक होगा

बेहतर शासन और उचित प्रशासन सहित लोगों के लिए

दिल्ली का विकास;

दूसरा, अप्रत्याशित स्थिति के कारण संशोधन किए जा सकते हैं।

और अप्रत्याशित परिस्थितियाँ;

उपरोक्त बिंदु संपूर्ण नहीं हैं। के लिए, मास्टर प्लान

निर्धारित तरीके से क्षेत्रों के विकास के लिए रूपरेखा निर्धारित करता है। यह केंद्र सरकार या प्राधिकरण के संशोधन की वैधानिक शक्तियों पर एक नियंत्रक बल के रूप में काम नहीं करता है।

1957 के अधिनियम के तहत संबंधित आदेश। समय की विकसित आवश्यकताओं के अनुरूप जैविक विकास का विचार मास्टर प्लान में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। मास्टर प्लान के पीछे मूल सिद्धांत नीति निर्माताओं द्वारा समझे गए उद्देश्यपूर्ण परिवर्तन सहित निर्दिष्ट तरीके से विकास के मार्ग पर चलना है। धारा *11* ए *(2)* में संशोधन की कवायद शुरू करते समय केंद्र सरकार के समक्ष प्राथमिक विचार जनहित है। विकास समर्थक अधिनियम को पांडित्यपूर्ण तरीके से नहीं पढ़ा जा सकता है, क्योंकि सभी कानूनों का अंतर्निहित उद्देश्य विकास के बड़े लक्ष्य की सहायता के लिए कार्य करना है।

नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रावधान और सार्थक

शासन।

209. आगे समझने के लिए, यह ध्यान रखना प्रासंगिक होगा कि विकास और योजना अधिनियम अक्सर एक अंतर बनाते हैं।

बड़े और छोटे संशोधनों के बीच। मनोहर जोशी *3 1 5* में, इस न्यायालय ने महाराष्ट्र क्षेत्रीय और नगर योजना के प्रावधानों का विश्लेषण किया। अधिनियम, *1966 3 1 6* में कहा गया है कि उस अधिनियम के तहत बड़े और छोटे संशोधनों के बीच अंतर मौजूद है। यह इस प्रकार देखा गया:

"*55.* केवल दो तरीके हैं जिनके द्वारा अंतिम विकास योजना में संशोधन किया जा सकता है। पहला यह है कि प्रस्ताव ऐसा है कि यह विकास योजना के स्वरूप को नहीं बदलेगा, जिसे मामूली संशोधन के रूप में जाना जाता है और जिसके लिए प्रक्रिया अधिनियम की धारा *37* के तहत निर्धारित की गई है। दूसरा है जहां संशोधन एक महत्वपूर्ण प्रकृति का है जिसे अधिनियम की धारा *22*-ए के तहत परिभाषित किया गया है। उस मामले में प्रक्रिया

जैसा कि धारा *29* के तहत निर्धारित किया गया है, उसका पालन करना आवश्यक है।
इसके बाद यह देखा गया कि जब संशोधन अनुमत विषय होते हैं

योजना के स्वरूप को न बदलने के लिए, यह मामूली संशोधन का मामला होगा। पैरा *58* में यह इस प्रकार देखा गया थाः

"मामूली संशोधन

58. एम. आर. टी. पी. अधिनियम की धारा *37* इस प्रकार हैः

"*37.*अंतिम विकास योजना में संशोधन। — *(1)* जहां किसी अंतिम विकास योजना के किसी भाग का या किसी प्रस्ताव का कोई संशोधन ऐसी प्रकृति का होता है कि वह ऐसी विकास योजना के स्वरूप को नहीं बदलेगा, योजना प्राधिकरण, या जब राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार निर्देशित किया जाता है, तो ऐसे निर्देश की तारीख से साठ दिनों के भीतर, आधिकारिक राजपत्र में और ऐसे अन्य तरीके से एक सूचना प्रकाशित कर सकता है जो उसके द्वारा निर्धारित की जाए, जिसमें प्रस्तावित संशोधन के संबंध में किसी भी व्यक्ति से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए जाएं, जो ऐसी सूचना की तारीख से एक महीने के भीतर न हो; और प्रस्तावित संशोधन से प्रभावित सभी व्यक्तियों को सूचना भी देगा और ऐसे किसी भी व्यक्ति को सुनवाई देने के बाद, प्रस्तावित संशोधन *(*संशोधन, यदि कोई हो*)* को मंजूरी के लिए राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा।

315 (ऊपर *95* पर दिया गया है*) 3 1 6* संक्षेप में, *"1966* अधिनियम" अजीव सूरी बनाम।

दिल्ली विकास प्राधिकरण और ओआरएस। *[* ए. एम. खानविलकर, जे.*]*

59. जैसा कि इस धारा से देखा गया है, इसके तहत मामूली संशोधन धारा *37 (1)* ऐसी होनी चाहिए कि यह धारा में कोई परिवर्तन न करे।

विकास योजना की प्रकृति। खंड इंगित करता है कि

धारा *37* के तहत प्रक्रिया को गति देने के लिए, योजना प्राधिकरण को सबसे पहले यह राय बनानी होगी कि प्रस्तावित

संशोधन से विकास का स्वरूप नहीं बदलेगा।

योजना बनाएँ। ऐसी राय योजना प्राधिकरण द्वारा बनाई जानी चाहिए।

जिसका अर्थ है नगर निगम का सामान्य निकाय, क्योंकि यह इसके तहत किसी और को कार्य सौंपने की अनुमति नहीं है

अधिनियम की धारा *152*। इसके बाद योजना प्राधिकरण को करना होगा

आपत्तियों को आमंत्रित करते हुए आधिकारिक राजपत्र में एक सूचना प्रकाशित करें और

प्रस्तावित के संबंध में जनता से सुझाव

संशोधन। सभी व्यक्तियों को नोटिस देना भी आवश्यक है। प्रस्तावित संशोधन से प्रभावित।

(जोर दिया गया*)*

अदालत ने तब "एक महत्वपूर्ण प्रकृति के संशोधनों" पर विचार किया।

इस संबंध में धारा *22* ए और *29* में निर्धारित प्रक्रिया

इस प्रकार कार्य करें और निरीक्षण करें:

" 66. जैसा कि धारा *22*-ए से देखा गया है, यह संशोधनों पर विचार करता है -

महत्वपूर्ण संशोधनों के रूप में छह प्रकार। वे इस प्रकार हैं:

(क*)* यदि कोई भूखंड *0.40* हेक्टेयर *(*अर्थात *4000* वर्ग मीटर*)* से अधिक मापा जा रहा है। नगर निगम क्षेत्र या ए श्रेणी का नगरपालिका क्षेत्र ए

50 प्रतिशत से अधिक की कमी को महत्वपूर्ण माना जाएगा।

संशोधन। बी और सी श्रेणी के नगरपालिका क्षेत्रों में इस तरह के भूखंड को

1 हेक्टेयर का होना;

(ख*)* दूसरा, खंड *(*ख*)* के तहत सभी परिवर्तन जिनके परिणामस्वरूप - किसी भी सार्वजनिक सुविधा में दस से अधिक की कमी के लिए कुल मिलाकर

योजना इकाई में प्रदान किए गए क्षेत्र का प्रतिशत माना जाता है

महत्वपूर्ण परिवर्तन;

(ग*)* जहां वास्तव में कोई मौजूदा स्थल जनता के लिए आरक्षित है।

सुविधा, दो सौ वर्ग मीटर तक के सीमांत क्षेत्र को छोड़कर

आवश्यक सार्वजनिक सुविधाओं या उपयोगिता सेवाओं के लिए आवश्यक कमी एक महत्वपूर्ण संशोधन होगा;

(घ*)* भूमि के उपयोग के आवंटन को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरित करना।

जिसके परिणामस्वरूप दूसरे क्षेत्र में क्षेत्र में प्रति दस की वृद्धि होती है।

एक ही योजना इकाई में प्रतिशत एक महत्वपूर्ण संशोधन होगा; *[2021] 15* एस. सी. आर.

*(*ङ*)* विकास योजना के मसौदे में किया गया कोई भी नया आरक्षण जो

*(*च*)* फ्लोर स्पेस सूचकांक में दस प्रतिशत से अधिक परिवर्तन होगा
एक महत्वपूर्ण संशोधन "।

(जोर दिया गया*)*

210. मनोहर जोशी *3 1 7* में दी गई व्याख्या से उस शहर का पता चलता है।

नियोजन विधान विभिन्न स्तरों के संशोधनों पर विचार करते हैं। संशोधन की प्रकृति के आधार पर, *1966* के अधिनियम के तहत छोटी या बड़ी, अलग प्रक्रिया निर्धारित की गई है। से एक उल्लेखनीय ग्रहण

इस तरह का संशोधन। महाराष्ट्र में लागू *1966* के अधिनियम के विपरीत, *1957* के अधिनियम में स्पष्ट रूप से "सारवान संशोधन" शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। हालांकि, धारा *11* ए में मामूली और बड़े संशोधन की एक समान योजना का प्रावधान है। मास्टर प्लान के साथ पठित *1957* के अधिनियम की योजना के तहत, छोटे संशोधन मास्टर प्लान के अनुसार सीमांकित क्षेत्र के भीतर परिवर्तनों को संदर्भित करेंगे; और प्रमुख संशोधनों में क्षेत्र को एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में बदलने जैसे महत्वपूर्ण संशोधन शामिल हो सकते हैं। एक और या एक क्षेत्र के क्षेत्रीय विस्तार को बदलना। *1966* के अधिनियम की धारा *22* ए किसी विशेष क्षेत्र को आवंटित क्षेत्र में दस प्रतिशत की भिन्नता को एक महत्वपूर्ण भिन्नता मानती है। हम प्रासंगिक उद्धरण को इस प्रकार पुनः प्रस्तुत करते हैं:

जिसके परिणामस्वरूप दूसरे क्षेत्र में क्षेत्र में प्रति दस की वृद्धि होती है।
एक ही योजना इकाई में प्रतिशत एक महत्वपूर्ण संशोधन होगा।

211. माचवरपु श्रीनिवास राव और अन्न में। वी. विजयवाड़ा,

(विकास*)* अधिनियम, *1975* और छोटे और महत्वपूर्ण संशोधनों के बीच एक समान अंतर पाया और कहा कि विकास प्राधिकरण के पास महत्वपूर्ण संशोधन करने की शक्ति नहीं थी।

हालाँकि, योजना के अनुसार, राज्य सरकार के पास वह शक्ति थी। पैरा *20* में, इसने इस प्रकार उल्लेख किया है:

"*20.* निरस्त प्रावधानों के विश्लेषण से पता चलता है कि एक बार
मास्टर प्लान या क्षेत्रीय विकास योजना द्वारा अनुमोदित है

दिल्ली विकास प्राधिकरण और ओआरएस। *[* ए. एम. खानविलकर, जे.*]*

राज्य सरकार, राज्य सरकार सहित कोई नहीं /

विकास प्राधिकरण भूमि का उपयोग इसके अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए कर सकता है।

जिसमें निर्दिष्ट किया गया है। अधिनियम में इसके तहत कोई प्रावधान नहीं है

जिसके निर्माण को विकास प्राधिकरण मंजूरी दे सकता है
भवन, आदि या किसी अन्य उद्देश्य के लिए भूमि का उपयोग

मास्टर प्लान/क्षेत्रीय विकास योजना में निर्दिष्ट। शक्ति।

में संशोधन करने के लिए विकास प्राधिकरण में निहित

विकास योजना भी असीमित नहीं है। यह महत्वपूर्ण नहीं हो सकता है।

योजना के स्वरूप में परिवर्तन। इस तरह के संशोधन हो सकते हैं

केवल राज्य सरकार द्वारा किया गया और वह भी निम्नलिखित के बाद
धारा *12 (3)* के तहत निर्धारित प्रक्रिया। "

212. उपरोक्त में अंतर्निहित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए

व्याख्या करते हुए, यह सुरक्षित रूप से माना जा सकता है कि धारा *11* ए की उप-धारा *(1)*

1957 के अधिनियम में प्राधिकरण द्वारा मामूली संशोधनों पर विचार किया गया है क्योंकि यह योजना के स्वरूप को बदलने से रोकता है। जबकि, उप-धारा *(2)* योजना के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार छोटे और साथ ही महत्वपूर्ण दोनों संशोधनों पर विचार करती है।

213. आम तौर पर, योजना की पवित्रता को बनाए रखना होता है।

संशोधन की शक्ति का प्रयोग करना अन्यथा यह अब योग्य नहीं होगा

एक संशोधन। ब्लैक लॉ डिक्शनरी, *11* वें संस्करण में, "संशोधित" शब्द को इस प्रकार परिभाषित किया गया है:

" कुछ अलग करने के लिए; छोटे बदलाव करने के लिए

(कुछ*)* सुधार, उपयुक्तता या प्रभावशीलता के माध्यम से।

214. इसके अलावा, पूरनलाल लखनपाल *3 1 9* में, इस न्यायालय ने प्रावधान किया

समान पंक्तियों पर "संशोधन" शब्द का अर्थ और इस प्रकार देखा गया:

" *(4)* ..... ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में *(*वॉल्यूम। *VI)* शब्द

" आंशिक परिवर्तन करने के लिए "अन्य बातों के साथ-साथ" को संशोधित करना।

(वस्तु के रूप में*)* इसके कुछ गुणों के संबंध में; बदलना या बदलना

" "संशोधन" का अर्थ है "किसी वस्तु में परिवर्तन करने की क्रिया"
इसकी आवश्यक प्रकृति या चरित्र को बदले बिना; होने की स्थिति

इस प्रकार बदल गया; आंशिक परिवर्तन "। … ....."

(जोर दिया गया*)*

215. विधायिका ने जानबूझकर "संशोधन" शब्द का उपयोग किया है।

इसका तात्पर्य यह है कि धारा *11* ए के तहत किए गए परिवर्तनों पर विचार नहीं किया जाना चाहिए

319 (ऊपर *162* पर*)*

योजना की मूल पहचान को गुणात्मक रूप से बदल दें। वास्तव में, किसी भी संशोधन के लिए प्रचलित योजना से विचलन आवश्यक है, लेकिन इसे विधायिका द्वारा तब तक अनुमति दी गई है जब तक कि यह मूल योजना की भावना के साथ एकजुट होता है। उप-धारा *(2)* में आने वाली अभिव्यक्ति "या अन्यथा" का इस तरह से अर्थ लगाया जाना चाहिए। विचलन ऐसी प्रकृति का नहीं होना चाहिए जो वस्तुतः मूल योजना के प्रतिस्थापन की ओर ले जाए। योजना की विशिष्टता, मौलिक पहचान और बुनियादी विशेषताओं को यथासंभव संशोधन अभ्यास में संरक्षित किया जाना चाहिए। वास्तविक परीक्षा यह है कि योजना में परिकल्पित विकास का व्यापक दृष्टिकोण बरकरार रहता है। सार्वजनिक और प्रभावी शासन की गतिशील कारकों और समकालीन अतिव्यापी जरूरतों को पूरा करने सहित पर्यवेक्षण परिस्थितियों के कारण शासी योजना में सुधार, उपयुक्तता या प्रभावशीलता लाने के लिए संशोधन आवश्यक हो सकता है। हालाँकि, कानून के शासन द्वारा शासित देश में इसका उपयोग सार्वजनिक हित में किया जाना चाहिए और यह तर्कसंगतता, मनमानी और निष्पक्षता की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए। यह उस अर्थ में एक अनियंत्रित शक्ति नहीं है। यह पवित्र वादा कानून के शासन को बनाए रखने के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि विधायिका शायद ही हर अधिनियम में इसे व्यक्त करना आवश्यक समझती है।

216. अब हम देख सकते हैं कि क्या भूमि उपयोग में परिवर्तन *1957* के अधिनियम के तहत अनुमेय संशोधनों का हिस्सा है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, मास्टर

योजना और क्षेत्रीय योजनाओं में भूमि उपयोग योजना होती है। "मास्टर प्लान के प्रपत्र और विषय-वस्तु" शीर्षक वाले *1959* के नियमों के नियम *4* में विशेष रूप से यह प्रावधान किया गया है कि भूमि उपयोग योजना मास्टर प्लान का हिस्सा है। चूंकि धारा *11* ए स्पष्ट रूप से इन दोनों दस्तावेजों में संशोधनों की अनुमति देती है, इसलिए यह स्वाभाविक रूप से दर्शाता है कि इस तरह के संशोधन योजना के अन्य तत्वों में संशोधनों के अलावा भूमि-उपयोग से भी संबंधित हो सकते हैं।

217. यह अब तक अच्छी तरह से स्थापित हो चुका है कि शक्ति का अस्तित्व और शक्ति का प्रयोग दो अलग-अलग चीजें हैं। यह पता चलने के बाद कि भूमि उपयोग में परिवर्तन, सिद्धांत रूप में, अनुमत है, अब हम वर्तमान मामले में प्रभावित परिवर्तनों और उसके लिए अपनाई गई प्रक्रिया की जांच करने के लिए आगे बढ़ते हैं।

218. परियोजना में शामिल सात भूखंडों के भूमि उपयोग में बदलाव का प्रस्ताव उप भूमि और विकास अधिकारी, एमओएचयूए, भारत सरकार यानी केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया था। इस प्रकार, हम शुरू में ही ध्यान देते हैं कि वर्तमान मामले में संशोधन *1957* के अधिनियम की धारा *11* ए की उप-धारा *(2)* के तहत किए जाते हैं और इसलिए, संशोधन की शक्ति को नियंत्रित करने के लिए उप-धारा *(1)* की शर्तों पर कोई भी निर्भरता पूरी तरह से गलत है और हमारी जांच के दायरे से बाहर है। प्रस्ताव के अनुसार, भूखंडों और उनमें संबंधित परिवर्तनों का विवरण इस प्रकार दिया जा सकता है:

7 सूरी वी. दिल्ली विकास

प्राधिकरण और

ओआरएस। *[* ए. एम. खानविलकर, जे.*]*

प्लॉट नंबर *1* डीटीसी केंद्रीय सचिवालय बस टर्मिनल, नई दिल्ली के पास चर्च रोड पर स्थित है। मास्टर प्लान के अनुसार, स्थल का भूमि उपयोग परिवहन *(*बस*)* के तहत है।

टर्मिनल*/*पार्किंग*)*। इस स्थल का प्रस्तावित भूमि उपयोग सरकारी कार्यालय है। प्लॉट नंबर *2* संसद भवन, नई दिल्ली के सामने स्थित है। मास्टर प्लान के अनुसार, साइट का भूमि उपयोग मनोरंजन *(*जिला उद्यान*)* के तहत है। इस स्थल का प्रस्तावित भूमि उपयोग सरकारी कार्यालय है।

प्लॉट नंबर *3* डॉ. राजेंद्र प्रसाद रोड पर स्थित है और इसमें राष्ट्रीय अभिलेखागार है। मास्टर प्लान के अनुसार, साइट का भूमि उपयोग सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक सुविधाओं के तहत है। इस स्थल का प्रस्तावित भूमि उपयोग सरकारी कार्यालय और मनोरंजन *(*जिला उद्यान*)* है।

सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक सुविधाओं *(*एससी*)* के तहत। प्रस्तावित साइट का भूमि उपयोग सरकारी कार्यालय और मनोरंजन *(*जिला उद्यान*)* के तहत है।

प्लॉट नंबर *5* मान सिंह रोड, अशोक रोड और इंडिया गेट हेक्सागोन के बीच त्रिकोणीय संरचना में स्थित है। मास्टर प्लान के रूप में, साइट का भूमि उपयोग सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक सुविधाओं के तहत है। इस स्थल का प्रस्तावित भूमि उपयोग सरकारी कार्यालय है। प्लॉट नंबर *6* मौलाना आजाद रोड पर स्थित है और इसमें वीपी हाउस, विज्ञान भवन और राष्ट्रीय संग्रहालय शामिल हैं। मास्टर प्लान के अनुसार, साइट का भूमि उपयोग सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक सुविधाओं *(*एससी*)* के तहत है। स्थल का प्रस्तावित भूमि उपयोग सरकारी कार्यालय के अधीन है।

प्लॉट नंबर *7* दारा शिकोह मार्ग पर स्थित है। मास्टर प्लान के अनुसार इस स्थल का भूमि उपयोग सरकारी कार्यालय के अधीन है। स्थल का प्रस्तावित भूमि उपयोग आवासीय है।

प्लॉट नंबर *8* तिमारपुर के पास लखनऊ रोड पर स्थित है और

योजना क्षेत्र सी का हिस्सा मास्टर प्लान के अनुसार साइट का भूमि उपयोग सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक सुविधाओं के तहत है। स्थल का प्रस्तावित भूमि उपयोग मनोरंजक *(*जिला उद्यान*)* है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

219. प्रभाव को व्यापक रूप से समझने के लिए

प्रस्तावित परिवर्तनों को गहराई से प्रस्तुत करना और आनुपातिक रूप से परिवर्तनों की जांच करना आवश्यक है। इसे मास्टर प्लान के आलोक में समझा जाना चाहिए जिसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के *15* क्षेत्रों *(*प्रभागों*)* में विभाजित किया गया है। संबंधित क्षेत्र के साथ उक्त क्षेत्रों को इस प्रकार चित्रित किया जा सकता हैः

ए. आर. ए. *(*हा.*)*

जोन

क्षेत्र का नाम

पुराना शहर

1159

ए.

सिटी एक्सटेंशन। *(* करोल बाग*)*

बी.

2304

सिविल लाइन

3959

एस.

डी.

नई दिल्ली

6855

ई.

8797

ट्रांस यमुना

दक्षिण दिल्ली-*I*

एफ.

11958

पश्चिमी दिल्ली-*I*

11865

जी.

एच.

उत्तर पश्चिम दिल्ली-*I*

5677

जे.

15178

दक्षिण दिल्ली-*II*

के.

के-*I* पश्चिमी दिल्ली-*II*

5782

6408

के-द्वितीय द्वारका

एल.

पश्चिमी दिल्ली-*III*

22840

उत्तर पश्चिम दिल्ली-*II*

एम.

5073

एन.

उत्तर पश्चिम दिल्ली-*III*

13975

8070

ओ.

यमुना नदी/रिवर फ्रंट

पी.

पी-आई नरेला

भूमि उपयोग योजना पूरे देश में *27* भूमि उपयोग क्षेत्रों की पहचान करती है।

क्षेत्र जिन्हें आगे *9* श्रेणियों के नामों में जोड़ा गया है

आई. आवासीय; *ii.* वाणिज्यिक;

iii. औद्योगिक;

iv. मनोरंजन;

वी. परिवहन; राजीव सूरी बनाम।

दिल्ली विकास प्राधिकरण और ओआरएस। *[* ए. एम. खानविलकर, जे.*]*

viii. सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक सुविधाएं; और
ix. कृषि और जल निकाय।

प्रस्तावित योजना केवल दो क्षेत्रीय क्षेत्रों को पूरा करती है अर्थात,

क्षेत्र-डी*320 (*भूखंड सं। *2-7)* और क्षेत्र-सी *32 1 (*प्लॉट नं। *8) 15* क्षेत्रों में से और मोटे तौर पर तीन भूमि उपयोग श्रेणियों को छूता है-मनोरंजन, सरकार

हा. = *2.471* एकर*),* और इस परियोजना में विचाराधीन कुल क्षेत्रफल *86.1* एकड़ है। *220.* इसलिए, यह समझ से परे है कि प्रस्तावित परिवर्तनों को बुनियादी पहचान को बदलने के लिए पर्याप्त रूप से कैसे कहा जा सकता है।

संबंधित क्षेत्र की योजना या उस मामले के लिए। क्षेत्र के विस्तार के विपरीत प्रभाव नगण्य है। "योजना" शब्द एक व्यापक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है और शहर के एक या दो क्षेत्रों द्वारा प्रतिनिधित्व नहीं किया जाता है। हाथ में मामला निश्चित रूप से एक थोक परिवर्तनों में से एक नहीं है ताकि मौजूदा योजना को भारी या मौलिक रूप से बदला जा सके। विकास योजना के वास्तविक स्वरूप का निर्धारण प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर किया जाना है। समग्र और व्यवस्थित विकास में सार्वजनिक हित को "योजना के चरित्र" वाक्यांश के पांडित्यपूर्ण दृष्टिकोण से कम नहीं किया जा सकता है। अपनी प्रकृति से, योजना का चरित्र अपनी पहचान को समग्र रूप से प्रकट करता है न कि उसमें से किसी एक तत्व के हिस्से के रूप में। यहां तक कि किसी विशेष उपयोग के लिए आवंटित भूमि के दृष्टिकोण से भी, प्रस्तावित योजना किसी भी भौतिक अर्थ में विभिन्न उपयोगों के लिए आवंटित भूमि की सीमा और संबंधित उपयोगों की समग्र प्रकृति और सीमा को प्रभावित नहीं करती है। सेंट्रल विस्टा क्षेत्र वही रहता है, जैसा कि पहले ही ऊपर चर्चा की जा चुकी है। इसके अलावा, प्रस्तावित परिवर्तन अनिवार्य रूप से संबंधित सरकारी भूखंडों के उपयोग की अदला-बदली की प्रकृति में हैं। यह किसी भी निजी स्वामित्व वाले भूखंड से बिल्कुल भी संबंधित नहीं है।

221. उल्लेखनीय रूप से, प्लॉट नं. *8* , जो जोन सी का हिस्सा है, वह सेंट्रल विस्टा क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। इसके अलावा, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि वहाँ है

केंद्रीय विस्टा क्षेत्र और केंद्रीय विस्टा परिसरों के बीच एक स्पष्ट अंतर। सेंट्रल विस्टा क्षेत्र, जिसमें भूखंड को छोड़कर सभी सात भूखंड हैं

नहीं। *8* पतन, मास्टर प्लान के अनुसार पूरे क्षेत्रीय विस्तार को संदर्भित करता है। सेंट्रल विस्टा क्षेत्र के भीतर, एक सूचीबद्ध स्थान *(*विरासत उद्देश्य के लिए*)* है।

"राजपथ पर सेंट्रल विस्टा परिसर" के रूप में जाना जाता है। सीमांकन स्पष्ट है और राजपथ पर सेंट्रल विस्टा परिसर को विरासत भवनों/परिसरों की सूची में एक विशेष दर्जा दिया गया है। परियोजना में शामिल विषय भूखंडों में से, भूखंड सं। *3 (* राष्ट्रीय संग्रहालय*)* एकमात्र भूखंड है जो केंद्रीय दृश्य परिसर का हिस्सा है। शेष भूखंड, सेंट्रल विस्टा क्षेत्र का हिस्सा होने के बावजूद, सूचीबद्ध विरासत परिसरों का हिस्सा नहीं हैं।

222. इसके अलावा, यह सामान्य ज्ञान है कि प्लॉट नं। *2 10. 5* एकड़ *(*प्रस्तावित संसद भवन के लिए*)* पहले के रूप में दिखाया गया है

पड़ोस। जोन डी में प्लॉट नं. *1.88* एकड़ के तीन पॉकेट हैं। *3* , *4* और *6* को मनोरंजक उपयोग के लिए निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त, भूखंड संख्या में साढ़े तीन एकड़ भूमि का उपयोग। *8* इसे सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक सुविधाओं से मनोरंजन *(*जिला उद्यान*)* उपयोग में बदला जा रहा है। अंतर्निहित विचार उन स्थानों पर विविध तरीके से मनोरंजक स्थानों का प्रावधान करना है जहां जनता वास्तव में ऐसे स्थानों तक सार्थक रूप से पहुंच सकती है। मनोरंजन के लिए सार्वजनिक स्थान का उपयोग आम जनता द्वारा मनोरंजन के लिए किया जाता है। विश्राम और विश्राम। इसलिए, प्रस्तावित मनोरंजन स्थल न केवल भूखंड संख्या *2* के मनोरंजन स्थान के नुकसान की पूरी तरह से भरपाई करते हैं, बल्कि आसपास के क्षेत्र में कहीं और सुलभ मनोरंजन स्थल भी प्रदान करते हैं, जिससे हरियाली तक सार्थक सार्वजनिक पहुंच सुनिश्चित होती है।

रिक्त स्थान।

223. आगे की जांच करने पर, यह ध्यान दिया जा सकता है कि प्रस्तावित योजना में कुछ सरकारी भूखंडों के भूमि उपयोग को बदलना है

सेंट्रल विस्टा क्षेत्र समान उद्देश्यों के लिए उनका उपयोग करने के लिए-सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक उपयोग और मनोरंजन। अंतर्निहित प्रकृति राजीव सूरी बनाम।

इस क्षेत्र में भूमि के उपयोग में किसी भी महत्वपूर्ण तरीके से बदलाव नहीं किया जा रहा है। अपने बहुत ही नामकरण से, सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक उपयोग एक वैध सार्वजनिक उद्देश्य के लिए स्थान के उपयोग को संदर्भित करता है जिसमें आधिकारिक उपयोग भी शामिल है।

कुछ ऐसा जो निजी उपयोग के लिए विरोधी हो। इस तरह का सार्वजनिक उपयोग कई तरीकों से किया जा सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सरकारी उपयोग और अर्ध-सार्वजनिक उपयोग कुछ परिस्थितियों में एक दूसरे से मेल खा सकते हैं। क्योंकि, सरकारी उपयोग स्वयं सार्वजनिक उपयोग के पहलुओं में से एक है। यह मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। इसी भावना में एस. ओ. *3348 (ई)* दिनांक *17.10.2017* ने सरकारी कार्यालयों के लिए पी. एस. पी. स्थानों के उपयोग की अनुमति दी। विषय क्षेत्र में, सार्वजनिक और अर्ध सार्वजनिक उपयोग के लिए निर्धारित विभिन्न स्थानों का उपयोग पहले से ही सरकारी उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है और उपयोग के इस समग्र स्वरूप को मोटे तौर पर एक ही चरित्र के साथ संरक्षित किया गया है।

224. विशेष रूप से, उपरोक्त उल्लिखित एस. ओ. दिनांकित *17.10.2017* को चुनौती को परीक्षण के दौरान पहले से उल्लिखित कारणों के लिए अस्वीकार करने की आवश्यकता है।

भूमि उपयोग में परिवर्तन के संबंध में अधिसूचनाओं की वैधता दोहराएँ। किसी भी मामले में, इस एस. ओ. को चुनौती दी जा रही है

याचिकाकर्ता तीन साल की समाप्ति के बाद, वह भी उत्तरदाताओं द्वारा अपने जवाब में इस पर भरोसा करने के बाद। यह विशेष चुनौती लचेस के आधार पर ही पड़नी चाहिए। याचिकाकर्ताओं का यह मामला नहीं है कि विवादित अधिसूचना तीन साल की अवधि के लिए पहुंच से बाहर थी और वे किसी भी पूर्व चरण में इस पर हमला नहीं कर सकते थे। केवल इसलिए कि अधिसूचना अब जवाब देने वाले पक्ष के पक्ष में काम आई है, याचिकाकर्ता बिना किसी ठोस आधार के उस पर कूद नहीं सकते और चुनौती के दायरे को गुणा नहीं कर सकते। कड़ाई से कहें तो यह सद्भावना के सिद्धांत के अनुरूप नहीं है। प्रभाकर बनाम। संयुक्त निदेशक, रेशम उत्पादन विभाग और अन्र। *322* , न्यायालय ने ठीक ही कहा हैः

"*38.* यह अब न्यायशास्त्र का एक अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त सिद्धांत है कि लंबे समय तक प्रयोग नहीं किया गया अधिकार अस्तित्व में नहीं है। यहां तक कि जब कुछ कार्यवाही से संबंधित किसी भी क़ानून द्वारा निर्धारित कोई सीमा अवधि नहीं है, तो ऐसे मामलों में अदालतों ने सिद्धांत गढ़ा है।

गैर-उपयुक्त वादी जिन्होंने अनुचित के बाद कार्रवाई करने के लिए बिना किसी उचित स्पष्टीकरण के देर से न्यायालय का दरवाजा खटखटाया
विलम्ब। लैच का सिद्धांत वास्तव में इक्विटी के सिद्धांत "डिले हारस इक्विटी *99*" का एक अनुप्रयोग है। *99*

एक ठोस रिट याचिका पर न्यायालय द्वारा कुछ विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों के आलोक में विचार किया जाता है और यह एक अवसर नहीं है

याचिकाकर्ताओं को न्यायालय से अतीत में लिए गए दूरस्थ सरकारी निर्णय को फिर से खोलने का आह्वान करना चाहिए। यहां तक कि गुणों पर भी, जैसा कि पहले ही ऊपर उल्लेख किया गया है, चुनौती को नकार दिया जाना चाहिए। क्योंकि, अपनाई गई प्रक्रिया वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करती है और न्यायिक हस्तक्षेप की गारंटी नहीं देती है।

225. भूमि उपयोग में परिवर्तन के अधीन भूखंडों का कुल क्षेत्रफल *86.1* एकड़ है, जिसमें से *61.6* एकड़ क्षेत्र में भूमि उपयोग में परिवर्तन शामिल है।

सरकारी और अर्ध-सार्वजनिक उपयोग के लिए। उपरोक्त के आलोक में, पी. एस. पी. उपयोग के लिए निर्धारित स्थानों के वास्तविक उपयोग के रूप में, प्रस्तावित परिवर्तनों को क्षेत्र में भूमि उपयोग की प्रकृति से पर्याप्त विचलन के रूप में नहीं माना जा सकता है। इसके अलावा, प्लॉट नं. *7* वर्तमान में केवल सरकारी कार्यालय के लिए निर्धारित सरकारी कार्यालय के स्थान पर आधिकारिक आवास प्रदान करने के लिए आवासीय में परिवर्तित किया जाएगा-जो फिर से सार्वजनिक परिसर *(*सरकारी स्वामित्व*)* है। शेष प्रस्तावित परिवर्तन काफी हद तक इस क्षेत्र में आम तौर पर किए जाने वाले उपयोग के अनुरूप हैं। इस मामले के किसी भी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, केंद्र सरकार द्वारा शक्ति का प्रयोग धारा *11* ए की उप-धारा *(2)* के उद्देश्य के अनुरूप है, जो "संशोधन" को सक्षम बनाता है क्योंकि जहां तक भूमि उपयोग का संबंध है, एक महत्वपूर्ण या कट्टरपंथी चरित्र के किसी भी परिवर्तन की परिकल्पना नहीं की गई है।

226. याचिकाकर्ताओं ने जनसंख्या घनत्व के मानकों में बदलाव के बारे में चिंता जताई है। हालांकि, में परिवर्तन का परीक्षण

जनसंख्या घनत्व का मानक उप-धारा *(1)* के तहत प्राधिकरण द्वारा शुरू किए गए संशोधनों पर लागू होता है। यही बात हमारे विचार से बाहर है। इसके अलावा, विषय क्षेत्र उन कर्मचारियों और आगंतुकों की एक तैरती भीड़ को पूरा करता है जो यहां स्थित सरकारी कार्यालयों में अपनी जिम्मेदारियों/काम में भाग लेने के लिए आ सकते हैं। प्लॉट नं. को छोड़कर। *7* , नहीं। इस क्षेत्र में आवासीय उपयोग पर विचार किया जा रहा है और याचिकाकर्ताओं ने कोई विशेष परिस्थिति नहीं दिखाई है जो इस तथ्य की ओर इशारा करती है कि प्रस्तावित योजना के परिणामस्वरूप जनसंख्या घनत्व के मानकों में भारी बदलाव आएगा। हमें इस पहलू पर और विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है।

227. इस बिंदु से अलग होने से पहले, हम लाभप्रद रूप से मास्टर के "सरकारी भूमि का इष्टतम उपयोग" शीर्षक वाले बिंदु *8.2* का विज्ञापन कर सकते हैं। योजना जो इस प्रकार है:

" *8.2* . सरकार का वैकल्पिक उपयोग
भूमि

भारत सरकार, सरकार। एन. सी. टी. डी. और स्थानीय निकाय अपने कार्यालयों के लिए दिल्ली में प्रमुख भूमि पर कब्जा कर रहे हैं। अधिकांश कार्यालय राजीव सूरी बनाम।

दिल्ली विकास प्राधिकरण और ओआरएस। *[* ए. एम. खानविलकर, जे.*]*

स्वतंत्रता के तुरंत बाद स्थापित किए गए हैं। बड़े क्षेत्र

इनका कम उपयोग किया जाता है और उन्होंने अपना आर्थिक जीवन पूरा कर लिया है।

सरकारी रोजगार और आवश्यकता में कमी के कारण

मंत्रालयों द्वारा संसाधनों के उत्पादन के लिए, इष्टतम

मौजूदा सरकारी कार्यालयों/भूमि का उपयोग किया जा सकता है

निम्नलिखित उपायों द्वारा प्राप्त किया गया:

i) मौजूदा सरकारी कार्यालयों का गहन उपयोग /

भूमि।

iii) वाणिज्यिक उपयोग के लिए कुल एफ. ए. आर. के *10* प्रतिशत का उपयोग
पुनर्गठन प्रक्रिया को वित्तीय रूप से व्यवहार्य बनाना। यह होगा।

भूमि स्वामित्व एजेंसी और संबंधित के अनुमोदन के अधीन हो
स्थानीय निकाय "।

(जोर दिया गया*)*

मास्टर प्लान के उपरोक्त उद्धरण से जो निकलता है वह यह है कि

मास्टर प्लान में ही सरकारी भूमि के इष्टतम उपयोग के आवश्यक घटकों के रूप में मौजूदा सरकारी भूमि के गहन उपयोग और सरकार द्वारा अधिशेष भूमि के उपयोग की परिकल्पना की गई है। सार्वजनिक विश्वास सिद्धांत सरकार को उपलब्ध संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करने और आम भलाई के लिए बाध्य करता है। प्रस्तावित उपयोग निजी व्यक्तियों पर उदारता प्रदान करने के लिए नहीं है, बल्कि संपत्ति निर्माण और सार्वजनिक उपयोग के लिए है। स्वाभाविक रूप से, यदि इस तरह के इष्टतम उपयोग के लिए सरकारी भूमि के भूमि उपयोग को बदलने की आवश्यकता है, तो इसका पालन जनहित में किया जाना चाहिए। इसके अलावा, मास्टर प्लान का पूर्व-उद्धृत उद्धरण भूमि उपयोग में परिवर्तन का प्रस्ताव करते समय एल एंड डी ओ द्वारा बताए गए उद्देश्यों के अनुरूप है और इसलिए प्रस्तावित परिवर्तनों को मास्टर प्लान के उल्लंघन के रूप में लेबल करने का कोई आधार नहीं है। योजना की व्यापक समझ पर, हमारा विचार है कि प्रस्तावित परिवर्तन क्षेत्रीय योजना सहित मास्टर प्लान की दृष्टि के साथ पूरी तरह से मेल खाते हैं। आधुनिकता, तकनीकी

प्रगति और ऐतिहासिकता का संरक्षण आज समानांतर चिंता का विषय है। वे न तो एक-दूसरे को आगे बढ़ा सकते हैं और न ही एक-दूसरे को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। यह मास्टर प्लान और विषय परियोजना की साझा भावना है।

228. हम अब प्रक्रिया के संबंध में अंतिम हमलावर को विज्ञापन देते हैं

भूमि उपयोग में परिवर्तन को प्रभावित करते हुए पालन किया गया। इस बिंदु पर हमारी जांच *[2021] 15* एस. सी. आर. को प्रभावी बनाने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया से गुजरेगी।

विषय परिवर्तन-निर्णय लेने की प्रक्रिया शुरू होने से पहले, निर्णय लेने की प्रक्रिया के दौरान परिवर्तन लाने के लिए अंतिम अधिसूचना तक। बलपूर्वक।

निर्णय लेने से पहले की प्रक्रिया

229. निर्णय से पहले, सेंट्रल विस्टा क्षेत्र के भीतर स्थित आठ भूखंडों के संबंध में भूमि उपयोग में बदलाव के लिए भूमि स्वामित्व एजेंसी *(*केंद्र सरकार*)* द्वारा *4.12.2019* पर एक प्रस्ताव जारी किया गया था। मुख्य नगर योजनाकार *(*टी. सी. पी. ओ.*)*, मुख्य वास्तुकार *(*एन. डी. एम. सी.*)*, टाउन द्वारा भाग ली गई एक बैठक में तकनीकी समिति द्वारा सैम पर विचार किया गया था। योजनाकार *(*एम. सी. डी.*)*, डी. डी. ए., डी. यू. ए. सी. दिल्ली मेट्रो रेल निगम, दिल्ली पुलिस, अग्निशमन विभाग, दिल्ली विद्युत आपूर्ति उपक्रम आदि जैसे सभी हितधारकों के प्रतिनिधि। हम व्यापक तकनीकी समिति की संरचना पर प्रकाश डालना उचित समझते हैं:

" डीडीए

आई. उपाध्यक्ष-अध्यक्ष

ii. इंजीनियर सदस्य

iii. प्रधान आयुक्त

वी. आयुक्त *(*एलडी*)*

vi. आयुक्त *(*एलएम*)*

vii. मुख्य वास्तुकार

viii. मुख्य अभियंता *(*विद्युत*)*

ix. अतिरिक्त आयुक्त *(*योजना*)-I, II, III* और *MPMR*

x. निर्देशक *(*परिदृश्य*)*

xi. निदेशक *(*भवन*)*

अन्य सरकारी विभाग

आई. मुख्य नगर योजनाकार *(*टीसीपीओ*)*

ii. मुख्य वास्तुकार, एन. डी. एम. सी.

iii. नगर नियोजक, एम. सी. डी.

iv. सचिव, डीयूएसी अजीव सूरी बनाम।

दिल्ली विकास प्राधिकरण और ओआरएस। *[*ए. एम. खानविलकर, जे.*]*

वी. भूमि और विकास अधिकारी एल एंड डी ओ

vi. सीनियर आर्किटेक्ट, एच एंड टी निर्माण भवन *vii.* डी. पुलिस आयुक्त *(*टी*)* एमएसओ भवन

viii. मुख्य अभियंता *(*पी. एल. जी.*)*, डी. ई. एस. यू. *ix.* दिल्ली मेट्रो रेल निगम *(*डीएमआरसी*)* के प्रतिनिधि

x. अग्निशमन विभाग के प्रतिनिधि *xi.* निदेशक पी. पी. आर. "

तकनीकी समिति ने प्रस्ताव की सिफारिश की

विंग अवलोकनः

"विस्तृत विचार-विमर्श के बाद, पैरा *4* में निहित प्रस्ताव

प्लॉट नं. के लिए भूमि उपयोग में उपरोक्त संशोधन के साथ कार्यसूची।

1 तकनीकी समिति द्वारा आगे के लिए सिफारिश की गई थी

डी. डी. अधिनियम, *1957* की धारा-*11* ए के तहत प्रसंस्करण। निम्नलिखित के साथ

शर्तें:

(i) प्रधानमंत्री कार्यालय से मंजूरी, विरासत संरक्षण समिति और सेंट्रल विस्टा समिति द्वारा लिया जाएगा

एल एंड डीओ।

((ii) धरोहर भवनों से संबंधित प्रावधानों के अनुसार निपटा जाएगा। विरासत प्रावधान "।

(जोर दिया गया*)*

तकनीकी समिति की मंजूरी के बाद, प्रस्ताव था

प्राधिकरण द्वारा दिनांकित *11.12.2019* की अपनी बैठक में निर्देश दिया गया। मकसद.

बैठक आमन्त्रित सार्वजनिक सूचना जारी करने पर विचार करने के लिए थी

आम जनता से निर्णय लेना और निर्णय लेना शुरू करना।

एसएस। इस बैठक में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया

अधिनियम की धारा *3* के अनुसार अधिकारः

श्री अनिल बैजल उपराज्यपाल, दिल्ली

उप-अध्यक्ष

श्री तरुण कपूर *[2021] 15* एस।

सदस्यगण

श्री के विनायक राव

1.

वित्त सदस्य, डी. डी. ए.

2.

श्री शैलेंद्र शर्मा

इंजीनियर सदस्य, डीडीए

श्री विजेंद्र गुप्ता, विधायक और विपक्ष के नेता

3.

एन. सी. टी. दिल्ली की विधान सभा
श्री सोमनाथ भारती, विधायक

4.

5.

श्री एस. के. बग्गा, विधायक

6.

श्री ओ. पी. शर्मा, विधायक

श्री मनीष अग्रवाल, नगर पार्षद, दक्षिण *I*

7.

नगर निगम

श्रीमती. भावना मलिक, नगर पार्षद, पूर्व *I*

8.

नगर निगम

सचिव

श्री डी. सरकार, आयुक्त-सह-सचिव, डीडीए विशेष निमंत्रण

डॉ. राजेश कुमार, प्रधान आयुक्त *(*आवास*)*,

1.

और खेल*)*, डी. डी. ए. श्री मनीष कुमार गुप्ता, प्रधान आयुक्त

2.

एलएम, सिस्टम एंड कोऑर्डिनेशन*)*, डीडीए

डॉ. राजीव कुमार तिवारी, प्रधान आयुक्त *(*

3.

हॉर्ट। *&* परिदृश्य*)*, डीडीए

श्रीमती. वर्षा जोशी, आयुक्त, उत्तरी दिल्ली मुनि

4.

निगम

5.

श्री अमित कटारिया, भूमि और विकास अधिकारी, एमओ

सरकार. भारत का

एलटी। गवर्नर का सचिव

1.

श्री विजय कुमार

उपराज्यपाल के प्रधान सचिव अजीव सूरी बनाम।

दिल्ली विकास प्राधिकरण और ओआरएस। *[*ए. एम. खानविलकर, जे.*]*

2. श्रीमती. चंचला यादव

उपराज्यपाल के विशेष सचिव "

इस बैठक में सत्रह अन्य प्रस्तावों के साथ इस विषय प्रस्ताव पर वस्तु संख्या *2019* के रूप में विचार किया गया।

इस प्रकार अनुमोदित किया गया थाः

"मद सं. *130/2019* प्लॉट संख्या के भूमि उपयोग के प्रस्तावित परिवर्तन के संबंध में।

1,2,3,4,5,6,7 और *8.* एफ. *20 (12) 2019/*एमपी

कार्यसूची में शामिल प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। डीडी की धारा *11* ए के तहत आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित करने वाली सार्वजनिक सूचना अधिनियम, *1957* जारी किया जाए।

निर्णय लेने की प्रक्रिया-बनाने की प्रक्रिया

धारा *11* ए के तहत सार्वजनिक सुनवाई

230. प्राधिकरण द्वारा दी गई मंजूरी के परिणामस्वरूप, ए

सी नोटिस *21.12.2019* पर जारी किया गया। वही इस प्रकार पढ़ता है:

"दिल्ली विकास प्राधिकरण

(मास्टर प्लान अनुभाग*)*

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, *21* दिसंबर, *2019*

एस. ओ. *4587 (ई)*। — निम्नलिखित संशोधन जो दिल्ली ने किया

विकास प्राधिकरण/केंद्र सरकार का प्रस्ताव है -

डीडी अधिनियम, *1957* की धारा *11*-ए के तहत मास्टर प्लान-*2021*/जोन 'डी' *(*प्लॉट संख्या *1* से *7* के लिए*)* और जोन 'सी' *(*प्लॉट संख्या *8* के लिए*)* की क्षेत्रीय विकास योजना को सार्वजनिक जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है। इस संबंध में कोई आपत्ति/सुझाव रखने वाला कोई भी व्यक्ति

प्रस्तावित संशोधन आपत्ति/सुझाव को लिखित रूप में आयुक्त-सह-सचिव, दिल्ली विकास को भेज सकता है।

प्राधिकरण, 'बी' ब्लॉक, विकास सदन, नई दिल्ली-*110023* इस सार्वजनिक सूचना की तारीख से तीस *(30)* दिनों की अवधि के भीतर। आपत्ति या सुझाव देने वाले व्यक्ति को भी अपना सुझाव देना चाहिए।

टेलीफोन *No./contact* नंबर के अलावा नाम और पता

और ई-मेल आईडी जो सुपाठ्य होनी चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रस्तावित संशोधनः

स्थान

भूमि उपयोग सीमाएँ

एस. नं.

क्षेत्र

एम. पी. डी. के अनुसार भूमि उपयोग

(एकड़ में*)*

2021 / जेडडीपी *2001*

में बदला गया

1 .

प्लॉट

नं. *1 15*

- सरकार. ऑफिस नार्थः चर्च

एमपीडी-*2021*

पर स्थित है

सड़क

परिवहन *(*बस*)*

टर्मिनल*/*पार्किंग*)*

चर्च रोड

दक्षिणः

जेड. डी. पी. क्षेत्र-डी, *2001*

राष्ट्रपति

डीटीसी

पास में

और

केंद्रीय

भवन

भाग-मनोरंजन

सचिवालय

(पड़ोस का खेल

उत्तर

ब्लॉक करें

बस

पूरबः इसका हिस्सा

क्षेत्र*)*

भाग

टर्मिनल,

नॉर्थ ब्लॉक

परिवहन *(*बस*)*

टर्मिनल*/*पार्किंग*)*

पश्चिमः

नई दिल्ली

राष्ट्रपति

भवन

2 .

प्लॉट

सं*. 2 9.5*

मनोरंजन

संसद

उत्तर दिशाः

लाल।

घर।

क्रॉस रोड

इसके विपरीत

(जिला उद्यान*)*

संसद

दक्षिणः रायसीना

घर।

पश्चिमः

संसद

भारत

अर्ध सरकारी। ऑफिस नार्थः डॉ.

सार्वजनिक और

3 .

प्लॉट

सं. *3 7.7*

स्थित है

सार्वजनिक सुविधाएं

(5.8 एकड़*)* और

राजेन्द्र

पर

दक्षिण में डॉ।

मनोरंजन

प्रसाद रोड

राजेन्द्र

(जिला उद्यान*)*

दक्षिणः हरा।

(1.88 एकड़*)*

और

प्रसाद रोड

क्षेत्र

और घर।

राजपथ

राष्ट्रीय

पूरबः

अभिलेखागार

पश्चिमः

शास्त्री भवन

सार्वजनिक और अर्ध

सरकार. कार्यालय

उत्तर दिशाः

प्लॉट

सं. *4 24.7*

डॉ.

4 .

सार्वजनिक सुविधाएं *(एससी)*

स्थित है

(22.82 एकड़*)*

राजेन्द्र

पर

दक्षिण में डॉ।

और

प्रसाद रोड

मनोरंजन

राजेन्द्र

दक्षिणः हरा।

(जिला उद्यान*)*

और

प्रसाद रोड

क्षेत्र

(1.88 एकड़*)*

राजपथ

और पूरब की ओर
जनपथ

पूरबः

आदमी।

सिंह

पश्चिमः

जनपथ

सार्वजनिक और अर्ध

सरकार. कार्यालय

उत्तर दिशाः अशोक

5 .

प्लॉट

सं. *5 4.5*

पर स्थित है

सार्वजनिक सुविधाएं *(*एससी*)*

सड़क

दक्षिणः हरा।

आदमी के पूर्व
सिंह रोड

और

क्षेत्र

राजपथ

और दक्षिण में

पूरबः

अशोक
सड़क

सी-षट्कोण

पश्चिमः

आदमी।

सिंह रोड

सार्वजनिक और अर्ध

6.

प्लॉट संख्या *6 24.7*

सरकार. कार्यालय

उत्तर दिशाः हरा।

सार्वजनिक सुविधाएं *(*एससी*)*

पर स्थित है

(22.82 एकड़*)*

और

क्षेत्र

और

उत्तर

में से

राजपथ

मनोरंजन

मौलाना

दक्षिणः मौलाना

आजाद रोड

*(*जिला उद्यान*)*

आजाद रोड

पूरबः

और पूरब की ओर

(1.88 एकड़*)*

आदमी।

सिंह रोड

जनपथ

पश्चिमः जनपथ

7.

प्लॉट

आवासीय

उत्तर दिशाः दक्षिण

सं. *7 15*

एमपीडी-*2021*

पर स्थित है

सरकारी कार्यालय

ब्लॉक करें

उत्तर

में से

दक्षिणः

दारा

डलहौसी

क्षेत्र-डी-*2001*

शिकोह रोड

जेडडीपी

पूरबः इसका हिस्सा

सड़क

मनोरंजन

पास में

साउथ ब्लॉक

साउथ ब्लॉक

(पड़ोस का खेल

पश्चिमः

क्षेत्र)

राष्ट्रपति

भवन

जेड. डी. पी. के अनुसार भूमि उपयोग

8.

प्लॉट

सं. 8 3.9

मनोरंजन

उत्तर दिशाः सीजीएचएस

पर स्थित है

(जिला उद्यान)

औषधालय

क्षेत्र-सी-2021

दक्षिणः

सार्वजनिक और अर्ध

लखनऊ

सार्वजनिक सुविधाएं

पास की सड़क

सरकार

तिमारपुर

जमीन।

(झरना।

में

पूरबः

क्षेत्र-सी*)*

सरकार

भूमि राजीव सूरी बनाम। दिल्ली विकास प्राधिकरण और ओआरएस। *[* ए. एम. खानविलकर, जे.*]*

प्रस्तावित संशोधनों का संकेत देने वाला पाठ/योजना

उप निदेशक *(*एम. पी.*)*, दिल्ली विकास प्राधिकरण, छठी मंजिल, विकास मीनार, आई. पी. एस्टेट, नई दिल्ली के कार्यालय में निरीक्षण के लिए उपरोक्त अवधि के दौरान सभी कार्य दिवसों पर उपलब्ध रहें। प्रस्तावित संशोधनों का संकेत देने वाला पाठ/योजना डी. डी. ए. की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। डीडीए। *org.* में।

[F.No.F.20 (12) 2019/MP]

डी. एस. ए. आर. के., डी. सिकरी "।

(जोर दिया गया*)*

231. भूमि-स्वामित्व एजेंसी ने बाद में एक संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया

प्लॉट संख्या *1 (*आठ प्लॉटों में से*)* के संबंध में प्राधिकरण को दिनांक *31.1.2020* के संचार के माध्यम से। जो भी हो, प्राधिकरण द्वारा सार्वजनिक सूचना जारी करने से *1957* के अधिनियम की धारा *11* ए के तहत वैधानिक प्रक्रिया शुरू हो जाती है। वर्तमान मामले में, उत्तरदाताओं ने गोद लिया है में विषय संशोधनों को प्रभावी बनाने के लिए धारा *11* ए के साथ *1959* के नियमों के अध्याय-*III* के तहत एक के अनुरूप प्रक्रिया

मास्टर प्लान और इसलिए, हम अपने विश्लेषण में इसी पर विचार कर सकते हैं।

232. उप-अधिनियम की धारा *11* ए की धारा *(3) (*ऊपर प्रस्तुत*)*

अंतिम निर्णय से पहले अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को निर्दिष्ट करता है। हम.

आसान संदर्भ के लिए उप-धारा *(3)* का पुनरुत्पादन करें:

" (3) योजना में कोई भी संशोधन करने से पहले,

प्राधिकरण या, जैसा भी मामला हो, केंद्र सरकार

एक सूचना को ऐसे रूप और तरीके से प्रकाशित करेगा जो हो सके

आपत्तियाँ आमंत्रित करते हुए इस संबंध में बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित और इस संबंध में किसी भी व्यक्ति से सुझाव

ऐसी तिथि से पहले प्रस्तावित संशोधन जो निर्दिष्ट किए जाएं

नोटिस में और सभी आपत्तियों और सुझावों पर विचार करेगा

जो प्राधिकरण या केंद्र सरकार द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।

(जोर दिया गया*)*

यह निर्धारित प्रपत्र और तरीके से एक सूचना के प्रकाशन को अनिवार्य करता है।

आपत्तियाँ आमंत्रित करने के लिए उस संबंध में बनाए गए नियमों के तहत और

प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से सुझाव। यह प्राधिकरण को उन सभी आपत्तियों और सुझावों पर "विचार" करने का आदेश देता है जो प्राप्त किए जा सकते हैं।

233. निर्विवाद रूप से, इसे आगे बढ़ाने के लिए कोई नियम नहीं बनाए गए हैं

धारा-*11* ए *(3)* के तहत नोटिस का प्रपत्र और तरीका निर्धारित किया गया है।

1 पर, आवास और शहरी विकास मंत्रालय *(*जैसा कि तब था*)* ने *1957* के अधिनियम की धारा-*56* के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए *1959* के नियमों में संशोधन करने के लिए एक अधिसूचना जारी की। इस अधिसूचना के माध्यम से, अध्याय *V* का शीर्षक "मास्टर प्लान और जोनल में संशोधन" है।

विकास योजना को *1959* के नियमों में शामिल किया गया था। नियम *16* को "धारा *11* ए *(3)* के तहत नोटिस का प्रपत्र" शीर्षक के साथ जोड़ा गया था और इसमें लिखा है

के रूप में:

"*16.* धारा *11* ए की उप-धारा *(3)* में निर्दिष्ट सूचना

अधिनियम इन नियमों के साथ फॉर्म बी में जोड़ा जाएगा।

अधिसूचना के साथ संलग्न फॉर्म बी स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करता है कि सार्वजनिक सूचना "सचिव, दिल्ली" के हस्ताक्षर के तहत जारी की जाएगी।

विकास प्राधिकरण "। इसके अलावा, सूचना का प्रपत्र और तरीका हो सकता है धारा *44* के अनुसार भी निर्धारित किया जाएगा जो इस संबंध में सामान्य प्रावधान है। धारा *44* सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करने के तरीके को निर्दिष्ट करती है और यह अपेक्षा करती है कि "इस अधिनियम के तहत दी गई प्रत्येक सार्वजनिक सूचना प्राधिकरण के सचिव के हस्ताक्षर के तहत लिखित रूप में होगी"। वह इस प्रकार है:

"*44.* सार्वजनिक सूचना दें कि कैसे जाना जाए। प्रत्येक सार्वजनिक

इस अधिनियम के तहत दी गई सूचना प्राधिकरण के सचिव के हस्ताक्षर पर लिखित होगी और उक्त इलाके के भीतर विशिष्ट सार्वजनिक स्थानों पर इसकी प्रतियां चिपकाकर या ड्रम बजाकर या स्थानीय समाचार पत्र में विज्ञापन द्वारा प्रभावित होने वाले इलाके में व्यापक रूप से जानी जाएगी।

या इनमें से किसी दो या अधिक माध्यमों से, और किसी अन्य माध्यम से

ताकि सचिव उचित सोचे। "

इनमें से किसी भी वैधानिक प्रावधान को कोई चुनौती नहीं दी गई है। इसके अलावा, इस प्रावधान के पूरक के लिए, *24.9.2012* पर, एक राजपत्र अधिसूचना

शहरी विकास मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया गया था *(*जैसा कि तब था*)* जिसके तहत केंद्र सरकार ने निर्देश दिया था कि "दिल्ली के लिए मास्टर प्लान, *2021* की समीक्षा/संशोधन के उद्देश्य से उक्त अधिनियम की उप-धारा *11* ए के तहत उसके द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्ति का भी उपयोग किया जाएगा।

उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा जहाँ तक यह आपत्तियाँ आमंत्रित करने के लिए सार्वजनिक सूचना जारी करने से संबंधित है और

सुझाव "। इसके अलावा, *1959* के नियमों के नियम *6* में भी प्राधिकरण द्वारा धारा *44* के अनुसार सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करने की आवश्यकता है। वह इस प्रकार हैः

" *6.* सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन का तरीका। - प्राधिकरण उक्त सूचना को निर्धारित तरीके से प्रकाशित कराएगा राजीव सूरी *v.*

दिल्ली विकास प्राधिकरण और ओआरएस। *[* ए. एम. खानविलकर, जे.*]*

अधिनियम की धारा *44* द्वारा और इसे सरकारी राजपत्र में भी प्रकाशित कराया जा सकता है।

234. इस पृष्ठभूमि में, उप-धारा *(3)* के तहत प्राधिकरण द्वारा *21.12.2019* पर डिप्टी के हस्ताक्षर के तहत नोटिस जारी किया गया था।

भूमि उपयोग में परिवर्तन के अधीन सभी भूखंडों के स्थानों के साथ प्रस्तावित संशोधनों का खुलासा करते हुए एक चार्ट के साथ सचिव और विशिष्ट

उपयोग में परिवर्तन। यह, निर्विवाद रूप से, केंद्र सरकार के कहने पर और उसके लिए और उसकी ओर से प्रस्तावित संशोधनों को उसके तार्किक उद्देश्य तक ले जाने के लिए था। नोटिस में सभी आपत्तियों/सुझावों को *30* दिनों की अवधि के भीतर निर्दिष्ट प्राधिकरण को भेजने का आह्वान किया गया है, यानी *20.1.2020* तक। कथित सार्वजनिक सूचना *1959* के नियमों *(1966* के संशोधन के बाद*)* के रूप में इस तरह के नोटिस के लिए निर्धारित प्रारूप के अनुरूप थी और डी. डी. ए. संशोधित नियमों के अनुसार आपत्तियां आमंत्रित करने के लिए ऐसी सूचना जारी करने की अपनी शक्तियों के भीतर था। याचिकाकर्ताओं का यह कहना कि प्राधिकरण के पास नोटिस जारी करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, प्रत्यक्ष रूप से कमजोर है।

235. नोटिस में आगे कहा गया है कि प्रस्तावित योजना का संकेत

उप निदेशक *(*एम. पी.*)*, डी. डी. ए. के कार्यालय के साथ-साथ प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट पर निरीक्षण के लिए संशोधन उपलब्ध होंगे। हम दिनांकित *21.12.2019* सार्वजनिक सूचना के प्रासंगिक भाग को फिर से निकालने के लिए प्रेरित हैं:

"प्रस्तावित संशोधनों का संकेत देने वाला पाठ/योजना उप निदेशक *(*एम. पी.*)*, दिल्ली विकास प्राधिकरण, छठी मंजिल, विकास मीनार, आई. पी. एस्टेट, नई दिल्ली के कार्यालय में निरीक्षण के लिए उपरोक्त अवधि के दौरान सभी कार्य दिवसों पर उपलब्ध होगी। प्रस्तावित संशोधनों का संकेत देने वाला पाठ/योजना डी. डी. ए. की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। डीडीए। *org.* में "।

आम जनता द्वारा निरीक्षण के लिए प्रस्ताव की उपलब्धता *1959* के नियमों के नियम *5* के अधिदेश के अनुरूप है। यह नियम प्रस्तावित परिवर्तनों का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने के बाद आम जनता की भागीदारी और आपत्तियां, यदि कोई हों, उठाने का अवसर सुनिश्चित करता है। नियम *5* का प्रासंगिक उद्धरण इस प्रकार पढ़ता है:

"*5.* मास्टर प्लान तैयार करने के संबंध में सार्वजनिक सूचना।

(1) मास्टर प्लान का मसौदा तैयार होने के तुरंत बाद प्राधिकरण एक सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करेगा जिसमें कहा जाएगा कि -

(क*)* मास्टर प्लान का मसौदा तैयार किया गया है और किसी भी व्यक्ति द्वारा ऐसे समय और स्थान पर निरीक्षण किया जा सकता है जिसे उन सूचनाओं में निर्दिष्ट किया जा सकता है; *[2021] 15* एस. सी. आर.

(ख*)* लिखित में सुझाव और आपत्तियाँ, यदि कोई हों,

मास्टर प्लान का मसौदा किसी भी व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जा सकता है
प्राधिकरण के सचिव पहली तारीख से *90* दिनों के भीतर

नोटिस का प्रकाशन "।

236. सार्वजनिक सूचना के बाद *1292* आपत्तियां प्राप्त हुईं।

और उक्त आपत्तियों पर विचार करने के लिए बी. ओ. ई. एच. का गठन। बीओईएच की नियुक्ति *1959* के नियमों के नियम *8* के अनुसार की गई थी। जो इस प्रकार कहता है:

"*8.* जांच और सुनवाई के लिए बोर्ड की नियुक्ति। *(1)* द.

प्राधिकरण, किसी भी सुनवाई और विचार के लिए

ड्राफ्ट मास्टर को प्रतिनिधित्व, आपत्ति और सुझाव

योजना बनाएँ, एक बोर्ड नियुक्त करें जिसमें कम से कम *3* और नहीं

प्राधिकरण के *5* से अधिक सदस्य।

बशर्ते कि ऐसे बोर्ड को सह-चयन करने की शक्तियां होंगी

परिषद। *(2)* बोर्ड का कोई भी कार्य किसी भी बैठक में नहीं किया जाएगा।

जब तक कि कम से कम तीन सदस्य शुरू से ही उपस्थित न हों।

सुनवाई का अंत "।

(जोर दिया गया*)*

237. तारीख के बारे में आपत्ति करने वालों को सूचना भेजी गई थी

बी. ओ. ई. एच के समक्ष सुनवाई। इसके अलावा, निर्दिष्ट स्थान और समय पर *6/7.2.2020* पर निर्धारित सुनवाई के संबंध में *5.2.2020* पर पेपर प्रकाशन भी किया गया था। सार्वजनिक सूचना इस प्रकार है:

" दिल्ली विकास प्राधिकरण

सार्वजनिक सूचना

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने राजपत्र के माध्यम से सार्वजनिक सूचना जारी की अधिसूचना एस. ओ. *4587 (ई)* दिनांक *21.12.2019* और में भी प्रकाशित

जनता से आपत्तियाँ/सुझाव आमंत्रित करने के लिए समाचार पत्र

प्लॉट संख्या *1* से *7 (*जोन*)* के भूमि उपयोग के प्रस्तावित परिवर्तन के संबंध में

डी*)* और प्लॉट संख्या *8 (*जोन-सी*)*।

प्रक्रिया के अनुसार प्राप्त सभी आपत्तियाँ/सुझाव

30 दिनों की निर्धारित समय अवधि यानी *19.1.2020* तक, होगी

बोर्ड ऑफ इन्क्वायरी एंड हियरिंग *(*बी. ओ. ई. एच.*)* के समक्ष रखा गया।

अजीव सूरी बनाम। दिल्ली विकास प्राधिकरण और ओआरएस। *[* ए. एम. खानविलकर, जे.*]*

बोर्ड की सुनवाई *06.02.2020 (*गुरुवार*)* और *07.02.2020* पर होगी। *(* शुक्रवार*)* डी. डी. ए. कार्यालय, सम्मेलन में ए. एम. से

हॉल, *8*-ब्लॉक, भूतल, विकास सदन, आई. एन. ए.

प्रस्तुत करने के लिए उपरोक्त स्थल *06.02.2020* और *07.02.2020* पर उसके विचार, प्रस्तावित अनुसूची के अनुसार, जो होगा

डी. डी. ए. की वेबसाइट पर उपलब्ध है। डीडीए। *org.* में *(*सिर के नीचे*)*

' हॉटलिंक्स *'/'* सार्वजनिक सूचनाएं *') 05.02.2020 (*दोपहर *12* बजे*)* पर।

संबंधित व्यक्तियों को ई-मेल/एस. एम. एस. के माध्यम से भी सूचित किया जाएगा।

उनके अभ्यावेदन में दिए गए विवरण के अनुसार।

यदि कोई व्यक्ति जिसने आपत्ति/सुझाव दायर किया है लेकिन करता है

अनुसूची में उसका नाम नहीं मिला है या उसे कोई ई नहीं मिला है मेल/एस. एम. एस., बोर्ड के समक्ष अपनी मौखिक प्रस्तुति प्रस्तुत कर सकता है।

उक्त तिथि पर अर्थात *07.02.2020 (*शुक्रवार*) 1* सेः *00* पी. एम. से *1: 30*

पी. एम. सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि वे एक वैध पहचान प्रमाण साथ रखें।

238. जैसा कि सभी संबंधितों को सूचित किया गया था, सुनवाई में आयोजित की गई थी

सभी जनता द्वारा किसी भी सुझाव/आपत्ति पर विचार करने के लिए नियम *9* के साथ नृत्य करें। नियम *9* इस प्रकार हैः

"9. पूछताछ और सुनवाई। — सचिव, समाप्ति के बाद

आपत्तियाँ करने के लिए इन नियमों के तहत अनुमत अवधि से,

अभ्यावेदन और सुझाव सुनवाई के लिए तारीख या तारीख तय करते हैं। इस संबंध में किसी भी व्यक्ति या स्थानीय प्राधिकरण के बोर्ड द्वारा

द्वारा की गई किसी भी आपत्ति, प्रतिनिधित्व या सुझाव के साथ

ड्राफ्ट मास्टर के संबंध में ऐसा व्यक्ति या स्थानीय प्राधिकरण

योजना बनाएँ और स्थानीय प्राधिकरण या किसी भी व्यक्ति पर काम करेंगे। जिनके संबंध में व्यक्तिगत सुनवाई की अनुमति दी जा सकती है

प्रारूप के प्रति ऐसा प्रतिनिधित्व, आपत्ति या सुझाव

मास्टर प्लान, समय, तिथि और स्थान की सूचना देने वाली एक सूचना

सुनवाई।

बशर्ते कि बोर्ड किसी को भी व्यक्तिगत सुनवाई की अनुमति न दे

व्यक्ति, यदि यह राय है कि आपत्ति या सुझाव दिया गया है

ऐसे व्यक्ति द्वारा अप्रासंगिक, तुच्छ या अप्रासंगिक।

(जोर दिया गया*)*

सुनवाई के बाद बी. ओ. ई. एच. की सिफारिशें प्रस्तुत की गईं।

नियम *10* के अनुसार प्राधिकरण जो इस प्रकार हैः

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 10. पूछताछ की रिपोर्ट। - बोर्ड निष्कर्ष के बाद

अपनी जांच के बारे में, प्राधिकरण को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें

सिफारिशें "। बी. ओ.
ई. एच. ने सभी सुझावों/आपत्तियों पर ध्यान दिया

संबंधित प्रतिनिधि और उपस्थित लोगों *(42* विरोधियों*)* के साथ बातचीत करने के बाद, उन्होंने अपनी सिफारिशें इस प्रकार कीं:

" आई. प्लॉट संख्या *1* के भूमि उपयोग को बदलने के प्रस्ताव के संबंध में, यह है -

भूमि उपयोग में परिवर्तन के लिए संशोधित प्रस्ताव की सिफारिश की गई

डीडी अधिनियम, *1957* की धारा *11*-ए के तहत नए सिरे से लिया जाना चाहिए।
ii. उत्तरदाताओं में, जिनमें से अधिकांश योजनाकार हैं /

आर्किटेक्ट्स, एक भावना प्रतीत होती है कि प्रामाणिक

सुझाव दिया कि यातायात, पर्यावरण पर प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन
और विरासत को जल्द से जल्द चालू किया जा सकता है।

iv. सार्वजनिक सुनवाई के दौरान प्राप्त प्रतिक्रियाओं से ऐसा प्रतीत होता है

कि वर्तमान परियोजना को सेंट्रल विस्टा को नहीं भेजा गया है

समिति, हालांकि अतीत में ऐसी कोई भी परियोजना हमेशा रही है

इस मुद्दे पर विचार करें और उपयुक्त सिफारिशें करें
भारत सरकार। "

(जोर दिया गया*)*

यह रेखांकित करने की आवश्यकता नहीं है कि बी. ओ. ई. एच. की भूमिका सीमित है

अधिनियम और नियमों में कुछ भी नहीं है जो बी. ओ. ई. एच. को कारण दर्ज करने या उसके द्वारा प्राप्त आपत्तियों को स्वीकार करने और अस्वीकार करने के लिए अनिवार्य करता है। के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया, उस संबंध में निर्णय प्राधिकरण का है। विशेष रूप से, प्राधिकरण/केंद्र सरकार को जुर्माना लगाने से पहले विरोध करने वालों को व्यक्तिगत सुनवाई देने के लिए बाध्य करने वाली कोई वैधानिक आवश्यकता नहीं है

निर्णय लें। हालांकि, सक्षम प्राधिकारी अंतिम निर्णय लेने से पहले बी. ओ. ई. एच. की आपत्तियों और सिफारिशों को ध्यान में रखने के लिए बाध्य है

निर्णय लें।

239. तदनुसार, बी. ओ. ई. एच. की सिफारिशों पर विचार किया गया

प्राधिकरण की एक समिति द्वारा जिसमें उपराज्यपाल, विशेषज्ञ राजीव सूरी बनाम।

दिल्ली विकास प्राधिकरण और ओआरएस। *[* ए. एम. खानविलकर, जे.*]*

विभिन्न अभिकरणों के सदस्य, निर्वाचित प्रतिनिधि

एम. ओ. एच. यू. ए. के विशेष आमंत्रित लोगों के साथ-साथ विपक्ष का भी समर्थन। *10.2.2020* पर आयोजित यह बैठक नियम *11* के अनुरूप आयोजित की गई थी, जिसका उद्देश्य योजना को अंतिम रूप देना था

केंद्र सरकार का प्रोवल। नियम *11* इस प्रकार हैः

"11. मास्टर प्लान का अंतिम मसौदा तैयार करना और इसे केंद्र सरकार को प्रस्तुत करना। प्राधिकरण, बोर्ड की रिपोर्ट और किसी भी अन्य मामले पर विचार करने के बाद, अंततः मास्टर प्लान तैयार करेगा और इसे केंद्र सरकार को प्रस्तुत करेगा।

उसकी स्वीकृति के लिए।

प्राधिकरण ने उचित स्वतंत्रता के बाद आई. डी. *1* पर आयोजित अपनी बैठक में भूखंड संख्या में परिवर्तन और उपयोग के प्रस्ताव को मंजूरी दी। *2* केवल *8* तक, निम्नलिखित शर्तों पर। द मिनट्स ऑफ द

इसे इस प्रकार पढ़िएः

" मद *No.18/2020* प्लॉट संख्या के भूमि उपयोग के प्रस्तावित परिवर्तन के संबंध में। *1,2,3,4,5,6,7*

और *8.* एफ. *20 (12) 2019/*एमपी

ख*)* जे. एस., एमओएचयूए ने बताया कि राजधानी शहर की योजना के दौरान
नई दिल्ली, वास्तुकारों और शहरी डिजाइनरों-एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने पूरी नई दिल्ली के लिए एक शहरी डिजाइन योजना इस तरह से तैयार की थी कि सभी महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालय सेंट्रल विस्टा *(*राजपथ*)* के साथ आ जाएं। हालाँकि, वर्ष *1931* तक, जब दिल्ली आधिकारिक तौर पर भारत की राजधानी बनी, केवल पाँच *(05)* इमारतों का निर्माण किया गया था, अर्थात् राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, उत्तर और दक्षिण ब्लॉक और राष्ट्रीय अभिलेखागार का पहला भवन। उन्होंने आश्वासन दिया कि धरोहर इमारतें

सेंट्रल विस्टा में संरक्षित किया जाएगा।

ग*)* उन्होंने आगे बताया कि इस परियोजना के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैंः

आई. परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान कोई पेड़ नहीं काटा जाएगा। हालांकि, कुछ पेड़ों के लिए प्रत्यारोपित किया जा सकता है

कौन सी तकनीकें उपलब्ध हैं?

ii. नए वृक्षारोपण के साथ कुल वृक्ष आवरण बढ़ेगा। iii. 100 % सी एंड डी कचरे को फिर से साइकिल से चलाया जाएगा और इसके भीतर उपयोग किया जाएगा।

परियोजना।

iv. सभी हरित भवन सुविधाओं का पालन किया जाएगा

संसाधनों का सबसे कुशल उपयोग करना और अपनाना
आधुनिक निर्माण प्रौद्योगिकियाँ।

वी. वर्षा जल संचयन (आर. डब्ल्यू. एच.) संरचनाएँ और जल संरक्षण के उपाय किए जाएंगे।

vi. प्रस्तावित विकास को सार्वजनिक/सरकारी कर्मचारियों के आवागमन के लिए विस्टा में दो मेट्रो स्टेशनों उद्योग भवन और केंद्रीय सचिवालय के साथ एकीकृत किया गया है।

भूमिगत शटल के माध्यम से।

vii. प्रस्तावित योजना में, केंद्र सरकार के मंत्रालयों/कार्यालयों को सेंट्रल विस्टा में स्थानांतरित किया जाएगा, जिससे दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में फैले केंद्र सरकार के 47 मंत्रालयों/कार्यालयों के भवनों में बड़े पैमाने पर यात्रा में कटौती होगी। एक बार लागू होने के बाद इस प्रस्ताव के परिणामस्वरूप लुटियंस बंगला क्षेत्र (एल. बी. जेड.) और शहर में यातायात का प्रवाह आसान हो जाएगा। इसके परिणामस्वरूप वाहनों की यात्राओं में कमी आएगी जिससे कार्बन फुटप्रिंट, भीड़भाड़, प्रदूषण और दुर्घटनाओं में कमी आएगी।

घ) जांच और सुनवाई मंडल की सिफारिशें

(BOE & H) और 06.02.2020 और 07.02.2020 पर आयोजित बैठक में जनता द्वारा उठाए गए मुद्दों पर प्राधिकरण की बैठक में विचार-विमर्श किया गया। सदस्य इंजीनियरिंग, डीडीए-सह

अध्यक्ष या बी. ओ. ई. एंड एच. ने समझाया कि जैसा कि जे. एस., एम. ओ. एच. यू. ए. द्वारा स्पष्ट किया गया है, प्रस्तावित परियोजना जनता द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों को व्यापक तरीके से संबोधित करती है। उन्होंने बताया कि जनता द्वारा दी गई सभी आपत्तियों और सुझावों पर BOE & H द्वारा विधिवत विचार किया गया था। विभिन्न प्रकार के डी. डी. ए. के एल. एंड डी. ओ. और योजना विभाग से संबंधित आपत्तियों और सुझावों का जवाब इन संबंधित एजेंसियों के प्रतिनिधियों द्वारा दिया गया था और विवरण रिकॉर्ड पर उपलब्ध हैं। विस्तृत जानकारी के आधार पर

विचार-विमर्श करते हुए बी. ओ. ई. एंड एच. ने प्लॉट नं. *1* और भूखंड सं. के संबंध में भूमि उपयोग में परिवर्तन की अनुमति देने पर विचार। *2 8* तक।

ई. ई. वी. सूरी वी. दिल्ली विकास प्राधिकरण और ओआरएस। *[* ए. एम. खानविलकर, जे.*]*

जे. एस., एम. ओ. एच. यू. ए. द्वारा निम्नलिखित तथ्यों को और विस्तार से बताया गयाः

आई. प्रस्तावित विकास/पुनर्विकास के तहत,

सेंट्रल विस्टा में कुल सार्वजनिक स्थान बढ़ रहा है लगभग *100* एकड़। इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

राष्ट्रपति संपदा के पश्चिमी छोर पर *48.6* एकड़ भूमि में एक राष्ट्रीय जैव-विविधता अर्बोरेटम है

11 अलग-अलग पादप विज्ञान क्षेत्रों में *1,236* लुप्तप्राय प्रजातियों को रखने का प्रस्ताव है। यह सुविधा खुली रहेगी।

शोधकर्ताओं के साथ-साथ जनता के लिए भी। उत्तर और दक्षिण ब्लॉक जो लगभग *27* एकड़ में फैले हुए हैं, उन्हें *1857* से पहले और बाद में भारत को प्रदर्शित करने वाले राष्ट्रीय संग्रहालयों में परिवर्तित करने का प्रस्ताव है। यमुना नदी के पश्चिमी तट पर लगभग *25* एकड़ भूमि

इसे न्यू इंडिया गार्डन के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है।

75 वर्षों के उपलक्ष्य में एक प्रतिष्ठित संरचना के साथ

भारत की स्वतंत्रता।

दिल्ली के हरे-भरे इलाकों में। *iii.* वर्तमान में हटमेंट्स के तहत *90* एकड़ से अधिक के क्षेत्र को उचित रूप से नियोजित किया जाएगा और संगठित शहरी स्थानों के रूप में विकसित किया जाएगा।

iv. भवनों और सुविधाओं के लिए सभी आवश्यक अनुमोदन

आवश्यकता पड़ने पर सक्षम अधिकारियों से लिया जाए।

डी. डी. ए. के उपाध्यक्ष ने बताया कि भारत सरकार द्वारा *17/10/017* को एक अधिसूचना संख्या एस. ओ. *348 (ई)* जारी की गई है, जिसके अनुसार दिल्ली के लिए मास्टर प्लान *(*एम. पी. डी.*)-2021* के अनुसार,केंद्र सरकार के कार्यालयों को 'सार्वजनिक और अर्ध सार्वजनिक सुविधाओं' *(*पी. एस. पी.*)* भूमि उपयोग क्षेत्रों में उपयोग करने की अनुमति है। इसलिए प्राधिकरण प्लॉट संख्या *3,4,5* और *6* को अनुमति देने के लिए सक्षम है जो वर्तमान में आवास के लिए पी. एस. पी. भूमि उपयोग के तहत हैं केंद्र सरकार *[2021] 15* एस. सी. आर.

छ) अपर सचिव (डी), आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय और सदस्य, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने समझाया कि प्राधिकरण सक्षम है

भूमि के लिए मास्टर प्लान में प्रस्तावित संशोधन करना।

उपयोग करता है क्योंकि ये मास्टर प्लान के चरित्र को नहीं बदलेंगे क्योंकि

वे लुटियन एंड बेकर्स की आवास योजना के अनुरूप हैं।

सेंट्रल विस्टा में सरकारी भवन। इसके अलावा, प्रस्ताव भूमि उपयोग की सीमा और मानकों को प्रभावित नहीं करता है

जनसंख्या घनत्व के लिए मास्टर प्लान में परिकल्पना की गई है

दिल्ली, (एमपीडी)-2021। इसलिए, धारा 11 (ए) (1) या दिल्ली

परिवर्तन विचाराधीन हैं। उपाध्यक्ष डी. डी. ए. इसकी पुष्टि की और कहा कि केवल संतुष्ट होने के बाद कि

प्राधिकरण अधिनियम के 11 (ए) (1) के तहत सक्षम है कि प्रस्ताव विचार किया गया है और प्राधिकरण की मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया गया है।

निर्णयः विस्तृत विचार-विमर्श के बाद, प्रस्ताव है -

निम्नलिखित रूप में स्वीकृतः

आई. भूमि उपयोग में परिवर्तन के लिए एक सार्वजनिक सूचना जारी की जाएगी।

प्लॉट संख्या 01 के लिए 'परिवहन' (बस टर्मिनल /

पार्किंग) और 'मनोरंजन' से 'आवासीय' और होना

डी. डी. अधिनियम 1957 की धारा 11-ए के तहत संसाधित।

ii. प्लॉट संख्या 02 से 07 के संबंध में; का प्रस्ताव

एल एंड डी ओ के भूमि उपयोग परिवर्तन को मंजूरी दी गई है। यह है प्रस्ताव

अनुमोदन/अधिसूचना के लिए एमओएचयूए को प्रस्तुत किया गया।

iii. प्लॉट संख्या 8 के लिए भूमि उपयोग में बदलाव को मंजूरी दी गई है और

प्रस्ताव को मंजूरी के लिए एम. ओ. एच. यू. ए. को भेजा जाए / अधिसूचना "।

(जोर दिया गया)

जैसा कि प्रस्ताव भूमि-स्वामित्व एजेंसी से उत्पन्न हुआ था

(केंद्र सरकार*)*, कार्यवृत्त को आगे के विचार के लिए केंद्र सरकार को भेजा गया था। उसी की प्राप्ति पर, केंद्र सरकार ने प्रस्ताव को संसाधित किया और मामले के सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद अधिसूचना दिनांक *20.3.2020* के माध्यम से भूमि उपयोग में परिवर्तन के संशोधन को अधिसूचित करने के लिए आगे बढ़ी। वही इस प्रकार पढ़ता है:

अजीव सूरी बनाम। दिल्ली विकास प्राधिकरण और ओआरएस। *[* ए. एम. खानविलकर, जे.*]*

" आवास और शहरी कार्य मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग*)*

सूचना

नई दिल्ली, *20* मार्च, *2020*

सरकार ने दिल्ली-*2021* के लिए मास्टर प्लान बनाने का प्रस्ताव रखा है। जोन-डी की क्षेत्रीय विकास योजना *(*प्लॉट *No.02* से *07* के लिए*)* और

नीचे उल्लिखित क्षेत्र के संबंध में क्षेत्र-सी *(*प्लॉट *No.08* के लिए*)* भारत के राजपत्र, असाधारण, में सार्वजनिक के रूप में प्रकाशित किया गया था।

नं. के माध्यम से ध्यान दें। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा एस. ओ. *4587 (*ई*)* दिनांक *21.12.2019* के प्रावधानों के अनुसार

दिल्ली विकास अधिनियम, *1957 (1957* का *61)* की धारा *44* आमंत्रित करती है।

धारा की उप-धारा *(3)* द्वारा अपेक्षित आपत्तियाँ/सुझाव

11 - उक्त अधिनियम का क, उक्त अधिनियम की तारीख से तीस दिनों के भीतर

नोटिस दें;

2. जबकि, के संबंध में प्राप्त *1,292* आपत्तियाँ/सुझाव बोर्ड द्वारा प्रस्तावित संशोधनों पर विचार किया गया है

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा स्थापित पूछताछ और सुनवाई और बैठक में प्रस्तावित संशोधनों की सिफारिश की गई

इस मामले के सभी पहलुओं पर विचार करते हुए, दिल्ली-*2021* के लिए मास्टर प्लान/जोन-डी और जोन-सी की क्षेत्रीय विकास योजना को संशोधित करने का निर्णय लिया है। *4.* इसलिए अब, उक्त अधिनियम की धारा *11*-ए की उप-धारा *(2)* के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय

सरकार एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है -

दिल्ली के लिए मास्टर प्लान-*2021*/क्षेत्रीय विकास योजना

भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना का प्रकाशन। संशोधनः

जोन-डी और जोन-सी में आने वाले भूमि के निम्नलिखित क्षेत्र का भूमि उपयोग नीचे दिए गए विवरण के अनुसार बदला गया हैः

[2021] 15 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जमीन।

सीमाओं का उपयोग करें

स्थान

भूमि उपयोग के अनुसार

एस. नं.

क्षेत्र

(एकड़ में*)* एमपीडी *2021/*जेडडीपी

में बदला गया

जोन डी *2001*

मनोरंजन

1 .

प्लॉट

सरकार

उत्तर दिशाः रेड क्रॉस

सं. *2 9.5*

(संसद

इसके विपरीत

(जिला उद्यान*)*

सड़क

घर*)*

संसद

दक्षिणः पश्चिमः

रायसीना रोड

घर।

भारत की संसद

सरकार. कार्यालय

सार्वजनिक और अर्ध

उत्तर दिशाः डॉ. राजेंद्र

2 .

प्लॉट

सं. *3 7.7*

प्रसाद रोड

(5.88 एकड़*)* और

सार्वजनिक सुविधाएं

स्थित है

पर

दक्षिणः हरा-भरा इलाका

दक्षिण में डॉ।

मनोरंजन

(जिला उद्यान*)*

और राजपथ

राजेन्द्र

(1.88 एकड़*)*

पूरबः

प्रसाद रोड

मकानों

और

जनपथ

राष्ट्रीय

पश्चिमः

अभिलेखागार

शास्त्री भवन

ऑफिस नार्थः डॉ. राजेंद्र

और अर्ध। सरकारी।

सार्वजनिक

प्लॉट

3 .

सं. *4 24.7*

सार्वजनिक

सुविधाएं *(22.82)*

एक्ड़) प्रसाद रोड

स्थित है

पर

(एससी*)*

दक्षिणः हरा-भरा इलाका

और

दक्षिण में डॉ।

और राजपथ

राजेन्द्र

मनोरंजन

पूरबः

(जिला उद्यान*)*

प्रसाद रोड और पूरब की ओर

मान सिंह रोड

(1.88 एकड़*)*

जनपथ

पश्चिमः जनपथ

सार्वजनिक और अर्ध सरकारी। कार्यालय

उत्तर दिशाः

अशोक

4 .

प्लॉट

सं*. 5 4.5*

स्थित है

सड़क

सार्वजनिक

सुविधाएँ

पर

दक्षिणः हरा-भरा इलाका

(एससी*)*

ईस्ट ऑफ़ मैन

और राजपथ

सिंह रोड और दक्षिण में

पूरबः सी-षट्कोण

अशोक रोड

पश्चिमः मान सिंह

सड़क

सरकार. कार्यालय

उत्तर दिशाः हरा-भरा इलाका

5.

प्लॉट

सं. *6 24.7*

सार्वजनिक और अर्ध

सुविधाएँ

सार्वजनिक

(22.82 एकड़*)*

पर स्थित है

और राजपथ

(एससी*)*

और

उत्तर

में से

दक्षिणः

मौलाना

मनोरंजन

मौलाना

आजाद रोड

(जिला उद्यान*)*

पूरबः मान सिंह

सड़क

आजाद

सड़क

(1.88 एकड़*)*

और पूरब की ओर

पश्चिमः जनपथ

जनपथ

आवासीय

प्लॉट

उत्तर दिशाः साउथ ब्लॉक

6 .

सं. *7 15*

एमपीडी-*2021*

पर स्थित है

सरकारी कार्यालय

दक्षिणः दारा शिकोह

उत्तर

में से

सड़क

जेड. डी. पी. क्षेत्र-डी-*2001*

डलहौसी

मनोरंजन

पूरबः दक्षिण का हिस्सा

ब्लॉक करें

सड़क

(पड़ोस खेल

पास में

साउथ ब्लॉक

पश्चिमः राष्ट्रपति

क्षेत्र*)*

भवन

7.

प्लॉट

सार्वजनिक और अर्ध मनोरंजक

उत्तर दिशाः

सीजीएचएस

सं. *8 3.9*

पर स्थित है

सार्वजनिक सुविधाएं

औषधालय

(जिला उद्यान*)*

लखनऊ

दक्षिणः सरकार

पास की सड़क

जमीन।

तिमारपुर

पूरबः

लखनऊ रोड

पश्चिमः सरकार

भूमि राजीव सूरी बनाम। दिल्ली विकास प्राधिकरण और ओआरएस। *[* ए. एम. खानविलकर, जे.*]*

[F.No.K-13011/6/2019-DD-I]

विरेंद्र कुमार कुशवाह, अवर सचिव "।

(जोर दिया गया*)*

इस अधिसूचना के केवल अवलोकन पर, यह स्पष्ट होता है कि अंतिम

निर्णय केंद्र सरकार द्वारा लिया जाता है और इसे *1957* के अधिनियम की धारा *11* ए की उप-धारा *(2)* के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचित किया जाता है। मामूली संशोधन का मामला होने के नाते और जैसा कि हमने माना है, यह विचाराधीन योजना के चरित्र को नहीं बदलता है, जिसमें यह भी शामिल है कि यह भूमि-उपयोग की सीमा या जनसंख्या घनत्व के मानकों से संबंधित नहीं है। प्राधिकरण स्वयं *1957* के अधिनियम की धारा *11* ए *(1)* के संदर्भ में अपनी मंजूरी को प्रभावी बना सकता था, क्योंकि वह उस संबंध में ऐसा करने और धारा *11* ए *(5)* द्वारा प्रदान की गई तारीख से तीस दिनों के भीतर केंद्र सरकार को रिपोर्ट करने के लिए सक्षम था। हालाँकि, चूंकि प्रस्ताव भूमि-स्वामी एजेंसी *(*केंद्र सरकार*)* से उत्पन्न हुआ था, जैसा कि दिनांक *1* के सार्वजनिक नोटिस में उल्लेख किया गया था और राष्ट्रीय महत्व का था, इसलिए प्राधिकरण ने अपनी मंजूरी के साथ प्रस्ताव को केंद्र सरकार को भेजने का विकल्प चुना।

उचित निर्णय। प्राधिकरण द्वारा उठाया गया यह कदम *1957* के अधिनियम की धारा *11* ए *(6)* के लिए उत्तरदायी है, जो भविष्यवाणी करता है कि यदि कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तो क्या प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित संशोधन किए जाने हैं।

यदि योजना के स्वरूप में महत्वपूर्ण परिवर्तन होने की संभावना है या चाहे वे भूमि उपयोग की सीमा या जनसंख्या घनत्व के मानकों से संबंधित हैं, तो इसे केंद्र सरकार को भेजा जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा। केंद्र सरकार ने तब प्रस्ताव को आगे बढ़ाया और अधिसूचना जारी करके उस पर कार्रवाई की जो उसने *1957* के अधिनियम की धारा *11* ए *(2)* के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए की थी। इसके लिए, केंद्र सरकार को स्वयं सार्वजनिक नोटिस जारी करने या विरोध करने वालों को सुनवाई प्रदान करने के लिए अपने स्वयं के बी. ओ. ई. एच. का गठन करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। चूंकि वह प्रक्रिया प्राधिकरण और केंद्र द्वारा पहले ही पूरी कर ली गई थी

सरकार ने प्राधिकरण से प्राप्त प्रस्ताव पर धारा *11* ए *(6)* के तहत निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए कार्रवाई की थी और उस पर धारा *11* ए *(2)* के तहत अपने निर्णय को नियत समय पर अधिसूचित किया था। योजनाओं के संशोधन के लिए धारा *11* ए में वर्णित विधायी योजना के तहत, केंद्र सरकार के पास पूर्ण अधिकार है जिसमें शामिल हैं -

उप-धारा *(1)* के तहत लिए गए प्राधिकरण के निर्णय को अस्वीकार करना और उप-धारा *(6)* के तहत निर्देश जारी करना। केंद्र सरकार के पास धारा *11* ए के संदर्भ में योजनाओं के संशोधन के विषय के सभी पहलुओं पर निर्णय लेने की पर्याप्त शक्ति है। इसके अलावा, इसका निर्णय *[2021] 15* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उप-धारा *(6)* के तहत अंतिम है। उल्लेखनीय है कि धारा *11* ए एक सक्षम प्रावधान है जो प्राधिकरण को सीमित शक्ति देता है और योजनाओं के संशोधन के संबंध में केंद्र सरकार को पूर्ण शक्ति देता है। वर्तमान मामले में अपनाई गई प्रक्रिया, अधिनियम की धारा *11* ए के दायरे की समग्रता पर विचार करते हुए केंद्र सरकार द्वारा *1957* के अधिनियम की धारा *11* ए की उप-धारा *(2)* के तहत शक्ति का वैध प्रयोग होगा। किसी भी मानक द्वारा, इसे इसके उल्लंघन में लिया गया है या अधिकारियों द्वारा इसका पालन करने में विफलता के रूप में लेबल किया जा सकता है

अधिनियम की धारा *11* ए के तहत निर्धारित प्रक्रिया। निर्धारित प्रक्रिया का पर्याप्त अनुपालन होता है और अंतिम निर्णय *1957* के अधिनियम के तहत निर्दिष्ट सभी योजना प्राधिकरणों की भागीदारी का परिणाम या परिणाम होता है। राज्य प्राधिकरणों और केंद्र सरकार द्वारा सहयोग से और सभी आपत्तियों पर उचित विचार करने के बाद उठाए गए इन कदमों को कम करके अवैध नहीं माना जा सकता है। यह किसी ऐसे प्राधिकरण द्वारा शक्ति के प्रयोग का मामला नहीं है जो ऐसा करने के लिए सक्षम नहीं है। अधिक से अधिक, यह कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय महत्व की परियोजना की प्रकृति के कारण, संबंधित अधिकारियों द्वारा धारा के ढांचे के भीतर एक संरक्षित प्रक्रिया अपनाई गई थी।

11 अधिनियम का ए। यह देखने के लिए पर्याप्त है कि केंद्र सरकार का अंतिम निर्णय, जैसा कि दिनांकित अधिसूचना में प्रकट किया गया है, *1957* के अधिनियम और उसके तहत बनाए गए *1959* के नियमों के तहत इस तरह के संशोधनों को प्रभावी बनाने के लिए निर्धारित प्रक्रिया के पर्याप्त अनुपालन की ओर इशारा करता है। *240.* भूमि-स्वामित्व एजेंसी ने साथ ही प्रस्ताव को सी. वी. सी. को भेज दिया था, जिसने अपनी चौथी बैठक में पहले ही आई. डी. *1* पर अपनी मंजूरी दे दी थी। इसमें इस प्रकार उल्लेख किया गया है:

"विस्तृत विचार-विमर्श के बाद समिति ने सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन देने का निर्णय लिया क्योंकि भूमि उपयोग में परिवर्तन की प्रक्रिया सक्षम अधिकारियों द्वारा शुरू की गई थी। तदनुसार, भूमि उपयोग में परिवर्तन की अंतिम मंजूरी के बारे में सूचित किया जा सकता है।

समिति "।

अभिलेख की स्पष्टता के लिए, हम ध्यान देते हैं कि सी. वी. सी. को एक अन्य अवसर पर भी नियुक्त किया गया था जब "कोई आपत्ति नहीं" प्राप्त करने का प्रस्ताव

संसद परियोजना को *11.04.2020* पर विचार के लिए भेजा गया था। द. उन्होंने कहा कि सीवीसी ने अपनी *5* वीं बैठक में *23.4.2020* पर "कोई आपत्ति नहीं" दी थी। हम थोड़ी देर बाद सीवीसी की इस "अनापत्ति" की चुनौती से भी निपटेंगे।

241. आगे बढ़ने से पहले, हम यह ध्यान रखना उचित समझते हैं कि याचिकाकर्ताओं का यह तर्क कि संसद को राजीव सूरी बनाम के दायरे से बाहर रखा गया था।

दिल्ली विकास प्राधिकरण और ओआरएस। *[* ए. एम. खानविलकर, जे.*]*

परामर्श अभ्यास तथ्यों पर निराधार है। वास्तव में, प्रस्ताव

नए संसद भवन के संबंध में जी. पी. सी. के समक्ष रखा गया था प्रारंभ चरण। जी. पी. सी., जिसके अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, का गठन संसद सदस्यों द्वारा किया जाता है।

संसद में उपस्थिति रखने वाले प्रमुख राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि। समिति ने सलाहकार के माध्यम से मामले के प्रस्तावक द्वारा दी गई प्रस्तुति को देखने के लिए *19.3.2020* पर बैठक की थी जिसमें सदस्यों ने बातचीत की और प्रस्ताव में शामिल करने के लिए विभिन्न सुझाव दिए। सभी सदस्यों के लिए अवधारणा के साथ-साथ परियोजना की आवश्यकता को समझाते हुए विस्तृत प्रस्तुतियाँ दी गईं। सदस्यों ने डिजाइन, केंद्रीय कक्ष, आंतरिक भाग, जनता तक पहुंच, सभागार, विश्राम कक्ष, वर्षा जल संचयन आदि से संबंधित सुझाव/टिप्पणियां दीं। सदस्यों को परियोजना से संबंधित विभिन्न औपचारिक विकास से भी अवगत कराया गया। इसके बाद, बजटीय अनुमान और अवधारणा योजना को भी लोकसभा सचिवालय के समक्ष रखा गया

और उसके द्वारा अनुमोदित किया गया, जैसा कि पहले ही ऊपर उल्लेख किया गया है। हमें इस पहलू पर आगे विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है। *242.* विचाराधीन मुद्दे पर लौटते हुए, *1959* के नियमों के अध्याय *III* के तहत निर्धारित प्रक्रिया नई मास्टर प्लान/क्षेत्रीय योजना तैयार करने के लिए लागू होती है। इस पूरे अध्याय में उपयोग की गई अभिव्यक्ति "ड्राफ्ट मास्टर प्लान", इसे पूरी तरह से स्पष्ट करती है और कल्पना करने के लिए कुछ भी नहीं छोड़ती है। इन दोनों में अंतर स्पष्ट है। कड़ाई से कहें तो अध्याय *III* धारा *11* ए के तहत योजनाओं के संशोधन की प्रक्रिया पर लागू नहीं होता है। अध्याय *III* के अभाव में, केवल धारा *11* ए मास्टर प्लान के संशोधन की प्रक्रिया निर्धारित करेगी और धारा *11* ए के तहत प्रक्रिया कम बोझिल है और केवल प्रकाशन की परिकल्पना की गई है।

अंतिम निर्णय लेने से पहले विचार करने के लिए नोटिस देना और आपत्तियां आमंत्रित करना। यह विरोध करने वालों के लिए व्यक्तिगत सुनवाई निर्धारित नहीं करता है जैसे, प्राधिकरण या केंद्र सरकार द्वारा बहुत कम, जैसा भी मामला हो। जबकि, बी. ओ. ई. एच. के समक्ष सुनवाई के लिए नियम *9* के प्रावधान भी हैं।

केवल। कानून की इस स्पष्ट स्थिति के बावजूद, उत्तरदाताओं ने विषय संशोधनों के लिए भी *1959* के नियमों के अध्याय *III* के तहत व्यापक प्रक्रिया का पालन किया। यह निश्चित रूप से नए मास्टर प्लान या ड्राफ्ट मास्टर प्लान की तैयारी का मामला नहीं था। निर्माण उपनियमों के अनुपालन पर बाद में विचार किया जाएगा।

243. विशेष रूप से, *7.4.2015* पर, "एम. पी. डी.*-2021* में संशोधन और भूमि उपयोग के मामलों में बदलाव के लिए डी. डी. ए. का प्रस्ताव-रेग" शीर्षक वाला एक पत्र। था।

एम. ओ. एच. यू. ए. द्वारा उपाध्यक्ष, डी. डी. ए. को संबोधित करते हुए प्राधिकरण को मास्टर प्लान में संशोधन के लिए कोई भी प्रस्ताव भेजते समय मापदंडों के एक सेट पर अलग से जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता होती है। विषय प्रस्ताव *[2021] 15* एस. सी. आर

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उपरोक्त पत्र के अनुसार सभी जानकारी दर्ज की और पाया जाता है कि

उसके अनुसार। इस गिनती में कोई प्रक्रियात्मक दुर्बलता नहीं पाई गई है।

पूर्वनिर्धारित पत्र तैयार संदर्भ के लिए पुनः प्रस्तुत किया गया हैः -

तिथि *7* अप्रैल, *2015*

" को।

उपाध्यक्ष,

दिल्ली विकास प्राधिकरण, विकास सदन, आईएनए,

नई दिल्ली

विषयः डी. डी. ए. का एम. पी. डी.-*2021* में संशोधन और परिवर्तन का प्रस्ताव भूमि उपयोग के मामले-रेग।

साहब,

डीडीए एम. पी. डी. में संशोधन के लिए प्रस्ताव भेज रहा है।

2021 और अंतिम अधिसूचना के लिए भूमि उपयोग के मामलों में परिवर्तन

डीडी अधिनियम *1957* की धारा *11*-ए। यह देखा जा रहा है कि डी. डी. ए.

स्व-निहित नोट/प्रस्तावों के बिना प्रस्ताव भेज रहा है और

बोर्ड की सिफारिशों जैसे कुछ आवश्यक दस्तावेज

पूछताछ और सुनवाई, साइट का नक्शा, पूछताछ का विवरण, किसी भी मामले का विवरण

चल रहे अदालती मामले आदि भी गायब पाए जाते हैं। नतीजतन, यह

इन मामलों की जांच करने और उन्हें निकालने में काफी समय लगता है।

ऐसे प्रस्तावों के साथ संलग्न दस्तावेजों से प्रासंगिक विवरण।

2. इसलिए, निपटान के लिए लगने वाले समय को कम करने के लिए

ऐसे मामलों में, डी. डी. ए. को प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया जाता है जिसमें एक स्व-निहित नोट/प्रस्ताव के साथ-साथ औचित्य जो होना चाहिए

हर तरह से परिपूर्ण रहें। निम्नलिखित प्रस्ताव भेजते समय

अलग-अलग शीर्षकों के तहत जानकारी निश्चित रूप से प्रदान की जानी चाहिएः

((i)

चाहे जमीन सरकारी हो या निजी और कौन है

भूमि स्वामित्व एजेंसी*?*

((ख)

जिनके अनुरोध पर भूमि उपयोग मामले में परिवर्तन या

एमपीडी-*2021* में संशोधन शुरू कर दिया गया है*?*

(iii) क्या डी. डी. ए. का कोई जिम्मेदार अधिकारी *(*विवरण दें*)*

स्थल के निरीक्षण और निरीक्षण की एक प्रति के लिए प्रतिनियुक्त किया गया था रिपोर्ट दी जाए।

€ ((iv) किस सार्वजनिक उद्देश्य को पूरा करने का प्रस्ताव है*?*

एम. पी. डी. में संशोधन और/या भूमि उपयोग में परिवर्तन*?*

(v)

जेड. डी. पी./एम. पी. डी. पर प्रस्ताव का क्या प्रभाव पड़ेगा और

क्या परिवर्तन इसके अनुरूप हैं

अनुमोदित योजनाएं और नीतियाँ*?*

राजीव सूरी बनाम। दिल्ली विकास प्राधिकरण और ओआरएस। *[* ए. एम. खानविलकर, जे.*]*

(vi)

प्रस्ताव का सामान्य पर क्या प्रभाव/प्रभाव पड़ेगा*?*
सार्वजनिक जैसे। कानून और व्यवस्था आदि*?*

(vii)

क्या जमीन पर कोई अदालती मामला चल रहा है

प्रस्ताव में उल्लिखित*?* पूरा विवरण संलग्न किया जाए।

3. इसलिए यह अनुरोध किया जाता है कि प्रस्तावों में उपरोक्त जानकारी होनी चाहिए अन्यथा प्रस्तावों को लागू नहीं किया जाएगा।

विचार किया।

4. वहाँ निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगा।

आपकी वफादारी से,

(सुनील कुमार*)*

अवर सचिव *(*डीडी-आई*)* "

यह याचिकाकर्ताओं का मामला नहीं है कि द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव

परियोजना प्रस्तावक कथित आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं था।

244. वर्तमान में उत्तरदाताओं द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया

भूमि उपयोग में परिवर्तन के मामले को उत्तरदाताओं द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित चार्ट में चित्रित किया जा सकता है:

भूमि उपयोग में परिवर्तन के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया

एस एन ओ।

आवश्यकता

लाभप्रद

तिथि

प्रावधान

1. एल एंड डी ओ, आवास और धारा मंत्रालय द्वारा प्रस्ताव-*11* ए, डीडी अधिनियम,

04.12.2019

1957

शहरी मामले, भारत सरकार

2. डी. डी. अधिनियम की धारा-*5* ए द्वारा प्रस्ताव की बैठक और विचार,

05.12.2019

डी. डी. ए. की तकनीकी समिति

1957

3.

दिल्ली के उपराज्यपाल की अध्यक्षता में डीडीए की बैठक

धारा-*5*, डीडी अधिनियम,

11.12.2019

1957

डीडी अधिनियम की धारा-*11* ए द्वारा सार्वजनिक आपत्तियों और सुझावों को आमंत्रित करना,

4.

21.12.2019

1957

डीडीए

5. धारा-*11* ए, डीडी अधिनियम द्वारा आपत्तियों और सुझावों पर विचार,

06.02.2020

जांच और सुनवाई बोर्ड

1957

6.

जांच बोर्ड की सिफारिशें और नियम *10,1959* नियम

07.02.2020

सुनना।

नियम *11*, डी. डी. अधिनियम,

डी. डी. ए. की सिफारिशों पर विचार

7.

10.02.2020

1957

नियम *11,1959* नियमों के लिए केंद्र सरकार को सिफारिश

8.

10.02.2020

परिवर्तनों को सूचित करना

9. डी. डी. अधिनियम की आधिकारिक धारा-*11* ए में भूमि उपयोग में परिवर्तन की अधिसूचना,

20.03.2020

राजपत्र

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रस्ताव की प्रकृति के कारण तेजी से और समय सीमा के अनुसार इसे जल्दबाजी में किया गया नहीं कहा जा सकता है। स्वीकार करते हुए, वास्तव में दुर्भावनापूर्ण कोई आरोप नहीं लगाया गया है और न ही इस मामले के तथ्य हमें इसे दुर्भावनापूर्ण कानून के रूप में मानने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। याचिकाकर्ता के इस तर्क के विपरीत कि आपत्तियों/सुझावों की खिड़की नोटिस में निर्दिष्ट *30* दिनों की अवधि से पहले बंद कर दी गई थी, उत्तरदाताओं द्वारा प्रदान किए गए मूल रिकॉर्ड की जांच पर, हमने पाया कि *20.1.2020* आपत्तियों/सुझावों को प्राप्त करने की अंतिम तिथि होने के बावजूद, वे ही थे *30* दिनों की अवधि से भी अधिक प्राप्त किया

गया। अंतिम दर्ज आपत्ति *21.1.2020* पर प्राप्त हुई थी और *22.1.2020* पर डायरी में दर्ज की गई थी। इनमें से प्रत्येक आपत्ति/सुझाव को विधिवत रूप से आगे बढ़ाया गया जैसे कि समय पर दायर किया गया हो।

246. अब हम व्यक्तिगत/सार्वजनिक सुनवाई की आवश्यकता के संबंध में कानूनी स्थिति की जांच कर सकते हैं। जैसा कि पहले देखा गया है, उप-धारा *(3)* केवल प्राधिकरण से जनता से प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर "विचार करने" की अपेक्षा करती है। विधायिका ने संशोधन के शासी प्रावधान में विचार के किसी विशेष तरीके को निर्दिष्ट करना उचित नहीं समझा है। इस तरह की जांच में कोई सख्त प्रस्ताव नहीं रखा जा सकता है जब विधायिका ने जानबूझकर प्रस्ताव पर विचार के दौरान व्यक्तिगत/सार्वजनिक सुनवाई का प्रावधान नहीं करने का फैसला किया है। लेकिन केवल लिखित सुझावों/आपत्तियों के रूप में। याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि आमतौर पर ऐसे मामलों में व्यक्तिगत/सार्वजनिक सुनवाई की जाती है।

247. हम आश्चर्य करते हैं कि क्या ऐसी आवश्यकता को इस प्रावधान में आवश्यक निहितार्थ के रूप में पढ़ा जा सकता है। आवश्यक परीक्षण

निहितार्थ आमतौर पर तस्वीर में तब आता है जब कोई खतरा होता है कि ऐसा अनुमान लगाने में विफलता आवश्यक रूप से प्रावधान को अनुचित बना देगी। यह एक ऐसा उपकरण नहीं है जिसका उपयोग किसी राय को सुविधा से या एक विकल्प से प्रतिस्थापित करने के लिए किया जाता है।

न्यायिक कलम की शक्ति का अनियंत्रित प्रयोग, बल्कि, इसका उपयोग किसी अधिनियम को अनुचित निष्कर्ष पर पहुंचने से बचाने के लिए किया जाता है। में। कानूनी मामलों के अधीक्षक और अनुस्मारक, पश्चिम बंगाल बनाम। कलकत्ता निगम *3 23,* इस न्यायालय की नौ न्यायाधीशों की पीठ

आवश्यक निहितार्थ के व्याख्यात्मक उपकरण के उपयोग की जांच की और इस प्रकार देखा गया: *323 3* एयर *1967* एससी *997* राजीव सूरी बनाम।

दिल्ली विकास प्राधिकरण और ओआरएस। *[* ए. एम. खानविलकर, जे.*]*

" (51) ..... श्री वेंकट सीतारामांजनेय राइस एंड ऑयल मिल्स और अन्य में *v.* आंध्र प्रदेश राज्य, *[1964] 7* एस. सी. आर. *456* इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि राज्य को बाध्य करने वाले आवश्यक निहितार्थ का एक निष्कर्ष निकाला जा सकता है यदि "यह निष्कर्ष कि राज्य किसी दिए गए क़ानून के विशिष्ट प्रावधान से बाध्य नहीं है, क़ानून के कामकाज में बाधा डालेगा, या इस विसंगत स्थिति की ओर ले जाएगा कि क़ानून

इसकी प्रभावशीलता खो सकती है "। ..... "

इसने आगे कहा:

" (57) ..... यदि अधिनियम के लागू होने से कुछ बेतुकी बात सामने आती है, तो यह अभिनिर्धारित करने के लिए एक आधार हो सकता है कि राज्य को इसके प्रावधान से बाहर रखा गया है। आवश्यक निहितार्थ द्वारा संचालन। ..... " "

248. व्यक्तिगत/सार्वजनिक की सख्त और पूर्ण आवश्यकता को पढ़ने के लिए

वर्तमान मामले में एक विशेष रूप और तरीके से सुनवाई करना प्रावधानों को पूरी तरह से फिर से लिखना होगा। यह अनावश्यक है। न्यायिक समीक्षा की शक्ति को कानून बनाने की शक्ति में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है और इस प्रस्ताव के संबंध में कानून का निपटारा किया जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि यह नए मास्टर प्लान की तैयारी का मामला होता, तो *1959* के नियमों का अध्याय *III* स्पष्ट रूप से आपत्तियों को सुनने की आवश्यकता को दर्शाता है और इस प्रकार अनिवार्य है। धारा *11* ए के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए योजना में संशोधन की यह आवश्यकता नहीं है।

249. धारा *11* ए की उप-धारा *(3)* में उपयोग किए गए वाक्यांश "विचार किया जाएगा" का वास्तविक महत्व जनता के व्यवहार का तरीका तय करना होगा।

परिवर्तनों की मात्रा और गुणवत्ता के अनुसार परामर्श मामला-दर-मामला आधार पर सख्ती से प्रस्तावित किया जा रहा है। विधायिका ने यह कर्तव्य निष्पादन निकाय को सौंपा है ताकि वह किसी परियोजना की प्रचलित जमीनी वास्तविकताओं के अनुसार विचार के तरीके को ढालने में सक्षम हो सके। "विचार" शब्द एक वाक्यांश है जो सक्षम प्राधिकारी को अनिवार्य करता है

सार्वजनिक सूचना के बाद प्राप्त आपत्तियों को देखें और फिर उचित निर्णय लें। नामित प्राधिकारी प्रस्तावित किए जा रहे परिवर्तनों की प्रकृति के अनुसार विचार करने का तरीका निर्धारित कर सकता है। सम्मेलन ऐसे मामलों में सच्चा मार्गदर्शक है। और वर्तमान मामले में, स्वीकार्य रूप से व्यक्तिगत/सार्वजनिक सुनवाई प्रदान की गई थी

सम्मेलन। लेकिन न्यायालय को कन्वेंशन को वैधानिक बनाने की आवश्यकता नहीं है।

प्रत्येक आपत्ति पर व्यक्तिगत सुनवाई की आवश्यकता।

250. साइनामाइड इंडिया *3 24* में, इस न्यायालय को सरकार द्वारा इस तरह की जांच की अभिव्यक्ति के उद्देश्य की जांच करने का अवसर मिला है।

324 (17 पर ऊपर*)*

यह औषधि *(*मूल्य नियंत्रण*)* आदेश के संदर्भ में उचित समझता है। इसने कहा कि इस तरह का प्रावधान केवल अधीनस्थ विधायी निकाय को किसी भी स्रोत से प्रासंगिक जानकारी प्राप्त करने में सुविधा प्रदान करने के लिए एक सक्षम प्रावधान है और इसका उद्देश्य अधीनस्थ विधायी निकाय के अलावा किसी और को कोई अधिकार देना नहीं है। वह प्रक्रिया एक जांच है जो एक विधायी गतिविधि की ओर ले जाती है, और प्राकृतिक न्याय के किसी भी निहितार्थ को तब तक नहीं पढ़ा जा सकता है जब तक कि यह व्यक्तिगत सुनवाई का खर्च उठाने के लिए एक वैधानिक शर्त न हो।

251. एक प्राथमिकता के रूप में, हमारा विचार है कि न्यायालय द्वारा इस तरह के मामलों में अपने दम पर कोई समान सूत्र विकसित नहीं किया जा सकता है, जहां बड़े पहलू हैं।

नगर नियोजन और अवसंरचना शामिल हैं, और चिंताएँ

भूगोल, अर्थव्यवस्था, सामाजिक स्थितियाँ, समय-सीमा आदि राष्ट्रीय परिदृश्य में परिवर्तनशील चुनौती पेश करते हैं। यह ठीक उसी भावना में है कि नई मास्टर प्लान तैयार करने की प्रक्रिया में भी, *1959* के नियमों के नियम *9* का परंतुक बी. ओ. ई. एच. को किसी भी व्यक्ति को व्यक्तिगत सुनवाई से इनकार करने का अधिकार देता है यदि उसे उस व्यक्ति द्वारा उठाई गई आपत्ति के आलोक में अप्रासंगिक या तुच्छ माना जाता है। वह इस प्रकार है:

"*9.* पूछताछ और सुनवाई -

:

बशर्ते कि बोर्ड किसी को भी व्यक्तिगत सुनवाई की अनुमति न दे

व्यक्ति, यदि यह राय है कि ऐसे व्यक्ति द्वारा की गई आपत्ति या सुझाव असंगत, तुच्छ या अप्रासंगिक है।

252. याचिकाकर्ताओं द्वारा एक तर्क दिया गया है कि *1959* के नियमों के अध्याय *III* के नियम *8* और *9* में नियुक्ति का प्रावधान है।

बी. ओ. ई. एच. और व्यक्तिगत सुनवाई संशोधन की अनिवार्य प्रक्रिया का हिस्सा हैं। हम पहले ही यह स्पष्ट कर चुके हैं कि *1959* के नियमों का अध्याय *III* "नए मास्टर प्लान" की तैयारी पर लागू होता है न कि धारा *11* ए के तहत संशोधनों पर।

253. उल्लिखित नियमों को धारा *56 (1)* को आगे बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है और इन्हें पांच अध्यायों में विभाजित किया गया है। अध्याय *III* से संबंधित है -

"मास्टर प्लान तैयार करने की प्रक्रिया "और अध्याय *V*, जिसे *1959* के नियमों के *1966* के संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था," मास्टर प्लान और क्षेत्रीय विकास योजना में संशोधन "से संबंधित है। इसलिए, संशोधनों के विषय पर एक अलग अध्याय यानी अध्याय के तहत विचार किया जाता है। *V.* अधिनियम में भी, मास्टर प्लान तैयार करने पर अध्याय *III* के तहत विचार किया गया है और संशोधनों पर अध्याय *IIIA* के तहत विचार किया गया है जिसे बाद में *1963* के अधिनियम *56* द्वारा एक संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था।

राजीव सूरी बनाम। दिल्ली विकास प्राधिकरण और ओआरएस। *[* ए. एम. खानविलकर, जे.*]*

254. इस प्रकार, विधायिका ने अधिनियम और नियमों दोनों में दो अलग-अलग अध्यायों में तैयारी और संशोधन के विषयों का सीमांकन किया है। और प्रक्रिया के संदर्भ में दोनों के बीच एक स्पष्ट अंतर है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि संबंधित प्रावधान

संशोधनों को बाद में *1963 (*अधिनियम में*)* और *1966 (*नियमों में*)* में संशोधनों के माध्यम से जोड़ा गया था और हम इस तथ्य को नहीं भूल सकते कि विधायिका *1963 (*अधिनियम में*)* और *1966 (*नियमों में*)* की पूर्व-मौजूदा आवश्यकताओं से अच्छी तरह से अवगत थी। नई योजना तैयार करने के मामले में व्यक्तिगत/सार्वजनिक सुनवाई। इस तरह के ज्ञान के बावजूद, इसने संशोधन की प्रक्रिया में सार्वजनिक परामर्श के समान मानक का विस्तार नहीं करने का फैसला किया और खुद को धारा *11* ए में उपयोग की गई

अभिव्यक्ति "सभी आपत्तियों और सुझावों पर विचार करेगा" तक सीमित रखा। *1959* के नियमों में परामर्श का कोई अन्य तरीका निर्धारित नहीं किया गया है।

255. याचिकाकर्ताओं द्वारा यह कहा गया है कि एक नया मास्टर प्लान तैयार करने का कार्य भी एक संशोधन के माध्यम से किया जाता है और इसलिए, व्यक्तिगत/सार्वजनिक सुनवाई की आवश्यकता संशोधन के समय भी निहित होगी। जैसा कि चर्चा की गई है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि अधिनियम के साथ-साथ नियम इन दोनों विषयों को अलग-अलग मानते हैं

विभाग और यह भी संदेह से परे है कि इस तरह के उद्देश्य अलग उपचार यह सुनिश्चित करने के लिए है कि संशोधन की प्रक्रिया एक नई योजना तैयार करने की प्रक्रिया के समान कठोरता के अधीन नहीं है। इसके अलावा, नए मास्टर प्लान के लिए अधिसूचना एस. ओ. *141* दिनांक *7.2.2007* में तैनात भाषा और एस. ओ. *1192 (ई)* दिनांक *20.3.2020 (*संशोधन के लिए आक्षेपित अधिसूचना*)* में तैनात भाषा भी विचाराधीन तर्क का उत्तर देने के लिए मार्गदर्शक मूल्य की है। जबकि

नया मास्टर प्लान तैयार करने के लिए, उपयोग की जाने वाली अभिव्यक्ति "व्यापक संशोधन" है, जबकि वर्तमान परिवर्तनों को अधिसूचित करते समय *(*जिन्हें हमने प्रकृति में मामूली माना है और मास्टर प्लान में या उस मामले के लिए क्षेत्रीय योजना में मूल या मौलिक परिवर्तन नहीं किए हैं*)*, उपयोग की जाने वाली अभिव्यक्ति सरल "संशोधन" है। "व्यापक" शब्द का उपयोग दर्शाता है कि संशोधन होने के बावजूद, नए मास्टर प्लान की तैयारी। व्यापक परिवर्तनों का प्रस्ताव करता है क्योंकि यह पिछली योजना को हमेशा के लिए बदलने के लिए है। तदनुसार, जांच अधिक होती है और इसे एक अलग अध्याय में रखा जाता है। एक संशोधन के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता है

धारा *11* ए जब तक कि इसे पर्याप्त या कट्टरपंथी नहीं दिखाया जाता है जो यहाँ मामला नहीं है।

256. मूल योजना को नए के साथ बदलने और मौजूदा योजना में संशोधन के मामले को एक ही आधार पर नहीं रखा जा सकता है। इस सावधानीपूर्वक तैयार की गई योजना को विचाराधीन प्रस्तुति को स्वीकार करके अपने सिर पर नहीं डाला जा सकता है।

257. याचिकाकर्ता के वकील ने अनजाने में या शोध की कमी के कारण, हटाए गए मामले पर भरोसा करके अपना मामला खड़ा किया था। उनके तर्क का समर्थन करने के लिए *1959* के अपरिवर्तित नियमों के नियम *12* और *13*

संशोधन के मामले में व्यक्तिगत/सार्वजनिक सुनवाई की आवश्यकता के संबंध में। हमें यह जानकर दुख होता है कि उक्त नियमों को *1966* के संशोधन दिनांक *1* द्वारा हटा दिया गया था और वर्तमान विषय में उक्त नियमों पर कोई भी निर्भरता नहीं रखी जा सकती है। बल्कि, हटाना व्यवस्था को समाप्त करने के विधायी इरादे का संकेत है। संशोधन के प्रयोजनों के लिए इसके तहत प्रदान किया गया है। उक्त अधिसूचना का प्रासंगिक उद्धरण इस प्रकार हैः

"*2.* दिल्ली विकास *(*मास्टर प्लान और क्षेत्रीय विकास योजना*)* नियम, *1959* में -
*(*क*)* नियम *12* और *13* को हटा दिया जाएगा;

258. याचिकाकर्ताओं ने एक निर्णय पर भरोसा किया है

फ्रेंड्स ऑफ राजौरी गार्डन एनवायरनमेंट एंड अन्र में धारा-*11* ए पर दिल्ली उच्च न्यायालय। वी. दक्षिण दिल्ली नगर निगम *3 25.* निर्णय केवल प्रावधान के पीछे के इरादे की व्याख्या करता है और "किसी भी व्यक्ति", विशेष रूप से स्थानीय रूप से प्रभावित व्यक्तियों से आपत्तियों और सुझावों को आमंत्रित करने की आवश्यकता को निर्धारित करता है। इस मामले में उक्त आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। इसके अलावा, उस मामले में शामिल है

भूमि उपयोग में परिवर्तन को प्रभावित किए बिना क्षेत्र के उपयोग क्षेत्र से अलग प्रकृति की निर्माण गतिविधि। इसलिए इस मामले में निर्भरता का कोई महत्व नहीं है। इसी तरह, विचाराधीन तर्क के समर्थन में याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए निर्णयों पर भरोसा किया गया।

सैयद हसन रसूल नुमा *326* सहित मामले को आगे नहीं ले जाता है। वास्तव में, सैयद हसन रसूल नुमा *3-27* में निर्णय *1957* के अधिनियम से संबंधित है। हालाँकि, यह संबंधित व्यक्ति द्वारा की गई आपत्ति का मामला था, जिस पर बी. ओ. ई. एच. और प्राधिकरण का भी ध्यान नहीं गया था। द.

न्यायालय ने वास्तव में पाया कि अपीलार्थियों द्वारा की गई आपत्ति नहीं थी विचार के लिए बुलाई गई बैठक के एजेंडे में सूचीबद्ध और

किसी भी

प्राधिकरण द्वारा दिया गया औचित्य अंतिम निर्णय को मान्य नहीं कर सकता है जो अन्यथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के दोष से पीड़ित था।

326 (220 पर ऊपर*)* *327 (220* पर ऊपर*)*